मंगलवार, 6 मई, 1997

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(भाग I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 14, चौथा सत्र, (भाग–चार), 1997/1919 (शक)]

अंक 4, मंगलवार, 6 मई, 1997/16 वैशाख, 1919 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 421 और 422	2-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 423 से 440	21-56
अतारांकित प्रश्न संख्या 4698 से 4927	56-358
प्रधान मंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी की नियुक्ति के बारे में	358-365
सभा पटल पर रखे गए पत्र	365-371
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन – *प्रस्तुत*	371
नियम 377 के अधीन मामले	371-375
(एक) चंडीगढ़ तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के सेवा–निवृत्त कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री सत्यपाल जैन	371-372
(दो) समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी उपबंधों को विशेष रूप से महिला कामगारों के मामले में कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया	372
(तीन) तेजपुर (असम) और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों का राष्ट्रीय पर्यटन परियोजना के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	372-373
(चार) आन्ध्र प्रदेश के किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता	
डा० बी. एन. रेड्डी	373
(पांच) कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त खान-पान सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
श्री एम. रामनाथन	373-374

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह् इस बात द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था

विषय कॉलम

(छः) मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिरों के समुचित संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

कुमारी उमा भारती. 374

(सात) पश्चिम बंगाल में समुद्री पर्यटन स्थल दिघा के विकास तथा इसे विमान सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री सुधीर गिरि. 374-375

सामान्य बजट, 1997-98–अनुदानों की मांगें 375-381,383-439

श्री आई. डी. स्वामी. 375-380,383-387

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही. 387-397

श्री बसुदेव आचार्य. 397-402

श्री सुरेश प्रभु. 402-406

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय. 406-410

श्री शिवराज वी. पाटिल. 410-415

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा. 415-417

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल. 417-418

श्री लक्ष्मण सिंह. 418-421

प्रो० आर.आर. प्रामानिक. 421-424

श्री प्रहलाद सिंह. 424-425

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका. 426-428

श्री रमेन्द्र कुमार. 428-249

श्री विजय गोयल. 429-430

डा० एस. वेणु गोपालचारी. 431-437

श्रीमती कान्ति सिंह. 437-438

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद. 438-439

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ. 439

अनुदानों की मांगें–*स्वीकृत* 439

सभा में स्वीकृति के लिए शेष मांगों का प्रस्तुत किया जाना. 440-449

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक – *पारित*. 449-458

श्री पी. चिदम्बरम. 449,454-456

विषय	कॉलम
श्री राम नाईक	450-452
श्री बसुदेव आचार्य	452
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	453-454
श्री टी. आर. बालू	456
श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन	456-457
श्री इन्द्रजीत गुप्त	457
श्री श्रीकान्त जेना	457
श्री आर. एल. जालप्पा	457-458
विचार करने के लिए प्रस्ताव – *स्वीकृत*	458
खंडवार विचार	458
पारित करने के लिए प्रस्ताव	458

लोक सभा

मंगलवार, 6 मई, 1997/16 वैशाख, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व सहयोगी, श्री जी. यल्लामंडा रेड्डी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री जी. यल्लामंडा ने 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा में आंध्र प्रदेश के मरकापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री रेड्डी 1952 से 1953 तक तत्कालीन मद्रास विधान सभा तथा 1953 से 1962 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री रेड्डी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे और शिक्षा के प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी। वह 1960-62 के दौरान श्री बेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति की सीनेट के सदस्य रहे।

श्री रेड्डी एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने अंग्रेजी तथा तेलगू में अनेक लेख एवं पुस्तकें लिखीं। 'डिवोलूशन एण्ड जनरल क्राईसिस ऑफ कैपिटैलिज्म' और इन्टरनेशनल मोनेट्री फन्ड एण्ड डेवलपिंग कंट्रीज' उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं।

श्री जी. मल्लामंडा रेड्डी का निधन 74 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल, 1997 को हैदराबाद में हुआ।

हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान में थोड़ी देर मौन धारण करेंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

विदेशी नागरिक

*421. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विदेशी नागरिकों को उनके अपने देश में वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) चूंकि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और वापस भेजने की शक्तियां, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं, इसलिए ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार, पड़ोसी देशों से चोरी-छिपे भारत में घुसकर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों से संबंधित समस्या से अवगत है। ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की शिनाख्त करने और उन्हें वापस भेजने के प्रयासों में तेजी लाने और स्थानीय जनता को इस समस्या की विशालता और गंभीरता के बारे में सुग्राही बनाने के लिए भी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो लोग वीसा लेकर आते हैं, वे अवैध रूप से पाकिस्तान एवं अन्य देशों से आकर यहां पर ठहर जाते हैं और वापिस नहीं लौटते। सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि हमने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं और राज्य सरकारों का दायित्व है कि ऐसे लोगों की शिनाख्त या पहचान करे। उत्तर में उन्होंने यह भी बताया है कि हमने उनको फिर से गाइडलाइन दी है ताकि वे इस कार्य में तेजी लाएं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान से आपको इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है? कि उनके यहां पर सैंकड़ो की संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से वहां निवास कर रहे हैं उनके बारे में केन्द्र को उन्होंने जानकारी भी दी है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में और मध्य प्रदेश के रायपुर, इन्दौर और भोपाल में इस प्रकार के नागरिकों की पहचान की गई है? क्या ऐसे जो पाकिस्तानी नागरिक यहां पर हैं, उनमें कुछ ऐसे संदिग्ध गतिविधियों में हैं, जिनके बारे में केन्द्र सरकार को जानकारी है और जिनकी निश्चित संख्या भी बताई गई है?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह प्रश्न विदेशियों से संबंधित है विशेषरूप से पाकिस्तान से आए हुए उन लोगों से जो गैर-कानूनी तरीके से यहां रह रहे हैं क्यों कि अब उनके वीजा समाप्त हो चुके हैं और उनके पास कोई दूसरा वास्तविक या वैध यात्रा दस्तावेज अनुमति-पत्र नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनका हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक उनका पता नहीं लगा लिया जाता, तब तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। डा. पाण्डे ने सही कहा है कि वीजा समाप्त होने के बाद ये लोग अक्सर यहां रहते हैं। देश के विभिन्न भागों में उनके दोस्त और संबंधी इत्यादि रहते हैं जिनके पास ये लोग रहने के लिए चले जाते हैं। वे हमारे लोगों में घुलमिल जाते हैं और आमतौर पर उनकी पहचान कर पाना बहुत कठिन है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिनके बारे में उनकी विशेष रुचि है, ने केन्द्र सरकार को विशेष रूप से यह सूचित नहीं किया है कि इन राज्यों में अनुमानतः कितने ऐसे लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। स्पष्ट है कि उन्हें निश्चित रूप से उनके बारे में मालूम नहीं हैं। अन्यथा वे उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे, उनकी पहचान कर सकते थे उन्हें वापस भेज सकते थे या उनके विरुद्ध अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। उन्होंने हमें उन लोगों का ब्यौरा नहीं दिया है जिनके बारे में उन्हें संदेह है कि वे उन राज्यों में अवैध रूप से रह रहे हैं।

[हिन्दी]

आपने तीसरा क्या सवाल पूछा था?

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैंने यह भी जानना चाहा है कि क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो वीजा प्रदान किये गये थे, उनमें से कुछ ऐसे नागरिक थे, जो आपराधिक वृत्ति के थे और उनके बारे में केन्द्र सरकार को, आपके दूतावास को जानकारी है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नही, ऐसी तो जानकारी नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग उनके अन्दर जरूर रह सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : यदि आप कहते हैं, "रह सकते हैं," इसका मतलब यह है कि आप उन्हें रहने की अनुमति दे रहे हैं। "रह सकते हैं" का क्या मतलब है? आप उन्हें यहां रहने की अनुमति देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने उत्तर के पहले भाग में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि इन लोगों का पता लगाना होगा। अन्यथा, उन्हें रहने देने की अनुमति देने का प्रश्न कहां है। यदि आपको मालूम है कि वे लोग कहां हैं और कौन हैं तो उनका पता लगाया जा सकता है और उसके बाद उन्हें यहां रहने देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या वापस भेजा जाएगा या उन्हें कुछ समय तक जेल में रखा जाएगा। यदि आप उनकी पहचान नहीं कर सकते हैं तो, हम क्या कर सकते हैं?

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : इसका पता कौन करेगा?

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3437 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें उत्तर दिया है, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर पाकिस्तानी राष्ट्रकों को भारत में ठहरने की दीर्घावधि वीजा सुविधा प्रदान की गई थी। इनमें से 18 व्यक्ति किसी न किसी अपराध में अन्तर्ग्रस्त थे। यह यहां लोक सभा में दिया गया उत्तर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बात की जानकारी नहीं है। मुझे खेद है कि इस बात की जानकारी होते हुए भी ऐसे लोग आपराधिक वृत्ति में संलग्न थे और वे वहां पर बैठकर जिन-जिन राज्यों में हैं, वे किसी न किसी प्रकार का उपद्रव कराते हैं, अराजकता फैलाते हैं। तो क्या यह केन्द्र की जवाबदारी नहीं है कि ऐसे लोगों की शिनाख्त शीघ्र हो? उसके बारे मं राज्य सरकारों को आपने निर्देश तो दिये हैं, लेकिन वे कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा स्थिति यह हो गई है कि उनके राशन कार्ड बन गये हैं, वे वहां स्थाई रूप से निवास करने लग गये हैं। इसके बारे में क्या केन्द्र अपनी ओर से भी कुछ करेगा या केवल राज्य के ऊपर डालकर, हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, इसको छोड़ देगा या ये अपनी ओर से भी जवाबदारी लेकर इसके बारे में कार्रवाई करेंगे?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टैरीटरी की गवर्नमेंट्स को ये पावर कानून के मुताबिक डैलीगेट की गई थी। वे लोग यह पावर मांग रहे थे और कानून के अनुसार उनको यह पावर डैलीगेट करके दी गई। यह बात ठीक है, माननीय सदस्य जी ने जो कहा कि कोई-कोई स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टैरीटरी शायद यह काम ठीक ढंग से नहीं कर रही हैं तो फिर वहां हमारी जो सैण्ट्रल एजेंसीज हैं, इनके द्वारा हम उन पर दबाव डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में और प्रभावी ढंग से चलें। मुश्किल यह है कि हमारे यहां ये लोग जो अनडिटेक्टिड फार्नर्स हैं, जो गैर कानूनी ढंग से ठहरे हुए हैं, इनमें कई किस्म के लोग हो सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से आए हुए ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों से भी ये लोग यहां आए हुए हैं। कुल मिलाकर हमारा अंदाजा है कि इनकी टोटल संख्या दस मिलियन के करीब है, जबकि हमारी पापुलेशन एक सौ मिलियन है। दस आदमियों में एक आदमी ऐसा हो सकता है जो इस तरह से घुस गया हो। उसको खोज कर निकालना है और हम यह काम कर रहे हैं। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि किन राज्यों में कितने ऐसे लोगों को डिटेक्ट किया गया है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई हैं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मुझे आश्चर्य और हैरानी है कि हमारे गृह मंत्री बंगलादेश, पाकिस्तान वगैरह से आकर लगभग दस मिलियन विदेशियों के हमारे देश में रहने की बात को बहुत हल्के ढंग से कह रहे हैं।

श्री राम नाईक : यह कांग्रेस की देन है।

श्री संतोष माहेन देव : सब कुछ कांग्रेस की देन है। सत्ता में आने पर इसका ध्यान रखना ।

"अवैध" का मतलब क्या है? इसकी एक व्याख्या यह है बीजा लेकर आने के बाद वापस न जाना इसकी दूसरी व्याख्या यह है कि

सीमा पर तैनात लोगों को कुछ ले-दे कर चुपके से अवैध तरीके से देश में आकर बस जाना।

अब देश के समक्ष आई.एम.डी.टी. अधिनियम और असम के अलावा पूरे देश में विदेशी नागरिक अधिनियम का मुद्दा है। 1946 के अधिनियम के तहत यह सिद्ध करने के जिम्मेदारी पुलिस की है कि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है। आई.एम.डी.टी. अधिनियम में भी यही बात है। विदेशी नागरिक अधिनियम में यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है कि वह विदेशी नागरिक नहीं है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है।

मुझे गृह मंत्रालय में काम करने का अवसर मिला है। वहां ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति वीजा लेकर इस देश में आता है तो 15-20 दिन बाद उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होता है ताकि हमें उसकी गतिविधियों की जानकारी रहे। क्या यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यदि यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है तो मंत्री जी का यह कहना ठीक है कि उन्हें मालूम नहीं है कि क्या व्यवस्था है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है जिससे इस बात की निगरानी रखी जा सके कि कोई व्यक्ति कब देश में आता है और कब वापस जाता है और क्या वह अभी भी दस मिलियन के आंकड़े में शामिल है। क्या यह एक सुनी सुनाई बात है या तथ्यों पर आधारित बात है? यह निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर बात है। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं इस बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस संबंध में किसी भी समय विस्तार से चर्चा का स्वागत करूंगा। अतः हम ऐसी चर्चा कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या जिस समय श्री संतोष माहेन देव गृह मंत्रालय में थे क्या उस समय कोई प्रभावी निगरानी प्रणाली थी जैसा कि वह दावा कर रहे हैं।

वीजा सीमित समय के लिए होता है वीजा लेकर जो भी व्यक्ति देश में आया, क्योंकि उसको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होता था, इत्यदि, सरकार उस पर निगरानी रख सकी, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि, जहां तक श्री संतोष मोहन देव की जानकारी है, क्या उस समय इस तरह से जिन लोगों पर निगरानी रखी जा रही थी, उन्हें अवैध रूप से देश में नहीं रहने दिया जा रहा था। राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से यह अपेक्षा है कि उन्होंने इस संबंध में जो भी आंकड़े और जानकारी एकत्र की है उसकी जानकारी नियमित रूप से केन्द्र सरकार को दें।

उसके अनुसार 1976 के अंत तक 40,949 विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इनमें 29,239 बंगलादेशी और 11,005 पाकिस्तानी थे। अब हमारे खुफिया स्रोतों, मुझे स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक अपने खुफिया स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, ने आगे यह सूचना दी है कि उनकी जानकारी के अनुसार दस मिलियन बंगलादेशी, एक समय श्री संतोष मोहन देव भी खुफिया शाखा के प्रभारी थे, अवैध रूप से हमारे देश में रह रहें हैं। उनमें से 29,239 स्पष्ट रूप से इस वर्ष के दौरान इस गणना के लिए लोगों की पहचान की गई है। अतः उन्होंने संक्षिप्त आंकड़ा दिया है। उनमें से शेष लोगों की पहचान नहीं की गई है और किसी को मालूम नहीं कि वे कहां हैं। वे उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में जिस प्रकार से विदेशी घुसपैठ लगातार बढ़ी है, उससे ऐसा लगने लगा है कि हमारे देश की छवि बाहर से आने वाले घुसपैठियों के मन में एक लावारिस धर्मशाला की हो गई है कि कोई भी यहां पर आ जाए और कहीं पर भी आकर यहां टिक जाए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि बंगलादेश की जनसंख्या कितनी है? वह संसद में उत्तर दे रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है।

कुमारी उमा भारती : वह इस तरह से बंगलादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, अमरीका और कनाडा जैसे देश जिनकी जनसंख्या हमसे कई गुना कम है और जिनकी धरती हमसे कई गुना ज्यादा है, उनके यहां पर यदि एक भी इल्लीगल एंट्री होती है तो वे उसको पकड़ लेते हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है और कुछ वोटों की राजनीति है जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में, जो कि माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के फ्लोर पर ही कहा है कि उनकी इंटेलीजेंस एजेसियों का भी यह कहना है कि एक करोड़ से भी ज्यादा बांगलादेशी घुसपैठिए भारत की धरती पर आ चुके हैं। लेकिन यह सब जानने के बाद भी भारत एक ऐसा देश है जो स्वयं भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से ग्रस्त है। उसके बाद भी आज तक केन्द्र की सरकार ने न तो उनको निकालने के लिए कोई गंभीर कदम उठाए हैं जैसा कि गृह मंत्री जी ने बयान दिया है और लिखित में गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यह राज्य सरकारों के लिए भी है कि वे इस बात को लेकर चिंतित हों। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहती हूं। अगर आपको जानकारी हो कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक संघ बनाया है और उन्होंने अपने लिए कुछ सुविधाओं की मांग की है। यह बात तो जरूर बंगाल सरकार की नोटिस में है और आपकी इंटेलीजेंस एजेंसियों के माध्यम से आपकी नोटिस में आ गई होगी। बल्कि मुझे तो डर लगता है कि कुछ दिनों के बाद हमारा देश घुसपैठिस्थान माना जाएगा क्योंकि जिस प्रकार से घुसपैठियों को वोट बैंक की राजनीति के अंदर प्रोटेक्शन मिला है, उससे ऐसा ही लगता है। संतोष मोहन देव जी आप हंसिए नहीं। आपके टाइम में ही त्रिपुरा में सबसे ज्यादा घुसपैठ बढ़ी और आज त्रिपुरा का जो बैलेंस बिगड़ा है, वह आप जैसे लोगों के कारण ही बिगड़ा हुआ है और यह हंसने का विषय नहीं है। इसको जरा गंभीरता से लीजिए और वोट-बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सोचिए कि देश की सीमाएं किस प्रकार से खतरे में पड़ी हुई हैं।

उपाध्यक्ष जी, मुझे सिर्फ दो सवाल पूछने हैं। एक सवाल तो यह कि आसाम में जो आई.एम.डी.टी. है जिसकी चर्चा संतोष मोहन देव जी ने की थी कि जिसके कारण आई.एम.डी.टी. एक्ट ठीक से लागू नहीं हो पाता है और घुसपैठियों को बाहर निकालने की कार्यवाही नहीं हो पाती। पहला सवाल है कि क्या सरकार आई.एम.डी.टी. एक्ट में संशोधन करने के बारे में विचार करेगी? दूसरा सवाल है कि जब गृह मंत्री जी

ने इसको स्वीकार कर लिया है कि इतनी बडी संख्या में घुसपैठिए यहां पर खासकर बंग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर हैं, फिर उनको यहां से निकालने के बारे में सरकार क्या कदम उठाएगी और राज्य सरकार को इस बारे में किस प्रकार से निर्देश देगी?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक आई.एम.डी.टी. एक्ट के बारे में कहा है, वह बात सही है। यह स्वीकार किया गया है। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी स्वीकार किया कि उस एक्ट के अनुसार जो इल्लीगल इमीग्रेंट्स को डिटेक्ट और डीपोर्ट करने का प्रबंध है, बहुत कम लोगों को आईडेंटीफाई किया गया है। बहुत कम लोगों को इसके तहत डीपोर्ट किया गया है। फिर प्रश्न उठा कि एक्ट बेकार है और या फिर इसको वापस किया जाए। बाकी पूरे भारतवर्ष में दूसरा एक्ट है। केवल आसाम में अलग एक्ट बनाया गया है। वहां एजिटेशन हुआ था। बाकी हिन्दुस्तान में यह एक्ट नहीं है। यह जो एक्ट हैं इसके लिए यह मांग उठी कि इस एक्ट को फिर वापिस कर लिया जाए। इसको लेकर तमाम पार्टियों से बातचीत हुई। वहां तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों को लेकर भी बैठा गया। उसमें यह देखा गया कि लोगों में कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक्ट बेकार है, इसको रख कर कोई फायदा नहीं है। इसको रिपील किया जाए और कुछ लोग बोले कि इसको रखना चाहिए। अगर इसको हटा दिया जाए तो कुछ लोगों में डर है कि उनके ऊपर कुछ जुल्म होगा। इसलिए अभी तक इस एक्ट के बारे में भारत सरकार ने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया। इस पर फरदर डिस्कशन हो सकती है कि क्या करना चहिए.....*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : मैंने आपसे पूछा था कि आपने जो एक्सेप्ट किया है कि ये करोड़ों लोग भारत के अंदर आ चुके हैं उसके बारे में आपने राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिए हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आपको बताया कि यह इंटेलीजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है। उनके हिसाब के अनुसार इतने लोग हैं। अब आपको भी समझना चाहिए कि इनको रोकना बड़ा मुश्किल है.....*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : तो आप क्या कर रहे हैं? आप रिजाइन कर दो, आप छोड़ दो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप सवाल पूछ रही हैं मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। आप नहीं सुनना चाहती हैं तो मैं नहीं बोलूंगा।

कुमारी उमा भारती : हम सुनने के लिए तो खड़े हुए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सुनने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता।

कुमारी उमा भारती : ठीक है, हम बैठ जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह जो हमारा बार्डर है आप जानते हैं यह बार्डर बहुत ही पोरस बार्डर, वलनरेबल बार्डर कहा जा सकता है। अगर वे इल्लिगली भी आना चाहें तो इस बार्डर को पार करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग बंगलादेश से आते हैं उनके शरीर और चेहरे देख कर या उनकी भाषा सुन कर पहचान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके चेहरे यहां के लोगों के साथ इतने मिलते-जुलते हैं और इसलिए कुछ लोग आ जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि बार्डर पर जिन लोगों को चैक करने के लिए रखा गया है वे पैसा ले लेते हैं और उसके बाद कई जगह इनको छोड़ देते हैं, यह बात तो सही है। सारे देश भर में भ्रष्टाचार चल रहा है.....*(व्यवधान)* वहां नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मंत्री जी यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि सीमा सुरक्षा बल के कर्मी पैसा ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री दासमुंशी जी, मैंने सीमा सुरक्षा बल का उल्लेख नहीं किया। मैंने कहा था जो लोग सीमा पर सीमा चौकियों इत्यादि पर हैं। वे सीमा सुरक्षा बल के कर्मी अथवा अन्य लोग हो सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : इसका मतलब यह हुआ कि केवल सीमा सुरक्षा बल के कर्मी ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी पैसा ले रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे मालूम नहीं है कि श्री महाजन को आश्चर्य क्यों हो रहा है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं इस बात की प्रसंशा करता हूं कि यह सरकार बहुत पारदर्शी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपको बता सकता हूं कि सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के अनेक मामले हैं। कुछ मामलों में सीमा पर इन कदाचारों में सम्मिलित लोगों के बारे में उन्हें अभ्यावेदन भेजे गए हैं। उन मामलों की जांच की जा रही है और कुछ मामलों में कार्रवाई भी की गई है.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक काम तो करिए, पैसा लेने वालों को तो बदल दीजिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप देखिए, हमारे बंगाल में क्या होता है। वहां जो बी.एस.एफ. के लोग पोस्टेड होते हैं वे अक्सर हरियाणा, पंजाब या गुजरात के लोग होते हैं.....*(व्यवधान)* वहां से सिपाही को भेजता है .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार के लोग लगा दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे बंगला भाषा बिलकुल नहीं जानते और वे गांव-गांव के देहात के किसान वगैरह साधारण लोग हैं। वे उनकी भाषा नहीं समझते, इसलिए उनकी आपस में कुछ मिसअंडरस्टेंडिंग और गड़बड़ हो जाती है। हम यह भी देख रहे हैं कि इनको बदलने के लिए क्या किया जाए।

श्री इलियास आजमी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री जी ने एक ऐसा इनकेशाफ किया कि मेरे तो बदन में झुरझुरी फैल गई। शायद सारे देश में भय फैल जाएगा कि, दस मिलियन गैर-मुल्की नागरिक हमारे मुल्क में हैं।

मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि गैर-मुल्की लोगों की परिभाषा क्या है? जो लोग पाकिस्तान या बंगलादेश में कभी पैदा हुए थे वे यहां चले आए और उनके यहां औलाद पैदा हो गयी, उनको मिलाकर एक

करोड़ बता रहे हैं या वाकई में जो घुसपैठिये हैं उनको बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे प्रधान मंत्री भी पाकिस्तान में पैदा हुए थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पाकिस्तान में पैदा हुए थे। हमारे दास मुंशी खुद या उनके वालिद साहब बंगलादेश में पैदा हुए थे। इन सब को जोड़कर आप यह आंकड़ा बता रहे हैं या बिना पासपोर्ट के जो आ गये हैं उनको बता रहे हैं। इसका जवाब आप दे दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कानून के मुताबिक जो लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं उन्हें हम फॉरेन सिटीजन समझते हैं। कोई और कसौटी तो हमारे पास है नहीं।

श्री इलियास आजमी : क्या आप एक दो महीने में भी एक करोड़ में से 25 हजार का आंकड़ा पेश कर सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अगले सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित कर दिया है।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार विदेशियों की गतिविधियों को कम करने में पूरी तरह से असहाय हो गई है। यदि हां, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और बेहतर यह है कि यह सरकार त्याग-पत्र दे दे। यदि ऐसी बात नहीं है तो सरकार उन राज्यों, जिनमें ये विदेशी नागरिक रह रहे हैं को क्या उपचारात्मक कदम, दिशानिर्देश या समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव देने जा रही है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि 'गतिविधियों को रोकने' से उनका मतलब क्या है। हम इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : आप उन्हें हमारे देश में आने से रोकने के लिए क्या कर रहे है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको ऐसा कहना चाहिए। विश्व में केवल यही एक ऐसा देश नहीं है जहां बहुत बड़ी संख्या में विदेशी आकर बस गए हैं। मैं समझता हूं कि आपको यह बात मालूम है।

श्री मधुकर सरपोतदार : लेकिन इतनी अधिक संख्या में नही हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह कह रहा हूं कि आपको यह नहीं मान लेना चाहिए और मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं, कि जो लोग यहां आते हैं और वीजा समाप्त होने के बाद अवैध रूप से यहां रहते हैं वे हमारे शत्रु हैं। वे लोग आमतौर पर गरीब लोग होते हैं जो नौकरी और रोजगार की तलाश में आते हैं। हमने ऐसे लाखों लोग देखे हैं जो नौकरी की तलाश में दूसरे देशों में चले गए हैं। उन्हें वहां पर शत्रु नहीं समझा जाता है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक उनके यहां ठहरने के दौरान, उनकी गतिविधियों का संबंध है, यदि कोई देशद्रोही, या विखण्डनकारी गतिविधियां होती हैं तो उन्हें रोकना होगा। हमारी जो भी एजेंसियां और तरीके हैं वे निश्चितरूप से कठोर परिश्रम कर रही हैं। हमने बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि देश में उनके प्रवेश को अपेक्षित सीमा तक नहीं रोका गया है।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने विभिन्न राज्यों को विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम का सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ऑनरेबल मैम्बर, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। सभी मैम्बर इस पर बोलना चाहते हैं। पांच के बजाए छः सप्लीमेंटरी हो चुके हैं। या तो इस पर आधे घंटे की चर्चा हो जाए क्योंकि इस प्रश्न को 25 मिनट पहले ही हो चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं डिस्कशन का स्वागत करता हूं। आधे घंटे से कुछ होने वाला नहीं है। समय निकाल कर इस पर डिस्कशन किया जाए। आधा घंटा तो एक-एक सदस्य बोलते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे प्रश्न पर आ रहा हूं।

किसानों को बोनस का भुगतान

[हिन्दी]

*422. **+श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं के प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर बोनस का भुगतान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी निर्णय के परिणामस्वरूप कितने किसानों को लाभ पहुंचने की संभावना है;

(घ) इस निर्णय की घोषणा करने के बाद कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है; और

(ङ) उक्त घोषणा के बाद भारतीय खाद्य निगम और कितना अधिक खाद्यान्न खरीदने में सफल हो पाया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 17 मार्च, 1997 से 10 जून, 1997 तक की अवधि के लिए गेहूं के 415/- रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के

अलावा 60/- रुपये प्रति क्विंटल के केन्द्रीय बोनस की घोषणा की है।

(ग) इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या वसूली मौसम के समाप्त होने के बाद ज्ञात हो पाएगी।

(घ) 5.5.1997 की स्थिति के अनुसार कुल 20.29 लाख टन गेहूं की वसूली की गई थी। 475/- रुपये प्रति क्विंटल की दर पर किसान कुल 963.78 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त करेंगे।

(ङ) 20.29 लाख टन मात्रा में से भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगभग 3.59 लाख टन गेहूं की वसूली की गई थी। यह सारी वसूली 9.4.1997 को बोनस संबंधी आदेश जारी किए जाने के बाद की गई थी।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न बड़ा अहम है। यह गेहूं का प्रश्न रोटी से जुड़ा हुआ है। किसानों की जेब और गरीबों के पेट से जुड़ा प्रश्न है। सरकार ने इसका 415 रुपये समर्थन मूल्य फिक्स किया है तथा बाद में साठ रुपया बोनस का दिया है। जहां तक मुझे याद है समर्थन मूल्य पर बोनस देने का काम गेहूं पर पहली बार हुआ है। खैरात देने का काम किसानों को किया गया और किसानों ने इसे खारिज कर दिया। आज सरकार 475 रुपए में गेहूं खरीदना चाहती है जबकि बाजार में 550-650 रुपए में गेहूं बिक रहा है। किसान साढ़े पांच सौ से लेकर साढ़े छः सौ रुपए में बाजार में गेहूं बेच रहा है। अभी हाल में चंडीगढ़ में एक किसान रैली हुई थी जिस में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान आए थे। उसमें किसानों ने एकजुट होकर अपनी मांग के तौर पर .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़ा ब्रीफ रहिए।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : मैं खत्म कर रहा हूं। इसे 475 रुपए से बढ़ा कर 650 रुपए किया जाए। पिछले साल विदेश से गेहूं मंगाया गया था और उसके दाम साढ़े छः सौ रुपए के करीब पड़े थे। किसान की मांग गलत नहीं है। अभी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी केन्द्र सरकार से समर्थन मूल्य की वृद्धि करके इसे 550 रुपए करने की मांग की है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किसानों के हितों में समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का क्या सरकार विचार कर रही है? यदि कर रही है तो कितना और कब तक कर रही है?

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का समर्थन मूल्य बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है.....*(व्यवधान)* आप सुन तो लीजिए। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो सरकार से जवाब भी लीजिए। अगर आप ही जवाब देंगे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? हमने किसानों को गेहूं का जो मूल्य दिया है, वह विदेशों से खरीदे गए मूल्य के बराबर है। हमने तमाम माननीय सदस्यों को पत्र लिख कर कहा है कि देश में जो गेहूं खरीदा जाता है, वह हमें 785 रुपए 60 पैसे प्रति क्विंटल में पड़ता है और जो विदेश से लिया जाता है वह हमें 805 रुपए 10 पैसे प्रति क्विंटल में पड़ता है। माननीय सदस्य इस बात को समझें कि इसमें इतने दाम का फर्क है। हम किसानों को फर्टिलाइजर, डीजल और दूसरी चीजों पर सबसिडी भी देते हैं। हम विदेश से जो गेहूं खरीदते हैं.....*(व्यवधान)*

वैद्य दारू दयाल जोशी : बाकी चीजों पर देते होंगे लेकिन गेहूं पर नहीं देते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री चतुरानन मिश्र : आप मेरी बात सुन तो लीजिए। आप कहिए कि इंटरनैशनल प्राइस से ज्यादा दाम दीजिए। अगर सदन इसकी मंजूरी दे देगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : बाजार में साढ़े छः रुपए में बिक रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सैकिंड सप्लीमैंटरी भी पूछ सकते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। अगर माननीय सदस्य जानते हैं तो मैं उसका क्या जवाब दूं? हम इंटरनैशनल प्राइस के बराबर प्राइस देते हैं। मैंने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे में बात की। वे सहयोग भी कर रहे हैं। मौसम के गड़बड़ हो जाने से शुरू में कटनी नहीं हुई थी। इससे फसल तैयार नहीं हो सकी। अब रोजाना ढ़ाई लाख से तीन लाख टन का प्रक्योरमैंट हो रहा है। वहां के किसान और दोनों राज्य सरकारें काफी सहयोग कर रही हैं। करीब 28 लाख टन से ज्यादा का प्रक्योरमैंट तीन-चार दिन में हो गया है।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष गेहूं 380 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा गया था। पिछले वर्ष गेहूं की क्राइसिस पैदा हो गई। वह आर्टिफिशियल क्राइसिज थी या दूसरी कोई थी, मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय खाद्य निगम और व्यापारियों की मिली भगत से सात सौ रुपए से लेकर एक हजार रुपए तक बाहर गेहूं बेचा गया। इससे किसान और उपभोक्ता मारा गया लेकिन व्यापारियों की चांदी हो गई और वे मालामाल हो गए। आज स्थिति यह है कि मई का छठा दिन आ गया है, क्रय केन्द्र तो पूरे भारत में खुल गए हैं लेकिन वे सिर्फ केन्द्र रह गए हैं, क्रय केन्द्र नहीं हैं। क्रय केन्द्र पर किसान नहीं आ रहा है। किसान को ऐसा लग रहा है कि बाजार में गेहूं 550-650 रुपए में बिकेगा। अधिकारियों को भी इस बात की चिन्ता नहीं है कि इसे खरीदा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मंडियों में गेहूं की आवक गत वर्ष से बहुत कम है। पिछले साल 6 मई तक जितना गेहूं क्रय किया गया था, आज उसकी तुलना में 10 प्रतिशत भी क्रय नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इतना कम होने का क्या कारण है? क्या किसानों मंडियों का बहिष्कार किया हुआ है, यदि हां तो क्या सरकार को इसके परिणामों की चिन्ता है, और हां तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही कहा कि यह बहिष्कार नहीं क्योंकि सीजान लेट शुरू हुआ है। अभी फिर बारिश हो गई। इधर फसल तैयार नहीं हैं, फिर भी किसान आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया, रोजाना बाजार में ढाई-तीन लाख टन गेहूं आना शुरू हुआ है। इसमें राज्य सरकार की एजेंसियां भी हैं और एफ.सी.आई. भी खरीद रही है। अभी तक तो यही स्थिति है, इसलिये और कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

जहां तक पिछले साल एफ.सी.आई. ने जो गेहूं खरीदा, उसे प्राईवेट लोगों के हाथ में बेच दिया तो उन्होंने बहुत ज्यादा दाम बढ़ा दिये, यह बात सच है। हमारे देश ने एक बार यह निर्णय ले लिया कि हम मार्किट के मुताबिक चलें। मार्किट के प्रति तो सरकार फ्रेंडली हो गई लेकिन मार्किट सरकार के प्रति फ्रेंडली नहीं हुई। वे लोग स्टाक को छिपाकर रख देते हैं। इसलिये यह लिबरलाईजेशन की पालिसी आई है। इसलिये ट्रांजिटिव फेज में जा रहे हैं। हम सब को राशन नहीं

दे पा रहे हैं। जिनको हम राशन नहीं देते हैं, उनके लिये भी मूल्य स्थिर करने के लिये कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस बात पर यह सदन विचार कर सकता है क्योंकि आप लोग ही चाह रहे हैं कि ट्रांजिटिव फेज और कलैरिटी नहीं है। हमारे यहां पर कई तरह के प्राइसेज हैं–समर्थन मूल्य, प्रोक्योरमेंट मूल्य, बाजार मूल्य, रिमुनरेटिव मूल्य। यह इस तरह का बना हुआ है तो कहां जायेगा? इसके बारे में तय करना है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि 60 रुपये उनको अतिरिक्त बोनस दिया जायेगा। आप कहते हैं कि यह बोनस नहीं, घूस है। तो क्या सारे देश के मजदूर घूस पर चल रहे हैं? हर एक के लिये कानून बनाकर दिया जाता है और हमने यह जानबूझकर दिया है। यह इसलिये दिया गया कि मार्किट प्राईस ऊंचा हो गया था तो उसके मुकाबले में यह सरकार का समर्थन मूल्य है। इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रेस सेल होगा तब हम खरीदेंगे। यह तो समर्थन मूल्य नहीं था, हमने तो मार्किट के मुताबिक उनको दिया। आपने कहा कि कम प्रोक्योरमेंट हुआ है। हमने पिछले साल से तुलना नहीं की क्योंकि गर्मी पहले हो गई थी और फसल पहले तैयार हो गई थी। यदि पहले के वर्षों का लेंगे तो ऐसा कई बार हुआ है। इसलिये हम सदन को आश्वस्त करना चाहेंगे कि सही दिशा में प्रोक्योरमेंट चल रहा है।

डा. एम.पी. जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस उत्तर में यह नहीं बताया गया.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया। प्लीज सिट डाऊन।

डा. एम.पी. जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वांइट ऑफ इनफरमेशन पर बोल रहा हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्वश्चन ऑवर में पाइंट ऑफ इनफरमेशन होता है, और कुछ नहीं। मैं जब नाम बोलूंगा, तब खड़े होंगे।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : उपाध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान की भूमि का 2 प्रतिशत हिस्सा पंजाब में है। पंजाब 60 प्रतिशत गेहूं और 50 प्रतिशत चावल नेशनल पूल में देता है। पंजाब का किसान इस बात से बहुत दुखी हे कि जो प्राईस और बोनस आपने दिया है, वह नाकाफी है। वहां पर एजिटेशन भी हुये हैं। अगर इससे लोग और किसान संतुष्ट नहीं हुये तो उसके दो नतीजे निकलेंगे। या तो आपकों गेहूं बाहर से खरीदना पड़ेगा अगर वह कैश क्राप में चला जायेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप कीमत बढ़ा दें। यदि आप कीमत नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कुछ सुविधायें ही फर्टिलाईजर, फ्री वाटर, फ्री इलैक्ट्रिसिटी में दे दें। वह मुनासिब तौर पर चावल और गेहूं पैदा करेगा। क्या सरकार इन बातों पर विचार करेगी?

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि वहां की प्रोडक्टिविटि में कुछ हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। एक तो यह है कि किसानों का लागत खर्चा ज्यादा हो गया है। इसके चलते वे कर्जग्रस्त हो गये हैं, उनका इनडेटेडनेस बढ़ गया है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, इसके बारे में आप कुछ कीजिए। तो मैंने अगले दिन ही दो कमेटी जांच के लिए बैठा दी कि पंजाब के किसानों पर कितना इनडेटेडनेस बढ़ गया है और प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो गई है। उसमें साइंटिस्ट्स और तमाम दूसरे लोगों को अगले दिन ही हमने बैठा दिया। हम पंजाब के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी भी हालत में हम उनकी खेती को कमजोर होने नहीं देंगे। हर तरह से हम उनकी मदद करेंगे। जहां तक यह प्रश्न हे कि मूल्य ज्यादा बढ़ा दीजिए, तो हम एक बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षिक करेंगे कि सारी दुनिया में बर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, 'गेट' का एक एग्रीमेंट हो गया है। उस एग्रीमेंट के मुताबिक भारत पर बहुत ज्यादा दवाब दिया जा रहा है कि फूडग्रेन के मामले में आप भारत के बाजार को अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए ओपन कर दीजिए। हमने इसका अभी तक विरोध किया है और हम कब तक कर पायेंगे यह हम अभी नहीं बता सकते हैं। इस पर सदन को हमारे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी हालत हो गई कि हम अपने देश में प्राइस ज्यादा रखें तो विदेश के लोग यहां आकर गेहूं बेचेंगे और इससे हमारी खेती बरबाद हो जायेगी। इसलिए हम माननीय सदस्यों को कहेंगे कि प्राइस ज्यादा बढ़ाने पर जोर मत दीजिए। अब यह इंटरनेशनल प्राइस के बराबर हो रहा है। इससे मदद लीजिए कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए और किसानों की इंकम कैसे बढ़ाई जाए। गलत दिशा में जाने से इस देश की खेती बरबाद हो जायेगी। हमारे यहां छोटी-छोटी खेती है, किसी की एक एकड़, किसी की दो एकड़, किसी की एक हैक्टेअर जमीन है और बाहर के लोगों की खेती हाइली इम्प्रूव्ड है, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हो जाती है। यह न सिर्फ अन्न के लिए, गन्ने के लिए बल्कि सब चीनों के लिए लागू हैं। इसलिए इस नीति पर विचार करें जैसा माननीय सदस्य ने कहा, तो हम आपके साथ हैं। हम पंजाब ही नहीं सारे देश के किसानों की पूरी मदद करेंगे। चाहे फर्टीलाइजर में सब्सिडी देकर या क्रेडिट की सुविधा देकर हो या सिंचाई में मदद देकर हो या जो भी हो .....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : गैट पर साइन करने का पूरे हाउस में विरोध हुआ है। उस समय तो सरकार कह रही थी कि फार्मर्स के इंटरेस्ट पूरी तरह से प्रोटेक्टिड हैं और आज जो बता रहे हैं उससे सारी बात सामने आ रही है कि आप दवाब में हैं, यह बात आप ही कह रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : क्या आपका क्वश्चन अलाउड हो गया है।

श्री नीतीश कुमार : आपने जिस तरह का जवाब दिया है इसलिए इसका माननीय उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, आप बैठिये।

श्री चतुरानन मिश्र : चेयर ने अलाऊ किया है। हम आपको जवाब दे रहे हैं कि 'गेट' का कार्य पहले हो गया था, यह आप सभी जानते हैं. .....*(व्यवधान)* अभी जो क्वान्टेटिव रिस्ट्रिक्शन हैं, उसको हटाने का जो इम्पोर्ट का मामला है, उस पर चर्चा चल रही है। उस पर आई.एम.एफ. ने रिपोर्ट दी है कि भारत की फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन बहुत अच्छी है और उसको आपको कंटेस्ट करके उसका वहां पर मुकाबला किया जा रहा है.....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : सी.टी.बी.टी. की तरह कर लीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : यह सी.टी.बी.टी. नहीं हैं, सी.टी.बी.टी. क्या है, यह पूरी दुनिया में एग्रीमेंट हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अभी कहा कि दो कमेटियां बनाई गई हैं, पंजाब में प्रोडक्शन कम हुई है या ज्यादा हुई है। परंतु इन कमेटियों में किसानों का भी को-रिप्रेजेंटेटिव है या ब्यूरोक्रेट्स ही हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : अभी तो हमने उसमें साइंटिस्टों को रखा है और उसमें किसानों के प्रतिनिधियों को भी लिया जा सकता है, उसमें हमें एतराज नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि इन्होंने कहा है कि पीरियड ऑफ सब्सिडी में 17 मार्च से लेकर 10 जून तक 60 रुपये सब्सिडी दी जायेगी। 10 जून की तारीख रखी है, यह जरा मंत्री जी बतायेंगे ओर दूसरी बात इन्होंने कही है कि किसानों को 475 रुपये दे रहे हैं, जिसमें मूल्य 415 रुपये और 60 रुपये बोनस इस तरह 475 रुपये दे रहे हैं और बाहर से जो आ रहा है वह 805 रुपये आ रहा है। फिर इन्होंने यह कह दिया कि बाहर से जिस कीमत पर आ रहा है इतना ही पैसा यहां के किसानों को दिया जा रहा है। अब किसान को तो 475 रुपये दे दिये, उसके बाद 310 रुपये खर्चा और रखा। तो सारा खर्चा लगाकर कि बोरी भरी गई, बोरी उठाई गई, बोरी फिर गोदाम तक ले जायी गई, गोदाम में रखी गई, गोदाम का किराया दिया गया, वहां से फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकानों पर उठाकर लाई गई। सारा खर्च मिलाकर, किसान को शांत करने के लिए आप कह देते हैं कि हमने उतना ही पैसा दे दिया जितना बाहर से आए गेहूं के लिए दिया है, लेकिन यह गलत है। बाहर से आपने 622 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा, जैसा अभी इस हाउस में फूड मंत्री जी जवाब दे रहे थे। उन्होंने ही यह फीगर्स दी थी कि हमने 622 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं बाहर से, आस्ट्रेलिया से खरीदा। वहां से गेहूं खरीदने और यहां तक पहुंचाने में जितना खर्चा आता है, फिर जितना खर्चा यहां पब्लिक डिस्ट्रिव्यूशन तक उसे पहुंचाने में आता है, वह इसके अतिरिक्त है। कुल मिलाकर आपको 805 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं पड़ा, जो फीगर्स इन्होंने दी हैं। लेकिन इससे किसान, चाहे वह किसी भी स्टेट का हो, कोई प्रोड्यूसर सैटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि उसे आपने 475 रुपए क्विंटल दाम ही दिए हैं।

मैं बड़ी हैरानी से देख रहा था, जब आपने कहा कि हम सबसिडी भी देते हैं क्या सबसिडी को भी आप इसी में गिनेंगे क्योंकि सबसिडी सिर्फ गेहूं के लिए नहीं दी जाती, सबसिडी सभी फसलों के लिए दी जाती है, जिसे भी जरूरत हो, चाहे कोई चावल के लिए फर्टिलाइजर लगाता है या किसी मोटे अनाज के लिए लगाता है, जहां भी फर्टिलाइजर की जरूरत हों। क्या सबसिडी इसमें गिनकर आप किसान को बताना चाहेंगे कि हमने सबसिडी भी दे दी। ट्रैक्टर में भी आप थोड़ी-बहुत सबसिडी देते हैं, किसान को बिजली और पानी कुछ सस्ती दर पर मिलने लग गया है या फ्री मिलने लग गया है, क्या उसे भी इसमें गिनेंगे। ये बातें किसान को सैटिस्फाई करने वाली नही हैं।

अभी भाटिया साहब यहां ठीक कह रहे थे कि इससे किसान का रुझान दूसरी क्रॉप की तरफ चला जाएगा जिससे देश में फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से फूड के मामले में यह देश आत्म-निर्भर हुआ था, हम अनाज बाहर के मूल्कों में भेजने लगे थे लेकिन पिछली दफा 22 लाख टन अनाज बाहर भेजकर जो गलती की गई थी, उसी के कारण आज हालत खराब हुई है, बिगड़ी है और देश मुश्किल में पड़ा हुआ है। अभी हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि प्रोक्योरमेंट हमारी उतनी नहीं हो रही है, जितनी आप कहते थे। आपने कहा कि बारिश हो गई इसलिए थोड़ा अनाज आया है - ऐसी बात नहीं है बल्कि मंडियों में बाईकाट रहा है उसकी वजह से कम अनाज आया। अब आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हुआ है। जब तक स्थिति को आप ठीक नहीं करेंगे, आपका प्रोक्योरमेंट पूरा नहीं हो सकेगा जिससे आपको नुकसान होगा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी इसका असर पड़ेगा।

इसलिए मंत्री जी पहले आप यह बताएं कि 10 जून की तारीख क्यों मुकर्रर की गई और सारा खर्चा मिलाकर आप किसान को क्यों बता रहे हैं। कि 675 रुपए नहीं 785 रुपए कुल खर्च हो रहा है?

श्री चतुरानन मिश्र : सारा खर्चा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विदेश से हम जो अनाज लाते हैं, उस पर हमें यह खर्चा नहीं देना पड़ता बल्कि सीधे ही चेन्नई या किसी दूसरे एअरपोर्ट पर अनाज उतार लेते हैं। इसलिए हमने उसे जोड़ा है और जोड़कर कहा है। जहां तक सवाल है कि बाजार में गेहूं कम आ रहा है, विगत 3 मई तक कुल 8.352 लाख टन गेहूं बाजार में आया है, जिसे खरीदा गया है। जहां तक आपका सवाल है कि इससे किसान तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, दूसरी क्रॉप की तरफ जाएंगे, हम कहना चाहते हैं कि 95 रुपए की वृद्धि इससे पहले कभी नहीं दी गई, किसी सरकार के समय नहीं दी गई। इतने दाम कभी नहीं बढ़ाए गए.....*(व्यवधान)* कभी नहीं बढ़े.....*(व्यवधान)* जब आप पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, 95 रुपए की वृद्धि कभी नहीं की गई, हमने इतना पैसा दिया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि समर्थन मूल्य को मार्केट मूल्य से कन्फ्यूज कर देते हैं। जब मार्केट मूल्य नहीं होगा तो दाम गिर जाते हैं। अभी हम आलू खरीद रहे हैं, आप देखिए कि बाजार में आलू के दाम गिर गए हैं.....*(व्यवधान)* पूरे उत्तर प्रदेश में आलू के दाम गिर गए हैं और कोल्ड-स्टोरेज में रखने की जगह कम पड़ रही है.....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आलू तो कोई कोल्ड-स्टोरेज में नहीं रख रहा है लेकिन आलू के किसान आज परेशान हैं.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री जी को जवाब पूरा करने दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : एक-एक करके बोलिए ताकि सबको जवाब मिल जाए.....*(व्यवधान)* यू.पी. में 25 हजार क्विंटल आलू खरीदा गया है.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री जी को जवाब पूरा करने दीजिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आपको तो लेबर मिनिस्टर होना चाहिए था क्योंकि खेती से आपका कोई मतलब नहीं रहा है.....*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आलू खरीदा जा रहा है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय

सरकार की एजेंसी का एक भी खरीद केन्द्र नहीं है। वहां का आलू पैदा करने वाला किसान तरस-तरस कर मर गया, लेकिन उसका आलू नहीं खरीदा गया और आप यहां कह रहे हैं कि आलू खरीदा जा रहा है। .....*(व्यवधान)*

श्री चतुरानन मिश्र : हमारा यह कहना है कि अगर डिस्ट्रैस सेल होने लगती है, तो उसे खरीदना हमारी लाचारी हे। इसीलिए नैफेड बना हुआ है। हम ऐसे आदेश दे रहे हैं और हमने खरीदा है। उत्तर प्रदेश में आलू खरीदा जा रहा है। बिहार में आलू खरीदना शुरू हुआ है। कर्नाटक में प्याज खरीदा गया है। आंध्र प्रदेश में मिर्च खरीदी गई है। ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है।

हम आपको बताना चाहते हैं कि डिस्ट्रैस सेल होने पर हम किसान की हर तरह से मदद करेंगे, परचेज करेंगे। लेकिन उनको और कितना दाम दिया जाए, उसके लिए एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन है। अगर हमारे माननीय सदस्य को किसी आंकड़े पर संदेह हो, या भारतीय किसान यूनियन को कुछ कहना हो, तो हमारे कमीशन के आगे डिबेट कीजिए, बात कीजिए और समस्या का निदान करवाइए।

श्री सुरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सदन को अवगत करवाया है कि जिस कद्र पंजाब के किसानों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है, तो मैं हरियाणा के बारे में मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पंजाब के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा प्रान्त है, जो केन्द्रीय भंडार में सबसे ज्यादा अनाज देता है, लेकिन आज स्थिति यह है कि आधा हरियाणा ऐसा है जो पानी की कमी की वजह से परेशान है और आधा हरियाणा ऐसा है जिसमें जमीन खराब होती जा रही है और

[अनुवाद]

भूमि पुररुद्धार एक समस्या बन गई है।

[हिन्दी]

मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं जैसा कि बजट के दौरान प्रधान मंत्री ने इस सदन में यह कहा कि किसान को हम 17 हजार करोड़ रुपए की सबसिडी दे रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि यदि आप गहराई में जाकर देखें, तो आपको अहसास होगा कि केवल 20 प्रतिशत सबसिडी किसान तक पहुंच पाती है, बाकी कारखानेदार को मिलती है। इनपुट्स में देख लीजिए, फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ गई। ट्रैक्टर की कीमत 20 हजार रुपए बढ़ी है और मिश्र जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जमीन की होल्डिंग बहुत कम होती जा रही है। पांच कीले जमीन का मालिक भी आज ट्रेक्टर लेने की स्थिति में नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनपुट्स की बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनजर रखते हुए, रीक्लेमेशन पर बहुत अधिक खर्च आता है, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए और सरकारी कीमतों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी संपूर्ण हिन्दुस्तान के किसानों के लिए, चाहे वह राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, जो इस प्रकार की कमेटी का गठन किया है, उस प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसका अध्ययन हो और उसके बाद

[अनुवाद]

व्यापार की शर्तों को देखते हुए किसानों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। उनका कार्य एक समस्या है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल को बहुत लंबा मत कीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह : राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या का समाधान करवाएंगे?

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, खेती का सवाल रीजन-वाइज है। जो समस्या हरियाणा की है, वहीं बिहार की नहीं हो जाएगी और जो समस्या बिहार की है, वह किसी दूसरे राज्य की नहीं हो जाएगी। इसलिए हमने जो कमेटी बनाई है वह पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के कहने पर बनाई है। इसलिए अभी हम इसको वहीं तक सीमित रखते हैं। जहां तक आपने फर्टिलिटी का प्रश्न पूछा है, वह हमारे ध्यान में है। .....*(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : हमारे राजस्थान के बारे में भी बताइए। .....*(व्यवधान)*

श्री चतुरानन मिश्र : जब राजस्थान के बारे में आप बोलेंगे, तो राजस्थान के बारे में बता देंगे। अभी तो आप हमारी बात सुन लीजिए। जब हम पंजाब और हरियाणा के बारे में बताने लगते हैं, तो आप राजस्थान के बारे में पूछने लगते हैं और जब हम राजस्थान के बारे बताने लगते हैं, तो आप त्रिपुरा के बारे में पूछने लगते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप एक-एक कर के जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लीजिए.....*(व्यवधान)*

हम कह रहे हैं कि यह सवाल अभी इसी इलाके का उठा है। इसके लिए हमने कमेटी बनाई है। अगर माननीय सदस्य अलग-अलग क्षेत्र का कहें, तो हम उसके बारे में भी चर्चा कर के जांच करवा कर, उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े, इसको हम सेंट्रल टीम बनाकर दिखवा सकते हैं। इसके बारे में हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको पूरे तथ्य लाने पड़ेंगे।

अगर प्राइस के बारे में कुछ कहना है तो हम आपको फिर आमंत्रित करते हैं कि आप एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के सामने बैठिये। इनपुट्स के दामों को भी देखिये और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन को भी देखिये। जो किसान लेबर करता है उसकी मजदूरी को भी देखिये, मैनेजमैंट को देखिये। इसमें जरा समय लगेगा नहीं तो हम ही आपको बता सकते हैं कि किन-किन बिन्दुओं को लेकर यह तय हुआ है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : वर्तमान परिस्थिति का सबसे ज्यादा भुक्तभोगी गरीब वर्ग के लोग होते हैं जिन्हे सार्वजनिक वितररूप प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन देश के कई भागों में तथा विशेषरूप से पश्चिम बंगाल राज्य में गत कुछ सप्ताहों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं उपलब्ध नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तय की गई गेहूं की मात्रा की तुरंत आपूर्ति हेतु सम्पर्क किया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता

हूं कि क्या उन्हें विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में इस गंभीर परिस्थिति का ज्ञान है? यदि हां, तो वे पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं की तय की गई मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल मेरा ध्यान इस ओर खींचा था। मैंने पांच मिनट के अंदर ही आफिसरों को तय करवा दिया कि जब तक कोटा पूरा नही होगा तब तक आप तीन रैक्स रोजाना गेहूं बंगाल में जाता रहेगा। यह हमने कल ही कर दिया है। इसकी सूचना हम आपको दे रहे हैं.....*(व्यवधान)* 9 तारीख से जायेगा.....*(व्यवधान)* मेरा आपके जरिये एक अनुरोध है कि बंगाल वाले चावल का उत्पादन बहुत करते हैं लेकिन वे एक छटांक चावल भी केन्द्रीय पूल में नही देते। वे केवल हमसे लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं।

श्री रूप चन्द पाल : वह डेफीसिट स्टेट है।

श्री चतुरानन मिश्र : डेफीसिट चावल है.....*(व्यवधान)* लेकिन आपका आंकड़ा नहीं बताता। बिहार वाले भी यही करते हैं। बिहार में फूड का प्रोडेक्शन बहुत अच्छा है। वह हमसे ले लेते हैं लेकिन सैंट्रल पूल में कोई नहीं देता। अगर हाई पावर्स में बेचियेगा तो कल पंजाब या दूसरा होगा.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी : बंगाल का चावल.....*(व्यवधान)* बिहार के अंदर जाता है इसलिए.....*(व्यवधान)* इतना चावल होने के बावजूद कुछ नही होता।

श्री चतुरानन मिश्र : हमारी फौज तो आप ही हैं.....*(व्यवधान)* हम तो एम.पी. के भरोसे करेंगे। पुलिस के भरोसे तो इन्द्रजीत बाबू करेंगे। हम तो आप पर भरोसा करते हैं। आप रोक लीजिए।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी थोड़ी देर पहले दुनिया के देशों की कृषि के बारे में बात की है। क्या मैं उनसे यह जान सकता हूं कि उनको यह जानकारी है कि दुनिया के सारे विकसित देशों जिनको औद्योगिक देश कहते हैं उन्होंने अपने खाने के अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह की सुविधायें दी हैं और वे बड़ी से बड़ी सबसिडी देकर अपने खाने की वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं क्योंकि दुनिया में माना जाता है कि जो देश खाने की वस्तुओं के लिए दूसरे पर निर्भर हैं उसकी आजादी भी बहुत दिनों तक टिकी नहीं रह सकती। अपने देश में सबसिडी देने की बात हम करते हैं तो एक विदेशी प्रोफेसर के सामने हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि हम सबसिडी कम करने वाले हैं। आप सबसिडी देने की बात करते हैं और वित्त मंत्री सबसिडी कम करने की बात करते हैं। जो कुछ आज गेहूं के किसानों के साथ हो रहा है उसका नतीजा यह होगा कि किसान दूसरी चीजों को पैदा करने के लिए जायेगा। आप ही नहीं दूसरे विभाग भी यहां पर फूल पैदा करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान, कर्नल राव राम सिंह बतायेंगे कि हरियाणा में किसान फूल पैदा कर रहे हैं और पंजाब में किसान दूसरी वस्तुएं पैदा कर रहे हैं।

पूर्वाह्न 11.59 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उत्तर प्रदेश में लोगों ने आलू पैदा करना शुरू कर दिया है। फैजाबाद के मेरे एक मित्र बता रहे थे कि वहां इतना आलू पैदा हुआ है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कृषि मंत्री एक बात बोलेंगे, वित्त मंत्री दूसरी बात बोलेंगे और बागवानी के मंत्री कोई तीसरी बात बोलेंगे। क्या आपकी कोई राष्ट्रीय नीति है और अगर राष्ट्रीय नीति है तो आप कैसे सबसिडी दे पायेंगे? अगर वित्त मंत्री सबसिडी कम करने का आश्वासन पार्लियामेंट में न देकर बाहर किसी विदेशी प्रोफेसर के सामने देते हैं जबकि संसद चल रही है।

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जहां तक वित्त मंत्री ने क्या कहा है, यह हमने अखबारों में ही पढ़ा है। वह तो अलग बात है।

श्री सनत मेहता : क्या अलग बात है?.....*(व्यवधान)*

श्री हरभजन लाखा : अलग बात नहीं है। यह आपकी ही बात है। .....*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : क्या कलैक्टिव रिस्पौंसिबिलटी सरकार की है? कैबिनेट में चर्चा होती है.....*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

श्री चतुरानन मिश्र : केवल मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय सामूहिक हैं। इसके अलावा, यदि कोई बोलता है, तो वह कोई महत्वपूर्ण नही है.....*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य को उत्तर दे रहा हूं।

हम फूड इम्पोर्ट के सख्त खिलाफ हैं। यदि हमें फूड इम्पोर्ट करना पड़े तो हम अपने को अक्षम कृषि मंत्री समझेंगे। लेकिन अगर व्यापार के लोग बाध्य करेंगे तो लोगों को भूखा तो नहीं मरने दिया जाएगा। इस अर्थ में उन्होंने कहा। दूसरे पक्ष पर हम आपसे सहमत हैं कि अमरीका में एक फार्मर को 27 हजार डालर सबसिडी दी जाती है। उतना तो हम दे नहीं सकते, हम गरीब देश हैं लेकिन हमको उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, वह हम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री जी.ए.चरण रेड्डी : समूचे प्रश्न काल के दौरान केवल दो प्रश्न उठाए गए। यह अन्य सदस्यों के प्रति अन्याय है अधिकांश माननीय सदस्य वक्तव्य दे रहे हैं तथा प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। यह लगातार चल रहा है.....*(व्यवधान)* पूरे घंटे में केवल दो प्रश्न उठाए गए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आपने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है।

.....*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चीनी क्षेत्र संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति

*423. **श्री उत्तम सिंह पवार :***
श्री जी.ए. चरण रेड्डी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, 11 दिसम्बर, 1996 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निदेशानुसार, अन्य चीनी उत्पादक देशों में प्रचलित नियमों तथा विनियमों के अध्ययन सहित चीनी क्षेत्र के सभी पहलुओं के अध्ययन हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और यह किस तारीख तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के दिनांक 14.3.1997 के संकल्प की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
खाद्य मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च, 1997.

संकल्प

संख्या 5-2/96– चीनी डेस्क–3 –इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसरण में, जिसमें न्यायालय ने आधुनिकीकरण के जरिए चीनी के उत्पादन और चीनी उद्योग की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अन्य चीनी उत्पादक देशों की तुलना में भारत में चीनी उद्योग के विकास के बारे में अध्ययन करने और किसी मौजूदा कानून और नियंत्रणों में आशोधन, संशोधन करने अथवा उन्हें निरस्त करने के बारे में सुझाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन करने के लिए निदेश दिया गया था, केन्द्रीय सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन करने का निर्णय किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

1.	श्री बी.बी. महाजन, सेवा निवृत्त खाद्य सचिव	— अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन आफ को– आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज	— सदस्य
3.	अध्यक्ष, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन	— सदस्य
4.	कनफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधि	— सदस्य
5.	श्री चन्द्र पाल सिंह अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश गन्ना यूनियन फेडरेशन	— सदस्य
6.	प्रो. ईश्वरी प्रसाद, जे.एन.यू. से सेवा–निवृत्त, 42, विद्या विहार, पीतम पुरा, नई दिल्ली	— सदस्य
7.	श्री आ.एल. श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक, आई. एफ. सी. आई.	— सदस्य
8.	सचिव (चीनी के प्रभारी), उत्तर प्रदेश	— सदस्य
9.	सचिव (चीनी के प्रभारी), महाराष्ट्र	— सदस्य
10.	सचिव (चीनी के प्रभारी), कर्नाटक	— सदस्य
11.	कृषि मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे	— सदस्य
12.	जिनमें कृषि, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	
13.	और गन्ना किसानों का प्रतिनिधित्व होगा	
14.	संयुक्त सचिव (चीनी) खाद्य विभाग	— सदस्य
15.	कृषि लागत और मूल्य आयोग का प्रतिनिधि	— सदस्य
16.	औद्योगिक लागत और मूल्य आयोग का प्रतिनिधि	— सदस्य
17.	श्री जे.जे. भगत, मिशन निदेशक, चीनी प्रौद्योगिकी मिशन	— सदस्य सचिव

2. समिति के विचाराणीय विषय निम्नलिखित होंगे :

(i) अन्य चीनी उत्पादक देशों की तुलना में भारत में चीनी उद्योग का विकास करने के बारे में अध्ययन करना।

(ii) भारत और अन्य चीनी उत्पादक देशों में चीनी, गन्ना और चीनी उद्योग से संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों का अध्ययन करना।

(iii) किसी मौजूदा कानून और नियंत्रणों में आशोधन, संशोधन करने अथवा उन्हें निरस्त करने के बारे में सुझाव देना ताकि चीनी

उद्योग का स्वस्थ विकास करना और किसानों तथा उद्योग के बीच स्वस्थ संबंध बनाना सुनिश्चित किया जा सके।

(iv) आधुनिकीकरण के जरिए चीनी के उत्पादन और चीनी उद्योग की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए अर्थोपायों के बारे में सुझाव देना ताकि आम जनता को उचित मूल्यों पर चीनी उपलब्ध हो सके।

(v) गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि करने के तरीकों और गन्ना उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में सुझाव देना।

3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. समिति से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी रिपोर्ट इस संकल्प की तारीख से छः महीने के अन्दर खाद्य मंत्रालय को प्रस्तुत करे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए और इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ता०/–

(अरूण सिन्हा)
सचिव, भारत सरकार

केन्द्र तथा राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर खर्च

*424. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994 से 1996 तक सरकार द्वारा किये गये कुल व्यय की कितने प्रतिशत धनराशि स्वास्थ्य तथा शिक्षा सहित सामाजिक सेवाओं पर खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोरिया सरकार ने जिसने भारत से एक वर्ष बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी, सामाजिक सेवाओं पर कुल खर्च का 32 प्रतिशत खर्च किया है;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वे कुल सरकारी खर्च में से सामाजिक सेवाओं पर और अधिक धनराशि खर्च करें; और

(घ) यदि हां, तो सभी राज्यों में सामाजिक सेवाओं पर और अधिक धनराशि खर्च करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) कुल सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय 1993-94 के लिए 27.3 प्रतिशत (स्थानीय निकायों को छोड़कर) आंका गया है।

(ख) जी, हां। विश्व विकास रिपोर्ट 1996 में यह उल्लेख किया गया है कि कोरिया गणतंत्र द्वारा सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय 1994 में 32.0 प्रतिशत था। जहां तक 1960-1990 की अवधि में, मानव विकास में परिवर्तन की दरों का सम्बन्ध है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच तुलनात्मक निष्पादन संबंधी प्रगति का वास्तविक सूचकांक निम्नलिखित हैं :

सारणी

जन्म के समय जीवन की संभावना			शिशु मृत्यु दर अनुपात क			वयस्क साक्षरता दर अनुपात ख			प्राथमिक नामांकन अनुपात ग			माध्यमिक पंजीयन अनुपात घ			प्रति चिकित्सक संख्या		
1960	1990	परिवर्तन 1960/90	1960	1990	परिवर्तन 1960/90	1960	1990	परिवर्तन 1960/90	1960	1989	परिवर्तन 1960/89	1960	1989	परिवर्तन 1960/89	1960	1984	परिवर्तन 1960/84
द. कोरिया	54	71	17	120	17	103	29	4	25	94	108	14	27	86	59	3540	2380	1160
भारत	43	59	16	165	92	73	72	52	20	61	98	37	20	43	23	4850	2330	2520

(क) दिए गए वर्ष में प्रति हजार सजीव जन्मों की संख्या जो एक वर्ष पूरा करने से पहले मर जाते हैं।

(ख) 15 वर्ष से ऊपर जनसंख्या का अनुपात जो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के लिख, पढ़ व समझ नहीं सकते हैं, भारत (1961) को छोड़कर वर्ष 1960 के लिए आधार अवधि साक्षरता दर।

(ग) प्राथमिक विद्यालय उम्र के बच्चों के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक स्तर पर सभी उम्र के लोगों का सकल नामांकन।

(घ) प्राथमिक नामांकन अनुपात के अनुसार परिचालित।

स्रोत : विश्व विकास रिपोर्ट; विभिन्न मुद्दे; विश्व के शिशुओं की दशा, 1989

(ग) निरूपण के एक भाग के रूप में योजना आयोग ने सभी राज्यों को लिखा है कि आठवीं योजना के अनुभव की पृष्ठभूमि वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा दिल्ली में 4-5 जुलाई, 1996 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर योजना को तैयार किए जाने

की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों की जीवन गुणवत्ता बढ़े मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और वार्षिक योजना (1996-97) में इन सेवाओं के लिए 2466 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई थी1997-98 के दौरान 2970 करोड़ रुपये की अतिरिक्त् केन्द्रीय सहायता का बी. एम.एस के लिए प्रस्ताव किया गया है और 330 करोड़ रुपये की राशि मलिन बस्ती विकास के लिए निर्धारित की गई है।

(घ) 16.1.1997 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इसके द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत नौवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र जीवन की गुणवत्ता पर विशेष जोर देता है तथा अन्य बातों के साथ साथ इसने सामाजिक क्षेत्रक से जुड़े निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

(i) पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना।

(ii) सभी, विशेषतया समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य तथा पोषाहार सुरक्षा प्रदान करना।

(iii) बुनियादी न्यूनतम सेवाऐं उपलब्ध कराना जैसे कि सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधायें, सभी को प्राथमिक शिक्षा, आवास और समयबद्ध तरीके से सभी को सम्पर्क मार्ग से जोड़ना।

(iv) सामाजिक तथा सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी जुटाने के जरिये विकास की प्रक्रिया की पर्यावरणीय निरन्तरता सुनिश्चित करना।

(v) महिलाओं तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को अधिकार प्रदान करना जैसे कि अनु. जातियां, अनु. जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन तथा विकास के साधनों के रूप में अल्पसंख्यक वर्ग।

सामाजिक विकास के उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं में आवश्यक आवंटन किये जायेंगे।

[हिन्दी]

पशु अनुसंधान केन्द्र

*425. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुश अनुसंधान केन्द्रों की कमी है और वर्तमान केन्द्र भी प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन केन्द्रों द्वारा विकसित की गई नस्लों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन निम्नलिखित पशु विज्ञान अनुसंधान केन्द्र हैं जो सामान्यतः प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं :

दो राष्ट्रीय संस्थान :

1. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा)
2. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश)

छः केन्द्रीय संस्थान :

1. केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (राजस्थान)
2. केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम
3. केन्द्रीय मैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार (हरियाणा)
4. केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश)
5. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल (हरियाणा)
6. राष्ट्रीय पशु पोषण तथा शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान (कर्नाटक)

पांच राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र :

1. राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र (हरियाणा)
2. राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र (राजस्थान)
3. राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र (अरुणाचल प्रदेश)
4. राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र (नागालैंड)
5. राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र (उत्तर प्रदेश)

दो प्रायोजना निदेशालय :

1. पशु प्रायोजना निदेशालय, मोदी पुरम (उत्तर प्रदेश)
2. मुर्गी पालन प्रायोजना निदेशालय

उपरोक्त के अलावा, पशु विज्ञान केन्द्र विभिन्न पहलुओं पर तेरह अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं हैं।

तथापि, देश में 450 मिलियन पशुओं की संख्या को ध्यान में रखकर सामाजिक पारिस्थितिकी तथा कृषि जलवायु की दशाओं के तहत पाले जा रहे पशुओं की विभिन्न प्रजातियों की देखभाल के लिए और अधिक पशु अनुसांधन केन्द्रों की आवश्यकता है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले वर्षों में अनेक नस्लें तथा प्रजातियां विकसित तथा जारी की गईं जिनमें आगे और सुधार किया जा रहा है। तथापि पिछले दो वर्षों के दौरान नई नस्लें विकसित नहीं की गईं। भारतीय कृषि

अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नये पशुओं तथा मुर्गी वर्ग के पक्षियों से संबंधित नस्लें/प्रजातियां निम्न हैं:–

गोपशु :

करन स्विश : राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में विकसित इन पशुओं का वार्षिक दुग्ध उत्पादन 3385 लीटर है।

करन फ्राइस : राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में विकसित इन पशुओं का वार्षिक दुग्ध उत्पादन 3820 लीटर है।

फ्रिजवाल : मिलिट्री फार्म के सहयोग से विकसित इन पशुओं का पहले दुग्ध काल के दौरान दुग्ध उत्पादन 2950 लीटर है।

भेड़ :

अविकालीन : केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान, मालपुरा, राजस्थान में विकसित इन पशुओं से प्रतिवर्ष बढ़िया कालीन वाली 2 किलो ग्राम ऊन प्राप्त होती है।

अविवस्त्रा : केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, मालपुरा, राजस्थान में विकसित इन नस्ल के पशुओं से प्रतिवर्ष ऊनी वस्त्रों के लिए उपयुक्त 2.5 किलो ग्राम ऊन प्राप्त होती है।

भारत मेरिनो : केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, मालपुरा, राजस्थान में विकसित इन पशुओं से 2.57 किलो ग्राम चिकनी ऊन प्राप्त होती है जिसके रेशे का व्यास 18.95 माइक्रोन है।

अविमांस : मांस की दृष्टि से केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, मालपुरा, राजस्थान में विकसित इन पशुओं को गहन आहार देने पर 6 माह की आयु में इन पशुओं का भार 30 किलो ग्राम से अधिक हो जाता है।

मुर्गी वर्ग :

ब्रायलर

आई.बी.एल. 80- आठ साप्ताह में 1800 ग्राम भार

आई.बी.बी. 83- आठ साप्ताह में 1800 ग्राम भार

लेयर्स

आई.एल.आई.-80

आई.एल.आर.-90

आई.एल.एम.-90

सी.ए.आर.आई. – गोल्ड (ब्राउन एगर)

इन सभी की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 280 अंडे हैं।

पर्यावरण न्यायालय

*426. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण संबंधी कानून के उल्लंघन से निटपने के लिए विशेष पर्यावरण न्यायालयों का गठन करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रदूषण नियंत्रण कानून के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र तथा राज्य स्तर पर संस्थागत मशीनरी को सुदृढ़ करने तथा इस संबंध में होने वाली किसी त्रुटि के लिए एकक एजेंसी के प्रमुख की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली में ओलियम गैस रिसाव के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के पश्चात् जिसमें पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था, सरकार ने एक कानून बनाया है जिसे राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 कहा जात है जिसमें परिसंकटमय पदार्थों को हैंडल करते समय होने वाली किसी दुर्घटना से उत्पन्न क्षतियों के लिए कठोर दायिता की व्यवस्था है। इस अधिनियम में ऐसी दुर्घटनाओं से उत्पन्न मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना करने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों में संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा (5) की शक्तियों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रत्यायोजित कर दिया है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, जहाँ अपराध हुआ है, यूनिटों के प्रधानों पर अपराध सिद्ध होने के पश्चात् अभियोजन चलाया जायेगा।

[अनुवाद]

उत्तरांचल प्रदेश बनाना

*427. **श्री बची सिंह रावत बचदा** :
श्री आर.बी. राई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यां उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पृथक उत्तरांचल की स्थापना संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा को उसकी राय जानने हेतु भेजा गया है;

(ख) क्या उत्तरांचल प्रदेश की स्थापना संबंधी विधेयक को सरकार चालू सत्र में पुरःस्थापित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) एक पृथक उत्तराखंड/उत्तरांचल राज्य के सृजन संबंधी विधेयक को इस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत अपेक्षि है। चूंकि इस मामले में अनेक कानूनी एवं संवैधानिक औपचारिकताएं अन्तर्ग्रस्त हैं, इसलिए इस विधेयक को चालू सत्र, जो इस माह की 16 तारीख को समाप्त हो रहा है, के दौरान संसद में पेश करना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये निर्माण कार्य

*428 **डा. राम लखन सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है जो अभी चल रहे हैं; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों पर वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित कार्य किये हैं:–

1. पता लगाई गई प्रदूषित नदियों में जल की गुणवत्ता के मूल्यांकन से संबंधित अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।
2. नर्मदा, ताप्ती और कावेरी नदी बेसिन के लिए अध्ययन पूरे कर लिए हैं। हरित पट्टी के विकास के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।
3. 17 श्रेणियों के उद्योगों के संबंध में अनुपालन की प्रगति की निगरानी की गई।
4. माइक्रो अर्थ स्टेशन (एम.ई.एस.) स्थापित किए, निकनेट और अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क से संपर्क जोड़ने के लिए माइक्रो-अर्थ स्टेशन स्थापित कर उन्हें स्थाई रूप दिया गया है।
5. मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम राज्यों और आन्ध्र प्रदेश राज्य के मैंडक जिले में खतरनाक अपशिष्ट पैदा करने वाली इकाइयों की सूची बनाने का काम पूरा कर लिया गया है।
6. उद्योगों के स्थल चयन के लिए पर्यावरणीय एटलस तैयार करने के वास्ते दिशा-निर्देश बनाए गए हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के वास्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
7. प्रदूषण जागरूकता और सहायता केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
8. ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों की सूची तैयार कर ली गई हैं।
9. भारत में जल और वायु गुणक्ता की स्थिति तथा इको-लेबल उत्पादों का पता लगाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के होम पेज पर (एन.आई.सी. के माध्यम से इन्टरनेट पर) सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदे गए हैं।
10. प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्प्रयोग से संबंधित अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।
11. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, हरियाणा, रास्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र राज्यों में औद्योगिक सम्पदाओं की सूची तैयार कर ली गई है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभी किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी रखना, समुद्री मुहानों की सूची तैयार करना, पत्तनों और बन्दरगाहों में प्रदूषण की संभाव्यता, समुद्रतटीय संवेदनशील क्षेत्रों का अध्ययन, नदियों की जैव-निगरानी, पेट्रो-रसायन उद्योगों और कीटनाशक बनाने वाले उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानकों का विकास, "अत्यधिक प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों" के लिए कार्य योजना तैयार करना, उसका कार्यान्वयन, औद्योगिक सम्पदा योजना तथा उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए क्षेत्रीय एटलस तैयार करना, कृषि पर आधारित उद्योगों में ठोस अपशिष्ट प्रबंध, खतरनाक अपशिष्टों की सूची तैयार करना और जन–जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यों पर वर्षवार खर्च की गई धनराशि निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	परियोजना का शीर्ष	1994-95	1995-96	1996-97
		(लाख रु. में)		
1.	प्रदूषण मूल्यांकन	61.0	39.15	258.19
2.	प्रयोगशाला प्रबंध	92.60	104.51	128.16
3.	इकोमार्क और मानकों का विकास	31.47	28.85	21.02
4.	प्रशिक्षण	6.51	8.54	5.84
5.	सूचना(डाटाबेस) प्रबंध	32.31	19.79	70.35
6.	प्रदूषण नियंत्रण लागू करना	76.69	119.36	135.45
7.	प्रदूषण उपशमन प्रौद्योगिकी	32.09	10.15	27.52
8.	जन जागरूकता	37.50	43.55	23.70
9.	खतरनाक अपशिष्ट प्रबंध	0.01	2.49	4.83
	योग	373.00	376.39	675.00

खाद्यान्नों और चीनी पर राजसहायता

*429. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खाद्यान्नों और चीनी पर राजसहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इसके उद्देश्य क्या हैं और इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की इकनामिक लागत और उनकी बिक्री से प्राप्तियों के बीच अन्तर को उपभोक्ता सब्सिडी के रूप में अदा करती है। बफर स्टाक रखने की लागत की प्रतिपूर्ति भी निगम को खाद्य सब्सिडी के रूप में की जाती है।

चीनी देश भर में एक-समान खुदरा निर्गम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित की जाती है। खुदरा निर्गम मूल्य के रूप में देय सब्सिडी में लेवी चीनी के निकासी मूल्य, विभिन्न कर, उपकर और वितरण लागत पूरी तरह कवर नहीं होती है।

(ख) खाद्यान्नों और चीनी पर दी जा रही सब्सिडी का उद्देश्य (i) कुल मिलकार उपभोक्ताओं विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो के हितों की सुरक्षा करना; और (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखकर राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना होता है।

ये उद्देश्य (i) उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों और चीनी की आपूर्ति करके; और (ii) भारतीय खाद्य निगम को बफर स्टाक रखने की लागत की प्रतिपूर्ति करके पूरे किए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सब्सिडी के रूप में भारतीय खाद्य निगम को वितरित की गई राशि निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	खाद्यान्नों पर सब्सिडी	चीनी पर सब्सिडी
1994-95	4509	591
1995-96	4960	382
1996-97	5166	834

[अनुवाद]

घटिया पोटाश युक्त उर्वरक की खरीद

*430. **श्री हरिन पाठक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोटाश लिमिटेड ने रूस से घटिया पोटाश युक्त उर्वरकों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार घटिया किस्म की आयातित साम्रगी के लिए राजसहायता के भुगतान को बंद करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (च) भारतीय पोटाश लिमिटेड ने न तो 1996-97 के दौरान और न ही चालू वर्ष में अभी तक म्यूरियेट आफ पोटाश के आयात के लिये रूसी/सी.आई.एस. आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ कोई समझौता किया है। वैसे भारतीय पोटाश लि० ने 95-96 के दौरान सी.आई.एस. मूल की म्यूरियेट आफ पोटाश की 4 लाख मी० टन मात्रा की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया था जोकि पोषक तत्वों की शर्तों के अनुरूप तो था लेकिन उसके कण विनिर्दिष्ट आकार से भिन्न थे। पोषक तत्वों के अनुरूप रहने वाले पदार्थों को कणों के आकार के मामले में छूट दे दी गयी है।

गेहूं की खरीद

*431. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :
श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं की खरीद के संबंध में चालू सत्र में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितनी सफलता प्राप्त हुई है और चालू फसल में गेहूं की खरीद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य-वार प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन कौन-कौन से हैं;

(ख) इसके प्रति किसानों की क्या प्रतिक्रिया है और लक्ष्य को पूर्णरूपेण प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गेहूं का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकारों और किसान संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) अभी तक अनसुलझे मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इन मामलों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों के लिए खाद्यान्नों की वसूली स्वैच्छिक स्वरूप की होती है। इसलिए वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, लगभग 110 लाख टन गेहूं की वसूली करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंध किए गए हैं।

चालू विपणन मौसम 1997-98 में (3.5.1997 तक) कुल 28.09 लाख टन गेहूं की वसूली की गई है। 1997-98 मौसम में गेहूं की राज्यवार वसूली बताने वाला विवरण संलग्न है।

रबी विपणन मौसम 1997-98 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 415/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जबकि पिछले मौसम में यह मूल्य 380/- रुपये प्रति क्विंटल था। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त सरकार ने 17 मार्च,1997 से 10 जून,1997 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गेहूं के लिए 60/- रुपये प्रति क्विंटल का केन्द्रीय बोनस देने की भी घोषणा की है। इस प्रकार, 1997-98 के मौसम में गेहूं के वसूली मूल्य को 95/- रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है जो पिछले मौसम में अदा किए गए मूल्य से 25% अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई यह वृद्धि और बोनस सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किसानों को देय हैं। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध को 1997-98 मौसम तक जारी रखा जाए और "चुनिंदा क्रेडिट नियंत्रण" के अधीन गेहूं रखने के अलावा गेहूं संबंधी लाइसेंसिंग तथा स्टाक रखने की सीमाओं को बरकरार रखा जाए। इन उपायों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय पूल के लिए अधिक वसूली होने की संभावना है।

(ग) से (च) बाजार में चल रहे गेहूं के ऊंचे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में कम से कम क्रमशः 100/- रुपये प्रति क्विंटल और 135/- रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया था। गेहूं उत्पादक अन्य राज्यों की राज्य सरकारों ने भी यह विचार व्यक्त किया था कि पर्याप्त स्तर पर वसूली को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि अथवा कुछ बोनस का भुगतान आवश्यक है। राज्य सरकारों के विचार ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 415/- रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 17.3.1997 से 10.6.1997 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गये गेहूं के लिए 60/- रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद गेहूं के मूल्य में वृद्धि करने संबंधी अन्य कोई मामला केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

विवरण

1997-98 मौसम के दौरान	(3.5.1997 तक) गेहूं की वसूली
	(आंकड़े लाख टन में)
हरियाणा	7.31
मध्य प्रदेश	0.05
पंजाब	19.56
राजस्थान	0.38
उत्तर प्रदेश	0.78
जोड़	28.08

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर उत्प्रवास काउन्टर

*432. **श्री वी. प्रदीप देव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्प्रवासी महासंरक्षक कार्यालय ने गृह मंत्रालय का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के उत्प्रवास काउन्टरों पर शिथिलता की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 श्रम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। उस मंत्रालय ने, भारतीय राष्ट्रिकों के पारपत्रों पर "इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड" पृष्ठांकन को स्थगित करने की अुनमति देने के लिए उत्प्रवासी संरक्षक और कुछेक क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त की हैं। ये शक्तियां, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थित आप्रवासन प्राधिकारियों को भी प्रदत्त की गयी हैं और उनके द्वारा इनका प्रयोग केवल ऐसी आपात्तिक स्थितियों में ही किया जाना होता है जब किसी भारतीय राष्ट्रिक को (i) विदेश में तत्काल चिकित्सा करानी होती है, या (ii) ऐसे मरीज के साथ जाना होता है जिसे तत्काल चिकित्सा की जरूरत हो या (iii) किसी ऐसे रिस्तेदार, जिसकी हालत गम्भीर हो, की परिचर्या के लिए जाना हो या (iv) किसी दाह संस्कार में शामिल होना हो।

श्रम मंत्रालय द्वारा कुछ ऐसे दृष्टांत गृह मंत्रालय के ध्यान में लाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा जाली ई.सी.आर. स्थगित पृष्ठांकन या पारपत्रों पर उत्प्रवासी उत्सर्जन (क्लीरियेन्स) के बिना विदेशों की यात्रा की गयी थी। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:

(i) आप्रवासन प्राधिकारियों को सुग्राही बनाया गया है और उनसे कहा गया है कि विदेश जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के पारपत्रों की जांच अत्यधिक सतर्कता के साथ की जाय और उन्हें, पारपत्रों पर उचित ई.सी.एन.आर. या ई.सी.आर. स्थगित मुहर के बिना यात्रा न करने दी जाय।

(ii) विदेश मंत्रालय से कहा गया है कि वह संबंधित देशों से अपने वीसाओं में सुरक्षा चिन्हों की व्यवस्था करे, ताकि उनमें जालसाजी का पता लगाया जा सके।

(iii) श्रम मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह अधिक सुरक्षित पी.ओ.ई. मुहरें शुरू करे, जिनमें कतिपय सुरक्षा चिन्ह हों।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अनियमितता बरतने संबंधी सभी विशिष्ट मामलों की जांच की जाती है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन

*433. **श्री रमेन्द्र कुमार** :
श्री सुनील खान :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन के बरौनी, दुर्गापुर तथा नामरूप संयंत्रों के पुनर्स्थापन तथा पुनः चालू करने के लिए 800 करोड़ रुपये की लागत से एक विशेष योजना तैयार की गयी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीश राम ओला) : (क) से (ग) एक विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण किए जाने के दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० (एचएफसी) की बरौनी, दुर्गापुर तथा नामरूप इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए पुनरुद्धार पैकेज पुनः तैयार किया गया है इस पैकेज में कंपनी को अन्य राहतें एवं रियायतें देने के अलावा 869 करोड़ रु० का नया निवेश परिकल्पित है। पुन तैयार किये गये पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के संबंध में अंतिम निर्णय वित्त पोषण व्यवस्था तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड जो अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण है, के समक्ष लम्बित कार्रवाईयों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

आतंकवादी गतिविधियां

*434. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :**
श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान घटित आतंकवादी घटनाओं की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इन आतंकवादी घटनाओं में कितने-कितने नागरिक/आतंकवादी और सुरक्षाकर्मी मारे गए और कितनी सम्पत्ति की हानि हुई;

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या इन घटनाओं के कारण कुछ व्यक्ति विस्थापित हो गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान घटित घटनाओं की संख्या और इन घटनाओं में मारे गए सिविलियनों/आतंकवादियों और सुरक्षा कार्मिकों की संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। जम्मू व कश्मीर में हुए सम्पत्ति के नुकसान से संबंधित सूचना भी संलग्न विवरण में बताई गई है। यह सूचना अन्य राज्यों से भी प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए केन्द्रीय स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है :

(1) सूचना का आदान-प्रदान करने, आसूचना आपस में बांटने, रणनीति तैयार करने से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों/आसूचना एजेन्सियों/केन्द्र सरकार की जांच एजेन्सियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को निम्नलिखित द्वारा संरक्षण प्रदान करना :–

(क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर संवेदनशील क्षेत्रों में कांटेदार बाड़ और फ्लड लाईट लगा कर ।

(ख) नाईट विजन डिवाईसिज, हैण्ड हैल्ड सैट्स, दूरबीनें, ड्रैगन लाईट इत्यादि उपलब्ध करा कर सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को मजबूत करना, ताकि उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।

(ग) सीमा पर चौकियों के बीच की दूरी कम करने के लिए अतिक्ति चौकियों का निर्माण करना।

(3) प्रभावित क्षेत्रों में अर्ध–सैनिक बल तैनात करना और जहाँ-कहीं आवश्यक हो, सशस्त्र बलों को मदद उपलब्ध करवाना।

(4) उन राज्यों में उग्रवादी "गुटों" पर प्रतिबन्ध लगाना जहाँ ऐसी गतिविधियां एक से अधिक राज्य में फैली हुई हों।

(5) प्रभावित राज्य सरकारों को, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए पहले से किए गए आबंटन के अलावा विशेष परिस्थितियों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा हथियारों की आपूर्ति करना।

(घ) और (ङ) 1989 से जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में वृद्धि होने के कारण 1990 में घाटी से कश्मीरी पण्डितों का जम्मू को पलायन हुआ। तथापि, तब से कश्मीरी पंडित परिवारों के पलायन की छिट-पुट घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में, उग्रवादियों द्वारा संग्रामपुरा गांव, जिला बदगाम में 21/22 मार्च, 1997 को 7 कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद 18 परिवार घाटी से पलायन कर गए।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित सूचना

मणिपुर

(क) आतंकवाद की हुई घटनाओं की संख्या

1996	1997
359	130 (30 अप्रैल तक)

(ख) मारे गए व्यक्तियों की संख्या

	सिविलियन	उग्रवादी	सुरक्षा बल
1996	118	93	65
1997 (30 अप्रैल तक)	31	30	18

नागालैंड

(क) आतंकवाद की हुई घटनाओं की संख्या

1996	1997
261	98 (30 अप्रैल तक)

(ख) मारे गए व्यक्तियों की संख्या

	सिविलियन	उग्रवादी	सुरक्षा बल
1996	144	109	48
1997 (30 अप्रैल तक)	37	60	11

असम

(क) आतंकवाद की हुई घटनाओं की संख्या

1996	1997
396	126 (30 अप्रैल तक)

(ख) मारे गए व्यक्तियों की संख्या

	सिविलियन	उग्रवादी	सुरक्षा बल
1996	351	52	87
1997 (30 अप्रैल तक)	80	26	27

त्रिपुरा

(क) आतंकवाद की हुई घटनाओं की संख्या

1996	1997
391	109 (30 अप्रैल तक)

(ख) मारे गए व्यक्तियों की संख्या

	सिविलियन	उग्रवादी	सुरक्षा बल
1996	140	14	24
1997 (30 अप्रैल तक)	103	10	5

मेघालय

(क) आतंकवाद की हुई घटनाओं की संख्या

1996	1997
7	2 (30 अप्रैल तक)

(ख) मारे गए व्यक्तियों की संख्या

	सिविलियन	उग्रवादी	सुरक्षा बल
1996	3	–	4
1997 (30 अप्रैल तक)	–	–	–

मिजोरम

(क) आतंकवाद की हुई घटनाओं की संख्या

1996	1997
शून्य	1 (30 अप्रैल तक)

(ख) मारे गए व्यक्तियों की संख्या

	सिविलियन	उग्रवादी	सुरक्षा बल
1996	–	–	–
1997 (30 अप्रैल तक)	–	–	4

जम्मू और कश्मीर

(क) आतंकवाद की हुई घटनाओं की संख्या

1996	1997
4224	820 (31 मार्च तक)

(ख) मारे गए व्यक्तियों की संख्या

	सिविलियन	उग्रवादी	सुरक्षा बल
1996	1333	1329	241
1997 (31 मार्च तक)	247	273	32

सम्पत्ति के नुकसान का ब्यौरा

	सरकारी इमारतें	शैक्षणिक संस्थान	घर	पुल	दुकान
1996	49	67	612	7	264
1997 (31 मार्च तक)	5	4	128	2	16

दिल्ली

बम विस्फोट की घटनाओं की संख्या

(क)	1996	1997
	05	05

(ख) मारे/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	मारे गए	घायल हुए
1996	36	108
1997	01	30

हरियाणा

(क) बम विस्फोट की घटनाओं की संख्या

1996	1997
03	02

(ख) मारे/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	मारे गए	घायल हुए
1996	10	32
1997	–	15

पंजाब

(क) बम विस्फोट की घटनाओं की संख्या

1996	1997
03	02

(ख) मारे/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	मारे गए	घायल हुए
1996	01	02
1997	09	31

राजस्थान

(क) बम विस्फोट की घटनाओं की संख्या

1996	1997
04	–

(ख) मारे/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	मारे गए	घायल हुए
1996	14	42

पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत अभियोजन

*435. **श्री ई. अहमद :**
श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूजा स्थल (विशेष) उपबंध) अधिनियम, 1991 के अंतर्गत की गई गिरफ्तारियों और चलाए गए अभियोजनों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को पूजा स्थलों की स्थिति (स्टेटस)) विशेषकर उत्तर प्रदेश में मथुरा स्थित ईदगाह और वाराणसी स्थिति शाही मस्जिद, के बारे में दी जा रही चुनौतियों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो कानून का उल्लंघन कर और साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रतिकूल ऐसी चुनौती देने वालों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) वर्ष 1995 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1991 के अधीन दर्ज किए गए मामलों और अभियोजित व्यक्तियों की संख्या के संबंध में उपलब्ध जानकारी नीचे दी गई है :

क्रमांक	राज्य का नाम	दर्ज मामलों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या
(i)	मध्य प्रदेश	15	2
(ii)	पंजाब	1	2
(iii)	उत्तर प्रदेश	8	13

बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने "शून्य" सूचना भेजी है। गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या में जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है।

काशी विश्वनाथ मंदिर–ज्ञानवाणी मास्जिद, वाराणसी और कृष्ण जन्म भूमि-शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा के पवित्र स्थल "उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1991" के परिधि में आते हैं। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सलाह दी है कि पवित्र स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए वे आवश्यक कदम उठाएं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय है। इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आधारभूत जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

*436. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ख) उक्त परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों को शमिल किया गया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, जो 1990-91 से 25 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्चित की जा रही है, के तहत शुरू में 28 लाख हैक्टे. क्षेत्र को आठवीं योजना अवधि के अन्त तक शामिल किया गया था। फिर भी, कार्यान्वयन के दौरान आबंटन से उपलब्ध बचत के कारण अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किये जाने के लिये अनुमोदन दिया गया था और 1990-91 से 1996-97 के बीच 1194.50 करोड़ रु० के आबंटन से कुल 45.84 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया था।

नौवीं योजना के दौरान 1575.00 करोड़ रुपये की लागत से उपचार किये जाने के लिये 35 लाख हैक्टे. क्षेत्र को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) उत्तर प्रदेश में इस परियोजना के तहत शामिल किये गये क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण-I पर दिये गये हैं।

(ग) 1990-91 में इस परियोजना की शुरूआत से 1996-97 तक उत्तर प्रदेश में 8802.44 लाख रु० व्यय करते हुये इसके तहत 3.27 लाख हैक्टे. क्षेत्र में 202 छोटी पनधाराओं में काम शुरू किया गया है।

संरक्षण उपायों के तहत किये गये प्रमुख क्रियाकलापों सीढ़ीनुमा वानस्पतिक झाड़ियाँ, लिव फेन्सिंग, गली नियंत्रण है, जबकि उत्पादन प्रणालियों के तहत सस्य प्रदर्शन, शुष्क भूमि बागवानी तथा झाड़ियों और वृक्षों का रोपण शामिल हैं। गोल पत्थरों से बनाये गये अवरोध बाँध मिट्टी की संरचनायें तथा तराशी गई उथली संरचनायें निकास उपचार के तहत प्रमुख क्रियाकलाप हैं, जबकि घटिया सांडों का बंधियाकरण, चारा विकास तथा नस्ल सुधार पशु धन प्रबन्ध के तहत शामिल किये

गये क्रियाकलाप हैं।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख घटकों के तहत उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दर्शाया गया है।

विवरण-I

क्र.सं०	जिले का नाम		पनधारा का नाम
1.	सहारनपुर	1.	बुधी यमुना
2.	आगरा	2.	लोहरी नाला
3.	बदायूँ	3.	सोत नदी
4.	ईटावा	4.	यमुना नदी
5.	कानपुर देहात	5.	यमुना नदी
6.	फतेहपुर	6.	यमुना नदी
		7.	यमुना नदी
		8.	यमुना नदी
7.	इलाहाबाद	9.	यमुना नदी
		10.	यमुना नदी
		11.	यमुना नदी
		12.	टोंस नदी
8.	झांसी	13.	बादलखोहनाला
		14.	खेरानाला
		15.	पतारीनाला
		16.	कुदरनाला
		17.	भागल नाला
		18.	सिसौरनाला
		19.	कालापानी नाला
9.	ललितपुर	20.	बरूआ नाला
		21.	सजनम नदी
		22.	दुध भण्डार नाला
10.	जालौन	23.	मलंगा नाला
		24.	घमाना नाला
		25.	पहुंज नदी
		26.	जोधर नाला
		27.	रायर नाला
		28.	कून नदी
		29.	मलंगा नाला
		30.	पहुंज नदी
		31.	मलंगा नाला
11.	हमीरपुर	32.	चुयध नाला
		33.	ईंधारेया नाला
		34.	बदेरी नाला
		35.	चन्धर नाला
		36.	हिन्कु नाला
		37.	दबई नाला
		38.	गढ़ई नाला
		39.	केवलरी नाला
		40.	पडवार नाला
12.	बाँदा	41.	गरहरा नाला
		42.	रवई नाला
		43.	खरसरा नाला
		44.	खरसरा नाला
		45.	भुजरख नाला
		46.	गेधुवा नाला
		47.	कवई नाला
		48.	गेहुआ नाला
13.	सोनभद्रा	49.	कंहर नदी
		50.	कंहर नदी
		51.	कंहर नदी
		52.	सोन नदी
		53.	सोन नदी
		54.	सोन नदी
		55.	बेलान नदी
14.	मिर्जापुर	56.	गंगा नदी
		57.	गंगा नदी
		58.	गंगा नदी
15.	बलिया	59.	गंगा नदी
		60.	गंगा नदी
		61.	गंगा नदी
		62.	गंगा नदी
		63.	गंगा नदी
		64.	गंगा नदी
		65.	घाघरा
16.	सिद्धार्थनगर	66.	सिकारी नाला
		67.	बनगंगा नदी
		68.	सिसवा नाला
		69.	बुधी नदी
		70.	फजिहतवा नाला
17.	महाराजगंज	71.	झरही नदी

क्र.सं०	जिले का नाम		पनघारा का नाम
		72.	झरही नदी
		73.	गण्डक नदी
18.	देवरिया	74.	बड़ी नाला
		75.	*छोटी गण्डक*
		76.	*बड़ी नाला*
		77.	*झरही नदी*
		78.	नक्टा नाला
		79.	छोटी गण्डक
		80.	कुराना नाला
19.	खेरी	81.	उल्लान नदी
		82.	चंका नाला
		83.	सरयु नदी
		84.	सुहेली नदी
		85.	घावर नाला
		86.	सखानी नाला
		87.	घाघरा नदी
20.	गौण्डा	88.	टेहरी नदी
		89.	टेहरी नदी
		90.	शवाई नाला
		91.	ककाही नाला
		92.	ककाही नाला
		93.	मनोरमा नदी
		94.	टेहरी नदी
		95.	टेहरी नदी
		96.	टेहरी नदी
		97.	टेहरी नदी
		98.	टेहरी नदी
		99.	फोहरी नाला
		100.	ककरहिया नाला
21.	बहराईच	101.	मखला नाला
		102.	मोहमदा नाला
		103.	रिसिया नाला
		104.	झिन्ना नाला
		105.	झिंगुरी नाला
		106.	टेहरी नदी
		107.	कटि नाला
		108.	झिंगुरी नाला
		109.	मखला नाला
		110.	मडा नाला
		111.	बुधी राप्ती
		112.	*भाईनसाही*
		113.	*भखाला नाला*
		114.	गडुवारा नाला
		115.	गंडौरा नाला
22.	सुल्तानपुर	116.	गोमती नदी
23.	बाराबंकी	117.	सिमाली नदी
		118.	कल्यानी नदी
24.	जौनपुर	119.	साई नदी
		120.	बशुशि नाला
25.	आजमगढ़	121.	बसु नदी
		122.	दाहिया नाला
26.	सितापुर	123.	चौका नदी
		124.	चौका नदी
		125.	किवानी नदी
		126.	चौका नदी
		127.	कल्यानी नदी
27.	नैनीताल	128.	पराया गाड
		129.	रामगढ़
		130.	निहाल
		131.	परखा गाड
28.	अल्मोड़ा	132.	खुंतगाड
		133.	कोसी उप्पर
		134.	गोमती उप्पर
		135.	भद्रावती
		136.	कन्नड़गाड
		137.	जग्गन नदी
		138.	टकोलिगाड
		139.	शकुनिगाड
		140.	किलारागधेरी
		141.	कालिगाड
		142.	टारगटाल
		143.	कौगावन
		144.	मशान नदी

क्र.सं०	जिले का नाम		पनधारा का नाम
29.	पिथौरागढ़	145.	गोटगाड
		146.	बुद्धेश्वरगाड
		147.	बग्गागाड
		148.	*गंसागाड*
		149.	नरकुल गाड
		150.	भोज गाड
		151.	गोरघटी गाड
		152.	देवल गाड
		153.	घोरिया गाड
		154.	दिनौला गाड
		155.	दवालिगाड
30.	चमोली	156.	कल्पगंगा
		157.	सैकोटगाड
		158.	झेलागाड
		159.	लम्गढगाड
		160.	बगोलीगाड
		161.	थारालिगाड
		162.	अपर पिण्डार
		163.	शौरिगाड
		164.	टारकोटगाड
		165.	बलिगंगा
		166.	योगदलारीगाड
		167.	चमकगाड
		168.	रामपुर
		169.	धौलीगंगा
		170.	पोगाटलोरिगाड
		171.	जोशीमठ
31.	उत्तरकाशी	172.	वरूणागाड
		173.	सुरकेलागाड

क्र.सं०	जिले का नाम		पनधारा का नाम
		174.	दशामोगाड
		175.	लोवर यमुना
		176.	मालगाड
		177.	*रूमीन लोआर*
32.	टेहरी	178.	चमिनि गाड
		179.	पालिगाड
		180.	गड्डुगाड
		181.	गलगाड
		182.	चकागाड
		183.	चन्द्राभागा
		184.	मन्दरगाड
		185.	गरकोटगाड
		186.	सुशीलागाड
33.	पौड़ी	187.	धनौलीगाड
		188.	मंडल नदी
		189.	काली नदी
		190.	पुर्वी नयार-2
		191.	पुर्वी नयार-3
		192.	पुर्वी नयार-1
		193.	दिवानीगाड
		194.	नन्दलगाड
		195.	प्लेन नदी
		196.	बिछोलीगाड
		197.	बघनगाड
		198.	घनगढगाड
		199.	खासन लेफ्ट
		200.	पश्चिमी नयार -2
34.	देहरादून	201.	बिनगाड
		202.	मोहनगाड

विवरण-II

लोक सभा में 6.5.97 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० 436 के उत्तर के भाग 'ग' में संदर्भित उत्तर प्रदेश में 90-91 से फरवरी, 97 तक वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत प्रमुख घटकों के मामले में उपलब्धियों का विवरण

क्रम सं.	प्रमुख क्रियाकलाप	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
क. कृष्य भूमि				
	(i) **संरक्षण उपाय**			
1.	सीढीनुमा वानस्पतिक झाडियां	हैक्टे.	166265	158280
2.	मरम्मत/गली नियंत्रण तथा अन्य उपाय	संख्या	70000	54341
	(ii) **उत्पादन पद्धति**			
1.	सस्य प्रदर्शन	संख्या	123100	149236
2.	सस्य वाणिकी	संख्या	1873514	2934815
3.	शुष्क भूति बागवानी	संख्या	835779	2521489
4.	घरेलू उत्पादन पद्धति	संख्या	15560	27507
5.	घरेलू बगीचे	संख्या	85055	120842
ख. गैर- कृष्य भूमि				
	(i) **संरक्षण उपाय**			
1.	सीढीनुमा वानस्पतिक झाडियां	हैक्टे.	70550	70971
2.	वानस्पतिक फिलटर स्ट्रिप	आर.एम.टी.	353246	531276
	(ii) **उत्पादन पद्धति**			
1.	झाड़ियों का रोपण	संख्या	2015225	2432745
2.	अधिक मात्रा में घास तथा फली उगाना	हैक्टे.	21530	17713
ग. निकास उपचार				
1.	पत्थरों की संरचनायें	संख्या	15581	20811
2.	उथले पोखरे	संख्या	15632	17425
3.	मिट्टी की संरचनायें	संख्या	5520	5536
4.	तराशी गई उथली संरचनाएं	संख्या	228	2391
घ. पशुधन प्रबन्ध				
1.	कृषि चारा विकास	संख्या	31559	45895
2.	घटिया सांडों का बधियाकरण	संख्या	153752	71014

बेरोजगारी

*437. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री एल. रमना :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस शताब्दी के अंत तक देश में बेरोगारी की संख्या लगभग 38 करोड़ हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोई समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किये हैं अथवा आरम्भ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (घ) विभिन्न एन.एस.एस.ओ. प्रतिदर्श सर्वेक्षण दौर से प्राप्त सीडीएस अनुमानों के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यक्ति दिवस बेरोजगारी दरें कुल मिलाकर घट रही हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

व्यक्ति दिवस बेरोजगारी दरें * चालू दैनिक स्थिति के अनुसार

	1987-88			1993-94		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
ग्रामीण	4.58	6.91	5.25	5.64	5.55	5.61
शहरी	8.79	12.00	9.36	6.72	10.52	7.43
कुल	5.54	7.61	6.09	5.91	6.33	6.03

*श्रमिक शक्ति के प्रतिशत के रूप में बेरोजगारी।

ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर बेरोजगारी दर एन.एन.एस.ओ. के दो दौरों, 1987-88 तथा 1993-94 के मध्य गिरावट को दर्शाती है, वर्ष 1987-88 तथा 1993-94 के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों में सीडीएस स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की दर में वृद्धि का कारण कृषि में बढ़ते मशीनीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार की उपस्थिति को ठहराया जा सकता है। ग्रामीण व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक रोजगार प्राप्त करने के भी कम अवसर हैं।

अल्प रोजगार की बढ़ती हुई संख्या और श्रमिकों के नैमत्तिक रोजगार की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में नौवीं पंचवर्षीय योजना एक राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन स्कीम को कार्यान्वित करेगी,

अधिक श्रमिकों की खपत वाले क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों और बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की अधिक दरों वाले क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करके स्वयं विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। तेजी से बढ़ रही उत्पादकता की स्थिति में ही रोजगार की गुणवत्ता में सुधारों को प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए श्रमिक हकदार है।

सूखे के लिए धनराशि

[अनुवाद]

*438. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों जहां सूखा की स्थिति बनी हुई है चालू वित्तीय वर्ष के लिए कोई आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से राज्यों में धनराशि खर्च किए जाने के तरीके के बारे में कोई ब्यौरा देने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा राज्यों के कुछ हिस्सों में अलग-अलग मात्रा में सूखे की स्थितियां विद्यमान हैं। 1997-98 के दौरान इस राज्यों के आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) में निम्नलिखित मात्रा में धनराशि आबंटित की गई है :

राज्य	राशि (कारोड़ रु० में)
1. गुजरात	147.31
2. मध्य प्रदेश	53.89
3. महाराष्ट्र	71.97
4. उड़ीसा	51.72

आपदा राहत कोष के लिए, 75 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा चार त्रैमासिक किश्तों में दी जाती है। इन राज्यों को पहली त्रैमासिक किश्त पहले ही दी जा चुकी है।

(ग) और (घ) जैसी कि दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी, भारत सरकार ने राहत उपायों के लिए मदें तथा मानदण्ड निर्धारित किए हैं, जिनको राज्य सरकारों द्वारा आपदा राहत कोष की राशि का उपयोग करके अपनाया जा सकता है। राज्य सरकारें, उपर्युक्त राहत उपायों के संबंध में निर्णय लेने तथा उपर्युक्त व्यय करने के लिए सक्षम हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसद सदस्य मंच से ज्ञापन प्राप्त होना

*439. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और संबंधित नीतिगत उपायों के

संबंध में अनुसूचित जनजाति संसद, सदस्य मंच से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर वर्ष 1997-98 के दौरान क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सांसद मंच द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में निम्नलिखित मदों का उल्लेख किया गया है।

नौवीं योजना से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रासंगिक और व्यापक योजना

मद सं.(I) केन्द्र (अनुसूचित जातियों के लिए 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 8% और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के कुल योजना प्रावधान का जनसंख्या समकक्ष अंश अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उप योजना के रूप में अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए और नौवीं योजना से उसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण और राज्य अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरणों के निपटान पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह कार्य योजना परिव्ययों के क्षेत्रीय रूप से विभाजन से पूर्व किया जाना चाहिए।

मद संख्या (2) एन एस डी ए की स्कंध सहित स्थापना की जानी चाहिए और उनमें से प्रत्येक को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और इनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से समानुभूति रखने वाले, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को रखा जाना चाहिए।

मद संख्या (3) यह प्राधिकरण राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय योजनाओं वार्षिक योजना, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की विकासात्मक जरूरतों पर आधारित पंचवर्षीय योजनाओं तथा सम्भावित योजनाओं के निरूपणा और अनुमोदन तथा सामाजिक आर्थिक मुक्ति, शैक्षणिक गुणवत्ता और मानव जीवन की स्थितियों के महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रखते हुए उनकी प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

मद संख्या (4) प्रधान मंत्री जी को इसका अध्यक्ष होना चाहिए और इसके उपाध्यक्ष को पूर्णकालिक तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री के दर्जे का होना चाहिए।

मद संख्या (5) राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन इसी प्रकार किया जाना चाहिए।

मद संख्या (6) एन एस डी ए द्वारा कुल योजना परिव्यय के क्रमशः 17% और 8% की सीमा तक तैयार की गई विशेष संघठक योजना और आदिवासी उप-योजना के आधार पर इसे परिव्यय का योजनावार, कार्यक्रम-वार और खंड-वार आवंटन करना चाहिए और उपयुक्त मंत्रालयों /विभागों/एजेंसियों के पक्ष में मंजूरियां जारी करनी चाहिए जिसे समुचित कार्यान्वयन के लिए एन एस डी ए के प्रति उत्तरदायी होंगे। एन.एस.डी.ए. को विकासात्मक योजनाओं का पर्यवेक्षण, मानीटर और प्रत्यक्ष कार्यान्वयन करना चाहिए ताकि वह अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सके।

मद संख्या (7) राज्य योजनाओं के संबंध में एस.एस.डी.ए. को इसी प्रकार का कार्य करना चाहिए।

मद संख्या (8) जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति प्राधिकरणों, जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष तथा जिला तथा मध्यवर्ती स्तर के पंचायत निकायों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायक और सांसद, जिला कलैक्टर, जिला विभागाध्यक्ष, और गैर सरकारी संगठन आदि के विशेषज्ञ सदस्य हों, का गठन प्रत्येक जिले में किया जाना चाहिए ताकि एक और योजना और मानिटरिंग उद्देश्यों के लिए एन.एस.डी.ए. और ए.एस.डी.ए. को निवेश प्रदान किया जा सके तथा दूसरी ओर विशेष संघटक योजना और आदिवासी उपयोजना के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यान्वयन प्राधिकरण के रूप में कार्य किया जा सके।

मद संख्या (9) उपर्युक्त प्राधिकरण योजना आयोग, बोर्डो, मंत्रालयों और विभागों आदि में वर्तमान अवसंरचना और विशेषज्ञता का अधिकतम सम्भव सीमा तक उपयोग करेंगे।

मद संख्या (10) यह मंच प्रधानमंत्री से उपर्युक्त के अनुरूप आवश्यक निर्देश शीघ्र देने का अनुरोध करता है क्योंकि अन्यथा हम यह महसूस करते हैं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की नौवीं बार अनदेखी करती हुई गुजर जाएगी। हम आपसे राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदनार्थ भेजे जाने के पूर्व नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में उपर्युक्त को शामिल करने के लिए आवश्यक निर्देश देने का भी अनुरोध करते हैं। यदि दृष्टिकोण पत्र को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया हो तो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अतिरिक्त अनुपूरक दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के आदेश दिए जाएं।

मद संख्या (11) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की विकास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए नौवीं योजना सहित संबंधित योजनाओं में निम्नलिखित कार्यक्रमों और योजनाओं को उपयुक्त स्थान मिलता है:

(क) लघु सिंचाई के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम अर्थात कुओं और सामुदायिक कूपों,बोर वैलों तथा साभुदायिक बोर वैलों नलकूपों और सामुदायिक नलकूपों चेकबाधों लिफ्टों आदि के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों द्वारा धारित सभी सिंचाई योग्य एवं असिंचित भूमि की सिंचाई।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक भूमिहीन ग्रामीण परिवार को भूमि सुधारों, सरकारी भूमि के वितरण, असिंचित/सिंचाई योग्य भूमि आदि सहित कम से कम एक हेक्टेयर भूमि प्रदान करना। साथ ही राष्ट्रीय लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत

सिंचाई के माध्यम से अथवा अन्य उपयुक्त साधनों के माध्यम से विकास के लिए वित्तीय प्रावधान करना और सुविधाएं देना ताकि उन्हें निर्वाह के लिए और व्यक्तिगत भूस्वामियों की दैनिक मजदूरी किए बगैर उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो सके।

(ग) सफाई कर्मचारियों की कारगर ढंग से पूर्ण मुक्ति और पूर्ण पुनर्वास।

(घ) पब्लिक स्कूलों, अन्य उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थाओं, प्रशिक्षण और व्यावसयिक शिक्षा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और वित्तीय सहायता।

(ङ) राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए भोजन योजना।

2. राष्ट्रीय आरक्षण नीति का निष्ठापूर्वक और प्रभावी कार्यान्वयन

मद संख्या (1) उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अप्रभावी बनाने तथा 50% से अधिक आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता। तथा जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर क्रमश : 17% और 8% किया जाए जैसा कि तमिलनाडु के मामले में किया गया था और तब इसे नौवीं अनुसूची से डाल दिया गया।

मद संख्या (2) संसद में महिलाओं के आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदि की महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए।

मद संख्या (3) निजी क्षेत्र में आरक्षण किया जाना चाहिए और इस प्रकार संविधान की 9 वीं अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए।

मद संख्या (4) अनुच्छेद 16(4) के अनुसार यह उल्लेख करते हुए निर्देश जारी करना आवश्यक है कि किसी राज्य के अधीन जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व हैं प्रत्येक स्तर पर चाहे वह कितना ही बड़ा हो, समूह "क" में प्रथम स्तर पर पदोन्नति में आरक्षण सीमित रहने संबंधी वर्तमान आदेश की रद्द करते हुए पदोन्नति में आरक्षण कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

मद संख्या (5) विभिन्न सेवाओं, विशेषकर सफाई कार्यो में संविदा के आधार पर श्रमिक लगाए जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए।

मद संख्या (6) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित सभी पहलुओं का प्रावधान करने के लिए ये उपबन्ध प्रस्तावित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (शिक्षण संस्थाओं में पदों और सीटों पर नियुक्ति आरक्षण) अधिनियम, 1996 में शामिल किए जाने हैं।

मद संख्या (7) दिल्ली में मुख्य पीठ तथा उन सभी स्थानों पर अन्य पीठों सहित जहां केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पीठें स्थापित हैं, उच्च न्यायालय का दर्जा प्रदान करते हुए आरक्षण न्यायिक अधिकरणों अथवा आरक्षण न्याय अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए जिनके बाद केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सके, जैसा कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मामले में है और जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आरक्षण लागू करने संबंधी सभी निकाय शामिल हों।

3. महत्वपूर्ण पदों अथवा क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अनुपस्थिति अथवा नगण्य प्रतिनिधित्व अथवा प्रतिनिधित्व से मना करने के लिए समाधान

मद संख्या (1) देश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उपलब्ध उपयुक्त व्यक्तियों को राज्यपालों, राजदूतों, योजना आयोग के सदस्यों, भारत सरकार के सचिवों, संघ लोक सेवा आयोग/पी.एस. इ.बी. आदि के सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें उचित संख्या में नियुक्त करने के लिए एकजुट प्रयास किए जाने चाहिए।

मद संख्या (2) प्रत्येक स्तर पर असन्तुलन को ठीक करने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग, पी.एस.इ.बी. आदि जैसे निकायों में भावी नियुक्तियां की जाए।

मद संख्या (3) सचिवों, अपर सचिवों तथा संयुक्त सचिवों के पैनल तैयार करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और इसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के हितों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।

मद संख्या (4) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाए और उनका पदस्थापन आर्थिक मंत्रालयों में उचित संख्या में किया जाए, प्रधानमंत्री के अधीन संस्थागत प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

4. अम्बेडकर स्मारक/जगजीवन राम स्मारक

मद संख्या (1) 26, अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित सम्पत्ति प्राप्त की जाए और वहां डा. अम्बेडकर स्मारक की स्थापना की जाए।

मद संख्या (2) नंबर 6 कृष्ण मेनन मार्ग को बाबू जगजीवन स्मारक के रूप के विकसित किया जाए।

मद संख्या (3) डा. अम्बेडकर स्मारक राष्ट्रीय पुस्तकालय और अनुसंधान केन्द्र और अम्बेडकर भवन की स्थापना रायसीना रोड़ और राजेन्द्र प्रसाद रोड़ के बीच की भूमि में की जानी चाहिए और इसे

5. सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम/दलित घोषणा पत्र में अन्य मुद्दों का कार्यान्वयन

मद संख्या (1) इसके अतिरिक्त दलित घोषणा पत्र में अनेक अन्य मद हैं जिनपर भारत सरकार ने वचनबद्धता व्यक्त की है इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में संशोधन संबंधी विधेयक, भूरिया समिति की सिफारिशों आदि के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत संस्थाओं के गठन संबंधी विधेयक से संबंधित मामले शामिले हैं। यदि ये विधेयक शीतकालीन सत्र में पारित नहीं किए जाते तो उन्हें उनकी तात्कालिकता तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रख्यापित किया जाए।

मद संख्या (2) यह मंच प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि दलित घोषणा पत्र में उल्लिखित इन सभी मदों तथा अन्य मदों को आगे बिना किसी विलम्ब के कार्यान्वित किया जाए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विकास

*440. **श्री दादा बापूराव परांजपे :**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कार्यक्रमों की प्रगति धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र के लिए धन की कमी है या इस राशि का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस समय कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिए सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) देश में प्रौद्योगिकी के विकास, अधिग्रहण, समावेशन, अनुकूलन, उन्नयन तथा हस्तान्तरण के लिए तीव्र गति से प्रयास जारी हैं। तथापि विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय प्रगति के स्तरों में भिन्नता है। जहां कृषि, आण्विक ऊर्जा तथा अंतरिक्ष जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय प्रगति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है वहीं औद्योगिक सैक्टर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का स्तर अलग-अलग है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी के लिए आबंटन राशि प्रतिवर्ष बढ़ाई जाती रही है। प्रौद्योगिकी हेतु अलग से किसी भी प्रकार भी राशि का आबंटन नहीं है पर वर्ष 1997-98 के केन्द्रीय बजट में वर्ष 1997-98 के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण हेतु 2177 करोड़ रुपए का केन्द्रीय योजना परिव्यय प्रस्तावित है। नवीं पंचवर्षीय आबंटनों को अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ङ) प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यों के परिणामों का वाणिज्यीकरण प्राथमिक रूप से सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों द्वारा किया जाता है। सरकार प्रौद्योगिकी विकास तथा उपयोग में उद्योग की महत्ती भूमिका की संभावनाओं की उत्तरोतर खोज कर रही है।

(च) और (छ) प्रौद्योगिकी विकास ताथ अनुसंधान एवं विकास कार्यों के परिणामों में निवेश को बढ़ाने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर वित्तीय प्रोत्साहन तथा सहायक उपाय तैयार किए गए हैं। उद्योग में अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं में प्रत्यक्ष वित्तपोषण, उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर किए गए व्यय का आयकर राहत मुख्य प्रोत्साहनों में से कुछेक हैं।

उत्पादन प्रक्रिया हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास तथा अनुप्रयोग की गति में तेजी लाने के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुप्रयोग हेतु निधि सृजित की है। इस निधि की व्यवस्था सितम्बर, 1996 में सरकार द्वारा गठित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा की जाती है। वर्ष 1996-97 में इस बोर्ड को 30 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के क्रियाकलापों हेतु चालू वित्त वर्ष के बजट में 70 करोड़ रुपए की राशि के आबंटन का प्रस्ताव है।

सरकार द्वारा वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास हेतु वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से सी.एस.आइ.आर. तथा आइसीएआर प्रयोगशालाओं तथा आइआइटी द्वारा अर्जित प्रत्येक अतिरिक्त व्यावसायिक रुपए के अनुरूप राशि उपलब्ध कराने की एक योजना का सूत्रपात किया गया है।

पुलिस द्वारा यातना

4698. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1998 के पायनियर में "यूथ एलेजेज टार्चर बाई पुलिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों को यातना दी गई है जिन्होंने उपराध नहीं किया था फिर भी उन्हें अपराध कबूल करने के लिए यातना दी गई; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सरकार ने प्रश्नगत उस समाचार को देखा है जो "दि पायनियर" के 16 फरवरी, 1996 के अंक में प्रकाशित हुआ है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि थाना-रोहिणी के कर्मचारियों द्वारा एक कम्प्यूटर फर्म के 26 वर्षीय मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव को प्रताड़ित किया गया और उसे तीन-दिन तक गैर कानूनी रूप से निरुद्ध रखा गया। बताया जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया कि वह यह कबूल कर ले कि वह उन हमलावरों को जानता है जिन्होंने उसके चचेरे भाई पर इससे पूर्व गोली चलायी थी।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्ष 1996 और 1997 (10.4.1997 तक) के दौरान ऐसी 6 घटनाएं उनके ध्यान में आई हैं। इन मामलों में संलिप्त पाए गए 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

बिहार में महिलाओं के लिए कल्याण योजनाएं

4699. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की संख्या कितनी है और इन संगठनों को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बिहार सामाजिक कल्याण बोर्ड की रिफारिशों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) धनराशि के आबंटन हेतु कितनी योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार महिला कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

टेट्रापैक फाईवर पिलो सिस्टग प्लांट

4700. **श्री विजय पटेल :**
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड (ए.पी.डी.डी. सी.ई.) और स्वीडन स्थित टेट्रापैक इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में हैदराबाद में टेट्रापैक फाईवर पिलो प्रणाली संयत्र स्थापित करने हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस परियोजना के कब तक कार्यारंभ करने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना की स्थापना में स्वीडन क्या-क्या मदद देने के लिए सहमत हुआ है?

कृषि मंत्रालय में पुशपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समझौते के अनुसार, टैट्रा पैक ए.पी. फेडरेशन को मशीनरी उपलब्ध कराएगा तथा वह आयात शुल्क की लागत भी वहन करेगा जिसका पुनर्भुगतान उत्पाद के विपणन के दूसरे वर्ष से शुरू होगा तथा इसका पुनर्भुगतान 10 वर्ष की अवधि में किया जाएगा। प्रौद्योगिकी उत्पाद के लिए 12 दिन की "शैल्फ लाइफ" सुनिश्चित करेगी। टैट्रा पैक 25 लाख रुपये की सीमा तक विपणन सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है। यह परियोजना जुलाई/अगस्त, 1997 में शुरू होने की संभावना है।

[हिन्दी]

इफको की आंवला इकाइयां

4701. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इफको उर्वरक इकाई की आंवला इकाइयां अपनी पूर्ण क्षमता से कम काम करने की वजह से घाटे पर चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) इफको की आंवला इकाइयां घाटे में नही चल रही हैं। तथापि, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्रतिबन्ध से उनकी लाभप्रदत्ता पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) गैस आपूर्ति की समस्या के निवारण के लिए फीड स्टाक/ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के अलावा नेफथा और ईंधन तेल के प्रयोग का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

डा. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक

4702. **श्री राम नाईक** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण हेतु 1995-96 के दौरान आठ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान इसमें से कुल कितनी राशि का व्यय किया गया;

(ग) 1996-97 के दौरान इस स्मारक के लिए क्या प्रावधान किया गया तथा इसमें से इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान जितनी राशि का प्रावधान किया गया उसका उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को 15.00 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान बाबा साहेब डा. बी.आर. अम्बेडकर के शताब्दी समारोहों के लिए 10.00 करोड़ रुपए की राशि मुहैया की गई। डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को 10.00 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण राशि स्मारक के लिए प्रदान की गई है। इसमें से इस प्रतिष्ठान द्वारा 7.12 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को भूमि के अधिग्रहण के लिए पहले ही प्रदान की गई है।

(घ) व्यय वित्त समिति, जिसने 1995-96 के दौरान भूमि के अधिग्रहण के लिए निधियों की निर्मुक्ति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया, एक निश्चित परियोजना लागत के अभाव में, जिसमें पक्की शर्तों में इस स्मारक की अवधारणा शामिल है, निधियों की निर्मुक्ति करने पर सहमत नहीं हुई और इसलिए वर्ष 1995-96 के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों को डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को निर्मुक्त नहीं किया जा सका। वर्ष 1996-97 में 10.00 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण राशि निर्मुक्त की गई है।

[हिन्दी]

वन्य जीवों के अंगों की तस्करी

4703. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वृक्ष अवैध रूप से काटे जा रहे हैं और वन्य जीवों की खाल, हड्डियां तथा अन्य अंगों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार को इन गतिविधियों में वन अधिकारियों/रेंजरों के साथ सांठ-गांठ होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में वृक्ष अवैध रूप से काटे जो रहे हैं और वन्य पशुओं के हिस्सों और अंगों की तस्करी की जा रही है। वृक्षों के काटे जाने, पशुओं के हिस्सों की जब्ती और गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जब्त किए गए वन्यजीव उत्पादों का ब्यौरा

क्र.सं.	मद	1994-95	1995-96	1996-97
1.	शहतूश की ऊन कच्ची/शहतूश की शाल	-	172	10
2.	तेन्दुए की खाल/मढ़ा हुआ तेन्दुआ/वस्तुएं	39	27	3
3.	तेन्दुए की हड्डियां	3.200 कि.ग्रा.	-	-
4.	हाथी दांत की वस्तुएं	3 पीस	-	2.102 कि.ग्रा.
5.	गजदन्त	-	4	-
6.	तेन्दुए की खोपड़ी	4	-	1
7.	बाघ की खाल (कटपीस)/बाघ का सिर/वस्तुएं	31	-	6
8.	चीतल की खाल/वस्तुए	7	1	-
9.	जंलगी बिल्ली मढ़ी हुई/खाल/वस्तुएं	33	84	8
10.	मरुस्थली लोमड़ी की खाल	796	-	-
11.	मरुस्थली बिल्ली की खाल/वस्तुएं	348	1	-
12.	सिआर लोमचर्म/वस्तुएं	89	320	2
13.	तेन्दुआ बिल्ली लोम/वस्तुएं	89	-	-
14.	गंधबिलाव की खाल/सिर रहित	17	703	-
15.	उदबिलाव की खाल/सामान	448	-	-
16.	नेवले की खाल	1	1	-
17.	कृष्णसार (ब्लैक बक) के सींग	8	-	-
18.	भेंड़ के सींग	6	-	-
19.	साकिन की खाल	1	-	-
20.	मगरमच्छ की खाल/सामान	8	1	1
21.	मगरमच्छ (स्टफ्ड)	1	-	-
22.	छिपकली की खाल/सामान	396	-	-
23.	सांप की खाल/सामान	115	-	-

1	2	3	4	5
24.	साही की खाल/सामान	1	-	-
25.	फिशिंग कैट स्किन/सामान	1	-	-
26.	लोमड़ी की खाल/सामान	431	87	2
27.	स्टोन मार्टिन की ख़ाल का सामान	2	-	-
28.	हिम तेंदुए की खाल का सामान	4	-	-
29.	लमचित्ता की खाल का सामान	5	-	-
30.	भारतीय गजेल का सिर/खाल का सामान	7	-	-
31.	नीलगाय की खाल	1	-	-
32.	नेवले के बाल के ब्रुश	1160 पीस	13090 पीस	1336
33.	नेवले के बाल के ब्रिसल्स	1025 पीस + 2.600 कि.ग्रा.	720 पीस + 700 ग्रा.	420 पीस + 12.500 ग्राम
	गिरफ्तार अपराधी	26	21	10

जहां तक वृक्षों के काटे जाने का प्रश्न है, पिछले तीन वर्षों के दौरान 205 मामलों का पता चला है।

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा अन्य संबंधित नियमों के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध सभी मामालों में कार्रवाई की गई और वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में दिल्ली वृक्ष निवारण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना

4704. **श्री विजय गोयल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि श्री जाफरी जे. कृपाल द्वारा लिखे एक विदेशी प्रकाशन में संत श्री रामकृष्ण के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में इस पुस्तक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है; और

(ग) इस मामले को अमरीकन सरकार के साथ उपयुक्त रूप से उठाने हेतु सरकार को क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) दिल्ली से प्रकाशित स्टेट्समैन के 31 जनवरी, 1997 के अंक में प्रकाशित पुनरीक्षा के आधार पर यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया । तथापि, हमारी जांच-पड़ताल से यह पता लगा कि राजस्व विभाग को, इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी फील्ड-फारमेशन से आज तक, इस प्रकार के प्रकाशन के आयात के बारे में, कोई पत्र नहीं मिला है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस पुस्तक को भारत में लाने पर प्रतिबन्ध लगाने के मामले पर विचार करने के लिए आगे कार्रवाई करना सम्भव नहीं है।

झींगा मछली का उत्पादन

4705. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तटवर्ती क्षेत्रों में झींगा मछली पालन से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू न करने के बारे में तटवर्ती जिलों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एस. जगन्नाथन बनाम संघ सरकार और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ङ) झींगा मछली का पालन करने के लिए पर्यावरणीय मैत्री योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। इन अभ्यावेदनों में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.12.1996 के निर्णय के कार्यान्वयन का अनुरोध किया गया है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी तटवर्ती विनियम क्षेत्र अधिसूचना में संशोधन करने संबंधी कोई भी कदम उठाने का विरोध किया गया है। झींगी श्रिम्प जारी रखे जाने की मांग के संबंध में अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं।

(ग) श्री एस. जगन्नाथन बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निदेशों का ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पुनरीक्षा के संबंध में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के कार्यान्वयन पर 31 जुलाई 1997 तक रोक लगा दी गयी है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(ङ) पर्यावरण के अनुकूल झींगी/प्रौन पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खारे पानी में मछली पालन के सतत् विकास एवं प्रबंध के लिए सरकार द्वारा अगस्त, 1995 में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11.12.1996 को दिए गए अपने निर्णय में तटवर्ती क्षेत्र में श्रिम्प पालन के संबंध में कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं। निर्णय में अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया है कि :

(i) केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम) 1986 की धारा 3(3) के तहत एक प्राधिकरण का गठन करेगी और खास तौर से तटवर्ती राज्यों एक केन्द्र शासित प्रदेशों में श्रिम्प पालन उद्योग द्वारा निर्मित स्थिति से निपटने के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटवर्त्ती क्षेत्रों, समुद्र तटों, जल क्षेत्रों तथा अन्य तटवर्ती क्षेत्रों के संरक्षण के लिए उक्त प्राधिकरण को आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार गठित प्राधिकरण सावधानी सिद्धान्त और पाल्यूटर पेज सिद्धान्त लागू करेगा।

(ii) तटवर्ती निचले इलाकों में परम्परागत तथा उन्नत प्ररकार की प्रौद्योगिकियों के फार्मों को छोड़कर तटवर्ती विनियमन क्षेत्र के भीतर किसी झींगी पालन तालाब का निर्माण नहीं किया जा सकता अथवा स्थापित नहीं किया जा सकता। यह सभी समुद्रों, खाड़ियों, नदी मुखों, संकरी खाड़ियों, नदियों और अप्रवाही जल क्षेत्रों पर लागू होगा।

(iii) तटवर्ती विनियमन क्षेत्र की अधिसूचना के तहत परिभाषित तटवर्ती विनियमन क्षेत्र में चल रहे स्थापित किए गए सभी जल कृषि उद्योगों/झींगी पालन उद्योगों/झींगी पालन, तालाबों को 31 मार्च, 1997 से पहले कथित क्षेत्र से समाप्त किया जाएगा तथा हटाया जाएगा।

(iv) चिल्का झील तथा पुलकट झील (पक्षी बिहारों, यथा–युदुरापटटु तथा नेल्ला पटटु सहित) के 1000 मीटर क्षेत्र के भीतर कोई जल कृषि उद्योग/झींगी पालन उद्योग/झींगी पालन तालाब का निर्माण नहीं होगा/स्थापित नहीं किया जाएगा।

(v) झींगी मछली पालन के लिए कृषि भूमि, लवणीय भूमि, समुद्र तटीय बागवानी, नम भूमि, बन भूमि, ग्राम भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा या उन्हें इसमें परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(vi) "प्राधिकरण" की पूर्व अनुमति से तटवर्ती विनियमन क्षेत्र के बाहर परंपरागत और उन्नत परंपरागत के अलावा मछली पालन उद्योग/झींगी पालन पोखरों की स्थापना/निर्माण किया जाना चाहिए।

(vii) प्राधिकरण, राष्ट्रीय पर्यावरण इजीनियरी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्डो जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह से तटवर्ती राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को हुई क्षति की भरपाई के लिए योजना/योजनाएं निरूपित करेगा।

गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति

4706. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की विशेष परिस्थिति को बिना ध्यान में रखे केन्द्र के अवैज्ञानिक दिशानिर्देशों के कारण लक्षित संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.आर.पी.डी.एस.) के लाभ से केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला एक बड़ा वर्ग वंचित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन

4707. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन जिसे कार्बनडाइ-आक्साइड उत्सर्जित करने वाला छठा सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, से होने पाली पर्यावरणीय खतरे की समस्या का कोई गहन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है और यह अध्ययन किस एजेंसी द्वारा किया गया है; और

(ग) इस समस्या के बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) एशिया विकास बैंक से तकनीकी सहायता परियोजना के तहत सरकार ने 1994 में "क्लाइमैट चेंज इन इंडिया : इंडिया कंट्री रिपोर्ट" नामक एक अध्ययन पूरा किया है जिसमें जलवायु और मौसम से संबंधित घटनाओं का पूर्णता से विश्लेषण किया गया है, जलवायु परिवर्तन के सम्भावित प्रभावों और राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का प्रारंभिक अनुमानों का भी पता लगाया गया है। इस अध्ययन में विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों, जैसे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

(ग) सरकार समस्या से अवगत है और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कवेंशन की पार्टी है। इस समझौते के तहत वर्तमान शर्तों के अनुसार भारत को राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस कटौती के किसी भी लक्ष्य को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, पर्यावरण के क्षेत्र में देश का वर्तमान कानूनी और नीतिगत ढांचे में संभावित जलवायु परिवर्तन का सामना करने की व्यवस्था है।

गेहूं की फसल में रोग

4708. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर और मध्य बिहार में गेहूं की फसल में एक प्रकार की बीमारी फैल जाने की वजह से गेहूं विषैला हो गया है और इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि गेहूं का ईयर कोकल रोग उत्तर और मध्य बिहार के गया, वैशाली, दरभंगा और मधुबनी जिले के कुछ छिटपुट खंडों में होने की सूचना मिली है। रोगग्रस्त दाने (गांल) खाने योग्य नहीं हैं किन्तु व्रणरहित गेहूं के दाने विषैले नहीं हैं। गेहूं के दाने के लगभग उसे 20% रोगग्रसित क्षेत्रों में रोग से प्रभावित हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए केन्द्र सरकार ने किसानों की क्षतिपूर्ति करने के लिए योजना तैयार नहीं की है। तथापि रोग की घटना की सूचना प्राप्त करते ही राज्य/केन्द्र सरकार ने रोग की स्थिति का जायजा लेने के लिए क्षेत्रगत सर्वेक्षण किया। रोग व्रण मुक्त बीजों की बुवाई करके भविष्य में रोगों को फिर से न होने देने के लिए किसानों को शिक्षित करने के लिए जोरदार प्रचार और जागरूकता अभियान शुरू किया गया।

चारा बैंकों के लिए सहायता

4709. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना "पोषण और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" के अंतर्गत चारा बैंकों की स्थापना करने के लिए गुजरात को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस धनराशि का अवैध रूप से दुरुपयोग करने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना "आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" के तहत 1994-95 के दौरान एक चारा बैंक की स्थापना के लिए गुजरात राज्य को 26.25 लाख रुपये (केन्द्रीय अंशदान) जारी किए गए थे। 1995-96 के दौरान इसके उपयोग के लिए संस्वीकृति का पुनर्वैधीकरण किया गया था।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्री पर्यावरण

4710. **श्री शिवराज सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्री जल में नौवहन दुर्घटनाओं के कारण समुद्री पर्यावरण को कोई खतरा पैदा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान अब तक ऐसी कितनी दुर्घटनाओं पता चला है और प्रत्येक दुर्घटना से कितना प्रदूषण हुआ है; और

(ग) नौवहन दुर्घटनाओं द्वारा समुद्री पर्यावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) तटरक्षक मुख्यालयों की सूचना के अनुसार समुद्री दुर्घटनाओं के कारण भारत के आसपास समुद्री पर्यावरण की क्षति की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। 1995-96 में विशाखापत्तनम से दूर ड्रेजर मंडोवी द्वारा मामूली तेल विखराव के अलावा कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। 1996-97 में, समुद्री दुर्घटनाओं की पांच रिपोर्टें की गई थीं जिनमें केवल एक पोत एम वी ए आई–हाडी से तेल का विखराव हुआ था और जिसे मुम्बई के तटरक्षकों द्वारा साफ कर दिया गया था। तत्पश्चात् हुगली नदी में एक तेल नौका से लीक होने से मामूली विखराव हुआ था। इसे कलकत्ता पत्तन ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय तेल बिखराव विपदा आकस्मिक योजना तैयार की गई है और यह लागू है जिसका समन्वय भारतीय तटरक्षक द्वारा किया जाता है।

लाल चन्दन काष्ठ

4711. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में 800 टन लाल चन्दन काष्ठ का निपटान करने के वास्ते अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य सरकार को लाल चन्दन काष्ठ पत्थर का निपटान करने के वास्ते अब तक कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने लाल चन्दन की लकड़ी से बनी मूल्यवान मदों के निर्यात की अनुमति दे दी है।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने लाल चन्दन की लकड़ी से बनी मूल्यवान मदों के निर्यात के लिए विश्व स्तर पर टेंडर मंगाए हैं। अब तक कोई सामग्री नहीं बेची गई।

सुपर बाजार में लेखा प्रणाली

4712. **श्री जय प्रकाश (हरदोई)** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में भुगतान के लिए लंबित पड़े सप्लायरों के बिलों की संख्या क्या है;

(ख) ये बिल किस तारीख से लंबित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या विकेन्द्रीकृत लेखा प्रणाली को हटाकर लेखा प्रणाली में एकरूपता लाने संबंधी कोई प्रस्ताव हैं, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 30.4.1997 को सप्लायरों को 4.50 करोड़ रुपए के लगभग 2,500 बिलों का भुगतान किया जाना है।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित अधिकांश बिल, सुपर बाजार, दिल्ली को अप्रैल, 1997 के महीने में प्राप्त हुए हैं। तथापि, बिल प्राप्त करना, उन पर कार्यवाही करना तथा उनका भुगतान करना, सुपर बाजार के लिए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुपर बाजार आमतौर पर सप्लायरों को भुगतान की सहमत शर्तों के अनुसार भुगतान कर रहा है। कभी-कभार सरकारी, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं आदि को उधार पर की गई बिक्री के प्रति भुगतान की वसूली न होने के कारण सुपर बाजार भुगतान की समय-सारण का पालन नहीं कर पता है।

(ग) और (घ) इस समय, सुपर बाजार का विकेन्द्रीयकृत लेखा प्रणाली को हटाने तथा उसमें एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विचारण न्यायालय

4713. **श्री पवन दीवान :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतर्म न्यायालय द्वारा हाल में दिए गए निर्णय की जानकारी है कि मुकदमों की विशेषरूप से सुनवाई करने वाले न्यायालय का कीमती समय मामलों की भावी तारीखें निर्धारित करने और इन अदालतों द्वारा मामलों से संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी राज्य सरकारों को मुकदमों की विशेषरूप से सुनवाई करने वाले न्यायालयों को यह सलाह देने का है कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय को तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित करें ताकि इन न्यायालयों के पास लंबित पड़े मामलों की संख्या में कमी हो और ऐसे सभी मामलों का पता लगाया जा सके जिन्हें उक्त परिसीमा के अंतर्गत शामिल किया जा सकता हो और बन्द किया जा सकता हो और भविष्य में इस प्रकार के मामलों को स्वीकार न किया जाए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा।

सक्रिय बमों का पता लगाना

4714. **श्री मंगल राम प्रेमी :**
श्री कामेश्वर पासवान :
श्री मोहन रावले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 फरवरी, 1997 के इंडियन एक्सप्रैस में "लाइव जाम्ब बीइंग सील्ड फार स्कैप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार अन्य रद्दी समाग्री सहित सक्रिय बमों को कबाडी की दुकान पर बेच दिया गया था, जिन्हें फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन, से एकत्र किया गया था । उसमें से एक बम फट जाने के कारण 4 व्यक्ति मारे गए और तीन घायल हो गए थे। इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ के सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को नियुक्त किया था, द्वारा ठोकने के कारण विस्फोट हुआ था। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि किसी प्रत्यक्षदर्शी के अभाव में उस सैन्य कर्मी की पहचान नहीं की जा सकी जिसने कबाड़ी की दुकान पर रद्दी सामान बेचा था। तथापि, यह निर्णय लिया गया कि सेना और राज्य अधिकारी, दोनों, कडी निगरानी रखेंगे ताकि फील्ड फायरिंग रेंज से अवैध रूप से कबाड़ एकत्र करने की रोकथाम करके भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

ब्लू लाइन बसों द्वारा मारे गए व्यक्ति

4715. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान अब तक दिल्ली में ब्लू लाइन/रेड लाइन बसों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1996 के दौरान लोगों को मारने के लिए कितने चालकों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अन्ततः दोषी ठहराया गया ;

(ग) इन दुर्घटनाओं में ग्रस्त वाहनों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या प्रत्येक बस के लिए दो चालकों को नियोजित करने के

संबंध में बनाने गये नियम का प्रवर्तन एजेन्सी द्वारा कडाई से पालन किया जा रहा है;

(ङ) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान प्राधिकारियों के ध्यान में पुलिस द्वारा हलके वाहन चालकों को परेशान करने के लिए मामले सामने आए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) ब्लू लाईन/रेड लाइन बसों द्वारा दिल्ली की सड़कों पर की गई दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	मारे गए व्यक्ति
1996	204
1997 (30.4.1997 तक)	54

(ख) वर्ष 1996 के दौरान 394 चालकों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से एक चालक को अब दोषी सिद्ध किया गया है।

(ग) 1996 में 474 और वर्ष 1997 में (30.4.1997 तक)114 वाहन सड़क दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त थे।

(घ) कानून में यह प्रावधान है कि लम्बी दूरी की यात्रा मार्गों को छोड़कर किसी भी वयस्क मोटर-वाहन कामगार से एक दिन में आठ घंटे तथा सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा अथवा अनुमति नहीं है । इस कानून का उल्लंखन करते पाए जाने के मामलों पर दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकरण कानून में निहित प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्रवाई करता है।

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस की जानकारी में ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत नहीं लाई गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

पुलिस बल

4716. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ अधिकारियों के अनेक पदों का सृजन किए जाने के कारण देश में पुलिस बलों में अधिकारियों की संख्या अधिक हो गई है;

(ख) क्या हमारे पुलिस बल की अत्याधिक केन्द्रीय प्रकृति के कारण उच्च स्तर के अधिकारियों की संख्या अधिक हो गई है;

(ग) क्या सरकार स्थानीय नीति निर्धारण और कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारियां स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, नगर निगमों पंचायत समितियों इत्यादि को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के आधार पर दिनांक 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार, सशस्त्र पुलिस सहित देश में सिविल पुलिस की वास्तविक संख्या 9,50,382 थी। उनमें एस.पी./डी.आई.जी./आई.जी./डी.जी. रैंक के अधिकारियों की संख्या केवल 2,866 थी।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है अतः अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न स्तरों पर पद सृजित करना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है।

जैसा कि प्रश्न के भाग (ग) में उल्लेख किया गया है केन्द्र सरकार किसी विशेषज्ञ दल की नियुक्ति करने पर विचार नहीं कर रही है, क्योंकि विभिन्न कानूनों, जो वर्तमान में पुलिस को कार्य करने की शक्तियां प्रदान करते हैं, को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर निर्णय लेना भी राज्य सरकारों का ही कार्य है।

पंजाब में चुनावों के दौरान अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती

4717. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पंजाब में हुए विधान सभा चुनावों के दौरान वहां विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों के कितने जवान भेजे गए;

(ख) क्या ये जवान राज्य सरकार की मांग के अनुसार भेजे गए थे;

(ग) क्या इन बलों के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) राज्य में विधान सभा चुनावों के लिए पंजाब सरकार को केन्द्रीय बलों की 150 कम्पनियां उपलब्ध कराई गई थीं। भारत के निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद बलों की मात्रा का निर्धारण किया गया था इन बलों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है।

अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा

4718. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1997 के द इंडियन एक्सप्रैस में बी.आई.पी. सिक्यूरिटि पुटिंग सिटीजनस सेफ्टी एट पेरिल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में वर्तमान समय में अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कितने पुलिस कर्मचारी तैनात है;

(घ) सरकार ने इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी राशि व्यय की ;

(ङ) अन्य राज्यों के उन अतिमहत्वपूर्ण की संख्या कितनी है जो दिल्ली में रह रहे हैं और जिन्होंने दिल्ली में व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की है और प्रत्येक मामले में तत्संबंधी कारण क्या है;

(च) क्या सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन को संभावित खतरे और उन्हें सुरक्षा प्रदान किए जाने के पहलू की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और इसीलिए किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में रहने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की है। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है तो विभिन्न आधारों पर वैयक्तिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों की पडताल, सुरक्षा एजेंसियों से कराई जाती है। सही तो यह कि विशेष सुरक्षा आमतौर पर तभी दिए जाने की जरूरत है जब खतरा किसी आतंकवादी संगठन की ओर से उत्पन्न हुआ हो। अन्य परिस्थितियों में, इस अपेक्षा को सामान्यतया सामान्य पुलिस व्यवस्था द्वारा ही पूरा किया जाए। मामलों की लगातार समीक्षा की जाती है। इस समय, दिल्ली पुलिस से लगभग 3617 पुलिसकर्मी और केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों से 2672 पुलिसकर्मी दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों की वैयक्तिक सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं।

(घ) संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	व्यय
1994-95	18.42 करोड़ रुपये
1995-96	19.11 करोड़ रुपये
1996-97	18.15 करोड़ रुपये

(ङ) मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में 467 संरक्षितों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

(च) और (छ) सुरक्षा की जरूरत और सुरक्षा व्यवस्थाओं के पैमाने की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। यह एक सतत क्रिया है। सुरक्षा प्रबंध समय समय पर, यथावश्यक रूप में संशोधित किए/वापस लिए जाते हैं।

ग्रामीणों को परेशान किया जाना

4719. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1997 के "इंडियन एक्सप्रैस" में विलेजेज आन बार्डर एलीज हरासमेन्ट बाय बी.एस.एफ. जवान्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। नीति अनुसार, किसानों को बाड़ से आगे अपने खतों में जाने की छूट आमतौर पर नियमित रूप से दी जाती है ताकि वे भोर से सांझ तक कार्य कर सकें। तथापि, सर्दियों में प्रातः काल और सांझ के समय जल्दी धुधला छा जाने के कारण कार्य के घण्टें थोड़े कम होते हैं। तथापि, उन्हें कृषि उपकरण जैसे ट्रेक्टर इत्यादि प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने रात में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए हैं।

सीमावर्ती गांवों की समस्याओं को हल करने और सीमावर्ती जनता और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों, पंचायत के सदस्यों और मुखियों इत्यादि को लेकर ग्राम प्रमन्वय समितियां गठित की गई हैं तथा दिन-प्रति-दिन की समस्याओं को हल करने के लिए नियमित आधार पर बैठकें की जा रही हैं।

भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

4720. **श्री शरत पटनायक** :
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
श्री कुंवर सर्वराज सिंह :
श्री ब्रजभूषण तिवारी :
श्री भवरचन्द गेहलोत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम के संक्षिप्त प्रावधानों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई अद्यतन प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994, जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव है, 9 मई, 1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। विधेयक को बाद में गृह मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति को भेज दिया गया था जिसने विधेयक पर विचार कर अपनी रिपोर्ट पेश की।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु धनराशि

4721. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु प्रदान की गयी धनराशियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के पास लम्बित पड़ी मेघालय की परियोजनाओं को कब तक मंजूर किया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित करना

4722. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बक्सर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत तयांलगांव उत्तर और दक्षिण राजमक्तवा, जेनिती, पनवारी, चौकस के वनों को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी लागत कितनी है; और

(ग) इस रिजर्व में इस समय टाइगरों और अन्य जंगली बिल्लियों की अनुमानित संख्या कितनी है और पिछली तीन जनगणनाओं के अनुसार तुलनात्मक वन्य जीवन का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां। ताशीगांव, उत्तर और दक्षिण राजमक्तवा, जैंती, पनबारी और चाकों ब्लाकों के आरक्षित वन क्षेत्रों, जो पहले ही अभयारण्य का एक हिस्सा है, को राष्ट्रीय उद्यान में घोषित करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस प्रस्ताव में कोई लागत शामिल नहीं है क्योंकि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत यह मात्र इन वनों की कानूनी स्तर में एक परिवर्तन है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार एक विवरण संलग्न है। तथापि, अनुमानित आबादी में 10% विभिन्नता हमेशा संभव होती है क्योंकि ट्रेंक गणना अन्य वन्य प्रजातियों के लिए की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	प्रजातियों का नाम	1989	1993	1994	1995	1996
1.	बाघ	33	29	–	31	–
2.	तेंदुए	–	63	–	70	–
3.	हाथी	–	85	86	–	–
4.	गौर	–	–	192	335	360
5.	काकड़	–	–	978	955	1000
6.	पाढ़ा	–	–	157	120	200
7.	चित्तीदार हिरण	–	–	498	515	575
8.	सांभर	–	–	108	80	100
9.	नेवला	–	–	142	320	350
10.	शाही	–	–	14	35	50
11.	जंगली सूअर	–	–	2719	2700	3000
12.	बंदर	–	–	12581	22250	24000
13.	मोर	–	–	1975	2600	2800
14.	जंगली मुरगी	–	–	2056	5650	6000

राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकरण

4723. **श्री मंगल राम शर्मा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) तथा राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण (एन.डी.ए.) को स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एजेंसियों के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) सितम्बर, 1994 में घोषित औषध नीति, 1986 में संशोधनों में विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय जिसे राष्ट्रीय भेषज कीमत निर्धारण प्राधिकरण का नाम दिया गया है, स्थापित करने की व्यवस्था है जो औषधों के कीमत निर्धारण का कार्य करेगा। एक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण स्थापित करने की भी व्यवस्था है जो अन्य बातों के साथ-साथ मानकों की व्याख्या करेगा, गुणवत्ता को लागू करेगा और निर्धारित कार्यप्रणाली का अनुवीक्षण करेगा। एन.पी.पी.ए/एन.डी.ए. में विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए मानदण्ड ओहदा-दर-ओहदा भिन्न-भिन्न होंगे।

जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम

4724. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व प्राकृतिक वन्य कोष ने देश में विभिन्न नदियों में जल की घटती हुई गुणवत्ता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने तथा इसके लिए स्कूली छात्रों की भागीदारी आमंत्रित करने हेतु "रिवर वाच" नामक देश-व्यापी जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम चलाया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं और इसके लक्ष्य क्या हैं तथा यह कहां तक सफल हुआ है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) जी हां।

(ख) नदी की कम हो रही जल गुणवत्ता के बारे में लागों को जानकारी प्रदान करने के लिए नवंबर, 1996 में एक "रिवर वाच" सहयोगी पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में नदी में विभिन्न स्रोत से प्रदूषण का खतरा होने के कारण यमुना नदी के 100 किलोमीटर क्षेत्र की जल गुणवत्ता निगरानी के लिए चुना गया।

उद्देश्य – कार्यक्रम का उद्देश्य नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्कूलों के छात्रों और लोगों को शामिल करना।

कार्यक्रम की मुख्य बातें

दिल्ली और दिल्ली के आस-पास 10 स्कूलों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं–

– अध्ययन के लिए नदी क्षेत्रों का अभिनिर्धारण।

– विश्व प्रकृति निधि द्वारा विकसित जल प्रदूषण निगरानी किट के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन।

– आंकड़ा संसाधन।

– प्रचार माध्यम से सूचना प्रसारित करना। प्रथम चरण के कार्यक्रम की सफलता के मूल्यांकन के लिए अभी कार्यक्रम पूरा होना है।

उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों को ले जाकर बाजार में बेचना

4725. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री दादा बाबू राव परांजपे :
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री जी.ए.चरण रेड्डी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय पर उचित दर की दुकानों से खुले बाजार में खाद्यान्नों को ले जाकर बेचने पर रोक लगाने संबंधी कार्यवाही करने के अपने-आप को अलग करने और उचित दर की दुकानों के डीलरों व कालाबाजारी करने वालों के बीच मिली भगत करने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों को खुले बाजार में बेचने के लिए क्या-क्या मुख्य आरोप लगाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सुझाव दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंत्रालय उन्हें किस हद तक क्रियान्वित करने के लिए राजी हो गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत लागू की जाती है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को आवश्यक वस्तुएं आवंटित करती हैं, और उसके बाद राज्य के भीतर आगे आवंटन तथा वितरण पर निगरानी रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर दुकान तथा अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारीकी से मॉनीटर करें।

(ख) से (ङ) प्रश्न नही उठते।

[हिन्दी]

देश में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियनें

4726. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री रमेश चन्द तोमर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की राज्य-वार कितनी बटालियनें तैनात हैं;

(ख) क्या कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रदान की गई कुल सहायता राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकरों की जिम्मेदारी है। तथापि, राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए राज्यों की आवश्यकता तथा बल की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि, विभिन्न राज्यों में बलों की तैनाती अथवा बलों के ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

विकलांग की नियुक्ति

4727. **श्री पी.सी. चाक्को** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में "घ" श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु उचित उम्मीदवारों के चयन के लिए मई-जून 1995 में राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्थान द्वारा साक्षात्कार करवाया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित चयनित व्यक्तियों की सूची क्या है;

(ग) क्या इन चयनित व्यक्तियों को आज तक नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेजे जाने पर किन कदमों का विचार किया जा रहा है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ) कल्याण मंत्रालय के आदेश पर, केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रुप "च" की रिक्तियों में दृष्टिबाधितार्थ व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून ने साक्षात्कारों का संचालन किया था।

मंत्रालय को प्राप्त सूचना के अनुसार, पात्र नामों (610) के एक पैनल में से अब तक केवल 33 व्यक्तियों ने नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इस पैनल में शामिल व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियों के नाम क्रमशः सलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं, जिन्हें नियुक्ति प्रस्ताव दिए गए। जब इस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं तो संबंधित मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की जाने वाली नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों, कल्याण मंत्रालय अनुभवी व्यक्तियों के नाम तथा डोसियर भेजता है। कल्यांण मंत्रालय उनके साथ नियमित रूप से मामले को आगे बढ़ा रहा है।

विवरण-I.

चयनित उम्मीदवारों की सूची–उत्तर क्षेत्र समूह "ग" के रिक्त पदों के लिए (अवरोही क्रम में योग्यता)

रैंक	अनुक्रमांक	नाम	जन्म तिथि	शिक्षा
1.	1033	पुष्कर सिंह कनवासी पुत्र नारायण सिंह कनवासी ग्राम थोप, पी.जी. उज्जलपुर, जिला चनोली, उ.प्र.	7/01/73	8
2.	3307	राम दरश पुत्र रामतु, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, 2322 लक्ष्मी नारायण गली, पहाड़गंज, दिल्ली	7/05/65	एस.एस.सी
3.	3038	मानदेव पुत्र सदानन्द अंध महाविद्यालय पंचकुईयां रोड़, दिल्ली	9/10/66	एस.एस.सी
4.	3302	इस्लाम नबी पुत्र बुन्दुखान, आईएचबी लालकुई बघुरपुर, दिल्ली	10/02/59	8
5.	3386	किशोर कुमार पुत्र मनोरथ प्रसाद आर.जेड 92, गली सं. 7 कैलाशपुरी एक्सटेंशन पालम कालोनी, दिल्ली	10/02/64	एस.एस.सी
6.	3337	जीतेन्द्र कुमार पुत्र सोहन वीर सिंह म.न. बी-2, बाचारथी बिहार, वाटर प्लांट (बी एस) करावलनगर रोड़, दिल्ली	6/30/69	8
7.	3382	भाग्य नारायण साहा पुत्र वनारसी साहा, क्वाटर नं. 10, कुतुब होटल, दिल्ली	1/05/61	8
8.	3296	वकार अहमद पुत्र हैदर खान मकान–16/677, खान स्ट्रीट अफगानन जिला अलीगढ़ उ०प्र०	3/08/61	एस.एस.सी
9.	3231	राम अनुज तिवारी पुत्र राम कृष्ण तिवारी, 110/241, ब्लाइंड स्कूल, नेहरू नगर, कानपुर उ०प्र०	5/30/65	एस.एस.सी
10.	1490	संजय मणि तिवारी पुत्र काशीनाथ तिवारी मार्फत चन्द्रन लाल पोद्दार टीसीएबी, एनआईवीएच 116 लाजपत नगर, देहरादून, उ०प्र०	11/04/69	एस.एस.सी
11.	593	राजेन्द्र प्रसाद कश्यप पुत्र राम प्रसाद म.नं. 2/111 "ए, नवाबगंज, कानपुर, उ०प्र०	1/03/74	8
12.	1006	दया राम पुत्र जगत राम 331, बलुरबुरा, देहरादून, उ०प्र०	8/10/60	8
13.	568	ओम प्रकाश युनियाल पुत्र सत्यश्वर प्रसाद उनियाल 1/पी.ओ. पथियाना रैका, वाया भल्दियाना, टिहरी गढ़वाल उ०प्र०	1/01/67	एस.एस.सी
14.	920	उमराव मथांकर पुत्र कृष्ण राव मथांकर, III साउथ मेलोनिगंज, मसुदाबाद, जबलपुर मध्य प्रदेश	1/02/72	आई.एन.टी.
15.	5108	खुशी राम पुत्र भरत सिंह I, विजय नगर घोड़वाला चुना भट्टा, देहरादून उ०प्र०	4/15/71	8
16.	4903	निरंजन प्रसाद पुत्र दीनानाथ प्रसाद, बी 596, दिल्ली प्रशासन आवास तिमारपुर, दिल्ली	5/05/72	9
17.	3024	सीता देवा पुत्र सुरेश कुमार म.नं. 54/647, पंचकुईया रोड़, दिल्ली	1/12/64	आई.एन.टी.
18	1723	जेठा राम पुत्र जयराम म.नं. डी 697, मादीपुर जे.जे. कालोनी दिल्ली	7/15/64	8
19.	3117	अश्विनी कुमार शर्मा, पुत्र मनोहर लाल शर्मा, म.नं. 1554, डी.एम.कालोनी सैक्टर-38 (पश्चिम)	7/30/74	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
20.	3835	रेहाना परवीन पुत्री अफाक अहमद म.नं. 482, पुराना किला, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1/14/58	बी.ए.
21.	1600	दुलारी कुमारी, पुत्री घनश्याम नोटियाल ग्राम देवीपुर, पो.ओ. उमेदपुर, जिला देहरादून, उ०प्र०	6/10/72	आई.एन.टी.
22.	1016	सूरज भान, पुत्र नेकीराम, टीसीएबी, एनआईवीएच, 116, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तर प्रदेश	3/04/59	8
23.	1607	राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, पुत्र राम सुन्दर प्रसाद मिश्रा, श्याम शाह मेडिकल कालेज, दीवा, मध्य प्रदेश	10/15/68	आई.एन.टी.
24.	3068	जाहिद हुसैन, पुत्र अहसान अली मार्डन बाजार डिपार्टमेंट स्टोर, 49, बसन्त लोक, बसन्त बिहार, दिल्ली	7/07/68	8
25.	3334	राजेन्द्र सिंह पुत्र गाजे सिंह, ए-7, नवभारत अपार्टमेंटस पश्चिम बिहार दिल्ली	8/15/73	एस.एस.सी
26.	3267	मदन सिंह राणा,पुत्र स्वरूप सिंह राणा, सोयल टेस्टिंग लाव, पी.ओ. श्रीनगर गढ़वाल उ०प्र०	3/10/70	8
27.	3258	निर्मला मौर्य, पुत्र राम मिलन कुशवाहा, एफ-1612/2, ब्लाक-5, मल्टीस्टोरी, राजाजी पुरम, लखनऊ उ०प्र०	8/10/71	8
28.	962	राकेश कुमार श्रीवास्तव, पुत्र रामआसरे लाल श्रीवास्तव मकान नं. 95. मोह, साहबगंज फैजाबाद, उ०प्र०	6/23/65	एस.एस.सी
29	4907	राम पाल, पुत्र बलवन्त सिंह नेशनल फेडरेशन आफ दि ब्लाइंड, 2322, लक्ष्मी नारायण स्ट्रीट, पहाड़गंज, दिल्ली	9/20/74	8
30.	3403	सुनील कुमार पाडे, पुत्र सुभाष पाडे, एचसीजीबीएस सेवा कुटीर किंगजवे कैंप, दिल्ली	3/03/70	एस.एस.सी.
31.	3366	संतोष कुमार, पुत्र लालू प्रसाद, स्टेशन रोड, नजदीक बस स्टेंड चुंगी, नं. 3, बल्लमगढ़ फरीदाबाद	1/03/72	एस.एस.सी
32.	918	मनिषा पाठक, पुत्र सुधाकर पाठक, डी-I/6, महेश ग्राउंड, लाइन, इन्दौर मध्य प्रदेश	9/24/73	आई.एन.टी.
33.	255	राम विशाल पटेल, पुत्र मोती लाल पटेल, स्कूल फार दि ब्लाइंड कोगाया, घोराघाट रोड, जबलपुर,मध्य प्रदेश	1/10/72	एस.एस.सी
34.	263	पुष्पों तिवारी, पुत्र कृपा राम तिवारी, एफ 1662-64 ब्लाक नं.6, मल्टी स्टोरी, राजाजीपुरम, लखनऊ, उ०प्र०	9/09/62	8
35.	5405	किशोर लाल पुत्र खुशी राम, मार्फत ओम प्रकाश, 109, राजपुर रोड, देहरादून, उ०प्र०	11/14/72	एस.एस.सी
36.	4262	मथुरा प्रसाद, सुपुत्र कामत प्रसाद गर्वनमैंट हैंडीकैप्ड वेलफेयर इन्स्टीच्यूट, संजीवनी नगर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश	7/11/73	आई.एन.टी.
37.	1011	राजेन्द्र देव शर्मा, पुत्र नाथ लाल शर्मा, बीसीएबी. एनआईबीएच, 116, राजपुर रोड, देहरादून, उ०प्र०	7/14/73	8
38.	4001	गंगोत्री वर्मा, पुत्र राम किशोर, एन.एफबी. क्षेत्र प्रैस दिल्ली रोड, बहादुर गढ़, हरियाणा	1/03/70	आई.एन.टी

1	2	3	4	5
39.	2315	अश्विनी कुमार पुत्र रमेश कुमार वक्शी, पंजाब वेलफेयर एसो. एफ/टी ब्लाइंड, 821, गुरू नानक कालोनी, कोटला पंजाब	12//16/70	एस.एस.सी
40.	856	योगेन्द्र कुमार पुत्र सुन्दर लाल मित्तल, 433/1, हनुमान कालोनी, चाव मंडल, रुड़की जिला हरिद्वारा उ०प्र०	3/14/58	आई.एन.टी
41.	1690	प्रदीप कुमार पुत्र मस्तराम, ग्राम रोपा, पोस्ट खेह, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	5/27/71	आई.एन.टी
42.	20	प्रमचन धाडके पुत्र शिवराम धाडके, जी.पी.ओ. अन्धरिया गिद्दी मोहल्ला मुल्लाई जिला वैतूल, मध्य प्रदेश	7/01/71	आई.एन.टी
43.	1642	मोह० इदरीस पुत्र मोह० इसराईल, क्वाटर नं० 315 डी, जैतपुर रेलवे विकास कालोनी, पी.ओ. रेलवे गोरखपुर, उ०प्र०	1/06/69	8
44.	698	रेखा गुप्ता पुत्र बृजमोहन गुप्ता, 37, अर्जुन पल्टन, इन्दौर, मध्य प्रदेश	11/19/72	एस.एस.सी
45.	4126	राजमान सिंह, पुत्र शिव चरण सरकारी हैडिकेप्ड कल्याण इन्स्टीच्यूट संजीवनी नगर गृह जबलपुर मध्य प्रदेश	7/02/72	आई.एन.टी
46.	3926	मुन्नुलाल पुत्र पंच राम स्टेट हैंडिकैप्ड इन्स्टीच्यूट संजीवनी नगर जबलपुर, मध्य प्रदेश	5/12/70	आई.एन.टी
47.	3275	भागवती बलेचा पुत्र दानुगाल, 106/356, गांधी नगर, कानपुर	2/08/66	एस.एस.सी
48.	3413	परमानन्द शर्मा पुत्र बद्री नारायण शर्मा कमरा नं. 31, हिन्दू कालेज, होस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	9/15/72	एस.एस.सी
49.	3301	श्री पाल, पुत्र देवीदीन हाउस जैड-213, तिमारपुर, लखनऊ उ०प्र०	7/15/68	एस.एस.सी
50.	227	अशोक त्रिपाठी, पुत्र राम ललित त्रिपाठी, 8/96,, स्टाफ क्वाटर्स जी.बी. पंत हास्पिटल कैम्पस, दिल्ली	11/04/67	8
51.	4906	राज किशोर पुत्र राज बंसी, दिल्ली प्रशासन, प्लाट, तिमारपुर, दिल्ली	8/04/61	एस.एस.सी
52.	3360	रामाकान्त पुत्र राज बालम, भारतीय ब्लाईंड स्कूल, सरकूलर रोड, शाहदरा, दिल्ली	12/04/58	एस.एस.सी
53.	1226	शंकर लाल, अरघ पुत्र गुलाब अरघ, कृष्णा टेलर नजदीक प्रभात सिनेमा, दुर्ग, मध्य प्रदेश	7/22/66	आई.एन.टी
54.	1118	ब्रहम सिंह चौहान, पुत्र राम धीराज सिंह चौहान अलीगंज कुरसी रोड, लखनऊ, उ०प्र०	3/16/71	8
55.	2638	भगवान सिंह भंडारी, पुत्र रैया सिंह भंडारी, गांव कुरही, पी.ओ.सवीर, जिला टिहरी गढ़वाल उ०प्र०	12/16/74	एस.एस.सी
56.	1687	सुभाष चन्द्र, पुत्र सतीश चन्द्र गांव उंचर, पी.ओ. पिसोली, पौड़ी गढ़वाल, उ०प्र०	5/08/69	8
57.	32	सुभाष काले, पुत्र बाबूराव काले, द्रस्थीन कल्याण संघ, शिवाजी नगर, भोपाल, म०प्र०	4/01/64	8

1	2	3	4	5
58.	3017	सुरेन्द्र कुमार माथुर, पुत्र जयराम माथुर, अन्ध विद्यालय, पंचकुईयां रोड, दिल्ली	3/03/73	एस.एस.सी
59.	61	कृष्ण सोनी, पुत्र धनी राम सोनी, नजदीक जनता मेडिकल, मेन रोड, हरपालपुर छत्तरपुर, म०प्र०	1/19/70	आई.एन.टी
60.	3938	राम कुमार, पुत्र राघु रेमा प्रसाद, राज्य अंध संस्थान, संजीवनी नगर, जबलपुर, म०प्र०	7/25/73	आई.एन.टी
61.	3404	सुदर्शन सिंह, पुत्र हरी सिंह, नेशनल फेडरेशन आफ दि ब्लाइंड, 2322, लक्ष्मी नारायाण सैट, पहाडगंज, दिल्ली	12/31/71	एस.एस.सी
62.	3268	अश्वनी कुमार शुक्ला, पुत्र दावीदीन शुक्ला, मार्फत एल.सी.वर्मा सिरमोर, टी-स्टाल, देहरादून उ०प्र०	5/15/64	एस.एस.सी
63.	3225	कमला दीक्षित, पुत्र दया शंकर दीक्षित, एफ -1490/2, ब्लाक 3, मल्टी स्टोरी, राजाजीपुरम, लखनऊ उ०प्र०	7/10/68	8
64.	3500	नवीन कुमार शर्मा, पुत्र बंसी लाल शर्मा, गवर्नमेंट सै० स्कूल, एफ/टी, ब्लाइंड व्याय, सेवा कुटीर किंग्जवे कैम्प, दिल्ली	11/02/73	एस.एस.सी
65.	3016	जगेश्वर झा, पुत्र भुवनेश्वर झा, गवर्नमेंट होस्टल फार ब्लाइंड स्टूडेंट सेवा कुटीर किंग्जेव कैम्प, दिल्ली	10/19/67	एस.एस.सी
66.	156	ओम प्रकाश रेसवाल, पुत्र भीख लाल रेसवाल म.नं. 57, गवर्नमेंट कालोनी रोड, बिरला ग्राउंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश	10/17/74	एस.एस.सी
67.	849	अनिल प्रसाद गुप्ता, पुत्र आनन्द प्रसाद गुप्ता, 121-122, प्यारे लाल शांप, राजपुर रोड, देहरादून उ०प्र०	1/18/60	8
68.	3832	सरवण कुमार पुत्र रालू राम, गांव भाटावाली, पी.ओ. मन्सूवाली, देहरादून, उ०प्र०	6/15/59	8
69.	3747	सूर्या लाल, पुत्र गौरी शंकर, गांव बादीपुर, पी.ओ. भानमऊ जिला बारांबंकी, उ०प्र०	9/06/60	8
70.	4874	चुनी लाल, पुत्र तुलसी राम खिचड़ीपुर, टी-कैम्प हाउस नं. के -12, दिल्ली -91 दिल्ली	3/16/58	एस.एस.सी
71.	3951	सुमन जमबूलकर पुत्र श्याम राव, 54/19, साउथ टी.टी. नगर, मन्दिर भोपाल म०प्र०	2/06/64	8
72.	1339	रामकुमार पुत्र कुक्समान महा कबि सूरदास नेत्रहीन विद्यालय, पो. ओ. अरसीना, आगर, उ०प्र०	12/15/62	आई.एन.टी
73.	3377	शिव स्वरूप पुत्र छत्तरपाल स्वरूप, म.नं. 1038, सोनिया विहार, खजूरी, यमुना पार दिल्ली	12/20/69	एस.एस.सी
74.	1533	मालं कुमार बैनर्जी, पुत्र आर.एन. बैनर्जी, क्वाटर्स नं. 170, आदर्श नगर, पो.ओ.बी.एम. आई दुर्ग मध्य प्रदेश	6/25/69	आई.एन.टी
75.	994	ललिता सैनी पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी, 53/1, बीताबन्त इन्दौर	3/15/59	11
76.	859	राकेश थपलियाल पुत्र डी एन. थपलियाल, शिवलोक लादपुर, पो.ओ. ओआरडी फैक्टरी, रायपुर, देहरादून, उ०प्र०	4/27/73	9

1	2	3	4	5
77.	2543	किरन, पुत्र विरेन्द्र गांव व पो.ओ. लोअर सूनहेत, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०	2/10/65	एस.एस.सी
78.	152	सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिव प्रसाद राजकीय नेत्रहीन आश्रित कर्मशाला सीता रोड़, लखनऊ उ०प्र०	2/01/73	एस.एस.सी
79.	1725	राज कुमार, पुत्र कस्तूरी लाल अरोड़ा, बी/124, रामापार्क उत्तम नगर, दिल्ली	1/01/69	एस.एस.सी
80.	900	पूरालाल सुतार, पुत्र भवानी शंकर सुतार, एम.पी. वेलफेयर एसो. फोर्ट एरिया, इन्दौर, म०प्र०	11/04/58	आई.एन.टी
81.	5254	राजेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र सूरज प्रसाद शुक्ला, गांव व पो.आ.अतसू जिला इटावा, उ०प्र०	6/10/64	एस.एस.सी
82.	4866	पूरन लालख पुत्र राम लाल, मकान नं. 493, ब्लाक सी-3, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली	4/12/67	8
83.	4070	रमेश कुमार, पुत्र बंसत राम, राजकीय अन्ध कल्याण संस्थान, सजीवनी नगर, जबलपुर, म०प्र०	4/05/74	आई.एन.टी
84.	4910	मुकेश शर्मा, पुत्र वैजनाथ शर्मा, एचसीजीबीएस सेवा कुटीर किंग्जवे कैम्प, दिल्ली	4/05/70	एस.एस.सी
85.	4144	विजय लक्ष्मी, पुत्र राम विलास, एम.ई.एस. कालोनी 62/6, डब्ल्यू-।। जोन फिरोजपुर कैंट पंजाब	10/20/63	आई.एन.टी
86.	4882	अशाद अली पुत्र माजिद अली, मकान नं. बी-1, चांदबाग करवल नगर रोड, गोकुलपुरी, दिल्ली	5/01/71	एस.एस.सी
87.	4278	सुमीता सिंहए पुत्र राम मिलन सिंहए II-65, सरकारी कालोनी गोरा बाजार रायबरेली, उ०प्र०	12/03/66	8
88.	4281	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र एम. आर गुप्ता, 27 केशवपुरम, जिला गोरखपुर उ०प्र०	1/20/67	आई.एन.टी
89.	3252	सतेन्द्र कुमार पुत्र बालदू प्रसाद गांव व पो.ओ. भादिख, जिला जलोन, उराई उ०प्र०	2/03/74	एस.एस.सी
90.	3367	विशन पाल सिंह सैनी पुत्र त्रिमल सिंहसैनी, अन्ध विद्यालय पंचकूईयां रोड़, नई दिल्ली	2/02/68	8
91.	3336	चन्द्र प्रकाश, पुत्र गणपति मिश्रा, नेशनल फैडरेशन आफ दि ब्लाइंड, 2322, लक्ष्मी नारायण सैट पहाडगंज, नई दिल्ली	7/01/67	एस.एस.सी
92.	3375	राजू जल्लान पुत्र बिरजू मोहन जाल्लान अनता अर्स्पश अन्ध विद्यालय, सिरी फोर्ट रोड, सादिक नगर, नई दिल्ली	12/12/72	8
93.	3269	साधा प्रसाद चौधरी, पुत्र इन्द्र प्रसाद चौधरी, मार्फत एल.सी वर्मा, सिरमोर टी स्टाल, कौलागढ़ रोड, देहरादून, उ०प्र०	6/07/71	एस.एस.सी
94.	1684	रघुबीर सिंह पुत्र सुरत राम सिंह, गांव इस्लामपुर, पो.ओ./तह. नरवाना, जिला जिन्द, हरियाणा	11/20/72	एस.एस.सी
95.	186	प्रदीप पटेल पुत्र डी.एन.पटेल, मकान नं० 69, भारत नगर, भोपाल	10/09/69	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
96.	603	लाल सिंह राठौड पुत्र प्रहलाद सिंह राठौड गांव फतेहपुर, जिला मैनपुरी, उ०प्र०	7/01/70	8
97.	684	रमेश कुमार पुत्र हरि प्रसाद गांव मैना तह. असता जिला सिहौर, मध्य प्रदेश	4/01/66	8
98.	729	जगतार सिंह पुत्र काला सिंह गांव एवं पो.ओ. भाइरूपा तहसील फूल, जिला भटिंडा, पंजाब	11/12/72	8
99.	4936	सुमन लता पुत्र चमन लाल नारंग, 69, "एन" ब्लाक श्रीगंगानगर, राजस्थान	11/29/60	आई.एन.टी
100.	4854	कालू राम पुत्र फारिक, मकान नं. 64-ए, टाइप-ए, आराम बाग पहाड़गंज, दिल्ली	4/15/74	एस.एस.सी
101.	4420	राजेन्द्र प्रसाद, पुत्र हरि सिंह, अन्ध महाविद्यालय, पंचकुईयां रोड, नई दिल्ली	12/15/74	9
102.	4436	अमरदीप भाटिया, पुत्र एन.एस.भाटिया, डी-8/ जी डीडीए, फ्लैट्स, मुनीरिका, नई दिल्ली	10/16/71	बी.सी.ओ.एम
103.	4892	विपन कुमार जैन पुत्र ओम प्रकाश जैन, सी-14/1, दिलशाद गार्डन, दिल्ली	1/20/64	एस.एस.सी
104.	3257	कमल दास चौधरी, पुत्र मनोहर लाल टी स्टाल, कोहारवाला देहरादून, उ०प्र०	7/11/58	8
105.	1696	राम अवतार सनवरिया पुत्र बाबू लाल सनवरिया ब्लाक सी-6/200, सुल्तानपुर, नई दिल्ली	5/01/63	8
106.	3318	पवन कुमार मित्तल, पुत्र रिशी प्रकाश मित्तल, मकान नं० 173 शिव कुटीर, हरेश बिहार, नजदीक पीतमपुरा, दिल्ली	3/08/65	एस.एस.सी
107.	3155	खेम चैन, पुत्र पाशान लाल, गर्वनमैंट स्कूल फार दि ब्लाइंड ब्याय, सेवाकुटीर, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली	2/01/72	एस.एस.सी
108.	3399	अशोक कुमार राय पुत्र प्रेम नारायण राय होस्टल एफ/टी कोल, गोइंग ब्लाइंड स्टूडेंट सेवा कुटीर किंग्जवे कैंप, दिल्ली	7/05/72	एस.एस.सी
109.	1231	शिखों श्रीवास्तव पुत्र संतोष श्रीवास्तव मकान नं. 539 खेराबाद इलाहाबाद रोड, सुलतानपुर, उ०प्र०	9/20/65	एस.एस.सी
110.	22	बाबत राव सहरि पुत्र काशीनाथ सहारे दुरूस्तीन कल्याण संघ, शिवाजी नगर, बीहाइंड जेपी हस्पताल, म०प्र०	4/04/68	8
111.	2318	ओम प्रकाश पुत्र प्रेम चन्द पंजाब वेलफेयर एसो, एफ/टी ब्लाइंड, 821 गुरू नानक भलेरकोठला, पंजाब	12/15/74	आई.एन.टी
112.	2505	तेजवीर सिंह पुत्र दिवान सिंह, 254 दिल्ली प्रशासन फ्लैट तिमारपुर, दिल्ली	2/01/67	एस.एस.सी
113.	1527	जगन गोरकी पुत्र इकोबाजी गोरकी अधिकक्ष दल वस्तु भंडार भोपाल, मध्य प्रदेश	2/10/70	8
114.	1021	आर. वेंकटेश पुत्र रामेह टीसीएबी, एनआईवीएच 116, राजपुर रोड, देहरादून, उ०प्र०	9/17/69	8

1	2	3	4	5
115.	2389	विमल सरकार पुत्र सुवाल चन्द्र सरकार 56 बी/ I, डी.एल. रोड, देहरादून	2/02/86	8
116.	855	अनिल कुमार सेन पुत्र राम चरन सेन, मकान नं. 1077/1, गुन्डू काम्पऊंड, सिपरी बाजार सिविल लाइन्स झांसी, उ०प्र०	8/01/73	एस.एस.सी
117.	853	सुभाष चन्द्र पुत्र राम सिंह, गांव व पो. अतावला, जिला पानीपत, हरियाणा	3/01/70	एस.एस.सी
118.	4943	शिव दयाल शर्मा, पुत्र रेवर चन्द्र शर्मा गांव पातालवास पो. भिवानी, जिला जयपुर, राजस्थान	8/15/67	आई.एन.टी
119.	4929	राजेन्द्र प्रसाद महावार पुत्र रामाराम महावार 25- बी राजहंस कालोनी, नं 3, नजदीक टालकटोरा जयपुर, राज०	9/15/68	आई.एन.टी
120.	3954	प्रहलाद यादव पुत्र राम नाथ, गांव भाटपुरवा पो. आ. राही, जिला, रायबरेली, उ०प्र०	11/08/59	8
121.	3941	ईश्वर प्रसाद पुत्र बालदेयू प्रसाद स्टेट हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसो, संजीवनी नगर, जबलपुर	4/12/73	आई.एन.टी
122.	3940	गोवर्दन नसाद, पुत्र जगत राम, स्टेट हैंडीकैंप्ड इन्स्टीच्यूट संजीवनी नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश	8/15/68	आई.एन.टी
123.	3401	अनन्त शर्मा पुत्र शिव कुमार शर्मा, मकान नं. 33/30 ओल्ड राजेन्द्र नगर, दिल्ली	2/10/66	एस.एस.सी
124.	3261	सुखदेव सिंह पुत्र सोनू धावा, सुभाष चौक, श्यामली मुज्जफरनगर उ०प्र०	1/26/65	8
125.	3298	किशन राम पुत्र गरीब राम, आईएचबी, लाल कुंआं बद रपुर, दिल्ली	5/20/64	8

चुने गये उम्मीदवारों की सूची – पश्चिम जोन
ग्रुप घ रिक्तियां (योग्यता सूची) निचले क्रम से

श्रेणी	रोल नं०	नाम	जन्म तारीख	शिक्षा
1.	2625	बाकुल रविन्द्र दादा पुत्र दादा कालू डाक घर चिनावल पर ताल नदी जिला जलगांव महाराष्ट्र-425505	1/15/1964	इंटर
2.	761	बराडे प्रकाश पुत्र दामोदर मकान नं० 1144 गंडगे नगर अमेरनाथ डाकघर उल्हास नगर ठाणे महाराष्ट्र-421505	7/27/65	एस.एस.सी
3.	2847	सुनील रामनाथ जाधव पुत्र रामनाथ ननगी जाधव गोदरेज वाडी वार्ड-5 पोस्ट आफिस नासिक रोड सिन्नार फाटा नासिक महाराष्ट्र-422001	10/24/66	9
4.	3800	निताई चरण दास पुत्र गोपाल दास जे.डी. बैश्नब 18/34 ओल्ड अरि इंडि कालोनी कलिन सांताक्रुज मुम्बई महाराष्ट्र-400029	3/14/58	8
5.	2191	लाउव पांडुरंग निकम पुत्र देवालेकर तुका राम हरि 206 सुरुकरामा पेठ कालू हील के पास पुणे महाराष्ट्र-411002	8/25/61	9
6.	5141	गिरि अत्रोव माच्छीदर पुत्र माच्छीदर गिरि पोस्ट आफिस शेराला तहसील/जिला लातूर महाराष्ट्र-413512	6/09/70	बी.ए
7.	4470	निवरुती हरि गावली पुत्र हरिशिवराम मुनिसपालटी कालोनी मकान नं. 3, विल्डिंग नं.15, चेम्बूर मुम्बई महाराष्ट्र-425505	9/01/67	9

1	2	3	4	5
8.	185	नन्दलाल काशीनाथ पुत्र काशीनाथ बी.मराने, 221/13, राष्ट्रीय विकास बैंक (आई.डी.आई. (पूर्व बम्बई) महाराष्ट्र-400077	10/3/64	एस.एस.सी.
9.	1252	रावल विराट रजनीकान्त पुत्र रजनीकान्त नन्दलाल, के-I, आशोपलाव फ्लैट खानपुर, अहमदाबाद, गुजरात-3910001	9/12/68	इन्टरमीडिएट
10.	1488	गोकुल चन्द्र पाल पुत्र जोगेन्द्र चन्द्र पाल एन.एस.डी.इन्ड. होम एफ/टी लाइन्ड, काटन डिपो, काटन ग्रीन, बम्बई, महाराष्ट्र-400033	8/12/61	एस.एस.सी
11.	2205	हिमानी बी. चव्हाण पुत्री भीमराव रामराव चव्हाण, ग्राम/पोस्ट–मंगरुल, नवघडे, चिरवील जिला बुल्डाना, महाराष्ट्र	4/28/61	एस.एस.सी
12.	2661	परमार देवेन्द्र पुत्र शानितरलाल डी०/97, निर्मलपुरा चाल सरसपुर अहमदाबाद, गुजरात-380018	4/27/63	इन्दरमीडिएट
13.	3178	शिन्दे बालू विट्ठल पुत्र विटठल जे. शिन्दे एस.नं. 44, एरांडवांड केलेवाली, एम, मोहोल के नजदीक बलवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र-412038	5/10/65	9
14.	3190	दादाराव विधोबाजी कतुरे पुत्र विधोबाजी कतुरे द्वारा-एल.एच. खापेकर एस.ई.रेलवे कालोनी-76 प्रताप नगर, नागपुर महाराष्ट्र-440022	6/16/70	9
15.	3193	दिलीप सीताराम सराफ पुत्र सितारा रूपचंद सराफ, ग्राम पोस्ट फैजपुर, तहसील-यावल जिला-जलगांव, महाराष्ट्र	6/05/68	एस.एस.सी
16.	3785	बालु सखाराम पुत्र सखाराम महिपैज सिद्धार्थ न्यू कालोनी बुद्ध मंदिर, चेम्बूर बम्बई, महाराष्ट्र-400071	6/01/69	8
17.	4090	संजय बाबुराव, पुत्र बाबुराव कन्हार त पत्थर, ताल परनार, जिला–अहमदनगर, महाराष्ट्र-414303	6/01/72	एस.एस.सी
18.	4359	जोशी धन्यान्तरे, पुत्र लाम शंकर तलय बी./एच. दनपीठ के नजदीक भोलानाथ कुप, जिला–भावनगर, गुजरात-364270	9/19/69	एस.एस.सी
19.	1945	बवागे कमलाकर, पुत्र-ववागे मलिकार्जून रान्डाले निवास, मिर्काले होटल के पास सलेगल्ली, लातुर, महाराष्ट्र-413512	10/16/74	एस.एस.सी.
20.	3795	प्रकाश काशीराम, पुत्र काशीराम बालू सुस्कील्कर ए/14 बावूलानाथ चाल दत्ता टेकरी जोगेश्वरी (पूर्व) बम्बई, महाराष्ट्र-400060	5/01/69	9
21.	4230	चन्द्र शेखर, पुत्र भीम शंकर ग्राम कुम्भारी, तहसील-तुल्जापुर जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र-413601	12/02/65	एस.एस.सी
22	4378	गरानिया समत के०, पुत्र कानाभाई गांव वैझीयादी वया वन्दा सवरोसुन्दला जिला भावनगर गुजरात-364525	8/15/69	आई.एन.टी
23.	2277	कल्पना, पुत्री स्वामी धुम्बी मुन ब्लॉक, नं. 661/ई० नवा यार्ड "डी" कैबिन बडौदा, गुजरात-390002	12/06/61	11
24.	4496	जोशी जयन्तीलाल, पुत्र दिलसुखराय पो० बागथाला ताल मोरवी जिला-राजकोट, गुजरात-363641	11/04/62	इन्टरमीडिएट
25.	1072	परमार गुलाब सिंह, पुत्र जयसिंह पो० नथा जोयला वाया पोसलिया जिला-सिरोही गुजरात-307028	4/03/65	एस.एस.सी
26.	1915	रामजी मगनलाल बारादवा, पुत्र मेगनलाल कोदियार कालोनी नजदीक पुणेश्वर मंदिर डामजी गाई एच, जामनगर, गुजरात	9/16/62	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
27.	2337	दानू और प्रभात, पुत्र मुलूभाई अन्धेजन तालिम केन्द्र ऐरोडरोम रोम, जामनगर, गुजरात-361006	6/16/67	एस.एस.सी
28.	3602	कमल काम्बले, पुत्र गोवतम काम्बले 730 ई. वार्ड विनायक अपार्अमेंट शाहुपुरी तीसरी लेन कोल्हापुर -416001	6/21/67	इन्टरमीडिएट
29.	3674	उषा रामराव, पुत्री रामराव दत्तातराता प्लाट नं. 55-31 परफैक्ट सर्किल एमआईडीसी सतपुई नासिक के पास -422007	2/23/61	9
30.	3781	औहाज संजय, पुत्र औहाल डग्डु देवलालीगांव सिद्धार्थ रोड रजवाड़ा नासिक रोड ताल नासिक, -422101	11/1/62	8
31.	4375	दलपत, पुत्र भगवत सिंह, सी टाइप हाउस ब्लाक नं.125/2 सेक्टर-30 गांधी नगर	12/01/63	इन्टरमीडिएट
32.	5144	मोबीन, पुत्र अब्दुल मजीद हाउस नं० 5498, मालीवाडा कोर्ट रोड, कपाडगंज, जिला-खेडा, गुजरात	3/12/73	एस.एस.सी
33.	2086	दर्जी भादरलाल उडेालालजी, पुत्र दर्जी उडेलालजी के.आर, पो. बजसम धियाला वाया कस्तुरबा धाम, जिला-राजकोट, गुजरात-360020	10/1/60	इन्टरमीडिएट
34.	2424	कोर्दिया रमणीकलाल एन०, पुत्र नरायणभाई जे० जुथल मंगरौल वाया मालिया, जिला-जुनागढ गुजरात-362247	5/11/69	बी.ए.
35.	2568	मणे अशोक दिगम्बर, पुत्र मणे दिगम्बर रामचन्द्र गांव/पो० माहपुर, तहसील लातुर, जिला-लातुर, महाराष्ट्र-413527	4/22/65	एस.एस.सी
36.	3865	नन्दू ठाकुर, पुत्र ताम दास ठाकुर, रामपेठ हाउस नं० 19, भाई गली जलगांव जिला-जलगांव, महाराष्ट्र-425001	12/12/68	एस.एस.सी
37.	4422	धोरिया बच्चुभाई, पुत्र धोरिया सूमोभाई ब्लाइंड वेलफेयर कौंसिल, 47 ए मिडिल क्लास बडौदा, गुजरात-390002	2/28/60	एस.एस.सी.
38.	5355	लक्ष्मण चोखाजी बी०, पुत्र चोखाजी यंशवंत, सिद्धार्थ नगर रमा शंकर तिवारी, चालू खार बम्बई, महाराष्ट्र-400051	1/01/59	8
39.	1867	रमेशभाई रवियाभाई, पुत्र रवियाभाई आर पटेल, डोकमर्डि वच्चीपा रोड, अपटीक फार्म के नजदीक, सिलवासा,दादर व नगर हवेली-396230	10/8/58	9
40.	2331	पटेल रमेश, पुत्र कालीदास, अंधजन तालीम रोड, ऐरोड्रोम रोड, जामनगर, गुजरात-361006	6/01/63	एस.एस.सी
41.	2417	सन्डरोज डी सुजा, पुत्र एस.ई. एम. डिसुजा डी-15 बी.ए.आर.सी. कालोनी सियन ट्राम्बे रोड मंडाला, बम्बई, महाराष्ट्र-400088	4/22/65	एस.एस.सी
42.	3603	अशोक सुतर, पुत्र गुंडु सुतर पोस्ट-उदागौन, तहसील सिरोल, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416134	4/24/68	इन्टरमीडिएट
43	4352	भारवड हीरामाई पुत्र देवमाई, सार्वजनिक छात्रालय, गुबरी रोड गालनपुर जिला वंशकान्ठा, गुजरात-385001	6/01/70	एस.एस.सी
44.	4360	परमार दिनेश भाई पुत्र परमार दहिया भाई, 20 अशोदियानगर सोसयटी रामेसाहिब पहाड़ के नजदीक, भारगे रोड मेघनी गुजरात-380016	12/166	एस.एस.सी
45.	4366	दयालजी सर्पाता पुत्र मेघजी भाई, अंधजन कल्याण केन्द्र कान्त स्टेशन के सामने विकासगृह राजकोट 2 गुजरात	8/12/68	इण्टरमीडिएट

1	2	3	4	5
46.	4370	वांकर रमेश भाई, पुत्र वांकरमहीजी भाई गांव–गममीरा वांकरवेश, तहसील बोरशाद, खेडा गुजरात-388525	9/01/66	इण्टरमीडिण्ट
47.	2085	संधी सलीम, पुत्र मीघुभाई गोंदल, 8 भगवत पारा, दतार बापुर के नजदीक, दरगाहा, गुजरात-360311	3/15/67	इण्टरमीडिएट
48.	2199	गजानाम बी. चावन, पुत्र भीमराव रामराव चावन, गांव व पो. मंगरूल, नवघेरी, तहसील चिखली, जिला बुदाना, महाराष्ट्र-444303	1/28/68	एस.एस.सी
49.	3782	अशोक शंकर पुत्र शंकर शिवराम 3/41 बी.के,टी.चावली, के.के. मार्गा जैकब सर्किल बम्बई, महाराष्ट्र-400011	3/11/65	8
50.	3860	निधीन सुतार सुखदियो पुत्र सुतार एम.फूले नगर मामाली थियेटर के पीछे, भूसावल जलगांव, महाराष्ट्र-425201	12/29/67	एस.एस.सी
51.	4424	मान सिंह राम सिंह ठाकुर पुत्र राम सिंह ठाकुर ब्लाइंड वेलफेयर कौंसिल मिडिल क्लास सोसायटी, फत्तेयुंग बडौदा, गुजरात-390002	4/06/63	एस.एस.सी
52.	5182	सरजेराव, पुत्र धावले गांव व पो० वामबोरी, तहसील-राहुरी जिला-अहम नगर, महाराष्ट्र-413704	5/2/60	एस.एस.सी
53.	3790	मोजार सीताराम रामचन्द्र पुत्र रामचन्द्र महादेव, कमरा नं. 4 ताकियावाड कुरला धनराज मेघरा मारवाड़ी चाल बम्बई, महाराष्ट्र-400070	3/03/69	9
54.	2339	चौहान जिलुभाई पुत्र रूप सिंह भाई उंघजन तालिम केन्द्र ऐरोड्रम रोड, जामनगर गुजरात-361006	6/06/65	एस.एस.सी
55.	2852	कोर्दिया मगनलाल नरायण पुत्र कोर्दिया नरायण पो. जुथाल, तहसील मंगरौल, जिला जुनागढ़, गुजरात-362245	8/14/70	एम.ए.
56.	3607	राजेन्द्र गुरुले पुत्र जानु गुरुले 409, मंगलवाड पेठ समर्थ मंदिर सतारा के पीछे, महाराष्ट्र-415001	8/28/65	8
57.	4363	गोपानी रजवी पुत्र नरान भाई ए-321 सुबलक्ष्मी, वस्तरापुर, अहमदाबाद गुजरात-380015	7/04/69	इण्टरमीडिएट
58.	1028	श्रीराम एस, पुत्र श्रवण उपथले टी.सी.ए.बी., एन.आई.वी.एच. 116 राजपुरा रोड, देहरादून, उ०प्र०	8/23/69	एस.एस.सी
59.	2030	आसिफ खान पठान, पुत्र अहमद खान पठान 30, नूर-ई 5 अहमदी, सोसाइटी शाह आलम गेट के सामने, अहमदाबाद, गुजरात-380028	7/06/67	9
60.	2039	संदपा विक्रम मांजीभाई, पुत्र संदपा मांजीभाई एस. कालीपट, पो० कस्तूरबा धाम जिला–राजकोट गुजरात-360020	9/01/61	एस.एस.सी
61.	2332	जेठवा गोविन्द भाई बी. पुत्र जेठवा बी. बिजल भाई, ह्थाब, तहसील जिला भाव नगर वाया कोलियक, गुजरात-364070	6/01/61	एस.एस.सी
62.	3776	कमलाकर मारुति, पुत्र कमलेकर लक्ष्मण कैंट्रोनमेंट चाल, गुरूद्वारा रोड, देवलाली नासिक महाराष्ट्र-422401	3/05/65	9
63.	3788	प्रमोद आर. मिस्त्री, पुत्र राजाराम जी मिस्त्री 143/3907, पंत नगर, घाटकोपार, बम्बई, महाराष्ट्र-400075	6/06/68	8
64.	5095	गोस्वामी भीमघर पुत्र शमुघर, कच्छ विकास ट्रस्ट, पो. नागौर भुज कच्छ, गुजरात-370001	6/01/61	इण्टरमीडिएट

1	2	3	4	5
65.	1714	बैंकवाड धोनदिवा पुत्र बैंकवाड राउत सेठी, ग्राम पोस्ट वैलता, तहसील साउथ शोलापुर, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र	9/29/60	9
66.	1721	कुरेसी दिलावर अलीबाबा पुत्र कुरेशी अली भाई एस. अंधजन तालिम केन्द्र, ऐरोड्रम रोड जामनगर, गुजरात-361006	9/06/62	एस.एस.सी
67.	2334	मकवाना दिनेश पुत्र जीवा भाई, अंधजन तमिल केन्द्र, ऐरोड्रम रोड, जाम नगर, गुजरात-361006	7/29/77	एस.एस.सी
68.	2340	परमार नरायण पुत्र गोकलभाई, अंधजन तालिम केन्द्र, ऐरोड्रम रोड, जामनगर, गुजरात-360006	5/05/70	एस.एस.सी
69.	2430	वाघ नवनाथ एस.पुत्र सखाराम, ग्राम वाघवाडी, पो० लोहगांव, निवासा जिला अहमद नगर, महाराष्ट्र-414607	1/01/69	इण्टरमीडिएट
70.	2570	जाला चान्दुभा बजुभाई, पुत्र वजुभाई ब्लाइंड मैनस वेलफेयर एसोसिएशन, कांता स्त्री विकास गृह के सामने, राजकोट गुजरात-360002	1/20/63	एस.एस.सी
71.	2916	प्रकाश राम जी जादव पुत्र रामजी निम्मा जे. ग्राम व पोस्ट-माणे गांव तालुक सिनार जिला-नासिक, महाराष्ट्र	9/05/66	9
72.	3201	संजय एकनाथ राव काले पुत्र एकनाथ राव मोती रामजी काले, गांव-भांगखेडा खुर्द, जिला-अमरावती महाराष्ट्र	6/13/73	इण्टरमीडिएट
73.	3211	सुनन्दा राम जी सुरजोशी पुत्र रामाजी सुरजोशी गांव/पो० रजोरा बाजार, तह. वोरोड जिला-अमरावती, महाराष्ट्र	7/10/70	एस,एस,सी
74.	3870	बसन्त वाघ पुत्र नामु वाघ पो. लासूर, तह,-चोपड़ा, जिला जलगांव महाराष्ट्र	12/14/58	9
75.	4376	अशोक समपुरा पुत्र नटवर लाल, ग्राम-वधवान, तह, वधवान, जिला सुरेन्द्रनगर गुजरात-363090	12/06/73	एस.एस.सी
76.	2189	प्रकाश दागदू के पुत्र दागदू विघोबा के० ग्राम व पोस्ट-देवधाबा तहसीह, मल्कापुर जिला-बुल्दाना, महाराष्ट्र-443101	7/07/58	9
77.	2329	मिभानी बालुभाई पी पुत्र मिभानी पोपड भाई आर. अंधजन तालीम केन्द्र, ऐरोड्रम रोड, जामनगर गुजरात-361006	4/10/61	एस.एस.सी
78.	2927	नवनीत भाई डी. सुरती पुत्र देवती भाई आर. सुरती भाई, ग्राम व पोस्ट सियड वाया सरमोन, पलसाना जिला-सूरत, गुजरात	2/23/65	इण्टरमीडिएट
79.	3185	राजाराम पी. गुंडाले पुत्र प्रभाकर शंकर गुंडाले, संतोष किराना स्टोर, आजाद नगर कोलसेफ रोड, थाणे, महाराष्ट्र-400607	9/6/68	8
80.	3675	राजेन्द्र मोहन गांगुरदेव पुत्र, मोहरादी गांरदे चाल नं. डी. कमरा.15 फुलेनगर, पेठरोड पंचवटी, नासिक, महाराष्ट्र-422003	10/02/70	8
81.	210	श्रीराम सिधंल पुत्र श्याम राम सिधंल पोस्ट-नेताजी बाजार, जिला-थाणे महाराष्ट्र-421505	3/01/69	एस.एस.सी.
82.	782	विनायक वसांतरेव पी.पुत्र प्रकाश वसन्त राव एस नं.198/5/ वाएरे गली शिवाजी रोड, नासिक, महाराष्ट्र-425505	9/03/66	8
83	1131	पटेल उमेशकुमार पुत्र पटेल परषोत्तमदास फ्लैट नं. 101 ब्लाक-2 शिव सुखी हाउसिंग काम्पलेक्स, थाने, महाराष्ट्र-421102	1/05/74	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
84.	1240	राजकुमार ए. साल्वी पुत्र अंघोनी जे. 1921,न्यू भेंडीपाडा, बादलपुर रोड, अमरनाथ जिला-थाणे, महाराष्ट्र-421505	11/06/71	11
85.	1660	खोलकुम्ब बालासहेन एस. पुत्र खोलकुम्बे श्रीपाल आर. ग्राम व पोस्ट मालगांव तह. मिर्जा, जिला-सांगली, महाराष्ट्र-416407	8/30/67	एम.ए
86.	1700	चावदा सुमन भाई पुत्र परषोत्ततदास बी/I- जय शक्ति कालोन अरबुदा नगर के सामने, अहमदाबाद, गुजरात,-382415	5/15/64	9
87.	1705	काम्बले मोहन पुत्र यादव, गांव व पोस्ट-दानीताने, तह. अक्कालकोट जिला-शोलापुर, महाराष्ट्र	12/05/69	एस.एस.सी
88.	1720	नन्दानिया मारखी देवायात पुत्र नन्दानिय, देवायात आर. अंधजन तालीम केन्द्र ऐरोड्रम रोड, जामनगर, गुजरात-361006	8/20/67	एस.एस.सी
89.	2081	व्यास भारत मोहनलाल पुत्र मोहनलाल गौरीशंकर ईश्वरकरूपा, 5, रामनगर गोंदल रोड, राजकोट, गुजरात-360002	3/15/58	एस.एस.सी
90.	2480	अशोक कुमार एस. पुत्र शानाभाई, ग्राम व पोस्ट-पौर, जिला-गांधीनगर गुजरात-382421	6/01/63	एस.एस.सी
91.	4377	देवही केसु भाई पुत्र जैसिंग भाई, मोटा फालिया घोदासर, निबुफाडी दशकोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात-382433	6/01/67	एस.एस.सी
92.	2194	कमल सचरू बोरकर, पुत्र कचरू बोरकर, ग्रांम/पो० मेरा खुर्द, तह.डी. राजा जिला-बुल्दाना, महाराष्ट्रं महाराष्ट	10/14/67	11
93.	2201	श्रीकृष्ण विथोवा टी०पुत्र विथोवा यादव टी० ग्राम/पो० गुंज तह, सिंघखेड राजा, जिला बुलदाना, महाराष्ट्र-443202	5/03/69	एस.एस.सी
94.	2333	दुआ पर्वत पुत्र जेठा भाई, अंधजन तालीम केन्द्र, ऐरोड्रम रोड, जामनगर गुजरात-361006	3/05/73	एस.एस.सी
95	2335	सिद्धपुरा मनसुख पुत्र मगनलाल, अंधजन तालिम केन्द्र, ऐरोड्रम रोड, जामनगर गुजरात-3610006	3/02/70	एस.एस.सी
96	2527	पंखवानी अनवराली आ. पुत्र-पंजवानी आर. भोगनी स्ट्रीट, आगाखान हल्थ सेंन्टर, राजकोट गुजरात-360001	12/19/62	8
97.	3770	हबीबुर प्रेमई पुत्र हबुल हसम, 6/200 मस्जिद इस्टेट पाइप रोड कुर्ला, बम्बई, महाराष्ट्र-400070	12/15/67	9
98.	3606	अजय वानकुदें पुत्र बापुसो वानकुदे प्लाट नं० 20, एच.नं० 2365, बुधवार तालिम कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416012	10/24/70	9
99.	3876	रमेश गनपत पुत्र-गनपत हैवाते, पो० हरैगांव (डी 56 बी.) ताल श्रीरारपुर जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र-413718	2/08/73	इन्टर
100.	4356	पुंजाजी पुत्र वर्वाजी ठाकुर, ग्राम किमबुबा टालपाटन, जिला-मेहसाना, गुजरात-380015	6/01/72	एस.एस.सी
101.	1699	चन्दा दमायन बोवेन पुत्र नंजीभाई, 60 गंदीकुंज सोसाइटी, मंवदरपुरा रोड, अम्बावाडी, गुजरात-380015	6/01/59	9
102.	1988	दन्तु शेषराव पुत्र शेषराव शामराव डी० गणेशपेठ, जुम्मा ठैक वार्ड नं. 6 नागपुर–18 महाराष्ट्र	6/26/69	9

1	2	3	4	5
103.	2090	धीरजीलाल कुरजीभाई डी० पुत्र कुरजीभाई बी.डी. भादुली, वायस गधदा,टी. जासदन, जिला राजकोट, गुजरात-364750	6/01/71	एस.एस.सी
104.	2188	पन्धारीनाथ वी०एस० पुत्र विथोबा कारोती सूर्यवंशी, ग्राम व पोस्ट हिवरखेड तह. सिंदेखेड, जिला–बुल्दाना, महाराष्ट्र-443103	7/05/70	इन्टर
105.	3187	लागड हरि मारूति पुत्र लागड मारूति केरू, ग्राम/पो. ताकेड़ तालूक-इगतपुरी, जिला-नासिक, महाराष्ट्र	6/29/69	एस.एस.सी
106.	3192	संजा एम० देवीभक्त पुत्र मुरलीधर सी० देवी भक्त, नेताजी चौक, चालीस गांव जिला-जलगांव, महाराष्ट्र-424101	19/9/64	एस.एस.सी
107	3608	संजय भण्डारे पुत्र अन्दा भण्डारे, पो०नरान्दे, तह, हटकानान्गेल जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416116	10/05/71	9
108.	1132	शिम्पी सरला नारायण पुत्री नारायण बन्डु शिम्पी, लेन-7, हाउस नं० 4456, देवपुर धुले, महाराष्ट्र-424002	6/01/73	एस.एस.सी
109.	1288	छाया शेल्के पुत्री माधवी ग्राम-बडाला महादेव पो. टाल श्रीरामपुर, जिला-अहमदनगर महाराष्ट्र-413709	7/16/69	एम.ए
110.	1404	अवणीत दुर्लभ पुत्र अपर्णाति समगिरि एस. मार्फत अंधजन कल्याण ट्रस्ट, धोराजी, जिला, राजकोट, गुजरात-360410	8/15/69	इन्टर
111.	2028	जोशी जितेशभाई पुत्र बाबुलाल दुर्लभ जी जोशी, 680/4450, निकोल रोड चार रास्ता न्यू बापूनगर गुजरात	9/19/72	8
112.	3891	सुनील जोशी पुत्र लक्ष्मण, पो. पढेगांव, ताल-श्रीकामपुर जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र-413721	7/19/73	एस.एस.सी
113.	4382	क्रिश्चियन रेनीशन पुत्र बरानवासभाई बकुलप्राक बुहरेमुर एम.यू.एम. स्कूल नं. 3 के सामने, अहमदाबाद, गुजरात-380022	7/14/73	एस.एस.सी
114.	1487	मौ० अंसूल हगुआ पुत्र अब्दूल गनी, एन.एस.डी. इन्डस्ट्रीयल होम फार दि ब्लाइंड, कॉटन ग्रीन, बम्बई, महाराष्ट्र-400033	1/04/73	9
115.	2481	शशिकांत म्हातुडे पुत्र महातुगडे, ग्राम व पो. सबरदेब्क, टाल कंगाल, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र	8/03/71	इन्टर
116.	3793	गायकवाड़ रविन्द्र पुत्र सुधाकर गायकवाड़, न्यू बी.डी.डी.चाल नं. 20 बी/ 55, बी.टी.देवरुखर रोड, दादर, बम्बई, महाराष्ट्र-400014	12/20/62	8
117.	4353	जीवन भाई पुत्र महादेव भाई, सार्वजनिक छात्रालय, गोबारीरोड, पालनपुर जिला-बानस कन्या, गुजरात-385001	11/19/73	इन्टर
118.	4362	वकर पुंजाभाई पुत्र वंकर बालाभाई, पो. छाबोव, वाया देमोई, जिला-साबरकन्था गुजरात-383330	6/01/65	9
119.	1014	कैलाश तुकाराम अम्बुलकर पुत्र तुकाराम अम्बुलकर टी.सी.ए.बी. एन. आई,बी.एच. 116 राजपुर रोड, देहरादून उ०प्र०-248001	4/04/70	एस.एस.सी
120.	1230	सिंधे अकुश पन्दुरंग पुत्र पंदुरंग नामेव शिन्दे ग्राम/पो. सोनवती, जिला-लातुर, महाराष्ट्र-413531	9/11/59	इन्टर
121.	1674	समैया कलययया नालगुन्टा पुत्र मलययया सुकया नालगुन्टा, एन.एस.डी. इन्डस्ट्रीयल होम एफ./टी ब्लाइन्ड, बी. पी.टी.,फ्लैट-के 164 बम्बई महाराष्ट्र	10/25/70	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
122.	2080	मांजी रामजी चुड़ासम पुत्र रामजी रूड़ चुडासम ग्राम/पो. निलाखा, तह. उपलेता, जिला-राजकोट गुजरात	2/15/62	इन्टर
123.	2178	युवराज सखाराम पाटिल पुत्र सुखराम वी. पाटिल, ग्राम/पो० धनवाड़, जिला जलगांव, महाराष्ट	6/01/67	9
124.	2330	नकुम पनछोड़ पुत्र कालू भाई, अंधजन तालिम केन्द्र, ऐरोड्रम रोड़ जामनगर, गुजरात-361006	9/13/67	एस.एस.सी
125	246	मोची नरेश भाई एं. पुत्र मोची अम्बालाल दया भाई, अंधजन तालीम केन्द्र, ऐरोड्रम रोड जामनगर गुजरात-361006	6/17/62	एस.एस.सी

समूह 'घ' रिक्तियों के लिए चुन गए उम्मीदवारों की सूची–पूर्व क्षेत्र (अवरोही क्रम में योग्यता)

रैंक	रोल नं.	नाम	जन्म तिथि	शिक्षा
1.	1042	अमिता घोष, पुत्र सुकुमार घोष, 4 डी.एन. राय, नादिया, पो.ओ. शान्तिपुर, नादिया पश्चिम बंगाल-741404	11/12/96	8
2.	2429	भावेन्द्र नाथ कुमार, पुत्र हरेश्वर कुमार, विला दीमू, पो.ओ. सूद्रदीयू, जिला कामरूप, असम	8/01/68	आई.एन.टी
3.	965	सुकान्ता घोष, पुत्र सुकुमार घोष, 14, डी.एन.राय,रोड, पो.आ. शान्तिपुर पश्चिम बंगाल-741404	4/0/9/73	आई.एन.टी
4.	1029	सरवेश्वर साहू, पुत्र काली साहू, टीसीएबी, एनआईवीएच, 116, राजपुर रोड, देहरादून, उ०प्र०-2480001	1/03/63	एस.एस.सी
5.	1097	संजय कुमार पुत्र राम चतन राम, मकान नं. 52/2/3, पो.ओ. छोटू गोबिन्दपुर जिला पूर्वी सिहंभूम बिहार	10/15/71	एस.एस.सी
6.	1439	विष्णु प्रिया कर पुत्र मोती लाल कर, पो. ओ./गांव प्रीतीनगर, जिला नादिया	4/02/68	8
7.	3709	समर राय, पुत्र ओम ओम भान, अन्ध विद्यालय, बसासलथा गुवाहाटी, असम	7/03/71	आई.एन.आई
8.	2281	अविनेश चन्द्र सिकधर, सपुत्र जोगोश चन्द्र सिकधर, ग्राम गोभा शान्तिनगर, पो.ओ. गोभा. (हावड़ा-2) जिला -24 परगना (उत्तर) पश्चिम बंगाल	5/15/59	8
9.	4324	शरत चन्द्र दास, पुत्र बी.बी. रमनदास, घर संखा एम -44 फेज-7 चन्दशेखरपुर सेलाश्री भुवनेश्वर, उडीसा-751016	4/16/59	एस.एस.सी
10.	1392	नवाव बोस, पुत्र नारायण चन्द्र बोस, स्वामी विवेकानन्द रोड, विद्यासागर सरानी-I, पो. आ. बिराती, कलकत्ता पश्चिम बंगाल	10/9/69	आई.एन.टी
11.	1455	माणिक डे, पुत्र सुनील कुमार डे, गृहमनगर-2, पो.ओ. श्याम नगर, उत्तरी, 24 परगना, पश्चिम बंगाल	1/01/73	आई.एन.टी
12.	1616	रिंकू रानी डे, पुत्र कानै लाल डे, 203 राय बहादुर रोड, पो.आ. बेहला, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	10/12/71	आई.एन.टी
13.	1620	अशोक कुमार, पुत्र जयनारायण सिंह, ग्राम पो.ओ. शंकर दिहा, जिला नालन्दा, बिहार	9/16/67	आई.एन.टी
14.	1981	दुखक्षा मंजन कार पुत्र सेजीलाल कार, ग्राम बंधगा, पो.आ. भूदानपुर, जिला बंकुरा, पश्चिम बंगाल	1/02/66	आई.एन.टी

1	2	3	4	5
15.	2001	बिमल कुजर पुत्र, रोबिन कुजर, एसडीए स्कूल, पो.आ. करमातार, जिला दुमकर, बिहार	4/18/60	एस.एस.सी
16.	2688	प्रताप हजारिका, पुत्र जयलोश हजारिका, पो.ओ. गुवाहाटी, ग्राम उत्तर गुवाहाटी, मझगांव, जिला कामरूप असम	3/11/68	आई.एन.टी
17.	2949	ललिता पाडे, पुत्र शिव नारायण राय, आर.प. 3, नेत्रहीन, छात्रावास मिन्टों परिसर, पटना, बिहार	2/2/65	एस.एस.सी
18.	3999	प्रनाब वारडोल पुत्र भावा देव, ए.आई.आर. जीएचवाई-3 चांदमारी, जीएचवाई, असम	5/15/73	आई.एन.टी
19.	4153	फटीक चन्द बर्मन, पुत्र विमगमा, ग्राम कैटाटी, पो.आ.सोलमारा जिला नलैमी, असम	5/12/73	आई.एन.टी
20.	4391	तनमय मित्रा, पुत्र करूधी राम, 27, शरत चन्द्रराय, पो.ओ औथपुर, जिला 24 पीजीएस (उत्तर) पश्चिम बंगाल	5/28/67	आई.एन.टी
21.	4971	बलबीर सिंह, पुत्र एस शिव सिंह, ब्रहनानी तरंग की पिछली ओर, पुलिस स्टेशन वेद ब्यास राउरकेला, उड़ीसा	2/08/59	एस.एस.सी
22.	1040	शुभ्र दास, पुत्र अनैय लाल दास, म. 119 जगुदास पारा, पो.ओ./जिला हुगली पश्चिम बंगाल	1/08/59	8
23.	1046	गुरू प्रसाद दास, पुत्र दघी बल दास, 67, जैनेस रोड, लिलूहा, जिला हावडा, पश्चिम बंगाल	8/22/60	8
24.	1119	खोखन अली शेख पुत्र लालू अली शेख, 117/ सी, बी.बी. चटर्जी रोड कस्बा वालिका, विद्यालय कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	3/03/74	आई.एन.टी
25	1184	तरूण कुमार, पुत्र गांगुली, आर क्यूआर नं. 316, के एल बुद्धा रेलवे कालोनी, आसनसोल, जिला	1/05/63	आई.एन.टी
26	1209	तपन कुमार राय, पुत्र आशुतोष राय, ग्राम अलीपुर पो.ओ. खेपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	2/05/66	बी.सी.ओ.एम
27	1994	रंजीता पांडा, पुत्र नाजारियजा फोर्दा, मातमपुर, गासमपुर, पत्रापुर, जिला नेतम, उड़ीसा	10/08/66	आई.एन.टी
28	2230	डोल गांबिन्दा साहू, पुत्र रामचन्द्र साहू, एटी कांदला पो.ओ. मुधसूदन, जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	5/15/68	आई.एन.टी
29	2421	लियाकत अली खान पुत्र सूद अली खान, ग्राम फरीदपुर, पो.ओ. गोपालनगर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	11/25/70	एस.एस.सी
30	2428	सुरेन्द्र कुमार इलाई, पुत्र गोपीनाथ इलाई, ग्राम सोती, पो.आ. हथसाही, शंखाचिला, जिला कटक, उड़ीसा	3/05/61	9
31.	2516	सुरेश कुमार गिरी, पुत्र राम नंदन गिरी, ग्राम शर्मा मठ, पो.ओ. उस्मानचाक, मसौटी, पटना बिहार	1/12/63	8
32	2635	चांदरेश्वर प्रसाद पुत्र हरिहर शाह, ग्राम/पो.ओ. चापिया, थाना मशरक, जिला सरन, बिहार	10/14/64	8
33	2687	शंकर राय, पुत्र मुकुन्द बिहारी राय, मकान नं. टी/ 47 /डी रेलवे कालोनी, पान बाजार, गुवाहाटी, असम	10/27/71	६

1	2	3	4	5
34.	2957	सतेन्द्र पंडित, पुत्र रामेश्वर पंडित ग्राम सुमारा, पो.आ. मलाथे, जिला जहानाबाद, बिहार	1/13/71	एस.एस.सी
35.	3112	आरती नाथ (सेन), पुत्र दीनबन्धु सेन, राजा रोड, पो. आ. कृष्णा नगर, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल	11/05/63	8
36	3705	शेख शाह आलम पुत्र शेख किरमित अली, दुखीला पैक पारा, पो.आ. नरेन्द्रपुर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल	12/31/67	8
37	4191	माणिक बाल, पुत्र सुरेन्द्र नाथ बाल, ग्राम जायपल, पो. आ. जायपल, जिला उत्तर 24 परगना पश्चिम् बंगाल	9/05/60	8
38	3915	मदन मोहन मंडल, पुत्र तारापाढा मंडल, 150 के.जी.आर. पाथ (एन), पो. आ. कांचरापारा, जिला 24 परगना (उ) पश्चिम बंगाल	11/19/68	आई.एन.टी
39	176	प्रकाश चन्द महन्तो, पुत्र महावीर महन्तो, नेत्रहीन छात्रावास आर नं. 2 मोसच, पटना, बिहार	3/10/72	एस.एस.सी
40.	225	राजदेव महन्तो, पुत्र बच्चा महन्तो, गांव तथा पो.आ. कैथाही, मायाराम पाट्टी जिला मधुवनी, बिहार	1/04/69	एस.एस.सी
41	239	सुचेन्द्र बेघोपाध्याय, पुत्र अनिल कुमार बनर्जी, पो.आ. हलीसहर, जिला 24 परगना (उ) प.बंगाल	10/15/68	एस.एस.सी
42.	804	सर्वेश्वर पांडा, पुत्र राजकिशोर पांडा, ए. 8/ पो.आ. गोबिन्दपुर, बरास्ता मरीथापुरल, जिला ढेंकानाल, उड़ीसा-759023	8/15/68	एस.एस.सी
43.	806	दीपक कुमार वर्मा, पुत्र कमला प्रसाद वर्मा मोह. जयालपुर, पो.आ. शेखपुरा, जिला शेखपुरा, बिहार-811105	3/15/74	एस.एस.सी
44.	1041	मिथू रूद्रा, पुत्र पाचू गोपाल, 1/27 अशोनगर, पो.आ. राजेन्द्र पारू, कलत्ता, पश्चिम बंगाल	6/10/67	8
45.	1048	मोसरफ अली सरदार पुत्र मोहसीन अली सरदार, ग्राम पारा पांचीला, पो.आ. पांचीला, जिला हावडा, पश्चिम बगाल	9/01/64	9
46.	1193	रूपा भद्रा, पुत्र अरूण कुमार भद्रा, श्यामा प्रसाद नगर, पैकपारा रोड निमती (एन) कलकत्ता	4/01/71	आई.एन.टी
47.	1489	राम प्रसाद महतो, पुत्र सरयुग महतो, ग्राम रामपुर सिबा, पो.आ. रखवारी, जिला मधुबनी, बिहार	8/05/74	एस.एस.सी
48.	1534	अमलेश कुमार चौधरी पुत्र शोभा कान्त चौधरी, ग्राम मिशरौली, पो.आ. कांशी सिमरी, जिला दरभंगा, बिहार	3/05/74	आई.एन.टी
49.	1566	चन्द्रवर महतो पुत्र वदी महतो, 5, जगदीश मिशरौली, पो.आ. मिशरौली, जिला वैशाली, बिहार	8/06/66	8
50.	1571	रमेश वर्मन पुत्र गजेन्द्र नाथ पो.आ. नातावाड़ी, ग्राम मूचूंगमारी, जिला कूच बेहार, पश्चिम बंगाल	11/12/73	एस.एस.सी
51	1615	लेयान कुमार मजूमदार पुत्र कमल रंजन मजूमदार, ग्राम तारापुकुट पश्चिमी पो.आ. आगरापारा, जिला 24 परगना (एन) पश्चिम बंगाल	10/15/65	8
52.	1658	लक्ष्मीधर साहू, पुत्र भानायानवन साहू, ग्राम/पो.आ. वैसिया, वाया महिमागढी, जिला धेनकनाल, उड़ीसा	4/27/68	आई.एन.टी

1	2	3	4	5
53.	2070	सैयद जावेद, अहमद पुत्र सैयद मोहम्मद मंजूर, ए. म.सं. 153/ ए. द्वितीय एवेन्यू कंचरापारा, जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल	1/14/64	बी.सीओ.एम
54.	2437	मकसूद वानो, पुत्री अबदुल मौकिद, ग्राम पुरबाग्राम, पो.आ. सलार, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	1/04/71	8
55.	2677	गौड गोविन्द चक्रवर्ती पुत्र गोपाल चन्द्र चक्रवर्ती बी./पोस्ट जोगेन्द्र नगर महाशक्ति संघ के नजदीक, गरतला, त्रिपुरा	10/24/66	8
56.	2819	अनिता राय, पुत्री केशव लाल राय 185/एन, कालीपाड़ा मुखर्जी रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल-700008	3/01/63	इन्टर
57.	2961	अलुदीन मियां पुत्र सुग्रानी मियां, सेवा सदन अंध विद्यालय, बड़ातल्या, छपरा, बिहार	7/30/74	एस.एस.सी
58.	3615	समीर कुमार दत्ता पुत्र मनिन्द्र नाथ दत्ता, ग्राम-जगत नगर, जिला-हुगली पश्चिम बंगाल-712409	4/03/62	9
59.	3617	चन्दन मुखर्जी पुत्र-संतोष मुखर्जी, ग्राम-खासपुर,पो. देयासीन, जिला, वर्दवान, पश्चिम बंगाल	5/24/72	8
60.	3971	दीपेन चन्द्र तालुकदार पुत्र-रोबिन तालुकदार, पोस्ट पिलिंगकाटा, जिला कामरूप-28	7/0/5/74	एस.एस.सी
61.	4198	सुदीप्रक अधिकारी पुत्र रामचन्द्र अधिकारी सुख्ती एस.एम. पोली एस.पो. मालडां जिला-मालडा पश्चिम बंगाल-732101	10/14/66	8
62	4303	गोपाल चन्द्र गायेन पुत्र भूपेन्द्र नाथ, ग्राम दक्षिण नगरतला, नगरतला जिला-24 पी.जी. एस. (एस) पश्चिम बंगाल-743376	5/08/74	इन्टर
63	4393	पादला सतीश कुमार पुत्र पादला रूकमांगदक, ब्लाक नं. 124/12, यूनिट -3, जयहिन्द नगर निमपुरा, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	9/07/71	एस.एस.सी
64.	3503	लिखा दासगुप्ता पुत्री डी.के.दास गुप्ता श्रीवर्द्धन पल्ली पोस्ट ठाकुरपुकुर कलकत्ता, पश्चिम बंगाल-700063	10/29/72	इन्टर
65.	177	रबीन्द्र प्रसाद सिह पुत्र विश्वनाथ राय, ग्राम व पोस्ट-सूरीगढ़ जिला–लखीसराय, बिहार-811106	1/01/65	एस.एस.सी
66.	183	शंकर कुमार शर्मा पुत्र मुसन मिस्त्री, नेत्रहीन छात्रावास कमरा. सं० 5, पटना कालेज, पटना बिहार-800005	6/07/74	एस.एस.सी
67.	159	पवन कुमार ठाकुर पुत्र सत्यनारायण ठाकुर ग्राम-विष्णुपुर, जिला-बेगुसराय, बिहार-851129	11/23/65	एस.एस.सी
68.	314	प्रमोद प्रसाद सिंह पुत्र गजाधर प्रसाद सिंह ग्राम/पोस्ट पकरीया बन्दा जिला-भागलपुर बिहार.-812007	10/12/70	एस.एस.सी
69.	728	बिजोन कुमार भाष्कर पुत्र बामा चरण भाष्कर ग्राम/पो. नालिकुल, जिला-हुगली पश्चिम बंगाल-712407	12/23/59	11
70.	850	रामजतन पंडित पुत्र शनिश्चर पंडित ग्राम/पो. मियारी, वाया दलसिहसराय जिला, समस्तीपुर, बिहार-848114	1/15/66	इन्टर
71.	1026	तुनिया दास पुत्री डी.के.चौधरी टी.सी.ए. बी.एन.आई.पी.एच. 116 राजपुर रोड, देहरादून उत्तर प्रदेश-248001	7/16/72	इन्टर

1	2	3	4	5
72.	1049	सितल चन्द्र घर पुत्र निताई चन्द्र धर, ग्राम करूणाचक पो. राधाकान्तपुर जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल -721211	12/20/68	8
73.	1088	दीपांकर दास पुत्र राधानाथ दास, पो. नीमता दुर्गानगर, कलकत्ता पश्चिम बंगाल -700049	6/25/70	बी.ए
74.	1103	मानसी सिंह राय पुत्री सुनील सिंह राय, 116/25, एस.के देव रोड, 5 वां बाईलेन, पाटीपुकुर, कलकत्ता पश्चिम बंगाल-700048	9/08/73	8
75.	1272	सुभद्रा देवी पुत्री कृष्ण मुरारी पाटक ग्राम पंडित दीघा, पो. मदसूदपुर, जिला-गया, बिहार	9/02/62	एस.एस.सी
76.	1556	मो० हमीद हुसैन पुत्र मो० हुसैन, चुड़ी टोला, पो. कांके, जिला-रांची बिहार-834006	6/08/68	9
77.	1602	सुनीता कर्मकार पुत्री समरेश चन्द्र कर्मकार बी-17/45 घोषपाड़ा, स्टेशन रोड कल्याणी, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल-741235	12/26/64	एस.एस.सी
78.	1784	सिब प्रसाद साहू पुत्र बटकष्ण साहू ग्रा०/पो. चासीखण्डा, वाया अनखीया जिला-जगतसिंहपुर उडीसा-754102	11/24/71	एस.एस.सी
79.	1819	देवव्रत चक्रवर्ती पुत्र कालीपाद चक्रवर्ती ग्राम-परबतीपुर, पो. पुरन्दरपुर जिला-मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल-742171	11/03/58	इन्टर
80	1951	अजीत कुमार साहू पुत्र सोमनाथ साहू, पोस्ट-सुरादा, जिला, गंजाम, उडीसा-761108	5/01/69	एस.एस.सी
81.	1964	गंगाधर दास, पुत्र अनन्त कुमार दास, बाछामन्दारूनी, पो० मसानबेरिया वाया-नाममो, बालेश्वर उडीसा-756034	5/20/61	एस.एस.सी
82.	3092	अर्चना साहा पुत्री नेमई साहा, पी.एल.नं. 12 , 1 नं० कान्ताग्रज,पो. कान्ताग्रज, जिला, नाडिया पश्चिम बंगाल	12/02/74	8
83.	3613	राम शंकर दास पुत्र किशोरी दास, 30, आर.एन.गुहा रोड, दमदम केटोंन्मेंट, गोरा बाजार कलकत्ता, पश्चिम बंगाल-700028	10/13/65	शून्य
84.	18	प्रदीप कुमार चौधारी पुत्र महेन्द्र प्रसाद, एल.आई सी. ब्रांच नं.1 पो. रमना, मुजफ्फरपुर, बिहार-842002	1/05/73	इन्टर
85.	87	सुनिर्मल सरकार पुत्र सुधीर चन्द्र सरकार, देशबंधु पाडा, पोणसलीगुडी जिला दार्जिलिंग, पं० बंगाल-734404	12/23/69	इन्टर
86.	203	संतोष साहू पुत्र रमाहतार साहू कांचीलाल सेठ स्ट्रीट, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल-700007	2/01/72	इन्टर
87.	212	संजय कुमार पुत्र सुवर्ण कुमार, पो. विरहामपुरी, जिला मुर्शीदाबाद पश्चिम बंगाल -742101	4/01/72	8
88.	312	अलिहयान मंसारी पुत्र हासिम अंसारी, ग्राम व पोस्ट पीसो, जिला दरभंगा, बिहार	12/31/68	इन्टर
89.	379	लता कुमारी बेहरा पुत्री सुदर्शन राव द्वारा जी.आर.दास क्वार्टस हाट बाजार पो. जटनी, जिला खुर्दा, उडीसा-752050	10/20/69	एस.एस.सी
90.	839	संजय कुमार दास पुत्र प्रहलाद चन्द्र दास पोस्ट बॉक्स घाटरोड अगरपाड़ा, पो. कमार हाटी कलकता, पश्चिम बंगाल-700058	06/18/70	बी.कॉम

1	2	3	4	5
91.	1034	सईद इरशाद अहमद मिर्जा पुत्र तालिम करीम मिर्जा, साउथ सत्तार कालोनी बरियातू, रोची, बिहार-834009	11/17/69	एस.एस.सी
92.	1039	मृत्युंजय गुहा, पुत्र शान्ति भूषण गुहा, पो./ग्रा. पनसीला, गर्वमेन्ट कालोनी, सौदपुर जिला-24 परगना (उ०) पं० बंगाल-743180	7/18/71	इन्टर
93.	1043	दीपन कुमार राय पुत्र शान्ति कुमार राय, ग्राम भतेन्दा, पोस्ट राजारहाट, जिला-24 परगाना (उ०) पं० बंगाल-743510	3/02/68	8
94.	1085	सुशांत कुमार भौमिक पुत्र कार्सिक चन्द्र, ग्राम उत्तरबागी, पोस्ट विष्णुपुर जिला-24 परगना (द.) पश्चिम बंगाल-743503	8/16/71	इन्टर
95	1108	अमय कुमार सिन्हा पुत्र बलराम कुमार, पो. 80 बोरीकैनाल रोड, पटना बिहार-800001	10/30/74	8
96.	1178	जयप्रकाश गुप्ता पुत्र रामेश्वर प्रसाद द्वारा ललिता सोनी, यू.सी. ओ. बैंक मौहल्ला मारवाडी, पो./जिला बेगुसराय बिहार-851101	1/18/59	8
97.	1204	रविन्द्र घोष पुत्र अजित कुमार घोष ग्राम/पो. नरीदाना, पी.एस. बुडियापुर जिला-24 परगना (द.) पं० बंगाल-743330	2/19/70	8
98.	1238	उदय चन्द्र मंडल पुत्र अतुल कृष्ण मंडल, ग्राम मोहनपुर, पो. आरैयापारा, जिला-24 परगना (द.) पं० बंगाल-743377	5/11/64	8
99.	1331	ब्रिशाधन मुंडा पुत्र दीमकाधन मुंडा द्वारा आर.पुजुर, आइडियन नेम, लोअर फातिमा नगर, रांची, बिहार-834001	11/30/64	9
100	1368	सईद शाहिद अहमद द्वारा सईद मो० मंजूर अहमद क्वाटर नं० 153/ए. दूसरा एवेन्यू कंचरापाड़ा, जिला-24 परागना(उ०) पश्चिम बंगाल-743145	7/15/68	एस.एस.सी
101	1420	श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र गंगा प्रसाद शर्मा, एच/ओ,एच.एन. चटर्जी ए.आर.रोड. पोस्ट टीटागढ़ जिला-24 परगना (उ०) प० बंगाल-743188	10/14/64	8
102.	1440	भवानी बर्मन पुत्र-बाबु राम बर्मन, ग्राम देवानलत मोआमारी, पो. दीवानहात जिला कुचविहार, पं० बंगाल -736134	5/22/62	इन्टर
103.	1505	अशोक कुमार पासवान पुत्र हीरा पासवान, मो. तरनी प्रसाद लेन, पो. झाऊगंज पटना सिटी, पटना, बिहार-800008	1/02/72	9
104.	1514	रफीक अहमद पुत्र रोशन अली, ग्राम/पो. अमदान, वाया हाउर जिला-मिदनापुर पश्चिम बंगाल-721131	8/09/72	8
105.	1515	रोनिनको जग्गा राव पुत्र आर. अप्पला स्वामी, 10, वैष्णो मलिक लेन, पो. रामकिशन पुर, जिला-हावडा, पं बंगाल-711101	1/25/64	9
106.	1554	विकास मंडल पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद मंडल, ग्राम/पो. डानरे, पुलिस स्टेशन पोरैयाहाट जिला-गोडडा, बिहार	1/01/75	9
107.	1580	प्रशांत बंदोपाध्याय पुत्र शिवपाद, ग्राम कलसी, पो० चोटरवन्दा, जिला-वर्दवान, पं० बंगाल-713146	5/14/60	इन्टर
108.	1659	जाएव देवनाथ पुत्र जगदीश देवनाथ, 85, चेतला रोड, न्यु अलीपुर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	2/25/70	इन्टर
109.	1936	भोलानाथ सूत्रधार पुत्र धीरेन्द्र नाथ सूत्रधार, रचकोला पोस्ट आफिस रविन्द्र साराणी जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल	3/30/71	8

1	2	3	4	5
110.	2172	रवि सरकार पुत्र सुरेश सरकार, पियारालोगन लश्करपुर 24 परगना दक्षिण, पश्चिम बंगाल	12/06/69	8
111.	2246	पनढाबा नायक पुत्र साऊरी प्रसाद नायक खूंआबत्ती, जिला ढेंकानाल उड़ीसा-759026	3/13/72	एस.एस.सी
112	2291	बिल्वा पदा दास पुत्र बनमाली दास गांव श्रीकृष्णपुर पोस्ट आफिस रघुरामपुर जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल-721645	3/09/60	8
113.	2405	सुजीत कुमार मुखर्जी पुत्र मानस आर. मुखर्जी डोलगोविंद चटर्जी लेन पोस्ट आफिस नामोपारा जिला पुरुलिया पश्चिम बंगाल-703103	3/16/73	9
114.	2443	राजकिशोर बडातिया पुत्र लजमन नाथ बडातिया, भोवमां नगर पुलिस आउट पोस्ट ए.सी. कालोनी भुवनेश्वर उड़ीसा-751001	5/03/70	एस.एस.सी
115.	2538	मनिन्द्र मेरिधा पुत्र गणेश चन्द्र मेरिधा नं. 2 कनकसा कालोनी पोस्ट आफिस पनानगर बाजार जिला बर्दवान पश्चिम बंगाल	3/03/62	8
116.	2905	मोहम्मद दाऊद हुसैन पुत्र अब्दुल कोडिक्स अली मार्फत सूरी अट्ठाचक्की पोस्ट आफिस सूरी बीरभूम पश्चिम बंगाल-731001	7/02/63	8
117.	2948	विश्वजीत पाण्डेय पुत्र आर.एन. पाण्डेय गांव/पोस्ट आफिस चनचौर वाया राजनगर जिला मधुबनी बिहार-847235	6/29/72	8
118.	3616	मृत्युजय हल्दर पुत्र नकुल चन्द्र हल्दर, ग्राम वाली कालीताला, जेलेपाड़ा, हुगली, जिला-हुगली, पं० बंगाल	1/01/65	8
119.	3699	सुबीर दास पुत्र मोतीलाल 273/1 प्रिंस अनवर शाह रोड, टालीगंज कलकत्ता, पं० बंगाल-7600033	1/23/66	इन्टर
120.	3875	लक्ष्मी मिश्रा पुत्री अनन्त मिश्रा, गोल्लापोली स्ट्रीट, गेट बाजार, बेहरामपुर, उडीसा-760001	10/10/68	8
121.	3918	फकीर साहू पुत्र घाली साहू, ग्राम मुधबन, पोस्ट-नयाहाट, जिला-पुरी, उडीसा	2/04/67	9
122.	4217	पिटु घोषाल पुत्र गीतेन्द्र नाथ, ग्राम-सुर्पनगर, पोस्ट बलियारा जिला-बांकुरा, पं० बंगाल-722101	9/30/69	इन्टर
123.	4241	जीवलाल प्रसाद पुत्र उग्गन महतो, ब्लाइंड होस्टल कमरा नं० 5 मिन्टो प्रेसर, पटना-5, बिहार	1/25/73	एस.एस.सी
124.	4269	उर्मिला घोष पुत्री हरिदास घोष, खरदाहा सरत बासू कालोनी रहारा जिला-24 परगना (उ०) प० बंगाल-743186	5/25/63	8
125.	4284	सौभाग्यमंज पुत्र रघुनाथ पटनायक, ग्राम कुमनडोल, पो. नैरी, जिला-खर्दा उडीसा-752029	7/10/65	एस.एस.सी
126.	4287	लक्ष्मण अल्दा पुत्र जुम्बल अल्दा, ब्लाइंड स्कूल चर्च रोड रांची, जिला-रांची बिहार-834001	1/06/70	एस.एस.सी
127.	4323	अनन्त राय पुत्र गजेन राय, एन.ई.एल.सी. स्कूल फॉर ब्लाइंड कुच बिहार, पं० बंगाल-736101	10/20/73	इन्टर
128.	5037	अमुल्ल हल्दर पुत्र प्रफूल्ल हल्दर, कुपर्स अरबन कालोनी, प्लाट नं० 1 ए. कृपस कैम्प, रानाघाट, नोडिया, पं० बंगाल	10/19/61	8

1	2	3	4	5
129.	5034	गोपाल कुमार सरकार पुत्र निखिल कुमार सरकार, साउथ बिरेशपल्ली, पो० मध्यमग्राम, जिला-24 परगना,(उ०) पं० बंगाल-743275	1/12/64	इन्टर
130.	5035	अरूणा मजुमदार पुत्री शंकर मजुमदार, सालबगान, पो, नोआपाडा, बारासात नार्थ 24 परगना, पं० बंगाल-743201	1/02/65	8
131.	5196	बंशीधर प्रधान पुत्र उदय प्रधान, ग्राम हंसपुर, पो. मुनीशीपेन्थो जिला-गंजाम, उडीसा-761026	9/28/64	इन्टर

समूह "घ" रिक्तियों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची–दक्षिण क्षेत्र (अवरोही क्रम में योग्यता)

रैंक	अनुक्रमांक	नाम	जन्म तिथि	शिक्षा
1.	389	कुरूअयरप्पन सी पुत्र श्री चथालन की, मेंरूथमिपदाम हाउस पो.आ. वादा बन्नर जिला पालक्कड केरल	5/18/69	एस.एस.सी
2.	438	सुकुमारन के पुत्र कूंच ए कोल फेडरेशन फॉर दि ब्लॉइड पो.आ. कुन्नुकूझी केरल	4/30/60	एस.एस.सी
3.	499	एम सुजान पुत्र के मानियास वानीयाकुडी ब बीडू पी.आ. चेकाल त्रिवेन्द्रम केरल	5/10/73	इन्टर
4.	354	शैली थामस पुत्री के सी थामस कुटटीक्काट्टू हाउस पो.आ. इडीवन्ना जिला मैलाप्पुरम केरल	4/10/61	इन्टर
5.	2783	एस. कानागराज पुत्र के सुब्रामणियम टाइप-5, ब्लाक 3,पो क्वाटर्स कोविल पात्ती, जिला वी.ओ. सी. तमिलनाडु	2/03/67	एस.एस.सी
6.	479	विष्णु एस पुत्र शाबाशिवम पी बिल्लापला बांडू पी.ओ.पुथूक कुलम कोल्लायम, केरल	5/20/63	एस.एस.सी
7.	189	चन मोहन वी.एन. पुत्र नारायण ए. पो.आ. पेजाकन्ड जिला पालाक्कपड, केरल	6/15/69	एस.एस.सी
8.	280	के कुमरन पुत्र बी रामचन्द्रन 46 जॉन रोवा स्ट्रीट कलाडी पेट्टई मद्रास तमिलनाडु	12/08/72	इन्टर
9.	381	साजी के एन पुत्र मथाई कोचु पुरक्काल हाउस पो.आ. ओएवोंका जिला चनाड केरल	3/12/66	एस.एस.सी
10.	878	आर.कन्नन पुत्र के रामासानी सं. 118 वेस्ट राजा अग्रहाराम स्ट्रीट पूनामाल्ली, मद्रास तमिलनाडु	6/03/64	इन्टर
11.	310	कोलामचैप्पस के पुत्र कोसावाप्ते पो.आ. कनैयार जिला बीसारपी तमिलनाडु	3/15/60	एस.एस.सी
12.	367	वासंत कुमार एन पुत्री स्यरिक के वी मूथाला हाउस पो.आ. ओराविना जिला कोझीकोड, केरल	7/15/59	इन्टर
13.	1682	एस.पालानावल पुत्र ए. सुन्द्रसन पिल्लै, 26 रानी मुंगमल एस टी कारूर त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु	2/09/60	इन्टर
14.	349	के.पी. नलिनी पुत्री के वी पोन्नपन आचार्य कारोट्टेकुट्टू, पो.आ. वोलियाम्नूर जिला कोट्टायम केरल	10/17/64	इन्टर
15.	877	एस उषा कुमार पुत्र ए. पोटयाथू सं. 33 मेरीयांगुडल पेरीपेरी व रोड शिवोय नगर, तमिलनाडू	2/02/64	इन्टर

1	2	3	4	5
16.	874	सी रघुपति पुत्र सिरैयो संख्या 6, आडिया स्ट्रीट बलूई मद्रास, तमिलनाडु	3/12/65	9
17.	689	बासाप्पा हरकुनीमठ पुत्र फकीरय्या म्यूजिक टीचर्स हाउस एल.आई.सी ब्लाक नन्दिनी जेआउट, बंगलौर कर्नाटक	5/18/59	एस.एस.सी
18.	2117	टी कनिअम्मा पुत्र एन कोचप्पन पिल्लै अस्तमा भवन, ठाझवा, काडापूर, पो. जिला कोल्लम केरल	2/06/59	इन्टर
19	1070	के, बालसुब्रमणिम पुत्र वी कल्याण सुन्द्रम, 190, नाडु अग्रहरम कृष्ण राम पुरम, कुथोले, त्रिची तमिलनाडु	2/14/61	11
20.	506	जोस टी टी पुत्र थामस के.के. थेक्ककरा हाउसँ पो.आ. वेलुप्पडम बरान्डारापिल्ली केरल	11/11/61	एस.एस.सी
21.	495	के कस्तूरी पुत्र कल्लन, 4 बी, II स्ट्रीट सारथी नगर वेलाचे, मद्रास तमिलनाडु	5/01/64	इन्टर
22.	467	हरिकुमार ए. पुत्र अणुकुट्टम नायर मूकोट्टुथोटथील वीडू, पो.आ. नीमाम त्रिवेन्द्रम केरल	1/31/65	एस.एस.सी
23.	2971	एफ सी रविकुमार पुत्र ई.सी. गोपाल पी डब्ल्यू क्यू 356/सी 5 वीं गली रेलवे क्वाटर्स आयानवरम, मद्रास तमिलनाडु	6/03/66	इन्टर
24.	482	कृष्ण कुमार एस.जे. पुत्र जवरेह एम.जे. संख्या 13, पहला क्रास आर.के.स्ट्रीट बंगलौर कर्नाटक	5/20/69	9
25.	454	विजयन एम, पुत्र मणियम के मीझामकम पो. चेंगल त्रिवेन्द्रम केरल	5/10/72	एस.एस.सी
26.	368	सरियक के वी पुत्र वर्गीस हाउस मूथडा पो. आ. ओरबिन जिला कोझीकोड, केरल	10/15/59	एस.एस.सी
27.	2442	एस.एम. जगरीशा पुत्र गुडलैया अम्बेडकर नगर सालिक्राम के.आर. नगर मैसूर केरल	6/01/71	8
28.	352	पी.उदय कुमारन पुत्र पी.पदमनामना नायर हाउस पूवनचेरी पो.आ. बेलायुर सुक्यूर जिला मालापुरम, केरल	5/02/64	एस.एस.सी
29.	336	अनिल कुमार डी पुत्र एम दानोदरन पो.आ. अंदायामान किलीमानूर त्रिवेन्द्रम केरल	4/03/59	एस.एस.सी
30	477	फिलिप ए, पुत्र अलेण्जैन्डर फिलीमुक्मम पो.आ. ईस्ट काल्लदा कोल्लम, केरल	5/21/66	बी.ए
31.	4426	एस.सेल्वी पुत्र आर सामुवेल सं. 14 मुस्लिम स्ट्रीट कामराज नगर, एअरपोर्ट त्रिची, तमिलनाडु	9/13/65	8
32.	423	रेवी वी पुत्र रेवी वेट्टीकइटू पो.आ. इरानहिमांगाड वरास्ता नीलाम्बूर जिला मालापुरम केरल	3/13/63	इन्टर
33.	573	बाबू पी.एस.पुत्र नारायण आझोडिक्कल हाऊस पो. आ. कोलाझी जिला त्रिचूर केरल	4/22/66	एस.एस.सी
34.	801	के.सी. अब्दुल रसीद पुत्र वा मामू पुसीनचेरी पाराम्ब एच. पो.ओ. कक्कसेरी त्रिचूर केरल	11/19/59	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
35.	213	ए. सुन्दरम पुत्र एस. अम्बरोज, टीसी.19/848 पूजापुरा त्रिवेन्द्रम केरल	3/08/65	एस.एस.सी
36.	3758	के सुरेश बाबू पुत्र कृष्णन, संख्या 12 कन्नाप्पा सामी नगर कारांगाराल पूझल मद्रास तमिलनाडु	5/24/64	एस.एस.सी
37.	1477	ए. कारपगा सेल्वम पुत्र ए. अप्पपिल्लै 4/52 इलांगो, एडीगल सेंट सदा शिवमा नगर अन्नानगर मदुरै, तमिलनाडु	9/07/70	एस.एस.सी
38.	954	वाई मसैया पुत्र वाई. पपैया म.नं. 6-89 हयात नगर, रोगारेड्डी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	8/26/60	एस.एस.सी
39.	4973	बी.जे. सुब्रमणियम पुत्र के. वंचीनाथन 20, 12 वां सैंट, विनोबा जी नगर हस्तिनापुरम चित्तालापाकम मद्रास, तमिलनाडु	5/30/58	एस.एस.सी
40.	290	गोपाल कुष्ण के, पुत्र असयप्पन के, पी.ओ. कूट्टेज जिला मलप्पानम केरल	5/31/73	इन्टर
41.	2357	नागराजन सी. पुत्र चिकोलिंगम, डी. नं. 98, कलमणी, डानस स्कूल एस. बाजार पत्तीविरम मद्रास तमिलनाडु	10/04/62	एस.एस.सी
42.	650	जी. वेंकटेशन पुत्र एन. गोविन्द स्वामी नं. 25, तीसरी गली कामराज नगर, कांडमवकम मद्रास तमिलनाडु	4/16/61	एस.एस सी
43.	4985	ई. गुणाश्वेरम पुत्र के. तिरूमलाई, 32, बेल्लीपिल्लेय्यर, एस.एस. कालोनी, मदुरै, तमिलनाडु	6/06/58	एस.एस.सी
44.	2447	पी. जीवनन्दम पुत्र एम. पिकरहसामी, टाइप ए. 15/सी, त्रिची, तमिलनाडु	7/25/65	एस.एस.सी
45.	460	महीनकन्नू पुत्र एन.एम. सैली, पो.आ. वट्टीयूर काबू, तिरूअन्नतपुरम, केरल	5/25/68	9
46.	4559	के. कुमार सामी पुत्र कालीसुपनपल्लियम सैंट, कोट्टूर म्रदास, तमिलनाडु	1/22/59	9
47.	4235	कुन्नीसंठी वेंकटचिल्लापटी पुत्र के. वेंकटाचलापटी डोर नं. 1/106, अतन्तुपुर, आन्ध्र प्रदेश	10/22/68	8
48.	4385	जी. सुरेश बाबू पुत्र जी. मणिक्यमनायडू गांव चोटा पाल्ले, पो आ. कोडा कोटा जिला चतूर, आन्ध्र प्रदेश	6/01/63	इन्टर
49.	660	के, उन्नी, पुत्र कृष्णन उन्नी पो.आ. पुन्नापरा (एन), जिला अलपूजा, केरल	5/23/67	इन्टर
50.	760	गोरी जी, पुत्र कान्होजी राव, 5 ब्लाक जयनगर केरल	1/26/60	एस.एस.सी
51.	121	एस.लक्ष्मी नारायण पुत्र वी. सुर्दशन नं. 6 तल्यारी स्ट्रीट मद्रास	12/22/66	एस.एस.सी
52.	2510	एम. रवी, पुत्र टी. मुरूकेसन, 5/13, प्रथम मेन रोड, पो.आ. वन्दुलूर, मद्रास तमिलनाडु	1/02/65	8
53.	2992	एम, देवराजन पुत्र मन्नाकट्टी पिल्ले 3/93, सुब्रामणिम कोयल स्ट्रीट, मद्रास, तमिलनाडु	1/16/58	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
54.	504	एम.जी. वर्गिस, पुत्र चैरेन एम.वी. मनावालन हाउस, जिला इरनाकुलम, केरल	8/15/63	एस.एस.सी
55.	614	सेरीघारा एस.के.पुत्र कृष्णन मूर्ति ताल भद्रावती, जिला शिमोगा, केरल	9/26/63	एस.एस.सी
56.	1678	मारा वेंकटरमन पुत्र लेट एम. कोट्टायम पो. आ. नदूपूरू विशाखापत्तनम आन्ध्र प्रदेश	6/04/61	एस.एस.सी
57.	1679	आर.मूर्ति, पुत्र पी. के. रामास्वामी. डी नं. 4 ए बी. नगर, 9 वां रोड, रासीपुरम जिला सलेम, तमिलनाडु	6/17/62	8
58.	357	आसियनए, पुत्र आली आरियनथोडिका पो.आ. पन्नीपाड़ा, जिला मालापुरम केरल	5/18/65	एस.एस.सी
59.	407	चामी, एम.सी. पुत्र चक्कन, पो.आ. प्लयानमकुन्नू जिला, पालघाट केरल	1/07/64	एस.एस.सी
60.	351	अबूबाक्कर वी.एन. पुत्र मदीन वी.टी. जिला मरूलापुरम, केरल	9/15/68	इन्टर
61.	427	सांकरन सी. पुत्र चूलनकुट्टू चिलक्काकुडिंल (एच) पो.आ. पालाक्काड जिला मालाप्पापुरम, केरल	4/16/62	एस.एस.सी
62.	128	सर्वपल्ली पुत्र वेंकटसवारजू ए.पी.टी.एफ. कालोनी, जिला नैलोर, आन्ध्र प्रदेश	8/11/70	इन्टर
63.	485	सोमप्पा मल्लाप्पा होसकोटी पुत्र मल्लाप्पा जिला बीजापुर, केरल	2/15/70	एस.एस.सी
64.	516	पी.डी.माथवकुट्टी पुत्र देवासिया पी.पी. पो.आ. कुट्टारामवा, गांव अलाकोड, जिला कन्नौर, केरल	1/22/62	एस.एस.सी
65.	4046	बालामुरली पुत्र बालाकृष्णन एम.ए. 128, न्यू आरिएंटल लाइन कोरमाडोल के.जी. एफ. कर्नाटक	6/07/64	एस.एस सी
66.	4064	वर्द्धराज पी. पुत्र पुन्नास्वामी नं. 93, 4 वां क्रांस अशोकपुरम यंशवन्तपुरम बंगलौर कर्नाटक	5/24/65	एस.एस.सी
67.	3979	आर, राजेन्द्रन पुत्र आर. रामासामी पो.आ. वैनीलाइ थैनू, टी.के. तिरूमइम जिला पुंडीकोट्टाई तमिलनाडु	6/28/60	इन्टर
68.	3619	ई. माथीवनन पुत्र वी. इक्कमवरम 76, पाट्टू कूट रोड, मगांडू मद्राम	4/17/60	8
69.	540	लाखिका जी. एस. पुत्र वी. चन्द्रसेवरन नायर, पो.आ. तिरूमाला, तिरूअन्तपुरम, केरल	5/14/68	एस.एस.सी
70	4027	हनुमन्था पुत्र वासपा छत्तरी डी नं. बी. 8/2, डी आर डी ओ काम्पैलक्स, सी.वी.रमन नगर बंगलौर कर्नाटक	6/27/59	एस.एस.सी
71.	1138	के. एटोंनी, पुत्र कृष्णन, नं. 80, कीझू, मानवर स्ट्रीट पोनामाली मद्रास	8/13/64	एस.एस.सी
72.	1765	इरोगोडा एच.एन. पुत्र नाजी गोडा, डी-16, डी-ब्लाक एनजीओ क्वाटर्स, राजाजीनगर बंगलौर कनार्टक	3/20/69	8

1	2	3	4	5
73.	2862	आर. सुरूमूर्ति पुत्र रमैरूया, बी. 3-92 कल्लाहल्ली विस्तार बंगलौर, कर्नाटक-560042	6/21/61	9
74.	2451	के. अनंता, पुत्र कलप्पा, डी.एन.ओ. 61, अनंतारमैथ्या कम्पाउंड प्रथम गेन बाबूनगर, बंगलौर, कर्नाटक	4/17/69	एस.एस.सी
75.	190	मुरूकदास, पुत्र कुष्ठान ए. इतिंगरामबिला (एच.ओ.) एकतातारा, पलकड, कर्नाटक	1/17/72	इन्टर
76.	2256	टी. रामाचन्द्रन, पुत्र एम. तंगामुथ्थु पिल्लै, एफ-6, टिसीविलिंग पुरम, के.के. नगरं, मद्रास तमिलनाडू	5/6/68	8
77.	434	जनकी वी. पुत्र कजेन्द्रन मैच्चर एम.राजन भवन, पो.आ. पूवाथूर, त्रिवेन्द्रम, केरल	4/30/61	एस.एस.सी
78.	4579	शनमुगैथ्या, पुत्र पाटची मुथ्थू, सं० 34 वामवुल्या, तीसरा क्रास, सैंट अमान, कलडूभाडू,मद्रास-43 तमिलनाडू	9/01/58	इन्टर
79.	1911	रामकृष्णनैथ्या, पुत्र बलैथ्या, सं० 1383/सी, जीवन नगर मिरोन्डा हाई स्कूल के समाने, बंगलौर, कर्नाटक।	6/25/64	एस.एस.सी
80.	228	आर. पेरूमल राज पुत्र पी. रामानैकर डी-82 नई हाउसिंग यूनिट पुडूकोटैटया रोड, तंजावूर, तमिलनाडू,	10/30/59	एस.एस.सी
81.	43	सब्बूराज टी, पुत्र तंकप्पन पो.आ. क्षाकरियम्म, त्रिवेन्द्रम, केरल	5/30/60	एस.एस.सी
82.	414	रविन्द्रन ई. पुत्र चिल्मबन्नीतराकन, रेनतोटटिल हाउस, पो.आ. कटनासैरी, तिरूवझीयोड, केरल	10/20/68	एस.एस.सी
83.	4580	वी.वासु. पुत्र आर. वेणुगोपाल, डोर संख्या 322 कवियांरासू कन्नड, कदनगैथुर, मद्रास	6/01/60	8
84	4091	लोकेशाप्पा, पुत्र सवाबा युप्ता, 236, 27वां ए क्रास, छठा ब्लाक जयनगर बंगलौर	4/10/68	एस.एस.सी
85.	191	पाजनीमाला ए. पुत्र अरू पी. पो.आ. बादवानूर, जिला पल्लकड, केरल	12/16/71	इन्टर
86.	2729	आर.बाल कुष्णनन् पुत्र एन. राजगोपाल, सं० 20 उपाकाटा सेंट पो.आ./टी.के. वालाजपेट नार्थ आरकोट अम्बेडकर, तमिलनाडू	7/15/58	8
87.	652	अंजनाबालू, पुत्र रमबालू डी. सं० 1532, ई डब्ल्यू, एस. 3 तीसरा रोड स्टेज, चेलाहन्का नथा टाउन, बंगलौर	4/17/71	एस.एस.सी
88.	373	यू.बी. साहू, पुत्र नरायणन, आई सी.ई. प्लाट रोड, क्यूलैंडी बीच रोड, कोजीकोडे, केरल	10/20/73	एस.एस.सी
89.	2910	आर रंगाराजन, पुत्र तिक राजगोपाल, से० 25 द्वितीय स्ट्रीट कामराजोट कालोनी, कदम्बकम, मद्रास, तमिलनाडू	10/16//63	
90	410	पिन्नापान पी.के पुत्र कान्डू आर. पोन्नकाकान्तोडी हाऊस, पो.ओ. करियानकोई, जिला पल्लकड, केरल	4/10/64	
91.	369	पावीथरन, एम, पुत्र यूनेरी पुराक्कामिल हाउस, पो.ओ. नाल्लाम जिला-कालिकट, केरल	12/12/62	

1	2	3	4	5
92.	378	पुरूषोटंतमन वी.आर. पुत्र वी.पी.रमनकुंत कोलायूमीथल पो.आ. शान्ति नगर, जिला कोझीकोड, केरल	8/15/63	
93.	881	ए.एन्थनी कुलानदैराजन पुत्र स. एम. अरूलाप्पन, सं० 76, दामोदर पुरम मेन रोड अदयार, मद्रास, तमिलनाडु	7/05/60	
94.	2412	यूथरिया मेरी, पुत्री एस. एन्टनी जेम्स 8219 ब्लाक नं० एच-4 के.के. आर.टाउन मधावरम, मद्रास तमिलनाडु	7/11/59	
95.	4617	टी. गंगाधरन पुत्र वी थिरूवरूवेनगरदाम 32 ए. अन्तोत्यारकोइल ताचा नाल्लर थि तिरूवेलवेली कात्तावोम्मैन, तमिलनाडु	6/09/60	
96.	390	मोहनन एन. पुत्र सिवसंकरन पुतानवीतिल पुतन वीत्तिल, पो. आ. कानीमेंगलम, जिला पालघाट, केरल	5/25/68	
97.	697	पीड्डीराजाज नारायण राव पुत्र पी.वी. रामाराव सं० 48 मंगलम हाउसिंग काम्पलैक्स, तिच्चूर, तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश	12/01/58	
98.	379	अब्दुल नायस के पुत्र उम्मू के, पूकड हाउस पो आ. ओलावन्ना कालिकट, केरल	6/10/68	
99.	4735	आर. अुरूमुगत, पुत्र रतिनावेलू 34 ई. वानतरायापालिया, सेटे तिरूमनमाला जिला सम्बूवाराधारी तमिलनाडु	12/05/58	
100	658	ए.यू. बशीर पुत्र एन,ए. उम्मेर नोर्थ अशारी पी. हाउस, पो.आ. पानावेल्ली, जिला अल्लाप्पुआ, केरल	12/16/66	एस.एस.सी
101.	324	कृष्ण कुमार पुत्र पी.सी शंकरन, पो.आ. कावानांदन कान्नीमेल चेरी, केरल	1/02/69	एस.एस.सी
102.	842	पी.जे. अलेक्जेन्डर, पुत्र जॉन पूपाडे हाउस, साउथ चित्तूर एर्नाकुलम केरल-682027	6/22/62	एस.एस.सी
103.	5233	आर. रंगास्वामी पुत्र पी. रामास्वामी 27 10वीं गली, कामराजर नगर आवड़ी, मद्रास, तमिलनाडु	6/09/59	एस.एस.सी
104.	490	एन्ड्रूज कोनीक्कारा डी. पुत्र देवासी पो.आ. पेरामामगलाम त्रिचूर, केरल	5/13/59	एम.ए.
105.	3649	आर. सेलबम पुत्र राय यूदेयर 520 स्टाफ क्वाटर्स, गार्वनेमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ब्लाइन्ड पूनामल्ली, मद्रास तमिलनाडु	6/15/71	इन्टर
106	509	एन.एम.तंकम्मा पुत्री ए.वी.कृष्णाकुट्टी अम्यन्तानातू हाउस पो.आ, पामपाकुडा, जिला एनकुिलम केरल	5/30/64	इन्टर
107.	5241	एस. बालासुब्रामणियम पुत्र एन.एस. सिवरकृष्ण, पो.आ. बाबूराजपुरम बरास्ता स्वामीमलाई, कुम्बाकालेय, तमिलनाडु	6/09/58	9
108.	4620	वी. नागराजन पुत्र के वेंकन्टस्वामी सं० 2 बल्लूवर स्ट्रीट जेवा नगर, मदुरे, तमिलनाडु	2/07/60	एस.एस.सी
109.	4568	एम.भावनातर, पुत्र मोहम्मद हनीफ पो.आ. उल्लूरा अैथानूर वाया पगलावाड़ी, जिला त्रिचे, तमिलनाडु	3/11/62	9
110.	462	निर्मला टी. पुत्र आर. थोमस ररियाराकविला वाई पो.आ. आर्यायूर त्रिवेन्द्रम, केरल	5/28/65	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
111.	2604	सी.राजा शेरवरन, पुत्र चेनगलवरायण, 169, ब्रिक क्लीन रोड, ओट्टेरी, मद्रास, तमिलनाडु	5/07/59	8
112.	4591	ए. मुन्निचांडी, पुत्र पी. अलगूमलैय, नार्थ सैंट पल्लवानाथम, वाया वीरूधूनगर, जिला कामराज, तमिलनाडु	5/30/62	इन्टर
113.	742	लक्ष्मीनारायण वी. पुत्र वेंकटेश मूर्ति सं. 201 गंगाधर नगर सारक्की गेट, बंगलौर, कर्नाटक	5/12/66	8
114.	393	रवीन्दन ई. एन. पुत्र ई. के. नारायणन, इटनूकांडाथिल, पो.आ. मायलमवाड़ी, ब्यानड, केरल	12/15/60	बी.ए
115.	2982	सी.कृष्णन, पुत्र एस.चैलैया नं. 4 थिरूवल्लुवर नगर प्रथम स्ट्रीट पुडककोटच्य, तमिलनाडु	5/11/64	इन्टर
116.	657	मौहम्मद नरीकल्ला खान, पुत्र मजरूल्ला खान एम. रेलवे लाइन के पास, नागाशेट्टी हैल्ली, बंगलौर, कर्नाटक	12/14/67	एस.एस.सी
117.	1526	नाइनजे गोडा, एस. पुत्र सिद्दे गोडा, सं. यू 99,13 वां क्रास मारूती विस्तार, बंगलौर, कर्नाटक	2/27/65	एस.एस.र्स
118.	1577	एस.वेणु, पुत्र एस. शेखर पिल्लै, पो.आ. एस. किलमानूर, चांऊटियेल, तिरूवनंत हापुरम, तमिलनाडु	3/11/65	एस.एस.सी
119.	1495	ए. सरोजम पुत्र एस.वेणु मेलेतुमपाडी, वीडू, माधवपुरम, वेली टाइटेनियम, त्रिवेन्द्रम, केरल	11/12/58	एस.एस.सी
120	875	एस. गणेशन, पुत्र एन. सुब्रामणियम 69, सुब्रामणियम रेल्ल नगर, कडडापेरी तमबाराम, मद्रास तमिलनाडु	1/22/64	एस.एस.सी
121.	241	एन.एस. राजा, पुत्र श्री निवासन, 32 द्वितीय पालस्ती वायासरपडी, मद्रास, तमिलनाडु	8/24/64	इन्टर
122.	75	जे. मधु भूषणराव, पुत्र जे. रामचन्द्र राव, तुमवोलापाल, जिला चितूर, आन्ध्र प्रदेश	2/04/58	एस.एस.सी
123.	2305	आई. पोनमानी, पुत्र अइयाकानू, पो.आ. इलूच्चूर, तहसील तिरूसुची, जिला कामराज तमिलनाडु	3/02/60	एस.एस.सी
124.	2283	तैयाशान्ती, पुत्र डेविड देव दास टी.डी.टी.ए. हाई स्कूल एफ./टी, नेत्रहीन, पालायम कोट्टई, तिरूनेलवल्ली, तमिलनाडु	5/27/63	एस.एस.सी
125.	2102	सी. ऐशवरन् पुत्र पी. चिन्ना सैमी सं० 20 चैलैच्या, पिल्लै कम्पांइड, गौरी बालियम, मदुरै, तमिलनाडु	6/11/60	8
126.	2792	बी. वसती, पुत्र के जी. बालासमान, सं० 24 जैम्स स्ट्रीट पुनमालैय, मद्रास तमिलनाडु	6/10/68	एस.एस.सी
127.	1500	जगन्नाथ एच.एस. पुत्र श्री निवस राव पी पो. आ. हनुमन्तपुर, मुधगिर तालुक जिला तुमकुर, केरल	6/13/63	एस.एस.सी
128.	2048	यू. मुरूगेसव पुत्र वी युरूमैया पांडियन मैस, मैन रोड, सिक्कल जिला रामनाड, तमिलनाडु	5/05/68	एस.एस.सी
129.	411	नारायण कुट्टी एन, पुत्र गम्यकुट्टन नाडुक्कलथिल हाउस, पो.आ. चेराया जिला पालघाट, केरल	6/28/64	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
130.	610	आर.डी. देवराजू पुत्र दैवैया पो.आ. तिलूकूर, बेलूर तालुक हासन, कर्नाटक	6/01/69	9
131.	562	मेरी पी. जे. पुत्र जोस पी.डी. पालमथ्यम हाउस पो.आ. कम्बाथूकाडम जिला-त्रिसूर, केरल	11/16/61	एस.एस.सी
132	663	रेतीसन एन,वी, पुत्र वेलायूधन एन. वी, उम्मीनिक्कड वेट्टाक्कल चेरताला, अलप्पआ, केरल	7/08/62	एस.एस.सी
133.	663	राम कुमार एम. श्री एम. परमेश्वरन माथातिल हाउस, पो.आ. इरीपनम जिला एर्नाकुलम, केरल	5/25/68	एस.एस.सी
134.	525	मुरलीथरन पिल्लै आर. पुत्र रघवास पिल्लै एस. कुरूमन्ना, पो.आ. मुरवेतेला, कालाम, केरल	5/30/66	8
135.	2139	डी. वेलूसमी पुत्र दुशईराज वाल सैइपुरम, पो,आ. सिप्पीपाराय, सत्तूर, जिला कामराज तमिलनाडु	7/06/67	एस.एस.सी
136.	2165	डी.एम. रोविनसन, पुत्र डी. एस. डेविड रोविमडिरम, पो.आ, चेरीयकोन्नी त्रिवेद्रम, केरल	12/10/62	इन्टर
137.	522	गोपाल कृष्ण भटॅ पुत्र वी. बेकटरम्मा भटॅ यीन्डूजुली हाउस पो.आ. मुगू गांव कुम्बला, जिलीा-कसरगोड, केरल	2/22/71	एस.एस.सी
138.	2202	मोहनम ए. पुत्र अध्ययन इरूमेलीपरचिल हाउस, पो.आ पुरापूझा जिला इड्डूक्की, केरल	9/10/58	एस.एस.सी
139	2224	मल्लिकार्जुन पुत्र महादेवप्पा नन्दगांव, पो.आ. ताजसुन्तानपुर जिला गुलवर्गा, कर्नाटक	7/02/67	एस.एस.सी
140	953	ए.एन. कन्नाप्पाम पुत्र वी. ए. नाथमुनि 6/76 बाजार स्ट्रीट पी.आ. गुरूवराजपेट एन.ए.ए.जिला तमिलनाडु	5/01/67	एस.एस.सी
141	510	जमूना ई.वी. पुत्र ई. के. वासू इलाजेदात वीडू पी.आ. पाझांजी जिला त्रिचुर, केरल	5/31/71	एस.एस.सी
142.	356	जर्नादनन एम.पी. पुत्र केशव एम.पी. पी.ओ. अनन्तपुर तिरूनवाया, मालापुरम, केरल	2/18/64	एस.एस.सी
143.	457	वालामबीका जी पुत्र के. सुकुमारन, मालामेल पुरम बी.यू.पी.ओ. चित्तात्तुमुक्कू कामियापुरम, केरल	7/04/58	एस.एस.सी
144.	377	वी. के. उन्निकृष्णन् पुत्र सी.एच. मदावकुरूप वेल्लीयोदन कान्ची, पी.ओ. पेरामब्रा जिला–कोझीकोडे केरल-673525	8/01/63	
145.	541	वी. बी. जयराज पुत्र वी.के. मास्करन थाकीदिवेलियित, पी.आ. कालावूर अलाप्पाक्षा, केरल	5/30/67	इन्टर
146.	461	जेम्सकुट्टी के पुत्र चाचो कोचूकुन्जु एम.एफ. 4/215 ब्रिवद्रान हाउसिंग कालोनी, त्रिवेन्द्रम, केरल	8/16/60	एस.एस.सी
147.	1094	एम. कृष्णैया पुत्र राजैया पी. ओ. मैनक्यानाहल्ली तह० चन्नापाट्टाना जिला-बंगलौर ग्रामीण कर्नाटक	12/14/64	9
148.	5372	एस. पीटर पुत्र सवारहमुथू मिट्ट कोट्टाई, पी.आ, इलाथागिरे जिला-धर्मापुरी, तमिलनाडु	5/24/62	8

1	2	3	4	5
149.	2793	टी.के. राजन पुत्र पी.टी. कुरूनकरन सं० 2 जेम्स स्ट्रीस, पुनामाल्ली मद्रास तमिलनाडु	7/19/69	एस.एस.सी
150	4606	एम, सिशाद्री पुत्र एम. सुब्बैया सं० 44 सौलत्रा नगर, चौथी गली, ल्योइस रोड मद्रास, तमिलनाडु	5/10/65	8
151.	2475	एम, चेरीकोमागन पुत्र डी. मोहन कुमार, सं० 31 नेहरू स्ट्रीट अब्बाई नगर, चूलाइमेडू, मद्रास, तमिलानाडु	9/22/72	एस.एस.सी
152.	2694	पी. पुष्पलता पुत्री के.एन. प्रसाद 10/56 ए. टाइप सिडको नगर, विल्ली वक्कम मद्रास, तमिलनाडु	5/29/65	9
153.	1491	उगान्ना पुत्र सिद्दप्पा पी.ओ. डोडा सागर शाहपुर तालुक, जिला गुलवर्गा कर्नाटक-585323	10/23/64	एस.एस.सी
154.	5054	आर.संकर पुत्र वी.पी. राधा सं० 2 ,दूसरी गली, संध्यापुरम अम्बात्तुर, मद्रास तमिलनाडु	3/15/64	एस.एस.सी
155.	4657	पी. हेमलता पुत्री पदमनामन 79 ईलाम्मन कोइल सेंट वेस्ट माम्बलम, मद्रास तमिलनाडु	6/08/70	8
156.	2472	आर. बाबू पुत्र एन. रामू 1082/2 5 वी क्रास त्रिवेणी रोड, यशवंतपुर बंगलौर कर्नाटक-560022	4/25/70	9
157.	2183	ताहिरा गाफरसाब जे, पुत्र गाफरसेब आर. जामाकांडी ब्लाक सं० 4 म० सं० 24 कर्नाटक मेडिकल कॉलेज हुबली, कर्नाटक	6/08/67	एस.एस.सी
158.	2238	जी. मंगलेश्वरन पुत्र गुजरप्पा बी-6/176 बी.डी. ए. क्वाटर्स काल्लाहल्ली बंगलौर कर्नाटक-560042	10/22/62	एस.एस.सी
159.	2681	लक्षणनें के, पुत्र गंगा मुनियप्पा, रोड जक्कसुन्दरा पी.ओ. हरलावाडी होवली कनकपुर, बंगलौर कर्नाटक	9/09/65	एस.एस.सी
160.	2528	के.जे. साइरिक पुत्र के.के. जोसेफ़ कोलाडिपिड हाउस, पी.ओ.कायान्ना, पेरमब्रा कोझीकोड, केरल	12/22/65	एस.एस.सी
161.	1866	ए.पोन्नू स्वामी पुत्र अम्मासाद गोन्डेर, पी.ओ.ए. कुमार पालायम वाया अन्नूर जिला कोयम्बतूर, तमिलनाडु	3/12/64	8
162.	2580	के.बेलराज पुत्र कुरूसामी नादार एरूमईकुलम पी.ओ, मुथूमथन नेल्लईकत्ता बोमोन तमिलनाड	3/02/60	8
163.	628	एम.जी.मुरली पुत्र गोपाल भट्ठ सं० 85/2 पहला क्रॉस डी. बनमरया रोड, के.आर. मोहल्ला, मैसूर कर्नाटक	1/15/58	8
164.	388	सुजाता टी पुत्री वीरमर्दन टी, ताचिल्लति हाउस पी.ओ. के. पुरम. थनालूर, केरल	4/01/74	इन्टर
165.	5148	गोविन्द राजू एम. पुत्र के. मुर्गन, 5वां वारकूलालर एस.टी. पी.ओ. बालासमूदथरम पिलाना, डिंडीगुल अन्ना तमिलनाडु	1/29/61	एस.एस.सी
166.	583	ओमानकुट्टन के.के पुत्र वी. कुट्ठप्पन कानीयालिल हाउस पी.ओ. किदांनगूर साउथ जिला-कोट्टयम केरल-686583	1/06/70	इन्टर
167.	1800	के.डी. विजयन पुत्र के. एम. दमोदरन पुत्र कंजामपुरूथू, पी.ओ. काडावूर जिला-एर्नाकुलम, केरल	1/10/58	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
168.	5142	एस.जेम्स पुत्र डी. सिम्पसन 21 साउथ सिवान कोइल स्ट्रीट, पुलिस लाइन, वादापलानी मद्रास, तमिलनाडु	6/25/64	8
169.	2963	पी. पिचाई पिल्ले पुत्र एस. परम सिवम, 6/120 ए. जी. एल. स्टोन मिल, तिवाकेडी के विकट त्रिची, तमिलनाडु	2/15/64	एस.एस.सी
170.	1667	लोकेश के. एच. पुत्र हनूमगोडा सं. वी. 99, 13वां क्रॉस मारूति एक्टेन्शन प्लेस गुट्टाहल्ली, बंगलौर कर्नाटक	7/27/66	9
171.	2973	ई. पेरायक्का, पुत्र आर, नागरतिनम, 2/89 अवाडी रोड, चेन्नेरकुप्पम पुनमाली, मद्रास	12/07/60	इन्टर
172.	717	वर्गीस पी.टी. पुत्र थोमस पी.टी., पुथुकुटू हाउस पी.ओ. पल्लीपुरम, चेरथाला, केरल	4/14/63	एस.एस.सी
173.	656	वसवराजा जे. अब्बीगेरि पुत्र अब्बीगेरि जे. वी. कथराल विद्या पीठ लक्ष्मी सागर पोस्ट जिला-चित्रदुर्ग कर्नाटक	10/16/72	एस.एस.सी
174.	3839	पुक्काक्कन भीमा पुत्र पी. दमरया म.सं० 36-92-314 जैतरथ नगर कामचारापालेम विभाग, आन्ध्र प्रदेश	6/19/66	एस.एस.सी
175.	117	सारवेबल्ली सोबरानयान पुत्र सर्वपल्लि देशरादरया ए.पी.टी. एफ. कालोनी पेरीयवरम पंचायत जिला नैल्लोर, आन्ध्र प्रदेश	11/02/73	इन्टर
176.	511	सूजा के.के. पुत्र टी. के. कुमारन, कलावम्पारा हाउस पेरूमपडान्ना जिला–एर्नाकुलम, केरल	2/09/63	बी.ए
177.	3545	प्रहलाद पुत्र बन्देराव कुलकर्णी नं० 34/14 सी. तीसरा क्रॉस तावरकेटे, बंगलौर, कर्नाटक	10/18/60	इन्टर
178.	4552	पी. जानकी रमण पुत्र एस. पालनी सामी, II अन्ना स्ट्रीट महात्मागांधी नगर, तारामणि मद्रास	6/22/61	एस.एस.सी
179.	413	पी.ए. बाल कृष्णा पुत्र अरूमुखन पाडानजतारा हाउस पी.ओ. मन्नालूर जिला पालघाट केरल	10/21/60	एस.एस.सी
180	1082	के. परमेश्वररया पुत्र के. रामालिंगम, पी.आ. गोडिल, लिंगल, बोलमूर जिला-महबूबनगर, आन्ध्र प्रदेश	2/10/70	एस.एस.सी
181.	3640	आर.जय कुमार पुत्र राजू पोस्ट-पचाल तह–नामक्काल जिला-सेलम तमिलनाडु	5/25/68	एस.एस.सी
182.	5063	एस. कान्डा सामी पुत्र एस. सुब्बेया 4-80 वी, स्कूल स्ट्रीय तिरूमलाई अप्पापुरम पोट्टालपुदुर, एन.के.बी. तमिलनाडु	4/09/67	एस.एस.सी
183	876	एन. जगन्नाथन पुत्र ए. नादा राजन सं० 82 के. पी.काइल स्ट्रीट सैथा पेट मद्रास, तमिलनाडु	6/19/62	एस.एस.सी
184	3647	आर. करूणाकरन पुत्र ए. ई. रंगासामी, 51 पिल्लायार कोइल एस.टी. नार्थ पेट सत्य मंगलन, पेरियार, तमिलनाडु	3/28/65	एस.एस.सी
185.	4691	पी. सेकेर पुत्र के. पिदई सातन कुप्पम, पी.ओ. पुलिकोर जिला-शगेलपुट तमिलनाडु	11/02/64	इन्टर
186.	403	बालाकृष्णन् सी. पुत्र के.पी. नारायणन् नाम्बियार, चन्द्र विला पी.ओ. बेल्लूर जिला-कन्नूर, केरल	5/21/66	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
187.	397	कुट्टन सी. पुत्र चामि चेरीयिल हाउस पी.ओ. आयूर वायनाड, केरल	4/16/64	इन्टर
188.	5101	ए. जिनेन्द्र कुमार पुत्र ए. आटिराजन, जैन स्ट्रीट, पिडागम कान्डामनाडी, विल्लू पुरम, जिला-वी.आर.पी. तमिलनाडु	6/15/62	9
189.	3001	एस.ए. चक्रप्पन पुत्र के अन्नामाली, 58,तेन्नचैयाप्पन सलाइ, सेठी रोड, सारा वानामति, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	4/15/58	एस.एस.सी
190.	3599	डी. कुप्पमल पुत्र नारायण, 88/बयूथोटटस, अरनी रोड, सेनातापुर, जिला –एन.ए.ए. तमिलनाडु	6/15/59	8
191.	891	एस. सुब्रामणियम पुत्र एस.यू. राघवैया मेंट ब्लाइंड होम पोस्टल क्वाटर्स के निकट तिरूपति, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	3/4/64	इन्टर
192.	57	पी. बेंकटरमन पुत्र पी. चेन्ना बरासता डाकघर तथा गांव रेरूसु पाल्ली, चक्रपेट (मण्डल) कुडडाफाद, आन्ध्र प्रदेश	3/01/74	इन्टरमीडिएट
193.	1608	डी कालान्धी वेलू पुत्र यान्डापानी संख्या 16/2 काराने गार्डन, तीसरी गली पश्चिम सईदावेट, मद्रास, तमिलनाडु	12/16/64	8
194.	3461	एस.अप्पा राव पुत्र परेदशी गांव/पोस्ट परवाड़ा, वाया अनाकाबल्ली विशाखापटटनम, आन्ध्र प्रदेश	9/23/66	एस.एस.सी
195.	740	वीरप्पा पुत्र पिताम्बरप्पा एटी/ पीओ. शिंगली, तह० शिरामटटी जिला-धारवाड़, कर्नाटक	12/01/66	इण्टरमीडिएट
196.	1809	जी सुब्रामणि पुत्र पी. गजेन्द्र 16, पेरीयार सलीह, चेल्लीयामन कोइली, अयानावरम, मद्रास	3/04/65	8
197.	518	विश्वनाथन, पी. पुत्र पी. के. अम्बु थादुबलम, पी.ओ. पिलोकोड जिला-कासारगोड़ केरल	4/11/67	एस.एस.सी
198.	2986	आर.अरोकिया दोस पुत्र एस. रेधिना सामी, नं० एफ 444, पिनहेरो कालोनी नामन सम्बूघरम, पुडुक्कोटइ, तमिलनाडु	1/25/63	एस.एस.सी
199.	502	थकामणि के.के. पुत्र कराथ्पन करूवेली हाउस पी.ओ. वेल्लातेंजूर त्रिचूर, केरल	5/12/67	एस.एस.सी
200.	448	अजीत कुमारी जी, पुत्री तिलाश्रीधन एस विलामिलविराथु वी पी.ओ. इरीनजरयान तिरूवनंतपुर	3/25/69	एस.एस.सी
201.	2743	के, ए, नाजीर पुत्र के. एस. अब्दुल रहमान कुप्पियान हाउस चेलामाट्टोम, ओक्कल जिला-एनडिलम, केरल	5/10/66	एस.एस.सी
202.	2361	ए. वादीवेल पुत्र अफासामी एफ. ब्लाक 328 कन्नूल बैंक रोड, कीच्यूर मद्रास तमिलनाडु	1/16/70	9
203	406	देवदास एन. पुत्र पी.के नारायण नायर थोदशप्यरूतपी हाउस पी.ओ. विजयपुर, एलक्काड, केरल	4/10/62	एस.एस.ए
204	4623	वी. जीवागन पुत्र एस. विजयकीर्ति 13 कुप्यूसामी ईस्ट (डब्ल्यू) वी. मरूदुर, विल्लूपुरम, बी.आर. वी. तमिलनाडु	7/05/62	एस.एस.सी
205.	2050	बी. जय कुमार पुत्र बालरमन सं० 6 सी. वी. रोड, तीसरी गली, मद्रास, तमिलनाडु	2/06/70	8

1	2	3	4	5
206.	4082	मादे वप्पा एम. पुत्र मदैया सं० 115 अश्विनी वौर के. एन. पुरा क्याथमारल्ली, मैस्कर कर्नाटक	7/23/67	एस.एस.सी
207.	1837	जी. अरूलानन्दम पुत्र एस. गनाप्रकाशन से० 2/112 तिरूमुरूगन नगर पोस्ट, मद्रास तमिलनाडु	7/13/61	
208	4803	ए. रामकृष्ण रेड्डी पुत्र ए. वेंकटरेड्डी प्लाट नं० 3 बादाम अपार्टमेंटस भारत नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	12/17/62	एस.एस.सी
209	402	मोहनन पतिनहरा पुत्र आनन्द मारार नेरूवामब्राम चेंगल, पोस्ट पायांगडी केरल	4/04/64	एस.एस.सी
210	2977	पी कुमार पुत्र धनपक्कीम नं० 43 वेदाप्पा चेटटो स्ट्रीट चेंगलपेट, तमिलनाडु	7/05/68	इन्टर
211.	4993	हुच्चुसाब जे. अब्बोगेरी पुत्र जे. अंगीसाब मार्फत नाब, आईटीसी फॉर ब्लाइंड, सी-177-178 यादावगीरि मैसूर, कनार्टक	6/22/65	एस.एस.सी
212.	2618	जे.साई कुमार पुत्र जे. अंजायाह एच. नं० 11-2-399/5 नयर्लागाददा, सीधापालमांदी, सिकुन्दराबाद, आंध्र प्रदेश-500361	6/30/63	एस.एस.सी
213.	5060	एस. सिवांगाम पुत्र सोक्करलरथन नं० 3, 41/4 ए शास्त्री नगर, तीसरी गली इन्नूर, मद्रास, तमिलनाडु	6/16/66	9
214	579	इलघीसे टी.वी. पुत्र वरघीसे टी. एस. थोत्तुंगल हाउस, पी.ओ. पलामुडी मुथाथुपारा, केरल	3/26/61	एस.एस.सी
215	580	साकुंथला के.के. पुत्र कृष्णनन करनचेरी हाउस, पो. बादायमपाडे जिला-ईर नाकुल्लम, केरल	6/30/63	इन्टर
216.	2810	एच.ही. रमेश पुत्र गुरूसिदप्पा टीआरडीसी जक्कासंदरा रोड तह. कनाकपूरा, जिला बंगलौर कर्नाटक 562112	7/23/65	एस.एस.सी
217.	598	के.एन. मंजप्पा पुत्र के.एन. नारजेगोवडा सरकारी होस्टल फॉर डिसब्लेड बंगलौर, कर्नाटक	2/13/66	एस.एस.सी
218.	524	के. भास्करन पुत्र मुंथीक्कोट कंनान ग्राम त्रिकारीपुर, पो. कोदाक्काद जिला–कासारागोड, केरल	7/23/64	इन्टर
219.	385	इब्राहिम के. पुत्र कुनामोइदीन मुशियार कारीहयात्तोल, मालापुराम, केरल-679324	5/30/73	बी.ए
220	2610	एस. थेईवानई पुत्र सुब्बीयाह टीडीटीए स्कूल एफ/टी ब्लाइंड, पालायामकोत्तई, त्रिनेलवेली, तमिलनाडु	1/07/60	एस.एस.सी

1	2	3	4	5
221.	1421	ए. बैल्लान्कान्नी पुत्र अरूलाप्यान पो. मिचाइल पालायाम, निलाकोटटई दिनदीगुल जिला-अन्ना, तमिलनाडु	9/16/62	एस.एस.सी
222.	384	एम.अब्दुल नाजेर पुत्र एम० इबाहिम इलायादेघ हाउस, पो. उरांगंतीरी एरेयाकोड, मालापुरम, केरल-627007	8/16/70	इन्टर
223.	2115	के. इक्यापांदी पुत्र कोमबिया थेवन, 254, हाउसिंग बोर्ड कालोनी पेरूमालपुरम त्रिरूनेलवेली, तमिलनाडु-627007	7/25/69	एस.एस.सी
224.	1492	धाराका रामुड. के. पुत्र के. केशावलु नं० 12/3 आईएसटी, मेन 2 क्रास, कादप्पा स्वामी मटट, बंगलौर, कर्नाटक.-560023	12/14/71	एस.एस.सी
225.	371	अबदु स्सामाद एम.सी. पुत्र कुंहीकालांघान पो. इलेत्तील, ग्राम-कोडुवाल्ली, कालीकट केरल-673572	4/01/72	एस.एस.सी
226.	370	कुन्ही कंनन के. पुत्र कोकन कप्पाली, हाउस हाउस, पो. विल्लाड, जिला कालीकब्ट केरल	6/04/67	एस.एस.सी
227.	300	मशोधन पी.के. पुत्र कुटटप्याम पो. चेरीयानाड, जिला अल्लप्पी केरल	5/15/69	एस.एस.सी
228.	4564	डी. सुन्दरमूर्ति पुत्र आर, धर्मलिंगम, 9 धनपाल चेटटी तीसरा सेंट वेंकटरमन नगर, कोरातुत मद्रास, तमिलनाडु	7/10/69	एस.एस.सी
229.	2781	एस. के. मारी पुत्र कंडास्वामी नायकर, 10, मारीचेटटी स्ट्रीट, मंडावल्ली, मद्रास तमिलनाडु	8./06/58	9

विवरण-II

नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के ब्यौरे

क्र. सं.	क्रमांक	रैंक सं.	नाम	कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जहां नियुक्ति हुई
1	2	3	4	5
नार्थ क्षेत्र				
1.	1033	1	श्री पुष्करसिंह कानवासी	टेहरी छाईड्री कॉप डेवलमेंट कार्पोरेशन, लि०
2.	3307	2	श्री राम दरश	स्टेट फार्मस कार्पोरशन आफ इंडिया लि० नई दिल्ली
3.	3038	3	श्री मानदेव	आयल एडं नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि० देहरादून
4.	3302	4	श्री इस्लाम नबी	–तदैव–
5.	3386	5	श्री किशोर कुमार	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली
6.	3337	6	श्री जितेन्द्र कुमार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हिसार
7.	3382	7	श्री भाग्य नारायण साहा	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

क्र. सं.	क्रमांक	रैंक सं.	नाम	कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जहां नियुक्ति हुई
1	2	3	4	5
8.	3296	8	श्री वकार अहमद	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, रायबरेली, उ०प्र०
9.	3231	9	श्री राम अनुज तिवारी	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली
10.	593	11	श्री राजेन्द्र प्रसाद कश्यप	–तदैव–
11.	1006	12	श्री दया राम	–तदैव–
12.	858	13	श्री ओम प्रकाश अनियाल	–तदैव–
13.	920	14	श्री उत्तम राव मधंकार	–तदैव–
14.	5108	15	श्री खुशी राम	–तदैव–
15.	3068	24	श्री जाहिद हसन	नाथोपा सहकारी पावर कार्पोरेशन लि० शिमला
16.	3366	31	श्री संतोष कुमार	भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड
17.	918	32	कुमारी मनीक्षा पाठक	तदैव–
18.	255	33	श्री राम विशाल पटेल	तदैव–
19.	263	34	कुमारी पुष्पा तिवारी	तदैव
पश्चिम शाखा				
20.	2625	1	श्री बगुल रविन्द्र दादा	पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० महाराष्ट्र
21.	761	2	श्री भरांडे प्रकाश	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन, मुम्बई
22.	1488	10	श्री गोकुल चन्द्र पाल	सेन्ट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे
23.	2205	11	श्री हेमानी बी चवन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सी.आई.एफ.ई. मुम्बई
24.	3785	16	श्री बालु सखाराम	दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, कोल्हापुर
25.	4359	18	श्री जोशी धनंत्रय	गोवा शिपयार्ड लि० वास्कां दा गामा
पूर्वी शाखा				
26.	1042	1	कु० अमिता घोष	मुख्य लेखाकार (ए और ई) कलकत्ता
27.	4324	9	श्री सरत चन्द्र दास	राष्ट्रीय एल्युमिनियम कम्पंनी लि०
28.	1981	14	श्री दक्ष भजन कार	(एम एंड आर कम्प्लेक्स दामनजाडी) भुवनेश्वर प्रदीप फास्फेट्स लि० भुवनेश्वर
29.	1119	24	श्री खोखन अली खोख	स्टेशनरी कार्यालय, कलकत्ता
30.	1184	25	श्री तरूण कुमार	अभियन्ता कार्यालय आकाशवाणी और दूरदर्शन, कलकत्ता
दक्षिण शाखा				
31.	354	4	कु० सैली थॉमस	भारत अर्थ भूवर्स लि० बंगलौर
32.	280	8	श्री आर. कुमारन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सेंट्रल प्लान्टेशन प्राप्स रिसर्च इन्सटीच्यूड, कासरगोड
33.	4064	66	श्री वरदराज	सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टीच्यूट, बंगलौर

[हिन्दी]

हरियाणा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटा

4728. **डा. अरविंद शर्मा** :क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी, मिटट्ी तेल और खाद्य तेल के कोटे में वृद्धि करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तुओं के आवंटन में वृद्धि करने के अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते हैं। हरियाणा समेत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक वस्तुओं का आवंटन केंद्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक की मात्रा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक मांग, वस्तुओं की बाजार में उपलब्ध मात्रा, मौसमजन्य कारकों, आवंटनों में से किए गए उठान आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। लेवी चीनी का आवंटन, 1991 की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति 425 ग्राम के समान मानदंड पर किया जाता है गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य को किया गया आवंटन तथा उक्त राज्य सरकार द्वारा किए गए उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। विवरण से देखा जा सकता है कि हरियाणा राज्य सरकार ने आवंटन की तुलना में काफी कम मात्रा में उठान किया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य को किया गया आवश्यक वस्तुओं का आवंटन तथा उक्त राज्य सरकार द्वारा किए गए उठान

वस्तु		हरियाणा (हजार मी टन में)		
		1994	1995	1996
1		2	3	4
(1)	गेहूं			
	आवंटन	138.40	212.92	207.60
	उठान	34.60	52.70	111.60
(2)	चावल			
	आवंटन	36.00	51.56	54.00
	उठान	6.60	7.20	19.50
(3)	चीनी			
	आवंटन	79.60	79.68	86.13
	(100%उठान)			
(4)	खाद्य तेल			
	आवंटन	0.50	0.20	–
	उठान	0.06	0.02	0.26
(5)	मिट्टी का तेल			
	आवंटन	153.88	156.83	159.60
	उठान	153.70	157.96	160.36

खाद्यान्नों की उत्पादन वृद्धि दर

4729. **जस्टिस गुमान मल लोढा** :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न उत्पादन की वार्षिक दर आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या उत्पादन की निर्धारित वार्षिक वृद्धि में सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो खाद्यान्नों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर क्या है और लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन की क्या वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) खाद्यान्न उत्पादों में औसत वार्षिक वृद्धि (वृद्धि दर) इस समय 2.7 प्रतिशत देखने में आई है जो आठवी पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1992-93 से 1996-97 के लिये संशोधित करके तय की गई 2.8 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि (वृद्धि दर) से मामूली कम है।

(ग) वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान अखिल भारतीय उत्पादन में कमी/वृद्धि की प्रतिशतता इस प्रकार है:

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि/कमी
1992-93	6.6
1993-94	2.7
1994-95	3.9
1995-96	(–) 3.3
1996-97	3.8

वर्ष 1995-96 के दौरान उत्पादन में कमी के कारण खाद्यान्न उत्पादन की लक्षित वृद्धि दर प्राप्त नहीं हो सकी है जिसके मुख्य कारण हैं– आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र में कमी, विशेषकर गेहूँ के तहत मौसम में स्थानिक और अस्थाई गड़बड़ी, तथा इसके अलावा उर्वरकों का असंतुलित उपयोग।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

घरेलू और आयातित गेहूं

4730. **श्री राम नगीना मिश्र** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों को आयातित गेहूं के मूल्य की तुलना में बहुत कम मूल्य दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू और आयातित गेहूं के लिए दिए गए मूल्यों में कितना अंतर है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में गेहूं के उत्पादन में गिरावट आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) विपणन मौसम 1996-97 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 380/- रुपये प्रति क्विंटल था जिसके परिणामस्वरूप वसूली प्रासंगिक खर्चों और वितरण लागत को हिसाब में लेने के बाद भारतीय खाद्य निगम के लिए आर्थिक लागत 618.14 रुपये (1996-97 : सं.अं.) प्रति क्विंटल होती है। भारतीय पत्तनों पर आयातित गेहूं की औसत सी.एण्ड एफ लागत 622/- रुपये प्रति क्विंटल बैठती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अनुमानों के अनुसार फसल वर्ष 1996-97 में गेहूं का उत्पादन 64.66 मिलियन टन होने की संभावना है जबकि फसल वर्ष 1995-96 में यह 62.62 मिलियन टन था।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कल्याण योजना

4731. **श्री श्याम लाल बंसीवाल** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने अनुसूजित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कल्याण योजना हेतु वित्तीय सहायता की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याणार्थ राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार को प्रदान की गई वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता की राशि		
		1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावास की केन्द्र प्रायोजित योजना	7.58	220.01	143.96
2.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास की केन्द्र प्रायोजित योजना	–	12.78	–
3.	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक	15.00	9.97	–
4.	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए योग्यता उन्नयन	8.33	–	0.94
5.	सफाई कर्मचारी तथा उनके आश्रितों को मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	–	686.00	1024.00
6.	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग तथा संबद्ध योजना	4.60	–	31.58
7.	विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	887.365	1828.2613	1619.81
8.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को शेयर पूंजी	9.80	74.95	54.99
9.	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना	311.68	665.40	934.75

1	2	3	4	5
10.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना	39.88	57.50	83.60
11.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना	30.77	63.82	115.19
12.	शैक्षणिक परिसर	48.19	20.64	18.78
13.	आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2202.79	2819.04	2467.32
14.	अनुच्छेद 273 (I) के अंतर्गत अनुदान	600.00	600.00	600.00
15.	राज्य आदिवासी विकास निगमों को सहायता अनुदान	30.00	–	50.00
16.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास	–	66.74	33.37
17.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	6.14	7.93	5.66
18.	अनुसूचित जनजाति के लिए आश्रम स्कूल	24.50	–	–
19.	गैर सरकारी संगठन	11.37	10.79	–
20.	बहुत निम्न साक्षरता स्तरों से संबंधित अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षणिक विकास कार्यक्रम की केन्द्र क्षेत्र की योजना	–	–	5.65

[हिन्दी]

समर्थन मूल्य

4732. **श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :**
श्री शिवराज सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 में फसलवार समर्थन मूल्यों में कितनी वृद्धि की जायेगी ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) विपणन वर्ष 1997-98 हेतु रबी फसलों और कोपरा हेतु पहले से ही घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार हैं :

(रु० प्रति कुन्तल)

फसल	विपणन मौसम 1997-98 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य	वर्ष 1996-97 की तुलना में वृद्धि
गेहूं	475*	95
जौं	305	10
चना	740	40
तोरिया/सरसों	890	30
कुसुम	830	30
तोरिया	855	30
कोपरा मिलिंग बॉल (कैलेन्डर वर्ष 1997)	2925	200

*सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 60/- रुपये प्रति कुन्तल की दर से केन्द्रीय बोनस सहित।

2. वर्ष 1997-98 मौसम हेतु खरीफ फसलों और जूट के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

हिरासत में होने वाली मौतों में वृद्धि

4733. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अप्रैल, 1997 के स्टेट्समैन में प्रकाशित "स्टडी इनक्रीज इन कस्टडी डैथ्स रिपोर्टस एंड मैन डाइज इन पुलिस स्टेशन" समाचार शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी में हिरासत में हाने वाली मौतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एक अप्रैल, 1997 की यथास्थिति को राजधानी में हिरासत में हुई मौतों की संख्या क्या है; और

(घ) इन मामलों में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध तथा हिरासत में हाने वाली मौतों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1994, 1995, 1996 तथा 1997 (1.4.1997 तक) के दौरान दिल्ली में सूचित की गई हिरासत में हुई मौतों की संख्या तथा उन पर पुलिस कार्मिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई

वर्ष	सूचित की गई हिरासत में हुई मौतों की संख्या	दर्ज किए गए आपराधिक मामले	ऐसे पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए	ऐसे पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई
1994	2	2	12	15
1995	3	2	11	1
1996	3	2	8	14
1997 (1.4.1997 तक)	–	–	–	–

दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में होने वाली मौतों की घटनाओं को रोकने के लिए उठाये गए कदम इस प्रकार हैं :

(क) पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में रखे गए किसी भी व्यक्ति को अपने किसी दोस्त, संबंधी या किसी भी ऐसे व्यक्ति जो उसे जानता हो या उसकी भलाई में रुचि रखता हो, को सूचित करने का मौका दिया जाता है।

(ख) मानवाधिकारों के उल्लंघन, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पुलिस सहायता मांगने वाले व्यक्तियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार इत्यादि की रोकथाम के चुनिन्दा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस थानों, पुलिस चौकियों, सहायता बूथों, चैक पोस्टों आदि के आकस्तिक निरीक्षण किए जाते हैं।

(ग) गैर-कानूनी कैद, हथकडी का गलत उपयोग, अपराधों को दर्ज न करना तथा कम किए जाने इत्यादि को रोकने के लिए एक केन्द्रीय निरीक्षण दल समय-समय पर पुलिस थानों तथा अन्य पुलिस स्थापनाओं की चैकिंग करता है।

(घ) डी.सी.पी तथा ए.सी.पी. रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, लोगों की शिकायतों को स्थल पर सुनने और दूर करने हेतु नियमित रूप से पुलिस थानों में जाते हैं।

(ङ) सभी पुलिस थानों, में एक पृथक क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इसे संक्रमण कक्ष का नाम दिया गया है। इसे रिर्पोटिग कक्ष और थाना प्रभारियों के कमरे के निकट स्थापित किया गया है। जांच पड़ताल अधिकारियों को संदिग्ध व्यक्तियों और गवाहों से केवल संक्रमण कक्ष में ही पूछताछ करने के निर्देश दिए गए हैं। जनता के किसी भी व्यक्ति को पूछताछ हेतु पुलिस थाने के अन्य कमरों में जाने या ले जाने की अनुमति नहीं है।

(च) जांच पड़ताल अधिकारियों को उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थर्ड डिग्री पैथ्ड अपनाने से बाज आने के प्रति ब्रीफ किया जा रहा है।

(छ) सभी संबंधितों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि पियक्कडों नशीली दवाइयों का सेवन करने वालों तथा घायल व्यक्तियों को पुलिस थानों में न रखें। उन्हें अस्पताल इत्यादि में ले जाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए है।

संतरे की खेती

4734. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संतरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या किसानों को संतरों की उपज में सहायता देने के लिए कोई विस्तार केन्द्र खोले गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह केन्द्र कहां खोले गये हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 8वीं योजना के दौरान भारत सरकार ने फलों के समेकित विकास पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है जिसके अधीन अच्छी क्वालिटी की पौधरोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरी स्थापित करने, क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता सुधारने, प्रदर्शन और कृषक-प्रशिक्षण, संतरा सहित फलों की खेती के प्रवर्धन के लिए सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, "कृषि में प्लास्टिक" की योजना के अधीन ड्रिप-सिंचाई प्रणाली की संस्थापना और मल्चिंग आदि के लिए सहायता दी जा रही है।

(ख) और (ग) राज्य बागवानी/कृषि विभाग द्वारा विस्तार सेवाएं मुहैया की जा ही हैं। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने केन्द्रों, अर्थात नीबू जातीय फलो पर केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्रों, नागपुर (महाराष्ट्र), तिनसुकिया (असम), चेथाली (कनार्टक), तिरूपति (आध्र प्रदेश), भटिंडा (पंजाब) के जरिये तकनीकी जानकारी भी दे रही है।

[हिन्दी]

कृषि विकास हेतु धनराशि

4735. **श्री सुखलाल कुशवाहा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान कृषि के विकास हेतु प्रत्येक राज्य को आवंटित/जारी की गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवंटित/जारी की गयी धनराशि गत वर्ष की तुलना से अधिक है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान दिसम्बर 1996 तक कृषि के विकास के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा राज्यों को 555 करोड़ रुपये दिए गए। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वर्ष 1977-98 के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों, विभाग द्वारा बजट में कुल आबंटन और पहले निर्मुक्त रकम में से किसी खास राज्य में उपयुक्त रकम के आधार पर राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाएंगी।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	1996-97 के दौरान निर्मुक्त रकम (दिसम्बर, 1996 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	57.29
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.79
3.	असम	1.76
4.	बिहार	4.15
5.	गोवा	1.30
6.	गुजरात	23.93
7.	हरियाणा	13.67
8.	हिमाचल प्रदेश	6.84
9.	जम्मू कश्मीर	8.70
10.	कर्नाटक	42.03
11.	केरल	22.64
12.	मध्य प्रदेश	45.46
13.	महाराष्ट्र	78.64
14.	मणिपुर	6.98
15.	मेघालय	1.40
16.	मिजोरम	2.25
17.	नागालैंड	3.54
18.	उड़ीसा	22.18
19.	पंजाब	18.95
20.	राजस्थान	69.64
21.	सिक्किम	1.07
22.	तमिलनाडु	38.13
23.	त्रिपुरा	1.11
24.	उत्तर प्रदेश	72.57
25.	पश्चिम बंगाल	7.49
	योग	554.53

कीटनाशक

4736. **श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कीड़े-मकौडों में डी.डी.टी. पैराकवेट, लिंडेन तथा अन्य कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन कीटनाशकों के प्रयोग से पर्यावरणीय तथा अन्य क्या समस्यायें पैदा हो रही हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) अब, भारत में 31 नाशीजीवों की प्रजातियों में प्रतिरोधिता को पहचान लिया गया जिसमें से 19 नाशीजीव मेडिकल और वेटेरिनरी महत्व के हैं, 7 भण्डारित वस्तुओं के नाशीजीव हैं और 5 खेतों की फसलों के नाशीजीव हैं। सभी मुख्य कीटनाशक रसायनों, जिसमें आर्गेनोक्लोरीन जैसे डी.डी.टी., बी.एच.सी., लिन्डेन और एंडोसल्फान, आर्गेनोफास्फेट जैसे मेलाथिआन, डाइक्लोरवोस, क्विनोलफास ओर सिन्थेटिक पाइरेथ्राइड्स जैसे साइपरमेथ्रिन एवं डेल्टामेथ्रिन शामिल हैं, के प्रति कीटनाशी-रोधिता पाई गई।

(ग) रासायनिक कीटनाशकों का अनुपयुक्त और अनुचित प्रयोग करने से अनेक पर्यावरण संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो इस प्रकार हैं:

(I) प्रयोगकर्ता अथवा अपभोक्ता पर सीधे विषैला प्रभाव।

(II) कीटनाशक रसायनों के प्रति रोधी नाशीजीवों की प्रजातियों का विकस।

(III) गैर–लक्षित आर्गेनिज्मों जैसे परपोषी ओर नाशीजीवों के ऊपर निर्भर रहने वाले कृन्तकों, मधुमक्खी और दूसरे परागणकर्ता, ममछलियों, पक्षियों और अन्य जंगली जानवरों का विनाश।

(IV) प्राकृतिक शत्रुओं के न होने पर नाशीजीवों का फिर से उत्पन्न होना (पुनरूत्थान) जिससे इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाने की संभावना होती है।

(V) गौण नाशीजीवों का प्रकोप, जिन पर उनके प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा नियंत्रण संभव नहीं होता।

(VI) फसलों, पौधों, मनुष्य, पालतू जानवरों, जंगली जानवरों और पर्यावरण पर नुकसानदेह अवशेषों का संचयन।

[अनुवाद]

एम.एस.गोरे समिति

4737. **श्री चर्चिल अलेमाओ** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकर ने प्रो. एम.एस. गोरे समिति द्वारा पुलिस प्रशिक्षण के बारे में की गई सिफारिशों को मान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा इन सिफारिशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा में कम ऊंचाई पर वायुयान की उड़ान

4738. **श्री मोहन रावले** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अप्रैल, 1997 की रात में त्रिपुरा के अशांत क्षेत्र के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विदेशी विमान को दो बार देखा गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वायुयान ने अपनी खेप वहां पर सफलतापूर्वक गिरा दी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) इस बात की रिपोर्टें हैं कि त्रिपुरा में मण्डाई में तैनात सेना की एक यूनिट द्वारा दिनांक 20.4.97 को नीची उड़ान भरते हुए विमान को दो बार देखा गया। तथापि, इस उड़ानों की किसी अन्य स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) उक्त विमानों द्वारा किसी प्रकार की सामग्री गिराए जाने की सूचना नहीं है।

(ङ) इस बारे में राज्य सरकार और अन्य एजेन्सियों को पूर्णतः सतर्क कर दिया गया है।

पुष्प कृषि के निर्यात की सम्भावना

4739. **श्री विजय हण्डिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पुष्प कृषि की वर्तमान स्थिति और इसके निर्यात की सम्भावना के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका रिपोर्ट में सूचीबद्ध की गई मुख्य अड़चनों को हटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) (1) कृषि मंत्रालय द्वारा आठवीं योजना के दौरान देश के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 14.29 करोड़ रुपयेके परिव्यय से वाणिज्यिक पुष्प कृषि संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित की गयी है। इसमें क्वालिटी रोपण सामग्री की आपूर्ति उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण तथा कटाई पश्चात प्रबंध एवं क्षेत्र विस्तार पर अधिक बल दिया गया। इस योजना को नौवी योजनावधि के दौरान भी जारी रखे जाने की संभावना है।

(2) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा उत्पादन संबंधी समेकित परियोजनाओं तथा निर्यात पर केन्द्रित विपणन सहित कटाई पश्चात प्रबंध के लिए एक करोड़ रुपये तक सरल ऋण प्रदान किया जाता है। आठवीं योजनावधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में पुष्प कृषि संबंधी 61 परियोजनाओं को सहायता देने के लिए 52.58 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

(3) कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य मंत्रालय) द्वारा मुम्बई एवं दिल्ली विमानपत्तनों पर नाशवान जिन्सों की निर्यात खेपों के अलग रख रखाव के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता दे रहा है।

(4) पांच प्रमुख शहरों नामतः दिल्ली मुम्बई, पुणे, चैन्नई तथा बंगलौर में थोक विपणन तथा नीलमी केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

(5) कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उन्नत उत्पादन विशेषज्ञता एवं मंडी जानकारी पर आधारित कट फ्लॉवर निर्यात क्षेत्र के विस्तारके उद्देश्य से पुष्प कृषि संबंधी यू.एन.डी.पी. से सहायता प्राप्त परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(6) भारत सरकर द्वारा खास तौर से निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के लिए रोपण सामग्री आयात संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम तथा सरल बना दिया गया है।

(7) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए अपेक्षित कतिपय महत्वपूर्ण उपकरणों आदि पर आयात शुल्क माफ किया/घटा दिया गया है।

(8) कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा देश से पुष्प कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, पैकेजिंग, विपणन हवाई भाड़ा सब्सीडी सहित के संबंध में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़कियों के साथ छेड़-छाड़

4740. **कुमारी उमा भारती** :
श्री सत्यदेव सिंह :
प्रो. ओमपाल सिंह निडर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज छात्रावासों में लड़कियों के साथ छेड़–छाड़ की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके कारण शाम को लड़कियों का छात्रावास से बाहर निकलना असंभव हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत छह महीनों के दौरान छेड़-छाड़ के आरोप में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने छेड़-छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिये कोई कठोर कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद कमबूल डार) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कॉलेज छात्रावासों में 1.11.96 से 30.4.97

तक गत छः महीनों के दौरान छेड़खानी के 20 मामलों की तुलना में पूववर्ती छः महीनों 1.5.96 से 31.10.96 के दौरान ऐसे 8 मामले सूचित किए गए थे।

(ख) इनमें से अधिकांश मामले विशेष अवसरों जैसे वार्षिकोत्सव, रॉक शो, होली का त्यौहार तथा नये शैक्षिक सत्र की शुरूआत पर सूचित किए गए हैं।

(ग) गत छः महीनों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कॉलेज छात्रावास में 37 व्यक्तियों को महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 20 व्यक्ति पहले ही दोष सिद्ध किए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:

(I) महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं को रोकने हेतु परिसर क्षेत्र में विशेष गश्त के साथ-साथ नकली महिला छात्र तैनात किए जाते हैं।

(II) छेड़खानी रोकने के लिए महिला छात्रावाओं के इर्द-गिर्द सादे कपड़ों के साथ-साथ वर्दीधारी स्टाफ तैनात किया जाता है।

(III) महत्वपूर्ण स्थानों पर सादे कपड़ो में पुलिस कार्मिक तैनात किए जाते हैं।

(IV) बदमाशों/छेड़खानी करने वालों के खिलाफ स्रोत विकसित करने तथा आसूचना संग्रहण के लिए स्थानीय पुलिस को क्रियाशील बनाया गया है।

(V) इस क्षेत्र की गश्त बढ़ा दी गई है।

(VI) बसों की प्रायः चैकिंग की जा रही है।

(VII) बस स्टापों पर निकट से निगरानी रखी जा रही है।

उर्वरकों का गुणवत्ता नियंत्रण

4741. **श्री धावरचंद गेहलोत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु केन्द्रीय दल ने राज्य–वार कितने नमूने लिये हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान लिये गये नमूनों पर की गयी कार्यवाही का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और कितने नमूनों में मिलावट का पता लगाया गया ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गई।

(ख) और (ग) राज्य सरकार प्रवर्त्तन अभिकरण है तथा उसे उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के अधीन चूककर्त्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। केन्द्रीय तथा राज्य दोनों एजेंसियों द्वारा लिए गए गैर मानक नमूनों के लिए संबंधित राज्यों में इस अवधि के दौरान 451 मामलों में अभियोजन शुरू किया गया है 16 मामलों में न्यायालय द्वारा सजा दी गई है। तथा 1224 मामलों के पंजीकण प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं। संदर्भाधीन अवधि के लिए केन्द्रीय दल द्वारा लिए गए नमूनों के आधार पर की गई कार्रवाई के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय दल द्वारा लिए गए 102 गैर मानक नमूनों में से 20 नमूनों में पोषक तत्वों (विनिर्दिष्टपोषक तत्वों के 30 प्रतिशत से कम) की मात्रा बहुत कम थी तथा इसे अपरपेश्रण/नकली सामग्री का मामला माना जा सकता है।

विवरण

राज्य	1994-95 लिए गए नमूने	गैर-मानक नमूने	1995-96 लिए गए नमूने	गैर-मानक नमूने	1996-97 लिए गए नमूने	गैर-मानक नमूने
पंजाब	7	1	15	1	15	शून्य
हरियाणा	–		18	2	–	
उत्तर प्रदेश	–		10	1	24	8
दिल्ली	–		3	शून्य	–	
गुजरात	–		18	1	47	12
राजस्थान	–		1	शून्य	9	1
मध्य प्रदेश	–		21	2	–	
महाराष्ट्र	–		22	4	55	37
बिहार	21	9	20	6	19	11
पश्चिम बं०	12	8	21	7	50	25
आन्ध्र प्र०	–		–		–	
तमिलनाडु	–		–		20	8
कुल	40	18	149	24	239	102

समुचित रूप से न ढके वाहनों पर प्रतिबंध

4742. **श्री पंकज चौधरी**
श्री सत्य देव सिंह
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजरी और राख की ढुलाई करने वाले ऐसे वाहनों जो समुचित रूप से ढके हुए नहीं होते हैं के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बजरी, स्टोन ऐग्रीगेट्स, फ्लाइऐश तथा वायु प्रदूषण फैलाने वाली अन्य सामग्री की ढुलाई करने वाले ऐसे वाहनों, जो समुचित रूप से ढके हुए नहीं होते, के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत् 17.4.1997 को एक अधिसूचना जारी की है।

(ग) और (घ) सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं।

वृक्षों की अवैध कटाई

4743. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान सरकार तथा जनता द्वारा लगाए गए वृक्षों की अवैध कटाई संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वृक्षों की अवैध कटाई के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार और जनता द्वारा लगाए गए वृक्षों की अवैध कटाई के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से कुल 108 शिकायतें प्राप्त हुई हैं; जो कि निम्नलिखित हैं :

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1994-95	38
1995-96	35
1996-97	35

(ग) शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इनकी जांच करें और उपयुक्त कार्रवाई एवं उपचारी उपाय करें।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की खरीद

4744. **श्री सुखबीर सिंह बादल :**
श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दूसरे राज्यों की तुलना में पंजाब द्वारा केन्द्रीय पूल में उपलब्ध कराए गए खाद्यान्नों की मात्रा कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार में बिक्री के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन किया गया ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ख) राज्यवार गेहूं और चावल की आवंटित मात्रा और खुले बाजार में बिक्री के अधीन गेहूं और चावल की बेची गई मात्रा के ब्यौरे बताने वाले विवरण III से VI संलग्न हैं।

गेहूं और चावल की खुली बिक्री के मूल्य बताने वाले विवरण VII और VIII संलग्न हैं ।

गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य बताने वाला विवरण IX संलग्न है।

विवरण – I

चावल की वसूली : वसूली मौसम (अक्तूबर–सितम्बर)

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विपण मौसम		
	1994-95	1995-96	1996-1997
			(28.4.97 की स्थिति के अनुसार)
क. केन्द्रीय पूल में अंशदान करने वाले			
आंध्र प्रदेश	4024	3682	2857
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
असम	1	2	नगण्य
बिहार	1	नगण्य	नगण्य
हरियाणा	1425	689	1196
हिमाचल प्रदेश	–	–	–
कर्नाटक	44	78	82
मध्य प्रदेश	759	687	562
महाराष्ट्र	66	38	32
उड़ीसा	327	456	385
पंजाब	5826	3462	4213
राजस्थान	25	2	3
उत्तर प्रदेश	727	720	855
पश्चिम बंगाल	151	133	148
चण्डीगढ़	23	–	14
दिल्ली	4	–	–
पांडिचेरी	–	–	–
जोड़ (क)	13403	9949	10347

विवरण – II

गेहूं की वसूली : विपणन मौसम (अप्रैल-मार्च)

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विपणन मौसम		
	1994-95	1995-96	1996-1997
1	2	3	4
बिहार	नगण्य	नगण्य	–
गुजरात	–	1	–
हरियाणा	3047	3102	2080
हिमाचल प्रदेश	नगण्य	–	–

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	–	–	–
मध्य प्रदेश	66	169	5
पंजाब	7285	7299	5628
राजस्थान	65	454	229
उत्तर प्रदेश	1406	1302	261
चण्डीगढ़	–	–	–
दिल्ली	–	नगण्य	–
अखिल भारत जोड़	11869	12327	8183

नगण्य : 500 टन से कम

विवरण – III

अप्रैल, 1994 से मार्च, 1997 के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल के आवंटन (अनंतिम) बताने वाला विवरण

(वित्तीय वर्ष-वार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-1997
आंध्र प्रदेश	2230.00	2620.00	2490.00
अरुणाचल प्रदेश	90.70	102.60	109.20
असम	465.80	568.00	648.70
बिहार	372.00	381.60	389.60
दिल्ली	240.00	240.00	240.00
गोआ	63.00	78.00	90.00
गुजरात	414.00	409.00	376.00
हरियाणा	36.00	53.56	52.00
हिमाचल प्रदेश	108.00	131.00	122.80
जम्मू और कश्मीर	520.20	528.00	528.00
कर्नाटक	1307.34	1443.12	1453.12
केरल	1800.00	1800.00	1847.00
मध्य प्रदेश	559.74	580.16	613.68
महाराष्ट्र	858.00	858.00	858.00
मणिपुर	120.00	120.00	120.00
मेघालय	136.00	172.00	190.00
मिजोरम	100.00	90.00	92.05
नागालैण्ड	84.00	72.50	81.20
उड़ीसा	543.60	790.00	1012.00
पंजाब	17.25	16.65	18.00
राजस्थान	46.00	52.00	59.00
सिक्कम	56.10	57.60	60.10
तमिलनाडु	1200.00	159.00	1893.50
त्रिपुरा	194.40	194.40	194.40
उत्तर प्रदेश	549.60	549.60	532.20
पश्चिम बंगाल	932.40	856.00	800.00
अंडमान और निकोबार द्वीप	31.25	30.00	30.00
चंडीगढ़	3.60	3.60	3.60
दादर और नागर हवेली	6.00	6.00	6.00
दमन और दीव	6.00	6.70	7.20
लक्षद्वीप	6.30	6.30	6.30
पांडिचेरी	24.00	24.00	24.00
जोड़	13121.28	14430.39	14947.65

विवरण – IV

अप्रैल, 1994 से मर्च, 1997 के दौरान केन्द्रीय पूल से (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) (अनंतिम) का आवंटन बताने वाला विवरण

(वित्तीय वर्ष-वार)

(हजार टन में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-1997
1.	आंध्र प्रदेश	180.00	192.00	180.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.20	7.20	7.20
3.	असम	310.00	360.00	355.50
4.	बिहार	714.00	705.60	697.60
5.	दिल्ली	936.00	840.00	700.00
6.	गोआ	40.30	42.40	37.20
7.	गुजरात	642.00	835.50	690.90
8.	हरियाणा	151.80	209.48	208.16
9.	हिमाचल प्रदेश	136.00	144.00	140.00
10.	जम्मू और कश्मीर	350.00	360.00	360.00
11.	कर्नाटक	360.00	360.00	356.00
12.	केरल	445.00	585.00	572.50
13.	मध्य प्रदेश	560.94	583.92	605.62
14.	महाराष्ट्र	960.00	1100.00	1010.00
15.	मणिपुर	32.40	32.40	32.40
16.	मेघालय	25.00	28.00	29.50
17.	मिजोरम	19.50	24.00	23.50
18.	नागालैण्ड	70.00	18.20	8.60
19.	उड़ीसा	415.00	420.00	451.00

1	2	3	4	
20.	पंजाब	210.00	155.00	121.00
21.	राजस्थान	1443.69	1453.92	1358.37
22.	सिक्कम	10.00	12.30	10.70
23.	तमिलनाडु	300.00	310.00	287.20
24.	त्रिपुरा	21.60	21.60	21.60
25.	उत्तर प्रदेश	1185.60	1185.60	1140.40
26.	पश्चिम बंगाल	1035.00	1098.60	1071.00
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप	8.40	9.00	9.00
28.	चंडीगढ़	21.60	21.60	21.60
29.	दादर और नागर हवेली	2.40	2.75	3.00
30.	दमन और दीव	1.80	2.15	2.40
31.	लक्षद्वीप	0.50	0.50	0.50
32.	पांडिचेरी	9.00	9.00	9.00
	जोड़	10612.73	11129.72	10521.45

विवरण – V

1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान खुली बिक्री के अधीन बेचे गये गेहूं की मात्रा

(आंकड़े लाख टन में)

क्र०सं०	राज्य	1994-95	1995-96	1996-1997
1.	पंजाब	3.25	7.69	5.37
2.	हरियाणा	7.18	12.84	4.15
3.	उत्तर प्रदेश	6.72	8.58	5.02
4.	दिल्ली	1.26	1.44	2.45
5.	राजस्थान	0.40	0.41	2.68
6.	हिमाचल प्रदेश	0.17	0.14	0.54
7.	जम्मू और कश्मीर	0.48	0.13	0.86
8.	पश्चिम बंगाल	1.20	1.14	1.22
9.	बिहार	2.79	4.02	2.53
10.	उड़ीसा	1.48	1.88	1.68
11.	महाराष्ट्र	5.32	6.80	3.74
12.	गुजरात	2.07	4.00	2.82
13.	मध्य प्रदेश	4.47	5.49	2.64
14.	तमिलनाडु	6.25	3.39	1.43
15.	आंध्र प्रदेश	2.11	2.37	1.21
16.	कर्नाटक	4.36	2.24	1.77
17.	केरल	0.78	0.83	0.91
18.	उत्तर पूर्वी सीमांत	–	–	0.03
19.	असम	–	–	0.17

विवरण – VI

1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान खुली बिक्री के अधीन बेचे गये चावल की मात्रा

(आंकड़े हजार टन में)

क्र०सं०	राज्य	1994-95	1995-96	1996-1997
1.	पंजाब	24.7	36.2	26.33
2.	हरियाणा	15.5	47.9	12.83
3.	उत्तर प्रदेश	1.9	1.6	28.46
4.	राजस्थान	0.6	0.5	5.33
5.	दिल्ली	11.4	3.0	1.97
6.	पश्चिम बंगाल	9.1	16.5	5.24
7.	बिहार	1.0	2.1	0.41
8.	उड़ीसा	–	1.2	0.01
9.	महाराष्ट्र	182.1	295.0	13.43
10.	गुजरात	62.5	102.9	9.73
11.	मध्य प्रदेश	40.9	13.5	107.89
12.	तमिलनाडु	23.6	11.1	13.43
13.	आन्ध्र प्रदेश	48.7	98.3	–
14.	कर्नाटक	30.1	0.4	–
15.	केरल	1.8	6.6	24.91

विवरण – VII

अप्रैल, 95 से मार्च, 97 तक प्रभावी गेहूं की खुली बिक्री मूल्य बताने वाला विवरण

(दर रु० प्रति टन)

राज्य का नाम	अप्रैल से जुलाई, 95	28 अग० से सित०, 95	अक्तूबर, 95	केन्द्र	नव०, 95 से मार्च, 96	अप्रैल 96 से जुलाई, 96	अगस्त, 96 से 17 सित०, 1996	18 सित०, 96 से फर०, 97	4 फर०, 97 से प्रभावी	10 मार्च, 97 से 31, मार्च, 97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पंजाब	4100	4150	4150	चंडीगढ़	4150	4410	4550	4900	4900	4900
हरियाणा	4100	4150	4150	चंडीगढ़	4150	4410	4550	4900	4900	4900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दिल्ली	4150	4200	4150	दिल्ली	4150	4410	4550	4900	5000	5000
उत्तर प्रदेश	4100	4150	4150	लखनऊ	4300	4600	4800	5150	5400	5300
				कानपुर	4300	4600	4810	5150	5400	5300
				वाराणसी	4360	4660	4894	5244	6000	5650
				बरेली		4410	4550	4900	5000	5000
राजस्थान	4150	4200	4250	जयपुर	4300	4600	4765	5115	5200	5150
हिमाचल प्रदेश**	4150	4200	4250	शिमला	4250	4550	4681	5031	5031	5050
जम्मू और कश्मीर	4150	4200	4250	जम्मू	4200	4500	4655	5005	5200	5100
				श्रीनगर	4200	4500	4655	50005	5300	5150
बिहार	4300	4350	4400	पटना	4420	4720	4963	5313	6500	5900
				रांची	4450	4750	5056	5406	7000	6200
असम	–	–	4450	*गुवाहाटी	4450	4900	5188	5538	7500	6500
उड़ीसा	4350	4400	4475	कटक	4500	4800	5143	5493	7400	6450
				भुवनेश्वर	4500	4800	5149	5499	7400	6450
पश्चिम बंगाल	4350	4400	4475	कलकत्ता	4510	4810	5091	5441	7400	6450
				सिलिगुड़ी	4520	4820	5110	5460	7400	6450
मध्य प्रदेश	4100	4150	4250	इंदौर	4350	4650	4925	5275	7200	6250
				ग्वालियर	4280	4580	4753	5103	6000	5550
				रायपुर	4430	4730	5066	5416	7400	6400

विवरण – VIII

नवम्बर, 95 से मार्च, 97 के माह के लिए निर्धारित चावल के खुली बिक्री के मूल्य बताने वाला विवरण

(दर रु० प्रति टन)

क्रम सं०	राज्य का नाम	नवम्बर, 95		दिसम्बर, 95 से जून, 96		जुलाई, 96 से मार्च, 97	
		बढ़िया	उत्तम	बढ़िया	उत्तम	बढ़िया	उत्तम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पंजाब	6750	7050	7050	7350	7050	7350
2.	हरियाणा	6700	7000	7000	7300	7000	7300
3.	उत्तर प्रदेश	6600	6900	6900	7200	6900	7200
4.	राजस्थान	6550	6800	7000	7150	7500	7650
5.	जम्मू और कश्मीर	6500	6800	6680	7000	6680	7000
6.	दिल्ली	6700	7000	6740	7060	6740	7060
7.	महाराष्ट्र	6450	6750	6630	6950	7130	7450
8.	गुजरात	6450	6750	6630	6950	7130	7450
9.	मध्य प्रदेश	6450	6750	6630	6950	7130	7450
10.	पश्चिम बंगाल	6450	6750	6630	6950	7130	7450
11.	बिहार	6450	6750	6630	6950	7130	7450
12.	उड़ीसा	6450	6750	6630	6950	7130	7450
13.	तमिलनाडु	6450	6750	6630	6950	7130	7450
14.	कर्नाटक	6450	6750	6630	6950	7130	7450
15.	आंध्र प्रदेश	6450	6750	6630	6950	7130	7450
16.	केरल	6450	6750	6630	6950	7130	7450

दिसम्बर, 1995 से पत्तन कस्बों और इनसे 50 कि०मी० के भीतर के क्षेत्रों के लिए चावल के मूल्य निर्यात मूल्य से 50/- रु० कम होंगे।

विवरण – IX

वर्ष 1993 और इसके बाद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य बताने वाला विवरण

(रु० प्रति क्विंटल)

निम्न तारीख से प्रभावी	चावल			गेहूं
	साधारण	बढ़िया	उत्तम	
11.1.93	437	497	518	330
2.2.94	537	617	648	402

लेवी की चीनी का आवंटन

4745. **डा० बी. के. गढ़वी :**
श्री सनत मेहता :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को लेवी चीनी का आवंटन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या अनेक राज्यों ने 1996 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर लेवी की चीनी के आवंटन के लिये सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार लेवी की चीनी का आवंटन किया जाने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लेवी कोटे में वृद्धि के लिए कई राज्यों ने केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है। असम, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने 1996 की प्रक्षिप्त जनसंख्या के आधार पर लेवी कोटे में वृद्धि के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया है।

(घ) से (च) वर्तमान प्रक्षिप्त जनसंख्या के आधार पर नियमित रूप से आवंटन के लिए जितना आवश्यक है उस स्तर तक लेवी चीनी की उपलब्धता को अभी स्थायित्व प्राप्त करना बाकी है। तथापि राज्यों के वर्तमान मासिक लेवी कोटे पर कुल 10% तदर्थ वृद्धि की दिसम्बर, 96 से अप्रैल, 97 तक के लिए, अनुमति प्रदान कर दी गई है।

अवैध शिकार करने वालों की गतिविधियां

4746. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री एल० रमना :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1997 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली–गाजियाबाद सीमा के निकट अवैध शिकार करने वालों के कारण यह क्षेत्र नील गाय तथा मोरों का शिकार–स्थल बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां, रिपोर्ट हमारे ध्यान में आई है।

(ख) मुख्य वन्यजीव वार्डन से प्रापत रिपोर्ट के अनुसार किसी प्रकार के अवैध शिकार की घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यह तथ्य है कि गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धाराओं के तहत नीलगाय को मारने के कुछ परमिट जारी किए हैं जो कि खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रही थी, वन्यजीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सीमा पर गश्त को बढ़ा दिया गया है और पुलिस प्रशासन भी अवैध शिकार के मामलों को रोकने के लिए प्रभावी गश्त लगा रहा है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

4747. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**
श्री बी. एल. शंकर :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिनांक 19 मार्च, 1997 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार अप्रैल, 1997 से देश में गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों को फिर से तैयार करने और अधिक लागत वाली सभी योजनाओं को सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) देश से गरीबी को मिटाने में नयी योजना कहां तक कारगर होगी तथा इस संबंध में वर्ष 1997-98 के दौरान राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की जानी है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) गरीबी उन्मूलन और रोजगार उत्पन्न करने की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की पुनरीक्षा और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ग्रामीण खेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों/स्कीमों की इस समिति द्वारा जांच की गई थी। इन स्कीमों की विस्तृत पुनरीक्षा के बाद समिति ने विद्यमान स्कीमों को सरल और कारगर बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए मानदंडों और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है। फिर भी, एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी के अंतर्गत उन सभी गरीबी उन्मूलन स्कीमों को लाने का रिपोर्ट में कोई प्रस्ताव नहीं है। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

पुलिस कर्मियों का निलम्बन

4748. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 1997 के "जनसत्ता" में "दुलीचन्द कांड में चार पुलिस वाले निलम्बित" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या उपर्युक्त विषय/मसले को लोक सभा में उठाया गया था और मंत्री महोदय ने जांच का आश्वासन दिया था;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस अधिकारियों के हाथ से कथित रूप से गायब भारी धनराशि दिल्ली पुलिस द्वारा बराबद की गयी है;

(घ) क्या मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार इस मामले की गहरी छानबीन के लिए इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है; यदि हां, तो यह मामला सी.बी. आई. को किस तारीख को सौंपा गया; और

(ङ) इस मामले में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) लोक सभा में 17.12.1996 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 3702 के उत्तर में यह कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले की सतर्कता जांच करना निश्चित किया है और यह कि मामले की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में की गयी सतर्कता जांच से यह पता नहीं चला कि धन का स्वामी कौन है, कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी और कि क्या संदिग्ध पुलिस कार्मिकों ने कुछ धन निकाला है या नहीं और यदि निकाला है तो कितना।

भूमि आबंटन

4749. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण सुरक्षा की अनदेखी करते हुए देश के कुछ भागों विशेषकर छावनी क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था के अंतर्गत भूमि आबंटित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या छावनी क्षेत्रों द्वारा पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के लिये उनके द्वारा आबंटित की गई भूमि के संबंध में कोई छानबीन की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) छावनी क्षेत्रों में वन भूमि के उपयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) मंत्रालय के ध्यान में रक्षा छावनियों द्वारा पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन का मामला ध्यान में नहीं आया है और इस प्रकार भूमि आबंटन के बारे में छानबीन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तूफान के शिकार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

4750. **श्री एस० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मछुआरों ने नवम्बर, 1996 में आए समुद्री तूफान में मारे गये व्यक्तियों के लिए तुरंत क्षतिपूर्ति की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उनके अनुरोध/मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां। जो मछुआरे अभी तक गायब हैं उनके परिवारों को अनुग्रह राहत का भुगतान करने की मांग है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार नवम्बर, 1996 के चक्रवात में मरे 192 मछुआरों के परिवारों को एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रह सहायता का भुगतान पहले ही कर चुकी है। शेष मामलों में से राज्य सरकार ने अब 1279 गायब मछुआरों को अब मृत मानने तथा उपर्युक्त दरों पर उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।

वनीला फसल का विकास

4751. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में वनीला फसल के विकास के लिये कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी कितनी अनुमानित लागत है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मांगी गयी धनराशि स्वीकृत कर दी है; और

(घ) राज्य में किन-किन स्थानों पर वनीला उत्पादन किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने 300 एकड़ क्षेत्र में वनीला के विकास के लिए 5 वर्ष हेतु 242.40 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली अग्रणी योजना के लिये फरवरी, 1996 में प्रस्ताव भेज दिया था।

(ग) और (घ) इस योजना को मंजूरी नहीं दी जा सकी क्योंकि योजना आयोग 8वीं योजना के अन्तिम वर्ष में नये प्रस्तावों पर विचार नहीं कर रहा था। फिर भी, कर्नाटक सरकार 1997-98 के दौरान राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा तथा शिमोगा जिलों में इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करती है।

[हिन्दी]

जनजातीय परियोजनाओं हेतु केन्द्र से धनराशि

4752. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातीय विकास परियोजनाओं में केन्द्रीय (नयूक्लीयर) धनराशि खर्च किए जाने का प्रावधान क्या है;

(ख) यह धनराशि किन–किन कार्यों पर खर्च की जा सकती है;

(ग) क्या इस धनराशि के खर्च के लिये स्थानीय संसद सदस्य की सिफारिशें मांगी जाती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) यह मंत्रालय "केन्द्रीय न्यूक्लीयर धनराशि" नाम की धनराशि को संचालित नहीं करता है तथापि, 20 आदिवासी उप-योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदिवासियों के सामाजिक–आर्थिक विकास तथा शोषण से उनको बचाने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे पूर्व आदिवासियों के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू की गई विशिष्ट योजनाओं की ऐसी लागतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में कुछ धनराशि अलग से निर्धारित की गई थी। अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना वर्ष 1996-97 से समाप्त कर दी गई है। संविधान की अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत, राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों को आदिवासियों के विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए तथा उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर का राज्यों के अन्य क्षेत्रों के प्रशासन के समान उठाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दिशा–निर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

खुले स्थान में पड़े गेहूं और चावल

4753. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्राा में चावल और गेहूं भारतीय खाद्य निगम के खुले गोदामों में पड़ा सड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं;

(ग) उपरोक्त स्थिति के कारण कितना नुकसान हुआ है तथा आगे हाने की संभावना है; और

(घ) ऐसी स्थितियों से बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) चावल का स्टाक खुले में नहीं रखा जाता है। ढ़के हुए स्थान की कमी के कारण और ढ़के हुए गोदामों में आवक लेवी/कस्टम मिल्ड चावल को रखने के लिए अस्थायी उपाय के रूप में वैज्ञानिक विधि से केवल गेहूं और धान खुले (कवर और प्लिंथ) से भण्डारित किया जाता है। चूंकि गेहूं और धान का स्टाक उचित सावधानी से खुले में भण्डारित किया जाता है इसलिए इनके खराब होने का कोई अवसर नहीं है।

तथापि, अभूतपूर्व वर्षा, चक्रवातों, बाढ़ों, तेज हवाओं और इसके बाद वर्षा आने आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ स्टाक खराब हो जाता है जिसे अलग कर लिया जाता है और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए अलग किए गए स्टाक को क्षतिग्रस्त स्टाक के रूप में घोषित किया जाता है और ऐसे स्टाक को राज्य सरकारों (पशुपालन विभागों) को बेचा जाता है और यदि उनसे निर्धारित समय में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे क्षतिग्रस्त स्टाक को पंजीकृत और राज्य सरकार की लाइसेंस शुदा फर्मों को बेचा जाता है जिनके पास इसका पशुओं के सीधे खपत के लिए अथवा पशु चारा अथवा मुर्गी दाना तैयार करने अथवा औद्योगिक (स्टार्च) उत्पाद तैयार करने अथवा खाद के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधाएं हैं।

प्रत्येक वर्ष रखे गए कुल औसत खाद्यान्नों के संदर्भ में पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों (कैप और ढके हुए भण्डारण काम्प्लेक्स, दोनों में) की प्रतिशतता निम्नानुसार है :

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	खाद्यान्नों का कुल स्टाक (पहली अप्रैल की स्थिति के अनुसार)	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	प्रतिशतता
1993-94	187.19	0.46	0.25
1994-95	207.50	0.19	0.09
1995-96	144.86	0.33	0.23

(घ) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध खाद्यान्नों के स्टाक को वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गोदामों अथवा कैप भण्डारण में रखा जाता है। भण्डारण स्थान की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए गेहूं और धान उचित सावधानियों के साथ कैप के अधीन भण्डारित किया जाता है ताकि क्षति से बचा जा सके । स्टाक का उचित भण्डारण और परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम अस्थायी कैप भण्डारण पर निर्भरता कम करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर गोदामों का निर्माण करता है।

[हिन्दी]

गेहूं की खरीद

4754. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री आई०डी० स्वामी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीद मौसम को एक अप्रैल की बजाय 17 मार्च, 1997 से शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गेहूं की खरीद के मामले में इससे अब तक क्या लाभ हुआ है;

(ग) गत तीन वर्षों की तुलना में अभी तक खरीदे गए गेहूं की कुल अनुमानित मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गेहूं की अधिक उपज करने वाले हरियाणा और पंजाब और राज्यों में किसान अपने मंडार सरकार को नहीं बेच रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार आयातित गेहूं का मूल्य मांगे गए 550/- रुपये से अधिक होने के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा और पंजाब के मुख्य मंत्रियों द्वारा समर्थन मूल्य को बढ़ाने के आग्रह पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 17 मार्च, 1997 से 31 मार्च, 1997 तक की अवधि के दौरान गेहूं की कोई वसूली नहीं हुई ।

(ग) वर्तमान विपणन मौसम में (2.5.1997 तक) गेहूं की वसूली के आंकड़े और 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के तदनुरूपी आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

(लाख टन में)

1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
20.29	47.06	38.75	53.07

(घ) किसानों ने समस्त देश में वसूली एजेन्सियों को अब तक कुल 20.29 लाख टन गेहूं की मात्रा बेची है जिसमें से पंजाब और हरियाणा में क्रमशः 14.33 लाख टन और 5.11 लाख टन की वसूली की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

रैपसीड मस्टर्ड की उत्पादन दर

4755. **प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रैपसीड मस्टर्ड सीड के विश्व की औसत उत्पादन दर की तुलना में देश में इसका उत्पादन कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व में रैपसीड मस्टर्ड सीड की अधिकतम उत्पादन दर का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1995 के दौरान देश में तोरिया-सरसों की उत्पादन दर 950 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेअर थी। जबकि विश्व में यह दर 1408 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेअर थी।

(ग) और (घ) जैसा कि खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अपने "प्रोडक्शन ईयर बुक 1995" नामक प्रकाशन में प्रस्तुत किये गए आंकड़ों के अनुसार 1995 के दौरान तोरिया सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार 11111 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से मैक्सिको में हुई थी, उसके बाद 6188 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी पैदावार अल्जीरिया में हुई थी। जब कि इसी अवधि में भारत में (हरियाणा में) अधिकतम पैदावार 1306 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर थी।

सीमा को सील करना

4756. **डा० राम विलास वेदान्ती** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल से लगी अपनी सीमा को सील करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस सीमा से विदेशियों की घुसपैठ और तस्करी की गतिविधियों को रोकने में किस हद तक सफलता हासिल हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमा-क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने और इन क्षेत्रों के विकास के लिए एक प्रस्ताव, योजना आयोग को भेजा गया है, जिसकी सूचना इस मंत्रालय को भी दी गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष कृत्यक बल

4757. **श्री ब्रह्मानंद मंडल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस में विशेष कृत्यक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बल के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस कृत्यक बल के कार्मिकों के गलत कार्यों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृत्यक बल के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए कोई प्रबंध किये हैं;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1997 के राष्ट्रीय सहारा में "पुलिस वालों ने एक को लूटा और थानाध्यक्ष पर पिस्तौल तान दी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस बल के उद्देश्यों में विशेष रूप से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण अथवा और अवैध रूप से निपटान करने, सम्पत्तियों से दखलदारों को जबरन बेदखल करने और इस बारे में सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ और भ्रष्ट तरीके अपनाने से संबंधित अपराधों तथा इसे सौंपे गए ऐसे ही अन्य बड़े आपराधिक मामलों की जांच-पड़ताल करना शामिल है।

(ग) और (घ) विशेष कार्य बल के कार्मिकों द्वारा किए गए गलत कार्यों की कोई भी घटना ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) और (च) जी हां श्रीमान्। तथापि इस घटना में कथित रूप से संलिप्त पुलिस अधिकारी उपर्युक्त विशेष कार्य बल में तैनात नहीं थे। संबंधित दोनों पुलिस कार्मिक गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

गेहूं और चावल का आयात

4758. **श्री सुरेन्द्र यादव :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए 1996-97 में गेहूं और चावल का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1997 तक विभिन्न देशों से कुल कितने गेहूं और चावल का आयात किया गया;

(ग) इस आयात प्रक्रिया में कितना गेहूं और चावल अप्रैल, 1997 तक भारत पहुंचा;

(घ) भावी आयात हेतु देशवार गेहूं और चावल की कितनी मात्रा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ङ) गेहूं के आयात के लिए प्रत्येक देश को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) सरकार ने 1996-97 के दौरान केवल गेहूं का आयात किया है।

(ख) और (ग) आस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेंटीना से आयात के लिए ठेकाबद्ध गेहूं की 16.75 लाख टन मात्रा के प्रति 30 अप्रैल, 1997 तक भारतीय बंदरगाहों पर 14.43 लाख टन मात्रा पहुंच चुकी है।

(घ) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने 1997-98 के दौरान आस्ट्रेलिया से 10 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने के लिए ठेका किया है जिसे जहाज द्वारा भेजने की समय अनुसूची जुलाई से दिसम्बर, 1997 तक है।

(ङ) प्रत्येक देश से आयात के लिए ठेकाबद्ध गेहूं की मात्रा और जिस मूल्य पर यह ठेका किया गया है उसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

देश	मात्रा (लाख टन में)	ठेके की तारीख	प्रति टन अमरीकी डालर में मूल्य
आस्ट्रेलिया	10.00	10.12.96	148.00 जहाज तक निष्क्रमार
कनाडा	2.50	11.12.96	152.50 जहाज तक निष्क्रमार
आस्ट्रेलिया	1.25	31.01.97	156.00 जहाज तक निष्क्रमार
अर्जेंटीना	1.00	04.02.97	173.00 सी० एण्ड एफ०
आस्ट्रेलिया	2.00	14.02.97	156.00 जहाज तक निष्क्रमार
आस्ट्रेलिया	2.50	26.03.97	155.00 जहाज तक निष्क्रमार
	7.50	26.03.97	154.25 जहाज तक निष्क्रमार

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्ति

4759. **श्री छीतुभाई गामीत** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त कार्य समिति ने विकलांग व्यक्तियों के लिये बजट आबंटनों के बारे में अपना गहरा असंतोष व्यक्त किया है और इस आशय का सरकार को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त कार्रवाई समिति ने दिनांक 5.3.97 के ज्ञापन में अन्य

बातों के साथ-साथ मांग की है कि कल्याण मंत्रालय के विकलांग कल्याण प्रभाग तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के लिए वर्ष 1997-98 के लिए आवंटन क्रमशः 100 करोड़ रुपये तथा 200 करोड़ रुपये बढ़ाया जाना चाहिए तथा अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी उपयुक्त आबंटन किए जाने चाहिए। वर्ष 1997-98 के रेल बजट के अंतर्गत कम से कम 100 करोड़ रुपये के आबंटन की मांग की गई है।

(ग) योजना आयोग से बार-बार आग्रह किए जाने पर वर्ष 1997-98 के दौरान कल्याण मंत्रालय के विकलांग कल्याण प्रभाव के लिए प्रस्तावित आबंटन को 107.04 करोड़ रुपये (योजना) तक बढ़ाया गया है जिसमें राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के लिए 28.00 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। अन्य मंत्रालयों से भी अपने बजटीय आबंटन में उचित प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है।

माजुली द्वीप का परिरक्षण

4760. **डा० अरुण कुमार शर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के माजुली द्वीप की पारिस्थितिकीय स्थिरता परिरक्षण संबंधी कार्य के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु सरकार ने कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष में इसके लिए आबंटित धनराशि तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) असम में मुजाली द्वीप की पारिस्थितिकीय स्थिरता एवं संरक्षण हेतु नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वोहरा समिति

4761. **कुमारी ममता बनर्जी** :
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड :
श्री सिद्दया कोटा :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजनीति के अपराधीकरण के बारे में वोहरा समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त स्वतंत्र समिति/आयोग गठित करने के बारे में कोई सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों/सिफारिशों की संक्षिप्त रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) श्री दिनेश त्रिवेदी, सांसद और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 20.3.1997 को दिए अपने निर्णय में यह कहा कि राजनीतिक–अपराधी–नौकरशाही की सांठ-गांठ संबंधी मामलों पर एक निकाय द्वारा विचार करने की आवश्यकता है जो पूरी आजादी के साथ काम करे तथा जो किसी की अनुमेय प्रभाव और दबाव से पूरी तरह मुक्त हो। माननीय न्यायालय ने सिफारिश की है कि जब तक यह संस्था नहीं बन जाती है, तब तक प्रधानमंत्री की सलाह पर और लोक सभा के अध्यक्ष के साथ सलाह मशविरा करके भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जाय। यह समिति, वोहरा समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सांठ-गांठ के प्रकारों की जांच-पड़ताल का प्रबोधन करे। वोहरा समिति की रिपोर्ट के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों और विकल्पों पर सरकार ध्यान दे रही है।

राष्ट्रीय मत्स्य नीति

4762. **श्री राजाभाऊ ठाकरे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई राष्ट्रीय मत्स्यन नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मछलियों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) मात्स्यिकी के विषय पर भारत सरकार की नीति विभिन्न दस्तावेजों में वर्णित है जिनमें आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज शामिल हैं। लेकिन, मात्स्यिकी नीति पर एक समेकित विवरण की आवश्यकता को समझते हुए कृषि मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति का मसौदा तैयार किया है जिसमें मात्स्यिकी क्षेत्र के सभी पहलू सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति का मसौदा राज्यों को भेजा गया था तथा केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड के समक्ष रखा गया था जिसने इस नीति विवरण के मसौदे को अनुमोदित कर दिया।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति में यथा-निर्धारित उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

(1) जल और आनुवंशिक विविधता का संरक्षण;

(2) मछली-उत्पादन तथा मछुआरों, मछली पालकों और मछली उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि करना;

(3) समुद्र तटीय तथा ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार सृजित करना;

(4) परंपरागत मछुआरों तथा मछली पालकों की सामाजिक, आर्थिक स्थितियां सुधारना; और

(5) दायित्वपूर्ण और कायम रह सकने वाली मात्स्यिकी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मछली तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करना।

इस नीति के मसौदे में समुद्री मात्स्यिकी, अन्तर्देशीय मात्स्यिकी,

जलकृषि, बुनियादी ढांचे जिसमें, विपणन सुविधाएं सम्मिलित हैं, मात्स्यिकी सहकारी संस्थाओं, जनशक्ति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, विस्तार, रूप सुविधाओं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान बीमा व्यवस्था के विकास का प्रावधान है।

(ग) और (घ) मछली और अन्य समुद्री उत्पादों के पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए निर्यात की मात्रा तथा उसके मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	समुद्री उत्पादों का निर्यात	
	मात्रा (हजार मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1994-95	307.3	3575.27
1995-96	296.3	3501.11
1996-97 (अनन्तिम)	359.7	4045.35

रोजगार के अवसरों में कमी

4763. **श्री एन० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उदारीकरण के पश्चात् रोजगार के अवसरों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परिवर्तन से महिलाओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि इससे महिलाओं को स्थायी रोजगार के स्थान पर केवल अंशकालिक रोजगार ही प्राप्त होगा;

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान बेरोजगार महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो महिलाओं की रोजगार संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के पिछले दो सर्वेक्षणों, नामतः 48वें (1987-88) और 50वें (1993-94) दौर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के संबंध में रोजगार और बेराजगारी दर में बढ़ोतरी की वार्षिक दर निम्नलिखित है :

	1987-88			1993-94		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7
I. रोजगार वृद्धि की वार्षिक दर :						
ग्रामीण	1.43	1.52	1.46	2.25	0.87	1.84
शहरी	2.97	2.95	2.97	3.57	3.64	3.59
कुल	1.80	1.71	1.77	2.59	1.27	2.23
II. बेरोजगारी दर						
यूपीएस						
ग्रामीण	2.87	3.52	3.07	1.96	1.40	1.79
शहरी	6.07	8.77	6.56	4.54	8.21	5.21
कुल	3.60	4.19	3.77	2.50	2.44	2.56
सीडीएस						
ग्रामीण	4.58	6.91	5.25	5.64	5.55	5.61
शहरी	8.79	12.00	9.36	6.72	10.52	7.43
कुल	5.54	7.61	6.09	5.91	6.33	6.03

नोट : यूपीएस = सामान्य मूल स्थिति। सीडीएस = चालू दैनिक स्थिति।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के संबंध में नैमित्तिक मजदूरी रोजगार (यूपीएस) का प्रतिशत विवरण भी नीचे दिया गया है :

	ग्रमीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1993-94 50वां दौर	34.6	45.3	37.7	16.2	28.1	16.2	30.1	42.9	33.5
1987-88 46वां दौर	32.1	40.2	34.7	14.6	26.7	16.8	20.2	36.6	31.2

यूपीएस – सामान्य मूल स्थति

रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज महिलाओं की संख्या 1988 के अंत में 5.5 मिलियन थी। 1996 के अन्त में समनुरूप आंकड़े 8.4 मिलियन के लगभग थे।

अल्प रोजगार की बढ़ती हुई संख्या और श्रमिकों के नैमित्तिक रोजगार की वृद्धि की पहचान करते हुए महिलाओं के संदर्भ सहित गरीबों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में नौवीं योजना राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन स्कीम कार्यान्वित करेगी।

अधिक श्रमिकों की खपत वाले क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों और बेरोजगारी, एवं अल्प रोजगार की अधिक दर वाले क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करके स्वयं विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। तेजी से बढ़ रही उत्पादकता की स्थिति में ही रोजगार की गुणवत्ता में सुधारों को प्राप्त किया जा सकता है। जिसके लिए श्रमिक हकदार है।

शिक्षा/अनुसंधान का स्तर

4764. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :**
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदारीकरण और विश्व व्यापीकरण कार्यक्रम के अनुसार कृषि और इसके अनुषंगी विषयों में शिक्षा और अनुसंधान के स्तर के उन्नयन हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या रोजगार के अवसरों के अभाव में गत दस वर्षों से भी अधिक समय से विभिन्न शिक्षा संस्थानों में कृषि और इससे संबद्ध विषयों में प्रवेश लगभग अवरुद्ध रहा है; और

(घ) यदि हां, तो रोजगार की बदलती हुई मांग के अनुरूप पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु में प्रस्तावित पुनः प्रबोधन/पुनर्गठन संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) परिषद की नौवीं योजना के दस्तावेज में कार्यदलों की सिफारिशों के अनुसार कार्य योजना समेकित की गई है। इसका कार्यान्वयन उदारीकरण तथा विश्वस्तरीय कार्यक्रमों की मांगों को पूरा करने के लिए कृषि तथा संबद्ध विषयों में शिक्षा तथा अनुसंधान के मानकों को सुधारने में मदद करेगा।

* कृषि विविधताओं का संरक्षण, नियोजित वृद्धि तथा उपयोग।
* अधिक उपज देने वाली संकरों तथा किस्मों के विकास के जरिए उत्पादकता बढ़ाना।
* विविधताओं, गुणवत्ता सुधार, फसल के कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, गुणवृद्धि तथा निर्यातपरक जिन्सों पर अनुसंधान।
* समेकित कृषि तथा विववेकपूर्ण विकास की बढ़ी उत्पादकता को बरकरार रखना और ऊर्जा का उपयोग, विशेषकर ऊर्जा के नवीकृत स्रोत का उपयोग।
* अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बारानी कृषि के लिए गुण निर्धारण तथा स्थिर भूमि उपयोग की प्रणालियों का विकास।
* स्थिर कृषि के लिए समेकित कोट प्रबंध तथा समेकित पोषण प्रबंध प्रणाली दृष्टिकोणों तथा प्रणालियों का विकास।
* संबद्ध मूल तथा नीति नियोजन में पोषण उत्कृष्टता।
* क्षेत्रों, सोसाइटी के क्षेत्र तथा लिंग में समदृष्टि के प्रोत्साहन के लिए अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियां विकसित करना।
* सामाजिक विज्ञान, नीति नियोजन, कृषि व्यापार, अनुसंधान प्रबोधन मैकेनिज्म, प्रशासनिक तथा कार्मिक सुधार, प्रकाशन तथा सूचना प्रसार प्रणाली को सुदृढ़ करना।
* कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करना।
* कृषि मानव संसाधन विकास को प्रोत्साहन देना।
* नवीन प्रौद्योगिकी स्थानांतरण मॉडल के रूप में संस्थान गांव सम्पर्क कार्यक्रम के जरिए किसानों के साथ वैज्ञानिकों को जोड़ना।
* संस्थागत तथा सी जी आई ए आर तथा अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों तथा अनुसंधान तथा विकास स्थापना, गैर सरकारी संगठनों, किसान संगठनों तथा निजी क्षेत्र आदि के साथ सम्पर्क/साझेदारी को सुदृढ़ करना।
* नियोजन, प्राथमिकता तथा समन्वय के जरिए स्रोतों का अनुकूलतम उपयोग।

(ग) और (घ) 1980-1990-91 के दशक में विभिन्न शिक्षा संस्थानों में कृषि के प्रवेश के संबंध में व्यापक रूप से वृद्धि की दर 10-14 प्रतिशत रही है। तथापि पिछले पांच वर्षों के दौरान मौजूदा मांगों को पूरा करने के लिए नये पाठ्यक्रमों को समायोजित करने के लिए पाठ्यक्रमों का पुनर्विन्यास किया गया है। इस प्रकार कुछ विषयों में प्रवेश में बढ़ोतरी तथा अन्य में कमी आई है। उदाहरण के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि, पशु तथा पौध जैव प्रौद्योगिकी, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, जल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पुष्पोत्पादन, कृषि व्यापार में कम्प्यूटर का उपयोग शुरू किया गया।

[हिन्दी]

वाहनों द्वारा प्रदूषण

4765. **डा० बलिराम** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निजी वाहन मालिकों को दिल्ली में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रदूषण स्वीकृति प्रमाण-पत्र लेना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम के सरकारी वाहन, बसें और ट्रक दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं और उनके विरुद्ध पुलिस तथा प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली में सरकारी वाहनों, बसों, जीपों और ट्रकों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) सभी वाहनों के लिए आवश्यक है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा हेतु परिवहन विभाग दिल्ली से "प्रदूषण नियन्त्रण में है" का वैध प्रमाण–पत्र अपने पास रखें।

(ख) दिल्ली में वाहन प्रदूषण सबसे अधिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के कारण हैं। दिल्ली परिवहन विभाग, प्रदूषण फैलाने वाले सभी वाहनों, जिनमें सरकारी वाहन और दिल्ली परिवहन निगम की बसें भी शामिल हैं, के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है।

(ग) दिल्ली में वाहन प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए सरकार द्वारा किये गये कुछ विशिष्ट उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं।

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए प्रदूषण जांच सुविधाओं से युक्त पेट्रोल स्टेशनों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी ताकि परिवहन विभाग की सुविधाओं में वृद्धि हो सके।

2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने समय-बद्ध रूप में दो स्ट्रोक इजंन वाले वाहनों के प्रयोग के लिए एक निश्चित अनुपात में पूर्व-मिश्रित ईंधन (पेट्रोल और स्ट्रोक इंजन तेल) देने का निर्णय किया है।

3. सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना के प्रथम चरण को स्वीकृति दे दी है।

4. प्रयोग में लाये जा रहे वाहनों में उन्नत किस्म के ईधन जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी संख्या में अपने वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एच.बी.जे. पाइप लाइन के साथ-साथ अतिरिक्त आन-लाइन स्टेशन स्थापित करने के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने की योजना है।

5. 1.4.1996 से दिल्ली के सभी पेट्रोल केन्द्रों में कम-सल्फर युक्त डीजल वितरित किया जायेगा।

6. 1.4.1996 को शहर के भीतर सीसा-रहित पेट्रोल की आपूर्ति करने वाले पेट्रोल केन्द्रों की संख्या 80 से बढ़कर 197 हो गई थी और 1.11.1996 को राजमार्गों पर यह संख्या 8 से बढ़कर 124 हो गई थी। चालू वर्ष में शहर की सीमा के भीतर पेट्रोल केन्द्रों की संख्या 222 और राजमार्गों के 145 होने की आशा है।

7. परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार और आटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा मुफ्त प्रदूषण जांच कैम्पों का लगाया जाना जारी रहा है।

[अनुवाद]

गुजरात में वृष्टि

4766. **श्री महेश कुमार एम० कनोडिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गुजरात में, विशेषकर कच्छ जिले में चालू वर्ष में अत्यधिक कम वर्षा के कारण लगभग 90 प्रतिशत फसलें नष्ट हो गई हैं तथा पशुओं को अन्यत्र ले जाना पड़ा है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान राज्य में वर्षा तथा सुखाड़ संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आपदा राहत कोष से इसके लिए आवंटित तथा आज तक वास्तव में जारी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कच्छ जिले में 9 ताल्लुकों के 396 ग्रामों में से 687 ग्रामों को राज्य सरकार ने बहुत कमी वाले तथा 208 ग्रामों को कमी वाले जिले घोषित किया है क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून, 1996 के दौरान वर्षा में 57 प्रतिशत तक की कमी रही है।

(ग) से (ङ) गुजरात सरकार से एक ज्ञापन मिला था जिसमें विभिन्न जिलों में सूखे की स्थिति और प्रस्तावित राहत उपायों का ब्यौरा दिया गया था। भारत सरकार ने 1996-97 के दौरान आपदा राहत कोष से अपने हिस्से के 104.70 करोड़ रुपये तथा 1997-98 के लिए आपदा राहत कोष हेतु 18.41 करोड़ रुपये राज्य सरकार को पहले ही दे दिए हैं ताकि राज्य सरकार आवश्यक राहत उपाय कर सके।

गन्ने की कमी

4767. **श्री बी०एल० शंकर** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलें 1996-97 के दौरान गन्ने के मौसम में गन्ने की कमी से प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश में चीनी के उत्पादन में कितनी कमी हुई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) चालू चीनी मौसम 1996-97 के दौरान, चीनी मिलों में गन्ने की उपलब्धता में कमी की सूचना अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने नहीं दी है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1997 तक, 1996-97 मौसम के दौरान 321 चीनी मिलें कार्यरत थी जबकि 1995-96 तथा 1994-95 चीनी मौसमों की इसी अवधि के दौरान क्रमशः 395 तथा 313 चीनी मिलें कार्यरत थीं।

(ग) और (घ) चालू चीनी मौसम 1996-97 के दौरान 31 मार्च, 1997 तक, चीनी का उत्पादन 106.05 लाख टन था जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 117.27 लाख टन था। सरकार ने चीनी के उत्पादन में वृद्धि के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे : न्यूनतम गन्ना मूल्य में वृद्धि, गन्ना विकास के लिए चीनी विकास निधि से ऋण प्रदान करना आदि।

[हिन्दी]

विश्व वन्य जीव दिवस

4768. **प्रो० ओमपाल सिंह निडर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1990 में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस दिवस पर वन्य जीव संरक्षण संबंधी कोई संदेश दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संदेश के प्रसार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) अक्तूबर 1990 के दौरान कोई 'विश्व वन्यजीव दिवस' नहीं मनाया गया। तथापि, अक्तूबर के पहले सप्ताह के दौरान महात्मा गांधी की वर्षगांठ के साथ-साथ 'वन्यजीव सप्ताह' मनाया गया था।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें वार्ताओं का आयोजन, सेमीनार और कार्यशालाएं, फोटोग्राफी, पेन्टिंग और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूल के बच्चों द्वारा चिड़ियाघरों, अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के दौरे आदि शामिल हैं। वन्यजीव संरक्षण का संदेश देने के लिए प्रचार माध्यम का भी व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था।

(ग) और (घ) वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर प्रधान मंत्री के संदेश को सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया था और उन्हें परामर्श दिया गया कि वे प्रचार माध्यम के द्वारा और स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराके इसका व्यापक प्रचार करें।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों और खाद्य तेलों की मांग

4769. **श्री अंचल दास** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1997-98 के लिए खाद्यान्नों और खाद्य तेलों का कोटा बढ़ाने के लिए कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न के मौजूदा मासिक आवंटन (एक लाख मी० टन चावल तथा 50,000 मी० टन गेहूं) के स्तर को बनाए रखने का अनुरोध किया है और वर्ष 1977 के दौरान आयातित खाद्य तेल का निम्नवत आवंटन करने की मांग भी की है :–

जनवरी से जुलाई 1997 – 200 मी० टन प्रति महीना

अगस्त से नवम्बर 1997 – 1200 मी० टन प्रति महीना

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का वार्षिक आवंटन, 10 वर्षों के औसत वार्षिक उठान के आधार पर नियत किया गया है। तदनुसार उड़ीसा के लिए खाद्यान्न का वार्षिक आवंटन 426.45 हजार मी० टन बनता है जिसमें से 381.80 जहार मी० टन गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए है और 44.65 जहार मी० टन गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए है।

वैज्ञानिक अनुसंधान

4770. **श्री सुन्दर लाल पटवा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विज्ञान के विकास पर कितना धन खर्च किया गया;

(ख) क्या मौजूदा वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व को देखते हुए आवंटित धनराशि अत्यधिक कम रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए धनराशि का आवंटन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार किस प्रकार से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के उद्योग आदि विकसित देशों के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकें ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) सरकार द्वारा पिछली पंचवर्षीय योजना (1996-97) अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में विज्ञान के विकास पर खर्च की गई अनुमानित राशि ग्यारह हजार करोड़ रुपये रही है।

(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रोन्नयन पर खर्च निरंतर बढ़ रहा है। आवंटन आठवीं योजना के दौरान सातवीं योजना की अपेक्षा दुगुने से अधिक हो गए।

(ग) और (घ) हालांकि नौवीं योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत आवंटनों के बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है, फिर भी ऐसी विशिष्ट योजनाएं व नीतिगत पहल भी हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के उद्योग विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

त्रावणकोर टिटेनियम उत्पाद

4771. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यावरण मामले के लिए त्रावणकोर टिटिनियम उत्पाद त्रिवेन्द्रम, केरल के विषय में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रदूषण रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए त्रावणकोर टिटिनियम उत्पाद को कोई नोटिस भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) मैसर्स त्रावणकोर टिटिनियम उत्पादों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि अपशिष्ट सल्फ्यूरिक एसिड सन्निहित बहिस्रावों को समुद्र के किनारे विसर्जित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इकाई को निर्देश दिया है कि वह प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यक प्रणालियां लगाए और अपने शोधित बहिस्राव को गहरे समुद्र में छोड़े। इसके बहिस्रावों के विसर्जन के कारण हुए प्रदूषण के लिए उद्योग के विरुद्ध एक मामला दायर किया गया है।

शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान

4772. **कुमारी सुशीला तिरिया : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं, जिन्होंने अनुसंधान कार्य करने के लिए करोड़ों रुपये लिए हैं, ने योजना आयोग को झांसा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्था-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) जी नहीं। योजना आयोग को झांसा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि योजना आयोग सामाजिक–आर्थिक स्कीमों के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को दी गई अनुदान सहायता के उपयोग तथा उसके लाभों की नियमित मानीटरिंग की जाती है।

18 अक्तूबर, 1996 से योजना आयोग के शोध कार्यक्रमों के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया। शोध सलाहकार समिति की गठन की शर्तें निम्नवत हैं :

संरचना

1.	प्रो० वाई.के. अलघ 7 अशोक रोड, नई दिल्ली-1	अध्यक्ष
2.	प्रो० (सुश्री) सुशीला भान निदेशक, शांति संस्थान अनुसंधान व कार्य 81, गगन विहार, दिल्ली।	सदस्य
3.	प्रो० एस.एस. वरदे, कपिलवस्तु, स्वाकी विवेकानन्द मार्ग, वांद्रा पश्चिम, मुम्बई-400050	सदस्य
4.	डा० आर० राधाकृष्णन सदस्य–सचिव–आईसीएसएसआर अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।	सदस्य
5.	डा० ए० शर्मा, प्रमुख, दिल्ली केन्द्र, आईएसआई 7-एसजेएच,सांसावत मार्ग, नई दिल्ली-16	सदस्य
6.	डा० राकेश मोहन, डाइरेक्टर जनरल एन सी ए ई आर, परिशीला भवन, 11-आई पी स्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
7.	डा० विमल जालान सदस्य–सचिव (पी सी)	सदस्य
8.	प्रो० एस आर हासिम सदस्य–(पी सी)	सदस्य
9.	डा० जे. एस. बजाज सदस्य (पी. सी.)	सदस्य
10.	श्री एन पार्थासारथी जे एस एंड एफ ए (पी सी)	सदस्य
11.	श्री शैलेन्द्र शर्मा संयुक्त सलाहकार (पीसी)	सदस्य–सचिव

निर्देशन की शर्तें

1. योजना हेतु शोध के आवश्यक क्षेत्रों का पता लगाना उन क्षेत्रों में शोध कार्यों, शोध छात्रों, शोधकर्ताओं एवं संस्थाओं की पहचान करना, समुचित शोध कार्यक्रमों का विनिर्माण और योजना आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई करना।

2. विभिन्न संस्थाओं एवं शोधकर्ताओं से प्राप्त योजना से संबंधित शोध, अध्ययन, प्रस्तावों का परीक्षण करना और योजना आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उनकी उपयुक्तता के संबंध में सलाह देना।

3. योजना आयोग द्वारा गोखले इंस्टीटयूट आफ पालटिक्स एंड इकोनामिक्स पूना तथा अर्थशास्त्र विभाग मुम्बई विश्वविद्यालय जैसे विभिन्न शोध संस्थानों में चल रहे शोध कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में सलाह देना।

4. विभिन्न शोध संस्थानों में चल रहे प्रशिक्षण एवं शोध सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों को योजना आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में सलाह देना।

5. इंस्टीटयूट आफ एप्लाइडमैन पावर रिसर्च के शोध कार्यक्रमों के योजना आयोग द्वारा संचालित उसके समनुरूप अन्य शोध ा अध्ययनों पर विचार करना।

6. योजना आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त प्रकाशन हेतु पूर्ण अध्ययन से संबंधित कार्यक्रमों की उपयुक्तता के संदर्भ में सलाह देना।

7. पहचान लिए विकास समस्याओं से संबंधित आयोजित किए जाने वाले सेमिनारों को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने की उपयुक्तता से संबंधित सलाह देना।

8. योजना आयोग की आंतरिका शोध क्षणता को बढ़ाना और इस दिशा में शोध अध्ययनों को कार्यान्वित करना।

9. योजना आयोग का विभिन्न प्रभागों द्वारा कार्यान्वित/संचालित किए जा रहे शोध एवं परामर्श संबंधी क्रियाकलापों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित/संचालित ऐसे कार्यक्रमों का समन्वय करना।

10. मंत्रालयों और विभिन्न सरकारी एजेन्सियों (एनआईसी सहित) के सूचना एवं डाडा सिस्टम का समन्वय एवं उनके डाटाबेस का योजना एवं नीति के संबंध में उपयोग करना।

11. राज्य एवं निम्न स्तरों पर योजना अभ्यास हेतु विकास प्रणालियों को सहायता देना और विकेन्द्रीकृत योजना प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

12. उक्त कार्यों को सम्पन्न करने अथवा अन्य किसी मुद्दों के सन्दर्भ में सलाह देना।

चूंकि सभी परियोजनाओं पर स्वतन्त्र उत्कृष्ट विशेषज्ञों की टिप्पणी प्राप्त होती है। अतः इस सन्दर्भ में योजना आयोग को ऐसे संस्थानों द्वारा किसी भी मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

[हिन्दी]

गेहूं की खुली बिक्री

4773. डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतीश कुमार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री रोकने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खुले बाजार में गेहूं का वर्तमान मूल्य सरकार द्वारा घोषित केन्द्रीय मूल्य की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो गेहूं का केन्द्रीय घोषित मूल्य तथा खुले बाजार का मूल्य क्या है; और

(घ) इसके अधिक मूल्य के बावजूद खुले बाजार में गेहूं की बिक्री को बंद करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि 1.4.97 से केन्द्रीय पूल से गेहूं की खुली बिक्री बंद कर दी गई है, इसलिए गेहूं की खुली बिक्री के मूल्य का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 402/- रुपये प्रति क्विंटल है जो 31 मई, 1997 तक प्रभावी है।

(घ) खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं की बिक्री की जाती है बशर्ते सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद गेहूं उपलब्ध हो। केन्द्रीय पूल में गेहूं की सीमित उपलब्धता के कारण खुली बिक्री योजना को 1.4.97 से समाप्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

गेहूं का संकट

4774. श्री सनत कुमार मंडल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1997 के "द बिजनेस स्टैंडर्ड" नई दिल्ली में "व्हीट क्राइसिस रूटेड इन गवर्नमेंट पालिसीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पंजाब और हरियाणा की मंडियों से गेहू की खरीद के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गेहूं के मूल्यों में निरन्तर उतार-चढ़ाव की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षित भंडार के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में कृषि मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष के विचार दिए गए हैं जिसमें उन्होंने गेहूं के तथाकथित संकट के लिए सरकार की नीतियों को उत्तरदायी ठहराया है। यह उल्लेख किया गया है कि गेहूं का आयात करने के निर्णय से किसान खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अधिक मांग करने के लिए प्रेरित हुए हैं। गेहूं का आयात करने के सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान स्वरूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने की मांग की है।

(ग) रबी विपणन मौसम 1997-98 में पंजाब और हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे क्रय केन्द्रों की अनन्तिम संख्या क्रमशः 1010 और 429 है। सामान्यतः यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अन्य प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंध किए गए हैं कि वसूली परिचालन कार्य सुचारु रूप से किए जाएं। सरकार ने 10.6.97 तक सरकारी वूसली एजेन्सियों को बेचे जाने वाले गेहूं के लिए 415 रु० के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 60/- रुपये प्रति क्विंटल का केन्द्रीय बोनस घोषित किया है जिसका अर्थ है पिछले मौसम में अदा किए गए मूल्य से वसूली मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना। राज्य स्तर पर और मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से कम मूल्य पर किसानों द्वारा गेहूं की कोई मजबूरन बिक्री न की जाए। वसूली सुचारु रूप से की जा रही है और पंजाब और हरियाणा में 2.5.97 तक क्रमशः 14.33 लाख टन और 5.11 लाख टन गेहूं की कुल मात्रा वसूल कर ली गई है।

(घ) बफर स्टाक रखने की नीति, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए योजना का महत्वपूर्ण पहलू है, के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न तारीखों को रखे जाने वाला न्यूनतम स्टाक स्तर निर्धारित किया गया है इस प्रकार निर्धारित बफर मानदंड वसूली अथवा आयात के जरिए केन्द्रीय स्टाक में वृद्धि करने अथवा वास्तविक स्टाक स्तर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं आदि की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए खाद्यान्नों [illegible] की अथवा निर्यात के जरिए इसमें कमी करने के तंत्र के [illegible] इस्तेमाल किया जाता है। केन्द्रीय पूल में रखे जाने वाले खाद्यान्नों का न्यूनतम बफर स्टाक निम्नानुसार है :

(लाख टन में)

निम्न तारीख को	चावल	गेहूं
वर्ष पहली अप्रैल	108	37
वर्ष की पहली जुलाई	92	131
वर्ष की पहली अक्तूबर	60	106
वर्ष की पहली जनवरी	77	77

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

4775. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कौन-कौन से राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्त आय से कम है तथा कौन-कौन से राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से अधिक है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए स्थिर मूल्यों पर फैक्टरी लागत पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय घरेलू उत्पादन और अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद के साथ-साथ स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा मापित राज्य/संघ क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति आय संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) राज्य सरकारें आय को बढ़ाने के लिए विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही हैं। केन्द्र सरकार एक फार्मूले के अनुसार राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है जिसमें कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को अधिक अधिमानता दी जाती है।

(ग) प्रयोग की गई स्रोत सामग्रियों में अंतर के कारण राज्यों/संघ क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े पूर्णतया तुलना योग्य नहीं हैं।

विवरण

स्थिर मूल्यों पर राज्य/संघ क्षेत्र वार प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(1.4.1997 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	राज्य/सघ क्षेत्र	निम्न वर्षों के दौरान 1980-81 मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु०)		
		1993-94 (पी)	1994-95 (पी)	1995-96 (क्यू)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1871	1839	1913
2.	अरुणाचल प्रदेश	3369	3426	3592
3.	असम	1583	1602	1593
4.	बिहार	1034	1098	1149
5.	गोवा	5459	5341	–
6.	गुजरात	2960	3293	3172
7.	हरियाणा	3498	3674	3670
8.	हिमाचल प्रदेश	2315	2395	2518
9.	जम्मू व कश्मीर	1832	–	–
10.	कर्नाटक	2394	2420	2425
11.	केरल	2114	2246	2353
12.	मध्य प्रदेश	1731	1749	1784
13.	महाराष्ट्र	4057	4227	4500
14.	मणिपुर	1921	–	–
15.	मेघालय	1698	1835	1714
16.	नागालैंड	2170	–	–
17.	उड़ीसा	1543	1569	1630
18.	पंजाब	4022	4121	4175
19.	राजस्थान	1790	2088	2051
20.	सिक्किम	–	–	–
21.	तमिलनाडु	2498	2656	2676
22.	त्रिपुरा	1876	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	1617	1641	1666
24.	पश्चिम बंगाल	2437	2525	2668
25.	अंडमान व निको० द्वी० सं०	3004	3081	–
26.	दिल्ली	5940	6225	–
27.	पांडिचेरी	3325	–	–
अखिल भारत	प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद	2334	2449	2573
	प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद	2391	2518	2648

क्यू–तुरन्त अनुमान पी–अनंतिम – राज्य द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए

स्रोत : निवल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन और निवल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निवल घरेलू उत्पाद के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय।

टिप्पणी नं० 1. प्रयोग की गई स्रोत सामग्री में अंतर के कारण विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के आंकड़े एकदम तुलना के योग्य नहीं हैं।

2. संघ क्षेत्र चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप निवल राज्य उत्पाद और अनंतिम अनुमानों को तैयार नहीं करते हैं। मिजोरम केवल वर्तमान मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाता है।

कृषि विकास केन्द्र

4776. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विकास केन्द्रों की राज्य-वार स्थापना के लिए संसद सदस्यों और राज्य सरकारों से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक स्थापित ऐसे केन्द्रों की संख्या के उल्लेख सहित गत 6 माह के दौरान कौन-कौन राज्यों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) ऐसे कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाएं

4777. **श्री वीर सिंह महतो** : **क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की नई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ): (क) से (ग) योजना आयोग के पास अनुमोदन के लिए पश्चिम बंगाल की कोई परियोजना लम्बित नहीं है।

मेराडिया कैमिकल्स

4778. **श्री सनत मेहता** : **क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दर नगर जिले में मेराडिया रसायन एकक को गुजरात उच्च न्यायालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश से बंद कर दिया गया है क्योंकि उद्योग का बहीस्राव गांवों के तालाबों और निकटवर्ती सिंचाई परियोजना के जल को गम्भीर रूप से प्रदूषित कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या बाद में एनईईआरआई (नीरी) – केन्द्रीय सरकार का एक संगठन – की रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के आधार पर इस एकक को पुनः चालू करने की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो नीरी की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स मेराडिया कैमिकल्स लिमिटेड, सयाला, सुरेन्द्र नगर, गुजरात को गांव के तालाब और सबोरी बांध के जल को प्रदूषित करने के कारण गुजरात उच्च न्यायालय के 11.7.96 के आदेश द्वारा बंद कर दिया गया है।

इस मामले की माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई जिसने 5.8.96 को आदेश दिया कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त रूप से निरीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संयुक्त निरीक्षण दल ने 20 तथा 21 अगस्त, 1996 को संयंत्र का दौरा किया और 31.8.96 को माननीय उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की।

गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशानुसार (क्योंकि मामला उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किया गया था), संयुक्त निरीक्षण दल ने 24 नवम्बर, 1996 को इकाई का पुनः निरीक्षण किया और 7 दिसम्बर, 1996 को माननीय उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया गया था कि संयुक्त निरीक्षण दल की सभी सिफारिशों का अभी अनुपालन नहीं किया गया है।

इसके बाद, गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में संयुक्त निरीक्षण दल ने सिफारिशों के अनुपालन का पता लगाने के लिए 3 जनवरी, को उद्योग का दौरा किया और यह निष्कर्ष दिया कि उद्योग ने संयुक्त निरीक्षण दल की सभी सिफारिशों पर अमल पूरा कर लिया है और अस्थाई तौर पर आवश्यक सहमति कर ली है। इसके साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि बहिस्रावों के शोधन और उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए इस प्रकार उपलब्ध सुविधाओं के कार्य निष्पादन का तभी मूल्यांकन किया जा सकता है जब संयंत्र पूरी तरह से चालू हो जाए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 21.1.97 के अपने आदेश द्वारा उद्योग को चलाने की अनुमति दे दी और संयुक्त निरीक्षण दल को कहा कि वह संयंत्र के कार्य संचालन और मैसर्स मेराडिया कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं के कार्य–निष्पादन का पता लगाने के लिए उद्योग का निरीक्षण करें ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए उपायों की कारगरता का मूल्यांकन किया जा सके। संयुक्त निरीक्षण दल ने निरीक्षण के लिए 16-17 मार्च, 1997 को मैसर्स मेराडिया कैमिकल्स लिमिटेड का दौरा किया इसके साथ ही 15-17 अप्रैल, 1997 के दौरान जोरदार निगरानी भी की गई। रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) नीरी और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त निरीक्षण दल की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :–

- इधर-उधर फैले ठोस अपशिष्टों (संदूषित जिप्सम) को फैलने से रोकने के लिए उन्हें कारखाने के परिसरों में एक विशेष स्थान पर एकत्र और स्थिर किए जाने की जरूरत है। जिन स्थलों से फैला हुआ अपशिष्ट उठाया गया है उन स्थलों को भूमि के स्तर से कम से कम 0.3 मी० की गहराई तक खोदा जाएगा और फिर उन्हें नई

मिट्टी से पाटा जाएगा। संदूषित मिट्टी को ठोस अपशिष्ट के साथ ही एक स्थान पर एकत्र कर स्थिर किए जाने की आवश्यकता होगी।

- स्थिर स्थलों पर पुश्ता दीवारों की सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग पैरामीटर, जैसे समुचित ढलान, ढाल, जल निकास मार्ग, आदि पर विचार किए जाने की आवश्यकता होगी।

- अपशिष्टों को स्थिर करने के लिए अपशिष्ट के ढेर को फाइबर ग्लास की 3 मि०मि० मोटी अन्तर्मरित बिटुमनी मेम्ब्रेन्स के ऊपर ताजी मिट्टी की 25 से०मी० मोटी ठोस परत बिछाए जाने की जरूरत होगी। सबसे ऊपर वेजिटेटिव ग्लास सहित 1 मि० ताजी मिट्टी की परत बिछाए जाने की आवश्यकता होगी।

- स्थिर अपशिष्ट स्थल में रिसाव की निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

- भविष्य में उत्पन्न होने वाले खतरनाक अपशिष्टों के निपटान के लिए सुरक्षित लैण्डफिल बनाए जाने की आवश्यकता होगी। तथापि, ऐसे अपशिष्टों की भारी मात्रा के निपटान की जरूरत को कम से कम करने के लिए इन अपशिष्टों के पुनः चक्रण/पुनः प्रयोग के वास्ते प्रयास किए जाने चाहिए।

- एक विस्तृत कार्यक्रम जिसमें कि पूर्वोक्त पांचों सिफारिशों को शामिल किया गया है उद्योग द्वारा कार्यान्वित किया जाना होगा जिसके लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंध और संचालन नियमावली, 1989 के अनुसार स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।

- लेंगूनों में इस समय जो अपशिष्ट जल जमा है उसे समयबद्ध तरीके से वाष्पक में सांद्रण करने के बाद भस्म करने की आवश्यकता होगी। लेंगूनों में बहिस्राव अथवा संदूषित जल को इकट्ठा करने की जो परिपाटी है उसे तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। इन लेंगूनों को पूरी तरह से खाली करने के बाद उन्हें भूमि के स्तर तक भर दिया जाना होगा।

- बहिस्राव उत्पन्न करने वाली इकाइयों को पुनः चालू करने से पहले बहिस्राव शोधन संयंत्र को नया रूप दिए जाने और उसे अनुकूलन बनाया जाना आवश्यक है।

- नेपमलीन आधारित रंजकों से हाने वाले अपशिष्ट जल को भस्म किया जाना आवश्यक होगा।

- चिमनी के उत्सर्जन की नियमित निगरानी किए जाने और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आंकड़ों के बारे में सूचित किए जाने की जरूरत होगी।

- उद्योग के कारखाने के परिसर का सीमांकन नहीं किया गया है। अतः इसके लिए समुचित चार दीवारी बनाई जानी होगी। औद्योगिक संयंत्रों के बीच भी स्पष्ट सीमांकन किया जाना जरूरी होगा।

- औद्योगिक परिसर में तूफानी जल के निकास की कोई प्रणाली नहीं है जो कि सतही बहाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक है।

- कारखाने के दायरे में सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित पक्की सड़क का होना पहली आवश्यकता है। सबोरी बांध का पानी पीने के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें 4.75 मि०ग्रा० प्रति लीटर एच० अम्ल मौजूद है। जिला प्राधिकरण को चाहिए कि वह सिंचाई के लिए इस पानी के इस्तेमाल की संभावनाओं का पता लगाए। संयुक्त निरीक्षण दल ने पाया कि सबोरी बांध का पानी इस समय आस-पास के गांवों द्वारा घरेलू प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अतः सिफारिश की जाती है कि इन गांवों को पीने का पानी टैंकरों से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मैसर्स मेराडिया कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा सुरेन्द्र नगर में इन टैंकरों की व्यवस्था की जाएगी। आगामी मानसून से पहले सिंचाई के लिए पानी के उपयोग से जलाशयों के अगले बरसात के मौसम मे भरने में मदद मिलेगी।

- दल का यह विचार है कि सतही बहाव के कारण जलमल का जो निक्षेप होता है उसे निकाले जाने और सुरक्षित लैंडफील में ले जाने की आवश्यकता होगी ताकि भविष्य में ताजे जल के संदूषण को कम से कम किया जा सके। उद्योग को सबोरी बांध के पानी को साफ करने के लिए भी धनराशि देनी चाहिए।

- निचली धारा में जलाशय के पानी के संदूषित हो जाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इस समय वहां सबोरी बांध से जल का कोई उदबहाव नहीं होता। सुरेन्द्र नगर के भूमिगत जल के संदूषण की संभावना कम है क्योंकि वह उद्योग से 40 कि०मी० दूर है और भूमिगत जल का संचरण बहुत धीमा है।

- भूमिगत जल की गुणवत्ता की निगरानी एक तात्कालिक जरूरत है ताकि एपीसोडल प्रदूषण के कारण उसकी स्थिति और प्रभाव का पता लगाया जा सके। यह निगरानी उद्योग और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जा सकती है। ग्रामवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कुओं के पानी की गुणवत्ता घटने की स्थिति में उद्योग द्वारा जिला प्राधिकरण की देख-रेख में पीने का पानी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता होगी।

(घ) उद्योग के परिसर से बहकर गांव के तालाब में पहुंचने वाले तूफानी जल को रोकने के लिए ऊपरी धारा पर उद्योग के खर्च पर एक बांध बनाया गया था ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। राज्य सरकार ने भी निर्देश दिया है कि गांव के तालाब को खाली कराया जाए और इसके पानी को पंप द्वारा वापस कारखाने के क्षेत्र में पहुंचाकर इसे सूखा कर दिया जाए। इसके बाद उद्योग प्रदूषण के नियंत्रण पर चौकसी रखने के लिए नियमित रूप से निगरानी कर रहा है।

[हिन्दी]

मसालों इत्यादि का विकास

4779. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत विशेषकर बिहार में जो मसालों, नारियल तथा टसर सिल्क के उत्पादन में आगे है इन चीजों के लिए कोई भी विकास योजना तैयार नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या धनिया, जीरा, सौंफ, दालचीनी, हल्दी तथा मिर्च का उत्पादन इस अनुपात में नहीं हो रहा है कि उनका व्यापार हो सके;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई ऐसी विकास योजना तैयार करेगी ताकि इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि कर इनका व्यापार किया जा सके और उससे किसानों को लाभ हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) बिहार तथा उत्तर भारत के अन्य उत्पादन क्षमता वाले राज्यों में मसालों, नारियल तथा टसर सिल्क के विकास के लिए 8वीं योजना के दौरान निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया :

(1) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित मसाला विकास कार्यक्रम

(2) नारियल विकास बोर्ड के कार्यक्रम नामतः नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार एवं डी.एस.पी. फार्मों एवं नर्सरियों की स्थापना तथा रख रखाव/नारियल विकास बोर्ड का एक क्षेत्रीय केन्द्र बिहार में पटना में है।

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आवश्यक आधारभूत ढांचे के सृजन एवं अनुसंधान तथा विकास सहायता के माध्यम से बिहार सहित उत्तर भारत में विभिन्न टसर रेशम पालन विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद की जाती है।

(ग) बीज मसालों जैसे धनिया, जीरा तथा एनीसीड की खेती अधिकांशतः छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा की जाती है। दालचीनी, हल्दी तथा मिर्च की खेती काफी हद तक बड़े किसानों द्वारा की जाती है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित मसाला विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखे जाने की संभावना है। इस योजना के तहत उत्पादन क्षमता वाले सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में मसालों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन उपाय के तौर पर छोटे तथा सीमान्त किसानों एवं अन्य कमजोर वर्गों को सहायता जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

महिलाओं की स्थिति

4780. श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दू लॉ कमेटी ने महिलाओं की स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दू ला हेतु एक रूप संहिता का मूल्यांकन करने के लिए समिति का गठन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसका गठन और विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ङ) इसकी सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एच० एफ० सी० और एफ०सी०आई० के कर्मचारियों की मजदूरी दर से संशोधन

4781. श्री सुनील खान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम और भारतीय उर्वरक निगम के कर्मचारियों की देय तिथि अर्थात् 1.1.1992 से मजदूरी दर में संशोधन करने से इंकार करने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या उन्होंने महंगाई भत्ते में संशोधन करने से भी इंकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा संशोधन की देय तिथि से कर्मचारियों की मजदूरी और महंगाई भत्ते में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) नवम्बर, 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) ने फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ सी आई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच फ सी) को रुग्ण कम्पनियां घोषित किया। रुग्ण कम्पनियां हाने के कारण यूनियन श्रमिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए 1.1.92 से वेतन और अन्य भत्तों में संशोधन करने के लिए जिसमें संशोधित वेतनमान पर मंहगाई भत्ता भी शामिल है, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार एफ सी आई और एच एफ सी को उनके पुनरुद्धार के बारे में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस तरह अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज में प्रस्तावित वेतन संशोधन पर बढ़ाई गई देयता शामिल होगी। श्रमिकों की मजदूरी में संशोधन के लिए एफ सी आई और एच एफ सी इस संबंध में दिशा निर्देशों की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है अर्थात् आऊटपुट की प्रत्येक वास्तविक इकाई पर मजदूरी लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी। निधि आदि का कोई आंतरिक सृजन नहीं होगा। सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बढ़ाई हुई देयता को पूरा करने के लिए किसी बजटीय सहायता का सरकारी दिशानिर्देशों में प्रावधान नहीं है।

(घ) वित्तीय संस्थाओं (एफ आईज) द्वारा वित्त पोषण किए जाने के दृष्टिकोण से एच एफ सी और एफ सी आई के लिए पुनरुद्धार पैकेज फिर से तैयार करने के लिए (जिन्हें सरकार ने अप्रैल, 1995 में सिद्धान्त रूप से अनुमोदित कर दिया था) गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एफ सी आई और एच एफ सी के लिए फिर से तैयार किए गए पुनरुद्धार पैकेजों में अन्य मुद्दों के साथ-साथ मजदूरी/वेतन संशोधन के लिए प्रभावी तारीख तथा उसकी सीमा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

वन अधिनियम 1980 का निरस्त किया जाना

4782. **श्री कचरू भाऊ राउत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को वन अधिनियम, 1980 को निरस्त किए जाने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि इससे जनजातीय क्षेत्रों में कई कार्य ठप्प हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

4783. **श्री दिलीप संघानी** : क्या **गृह मंत्री** 11 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2649 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्वतंत्रता सेनानियों के माता-पिताओं को पेंशन मिल रही है;

(ख) क्या पेंशन संबंधी नियमों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है विशेष रूप से उस स्थिति में जब स्वतंत्रता सेनानियों के माता-पिता की अब तक जीवित रहने की कोई सम्भावना नही है; और

(ग) क्या सरकार पचास वर्ष से ऊपर के पेंशन के पात्र ऐसे मृत और अविवाहित स्वतंत्रता सेनानियों के गोद लिए अथवा आश्रित रिश्तेदारों को पेंशन अथवा अन्य सहायता या सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न में 11.3.1997 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 2469 में दिए गए उत्तर का उल्लेख किया गया है।

(क) पात्र आश्रितों को पेंशन हस्तांतरित करने की शक्तियां, पेंशन संवितरण अधिकारियों को प्रदत्त की गयी हैं। मांगी गयी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उर्वरकों की मांग

4784. **श्री नीतीश कुमार**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 2002 तक 225 मिलियन टन खाद्यान्नो की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की काफी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) गत वर्ष के दौरान की गई उर्वरकों की खपत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु घरेलू तथा आयातित उर्वरकों की कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उर्वरक संबंधी कार्यदल द्वारा 220 मिलियन टन के अनन्तिम खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य के लिए, नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (अर्थात 2001-02) के लिए निम्नलिखित मांग प्रक्षेपण प्रस्तुत किया गया है :–

(लाख टन)

पोषक तत्व	उर्वरकों में मूल्य शुद्धि सहित	मूल्य शुद्धि के बगैर
एन	134.00	178.62
पी	46.70	41.90
के	18.30	16.04
कुल	199.00	236.76

(ख) से (घ) देश में विगत दो वर्षों के दौरान उर्वरकों की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख टन)

पोषक तत्व	1995-96	1996-97 (अनुमानित)
एन	98.23	106.60
पी	28.98	31.31
के	11.56	11.40
कुल	138.77	149.31

इस समय यूरिया ही एकमात्र उर्वरक है, जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है। अन्य सभी उर्वरकों पर से 25.8.1992 से नियंत्रण हटा लिया गया है। जबकि यूरिया देश भर में एक समान मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है, फास्फेटयुक्त उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन उवं खपत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वदेशी डी ए पी पर 3750 रुपये प्रति टन, आयातित डी ए पी पर 2250 रुपये प्रति टन, सिंगल सुपर फास्फेट पर 600 रुपये प्रति टन, मिश्रणों पर 1149 रुपये से 3320 रुपये प्रति टन की रियायत दी जा रही है। इसी प्रकार एमओपी की खपत बढ़ाने के लिए इस पर 2000 रुपये प्रति टन की रियायत दी जा रही है।

देश में पोटाश के ज्ञात एवं दोहनयोग्य स्रोत न होने के कारण देश में अपेक्षित पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा की पूर्ति आयात करके की जाती है। एन तथा पी उर्वरकों की मांग तथा उत्पादन के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति आयात के माध्यम से की जाएगी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (2001-02) के लिए एन तथा पी उर्वरकों के उत्पादन लक्ष्य नीचे दिए गये हैं :

(लाख टन)

एन – 140.27
पी – 33.33 –

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

4785. **श्री नन्द कुमार साय** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को टंकण "आशुलिपि" वाहन चालन पाठ्यक्रम चलाने हेतु मंत्रालय द्वारा किन-किन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान प्रत्येक संगठन को दी गई सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक संगठन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों के अलावा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए दो सहायता अनुदान योजनाएं स्वैच्छिक संगठनों के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं। पिछले दो वर्षों अर्थात वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान सहायता अनुदान प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रतिकूल निरीक्षण रिपोर्टों तथा प्राप्त शिकायतों के आधार पर इनमें से छः स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान रोक दिया गया। तथापि, राज्य सरकार से प्रापत रिपोर्ट के आधार पर, ग्रामीण विकास संगठन, गया, बिहार को सहायता अनुदान पुनः प्रदान किया गया है।

विवरण-I

क्रम सं०	गैर सरकारी संगठन का नाम	1994-95 के दौरान	1995-96 निर्मुक्त राशि
1	2	3	4
1.	हरिजन सेवक संघ, दिल्ली*	111.86	110.87
2.	शोषण उन्मूलन परिषद, दिल्ली*	46.32	25.34
3.	अखिल भारतीय ग्रामीण तथा शहरी विकास केन्द्र, दिल्ली*	7.34	2.14
4.	समाज सेवा संघ, दिल्ली*	9.19	9.25
5.	श्री मुख्तियर सिंह स्मृति शिक्षा समिति, दिल्ली*	12.09	13.71
6.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ, दिल्ली*	7.79	10.86
7.	मुक्ति संग्राम सघ, दिल्ली*	2.49	2.54
8.	डा० बी.आर. अम्बेडकर अनुस. संस्थान, दिल्ली*	4.79	4.79
9.	अखिल भारतीय कोनार्क शैक्षणिक तथा कल्याण समिति, दिल्ली*	6.86	5.79
10.	ग्रामोत्थान कल्याण परिषद, दिल्ली*	2.41	4.47
11.	नारी उत्थान समिति, दिल्ली*	6.23	4.38
12.	दिल्ली अनु. जाति कल्याण एसो-सिएशन, दिल्ली	0.45	1.54
13.	अखिल भारतीय ग्रामीण पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति, दिल्ली	1.32	2.36
14.	सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, महाराष्ट्र*	30.97	34.74
15.	कटक जिला अम्बेडकर मेमोरियल संगठन, उड़ीसा	1.73	0.94
16.	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, उडीसा*	4.54	5.64
17.	जन कल्याण समिति, उड़ीसा*	7.81	3.92
18.	श्री आर. के. मिशन, उड़ीसा*	5.22	–
19.	कालिंगा शेल्टर, उड़ीसा	1.13	1.30
20.	उड़ीसा खादी एवं ग्रामोद्योग ऐसो-सिएशन, उड़ीसा*	2.57	1.44
21.	गोपबन्धु पथगर, उड़ीसा	0.83	0.73
22.	नार्थ 24, परगना विकलांग व्यहि ऐसा. पं. बंगाल*	2.21	2.21
23.	पं. बंगाल अ.जा.अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक कल्याण ऐसो०, पं. बंगाल*	32.63	20.63
24.	दुलाल स्मृति संसद, पं. बंगाल	0.57	0.32
25.	पश्चिम बंगाल जन कल्याण परिषद्, पं० बंगाल	1.32	0.72
26.	सुन्दरवन नारी और शिशु विकास केन्द्र, पं० बंगाल	NIL	1.09
27.	मालपार विवेकानन्द ग्रामीण विकास संस्थान, पं० बंगाल	NIL	1.08
28.	खेतरी विकास समिति, राजस्थान*	1.01	3.03
29.	खेड़ा ग्रामोद्योग संस्थान, राजस्थान	1.02	0.95
30.	चेतना पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, राजस्थान	0.48	—
31.	ग्रीनवेल चिल्ड्रन सोसाइटी, राजस्थान	0.82	0.52

1	2	3	4
32.	एस०एल० आदर्श विद्यालय प्रबन्ध समिति राजस्थान	0.51	0.38
33.	खेतरी हाउस नागरिक विकास समिति, राजस्थान	0.44	0.39
34.	भारती महिला शिक्षा समिति, म० प्र०	2.50	2.25
35.	गायत्री शक्ति शिक्षा कल्याण समिति, म०प्र०	9.46	4.73
36.	वेद महिला मंडली, म०प्र०	4.63	3.81
37.	सैद्धान्तिक शिक्षा, समिति, म०प्र०	4.78	3.55
38.	समिति पब्लिक शिक्षा समिति, म०प्र०	3.50	2.93
39.	शशि महिला जागृति समिति, म०प्र०*	2.83	4.44
40.	शिक्षा पारसन समिति, म०प्र०*	1.60	2.13
41.	महिला परिषद्, म०प्र०	0.88	0.50
42.	शिव शक्ति महिला आदिमजाति जनजाति कल्याण समिति, म०प्र०	1.87	1.87
43.	बिजनौर सेवा संस्थान, उ०प्र०	0.71	0.39
44.	सर्वजन कल्याण समिति, उ०प्र०	1.98	1.06
45.	अवध संस्थान, उ०प्र०	1.59	0.87
46.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संघ, उ०प्र०	1.65	0.86
47.	सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्था, उ०प्र०*	1.98	1.14
48.	डिवाइन लाइट एजुकेशनल तथा कल्चरल सोसाइटी, उ०प्र०*	2.68	–
49.	प्रतापगढ़ ग्रामोत्थान समिति, उ०प्र०	0.97	1.05
50.	जवाहर ज्योति शिक्षा एवं ग्राम विकास समिति, उ०प्र०	1.14	0.68
51.	पी.के. लोक विकास, उ०प्र०	0.61	0.53
52.	जन विकास संस्थान, उ०प्र०	1.02	0.81
53.	ग्रामोत्थान कल्याणकारी एवं शिक्षा समिति, उ०प्र०	0.47	0.39
54.	ग्रामीण विकास संस्थान, उ०प्र०	—	1.31
55.	लखनऊ शैक्षणिक कल्याण सोसाइटी, उ०प्र०	—	1.12
56.	निर्बल वर्ग सेवा समिति, उ०प्र०	—	1.41
57.	श्री प्रेम भिक्षुक शिक्षा समिति, हरियाणा*	5.96	5.56
58.	अमर ज्योति शिक्षा समिति, हरियाणा*	0.74	1.94
59.	हरियाणा लोक कल्याण शिक्षा समिति, हरियाणा	0.58	1.10
60.	मानसिंह शिक्षा संस्थान, हरियाणा*	1.46	—
61.	महिला मुक्ति वाहिनी, बिहार*	3.23	6.29
62.	ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार *	3.54	2.40
63.	भारतीय जन उत्थान परिषद, बिहार	0.77	0.66
64.	बिहार पुनर्वास तथा कल्याण संस्थान, बिहार	0.54	1.24
65.	महर्षि बाल्मिकी कल्याण सोसाइटी, पंजाब	1.10	0.73
66.	नया गांधी अखिल भारतीय सामाजिक आर्थिक विकास अध्ययन फोरम, आ०प्र०*	0.38	1.58
67.	तैलंगा कमजोर वर्ग विकास सोसाइटी, आ०प्र०*	6.54	6.37
68.	ज्योति कमजोर एसोसिएशन, आ०प्र०*	2.72	2.64
69.	जन शैक्षणिक विकास सोसाइटी, आ०प्र०*	6.68	4.81
70.	पेड़ा प्राजला सेवा समिति, आ०प्र०*	12.78	13.74
71.	विजयपुरम प्रजा सेवा समिति, आ०प्र०*	00.62	1.24
72.	सेवा भारती, आ०प्र०	0.63	2.97
73.	भारतीय बाल फाउंडेशन, आ०प्र०*	11.52	6.01
74.	प्रियदर्शनी सेवा संगठन, आ०प्र०*	10.02	10.20
75.	महालक्ष्मी कल्याण सोसाइटी, आ०प्र०*	1.67	0.86
76.	कावुरू चैरिटेबल ट्रस्ट, आ०प्र०*	6.99	3.60
77.	सिटी शैक्षणिक सोसाइटी, आ०प्र०*	5.44	8.02
78.	जयश्री महिला संगम, आ०प्र०	1.81	6.96
79.	डा० अम्बेडकर दलित वर्ग अभिरुचि संगम, आ०प्र०*	4.93	2.46
80.	अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग कर्मचारी कल्याण एसो०, आ०प्र०*	5.83	0.89
81.	स्वान शैक्षणिक सोसाइटी, आ०प्र०*	6.08	7.96
82.	ग्रामीण शैक्षणिक विकास संगठन, आ०प्र०	2.80	2.08
83.	महिला मंडली, आ०प्र०*	0.74	0.85
84.	सामाजिक–आर्थिक शैक्षणिक विकास सोसाइटी, आं०प्र०	0.54	0.16

1	2	3	4
85.	वी०एम० महिला मंडली, आं०प्र०	0.59	0.51
86.	अनु० जा०/अनु०ज०जा० कर्मचारी तथा कमजोर वर्ग कल्याण एसो०, आं०प्र०*	–	1.71
87.	प्रकाश जिला बालहीन वारंगला कालोनी, वाराला सेवा संस्थान, आं०प्र०*	1.97	0.99
88.	आन्ध्र प्रदेश पीपुल सामाजिक आर्थिक विकास सोसाइटी, आं०प्र०*	1.19	1.55
89.	सर्वोदय महिला मंडली, आं०प्र०	0.91	0.88
90.	व्यापक समुदाय विकास परियोजना सोसाइटी, आं०प्र०	1.73	–
91.	जनकल्याण ट्रस्ट, कर्नाटक*	7.21	7.41
92.	ज्ञान ज्योति जयमीम शिक्षा सोसाइटी, कर्नाटक*	6.93	8.03
93.	जगजीवन सर्वोदय संघ, कर्नाटक*	7.82	7.60
94.	पंचशील कल्याण एसोसिएशन, कर्नाटक*	7.68	7.10
95.	अध्ययन विद्या संस्थान, कर्नाटक*	9.16	9.60
96.	बहुजन विकास केन्द्र, कर्नाटक	0.84	0.74
97.	समेकित ग्रामीण विकास तथा शैक्षणिक संगठन, मणिपुर*	1.43	0.95
98.	टंकण संस्था तथा ग्रामीण विकास, मणिपुर*	1.36	1.54
99.	शैक्षणिक बेरोजगार युवा विकास ऐसोशिएशन, मणिपुर*	0.69	0.83
100.	ख्यामगी खोईराम लेई कैई महिला कल्याण एसो०, मणिपुर	–	1.40

नोट : *इन स्वैच्छिक संगठनों के आगे दर्शाई गई सहायता अनुदान की राशि में टंकण/शार्ट हैंड/मोटर ड्राइविंग के अतिरिक्त गतिविधियों के लिए सहायता अनुदान भी शामिल है।

विवरण-II

(06.5.97 की स्थिति)

1	2	3	4
1.	आर०के० मिशन, जमशेदपुर	0.06	0.06
2.	बिहार पुनर्वास तथा कल्याण संस्थान, पटना	–	2.23
3.	आर०के० मिशन अदयैता आश्रम, केरल	0.61	1.43
4.	हरिजन सेवक संघ, तिरुवनंतपुरम	1.96	1.87
5.	भारती महिला शिक्षा समिति, जबलपुर	0.73	2.00
6.	सर्वेन्टस आफ इंडिया सोसाइटी, पुणे	0.61	0.18
7.	नवलभाऊ प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र	1.28	0.64
8.	मणिपुर पूर्वी हिल पीपुल विकास सोसाइटी, इम्फाल	1.22	1.83
9.	आर०के० मिशन, पुरी	–	0.79
10.	निस्वास, भुवनेश्वर	0.44	0.22

मृतक के निकट संबंधी को रोजगार

4786. **श्री सत्य पाल जैन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में मृतक सरकारी कर्मचारी के निकट संबंधी को रोजगार दिए जाने संबंधी कोई योजना या नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे लंबित पड़े मामलों की कुल संख्या क्या है जिनमें अभी रोजगार दिया जाना है और उन्हें अभी तक रोजग़ार न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित पड़े ऐसे सभी मामलों में कब तक रोजगार दे दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। अपने परिवार को दीन अवस्था में छोड़ कर ड्यूटी के दौरान मरने वाले किसी सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने की जो योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है, उसका अनुसरण चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा भी किया जाता है।

(ग) और (घ) चण्डीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु लगभग 58 आवेदनपत्र विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं और यह एक ऐसी कोई समय सीमा बता पाना कठिन होगा जिसके अन्दर इन आवेदन-पत्रों को निपटा दिया जाएगा क्योंकि नियुक्तियां उपयुक्त पदों के उपलब्ध होने पर और आवेदक द्वारा अनुकम्पा के आधार पर ऐसी नियुक्तियों के लिए निर्धारित समस्त शर्तों को पूरा किए जाने पर ही की जा सकती है।

[हिन्दी]

पर्यावरण संबंधी नीति

4787. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई पर्यावरण और वन नीति की घोषणा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन पर सरकार की नीति, राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण और विकास पर नीति विवरण (1992), प्रदूषण के उपशमन के लिए नीति विवरण (1992) और राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वर्णित की गई है। पर्यावरणीय मुद्दे गतिशील होने के कारण पर्यावरण पर नीतियां समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

गहरे समुद्र में मत्स्यन

4788. **श्री एल रमना** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में मत्स्यन के संबंध में और ज्यादा रुचि लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास वर्तमान समय में कितने ट्रालर्स उपलब्ध हैं; और

(घ) निकट भविष्य में ट्रालर्स की संख्या में कितनी वृद्धि किए जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) सरकार गहन समुद्री मत्स्यन क्षेत्र के विकास हेतु नीति एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मछुआरों और मछली कामगारों के संगठनों द्वारा किए गए आंदोलन के परिणामस्वरूप 1991 की नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति को रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस नीति के तहत वैध अनुमति वाले गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को प्रचालन की अनुमति दी गई है। एक संशोधित गहन समुद्री मत्स्यन नीति बनाने हेतु कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(ग) और (घ) सरकार वाणिज्यिक उद्देश्यों से गहन समुद्री मत्स्यन ट्रालर नहीं चलाती। लेकिन निजी क्षेत्र में भारतीय स्वामित्व वाले करीब 90 जलयान चल रहे हैं। इनके अतिरिक्त संयुक्त उद्यम और लीजिंग के तहत गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के प्रचालन हेतु क्रमशः 49 और 37 वैध अनुमतियां हैं। इनमें से इस समय 21 और 12 जलयान चल रहे हैं। 1991 की नीति को रद्द किया जा चुका है इसलिए कोई नई अनुमतियां नहीं दी जा रही हैं।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की आवश्यकता

4789. **श्री काशीराम राणा :**
श्री राम टहल चौधरी :
श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को आवश्यक वस्तुओं के वितरणार्थ क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिहार और गुजरात को आवश्यक वस्तुओं का उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक मांग, वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता, मौसमजन्य कारकों, आवंटन में से किए गए उठान आदि पर विचार करके माह दर माह आधार पर किया जाता है। तथापि, जून, 1997 माह से चावल और गेहूं का कोटा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशा निर्देशों के अनुसार 10 वर्षों को वार्षिक औसत उठान के आधार पर आवंटित किया जाता है। लेवी चीनी का आवंटन 1991 की आबादी के अनुसार 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की एक समान दर पर किया जाता है। मिट्टी के तेल का आवंटन विगत की मांग, उठान के रुख और सापेक्षिक आवश्यकता के आधार पर किया जाता है जबकि जिन राज्यों में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है, उन्हें राष्ट्रीय औसत स्तर पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिहार और गुजरात को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन उपर्युक्त मानदण्ड के अनुसार किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान किए गए आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

		बिहार			गुजरात		
	वस्तु	1994	1995	1996	1994	1995	1996
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	गेहूं						
	आवंटन	702.40	705.60	702.70	642.00	814.00	670.00
	उठान	271.20	197.50	399.70	365.10	426.50	595.10
(2)	चावल						
	आवंटन	354.40	381.60	384.50	414.00	414.00	369.50
	उठान	50.90	19.70	27.10	191.40	202.20	270.60

1	2	3	4	5	6	7	8
(3)	चीनी						
	आवंटन (100% उठान)	412.79	414.07	461.11	198.94	202.06	213.77
(4)	खाद्य तेल						
	आवंटन	—	—	0.90	19.30	44.89	42.00
	उठान	—	—	—	18.46	46.55	41.16
(5)	मिट्टी का तेल						
	आवंटन	554.99	596.22	642.81	795.37	814.95	824.02
	उठान	556.41	595.91	64160	807.19	817.03	829.29

स्वैच्छिक संगठन

4790. **श्री सोहन वीर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वन्यजीव के संरक्षण और पर्यावरण के विकास के लिए राज्यवार कितने स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं;

(ख) इन संगठनों को गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और इन संगठनों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इन संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश और बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4791. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन सी ए ई आर द्वारा संकलित मानव विकास आलेख में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब परिवार प्रतिवर्ष 5 रु० से कम खाद्यान्नों की निवल खरीद करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रखने वाले गरीब परिवारों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस वर्ग के लोगों को वास्तव में कम मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हों, क्या विशेष प्रशासनिक प्रयास किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) द्वारा संकलित ह्यूमेन डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ रूरल इंडिया 1994 से संबंधित अध्ययन के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश में 5% परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ उठा रहे हैं।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनात्मक पहलू के लिए संबंधित राज्य सरकार जबावदेह है। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे इन दोनों राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभभोगियों के प्रतिशत में वृद्धि होने की आशा है।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुताबिक स्व० प्रोफेसर लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या क्रमशः 85.90 लाख और 95.48 लाख है जो दोनों राज्यों की कुल आबादी को क्रमशः 54.95% और 40.85% है।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित है कि वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करें। उन्हें विशेष राशन कार्ड जारी करें और संतोषजनक व पारदर्शी तरीके से खाद्यान्नों को जारी करने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करें।

कर्नाटक को देय राशि

4792. **श्री ए० सिद्ध राजु** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अत्याचार पीड़ित अंतर्राज्यीय युगलों के लाभार्थ मुआवजे के रूप में कर्नाटक राज्य को देय 10 करोड़ रुपये अदा करने हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वायल आफ अमरीका रिपोर्ट

4793. **श्रीमती कृष्णा बोस** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वायल आफ अमरीका" ने अपने समाचार में बताया है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता जलील अंद्रबी के हत्यारे की शिनाख्त कर ली गई है और वह हमारी थलसेना में मेजर पद के स्तर का अधिकारी है;

(ख) यदि हां, तो दोषी को गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने वायल आफ अमरीका के झूठे आरोप पर अपना विरोध भेजा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सरकार को वायल आफ अमेरिका द्वारा दी गई ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। तथापि, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल, 1997 के अपने आदेश में जलील अंद्रेबी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल को यह निर्देश दिया है कि पूछताछ करने हेतु टेरीटोरियल आर्मी अफसर, मेजर अवार सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करे। संबंधित सेना प्राधिकारियों से, इस संबंध में विशेष जांच दल को सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए भी कहा गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

4794. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विकास संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कोई संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार, ने इस योजना के कार्यान्वयन और इस योजना के बारे में स्थानीय क्षेत्रों में लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में कोई मूल्यांकन कराया है;

(घ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 1997-98 के लिए धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत तत्संबंधी पिछले मार्गदर्शी सिद्धांतों को अधिक्रमित करते हुए दिनांक 15.2.1997 को जारी किए गए। सशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रति सभी माननीय संसद सदस्यों को जारी कर दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार लेखानुदान/बजट के पास होने के तुरंत बाद व्यय एवं कार्य के निष्पादन की वास्तविक प्रगति को ध्यान में रखते हुए निधियां जारी की जाएंगी।

[हिन्दी]

वर्षा से हुई हानि

4795. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च-अप्रैल, 1997 माह के दौरान असामयिक वर्षा के कारण विभिन्न राज्यों में खड़ी फसल को हुई हानि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित राज्यों के नाम क्या हैं और उनको हुई हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रभावित किसानों को मुआवजे के तौर पर कुछ वित्तीय सहायता देने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) मानसून पूर्व मौसम में देश सामान्यतया मार्च में 26 मि०मी० तथा अप्रैल में 36 मि०मी० की औसत वर्षा होती है। अतः इस अवधि के दौरान वर्षा बेमौसमी नहीं है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मार्च, अप्रैल, 1997 में कुछ स्थानों पर हुई वर्षा और ओला वृष्टि से आंध्र प्रदेश में करीब 70,000 और उत्तर प्रदेश में 4600 फसली क्षेत्र में क्षति पहुंची है। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में भी फसली क्षेत्रों को क्षति पहुंची है। लेकिन यह सूचना नहीं मिली है कि कितना नुकसान हुआ है।

(ग) और (घ) यद्यपि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति करने की कोई प्रथा नहीं है, तथापि राज्य सरकारें आपदा राहत कोष के वार्षिक आबंटन का इस्तेमाल करते हुए प्रभावित किसानों को आवश्यक सहायता प्रदान करती है। आपदा राहत कोष के वार्षिक आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	(रु० करोड़ में) आपदा राहत कोष वर्ष 1997-98 के लिए
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	131.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.43
3.	असम	52.77
4.	बिहार	54.83

1	2	3
5.	गोवा	1.13
6.	गुजरात	147.31
7.	हरियाणा	26.44
8.	हिमाचल प्रदेश	28.44
9.	जम्मू कश्मीर	20.79
10.	कर्नाटक	44.16
11.	केरल	58.47
12.	मध्य प्रदेश	53.89
13.	महाराष्ट्र	71.97
14.	मणिपुर	2.61
15.	मेघालय	2.95
16.	मिजोरम	1.33
17.	नागालैंड	1.80
18.	उड़ीसा	51.72
19.	पंजाब	57.15
20.	राजस्थान	188.93
21.	सिक्किम	4.97
22.	तमिलनाडु	62.63
23.	त्रिपुरा	4.75
24.	उत्तर प्रदेश	13.03
25.	पश्चिम बंगाल	54.16
	योग	1263.71

[अनुवाद]

धान की फसल का गाल पेस्ट से प्रभावित होना

4796. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की किसी टीम ने केरल में विशेष कर कुट्टनाड क्षेत्र में धान की फसल गाल पेस्ट से प्रभावित होने के संबंध में अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन दल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) दिसम्बर, 1996 के दौरान केरल के एलेपी जिले के कुट्टनाड क्षेत्र में गाल मिज से करीब 8,000 हैक्टेयर चावल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली चावल की प्रमुख किस्में ज्योति और त्रिवेनी गाल मिज की सुग्राही हैं तथा गाल मिज बायोटाइप-5 इसके प्रकोप के लिए उत्तरदायी है। इस कीड़े की रोकथाम के लिए शीघ्र नैदानिक उपायों की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त, कीड़ों के प्रबंध के लिए अल्प और दीर्घ अवधि की नीतियां तैयार करने के सुझाव दिए गए हैं। उनमें प्रतिरोधी किस्मों का उगाना तथा जरूरत के अनुसार कीटनाशी दवाओं का उपयोग शामिल है।

चकमा शरणार्थी

4797. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा स्थित राहत शिविर में कितने चकमा शरणार्थी रह रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए इस मामले को बंगलादेश के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) त्रिपुरा में 6 राहत शिविरों में 45474 चकमा शरणार्थी रह रहे हैं।

(ख) और (ग) शरणार्थियों के प्रतिनिधियों और बंगलादेश सरकार के बीच बातचीत कराने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश करती रही है। शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन और बंगलादेश में उनके पुनर्वास के लिए दोनों पक्षों के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है। समझौते के ब्यौरे क्या विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) भारतीय क्षेत्र में सीमा तक शरणार्थियों को ले जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिवहन और रक्षक दल जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। शेष प्रबन्ध, बंगलादेश के क्षेत्र में बंगलादेश सरकार द्वारा किए जाते हैं। अभी तक 28 मार्च से 7 अप्रैल, 1997 के बीच 6701 शरणार्थी बंगलादेश वापस लौट चुके हैं। शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन जो दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते की शर्तों के अनुसार चल रहा है, के लिए कोई समय सीमा निश्चित करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

विवरण

भारत के त्रिपुरा राज्य से पर्वतीय आदिवासी शरणार्थियों का बंगलादेश को प्रत्यावर्तन

एक संयुक्त अधिघोषणा

बंगलादेश नेशनल असेम्बली के मुख्य सचेतक जनाब अब्दुल हसनत अब्दुल्ला के नेतृत्व में चिटगांव मामलों संबंधी नेशनल कमेटी के प्रतिनिधियों के एक दल ने 27 फरवरी से 2 मार्च तक और फिर 6 मार्च से 9 मार्च, 1997 तक दो चरणों में त्रिपुरा राज्य की यात्रा की।

यात्रा के दौरान इस दल ने अनेक शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। प्रतिनिधियों के दल और त्रिपुरा में रहते आ रहे चिटगांव पहाड़ियों के आदिवासी शरणार्थी नेताओं के बीच बंगलादेश सरकार के उस निर्णय के बारे में एक बैठक हुई जिसमें कि अपनी मातृभूमि वापस आने वाले शरणार्थियों को विभिन्न रियायतें दिए जाने की बात कही गई है और निम्नलिखित मुद्दों पर उनके बीच सर्वसम्मति होने के बाद स्वदेश वापसी का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया :

1. आदिवासी शरणार्थियों सहित बंगलादेश के सभी नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, संविधान और कानून के अनुसार की जाएगी।

2. वापस लौटने वाले प्रत्येक आदिवासी शरणार्थी परिवार को 14 फरवरी, 1994 को शरणार्थी नेताओं द्वारा की गई मांग के अनुसार एक बार में 15,000/- रु० दिए जाएंगे और इसमें पूर्व में गृह निर्माण के लिए तथा कृषि अनुदान के रूप में यथा स्वीकृत 5,000 से 10,000/- रु० तक अलावा जोड दिए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र में शरणार्थी नेताओं द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार मारे गए परिवारजनों के अंतिम संस्कार के लिए भी अनुदान प्रदान किया जाएगा।

3. वापस लौटने वाले प्रत्येक शरणार्थी परिवार को प्रति वयस्क 5 किग्रा० और प्रति अवयस्क 2.5 किग्रा० चावल प्रति सप्ताह की दर से 9 महीने तक दिया जाएगा और प्रत्येक परिवार को मासिक रूप से 4 किग्रा० दालें, 2 किग्रा० सोयाबीन तेल तथा 2 किग्रा० नमक नौ महीनों तक दिया जाएगा।

4. वापास लौटने वाले प्रत्येक शरणार्थी परिवार को, अपना मकान बनाने के लिए सी आई (नालीदार टिन के) शीट के दो बंडल दिए जाएंगे।

5. ऐसे शरणार्थी किसानों को जिनके पास कृषि योग्य भूमि है, आवश्यक सत्यापन के पश्चात् बैल खरीदने के लिए दस हजार रु० दिए जाएंगे। उन मामलों में जहां शरणार्थी, अपनी पैतृक भूमि का नामान्तरण अपने नाम में नहीं करा सका था किन्तु जो उस भूमि का लाभ उठा रहा है, नामान्तरण की व्यवस्था की जाएगी बशर्ते कि मुखिया की ओर से एक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. भूमिहीन प्रत्येक परिवार को 3000/- रु० (तीन हजार रुपये) गाय खरीदने के लिए दिए जाएंगे तथा सरकार की नीति अनुसार प्रत्येक परिवार को भूमि आवंटित की जाएगी।

7. 5000/- रु० तक के ऋण को माफ करने का सरकारी फैसला प्रत्येक शरणार्थी परिवार पर भी लागू होगा।

8. भारत में रह रहे प्रत्येक शरणार्थी परिवार को अपने-अपने घर लौट जाने के उपरान्त विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋण को भी माफ कर दिया जाएगा।

9. भारत में शरण लिए हुए बंगलादेशी आदिवासी शरणार्थियों द्वारा पर्वतीय चिटगांव विकास बोर्ड से लिया गया ऋण भी माफ कर दिया जाएगा।

10. सरकार की आम-माफी की घोषणा जारी रहेगी। यह उन मामलों में भी लागू होगी जिनमें विद्रोही गतिविधियों के लिए वारंट जारी किए गए थे।

11. शरणार्थियों द्वारा ग्रहित भूमि उनको लौटा दी जाएगी तथा धार्मिक स्थलों को पूर्वः स्थिति में लाया जाएगा। आदिवासियों को समूह गांवों में नहीं बसाया जाएगा।

12. जो शरणार्थी देश छोड़ने से पहले सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी नौकरी में थे, उनके मामलों पर पुनर्बहाली हेतु, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा सेवा में उनकी वरिष्ठता को मौजूदा सेवा नियमों के अनुसार रखा जाएगा तथा अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।

13. शिविरों में स्थापित हाई-स्कूल और कालेजों के एस.एस.सी. और एच.एस.सी. पास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले छात्रों के लिए एक समझौता तैयार किया जाएगा ताकि वे संबंधित बोर्ड के अधीन ली जाने वाले छात्रों के लिए एक समझौता तैयार किया जाएगा ताकि वे संबंधित बोर्ड के अधीन ली जाने वाली विशेष परीक्षा में बैठ सकें।

14. वापस लौटने वाले शरणार्थी परिवारों के छात्रों को स्कूल और कालेजों में प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाएगा।

15. जैसा कि पहले निर्णय लिया जा चुका है वापस लौटने वाले प्रत्येक परिवार को दो बण्डल नालीदार लोहे की चादरों के अलावा रिहायशी इकाई का निर्माण करने के लिए आवश्यक लकड़ी प्राप्त करने के लिए परमिट भी जारी किया जाएगा।

16. चिटगांव विकास बोर्ड तथा स्थानीय सरकारी परिषद में श्रेणी III तथा IV के पदों के लिए प्रत्यावर्तित आदिवासी युवकों अगर उनके पास आवश्यक योग्यता हो को एक निश्चित अवधि तक प्राथमिकता दी जाएगी।

17. सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए आयु-सीमा में छूट देने पर विचार किया जाएगा विशेषकर उनके लिए जिन्होंने त्रिपुरा में ठहरने के दौरान अपनी आयु-सीमा पार कर ली थी।

18. ऐसे आदिवासी शरणार्थियों, जो पूर्व शासन के दौरान तोड़-फोड़ से संबंधित आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध पाए गए थे, को आम माफी दी जाएगी।

19. प्रत्येक आदिवासी प्रमुख को उनके अपने पद पर पुनः बहाल किया जाएगा।

इन बीस सूत्री रिआयतों के निष्पादन तथा इनका पर्यवेक्षण करने के लिए नेशनल कमेटी के प्रतिनिधियों के समन्वय से एक संयुक्त कार्य बल का गठन किया जाएगा। 28 मार्च, 1997 को प्रथम चरण में 5000 (पांच हजार) शरणार्थियों को स्वदेश वापस भेजने की शुरुआत होगी। इस प्रत्यावर्तन के एक महीने बाद शरणार्थी नेताओं का एक दल पुनर्वासित शरणार्थियों की समग्र स्थिति एवं चिटगांव हिल में व्याप्त वर्तमान सामान्य स्थिति का निरीक्षण करेगा। अगर स्थिति सामान्य पाई गई, तो प्रत्यावर्तन का कार्य जारी रहेगा।

उपेन्द्र लाल चकमा	ए.एस.एम. मोबाईदुल इस्लाम
अध्यक्ष	महानिदेशक
पर्वतीय जिला जुम्मा शरणार्थी कल्याण समिति,	विशेष कार्य विकास प्रधानमंत्री का कार्यालय सचिवालय, बंगलादेश ढाका

गेहूं उत्पादन में गिरावट

4798. **श्री एन०एन० कृष्णा दास** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष (1996-97) में गेहूं उत्पादन के 65.2 मिलियन टन से गिरकर अनुमानतः लगभग 62.2 मिलियन टन रहने के क्या कारण हैं;

(ख) सरकारी खरीद में तेजी से आ रही गिरावट को देखते हुए क्या सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा संबंधी प्रभावों का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) फसल वर्ष 1996-97 में गेहूं का अखिल भारतीय उत्पादन लगभग 64.66 मिलियन टन होने की संगावना है जो फसल वर्ष 1995-96 में प्राप्त 62.62 मिलियन टन के उत्पादन से 3.26% अधिक है।

(ख) से (घ) पिछले मौसम की तुलना में रखी विपणन मौसम 1996-97 में वसूली में हुई 4.1 मिलियन टन की कमी के बावजूद, केन्द्र सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाक था। बाजार में गेहूं और गेहूं उत्पादों के मूल्यों में बढ़ती प्रवृत्ति पर नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए, दिसम्बर 1996 में सरकार ने देश में गेहूं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय किया। गेहूं पर लाइसेंसिंग और स्टाक रखने की सीमाएं लागू करने के अलावा सरकार ने गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाया।

रबी विपणन मौसम 1997-98 में अधिकतम वसूली करने के लिए, 415/- रुपये के प्रति क्विंटन के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त सरकार ने 60/- रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय किया है। यह गेहूं के वसूली मूल्य में पिछले मौसम की तुलना में 95/- रुपये प्रति क्विंटल की भारी वृद्धि प्रदर्शित करता है। गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध और स्टाक रखने की सीमा 1997-98 में भी जारी रहेगी। गेहूं का उत्पादन 64.66 मिलियन टन होने का अनुमान है। सरकार द्वारा घोषित आकर्षक वसूली मूल्य के परिणामस्वरूप रबी विपणन मौसम 1997-98 में गेहूं की पर्याप्त वसूलीस्तर पर वसूली होने की संभावना है ताकि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं और बफर स्टाफ रखने के मानदण्डों को पूरा किया जा सकेगा।

पटसन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य

4799. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पटसन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप किसान पटसन की खेती में रुचि नहीं ले रहे हैं;

(घ) क्या इन कारणों से पटसन उद्योग का ह्रास हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ङ) बिहार के पूर्णिया केन्द्र पर कच्चे पटसन के टी.डी.–5 ग्रेड के थोक मूल्य, जिसके लिये आंकड़े उपलब्ध हैं, लगभग 825 रुपये प्रति क्विंटल हैं। ये मूल्य बिहार में इस ग्रेड के लिये निर्धारित किये गये 541 रु० प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं।

ऊजावा समुदाय

4800. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने ऊजावा समुदाय में और अधिक समुदायों को शामिल करने संबंधी कोई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पशुपालन का विकास

4801. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **पशुपालन तथा डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुपालन तथा डेयरी के विकास हेतु किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा कोई नई तकनीक विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संबंधित व्यक्तियों को इसकी जानकारी देने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विभिन्न जानवरों की संख्या में हो रही लगातार कमी को रोकने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विकास के लिए अनेक तकनीकियां विकसित की गई हैं। प्रमुख तकनीकियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक संस्थानों के विस्तार विभागों तथा संचालात्मक अनुसंधान परियोजना के माध्यम से प्राथमिक तौर पर जानकारी दी जाती है तथा

इसका प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस क्षेत्र में तकनीकी जानकारी तथा सूचना देने के लिए विशेष पाठ्यक्रमों, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गांव से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

(घ) 1992 की पशुधन संगणना के अनुसार विभिन्न पशुओं की संख्या में कोई लगातार कमी नहीं हुई है।

विवरण

पशुपालन एवं डेयरी विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित प्रमुख तकनीक

— दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए प्रसंस्करण तथा तकनीक का विकास/मानकीकरण।

— निम्नलिखित डेयरी उत्पादों के निर्माण के लिए उपकरणों का विकास :– छोटे पैमाने पर उपयोग के लिए पनीर बनाने वाला उपकरण। घरेलू मिक्सी तथा खाद्य प्रसंस्कारकों के लिए क्रीम प्रथक्करण अटैचमेंट। लगातार खोया बनाने वाली मशीन।

— स्प्रे ड्रायर इक्होस्ट से चूर्ण की कमी की जांच करने वाला उपकरण ।

— डेयरी फार्म उपकरणों का विकास।

— पशुओं के मारबाड़ी निष्पादन का अवन्मूल्यन करने के लिए विकसित किया गया एक फैटिंग जांच स्कोर जिसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है।

— विकसित मैंस वीर्य के लिए "दुग्ध व्हे" पर पैज किया गया वीर्य एक्सटेंडर।

— प्रौगेस्टॉन से बचाव के लिए अत्यधिक संवेदनशील एंटीसेरम विकसित किया गया है।

— मैसों में गर्माधान के 22-24 दिनों के बाद गामिन/गैर-गामिन का पता लगाने के लिए "प्रमाण" नामक एक साधारण नैदानिकी "किट"।

— चयन के आधार पर वर्ण संकरण द्वारा विकसित गोपशुओं की करन स्विस तथा करन फ्राइज नामक दो नए स्ट्रैंस।

— फार्म पशुओं में आणुवंशिक असमान्यताओं तथा मानकीकृत विभिन्न साइटोजेनेटिक तकनीकी की खोज करना। गोपशु, मैंस तथा बकरियों की विभिन्न नस्लों के साइटोजेनिक प्रोफाइल्स को स्पष्ट किया गया।

— मैंस दूध के साथ गाय के दूध के अपमिश्रण का पता लगाने के लिए हंसा जांच का विकास।

— बछड़ों की मृत्युदर को कम करने के लिए प्रबंधन उपयोगों के पैकेज का विकास।

— बछड़ों को आर्थिक रूप से वृद्धि करने तथा मानव उपभोग के लिए दूध बचाने के लिए दुग्ध रिप्लेसर का विकास।

— देगनाला रेग के इलाज के लिए "डेगक्योर" का विकास।

— *वर्षभर हरे चारे की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त* चारा फसल रोटेशन का विकास।

— अभाव के समय के दौरान गोपशुओं के लिए नाइट्रोजन तथा खनिजों के अच्छे साधन के रूप में उपयोग के उद्देश्य से विकसित यूरिया मौलेसेस ब्लॉक लीक।

— विकसित स्वदेशी गायों तथा मैंसों में दुधारू पशुओं को शामिल करने का प्रोटोकाल।

— गोपशुओं तथा मैंसों में विभिन्न हार्मोन अवयवों का उपयोग करके इस्ट्रस तथा सींकोनाइजेसन तथा सुपराक्यूलेशन के लिए विकसित तथा मानकीकृत प्रणाली।

— गोपशु तथा मैंस और क्षेत्रीय परिस्थितियों के तहत मौजूदा समय में उपयोग की जाने वाली मानकीकृत भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी।

— मैंस वूसील्स के विकसित किए गए इनवाइट्रो मैच्युरेशन तथा इन वाइट्री फर्टीलाइजेशन की प्रणाली।

— दूध में प्रोगेस्टेरॉन तथा विकसित प्लाज्मा के लिए तीन घंटों की तीव्र गुणात्मक आर.आई.ए. जांच।

— दूध में प्रोगेस्टेरॉन निर्धारण तथा विकसित रक्त प्लाज्मा के लिए ई.आई.ए.।

[अनुवाद]

पारिस्थितिकीय समस्याओं की निगरानी

4802. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धीरे-धीरे कम हो रहे वन्यजीवों तथा मवेशियों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि के परिणामस्वरूप समाप्त हो रही हमारी हरित भूमि तथा पृथ्वी के हरित क्षेत्र में हो रही कमी के कारण पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है तथा वनस्पति और वन्य जीवों को क्षति हो रही है;

(ख) क्या ऐसी कोई नियमित सरकारी एजेंसी है जो इस प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं पर व्यवस्थित रूप से निगरानी रखती है;

(ग) यदि हां, तो इसके द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान क्या कार्य किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) मवेशियों द्वारा चराई सहित वन क्षेत्रों में जैविक हस्तक्षेप से प्राणिजात एवं वनस्पतिजात को हानि पहुंचती है और हरित क्षेत्र की क्षति होती है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण हर दो वर्ष में उपग्रह आंकड़ों और व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के आंकड़ों का प्रयोग करके देश में वन आवरण में परिवर्तन का मूल्यांकन करता है। वन क्षेत्र का ऐसा पांचवां मूल्यांकन 'स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1995' के नाम से प्रकाशित किया गया। इस मूल्यांकन में वन क्षेत्रों में परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण, आग और चराई के कारण क्षति की सीमा और वन क्षेत्रों के पुनरुद्धार की स्थिति भी शामिल है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कपास बीजों का वितरण

4803. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक गुजरात के आदिवासी, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में कपास के बीज वितरित किए गए;

(ख) राज्य में उपजाए जा रहे कपास की किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को कपास का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या सहायता/तकनीक उपलब्ध करायी जाएगी ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के आदिवासी और गैर-आदिवासी क्षेत्रों के जरूरतमंद किसानों को वितरित किये जाने वाले कपास के बीजों की कुल मात्रा निम्नवत है :

क्विंटन

वर्ष	योग
1994-95	94,451
1995-96	96,281
1996-97	94,154

(ख) राज्य में उपजाए जा रहे कपास के बीजों की किस्मों का ब्यौरा निम्नवत है :

(1) दिग्विजय (2) बी–797 (3) संजय (4) देवीराज (5) गुजकॉट–10 (6) गुजकॉट–11 (7) गुजकॉट–12 (8) गुजकॉट–13 (9) गुजकॉट–15 (10) गुजकॉट–16 (11) गुजकॉट–17 (12) एचवाई–4 (13) एचवाई–6 (14) एचवाई–8 (15) एचवाई–9 (16) एचवाई–10 (17) एलआरए–5166 (18) डीसीएच–32 (19) वरालक्ष्मी (20) एनएचएच–44 इत्यादि।

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कपास का कुल उत्पादन निम्नवत है :

वर्ष	कुल उत्पादन–लाख गांठों में (प्रत्येक गांठ 170 कि०ग्रा० की है)
1994-95	22.69
1995-96	22.02
1996-97	30.00 (अनुमानित)

(घ) राज्य में कपास की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए "समेकित कपास विकास कार्यक्रम" की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई गई है।

वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक "समेकित कपास विकास कार्यक्रम" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा की जाने वाली सहायता का ब्यौरा निम्नवत है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	धनराशि
1994-95	11.65
1995-96	59.50
1996-97	53.00

[अनुवाद]

चीनी की खरीद तथा आयात

4804. **श्री शिवराज सिंह** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरण हेतु चालू मौसम के अंतर्गत कितनी चीनी की खरीद की गई है;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए घरेलू उत्पादन से चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) एस.टी.सी. तथा एम.एम.टी.सी. द्वारा घरेलू उत्पादन अनुमान के बावजूद चीनी का आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) आंशिक नियंत्रण की नीति के तहत प्रोत्साहन योजना के अधीन चीनी फैक्ट्रियों को छोड़कर अन्य चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी का 40% सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए लेवी के रूप में दिया जाता है। चालू चीनी मौसम, 1996-97 के दौरान जून, 1997 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए 36, 47, 924, 5 मी० टन चीनी रिलीज की गई है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए चीनी को उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

(ग) चालू मौसम के दौरान एस.टी.सी/एम.एम.टी.सी. द्वारा कोई चीनी आयात नहीं किया गया है।

बेसहारा बच्चे

4805. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी मानवाधिकार संस्था ने अपने "ह्यूमन राइट्स वाच" में "पुलिस एब्यूज एंड किलिंग आफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इन इंडिया" में शीर्षक के अंतर्गत पुलिस द्वारा बेसहारा बच्चों पर किए जा रहे अत्याचारों का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : *(क) से (ग) ह्यूमन राइट्स वाच/एशिया ने "पुलिस एब्यूज एण्ड किलिंग आफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इन इंडिया" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से बेसहारा बच्चों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार उत्पीड़न तथा उन्हें अवैध रूप से निरुद्ध रखने सहित धन ऐंठने के बारे में और इस संदर्भ में वर्तमान कानूनों में व्याप्त कमियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। 1991 की जनगणना को उद्धृत करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के शहरों की गलियों में लगभग 180 लाख बच्चे रह रहे या काम कर रहे हैं। यह आरोप लगाया गया है कि न्यायपालिका से किसी प्रकार की संवीक्षा के भय से मुक्त होकर पुलिस इन बच्चों को निरुद्ध करती है, पीटती है और धन ऐंठती है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि संप्रेक्षण, रिमांड और किशोर गृहों की स्थिति तथा कार्यप्रणाली कैसी है और कि प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के उपबंधों तथा इस अधिनियम के स्थाई उपबंधों के क्रियान्वयन में किस प्रकार से अपर्याप्तता/कमियां रखी जाती हैं। बेसहारा बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं के संदर्भ में पुलिस प्रशिक्षण एवं उनके सुग्राहीकरण के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख भी रिपोर्ट में किया गया है।*

2. सरकार सभी के लिए, खास तौर से समाज के कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों के लिए बेहतर जीवन और मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। इस उद्देश्य हेतु सरकार ने पहले ही अनेक संस्थागत एवं विधायी सुधार किए हैं। वर्तमान सांस्थानिक एवं विधायी ढांचे के समाशोधन की प्रक्रिया लगातार जारी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न उपबंधों जैसे कि धारा 53, 54, 176 और 197 में संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है ताकि इन्हें अधिक मानवीय रूप दिया जा सके।

3. बेसहारा बच्चों के लाभ के लिए अनेक नवीन गैर-सांस्थानिक योजनाएं विकसित की गई हैं। इन बच्चों के कल्याण और विकास के काम में लगे स्वयंसेवी संगठनों को मदद देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सह-संस्वीकृति की जा रही है ताकि इन बच्चों को समेकित एवं समाज आधारित सेवा प्राप्त हो सकें। इन बच्चों को आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, पोषाहर प्रदान करने, साक्षरता सुविधाएं प्रदान करने, बेसहारा बच्चों का उनके परिवारों के साथ जोड़ने या फिर उन्हें पारिवारिक वातावरण में रखवाने और इन बच्चों को हर प्रकार से दुर्व्यवहार एवं शोषण से बचाने पर बल दिया जा रहा है।

4. जहां तक रिपोर्ट में सन्निहित आरोपों का प्रश्न है तो इनमें से अधिकांश आरोप आधारहीन, असत्य और सामान्य किस्म के हैं। यह प्रतीत होता है कि उस संगठन को भारतीय विधि प्रणाली की अत्यल्प अथवा अपर्याप्त जानकारी है। इनमें से कुछ का प्रतिवाद करने के लिए तो यही काफी है कि भारत के 180 लाख बच्चों के गलियों में काम करते होने की बात बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। रिपोर्ट में उद्धृत 180 लाख का आंकड़ा वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 16-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या से संबंधित है। यह मान लेना कि ये सभी बेसहारा बच्चों की श्रेणी में आएंगे बिल्कुल भी न्यायोचित न होगा। *यह टिप्पणी कि बेसहारा बच्चों को निरुद्ध रखा, पीटा और प्रताड़ित किया जाता है एक अति सामान्य और अतिव्याप्त टिप्पणी है। जब भी ऐसे अपराधों की जानकारी मिलती और प्रथम दृष्टया आरोप सही लगते हैं तो दोषी कर्मचारियों पर कानून के* अनुसार मुकद्मा चलाया जाता है।

5. इस रिपोर्ट के बारे में एक समेकित जवाब तैयार करके विदेश मंत्रालय को भेजा गया था ताकि इस रिपोर्ट को निष्प्रभावी बनाने के लिए वे विदेश स्थित हमारे मिशनों को ब्रीफ कर सकें।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

4806. **श्री आई०डी० स्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना का दुरुपयोग न हो;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में नकली स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना/दस्तावेजों और राज्य सरकार द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर किसी मामले में स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्रदान करती है। स्वीकृति पत्र में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि पेंशन की पुनरीक्षा की जा सकती है और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि पेंशन गलत आधार पर या झूठी सूचना के आधार पर प्राप्त की गयी है तो इसे रद्द/संशोधित किया जा सकता है। प्राप्त शिकायतों की जांच-पड़ताल संबंधित राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों के माध्यम से की जाती है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है केन्द्रीय जांच एजेन्सियों से भी करायी जाती है। अभी तक 2886 मामलों में पेंशन निलम्बित की गयी है और 1316 मामलों में रद्द की गयी है। राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत न हो जाय जो पेंशन के लिए पात्र नहीं है, पेंशन के दावों की छान-बीन का कार्य अधिक सख्त बना दिया गया है।

स्वतंत्रता सेनानी केवल केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश और पेंशन भुगतान आदेश पर ही पेंशन ले सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन वास्तविक पेंशनरों को ही मिले पेंशन संवितरण प्राधिकारियों के पास पेंशनरों की शिनाख्त करने के लिए शिनाख्ती दस्तावेज होते हैं जैसे पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, हस्ताक्षर नमूने, अंगुलिचिन्ह इत्यादि।

विवरण

उन मामलों का विवरण जिनमें स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन निलम्बित या रद्द की गयी है

क्रम० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या	
		निलम्बित किए गए	रद्द किए गए
1.	आन्ध्र प्रदेश	101	4
2.	बिहार	624	180
3.	गोवा	9	9
4.	हरियाणा	15	22
5.	हिमाचल प्रदेश	0	2
6.	कर्नाटक	570	261
7.	केरल	720	61
8.	मध्य प्रदेश	55	61
9.	महाराष्ट्र	227	36
10.	मेघालय	7	13
11.	उड़ीसा	12	85
12.	पंजाब	101	26
13.	तमिलनाडु	15	81
14.	उत्तर प्रदेश	228	222
15.	पश्चिम बंगाल	191	214
16.	दिल्ली	2	26
17.	पांडिचेरी	9	13
	योग	2886	1316

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में स्मारक

4807. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री आर०एल०पी० वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "आजाद हिन्द फौज" के स्वतंत्रता सेनानियों के ऐतिहासिक सैन्य शिविर की स्मृति में एक स्मारक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) मांडले कारागार में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नये स्मारक बनाने हेतु राजनयिक माध्यमों से म्यांमार सरकार से अनुरोध किया गया था। म्यांमार सरकार ने सूचित किया है कि ये स्मारक बनाना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

छात्रों द्वारा आत्महत्या

4808. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छात्रों द्वारा परीक्षाओं के आरम्भ होने से पहले दिन या परीक्षा समाप्त के पश्चात और परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात की जाने वाली आत्महत्याओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में और देश में छात्रों द्वारा परीक्षा के कारण की गई आत्महत्याओं/आत्महत्याओं के प्रयासों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या कोई कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वापक औषधियों का प्रयोग

4809. **डा० एम०पी० जायसवाल** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल में स्वापक औषधियों के प्रयोग को रोकने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है तथा इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थापित किए जाने वाले केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में मंत्रालय की भूमिका का ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) यह सम्भवतः इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) तथा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवा नियंत्रण कार्यक्रम (यू.एन.डी.सी.पी.) के सहयोग से दिनांक 22-23 अप्रैल, 1997 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला का हवाला देता है। यह कुछ चुनी हुई औद्योगिक यूनिटों के लिए अपनी-अपनी यूनिटों में निवारक तथा नशामुक्ति कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम था। इस दो दिवसीय कार्यशाला में 10 औद्योगिक यूनिटों ने भाग लिया।

(घ) यह कार्यशाला "भारत में सामुदायिक, नशीली दवा पुनर्वास तथा कार्य-स्थल निवारण कार्यक्रम विकास" के बारे में भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन–संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय नशीली दवा नियंत्रण कार्यक्रम का एक अंग थी। इस परियोजना को कल्याण मंत्रालय द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है।

दिल्ली में वक्फ सम्पत्ति

4810. **श्री ई० अहमद** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में वक्फ की सम्पत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराके वक्फ बोर्ड को सौंपने के संबंध में जांच करने और इस संबंध में कदम उठाने के लिए सिफारिश करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) अभी हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा ऐसी किसी समिति की नियुक्ति नहीं की गई है। तथापि, केन्द्र सरकार ने भूमि तथा विकास कार्यालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे की जांच के लिए तथा इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए श्री एस.एम.एच. बर्नी तत्कालीन अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड.की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति मई, 1974 में की जिसमें श्री के.के. धमखर, तत्कालीन भूमि विकास अधिकारी, श्री वी. शंकरन, तत्कालीन आयुक्त (सुधार) तथा श्री हसनउद्दीन अहमद, तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी (वक्फ) सदस्य के रूप में थे। यह समिति "बर्नी समिति" के रूप में जानी जाती है।

(ख) उपर्युक्त समिति ने मार्च, 1976 में सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की :

(1) ऐसी वक्फ सम्पत्तियों को, जो स्थल पर विद्यमान हैं तथा जिनका नियमित प्रयोग होता है, दिल्ली वक्फ बोर्ड/मुतवल्लियों को हस्तांतरित किया जाएगा तथा सरकार इनके स्वामित्व से अपना दावा वापिस लेगी। वक्फ बोर्ड/मुतवली को इन सम्पत्तियों को मास्टर योजना तथा म्यूनिसिपल उप नियमों के अनुसार विकसित करने की शक्तियां होगी।

(2) ऐसे वक्फ जो स्थल पर विद्यमान नहीं हैं तथा जहां सरकार ने भवन, उद्यान आदि का निर्माण किया है, सरकार को सौंप दिए जाएंगे। ऐसी सम्पत्तियों से दिल्ली वक्फ को अपना दावा वापिस लेगी।

(3) जो वक्फ जीर्ण स्थिति में हैं किन्तु प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। ऐसी सम्पत्तियों के स्वामित्व से सरकार अपना दावा वापिस लेगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड को इन्हें मास्टर योजना तथा म्यूनिसिपल उप नियमों के अनुसार विकसित करने की अनुमति भी दी जाएगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड उन स्थलों के पास-पास के क्षेत्रों की वस्तुकला को ध्यान में रखते हुए इन वक्फों को उचित रूप से विकसित करेगा जिनमें वे स्थित हैं। ऐसी सम्पत्तियों की दिल्ली राजपत्र अधिसूचना मान्य रहेगी तथा सरकार उनकी अधिसूचना के विरुद्ध न्यायालय से मामले वापिस लेगी।

(4) ऐसे वक्फ जो स्थिति में हैं तथा प्रयोग के लायक नहीं है, दिल्ली वक्फ बोर्ड को नहीं सौंपे जाएंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड का इन सम्पत्तियों पर कोई दावा नहीं होगा तथा ऐसे वक्फों के संबंध में समझौता यदि है तो समाप्त हो जाएगा।

(5) ऐसे कब्रिस्तान जहां कब्रें विद्यमान हैं तथा जिन्हें इस रूप में गजट किया गया है, सरकार ऐसी सम्पत्तियों पर अपना दावा त्याग देगी तथा न्यायालयों से उनके मामले वापिस ले लेगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड को जहां सम्भव हो मास्टर योजना तथा म्यूनिसिपल उप-नियमों के अनुसार इनके रखरखाव तथा विकास की अनुमति प्रदान की जाएगी। स्वामित्व, रखरखाव तथा विकास का अधिकारी दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास रहेगा तथा ऐसे कब्रिस्तानों के संबंध में कोई करार, यदि कोई हो तो समाप्त हो जाएगा।

(6) ऐसे कब्रिस्तान जहां कब्रें विद्यमान नहीं हैं तथा जिन्हें सरकार या निगम के प्राधिकरणों द्वारा उद्यानों के रूप में विकसित किया गया है या जिन पर भवनों का निर्माण किया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्डों को इनके लिए मुआवजा दिया जाएगा तथा इसके पश्चात बोर्ड ऐसे कब्रिस्तानों के लिए सरकार/म्यूनिसिपल निमग के पक्ष में अपने दावे वापिस ले लेगा।

दिल्ली में हत्या

4811. **श्री उत्तम सिंह पवार** :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 1997 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "ट्रेडर्स शट शाप अगेंस्ट मर्डर" और दिनांक 25 अप्रैल, 1997 के "द पायनियर" में "इण्डस्ट्रियलिस्ट स्टेब्ड् नीयर आई आई टी" शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या पुलिस की कथित चूकों की जांच कराई गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। पहली घटना में मृतक द्वारा पैसे की मांग पूरा करने से मना करने के बाद अभियुक्त द्वारा 8 मार्च, 1997 को कथित रूप से उसे गोली मार दी गई थी। भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन थाना रोहिणी में एक मामला दर्ज किया गया था। दूसरी घटना में, शिकार हुए व्यक्ति को 23/24-4-97 की रात को ओलोफ पाल्मे मार्ग पर चाकू मार दिया गया था। थाना वसन्त विहार, में भा०दं०सं० की धारा 394/94 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस द्वारा दोनों मामलों में दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा किसी प्रकार की चूक करना जानकारी में नहीं आया है।

खगोलीय पदार्थों से विद्युत उत्पादन

4812. **श्री के०सी० कोंडय्या** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिन्दु वैदिक वैज्ञानिक अंनुसंधान न्यास बंगलौर ने खगोलीय पदार्थों से बिजली बनाने की प्रणाली विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिकों का विचार खगोलीय पदार्थों से ऊर्जा के अक्षय स्रोत के उत्पादन हेतु उपर्युक्त न्यास के वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करने का है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गंगा कार्य योजना हेतु धनराशि

4813. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कार्य योजना के लिए आवंटित की गई धनराशि में से कुछ धन का उपयोग अतिथि गृहों के निर्माण में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस गलत निर्णय के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश जल निगम ने गंगा कार्य योजना के लिए आवंटित निधि से हरिद्वारा में एक अतिथि गृह के निर्माण के लिए लगभग 5 लाख रुपये का विचलन किया है। उपर्युक्त धन के विचलन के मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामला उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया गया था। अतिथि गृह निर्माण पर हुए व्यय को इस मंत्रालय के राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश जल निगम ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर उन्होंने उपर्युक्त व्यय को अपने अन्य परियोजना शीर्ष में अंतरित कर और इसे गंगा कार्य योजना से प्रभारित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पर्यावरण संरक्षण

4814. **श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिचालन उद्योगों के पर्यावरण के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं तैयार की गई हैं जोकि निम्न प्रकार है :

(1) पर्यावरण पर एक राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति और एक नीतिगत विवरण तैयार किया गया है।

(2) प्रदूषण के उपशमन के लिए एक नीतिगत विवरण प्रकाशित कर उसे अमल में लाया गया है।

(3) अवक्रमित क्षेत्रों के वनीकरण के लिए कार्यक्रम तैयार कर उसे कार्यान्वित किया गया है।

(4) प्रमुख नदियों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना तैयार की गई है।

(5) प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख श्रेणी के उद्योगों के वास्ते उत्सर्जन और बहिस्त्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(6) उद्योगों को स्थान देने तथा उन्हें चलाने के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।

(7) प्रभाव मूल्यांकन और उससे सम्बद्ध अध्ययनों पर आधारित पर्यावरणीय स्वीकृति विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनिवार्य कर दी गई है।

(8) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणी के उद्योगों के बड़े और मझौले उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाएं। दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(9) लघु इकाइयों के समूह के लिए, साझा बहिस्त्राव शोधन संयंत्र लगाने की एक योजना तैयार की गई है और इसका कार्यान्वयन किया जाता है।

(10) उन्नत प्रौद्योगिकी, जिसमें अवशिष्टों को फिर से प्रयोग में लाना भी शामिल है, के विकास और उसे अपनाने को बढ़ावा देने के वास्ते एक योजना तैयार की गई है।

(11) उद्योगों में स्त्रोत पर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने, निर्धारित मानकों का अनुपालन करने, यथासंभव शोधित अपशिष्टों/बहिस्त्रावों के फिर से इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है।

(12) खतरनाक पदार्थों के संचालन को विनियमित करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत नियम/दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

(13) उद्योगों को स्थान दिए जाने के वास्ते पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर आधारित क्षेत्रीय मानचित्र तैयार करने की एक योजना तैयार की गई है।

(14) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता तथा जल गुणवत्ता मानीटरन कार्यक्रम चलाए गए हैं।

बाघ संरक्षित क्षेत्र

4815. **डा० राम लखन सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाघ स्कीम परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कौन-कौन से राष्ट्रीय उद्यानों और क्षेत्रों को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में मुरैना स्थित कान्हा–पालपुर अभयारण्य से लगभग पचास जनजातियों को वहां से हटाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन जनजातियों को पुनर्वास और पुनर्स्थापना संबंधी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(घ) कान्हा-पालपुर अभयारण्य (मुरैना) में गुजरात से लाए जा रहे बाघों/शेरों की संख्या क्या है और इन्हें कब तक स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) मध्य प्रदेश में बाघ परियोजना क्षेत्रों के रूप में घोषित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम और क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

क्र०सं०	उद्यान का नाम	क्षेत्र, वर्ग कि०मी० में
1.	कान्हा	1945
2.	इन्द्रावती	2799
3.	पेंच	0758
4.	बांधवगढ़	1162
5.	पन्ना	0542

(ख) मध्य प्रदेश सरकार का कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य में 18 गांवों के आदिवासी परिवारों को दो चरणों में रिलोकेट करने का प्रस्ताव है।

(ग) पहले चरण में 07 गांवों नामतः– पालपुर, पाइरा, जखोड़ा, माघपुरा, लेडर, दुर्री तथा छपरेती के आदिवासी परिवारों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव है जिस पर 6.63 करोड़ रुपये की अनन्तिम लागत आयेगी। इसमें से वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य सरकार को 70.72 लाख रुपये की राशि पहले ही बंटित कर दी गई है।

"आदिवासी विकास के लिए लाभभोगी उन्मुख स्कीम" के अन्तर्गत राज्य सरकारों को इस स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य के विभिन्न मापदण्डों के लिए शतप्रतिशत सहायता प्रदान की गई है। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र०सं०	कार्य की मद	राशि
1.	भूमि विकास (2 हेक्टेयर)	36,000.00 रुपये
2.	प्रति परिवार भवन सामग्री	36,000.00 रुपये
3.	प्रति परिवार घरेलू सामान के परिवहन के लिए	1,000.00 रुपये
4.	प्रति परिवार सामुदायिक सुविधा	9,000.00 रुपये
5.	प्रति परिवार लकड़ी का गट्ठर और ईंधन रिज़र्व	8,000.00 रुपये
6.	प्रति परिवार चारा और चारा पौधरोपण	8,000.00 रुपये
7.	शिफ्टिंग के लिए नगदी प्रोत्साहन	1,000.00 रुपये
8.	विविध गतिविधियां	1,000.00 रुपये
	कुल	1,00,000.00 रुपये

(घ) गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से शेरों को शिफ्ट करने की स्कीम जिसे गांवों के रिलोकेशन के पश्चात और अन्य तैयारी कार्य पूरे किए जाने पर शुरू की जायेगा। शेरों को वास्तविक रूप में शिफ्ट करने का कार्य तीन वर्ष से पहले शुरू नहीं होगा तथा शिफ्ट किए जाने वाले शेरों की संख्या दो वर्गों से अधिक नहीं होगी।

[अनुवाद]

डाल्फिन

4816. **श्री हरिन पाठक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डाल्फिन" मछली गंगा नदी में पायी जाती है तथा ये लुप्तप्राय होने की कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दुर्लभ प्रजाति को लुप्त होने से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत किए गए सर्वेक्षण के अनुसार डाल्फिन की संख्या नीचे दिए अनुसार पाई गई थी :

नदी क्षेत्र	डाल्फिन की संख्या
ऋषिकेश से नरौरा	20
इलाहाबाद से पटना	263
पटना से फरक्का	272
फरक्का से गंगा सागर	152

यद्यपि डाल्फिन का वन्य प्राणी (बचाव) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I पशु के अन्तर्गत बचाव किया जाना चाहिए परन्तु इसका अत्यधिक शोषण किया जा रहा है। डाल्फिन की महत्वपूर्ण जनसंख्या में कमी का कारण अत्यधिक शोषण, मछुआरों द्वारा आकस्मिक रूप से इन्हें पकड़ना और प्राकृतिक वास की कमी होना है।

(ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत डाल्फिन को विलोपित होने से बचाने के लिए जन जागरूकता और संरक्षण कार्यों को शामिल करके वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किए गए थे इनमें डाल्फिन की संख्या की स्थिति, जीवविज्ञान, पारिस्थितिकी और प्रवास पद्धति संबंधी आंकड़े इक्ट्ठे करने का सर्वेक्षण शामिल है। संरक्षण प्रयासों में सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच बिहार के 50 किलोमीटर क्षेत्र को विक्रमशिला गंगैटिक डाल्फिन अभियान घोषित करना शामिल है। अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत जन जागरूकता पैदा करने और मछुआरों के जाल में अचानक आने वाली डाल्फिन को मुक्त करने के लिए मछुआरों को शिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4817. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान फल और सब्जी प्रसंस्करण, मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण और अनाज प्रसंस्करण से संबंधित क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को 5.14 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है।

कार्यान्वित की जा चुकी परियोजनाओं में मैंस मांस परियोजना, दूध उत्पाद परियोजना, खुम्बी प्रसंस्करण परियोजना, बैकवर्ड लिंकेज और खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना शामिल है।

''टाडा'' के अन्तर्गत कैद किए गए व्यक्ति

4818. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री काशीराम राणा :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालय के निदेशानुसार किन-किन राज्यों में टाडा कानून के अंतर्गत बन्दी बनाए गए लोगों को छोड़ने हेतु पुनरीक्षा समितियों का गठन किया गया है;

(ख) टाडा कानून के अंतर्गत बंदी बनाए गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें पुनरीक्षा समितियों की सिफारिशों पर 3 मार्च, 1997 तक रिहा किया जा चुका है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार द्वारा ऐसे बंदियों को इन पुनरीक्षा समितियों द्वारा बताए गुण-दोषों के आधार पर रिहा करने के संबंध में कोई समय-सीमा निश्चित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) टाडा के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों को रिहा करने के लिए जिन राज्यों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार पुनरीक्षा समितियां गठित की गई हैं, उनके नाम दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) समितियां द्वारा की गई पुनरीक्षा तथा केन्द्र सरकार द्वारा किए गए एकजुट प्रयासों के परिणामस्वरूप, कथित अपराधों के स्वरूप और गंभीरता के आधार पर, 28502 व्यक्तियों के खिलाफ टाडा के उपबन्धों को हटा लिया गया है। इसके अलावा, गृह मंत्री ने दिनांक 23.4.97 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि पुनरीक्षा समितियां, टाडा में विरुद्ध व्यक्तियों प्रत्येक मामले की माह में दो-बार पुनरीक्षा करें और उसकी कार्रवाई, केन्द्रीय पुनरीक्षा समिति के अध्यक्ष की हैसियत से केन्द्रीय गृह सचिव को भेजें।

विवरण

क्रम सं०	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जिन्होंने पुनरीक्षा समितियां गठित की हैं
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू व कश्मीर
10.	कर्नाटक
11.	केरल
12.	मणिपुर
13.	मध्य प्रदेश
14.	महाराष्ट्र
15.	मेघालय
16.	पंजाब
17.	राजस्थान
18.	तमिलनाडु
19.	उत्तर प्रदेश
20.	पश्चिम बंगाल
21.	चंडीगढ़ प्रशासन
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष

4819. **श्रीमती केतकी देवी सिंह :**
कुमारी उमा भारती :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बल को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है; और

(घ) इस बल के गठन पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद की स्थापना राज्यों को आन्तरिक गड़बड़ियों के बचाने की दृष्टि से आतंकवादी गतिविधियों को मुकाबला करने के लिए की गयी है और इसके कार्मिकों की सक्रिय ड्यूटी में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के संबंध में पिकेट सैन्य कार्य प्रचालन या गश्त लगाना या कोई अन्य ड्यूटी करना भी सम्मिलित है।

(ग) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद अपने कार्मिकों को तत्संबंधी नियमित प्रशिक्षण दे रहा है।

(घ) वर्ष 1997-98 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का आंबटित बजट अनुमान 68 करोड़ रु० का है।

[अनुवाद]

खरीद मूल्य

4820. **डा० अरविन्द शर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं जो न्यूनतम निर्धारित दर पर गन्ना खरीद रही हैं और वे कौन सी चीनी मिले हैं जो उससे अधिक मूल्य पर गन्ना खरीद रही हैं;

(ख) इस असमानता के क्या कारण हैं और इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) हरियाणा में उन चीनी मिलों की संख्या क्या है जो अर्थक्षम नहीं हैं; और

(घ) आर्थिक कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य तय करती है। चीनी मिलें स्वतंत्र निकाय हैं तथा वे न्यूनतम सांविधिक मूल्य से अधिक भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार हरियाणा में स्थित सभी 13 चीनी मिलें न्यूनतम सांविधिक मूल्य से अधिक का भुगतान कर रही हैं।

(ग) और (घ) सरकार चीनी मिलों के लाभ और हानि का लेखा जोखा नहीं रखती। गन्ने की उपलब्धता के अतिरिक्त, चीनी मिलों का लाभ अथवा अन्यथा कई बातों पर निर्भर करता है जैसे प्लांट तथा मशीनरी का आकार, आयु तथा स्थिति, तथा यह प्रत्येक मिल में अलग-अलग होगा। चीनी मिलों की आर्थिक कमियों को दूर करने के लिए स्वयं ही योजना तैयार करनी होती है तथा उन्हें वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत कराना होता है। इस प्रकार के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए रियायती ब्याज दरों पर चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है बशर्ते वे निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।

[हिन्दी]

आदिवासियों के लिए आबंटित धनराशि का गबन

4821. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि 17 दिसम्बर, 1996 से 14 जनवरी, 1997 के बीच जाली चेकों द्वारा निकाली गई तीन लाख पांच हजार रुपये की राशि सीधा आदिवासी विभाग घोटाले की अद्यतन घटना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी विभाग में वर्ष 1992 से वर्ष 1996 के बीच 2 करोड़ 25 लाख रु० की धनराशि का दुरुपयोग किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच हेतु कार्यवाही आरंभ की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) यह उल्लेख नहीं किया गया है कि यह आदिवासी विभाग किस राज्य को बताता है। इसलिए विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिले के नाम से बिना ब्यौरे प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकता।

(ख) से (च) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फल/सब्जियों के समर्थन मूल्य

4822. **श्रीमती पूर्णिमा वर्मा** :
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखालिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फलों और सब्जियों तथा इस समय एम.एस.पी. योजना के अन्तर्गत न आने वाली अन्य वस्तुओं के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान फल उगाने वाले राज्यों के लिए निर्धारित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) सरकार द्वारा सभी प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं। अन्य जिन्सें मुख्यतः बागवानी फसलें जैसे फल सब्जियां तथा मसाले जो जल्द खराब होने वाली होती है, अथवा जिनका उत्पादन स्थानीय रूप से किया जाता है, को मण्डी हस्तक्षेप योजना में शामिल दिया गया है ताकि किसानों द्वारा मजबूरी में अपने उत्पादों की बिक्री के संबंध में उनके हितों का संरक्षण किया जा सके। मण्डी हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन वर्षानुवर्ष आधार पर संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर उस स्थिति में किया जाता है जब आवक की महत्वपूर्ण अवधि में किसी जिन्स की कीमतें गैर-किफायती स्तर तक गिर जाती है। केन्द्रीय नोडल एजेन्सी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) एवं राज्य सरकार द्वारा नामित एजेन्सियों के माध्यम से पूर्व निर्धारित मात्रा की खरीद केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार की सलाह से निर्धारित मूल्य पर की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत होने वाली हानि, यदि कोई हो, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वहन की जाती हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान, मण्डी हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन प्याज एवं आलू (कर्नाटक), माल्टा तथा आलू (उत्तर प्रदेश) किन्नमू/माल्टा/संगतरा/गलगल (हिमाचल प्रदेश) तथा मिर्च (आन्ध्र प्रदेश) के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश में आलू के लिए

मण्डी हस्तक्षेप योजना 30.4.1997 तक जारी रखी गयी एवं आन्ध्र प्रदेश में मिर्च के लिए यह योजना 15 मई 1997 तक प्रभावी रहेगी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी भी राज्य सरकार से मण्डी हस्तक्षेप योजना के तहत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) मूल्य सहायता/मण्डी हस्तक्षेप योजना के कार्यान्वयन के लिए हानि यदि कोई हो तो, की प्रतिपूर्ति के लिए 1997-98 के केन्द्रीय बजट में 100.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। इन प्रयोजनार्थ धनराशि का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों में दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध

4823. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री शिवाजी विठ्ठल राव काम्बले :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बाघ रिजर्व में दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय उद्यानों में दर्शकों के प्रवेश से कोई क्षति/खतरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और दर्शकों के लिए कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चीनी तथा खाद्यान्नों की कम तथा निमस्तर की आपूर्ति

4824. **श्री सुखपाल कुशवाह** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी तथा खाद्यान्नों की घटिया किस्म तथा कम आपूर्ति के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी तथा खाद्यान्नों की घटिया किस्म तथा कम आपूर्ति से संबंधित शिकायतों को देखना संबंधित राज्य सरकारों का काम है।

तथापि, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से, उ० प्रदेश की कुछ चीनी मिलों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए घटिया किस्म की चीनी की आपूर्ति करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। उचित दर दुकानों को आपूर्ति की जा रही चीनी की गुणवत्तर की जांच की गई थी तथा यह पाया गया कि वह चीनी भारतीय चीनी मानक के अनुसार थी। तथापि, दिल्ली राज्य की उचित दर दुकानों को आपूर्ति की जा रही चीनी पर नजर रखी जा रही है।

[अनुवाद]

रिफैम्पिसीन का आयात

4825. **श्री मोहन रावले** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक महत्वपूर्ण क्षयरोग निरोधी "रिफैम्पिसीन" तथा इसके अंतर्वर्ती रिफैम्पिसीन औषधि के आयात के प्रति स्वदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा हेतु उदार नीति बनाने के लिए लघु क्षेत्र से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में क्षय रोग के रोगियों में अत्यधिक वृद्धि तथा क्षय रोग निरोधक औषधि की कमी के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) जी हां। रिफैम्पिसीन और इसके अंतर्वर्ती रिफा–एस के आयात को उदार बनाने के लिए लघु क्षेत्र से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) रिफैम्पिसीन की कोई कमी नहीं है। निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

विकलांग बच्चों के लिये प्रकोष्ठ

4826. **श्री विजय हाण्डिक** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में विकलांग बच्चों के लिए पृथक प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध संगठनों द्वारा सुझाव दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) कोई ऐसा सुझाव कल्याण मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

1997-98 के दौरान गेहूं का आयात

4827. **श्री सुखबीर सिंह बादल** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997-98 के दौरान गेहूं का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका अनुमानित लागत बीमा भाड़ा क्या है;

(ग) भारतीय पत्तनों की अनुमानित हस्तन लागत परिवहन और परिगमन लागत आदि क्या है;

(घ) भारतीय गेहूं की तुलना में भारत में इसकी अन्तिम वितरण/समापन स्थान में लदान लागत क्या है; और

(ङ) भारतीय किसानों को भुगतान किए जा रहे मूल्य की तुलना में आयातित गेहूं के लिए अधिक मूल्य देने का कारण क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोडकर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 1997-98 के दौरान दो मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है। राज्य व्यापार निगम ने 10 लाख टन गेहूं के आयात के लिए ठेका किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

देश	ठेके की तारीख	मात्रा लाख टन में	मूल्य प्रति टन अमरीकी डालर में
आस्ट्रेलिया	26.3.97	2.50	155.00 जहाज तक निष्प्रभार
		7.50	154.25 जहाज तक निष्प्रभार

आयातित गेहूं की औसत सी०एंड० एफ० दर लगभग 6220/- रु० प्रति टन होगी।

(ग) भारतीय पत्तनों पर आयात किए गए गेहूं के लिए हैंडलिंग प्रभार लगभग 167 रुपये प्रति टन होगा। परिवहन लागत अन्तिम गंतव्य स्थान पर निर्भर करेगी और आयात किए गए गेहूं की वास्तविक लागत पत्तनों से समूची मात्रा भेजने के बाद ही पता चल पाएगी।

(घ) आयातित गेहूं को केन्द्रीय पूल के स्टाक में शामिल किया जाएगा और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए किया जाएगा। आयातित गेहूं का बिक्री मूल्य स्वदेशी गेहूं के बिक्री मूल्य के समान होगा और जिस योजना के अधीन यह जारी किया जाएगा उसका मूल्य उस योजना के लिए निर्धारित मूल्य के समान होगा। वितरण स्थल पर आयातित गेहूं की उतरान लागत पत्तन से वितरण स्थल तक की दूरी पर निर्भर करेगी।

(ङ) परिवहन, बीमा, हैंडलिंग प्रभारों आदि को छोड़कर, आस्ट्रेलिया में किसान को जो वास्तविक मूल्य मिलता है वह लगभग 3960/- रुपये प्रति टन होगा। भारत में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 4150/- रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया है और 1997-98 के लिए किसानों को 600/- रुपये प्रति टन बोनस के रूप में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र

4828. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य के लिए भूमि की पेशकश की है। इन राज्य सरकारों द्वारा सभी प्रस्तावित स्थानों का दौरा करने वाले स्थान चयन दल ने राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए महाराष्ट्र के पुणे जिले में महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी के मांजरी फार्म की सिफारिश की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पुणे में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र की पहले ही स्थापना की जा चुकी है तथा अनुसंधान गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।

भारतीय राज्य फार्म निगम

4829. **श्री विजय गोयल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय राज्य फार्म निगम का लक्ष्य देश में अच्छी किस्म के बीज पैदा करना और उनका विपणन करना है;

(ख) क्या यह निगम गत कई वर्षों से वित्तीय हानि उठाता आ रहा है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 से प्रतिवर्ष हुए लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यकलापों में किस प्रकार का अन्तर है;

(ङ) क्या सरकार ने कभी इन दोनों संगठनों के विलय का विचार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) मूल रूप से एक ही उद्देश्य और एक सी गतिविधियों के लिए कार्य कर रहे दो अलग-अलग संगठन होने का मूल कारण क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 से इस निगम की लाभ हानि इस प्रकार रही है :

(रु० लाखों में)

वर्ष	लाभ +/हानि (—)
1990-91	(+) 141.62
1991-92	(+) 208.14
1992-93	(—) 603.87
1993-94	(—) 176.44
1994-95	(+) 281.67
1995-96	(+) 117.47

(घ) मक्का को संकर किस्मों के आधारी बीजों का उत्पादन करने तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन की प्रोत्साहित करने के लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। बाद में इसके कार्य आदेश को विस्तारित करके अनाजों, सब्जियों, हरी खाद तथा चारे की पत्तलों के लिए अखिल भारतीय महत्व के किस्मों के आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन भी राष्ट्रीय बीज निगम को सौंप दिया गया। राष्ट्रीय बीज निगम प्रगतिशील किसानों के साथ अनुबंध करके बीज उगाने की व्यवस्था के जरिए मुख्यतया बीज उत्पादन करता है। यह स्वयं अपने बिक्री केन्द्रों तथा डीलरों के एक बड़े तन्त्र के जरिए अपने बीज बेचता है।

दूसरी तरफ भारतीय राज्य फार्म निगम की 1969 में स्थापना छठे दशक में रूसी सहायता के साथ स्थापित केन्द्रीय यांत्रिक फार्मों के संचालन को संभालने के लिये की गई थी। यद्यपि छठे दशक में आरम्भ में यह प्रस्तावित था कि ये फार्म खाद्यान्नों का उत्पादन करें तथापि भारतीय राज्य फार्म निगम के उत्पादन कार्यक्रमों को नई दिशा दी गई है ताकि अच्छी क्वालिटी के बीजों का उत्पादन हो सके।

इस समय, भारतीय राज्य फार्म निगम देश भर में फैले अपने 12 फार्मों जिनका क्षेत्र 36141 हैक्टेयर है, में प्रजनक, आधारी तथा प्रमाणित बीजों के बहुलीकरण में जुटा हुआ है। भारतीय राज्य फार्म निगम ने अच्छी क्वालिटी की बागवानी रोपण सामग्री के उत्पादनार्थ अच्छी किस्मों के फलोआन भी स्थापित किए हैं। भारतीय राज्य फार्म निगम अपने बीज मुख्यतया राज्य सरकारों या उनकी एजेन्सियों के जरिए बेचता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जैसा कि भाग (घ) में स्पष्ट किया गया है राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम अलग-अलग परिप्रेक्ष्यों में स्थापित किए गए थे। यद्यपि दोनों निगमें अच्छी क्वालिटी के बीजों के उत्पादन और वितरण के लिये बनी हैं तथापि उनकी विपणन रणनीतियां भिन्न-भिन्न हैं। राष्ट्रीय बीज निगम मुख्यतया किसानों के साथ अनुबंध के जरिए बीज उगाने की व्यवस्था करती है। भारतीय राज्य फार्म निगम सीधे अपने फार्मों में बीज उत्पादित करता है। अनुबंधित रूप से बीज उगाने के लिए आवश्यक प्रबन्धकीय विशिष्टता सीधे बीज उत्पादन के लिए जरूरी विशिष्टता से भिन्न है।

दलहन उत्पादन

4830. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान दलहन उत्पादन में काफी गिरावट आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य की तुलना में दलहन का राज्यवार कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) लक्षित उत्पादन में गिरावट के प्रमुख कारण क्या है;

(घ) इसके कारण मांग और आपूर्ति के बीच कितना अंतर होने का अनुमान है; और

(ङ) मांग और आपूर्ति के बीच के इस अन्तर को किस ढंग से दूर करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) दलहन का उत्पादन 14.0 मिलियन मी० टन होने की आशा है जबकि वर्ष 1996-97 के दौरान 15.0 मिलियन मी० टन का लक्ष्य था।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान दलहन उत्पादन का राज्यवार लक्ष्य तथा संभावित उत्पादन का विवरण संलग्न है।

(ग) दलहन के उत्पादन के लक्ष्य में कमी के कारण ये हैं कि दलहन सामान्यतया कम उत्पादक सीमान्त भूमि में वर्षा सिंचित स्थितियों के अधीन उपजाया जाता है, जहां फसल बहुधा नमी दबाव स्थितियों के कारण प्रभावित होती हैं। इसके अलावा, दलहन कीटों, कृमियों और रोगों द्वारा भी ग्रसित होती हैं। अधिक खतरे के कारण दलहनों की खेती सामान्यतया कम आदान उपयोग और अपर्याप्त प्रबंध पद्धतियों के अधीन की जाती है जो उत्पादकता को प्रभावित करती है।

(घ) देश में दलहनों की मांग और सप्लाई में अंतर लगभग 2 मिलियन मी० टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) देश में दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना क्रियान्वित कर रही है। उन्नत दलहन उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए खेतों में प्रदर्शनों तथा कृषक प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत दलहन उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमाणित बीजों, राइजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्वों, उन्नत कृषि औजारों, स्प्रिंकलर सैटों आदि के प्रयोग पर प्रोत्साहन दिए जाते हैं। सरकार मांग और सप्लाई के अंतर को पूरा करने के लिए समय-समय पर दालों के आयात का भी सहारा लेती है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान दलहनों का राज्यवार लक्ष्य और संभावित उत्पादन

9.4.97 के अनुसार

(000 मी० टन में)

राज्य	लक्ष्य	संभावित उत्पादन
1	2	3
आंध्र प्रदेश	780	618
असम	65	78
बिहार	837	730
गुजरात	695	706
हरियाणा	535	482
हिमाचल प्रदेश	15	32
जम्मू व कश्मीर	25	17
कर्नाटक	695	764

1	2	3
केरल	40	32
मध्य प्रदेश	3495	3147
महाराष्ट्र	2249	1981
उड़ीसा	520	290
पंजाब	95	99
राजस्थान	1650	1935
तमिलनाडु	606	449
उत्तर प्रदेश	2490	2373
पश्चिम बंगाल	150	236
अन्य	58	53
समस्त भारत	15000	14022

दिल्ली पुलिस का बजट

4831. **श्री विजय पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के वर्ष 1996-97 के लिए 281 करोड़ रुपये के संशोधित बजट में वृद्धि करके वर्ष 1997-98 के लिए इसे 417 करोड़ रुपये कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कानून और व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करने, लाइसेंसिंग तथा विदेशी पंजीकरण हेतु निर्धारित अलग-अलग परिव्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात का विश्वास है कि बढ़े हुए परिव्यय से कानून और व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आयेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) दिल्ली पुलिस का बजट, 31.7.1996 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट का हिस्सा था। 1.8.1996 से दिल्ली पुलिस का बजट, संघीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। वित्त वर्ष 1996-97 के प्रथम चार महीनों (अर्थात् 31.7.1996 तक) के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिलली के बजट मे किया गया प्रावधान 113.33 करोड़ रुपये का था। दिल्ली पुलिस का बजट, संघीय सरकार को स्थानांतरित हो जाने के कारण गृह मंत्रालय के बजट में 1.8.1996 से 31.3.1997 तक की अवधि के लिए 281 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गयी थी। अतः वित्त वर्ष 1996-97 के लिए दिल्ली पुलिस का कुल बजट 394.33 करोड़ रुपये का हुआ। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 1997-98 के लिए गृह मंत्रालय के बजट में 417 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ख) परिव्यय इस प्रकार है :

(i)	कानून और व्यवस्था (जिला पुलिस)	1390.91 करोड़ रुपये
(ii)	यातायात प्रबंधन	19.23 करोड़ रुपये
(iii)	विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा	21.18 करोड़ रुपये
(iv)	लाइसेंसिंग	0.18 करोड़ रुपये
(v)	विदेशी रजिस्ट्रीकरण	4.68 करोड़ रुपये

(ग) कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक है, जोकि उनकी कार्यकुशलता को निर्धारित करता है।

गेहूं का बफर स्टॉक

4832. **श्री परसराम भारद्वाज** :
श्री छीतूभाई गामीत :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत देश की गेहूं की मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) क्या सरकार का गेहूं का स्टॉक न्यूनतम बफर स्टॉक से भी कम है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) कितना गेहूं आयात किए जाने का निश्चय किया गया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) देश ने दालों को छोड़कर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। किसी जिन्स विशेष की मांग के निश्चित अनुमान को बताना कठिन है क्योंकि यह जनसंख्या में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, एवजी जिन्स की उपलब्धता और खपत संबंधी आदतों में परिवर्तन आदि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) 1.4.97 की स्थिति के अनुसार गेहूं का स्टाक अन्तिम रूप से 32.40 लाख टन होने का अनुमान है जबकि खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखने संबंधी नीति के अधीन सरकारी एजेंसियों द्वारा 37.00 लाख टन खाद्यान्नों का स्टाक रखना अपेक्षित है।

(ङ) केन्द्रीय पूल में स्टाक उत्पादन, वसूली की प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यकता, खुले बाजार में मूल्यों आदि जैसे संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद सरकार ने 1996-97 में 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय किया था। भारतीय राज्य व्यापार निगम ने अब तक 1996-97 में आस्ट्रेलिया, कनाड़ा और अर्जेन्टीना से 16.75 लाख टन गेहूं की मात्रा और 1997-98 में आस्ट्रेलिया से 10 लाख टन गेहूं की और मात्रा का आयात करने के लिए ठेके किए हैं।

लकड़ी चोटाला

4833. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लकड़ी की बिक्री में भारतीय राज्य

फार्म निगम में कथित अनियमितताओं के संबंध में 10 मार्च, 1997 के "पंजाब केसरी" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट कब तक सरकार को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। इस समाचार में भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, जो कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, के विरुद्ध लकड़ी की बिक्री में अनियमितताओं के संबंध में आरोप लगाया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं भारतीय राज्य फार्म निगम में लकड़ी की बिक्री में किसी भी प्रकार अनियमितता नहीं हुई है। भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा केवल सूखे और गिरे हुए पेड़ों की अपने आंतरिक उपयोग के बाद बची हुई लकड़ी बेची जाती है। यह लकड़ी परस्पर सहमत मूल्य पर गंगानगर चीनी मिल (राजस्थान का एक राज्य सरकारी उपक्रम) को अथवा यूनिट स्तर पर खुली नीलामी के जरिए बेची जाती है। कुल बिक्री 12 लाख रुपये (लगभग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती। इसे देखते हुए इस आरोप की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

फल आधारित उद्योगों का आधुनिकीकरण

4834. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री भक्त चरण दास :
श्री एल रमना :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नौवी योजना में फल आधारित प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने और पूंजी में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग) फल आधारित उद्योगों समेत किसी भी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आठवीं योजना अवधि के दौरान फल आधारित प्रसंस्करण उद्योगों समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक योजना स्कीमें चला रहा है। मंत्रालय द्वारा 9वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु बनाई गई योजना स्कीमों में अन्य स्कीमों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था शामिल है।

[अनुवाद]

भूटान के नेता की दिल्ली में गिरफ्तारी

4835. **श्री आर. बी. राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रांग ट्लांग कनबी दोरजी जो भूटान के प्रजातंत्र हेतु संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं, को 18.3.97 को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या 1949 के भारत–भूटान समझौते के प्रावधान के अन्तर्गत दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश में जाने/घूमने पर कोई प्रतिबंध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो किस आधारर पर श्री दोरजी को गिरफ्तार किया गया था; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ङ) तथा विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के पैरा 11 (2) के अन्तर्गत श्री रॉग तलौंग कर्नबी दौर्जी के आवागमन पर रोक थी।

(ख) दोनों देशों की एक खुली सीमा है तथा एक देश के नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं।

(ग) और (घ) श्री दोर्जी, जिस पर उस देश में धोखेबाजी एवं गबन आदि सहित अनेक आरोप हैं तथा जिसके लिए भूटान के रॉयल उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है को पकड़ने तथा उस पर मुकदमा चलाने हेतु भूटान की रॉयल सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर उनके आवागमन पर रोक लगाई गई थी।

हैलीकाप्टर द्वारा उपकरणों का गिराया जाना

4836. **श्री जी०ए० चरण रेड्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है कि एक अभूतपूर्व घटना में एक अज्ञात हैलीकॉप्टर द्वारा पश्चिम बंगाल के किसी गांव के ऊपर लोहे की छड़े, तार की जालियां और इलेक्ट्रानिक उपकरण गिराए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वर्तमान घटना वर्ष 1995 की रहस्यमयी घटना की ही तरह की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा के एक टी.टी.एफ. विमान ने, रेंज अभ्यास से लौटते समय 12.3.1997 को कलाईकुंडा से लगभग 19 कि०मी० दूर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में चुनकुल्ला गांव के समीप अपना बैनर रॉड अनजाने में गिरा

दिया। बाद में स्थानीय वायुसेना प्राधिकारियों ने इसे बरामद कर लिया था।

[हिन्दी]

वरौनी उर्वरक संयंत्र

4837. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी वरौनी उर्वरक संयंत्र से तीन किलोमीटर की दूरी पर बहती है;

(ख) क्या गंगा नदी द्वारा भू-क्षरण के कारण उक्त संयंत्र को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वरौनी उर्वरक संयंत्र को बचाने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच एफ सी) के वरौनी उर्वरक संयंत्र से 6 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी बहती है।

(ख) एच एफ सी के अनुसार गंगा नदी द्वारा भूमि कटाव के कारण वरौनी संयंत्र को कोई खतरा नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

4838. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दिल्ली में लागू की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और उनके लागू किये जाने की तारीखों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जिसके अधीन कृषि के विकास के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा दिल्ली सरकार को सहायता दी जाती है, शुरू करने की तारीख तथा वर्ष 1994-95 से वर्ष 1996-97 के दौरान निर्मुक्त रकम की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

इस योजना से कृषि और बागवानी फसलों की उत्पादकता स्तर को कायम रखने तथा बढ़ाने में सहायता मिली है।

विवरण

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	दिल्ली में योजनाओं के नाम	योजना शुरू करने की तारीख	वर्ष 1994-95 से वर्ष 1996-97 तक निर्मुक्त रकम
1.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	1986-87	0.72
2.	उर्वरकों का संतुलित और समेकित उपयोग	1991-92	21.65
3.	कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग का विकास	1994-93	6.45
4.	वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन का विकास	1992-93	10.50
5.	खुंभी का विकास	1992-93	2.50
6.	ऊष्ण कटिबंधीय, शुष्क, शीतोष्ण क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास	1991-92	18.96
7.	सब्जियों का विकास	1990-91	10.42
8.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	1992-93	13.66
9.	समय पर सूचना देने की योजना	1968-69	3.72
10.	पशुधन संगणना	1919-20	4.35
11.	कृषि संगणना	1970-71	10.67
12.	छोटे किसानों के बीच कृषि मशीनीकरण का प्रवर्धन	1972-73	1.80
	कुल		105.40

राष्ट्रीय झंडा

4839. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पृथ्वीराज रोड़ स्थित कश्मीर हाउस तथा श्रीनगर स्थित सचिवालय भवन पर फहराए गए राष्ट्रीय झंडे की ऊंचाई पर जम्मू और कश्मीर का झंडा फहराया हुआ है;

(ख) क्या यह भारत के ध्वज संहिता के नियम 8.4 का उल्लंघ है; और

(ग) यदि हां, तो नियमों के उल्लंघन को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल प्रखंड

4840. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास प्रखंडों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन सभी प्रखंडों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के कतिपय प्रखंडों में उक्त वितरण प्रणाली के अतिरिक्त रियायती आधार पर भी वितरण किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास ब्लाकों की संख्या 220 है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी हां। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त 220 ब्लाकों के अलावा 74 ऐसे अन्य ब्लाक हैं, जहां आदिवासी आबादी का बाहुल्य है और राज्य सरकार उन्हें भी अपने ही संसाधनों से रियायती दरों पर खाद्यान्न दे रही है।

उड़ीसा में खाद्यान्न की आवश्यकता

4841. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम के बदले अनाज इत्यादि विभिन्न परियोजनाओं के लिए चावल तथा गेहूं की कितनी आवश्यकता है तथा इसकी कितनी आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार सरकार ने गंभीर सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बफर स्टाक तैयार करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) उड़ीसा राज्य में 1996-97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, काम के लिए अनाज आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत चावल और गेहूं की आवश्यकता और आपूर्ति को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान उड़ीसा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, काम के लिए अनाज आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत चावल और गेहूं की आवश्यकता (मांग) और आपूर्ति (आवंटन और उठान) को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

		गेहूं			चावल		
		आवश्यकता	आपूर्ति		आवश्यकता	आपूर्ति	
		(मांग)	आवंटन	उठान	(मांग)	आवंटन	उठान
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	465.00	451.00	419.60	1002.00	1002.00	592.90
2.	जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना	11.05	11.05	शून्य	12.10	12.10	शून्य
3.	मध्याह्न भोजन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	*53.297	29.283 (फरवरी, 97 तक)	8.00
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रावास ++	7.362	7.362	शून्य	14.724	14.724	0.80
5.	गेहूं पर आधारित पोषाहार कार्यक्रम	26.238	26.238	19.50	----------लागू नहीं----------		

* दस शैक्षिक महीनों के लिए

++ वार्षिक आवश्यकता

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

4842. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्राप्त हुए विभिन्न परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रस्ताव किस चरण पर लम्बित हैं; और

(ग) इन पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 (30.4.97 तक) के दौरान सहकारी विकास के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996-97 और 1997-98 (30.4.97 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का विवरण और उनकी वर्तमान स्थिति

क्रियाकलाप	समिति का नाम	निहित ब्लॉक लागत	मांगी गई सहायता	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
चीनी				
चीनी मिल का आधुनिकीकरण तथा विस्तार 1250 से 2500 टीसीडी	केयूसीएम, बदायूं जिला बदायूं उत्तर प्रदेश	1650	825	भारी नुकसान तथा कुल शून्य उससे कम होने के कारण मिल को सहायता पात्र नहीं माना गया। अतः प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया।
चीनी का मिल आधुनिकीरण तथा 2500 से 5000 टीसीडी तक विस्तार	केएससीएम, मदेही जिला उधमसिंह नगर, उत्तर प्रदेश	4200	2610	चूंकि मिल प्रोजेक्ट मूल्य में अपने शेयर को वहन करने के काबिल नहीं थी, अतः यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।
–तदैव–	केएससीएम, सम्पूर्ण नगर, जिला लखीमपुर खेड़ी, उत्तर प्रदेश	4100	2665	(क) यू०पी० सहकारी बैंक द्वारा एन०सी०डी० सी० को देय रकम चुकता न कर सकने को मद्देनजर रखते हुए, ओ०ओ०एम०एन०डी०सी० ने उ०प्र० में नये कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया वैसे, अदायगी में चूक के मामले को हल करने के बाद सहायता की स्वीकृति में विलम्ब से बचने के लिए चीनी प्रौद्योगिकी मिशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
–तदैव–	केएससीएम, मनौला, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	4300	2795	(ख) जैसे ही राज्य सरकार वस्तुपरेक तथा लागू करने योग्य योजना प्रस्तुत कर देती है तथा भुगतान में चूक वाली रकमों की अदायगी आरम्भ हो जाती है तथा ऊपर (क) में वर्णित मूल्यांकन हो जाता है तो एन.सी.डी.सी. लम्बित प्रस्तावों पर विचार करेगी।

1	2	3	4	5
विपणन				
व्यापरिक कार्य– कलापों के सुदृढ़ी– करण/विकास के लिए सहकारी विपणन समितियों के लिए शेयर पूंजी आधार को मजबूत बनाना	एस.के.वी.एस काशीपुर, नैनीताल	3.00	3.00	एन.सी.डी.सी. की दिनांक 27.11.96 की डायरी सं० 6-4/ 92–एम (1127) के अनुसार 27.11.96 को राज्य सरकार ने सहायता के 12.50 लाख रुपये निर्मुक्त किये।
	एस.के.वी.एस. बाजपुर, नैनीताल	2.50	2.50	
	एस.के.वी.एस. हलद्वानी, नैनीताल	3.00	3.00	
	एस.के.वी.एस. चन्बा, टिहरी	0.75	0.75	
	एस.के.वी.एस. जखैली, टिहरी	0.75	0.75	
	एस.के.वी.एस. प्रतापनगर, टिहरी	0.50	0.50	
	एस.वी.के.एस. विकास नगर, देहरादून	2.00	2.00	
	कुल	12.50	12.50	
	11 कताई मिल (विवरण नीचे है) ***	108.35 (9.85 लाख रुपये प्रत्येक मिल)	स्पिनफेड के कलाई मिलों के 11 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। संक्षिप्त परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा है। जैसे ही राज्य सरकार की स्वीकृति मिलेगी, उचित कार्यवाही की जाएगी।	

***

1. कॉपरेटिव टैक्सटाइल मिल लि०, सहकारी नगर, बुलन्दशहर;
2. उ०प्र० सहकारी कताई मिल लि०, नगीना;
3. सहकारी कताई मिल लि० अमरोहा, जिला मुरादाबाद;
4. सीतापुर सहकारी कताई मिल लि० महमूदाबाद, जिला सीतापुर;
5. उ०प्र० सहकारी कताई मिल लि०, बहेड़ी, बरेली;
6. उ०प्र० कॉपरेटिव कताई मिल लि०, इटावा;
7. उ०प्र० सहकारी कताई मिल लि०, फतेहपुर;
8. मऊ आइमा सहकारी कताई मिल लि०, मऊ आइमा, इलाहाबाद;
9. पूर्वांचल सहकारी कताई मिल लि०, बहादुरगंज, जिला गाजीपुर;
10. उ०प्र० सहकारी कताई मिल लि०, कम्पिल, जिला फरूखाबाद; और
11. संत कबीर सहकारी कताई मिल लि० मगर, जिला बस्ती।

[हिन्दी]

गेहूं का आयात

4843. प्रो० प्रेम सिंह चंदूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं की आपूर्ति हेतु इनका और अधिक आयात करने के लिए अप्रैल, 1997 में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या 1996-97 के दौरान देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के कारण पर्वू वर्ष की तुलना में खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं अधिक मात्रा में उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अन्य देशों से गेहूं का अधिक आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (च) सरकार देश में खाद्यान्नों के उत्पादन, वसूली की प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं, खुले बाजार में मूल्यों आदि के संदर्भ में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति की लगातार समीक्षा करती है और स्थिति पर निर्भर करते हुए जब कभी आवश्यक होता है, खाद्यान्नों का आयात करने का निर्णय किया जाता है। मार्च, 1997 में सरकार ने खुले बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने की दृष्टि से देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 1997-98 के दौरान 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने के प्रबन्ध करने के लिए राज्य व्यापार निगम को प्राधिकृत किया है। यह मात्रा उस मात्रा के अतिरिक्त है जिसके लिए राज्य व्यापार निगम को 1996-97 के दौरान 2 मिलियन टन गेहूं का आयात करने के लिए पहले प्राधिकृत किया गया था।

1996-97 के दौरान गेहूं का सम्भावित उत्पादन 64.66 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि 1995-96 में 62.62 मिलियन टन और 1994-95 में 64.77 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। यद्यपि, खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता 1995 के 507.7 ग्राम प्रति दिन से घटकर 1996 में 496.7 ग्राम प्रति दिन रह गई है, लेकिन गेहूं की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता 1995 के 172.0 ग्राम प्रति दिन से मामूली बढ़कर 1996 में 178.9 ग्राम प्रति दिन हो गई है।

गेहूं का स्टाक और भंडारण सुविधाएं

4844. **श्री ब्रह्मानन्द मण्डल :**
श्री एल० रमना :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में गेहूं की भंडारण क्षमता क्या है;

(ख) इस समय भंडारण किये गये गेहूं की मात्रा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों से भारी मात्रा में गेहूं का आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गेहूं का आयात करने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसका भुगतान किस प्रकार किया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो आयातित गेहूं को जमा करने के लिए सरकार ने क्या प्रबंध किये हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1.3.1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 228.35 लाख टन भंडारण क्षमता (अपनी और किराए की/ढकी हुई और कैप) उपलब्ध थी।

(ख) 1.3.1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 20.52 लाख टन गेहूं का स्टाक था।

(ग) और (ङ) सरकार ने केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति, गेहूं के उत्पादन, वसूली के रुख, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के लिए गेहूं की आवश्यकता, खुले बाजार में मूल्यों आदि जैसे संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान 4.0 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्ण किया है ताकि देश में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। राज्य व्यापर निगम ने अब तक 26.75 लाख टन गेहूं का आयात करने के लिए ठेके किए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

देश	ठेके की तारीख	मात्रा (लाख टन में)	प्रति मी. टन अमरीकी डालर में मूल्य
आस्ट्रेलिया	10.12.96	10.00	148.00 जहाज तक निष्प्रभार
	31.1.97	1.25	156.00 जहाज तक निष्प्रभार
	14.2.97	2.00	156.00 जहाज तक निष्प्रभार
	26.3.97	2.50	155.00 जहाज तक निष्प्रभार
		7.50	154.25 जहाज तक निष्प्रभार
कनाडा	11.12.96	2.50	152.50 जहाज तक निष्प्रभार
अर्जेंटीना	4.2.97	1.00	173.00 सी० एंड एफ०

सरकार द्वारा आयातित गेहूं का भुगतान अपरिवर्तनीय माध्यम से क्रेडिट पत्र का सहारा लिए बिना अमरीकी डालरों में किया जाएगा।

(च) मेक्रो स्तर पर, आयातित गेहूं का भंडारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय उपलब्ध भंडारण क्षमता पर्याप्त है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकार/केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य गंडारण निगमों जैसी सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट पार्टियों से अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराए पर लेने के लिए पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

[अनुवाद]

वनरोपण

4845. **डा० अरुण कुमार शर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक वन कटाई और पर्यावरण के ह्रास के कारण किसी केन्द्रीयकृत एजेंसी के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में कोई विशेष पौध रोपण कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कोई क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग एंड सेटलाइट इमेजिरि कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पर्यावरणीय सुरक्षा और वन रोपण कार्यक्रमों में कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और उनके लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर के सुदूर मैदान और पहाड़ी क्षेत्रों में वन रोपण

योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र द्वारा कोई क्षेत्रीय कृत्यक बल गठित किये जाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

1. एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम
2. क्षेत्रोन्मुख जलावन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम
3. इमारती लकड़ी से इतर वनोपज परियोजना स्कीम।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेषतौर पर कोई स्कीम नहीं हैं, हालांकि उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत ही इन क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

(ख) और (ग) भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक दो वर्ष में "स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट" प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ रिमोट सेंसिंग एंड सेटलाइट इमेजिरि डाटा पर आधारित है। 1995 के मूल्यांकन से पता चलता है कि देश में कुल वनीवरण 639,600 वर्ग कि०मी० है जिसमें कि 1993 के मूल्यांकन की तुलना में 507 वर्ग कि०मी० की कमी आई है।

(घ) पिछले 3 वर्षों में अनुमानतः 150 गैर-सरकारी संगठनों को वनीकरण कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष 1.50 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता दी गई है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। उत्तर पूर्वी राज्यों में वनीकरण स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

तिलहन का उत्पादन

4846. **श्री राजाभाऊ ठाकरे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन के उत्पादन में कमी तथा इनके मूल्यों में वृद्धि के कारण देश में खाद्यान्न तेलों की अत्यंत कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1997-98 के लिए विशिष्ट धनराशि आबंटित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) देश में तिलहन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है और यह 1985-86 में 10.83 मिलियन टन से बढ़कर 1995-96 में 22.43 मिलियन टन हो गया है। परन्तु जनसंख्या तथा रहन सहन के स्तर में तेजी से वृद्धि होने के कारण खाद्य तेल की बढ़ती मांग की पूर्ति की दृष्टि से यह अब भी अपर्याप्त है। खाद्य तेल का अनुमानित उत्पादन 75.32 लाख मीटरी टन की आवश्यकता की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान 67 लाख मीटरी टन रहा, जो 8.32 लाख मीटरी टन कम है।

(ग) लघु अवधि उपाय के तौर पर खाद्य तेल के आयात शुल्क में 20 प्रतिशत कमी करके इसे सामान्य खुले लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है।

(घ) तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा तिलहन की खेती वाले 22 प्रमुख राज्यों में चुने हुए 337 जिलों को कवर करते हुए केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों जैसे बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, राइजोबियन कल्चर, जिप्सम/पाइराइट्स, उन्नत कृषि उपस्करों, पौध संरक्षण उपकरणों, छिड़काव यंत्रों आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा उत्पादन प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए किसानों के खेतों पर अग्रणी तथा सामान्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

(ङ) और (च) 1997-98 संबंधी बजट प्रस्ताव संसद द्वारा अभी अंतिम रूप से पारित किए जाने हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय अंश के तौर पर अनन्तिम रूप से आवंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को किया गया अनन्तिम आवंटन

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य	भारत सरकार का अंश
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.00
3.	असम	175.00
4.	बिहार	100.00
5.	गुजरात	600.00
6.	हरियाणा	200.00
7.	हिमाचल प्रदेश	35.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	75.00
9.	कर्नाटक	625.00
10.	केरल	50.00
11.	मध्य प्रदेश	1249.00
12.	महाराष्ट्र	1050.00
13.	मणिपुर	110.00

1	2	3
14.	मेघालय	20.00
15.	उड़ीसा	500.00
16.	पंजाब	100.00
17.	राजस्थान	1100.00
18.	सिक्किम	55.00
19.	तमिलनाडु	875.00
20.	त्रिपुरा	35.00
21.	उत्तर प्रदेश	575.00
22.	पश्चिम बंगाल	250.00
	कुल	8919.00

[हिन्दी]

स्वरोजगार योजना

4847. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलाई जा रही स्वरोजगार योजना की समीक्षा की गई है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत वास्तव में कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) स्वरोजगार स्कीमों, नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) तथा प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम. आर.वाई.) की सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। पिछले तीन वर्षों (अर्थात 1994-95 से 1996-97) के दौरान आई.आर. डी.पी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त ग्रामीण गरीब परिवारों तथा पी.एम. आर.वाई. के अंतर्गत अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गई है :

(सं० लाख में)

	1994-95	1995-96	1996-97
आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवार	22.15	20.90	14.14*
पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत अनुदान प्राप्त लाभार्थी	1.98	2.00	2.18

*फरवरी, 1997 तक।

(ख) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) की केन्द्रीय स्तर समन्वय समिति (सी एल सी सी), राज्य स्तर समन्वय समिति तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी आर डी एज) के शासी निकाय द्वारा समीक्षा की जाती है। इस कार्यक्रम की मूल संकेतकों पर राज्यों से प्राप्त नियमित प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से तथा केन्द्र, राज्य तथा कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के गहन पथ्यापथ्य नियमों के माध्यम से भी समीक्षा की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा हेतु ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ आवर्ती समीक्षा बैठकें तथा डी आर डी एज ऐजेन्सियों के प्रोजेक्ट निदेशकों के सम्मेलन भी आयोजित किए जाते है। राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तरों पर मानिटरिंग तथा सतर्कता समितियां गठित की गई है जिनमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस स्कीम के कार्यान्वयन की मानिटरिंग के कार्य से जोड़ा गया है। आई आर डी पी की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप-गर्वनर, श्री डी० आर मेहता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा भी की गई थी।

इसके अतिरिक्त आई आर डी पी के विशिष्ट लक्ष्यों के संबंध में इसके पूर्णरूपेण प्रभाव का आकलन करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय स्वतंत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से समय-समय पर समवर्ती मूल्यांकन करवाता है। आई आर डी पी पर अंतिम समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट (सितम्बर, 1992 से फरवरी 1993 तक) की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

लघु उद्योग विभाग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति पी एस आर वाई के निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करती है तथा कार्यक्रम में समय-समय पर आवश्यक नीतिगत संशुद्धियां की जाती हैं।

(ग) और (घ) पी एम आर वाई तथा आई आर डी पी के अंतर्गत किन्हीं अनियमितताओं की कोई मुख्य शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं वे संबंधित नोडल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को आवश्यक पड़ताल तथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है।

विवरण

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन
(सितम्बर 92 – फरवरी 93)

कार्यकारी सारांश

(क) सकारात्मक मुद्दे

1. विश्लेषण से पता चलता है कि लाभग्राही परिवारों के चयन में 51.5 प्रतिशत परिवार ग्राम सभा, 43 प्रतिशत स्थानीय अधिकारियों और शेष 5 प्रतिशत के लगभग जन प्रतिनिधियों और अन्य एजेंसियों द्वारा चुने गये थे। इस प्रकार ग्राम सभा द्वारा लाभग्राही परिवारों का एक बड़ा प्रतिशत चुना गया था।

2. कजोर वर्गों में शारीरिक रूप से कमजोर और अतिरिक्त भूमि पाने वालों को प्राप्त होने वाले लाभ काफी उत्साहपूर्वक हैं। मोटे तौर पर शारीरिक रूप से विकलांग का 34.1 प्रतिशत और

अतिरिक्त भूमि पाने वालों का 43.2% आरआरडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित हुए थे।

3. लाभग्राहियों को मुहैया कराई गई परिसम्पत्तियों के विश्लेषण से पता चला है कि परिवारों की एक बड़ी संख्या (63 प्रतिशत) को प्रमुख क्षेत्रकों के अंतर्गत और प्रमुख क्षेत्रकों के उपक्षेत्रकों के बीच परिसम्पत्तियां मुहैया कराई गई थी। लगभग 50 प्रतिशत सहायता दुधारु पशुओं के लिए दी गई थी।

4. लाभग्राहियों को दी गई परिसम्पत्तियों की लागत के विषय में विश्लेषण ने सूचित किया है कि 85 प्रतिशत मामलों में लाभग्राहियों ने महसूस किया था कि उन्हें दी गई परिसम्पत्तियां कम लागत की नहीं थी।

5. लाभग्राहियों के एक बड़े प्रतिशत (96 प्रतिशत) ने महसूस किया था कि उन्हें मुहैया कराई गई परिसम्पत्तियां उनकी पसन्द के अनुसार थी।

6. लाभग्राहियों को मुहैया कराई गई परिसम्पत्तियां की गुणवत्ता के संबंध में मोटे तौर पर 69.42 प्रतिशत को अच्छी क्वालिटी का पाया गया था।

7. लाभग्राहियों की पारिवारिक आय के विश्लेषण से पता चला है कि परिवारों के एक बड़े प्रतिशत (56.58 प्रतिशत) को परिसम्पत्तियों से 2000 रुपये से अधिक की वार्षिक परिवार आय है।

8. लाभग्राहियों से अतिदेय/वसूली के संबंध में सर्वेक्षण परिणामों से पता चला है कि अधिकतर मामलों में (59 प्रतिशत) कोई अतिदेय नहीं है और केवल 41 प्रतिशत मामलों में कुछ अतिदेय थे। इस प्रकार लाभग्राहियों से वसूली दर सामान्य तौर पर संतोषजनक थी।

9. परिसम्पत्ति के अर्जन के पश्चात निजी स्रोतों से लाभग्राहियों द्वारा लिए गए उधार के संबंध में सर्वेक्षण परिणामों से पता चला है कि लाभग्राहियों की एक बहुत बड़ी संख्या (95 प्रतिशत) ने निजी स्रोतों से कोई धनराशि उधार नहीं ली है।

10. लाभग्राहियों का मुहैया कराई गई परिसंपत्तियों के लिए इनपुट और विपणन सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में विश्लेषण से पता चला है कि ऐसी सुविधाएं प्रमुख क्षेत्रक में बड़ी सीमा तक उपलब्ध थी।

11. सम्पूर्ण प्रति व्यक्ति निवेश (सब्सिडी तथा साख दोनों) के संबंध में विश्लेषण से पता चला है कि यह तृतीय क्षेत्रक के मामले में सबसे अधिक अर्थात 7613 रुपये, प्रमुख क्षेत्रक में 7668 रुपये और माध्यमिक क्षेत्रक में 6307 रुपये थी।

12. सभी तीन प्रमुख क्षेत्रकों को इकट्ठा लिए जाने पर अध्ययन से पता चला है कि पुराने लाभग्राही परिवारों का 14.81 प्रतिशत 11,000 रुपये की संशोधित गरीबी रेखा को पार कर सकते थे और परिवारों का 50.4 प्रतिशत 6400 रुपये की पुरानी गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ थे।

13. टीआरवाई एस ई एम (टाइसेम) का आई आर डी पी के साथ संबंध का भी विश्लेषण किया गया था। यह पाया गया है कि 56.23 प्रतिशत मामलों में लाभग्राहियों को उसी व्यवसाय/क्रियाकलाप के लिए सहायता प्राप्त हुई थी जिसका उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था।

(ख) चिंता के क्षेत्र

1. यह पाया गया कि पुराने लाभग्राहियों को दी गई सहायता की दूसरी किश्त बहुत कम थी। कुल पुराने लाभग्राहियों को केवल 3.28 प्रतिशत की दूसरी किस्त दी गई थी। इसी प्रकार नये लाभग्राहियों के मामले में सहायता की दूसरी किश्त 2.61 प्रतिशत से कम थी। इस प्रकार पात्र परिवारों को सहायता की परवर्ती किश्तें मुहैया कराने के लिए अधिक ध्यान नहीं दिया गया था।

2. यह देखा गया था कि बीपीएल सर्वेक्षण के दौरान सहायता प्राप्त परिवारों की वार्षिक परिवार आय को कम आंका गया था क्योंकि अन्वेषक द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार लाभग्राही परिवारों के 4 प्रतिशत के लगभग की 11,000 से अधिक वार्षिक परिवार आय थी लेकिन जैसा कि रिकार्ड से देखा गया है कि 11,000 रुपये प्रतिवर्ष अधिक की वार्षिक आय वाला कोई परिवार नहीं था।

3. ग्रुप जीवन बीमा के संबंध में लाभग्रहियों के बीच जागरूकता के संबंध में अध्ययन से पता चला है कि अधिकतर लाभग्राही (58 प्रतिशत) ग्रुप जीवन बीमा स्कीम के बारे में नहीं जानते थे। इससे पता चलता है कि ग्रुप जीवन बीमा स्कीम का सम्यक प्रचार नहीं किया गया था।

4. नष्ट हुई परिसम्पत्तियों के लिए लाभग्राहियों द्वारा किए गए दावों के निपटान का भी विश्लेषण किया गया था। यह पाया गया था कि 56 प्रतिशत मामलों में दावों का निपटान नहीं हुआ।

5. लाभग्राहियों को विकास पत्रिकाओं की आपूर्ति के संबंध में अध्ययन से पता चला है कि लाभग्राहियों के बहुत कम प्रतिशत केवल (32 प्रतिशत) को विकास पत्रिकाओं की आपूर्ति की गई थी। जो बहुत गम्भीर मामला है।

6. टीआरवाईएसईएम (ट्राइसेम) और डीडब्ल्यूसीआरए (डवाकरा) के साथ आईआरडीपी का सम्बन्ध बहुत थोड़ा पाया गया था जबकि केवल परिवारों के 2.13 प्रतिशत ने सूचित किया था कि उनके किसी भी सदस्य को डीडब्ल्यूसीआरए के अंतर्गत सहायता नहीं दी गई थी। लाभग्राहियों के 3.88 प्रतिशत ने ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने को सूचित किया था।

[अनुवाद]

गेहूं के खुले बिक्री मूल्य

4848. **श्री जी०ए० चरण रेड्डी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1997 में "इक्नामिक टाइम्स" में "एफ०सी०आई० व्हीट प्राइस फ्लिप फ्लाप; इन्साइडर्स मेक रूपीज 100 करोड़" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई खुली बिक्री में गेहूं के मूल्यों की तुलना में बाजार मूल्यों में अन्तर को ध्यान में रखते हुए वसूली क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों तक गेहूं के संचालन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा किए जा रहे बढ़े हुए भाड़े को निष्प्रभावी करने, खुली बिक्री पर सब्सिडी के भार को कम करने और व्यापारियों को अनुचित लाभ कमाने के लिए हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 4.2.97 से गेहूं के खुली बिक्री के मूल्य संशोधित किए हैं। नए मूल्य 4900/- रुपये प्रति टन से 7900/- रुपये प्रति टन के रेंज में थे।

मूल्यों में किए गए इस संशोधन के विरोध में कुछ राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस मामले की पुनः जांच की गई थी और मूल्यों को 10 मार्च, 1997 से फिर से संशोधित किया था जो 31 मार्च, 1997 तक वैध थे। संशोधित मूल्य की रेंज 4900/- रुपये प्रति टन से 6800/- रुपये प्रति टन थी।

प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार इस वृद्धि और बाद में गेहूं के खुली बिक्री के मूल्य के रेंज में कमी करने के संबंध में है। इसमें उल्लेख किया गया है कि जिन्हें इन परिवर्तनों के बारे में पूर्व में अनुमान था, उन्होंने अनुचित लाभ कमाया। समाचार का भाग फरवरी, 97 में पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के लिए भारतीय खाद्य निगम की खुली बिक्री के गेहूं के मूल्यों में की गई अत्यधिक वृद्धि से संबंधित है। आगे यह भी उल्लेख है कि विभिन्न राज्य सरकारों की आलोचनाओं आदि के बावजूद एक माह के लिए उच्च मूल्य रखे गए थे। समाचार महाराष्ट्र के कुछ वर्गों से भी संबंधित हैं जिन्होंने स्वदेशी गेहूं के महाराष्ट्र से अन्य राज्यों में भेजने को विरोध किया था।

खरीदारों के एक वर्ग के हितों की सुरक्षा का प्रश्न नहीं उठता। जैसाकि समाचार में आरोप लगाया गया है। सरकार की दिनांक 10 मार्च, 1997 की अधिसूचना में कड़ी शर्तें लगाई गई थीं जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि गेहूं की खुली बिक्री के खरीदारों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रायोजित करना होगा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित गेहूं/गेहूं उत्पादों के मूल्यों के बारे में उनकी वचनबद्धता को सख्ती से लागू करना होगा। इसी प्रकार, उपभोक्ता क्षेत्रों को आयातित गेहूं का संचलन कृषि मंत्रालय के पौध संरक्षण तथा संगरोध निदेशालय के परामर्श के अनुसार विनियमित करना होगा।

समय-समय पर गेहूं की खुली बिक्री संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई थी और कड़ी शर्तें लागू की गई थीं ताकि अनैतिक तत्व इस योजना का लाभ न उठा सकें।

(ग) से (ङ) प्रश्न के भाग (ख) में स्पष्ट किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में किसी प्रकार की जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

आर०डी० एक्स विस्फोट

4849. **श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :**
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1997 के दौरान हुए आर.डी. एक्स विस्फोटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विस्फोटों में कितने व्यक्ति मारे गये तथा रेल संपत्ति सहित सार्वजनिक तथा अन्य संपत्तियों का कितना नुकसान हुआ;

(ग) इन विस्फोटों में सम्मिलित उग्रवादी समाज विरोध तथा अन्य संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपराधियों को पकड़ने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान 15 अप्रैल, 1997 तक, जम्मू और कश्मीर में आर.डी.एक्स विस्फोटों सहित 168 विस्फोट हुए, जिनमें 69 व्यक्ति मारे गए थे, 26 घर, 10 दुकानें और एक स्कूल भवन तथा 6 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। देश के शेष भागों में, उपलब्ध सूचना के अनुसार, 27 विस्फोटों की सूचना है जिनमें 12 व्यक्ति मारे गए और 85 जख्मी हुए। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों में सार्वजनिक सम्पत्ति इत्यादि को हुई क्षति के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) और (घ) ऐसे अनेक उग्रवादी ग्रुप हैं, जो इन कार्यों में संलिप्त हैं तथा पाकिस्तानी आसूचना एजेंसी, आई.एस.आई. द्वारा इन ग्रुपों की सहायता की जाती है और इन्हें मड़काया जाता है। जम्मू और कश्मीर में अन्तर्ग्रस्त प्रमुख संगठन हैं :' हिजबुल मुज्जाहिदीन, हरकल-उल-अन्सार, कश्कर-ए-ताईबा, अल-जेहाद, तहरीक–उल–पुजाहिदीन इत्यादि। विभिन्न उपाय किए गए हैं जिसमें सम्मिलित हैं – सीमा पर और अन्दरूनी क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाना, नाका पार्टियों की संख्या में वृद्धि करना, महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बलों द्वारा रक्षित पिकेटों की स्थापना करना इत्यादि। अन्य कदमों में सम्मिलित हैं : आसूचना तंत्र को सुधारु बनाना, वर्तमान विनियमों का सख्ती से अनुपालन करवाना और केन्द्र एवं राज्य की संबंधित एजेन्सियों के बीच गहन समन्वय स्थापित करना। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के खिलाफ कानून के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की आवश्यकता

4850. **श्री बी०एल० शंकर** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के मुकाबले वर्ष 1997-98 के लिए नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने गेहूं तथा चावल की आवश्यकता है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान सरकार इस उद्देश्य हेतु किस तरह गेहूं की खरीद करेगी;

(ग) मात्रा तथा खरीद मूल्य सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु किन-किन राज्यों से गेहूं तथा चावल खरीदा जायेगा;

(घ) नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1997-98 के दौरान प्रत्येक राज्य को गेहूं तथा चावल का कितना कोटा आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार को यह आशा है कि वर्ष 1997-98 के दौरान गेहूं तथा चावल की खरीद में कमी आयेगी; और

(च) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 1997-98 मौसम के लिए गेहूं की वसूली प्रगति पर है। 2.5.1997 तक 20.29 लाख टन गेहूं की वसूली कर ली गई है।

(ग) चाल विपणन मौसम में राज्यवार गेहूं और चावल की वसूली बताने वाला विवरण II संलग्न है। वसूली मौसम अभी भी प्रगति पर है। इन राज्यों और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी गेहूं और चावल की वसूली जारी रहेगी।

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 415/- रुपये प्रति क्विंटल हैं और चालू रबी मौसम 1997-98 में 10.6.97 तक केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गये गेहूं के लिए अलग से 60 रुपये प्रति क्विंटल केन्द्रीय बोनस घोषित किया गया है। चालू खरीफ विपणन मौसम 1996-97 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण के लिए 380 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़िया के लिए 395/- रुपये प्रति क्विंटल और उत्तम किस्म के लिए 415/- रुपए प्रति क्विंटल हैं। धान पर लगाए गए कर और मंडी लेवी के आधार पर लेवी चावल के वसूली मूल्य राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न होते हैं। विभिन्न राज्यों के लिए खरीफ मौसम 1996-97 के लिए लेवी चावल के वसूली मूल्यों को बताने वाला विवरण III संलग्न है।

(घ) संलग्न विवरण-I में सूचना दी गई है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1996-97 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल के आवंटन और लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल का मासिक आवंटन बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सा.वि.प्र./सं.सा.वि.प्र. के लिए वार्षिक आवंटन 1996-97 में		लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (जून 97 माह के लिए) के अधीन मासिक आवंटन					
	चावल	गेहूं	चावल			गेहूं		
			ग०रे० से नी०	ग०रे० से ऊ०	जोड़	ग०रे० से नी०	ग०रे० से ऊ०	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2490.00	180.00	29.65	152.05	181.70	3.00	15.00	18.00
अरुणाचल प्रदेश	109.20	7.20	0.68	5.91	6.59	0.06	0.51	0.57
असम	648.70	355.50	12.03	22.89	34.92	7.02	13.36	20.38
बिहार	389.60	697.60	34.36	7.92	42.28	51.54	11.88	63.42
दिल्ली	240.00	700.00	0.72	12.17	12.89	2.24	38.16	40.40
गोआ	90.00	37.20	0.26	3.57	3.83	0.12	1.69	1.81
गुजरात	376.00	690.90	शून्य	18.00	18.00	20.00	29.50	49.50
हरियाणा	52.00	208.16	शून्य	शून्य	शून्य	7.33	0.72	8.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	122.80	140.00	शून्य	शून्य	शून्य	2.96	9.73	12.69
जम्मू और कश्मीर	528.00	360.00	2.54	14.50	17.04	1.26	7.74	9.00
कर्नाटक	1453.12	356.00	23.00	37.00	60.00	5.75	9.25	15.00
केरल	1847.00	572.50	15.35	107.69	123.04	शून्य	25.00	25.00
मध्य प्रदेश	613.68	605.62	24.00	10.35	34.35	29.34	12.65	41.99
महाराष्ट्र	858.00	1010.00	21.16	22.38	43.54	39.30	41.38	80.68
मणिपुर	120.00	32.40	0.76	3.40	4.16	0.31	1.40	1.71
मेघालय	190.00	29.50	1.09	8.73	9.82	0.24	1.90	2.14
मिजोरम	92.05	23.50	0.29	7.01	7.30	0.04	1.01	1.05
नागालैंड	81.20	8.60	0.71	8.68	9.39	0.18	1.56	1.74
उड़ीसा	1012.00	451.00	31.82	3.72	35.54	शून्य	शून्य	शून्य
पंजाब	18.00	121.00	0.68	0.28	0.96	3.62	1.51	5.13
राजस्थान	59.00	1358.37	0.25	0.78	1.03	21.45	32.68	54.13
सिक्किम	60.10	10.70	0.30	2.69	2.99	0.04	0.38	0.42
तमिलनाडु	1893.50	287.20	45.79	38.44	84.23	शून्य	शून्य	शून्य
त्रिपुरा	194.40	21.60	2.25	9.23	11.48	शून्य	1.28	1.28
उत्तर प्रदेश	532.20	1140.40	31.50	11.20	42.70	64.00	22.17	86.17
पश्चिम बंगाल	800.00	1071.00	32.70	9.55	42.25	13.90	65.00	78.90
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.00	9.00	0.15	0.53	0.68	0.07	0.26	0.33
चण्डीगढ़	3.60	21.60	0.02	0.17	0.19	0.16	0.97	1.13
दादर और नगर हवेली	6.00	3.00	0.12	0.04	0.16	0.03	0.01	0.04
दमन और दीव	7.20	2.40	0.00	0.14	0.14	0.00	0.04	0.04
लक्षद्वीप	6.30	0.50	0.02	0.35	0.37	शून्य	0.03	0.03
पांडिचेरी	24.00	9.00	0.61	0.29	0.90	0.04	0.02	0.06
जोड़	14947.65	1052145	312.81	519.66	832.47	274.02	346.77	620.79

अ–अनन्तिम ग.रे. से नी. –गरीबी रेखा से नीचे ग.रे. से ऊ.–गरीबी रेखा से ऊपर
सा०वि०प्र०–सार्वजनिक वितरण प्रणाली सं०सा०वि०प्र०–संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली

विवरण-II

चालू विपणन मौसम के दौरान चावल और गेहूं की वसूली बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल (24.4.97 की स्थिति के अनुसार) (विपणन मौसम 1996-97)	गेहूं (2.5.97 की स्थिति के अनुसार) (विपणन मौसम 1997-98)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	2857	—
असम	नगण्य	—
बिहार	नगण्य	—
हरियाणा	1196	511
कर्नाटक	82	—
मध्य प्रदेश	562	5
महाराष्ट्र	32	—
उड़ीसा	385	—
पंजाब	4213	1433
राजस्थान	3	30
उत्तर प्रदेश	855	50
पं० बंगाल	148	—
तमिलनाडु	709	—
चण्डीगढ़	14	—
कुल	11056	2029

तमिलनाडु केन्द्रीय पूल में अशंदान नहीं करता।
नगण्य : 500 टन से कम।

विवरण-III

खरीफ विपणन मौसम 1996-97 (अक्तू०–सितम्बर) के लिये लेवी चावल (कच्चा और सैला) के वसूली मूल्य

क्र० सं०	राज्य	साधारण 1996-97		बढ़िया 1996-97		उत्तम 1996-97	
		कच्चा	सेला	कच्चा	सेला	कच्चा	सेला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	676.90	680.60	701.50	704.80	734.40	737.20
2.	असम	637.30	641.50	660.30	664.20	691.00	694.50
3.	हरियाणा/दिल्ली	671.70	675.50	695.10	699.50	728.70	731.60
4.	कर्नाटक	625.90	630.30	648.50	652.60	678.60	682.30

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	मध्य प्रदेश	625.90	630.30	648.50	652.60	678.60	682.30
6.	महाराष्ट्र	627.10	631.50	649.70	653.80	679.80	683.40
7.	उड़ीसा	654.20	658.30	677.90	681.60	709.60	712.80
8.	पंजाब	678.30	681.90	702.90	706.30	735.90	738.70
9.	राजस्थान	663.30	667.20	687.40	690.90	719.50	722.60
10.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	659.90	663.80	683.80	687.40	715.80	719.00
11.	उत्तर प्रदेश*	651.40	655.50	675.00	678.70	706.50	709.80
12.	पश्चिम बंगाल	623.00	627.50	645.65	649.70	675.50	679.20
13.	पांडिचेरी	620.20	624.70	642.60	646.80	672.40	676.20

*उत्तर प्रदेश में यदि धान 4% की दर पर बाजार शुल्क के शर्त की अधीन होती है तो लेवी मूल्य निम्नानुसार होंगे :

	1996-97	
	कच्चा	सेला
साधारण	662.70	666.60
बढ़िया	686.80	690.30
उत्तम	718.90	722.00

स्वैच्छिक संगठन को अनुदान

4851. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली योजनाओं को क्रियान्वित करने में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को वार्षिक अनुदान को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम क्या हैं, तथा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के वित्तीय वर्ष में कितना बजटीय अनुदान का प्रावधान है तथा वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई तथा इससे कितने संगठनों को लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या उक्त योजनाओं को वर्ष 1997-98 में जारी रखने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1997-98 में कौन-कौन सी योजनाओं को बंद किए जाने तथा कौन-कौन सी नई योजनाओं को शुरू किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण-I और II के अनुसार।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

स्वैच्छिक संघटनों के माध्यमों से कृषि विस्तार योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए वर्ष-वार बजट आबंटन तथा वित्तीय निर्मुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं०	गैर-सरकारी संगठन का नाम	प्रतिवर्ष 70 लाख रु० के बजट की तुलना में वर्ष-वार वित्तीय निर्मुक्तियां (रुपये में)	
		1995-96	1996-97
1	2	3	4
1.	यूथ फॉर एक्शन, हैदराबाद	5,95,540.00	5,00,000.00
2.	रामकृष्णा मिशन आश्रम, नारायणपुर, बस्तर, मध्य प्रदेश	5,95,540.00	4,14,428.00
3.	हिमालयन ऐक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून, उत्तर प्रदेश	3,76,351.00	4,89,500.00
4.	रामाकृष्णा मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर, (प० बंगाल)	5,95,540.00	5,00,000.00
5.	रामाकृष्णा सेवा केन्द्र, त्रिपुरा	95,540.00	4,96,212.00
6.	मणिपुर रामकृष्णा सोसाइटी, मणिपुर	5,95,540.00	5,00,000.00

1	2	3	4
7.	श्री क्षेत्र घरमस्थल रूरल डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट, धर्मस्थल, कर्नाटक	5,95,540.00	3,06,497.00
8.	एम.वाई.आर.ए.डी.ए., बंगलौर	5,95,540.00	4,41,000.00*
9.	श्री अरबिन्दो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलेपमेंट, गडीपल्ली (आन्ध्र प्रदेश)	5,95,540.00	5,00,000.00*
10.	रामकृष्णा आश्रम, रांची, बिहार	5,95,540.00	5,00,000.00*
11.	ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदया आश्रम, नवादा, बिहार	95,540.00	5,00,000.00*
12.	कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इन्दौर (मध्य प्रदेश)	95,540.00	5,00,000.00*
13.	वनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	595,540.00	4,00,000.00*
14.	कल्याण विल्लेज बंगाबारी, पोस्ट–विवेकानन्द नगर, जिला–पुरूलिया, पं. बंगाल	5,95,540.00	4,17,000.00*
		66,18,371.00	64,54,637.00

* क्रपार्ट के माध्यम से जारी होने की प्रक्रिया के तहत।

विवरण-II

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

योजना-कृषि विज्ञान केन्द्र

1. परिषद् ने किसानों तथा फार्म पर काम करने वाली महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, विस्तार कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, फार्म पर परीक्षण, प्रमुख प्रदर्शनों के लिए 87 स्वैच्छिक संगठनों को कृषि विज्ञान केन्द्र संबंधी योजना के क्रियान्वयन की मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान इन स्वैच्छिक संगठनों को मंजूर/निर्मुक्त किये गये अनुदान की राशि क्रमशः 1605.61 लाख रु० तथा 1256.05 लाख रू० थी। कृषि विज्ञान केन्द्र संबंधी योजना को 1997-98 के दौरान जारी रखे जाने की सम्भावना है।

2. श्री अरबिन्दो ग्रामीण विकास संस्थान, नालगोंडा को 5 वर्षों की अवधि के लिये चावल के संकर बीज के उत्पादन से संबंधित रिवाल्विंग फण्ड प्रोजेक्ट के लिए 5.77 लाख रु० की धनराशि भी मंजूर तथा निर्मुक्त की जा चुकी है।

गैर–सरकारी संगठनों के अंतर्गत कार्यरत् कृषि विज्ञान केन्द्र

कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम और पता	संचालक संगठन
आन्ध्र प्रदेश	
1. प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, विशाखापत्तनम–531005.	भाग्य तुला चैरिटेबल ट्रस्ट येल्लामेनचोली, विशाखापत्तनम–531005.
2. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पोस्ट–बरागनपल्ली, यागनटोपल्ले-513524 जिला–कुरनूल	सचिव, श्री हनुमन्त आर्या एजुकेशनल एवं चैरिटेबल सोसाइटी
3. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.बॉ. नं. 214 जहीराबाद, मेडक-502220	अध्यक्ष, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी बशीरबाग, हैदराबाद
4. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, आर.ए.एस.एस., वनसाची, विलेज – कराकनबाड़ी जिला – चित्तूड़-517501	अध्यक्ष, रायलसीमा सेवा समिति, तिरुपति
5. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गड्डीपल्ली, पिन-508201 जिला – नालगौंडा	सचिव, श्री अरबिन्दो रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गड्डी-पल्ली, आंध्र प्रदेश
6. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जम्मीकुंता, जिला-करीमनगर पिन-505 122	निदेशक ग्राम नवा निर्माण समिति, विद्यानगर, हैदराबाद
7. प्रशिक्षण आयोजक, एन.जी. रंगा कृषि विज्ञान केन्द्र, विनय आश्रम, कावूर, जिला–गुन्टूर	अध्यक्ष, विनय आश्रम, कावूर, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश
8. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, एम.आर.ओ. ऑफिस के पीछे, कोटा, मदनपुर, जिला – महबूब नगर	अधिशाषी निदेशक, यूथ फार ऐक्शन, हैदराबाद
बिहार	
9. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, शर्मा भारती खादीग्राम, पोस्ट–जमुई-811 313	अध्यक्ष, खादी ग्राम उद्योग संघ, खादीग्राम, जमुई, बिहार

कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम और पता	संचालक संगठन
10. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र वी.पी.ओ. बसैथ, चांदपुरा, मधुबनी-847 102	अध्यक्ष, एस.के. चौधरी, एजुकेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली
11. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रामकृष्णा मिशन आश्रम, पोस्ट–मीराबादी, रांची-834 008.	सचिव, रामकृष्णा मिशन आश्रम, मीराबादी, 834 008.
12. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजनी, पोस्ट–घोरलश, जिला–देवघर-814 152	महा-सचिव, संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, देवघर, बिहार
13. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, हॉलक्रास वी.टी.आई., हजारीबाग-825 301	निदेशिका, हॉलीक्रास, वी.टी.आई., हजारीबाग, बिहार
14. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पोस्ट–सुखोदेवरा, जिला नवादा-805 106	महा-सचिव, ग्राम निर्माण मण्डल आश्रम, सुखोदेवरा, नवादा
15. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बनवासी सेवा केन्द्र, पोस्ट–अधौरा, कैमून पहाड़ी क्षेत्र, झमुआ-821 116	अध्यक्ष, वनवासी सेवा केन्द्र, अधौरा, झमुआ
गुजरात	
16. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भरौच	अध्यक्ष, भारती एग्रो–इंडस्ट्रीज फाउण्डेशन,
17. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मंगल भारती गोलागमडी बहादुरपुर, बड़ौदा-691 125	अध्यक्ष, मंगल भारती, गोलाग मण्डी, बरोदड़ा
18. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रंधेजा, गांधीनगर	गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद
19. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वल्साद	गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद
20. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, समोदा, मेहसाना	निदेशक, सरस्वती ग्राम विद्यापीठ, समोदा, मेहसाना
21. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मुंद्रा, कच्छ	अध्यक्ष, रूरल एग्रो रिसर्च एवं डेवलपमेंट सोसाइटी, जुहु, बम्बई
हरियाणा	
22. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नं० 2 राजेन्द्र पार्क, अम्बाला कैन्ट, अम्बाला	अध्यक्ष, सोसाइटी फॉर क्रोएशन ऑफ हेवन ऑन अर्थ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
23. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्री बी.बी. आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी-123401	सचिव, भागवत भक्ती आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी
हिमाचल प्रदेश	
24. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्राम–कुडोवाड़ा, पोस्ट-चन्नेर इन्दरा, जिला–कांगड़ा-176 401	अध्यक्ष, एफ.ओ.आर.ई., नई दिल्ली
जम्मू व कश्मीर	
25. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, काली बाड़ी, कठुआ-184 104	सचिव, शिव ग्रामोद्योग मंडल, कठुवा
कर्नाटक	
26. प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सुत्तुर, मैसूर	अध्यक्ष, जे.एस.एस. ग्रामीण विकास फाउंडेशन, मैसूर
27. प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चिक्काबालापुर, कोलार	अध्यक्ष, कर्नाटक कल्याण समिति, चिक्काबालापुर
28. प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तुकांती गोहक, बेलगाम-591319	अध्यक्ष, बेलगांव समेकित ग्रामीण विकास समिति, बेलगांव

कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम और पता	संचालक संगठन
29. प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, के.एच. पाटिल कृषि विज्ञान फाउंडेशन, हलकोटी-582205 कडकतालुक जिला–धारवाड़	अध्यक्ष, कृषि विज्ञान फाउंडेशन हलकोटी, धारवाड़
केरल	
30. प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पाथेनामाथिट्टा	अध्यक्ष, ग्रामीण विकास हेतु क्रिश्चन एजेंसी थिरूपल्ला, पेथेन्नामथिट्टा
31. प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चक्कुमालम इदुक्की	अध्यक्ष, बापूजी सेवक समाज चक्कुमालम, इदुक्की
32. प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मित्रनिकेतन, वेलानाड जिला–तिरूअंनतपुरम	अध्यक्ष, मित्रनिकेतन, वेलानाड त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	
33. प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जोरा–कालुकेड़ा, जिला–रतलाम-457340	अध्यक्ष, कालूखेड़ा शिक्षा समिति, रतलाम
34. प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वाया–डिमरापाल पो.आ.–जगदलपुर माता रुक्मिणी सेवा संस्थान जिला–बस्तर	सचिव, माता रुक्मिणी सेवा संस्थान जगदलपुर, बस्तर
35. प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मालवा महिला विकास समिति पो.आ.–सीरोनी, विदिसा-464228	अध्यक्ष, श्री मालवा महिला विकास समिति, भोपाल
36. प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, इन्दौर	सचिव, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर
37. प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, मझगांव, सतना	अध्यक्ष, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान रानी झांसी रोड, नई दिल्ली

कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम और पता	संचालक संगठन
महाराष्ट्र	
38. प्रशिक्षण आयोजक वाई.सी. महाराष्ट्र ओपेन यूनिव. नासिक-422005	कुलपति वाई.सी. महा ओपेन यूनिवर्सिटी नासिक
39. प्रशिक्षण आयोजक भगवान नगर, परमंनी431401	अध्यक्ष जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट परमनी
40. प्रशिक्षण आयोजक तालासाडी, कोल्हापुर416012	डी.वाई. पाटिल शिक्षा समिति लालाशाडे, कोल्हापुर
41. प्रशिक्षण आयोजक जलगांव जामोड़, बुलडाना-443402	अध्यक्ष सतपुड़ा, शिक्षा समिति जलगांव जामोद, बुलडाना
42. प्रशिक्षण आयोजक 57, कांग्रेस नगर अमरावती-444602	अध्यक्ष श्रम साधना ट्रस्ट 57, कांग्रेस नगर, अमरावती
43. प्रशिक्षण आयोजक मधुबनी कालोनी, कैम्पस अमरावती-444602	अध्यक्ष श्रम सफालय फाउंडेशन मधुबनी कालोनी, अमरावती
44. प्रशिक्षण आयोजक एच.आई.जी. कालोनी आई.टी.आई के नजदीक नादेड	अध्यक्ष जे.एन. इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, साइंस, एण्ड टेक रिसर्च, नांदेड़
45. प्रशिक्षण आयोजक 51, रेलवे लाइन्स सोलापुर-413001	अध्यक्ष समारी कृषि प्रतिष्ठान, सोलापुर
46. प्रशिक्षण आयोजक रिसोड़, अकोला-444106	अध्यक्ष सुविदे फाउंडेशन रिसोड़ अकोला
47. प्रशिक्षण आयोजक आदर्श कृषि सिंधुदुर्ग-416622	अध्यक्ष पायप फालाओटपादान सहकार समिति सिंधुदुर्ग
48. प्रशिक्षण आयोजक गोखले शिक्षा, कोयाबाद हिल जिला थाणे-401703	सचिव गोखले शिक्षा समिति वी.वाई. के कालेज ऑफ कामर्स, नासिक
49. प्रशिक्षण आयोजक सतपुड़ा विकास मंडल तालुका रावेर, जिला जलगांव-425508	अध्यक्ष सतपुड़ा विकास मंडल, रावेर, जलगांव
50. प्रशिक्षण आयोजक आदर्श कालोनी, ग्राम अम्बजोगाय जिला बीड-431517	अध्यक्ष दीनदयाल अनुसंधान संस्थान रानी झांसी रोड, नई दिल्ली।

कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम और पता	संचालक संगठन
51. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कलवडे, करड, जिला सतारा-415110	अध्यक्ष, कल्याणी गोरक्षणे ट्रस्ट, कोरेगांव रोड, पुणे
52. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, शारदा नगर, बारामती-413115 जिला पुणे	अध्यक्ष, कृषि विकास ट्रस्ट, बारामती, पुणे
53. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बाभलेश्वर, श्री रामपुर ताल, जिला अहमदनगर-413736	अध्यक्ष, प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एजूकेशन इन नेचरल एंड सोसल सांइस, प्रवरनगर, अहमदनगर
54. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सी-413, बसन्त दादा सकर सहकारी कारखाना जिला सांगली-416416	अध्यक्ष, वसन्त प्रकाश विकास, प्रतिष्ठान, सांगली
55. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पी.बी. नं. 45, एस.पी. रोड़, जिला जालना-431203	सचिव, मराठवाड़ा शेति सहारूपा मंडल, जालना
राजस्थान	
56. प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चौमू, जयपुर	सचिव, प्रगति ट्रस्ट, चौमू, जयपुर
57. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बनस्थली विद्यापीठ, जिला टौंक-304022	सचिव, बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली टौंक
58. प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बदगांव, उदयपुर-313001	अध्यक्ष, विद्या भवन समिति, उदयपुर
59. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर, जिला चुरू-311401.	रजिस्ट्रार, गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर, जिला चुरू
60. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गायत्री शान्ति पीठ, जिला बाड़मेर-344001.	सचिव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए समिति, बाड़मेर

कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम और पता	संचालक संगठन
61. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, संगारिया, श्रीगंगानगर	अध्यक्ष, केशयानन्द मेमोरियल ट्रस्ट, संगारिया, श्रीगंगानगर
तमिलनाडु	
62. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, धर्मापुरी	अध्यक्ष, ग्रामीण विकास का टी.एन. बोर्ड, टी. नगर, मद्रास
63. प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, टन्कोशी, नैल्लई कट्टाबोम्मन-627852.	अध्यक्ष, आर.वी.एस. एजूकेशन ट्रस्ट, दिंदीगुल अन्ना
64. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केटचीपुरम वाया, थेनी, मदुरई-626520.	अध्यक्ष, सेन्टर फार डवलपमेंट एंड कमिनेकेशन, ट्रस्ट, मदुरई
65. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अलीकुलम, मुंद्रादइयपुर, डा. परियापट्टी, कामराजार-626102.	अध्यक्ष, मेयरस ट्रस्ट, मदुरई
66. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तंजवूर, आरवीएस. केम्पस, सुल्तूर-641402.	अध्यक्ष, भक्तवा मेमोरियल ट्रस्ट, टीएनएचवी. कालोनी, कोराथुर, मद्रास
67. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला चिदम्बरनार	अध्यक्ष, एससीएडी थैरनदेवी, तिरूनवेली
68. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्री अविवासलिंगम, रूरल सेन्टर, विवेकानन्दपुरम, करमदायी ब्लॉक, कोयम्बतूर-641113 जिला	सचिव, श्री अविवासलिंगम, रूरल सेन्टर, कोयम्बतूर
69. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उपासी, गलेनव्यू कन्नानूर-623401	सचिव, उपासी, ग्लेनव्यू, कन्नानूर-643101 निलगिरि जिला
70. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, डिन्डीगुल, अन्ना जिला	सचिव, गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम डिन्डीगुल, अन्ना जिला

कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम और पता	संचालक संगठन
71. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तलामलाई केन्द, मिराडा, सत्यमंगलम तालुका, पेरियार जिला-638461.	कार्यकारी निदेशक, मिराडा, डोमलूर लेआउट, बंगलौर
72. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव किलनैल्ली, वैंमबक्कम ब्लॉक, तिरूअन्नामलाई, सामबुवारयार जिला	अध्यक्ष, तमिलनाडु बोर्ड ऑफ रूरल डवलपमेंट, टी नगर, मद्रास
त्रिपुरा	
73. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दिव्यउदय आईसीएआर कॉम्पलैक्स फार एनईएच रिजन, दिवानन्दपल्ली, चेबरी-799207, खोवाई उपप्रभाग पश्चिम त्रिपुरा	महासचिव, श्रीरामकृष्ण देवा केन्द्र, आर.एन. मुखर्जी रोड़, कलकत्ता
उत्तर प्रदेश	
74. प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कानपुर रोड़, दरोंगा खेड़ा, डाकघर अनराव, लखनऊ	अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि संस्थान, कानपुर रोड़, लखनऊ।
75. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जलालपुर, मुजफ्फरनगर	अध्यक्ष, स्वामी कन्याण देव ट्रस्ट मुजफ्फरनगर
76. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बाराबंकी	सचिव, भारत ग्रामीण विकास संस्था बाराबंकी
77. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुलतानपुर-228118	सचिव, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट सुलतानपुर
78. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, एटा-मंडला रोड़, आवागढ़-207301 जिला एटा (उ०प्र०)	प्राचार्य राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय बीचपुरी, आगरा

कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम और पता	संचालक संगठन
79. प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केन्द्र, जयप्रभा ग्राम/गोपाल ग्राम दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, खरगू चंदपुर गांधी पार्क, गोण्डा-271001	अध्यक्ष, दीनदयाल अनुसंधन सस्थान रानी झांसी रोड, नई दिल्ली
80. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गनीवन, जिला बांदा-210206	–तदैव–
81. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, इलाहाबाद कृषि संस्थान, जिला इलाहाबाद-211007	निदेशक, इलाहाबाद कृषि संस्थान नैनी, इलाहाबाद
82. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सोहना, जिला सिद्धार्थनगर-272193	सचिव, लियोंड टेल एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी सोहना, सिद्धार्थनगर
83. प्रशिक्षण ,आयोजक, स्वाकी कल्याणदेव कृषि विज्ञान केन्द्र, हस्तिनापुर जिला मेरठ-250404	अध्यक्ष, गांधी पोलिटेक्निक हस्तिनापुर मेरठ
पश्चिम बंगाल	
84. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीराम कृष्ण आश्रम डाकघर नीमपीठ आश्रम, दक्षिण 24 परगना-743338	अध्यक्ष, श्रीराम कृष्ण आश्रम सुंदरबन–24, परगना
85. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कापगारी, जिला मिदनापुर	अध्यक्ष, सेवा भारतीय कापगारी, मिदनापुर
86. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रामशयी जिला जलपायीगुड़ी	महासचिव, श्रीराम कृष्ण सेवा केन्द्र, आर.एन. मुखर्जी रोड़, कलकत्ता
87. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, विवेकानन्दनगर, जिला पुरूलिया	अध्यक्ष, कल्याण पी.ओ. विवेकानन्दनगर, पुरूलिया

सफाई कर्मचारी

4852. **श्री सुन्दर लाल पटवा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में हाथ से किए जाने वाले सफाई कार्य को समाप्त करने और उसमें संबद्ध लोगों का पुनर्वास करने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति बताते हुए तत्संबंधी ब्यौरा दें;

(ग) क्या कुछ राज्यों में सफाई कर्मचारियों को पहचान के सर्वेक्षण का भी कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है;

(घ) यदि जी हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शुष्क शौचालय हटाने के कार्य में संतोषजनक प्रगति हुई है;

(च) यदि नहीं तो इसके क्या करण हैं;

(छ) क्या इस उद्देश्य के लिए आवंटित धन राशि का उपयोग अव्यावहारिक परियोजनाओं और विदेशी दौरों आदि के लिए किया जा रहा है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) कल्याण मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना वर्ष 1971-72 से प्रारम्भ की है जिसके निम्नलिखित तीन संघटक हैं :

(1) सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों तथा वैकल्पिक ट्रेडों तथा व्यवसायों में उनके रूझान करने के लिए एक त्वरित सर्वेक्षण;

(2) सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को प्रशिक्षण, तथा

(3) एक निर्धारित वित्त पोषण पद्धति वाली परियोजनाओं के माध्यम से सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास।

वर्ष 1995-96 के अंत तक केवल लगभग 1.00 लाख तथा 2.50 लाख सफाई कर्मचारियों को क्रमशः प्रशिक्षित तथा पुनर्वासित किया गया है क्योंकि आठवीं योजना के अंत तक पुनर्वास का कार्य पूरा नहीं किया जा सकेगा, जैसा कि मूल रूप से लक्षित था, इसलिए इस योजना का कार्यान्वयन नौवीं योजना तक बढ़ाया जा रहा है।

शहरी विकास कार्य तथा रोजगार मंत्रालय सफाई कर्मचारियां की मुक्ति के लिए कम लागत वाले स्वच्छता कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत 1053.02 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर अब तक 730 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत में 108184 सफाई कर्मचारियों को मुक्त करने की प्रक्रिया परिवर्तित किए जाने के लिए 1901972 यूनिटों को स्वीकृत किया गया है तथा 1367183 यूनिटों को निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया है। किन्तु इनमें से अभी तक 609765 यूनिटें पूर्ण की गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में आवश्यक ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं तथा उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) (1) राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं का धीमा सृजन।

(2) एल सी एस कार्यक्रम के लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी।

(3) लाभार्थियों में लाभार्थी अंशदान तथा उसके बाद ऋण की वापसी से संबंधित भुगतान को वहन करने की अनिच्छा।

(4) राज्य पर कार्यक्रम के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उचित मानीटरिंग व्यवस्था का अभाव।

(छ) अब तक पुनर्वास के लिए आबंटित धनराशि का विदेशी दौरों पर उपयोग किए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है किन्तु कुछ राज्यों ने राशियों का उपयोग गैर-व्यवहार्य परियोजनाओं पर किया है।

(ज) बहुत से राज्यों ने 20,000/- रुपये की औसत परियोजना को अधिकतम परियोजना लागत के रूप में समझा है जिससे गैर व्यवहारिक परियोजनाओं का प्रचलन बढ़ा है।

(झ) दिनांक 1.4.96 से दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 50,000/- रुपये की सीमा के भीतर परियोजना की लागत इस प्रकार होनी चाहिए कि परियोजना व्यवहार्य हो।

अनुसूचित जनजाति की सूची में अन्य समुदायों को शामिल करना

4853. **श्री सुरेश कोडीकुनील** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति की सूची में अन्य समुदायों को शामिल करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन समुदायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ और समुदायों को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए लगभग 700 दोष प्राप्त किए गए हैं।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में लगभग 60 समुदायों को शामिल करने की सिफारिश की है।

(ङ) कोई विशेष समय नहीं बताया जा सकता है।

[हिन्दी]

दलहन के उत्पादन/खेती में कमी

4854. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री एन०एन० कृष्णादास :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत 45 वर्षों से दलहन के कुल उत्पादन में सिर्फ 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि देश की जनसंख्या में इन वर्षों में तीन गुने की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इन दशकों के दौरान दलहन की 20 से 22 मिलियन हैक्टेयर में खेती की जाती रही है;

(ग) क्या वर्ष 1960-61 में प्रति व्यक्ति दलहन की 69 ग्राम की उपलब्धता घटकर वर्तमान में 37 ग्राम से भी कम हो गई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसकी खेती में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) दालों का औसत वार्षिक उत्पादन 1949-51 के तीन वर्षों के दौरान 8.33 मिलियन टन से बढ़कर 1994-96 के तीन वर्षों में 13.75 मिलियन हो गया है, जो 65% वृद्धि दर्शाता है।

(ख) उक्त अवधि में दालों की प्रति एकड़ खेती 18.78 मिलियन हेक्टेयर से 24.66 मिलियन हेक्टेयर के बीच रही और अब यह लगभग 22.5 से 23.5 मिलियन हेक्टेयर पर स्थिर हो गयी है।

(ग) जी, हां। दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1961 में 69 ग्राम से कम होकर 1996 में 34.8 ग्राम हो गयी है।

(घ) और (ङ) दालों की खेती सामान्यतः वर्षा सिंचित स्थितियों में अल्प उपजाऊ सीमान्त भूमि पर की जाती है, जिसमें फसल सदैव नमी की कमी की स्थिति से प्रभावित होती है। इसके अलावा दालें कीटों, कृमियों तथा रोगों के प्रकोप से शीघ्र क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जोखिम ज्यादा होने के कारण दालों की खेती में आदानों के अल्प मात्रा में प्रयोग और खराब प्रबंध विधियों के कारण उत्पादकता प्रभावित होती है। बहरहाल सरकार दालों का उत्पादन बढ़ाने पर काफी जोर दे रही है। इन्हें प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल किया गया है और केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इस परियोजना में बीजों का उत्पादन तथा वितरण, सूक्ष्मपोषक तत्वों का वितरण, राइजोबियम कल्चर, उन्नत फार्म उपकरण छिड़काव यंत्र आदि घटक शामिल हैं। इस योजना के तहत उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिए फील्ड प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

4855. **श्री जी.एम. बनातवाला** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाली स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी मात्रा में ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा इनमें से प्रत्येक को कितनी रकम दी गई; और

(घ) क्या वित्तीय सहायता के उपयोग पर कोई निगरानी की जाती है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक विवरण-I संलग्न है।

(ग) एक विवरण-II संलग्न है।

(घ) सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी संगठनों से किसी चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा विधिवत् अंकेक्षित उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं।

विवरण – I

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दी गई वित्तीय सहायता (रु० में)				
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	68,000	6,400	49,967	–	45,500
2.	असम	–	16,000	–	–	
3.	बिहार	–	–	26,667	22,090	30,500
4.	दिल्ली	46,000	2,78,646	86,000	60,000	–

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोवा	–	–	26,000	–	–
6.	केरल	–.	–	–	68,800	32,600
7.	मध्य प्रदेश	16,000	–	–	–	–
8.	उड़ीसा	6,000	49,000	63,400	17,000	–
9.	पंजाब	–	32,000	–	–	–
10.	राजस्थान	–	73,336	–	–	–
11.	उत्तर प्रदेश	38,000	28,000	87,093	–	1,50,000
12.	पं. बंगाल	16,000	4,000	28,733	11,300	–
	योग	1,90,000	4,87,382	3,67,860	1,79,190	2,58,600

विवरण – II

1992-93 से लेकर 1996-97 तक गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई सहायतानुदान राशि को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष 1992-93

क्रम सं.	संगठन का नाम व पता	जारी की गई अनुदान राशि (रुपयों में)
1.	पीपुल्स सोसाइटी ऑफ सोशिओ-इकानामिक डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश	10,000
2.	श्री कृष्ण भारतीय लोक कला एवं संगीत महाविद्यालय, शिवनी, मध्य प्रदेश	16,000
3.	राष्ट्रीय कश्मीर मंच, चिक्को पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	28,000
4.	दुर्गानगर सोबुज संघ, पश्चिम बंगाल	16,000
5.	हम हिन्दुस्तानी तंजीम, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	40,000
6.	सनातन समाजवाद संस्कृत संस्थान, भुवनेश्वर, उड़ीसा	6,000
7.	कल्याण परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	28,000
8.	फखरुद्दीन अली अहमद स्मारक समिति, नई दिल्ली	46,000
	कुल	1,90,000

वर्ष 1993-94

1.	नेशनल थिएटर आर्ट्स सोसाइटी, ग्रीन व्यू, पटियाला-147001, पंजाब	32,000
2.	अखिल भारतीय शहरी एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, नई दिल्ली	1,20,000
3.	रूरल वालंटियरी यूथ फोरम, करार, असम	16,000
4.	बालूरघाट समाज कल्याण एसोसिएशन, बालूरघाट, पश्चिम दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	4,000

क्रम सं.	संगठन का नाम व पता	जारी की गई अनुदान राशि (रुपयों में)
5.	कल्याण परिषद, हैदर केनाल भेरी मंडी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	28,000
6.	एम.ओ. क्लब, डाकघर–कान्ताबाद, जिला पुरी, उड़ीसा	5,000
7.	जय जगन्नाथ क्लब, निकट/डाकघर बड़ोबेरेना, जिला–पुरी, उड़ीसा	20,000
8.	न्यू ड्रेगन क्लब, कपिलेश्वर, पुरी, उड़ीसा	20,000
9.	उड़िया यंगमेन्स लाइब्रेरी, आन्ध्र प्रदेश	6,400
10.	श्री सत्य देव समिति, जयुपर	73,336
11.	त्रिमूर्ति क्लब, जिला–पुरी, उड़ीसा	4,000
12.	सोसाइटी फॉर सेव्यूलरिज्म, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	1,10,776
13.	फखरूद्दीन अली अहमद स्मारक समिति, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली	47,870
		4,87,386

वर्ष 1994-95

1.	शास्त्री युवा क्लब, डाकघर–असारला, जिला पुरी, उड़ीसा	10,800
2.	श्री संजय प्रसाद सिंह ग्रामीण निगरानी समिति, सारण, बिहार	26,667
3.	जी वी एम प्रगति विद्यालय, बोरिम, गोवा	26,000
4.	आदर्श शिक्षा केन्द्र, खुरदा, उड़ीसा	30,200
5.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज दिल्ली	38,000

क्रम सं.	संगठन का नाम व पता	जारी की गई अनुदान राशि (रुपयों में)
6.	कल्याण परिषद, यू एन आई एस मंजिल, लखनऊ	59,093
7.	नबापल्ली आइक्या सम्मिलनी, जिला–दक्षिण 24, परगना पश्चिम बंगाल	21,733
8.	बालूरघाट समाज कल्याण एसोसिएशन, बालूरघाट जिला–दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	7,000
9.	प्रकाशन ठिकास अध्ययन संस्थान, हैदराबाद, 500005	26,667
10.	प्रतापगढ़ ग्रामोत्थान समिति, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश	28,000
11.	फखरूद्दीन अली अहमद स्मारक समिति, नई दिल्ली	48,000
12.	मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मारक सोसाइटी, हैदराबाद	23,300
13.	गुरु महिमा युवक संघ, जिला-खुरदा, उड़ीसा	8,000
14.	अरासा संगीत परिषद, अरासा जिला – भद्रक, उड़ीसा	14,000
		3,67,860

वर्ष 1995-96

1.	राजीव गांधी सेंटर, वेंगानूर, तिरूवनन्तपुरम, केरल	22,400
2.	वैशाली समाज कल्याण संस्थान, वैशाली, बिहार	3,690
3.	रेफ्रो रूरल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पटना	18,400
4.	चन्द्रभागा, निकट/डाकघर–मोतीगंज, जिला बालासौर, उड़ीसा	10,600
5.	गांधी शांति प्रतिष्ठान, क्विलोन केन्द्र, केरल	46,400
6.	गानिया शिशु राइजा, निकट/डाकघर–गानिया जिला–नयागढ़, उड़ीसा	6,400
7.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज, डा. अम्बेडकर बस्ती, नई दिल्ली	60,000
8.	बालूरघाट समाज कल्याण एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल	11,300
	योग	1,79,190

वर्ष 1996-97

1.	कल्याण परिषद, हैदर केनाल–मेरी मंडी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1,20,000
2.	भगत सिंह यूथ क्लब एवं वाचनालय, कोजोकोड, केरल	32,600
3.	श्री संजय प्रसाद सिंह ग्रामीण निगरानी समिति, बाबू टोला, सारण, बिहार	30,500
4.	मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मारक समिति, दबीरपुर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	45,500
5.	अधिवक्ता जनसेवा संस्थान, न्यू हैदराबाद लखनऊ, उत्तर प्रदेश	30,000
		2,58,600

हिन्दी का उपयोग

4856. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत हिन्दी सलाहकार समिति गठित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या गैर-सरकारी पर्यवेक्षक के अभाव में सरकारी भाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर इसके अध्यक्ष तथा सदस्य स्वयं हिन्दी का उपयोग अपने मूल कार्य में नहीं करते हैं;

(ग) क्या सभी कार्य अंग्रेजी में किए जाते हैं क्योंकि सभी आधुनिक उपस्कर तथा कम्प्यूटर टेलेक्स इत्यादि रोमन में हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) हिन्दी सलाहकार समिति कब तक गठित कर ली जायेगी ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) खाद्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है।

(ख) राजभाषा कार्यान्ययन समिति के अध्यक्ष और सदस्य अपना सरकारी कामकाज यथासंभव अधिक से अधिक हिन्दी में करते हैं।

(ग) जी, नहीं। सभी कम्प्यूटर और टेलेक्स द्विभाषी हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

"तेन्दुए"

4857. **श्री सत्यजीत सिंह :**
श्री दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8, अप्रैल, 1997 के "द स्टेट्समैन में" लेपर्ड्स फेसिंग एक्सटिंक्सन" शीर्षक से प्रकाशित ट्रैफिक इंडिया की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि तेन्दुआ भारतीय बाघ की तुलना में अधिक तीव्रगति से विलुप्त हो रहा है;

(ख) क्या तेदुओं और बाघों के अंगों और खालों की बरामदगी से एक बाघ की तुलना में पांच तेन्दुओं के अवैध शिकार का पता चलता है; और

(ग) यदि हां, तो इन संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। लेकिन जब्त तेंदुए की खालों की सूचित संख्या का यह अर्थ नहीं है कि वे सभी तेंदुए उसी अवधि के दौरान मारे गए। वस्तुतः केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विशेष उपायों के परिणामस्वरूप वन्यजीव अपराध के मामलों का पता लगाने में वृद्धि हुई है तथा इस अवधि के दौरान पहले मारे गए भंडार का भी पता लगाया गया।

(ग) इन संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में शामिल वन्य पशुओं के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है।

(2) बाघ, हाथियों, गैंडों तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे है।

(3) वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए 1,48,000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में 441 वन्यजीव अभयारण्यों और 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इन वन्य पशुओं के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने "बाघ परियोजना" और "हाथी परियोजना" क्रमशः वर्ष 1973 और 1991 में चलाई है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए तथा बाघ परियोजना और हाथी परियोजना स्कीमों सहित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।

(4) वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(5) वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइटस) के उपबंधों के तहत संकटापन्न पशुओं को प्रजातियों और उनके उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। गजदंत के व्यापर पर पूर्ण प्रतिबंध है।

(6) वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए मुख्यतया देश के सभी बड़े निर्यात केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

(7) पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, समी–शुल्क, भारत तिब्बत सीमा पुलिस तटरक्षकों आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ अन्तर – विभागीय समन्वय बढ़ाया गया है। नई दिल्ली और देहरादून में 1995 के दौरान इन सभी संगठनों के लिए वन्यजीव प्रवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

(8) देश के उन क्षेत्रों, जहां बाघ रहते हैं, के प्रबंधन में सुधार का सुझाव देने के लिए मंत्रालय में एक "बाघ संकट प्रकोष्ठ" स्थापित किया गया है।

(9) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सतर्कता बढ़ा दें तथा गश्त तेज कर दें।

(10) बाघ रिजर्व क्षेत्रें में "विशेष प्रहार बल" की स्थापना के लिए कदम उठाने शुरू किए जा रहे हैं।

(11) बाघ संरक्षण से संबंधित द्विपक्षीय मामलों के समन्वय और बाघ की हड्डियों तथा इसके शरीर के अन्य अंगों की तस्करी और अवैध व्यापर को नियंत्रित करने के लिए चीन गणराज्य की सरकार के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए; तथा

(12) बाघ के चोरी छिपे शिकार को रोकने और बाघ रेंज देशों में बाघ और उसके वासस्थल के संरक्षण के सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु "विश्व बाघ मंच" स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

वाहनों को रंग रोगन इत्यादि करने से प्रदूषण

4858. **श्री दिलीप संघानी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाहनों के लिए आवश्यक रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखने पर बल दे रही है और दूसरी ओर इन्हीं वाहनों के डेंटिग, पेंटिंग और वैल्डिंग जैसे औद्योगिक मरम्मत कार्यों को रिहायशी इलाकों में करने की अनुमति दे रही है;

(ख) क्या रिहायशी इलाकों की खुली सड़कों पर वाहनों को खड़ा करके तेज शोर करते हुए उनकी डेंटिग करना और वाहनों पर रोगन करते हुए वायु प्रदूषण फैलाना कानूनन अपराध है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के अवैध कार्यों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) दिल्ली में सभी वाहनों को "प्रदूषण नियंत्रण में है" का एक प्रमाण-पत्र लेना होता है। वायु (प्रदूषण, निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के तहत् प्रदूषण फैलाने वाली सभी इकाइयों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से सहमति-पत्र प्राप्त करना होता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति वाहनों की मरम्मत करने वाली इकाइयों को चलाने के लिए सहमति-पत्र जारी नहीं कर रही है। इन उद्योगों को दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के प्रावधानों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में चलाने की अनुमति नहीं है।

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में दिल्ली सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में चल रही इकाइयों को औद्योगिक क्षेत्रों में बसाए जाने का निर्देश दिया है। बड़ी संख्या में ऐसी इकाइयों ने औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के लिए आवेदन किया है। दिल्ली सरकार इन इकाइयों को भूखण्ड उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी नागरिकों का भारत में अधिक समय तक रुकना

4859. **श्री राम नाईक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार देश में कितने पाकिस्तानी नागरिक अपने वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी रुके हुए है; और

(ख) उन्हें स्वदेश वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार देश में 11005 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने की सूचना है। 31 मार्च, 1997 तक की सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारत में विदेशियों का प्रवेश, ठहरना, उन पर नियंत्रण तथा उनकी आवाजाही, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 तथा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के तहत शासित किए जाते हैं। इन अधिनियमों के अधीन केन्द्र सरकार की शक्तियों को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सौंपा गया है। इन शक्तियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाना और उन्हें स्वदेश वापस भेजना शामिल है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को देश में अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें स्वदेश वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए समय-समय पर अनुदेश भी जारी करती रही है।

[हिन्दी]

चंडीगढ़ में लक्ष्य-शुदा (टार्गेटिड) सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4860. **श्री सत्य पाल जैन** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राजय क्षेत्र चंडीगढ़ में राशन कार्डों को जारी करने पर पाबंदी लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और यह पाबंदी कब से लागू की गई है;

(ग) क्या चंडीगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को कम मूल्य पर राशन उपलब्ध कराने की योजना कार्यान्वित कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो यह कार्यक्रम कब तक शुरू कर दिया जाएगा और इस कार्यक्रम से कितने लोगों को लाभ मिलने की संभावना है;

(ङ) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे लोगों की पहचान की ली गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि पात्र परिवारों को नीति के अनुसार राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी नही।

(घ) स्कीम 1 जून, 1997 से शुरू की जाएगी और इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे के 18,000 परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है।

(ङ) और (च) जैसाकि चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का पता लगाने की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के मई के अन्त तक पूरी हो जाने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं

4861. **श्री मंगत राम शर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में केन्द्र की सहायता से पर्यावरण संबंधी कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) प्राप्त उपलब्धियों तथा प्रत्येक परियोजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गयी सहायता की धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र की सहायता से इस राज्य में प्रत्येक परियोजना के आरंभ होने और पूरी होने की तारीखें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर में केन्द्रीय सहायता से चल रही पर्यावरणीय परियोजनाओं का ब्यौरा, प्राप्त उपलब्धियां और दी गई सहायता राशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) ये परियोजनाएं अनवरत स्वरूप की हैं।

विवरण

क्रम सं.	योजना का नाम	बृहत उद्देश्य	केन्द्रीय वित्त पोषण का विस्तार	स्थिति	पिछले वर्ष 1996-97 के दौरान उपलब्धियां	
					वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास करना	100%	चालू	13.94	4 राष्ट्रीय उद्यानों को कवर किया गया
2.	रिजर्व क्षेत्रों के आस-पास पारि-विकास	रिजर्व क्षेत्रों की सीमा पर रह रहे समुदायों हेतु वैकल्पिक जीविका मुहैया करना	100% अना. 50% आवर्ती	चालू	5.00	4 राष्ट्रीय उद्यानों को कवर किया गया

1	2	3	4	5	6	7
3.	समेकित वनीकरण और पारि–विकास परियोजना स्कीम	वनीकरण और पारि–विकास को बढ़ावा देना	100%	चालू	294.88	3212 हैक्टेयर (लक्ष्य)
4.	क्षेत्र उन्मुख ईंधन लकड़ी और चारा योजना	ईंधन लकड़ी की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में ईंधन लकड़ी और चारे की आपूर्ति में वृद्धि करना	50%	चालू	72.01	1670 हैक्टेयर (लक्ष्य)
5.	औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी का उत्पादन	औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी का उगाना	100%	चालू	149.86	3865 हैक्टेयर (लक्ष्य)
6.	बीज विकास	उत्तम बीजों के लिए संरचनात्मक ढांचे का विकास	100%	चालू	11.00	वित्तीय रिबीजों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किये गए।
7.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	चिड़ियाघरों का उन्नयन	100%	चालू	शून्य	1 चिड़ियाघर को कवर किया गया।
8.	प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता	जम्मू व कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ बनाना	100%	चालू	4.00	उपलब्ध नहीं।
9.	पर्यावरण वाहिनी	पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	100%	चालू	शून्य	पर्यावरण वाहिनी के लिए 3 जिलों (जम्मू, बारामूला, लेह) का चयन किया गया।
10.	नममूमि का संरक्षण	नममूमि का संरक्षण और पुनरुद्धार करना	100%	चालू	41.00	2 नममूमियों को शामिल किया गया (टीएसओ – मेरारी एवं टी एस आई क्वेल–एस ओ)

[हिन्दी]

बंगलादेश में उत्प्रवास

4862. **श्री सोहनवीर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार बंगलादेश के कितने नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा उन्हें उनके देश वापिस भेजने संबंधी कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने बंगलादेश के नागरिकों की पहचान की गई है तथा इनमें से कितने नागरिकों को उनके देश वापिस भेजा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) बांगलादेश से आए घुसपैठियों की सही-सही संख्या का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि वे चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं तथा जातीय एवं भाषाई समानताओं के कारण स्थानीय जनता के साथ आसानी से घुल-मिल जाते हैं।

(ख) अनधिकृत बंगलादेशी प्रवासियों को रोकना/पकड़ना तथा उन्हें बंगलादेश वापस भेजना, एक सतत प्रक्रिया है। यह मामला समय-समय पर बंगलादेश की सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। भारत में बंगलादेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ की समस्या का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा अनेकों उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें बनाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, भूमि और तटीय दोनों सीमाओं पर गश्त गहन करना, सीमा सड़कों और बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना, सीमा निगरानी वुर्जों की संख्या बढ़ाना, तथा निगरानी रखने के उपकरणों को उपलब्ध कराना इत्यादि। इन उपायों की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से की जाती है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल द्वारा सूचित वर्ष-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	रोके गए	वापस खदेड़े गये
1994	26,562	22,110
1995	16,984	12,486
1996	13,745	7,650

[अनुवाद]

सुरक्षात्मक निर्माण कार्यों हेतु सहायता

4863. **श्री ए० सिद्धराजु** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि मैसूर जिले में हाथियों द्वारा प्रतिवर्ष कई लाख रुपये की फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने फसलों को बचाने हेतु बाड़ लगाने तथा अन्य सुरक्षात्मक निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि मांगी गई है तथा केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां। जंगली हाथियों द्वारा हाथी वास-स्थलों के हिस्सों में उगाई गई कृषि फसलों को हुई क्षति से लाखों रुपये की हानि हुई।

(ख) और (ग) फसलों को बचाने हेतु बाड़ लगाने तथा सुरक्षात्मक निर्माण करने हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता की राशि और केन्द्रीय सरकार द्वारा 1996-97 के दौरान रिलीज की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :

स्कीम	मद	मांगी गई राशि	रिलीज की गई राशि
हाथी परियोजना	बाड़ लगाने के लिए	35.58 लाख रुपये	14.20 लाख रुपये
	विद्युत तार बाड़	12.00 लाख रुपये	8.50 लाख रुपये
	कुल	47.57 लाख रुपये	22.70 लाख रुपये

[हिन्दी]

गन्ने के पौधों पर विशेष किस्म के फूलों का उगना

4864. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना के पौधों पर एक विशेष प्रकार के फूलों का उगना शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त फूल के उगने से चीनी की मात्रा में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां। अनुकूल जलवायीय स्थितियों के कारण 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गन्ने की कुछ किस्मों में असामान्य फूल खिलते देख गये हैं।

(ख) फूल लगने से इस की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है तथा इससे चीनी की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन, यदि फूल लगने से दो महीने के अन्दर ऐसे गन्ने की पिराई समाप्त हो जाये तो चीनी की अंश में कमी अधिक नहीं होती। अधिक फूल लगे हुए गन्ने की पिराई देर से करने से गन्ने में चीनी की प्रतिशतता कम हो जाती है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि चीनी फैक्टरियों को फूल वाले गन्ने को पिराई सही समय पर करने की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

हथियारों की तस्करी

4865. **श्री बी.के. गढ़वी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "ट्रैफिकिंग ऑफ आर्म्स आन द इंडो-पाकिस्तान बार्डर इन द रन ऑफ कच्छ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो घुसपैठ तथा हथियारों तथा नशीले पदार्थों की तस्करी हेतु संवेदनशील स्थलों के रूप में इनकी पहचान कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो सीमा पार से इस अवैध कार्य को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में हमले से सुरक्षा तथा असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) समाज–विरोधी तत्वों की अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) गुजरात सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की तैनाती को मजबूत कर दिया गया है;

(ii) गुजरात सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की गश्त को बढ़ा दिया गया है;

(iii) गश्त/नाका बढ़ा/तेज किए गए हैं तथा ऊंटों और ट्रैक्टरों पर सवार होकर गश्त लगाई जा रही है;

(iv) गुजरात सीमा पर खाई-तथा-बंद का निर्माण करने और कांटेदार बाड़ लगाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किए जा रहे हैं;

(v) निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है;

(vi) सीमा पर अधिक सतर्कता रखने के लिए दूरबीनें, धूप के चश्में, ट्विन–टैलिस्कोप, पी.एन.वी. दूरबीनें और हैण्ड-हैल्ड सर्च लाईटें उपलब्ध कराई गई हैं;

(vii) संकरी खाड़ी क्षेत्र को कवर करने के लिए दो मध्यम दर्जे के जहाज, पांच यत्र चालित नावें, और 14 स्पीड-बोट तैनात किए गए हैं। संकरी खाड़ी क्षेत्र में छह फलोटिंग बी. ओ.पी. स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव है;

(viii) संकरी खाड़ी/तटीय क्षेत्र में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए 10 और 11 मार्च, 1997 को कोटेश्वर में "जल रेखा' नामक एक अभ्यास किया गया था।

दिल्ली पुलिस

4866. **श्री एन.एन. कृष्णादास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 दिसम्बर 1996 के "स्टेट्समैन" में "बिलिगड पुलिस अनेबल टू चेक राइज़ इन क्राईम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उस अध्ययन का हवाला दिया गया है कि दिल्ली में 80 प्रतिशत पुलिस अधिकारी उनकी कठिन ड्यूटी तथा काम के भारी दवाब के कारण मानसिक मनौविकार का शिकार हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) किए गए अध्ययन के अनुसार, पुलिस कार्मिकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं बड़े पैमाने पर व्याप्त है। तथापि, अध्ययन में यह स्वीकार किया गया है कि अन्य पेशों अथवा नौकरियों में भी स्थिति ऐसी ही है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। यहां यह उल्लेख करने की भी आवश्यकता है कि यह अध्ययन, एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण और स्व-रिपोर्टों पर आधारित है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्

4867. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थापना के पश्चात् अब तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् द्वारा कार्य नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की समीक्षा की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की अब तक केवल एक बैठक 5 अक्तूबर, 1990 को हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन 24 अगस्त, 1990 को किया गया था और प्रधान मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालयों के मंत्री इस परिषद के सदस्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण के लिए एक समेकित दृष्टिकोण विकसित करना है क्योंकि इसका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है; ऐसा करते समय राजनैतिक सैन्य एवं आर्थिक क्षेत्रों में विकसित हो रही बाहरी स्थिति और हमारी घरेलू परिस्थिति के बीच के संबंध को ध्यान में रखा जाता है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था उनकी प्राप्ति के लिए इसे अधिक प्रभावी निकाय बनाने हेतु इसे पुनर्गठित किए जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव और सुझाव इस समय सरकार के ध्यान में हैं।

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना

4868. **श्री आर.० साम्बासिवा राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का देश की खाद्य उत्पादों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने कृषि उत्पादकता और लाभदेयता में सतत वृद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना को लगभग 800 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आरम्भ की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व-बैंक द्वारा प्रायोजना के पूर्व मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है। पूर्व मूल्यांकन मिशन ने कुल 249 मिलियन अमेरिकी डालर के अनुमानित व्यय की संभावना व्यक्त की है।

(ग) योजना के लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- अनुसंधान और विस्तार प्रबंध नीति में राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ करना, कृषि विकास की वर्तमान और उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए वरीयता निर्धारित करना, मानीटरिंग करना और मूल्यांकन करना।
- वांछित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यकलापों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मूलभूत ढांचा संबंधी और संस्थानगत् सुविधाओं को सुदृढ़ करना अथवा स्थापित करना।
- संपर्क प्रणाली को प्रोत्साहन देना जैसे (I) अनुसंधान, विस्तार और ग्राहक वर्ग के बीच (II) प्रौद्योगिकी और विकास परक विभागों, कार्यक्रमों, संस्थाओं (एन.जी.ओ. सहित) के बीच (III) प्रौद्योगिकी तैयार करने, मूल्यांकन सुधार और हस्तांतरण में सार्वजनिक (पब्लिक) और निजी क्षेत्रों को लाना (IV) अनुसंधान और विस्तार लागतों ओर जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए नए-नए तरीकों की पहचान करना।
- देश की क्षमता को बढाना जिससे कि वह विश्व संदर्भ में अन्य कृषि जीवाण्विक विज्ञानों में जैव-प्रौद्योगिकी और प्रगति से कारगर लाभ उठा सकें और प्रथम स्तर की अन्तर्राष्ट्रीय सूचना सुधार और प्रसारण प्रक्रिया और पद्धति का विकास हो सके।
- मानव स्रोतों का विकास खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्र क्षेत्रों, प्रबंध दक्षताओं और प्रौद्योगिकी मूल्यांकन के क्षेत्रों में और
- सिस्टम कान्सेप्ट का प्रयोग करते हुए वरीयता वाले क्षेत्रों में कार्यक्रम और मेट्रिक्स पहलुओं पर आधारित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का विकास करना और उसे शुरू करना जिससे कि एन.ए.आर.एस. की क्षमता में सुधार किया जा सके।

(घ) विश्व बैंक द्वारा एन.ए.टी.पी. का मूल्यांकन जुलाई, 1997 में होने की संभावना है और इसके बाद अन्त में प्रायोजना को नियमित आधार पर शुरू किया जाएगा। फिर भी, विश्व बैंक से एक बार जैसे ही सूचना प्राप्त होगी, जिसकी कि संभावना है, पूर्व प्रभावी वित्तीय सहायता के तहत जुलाई 1997 से पहले ही कुछ कार्यकलापों को शुरू कर दिया जाएगा।

सुरक्षा के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराया जाना

4869. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार के निकट सदस्यों को इस वर्ष बड़ी सुरक्षा प्रदान करने के लिए और अधिक धनराशि खर्च करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उनकी सुरक्षा पर कितनी अतिरिक्त राशि खर्च करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा पर वर्ष 1996-97 के दौरान एस.पी.जी. द्वारा 37.49 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। एस.पी.जी. द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान 45.59 करोड़ रुपये तक की अनुगानित राशि व्यय करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार एस.पी.जी. द्वारा खर्च की जाने वाली राशि में 8.10 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

इण्डोनेशिया को चीनी का निर्यात

4870. **श्री उत्तमसिंह पवार** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान इण्डोनेशिया को कितनी चीनी निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) भारतीय चीनी तथा सामान्य उद्योग आयात-निर्यात निगम द्वारा उस देश को अब तक कितनी मात्रा में वास्तवित निर्यात किया गया है; और

(ग) पूर्व में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान इंडोनेशिया को चीनी के निर्यात का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

तथापि वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान इंडोनेशिया को मैसर्स भारतीय चीनी एवं सामान्य उद्योग निर्यात-आयात निगम लि० द्वारा 1,56,774.0 मी० टन चीनी की मात्रा का निर्यात किया गया है।

यातायात पुलिस

4871. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "एअरोलर्जन्स एंड ह्यूमन हेल्थ–एअरोबायोलॉजिकल स्टडीज़" कार्यक्रम के अंतर्गत बंगलौर शहर में यातायात पुलिस पर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के परिणाम क्या रहे; और

(ग) यातायात पुलिस में कार्यरत कर्मियों को दमे के कारण उनके फेफड़ों के असामान्य ढंग से काम करने से बचाने हेतु क्या कदम उठाने का सुझाव दिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने देश के 26 केन्द्रों, जिनमें बंगलौर स्थित केन्द्र भी शामिल है, में वायु एलर्जन्स तथा मानव स्वास्थ्य पर एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना प्रायोजित की है। 5 दिसम्बर, 1996 तथा 25 जनवरी, 1997 के बीच बंगलौर में 1045 यातायात पुलिस कर्मियों पर एक सर्वेक्षण किया गया और 273 व्यक्तियों के मामले में उच्चतम निःश्वसन की गति दर कम पाई गई। इसके अलावा कारण-जनक स्रोतों का पता लगाने और सांस संबंधी समस्याओं/एलर्जी की रोकथाम के लिए सुझाव देने के वास्ते और अध्ययन किए जाने अपेक्षित हैं।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

4872. **श्री राम कृपाल यादव :**
डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को राज्य सरकारों तथा पंचायतों जो हस्तांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपने दिनांक 16.1.1997 की बैठक में अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को अंतर्राज्यीय प्रकृति की स्कीमों, चुने गए राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों जहां कारगर कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय निरीक्षण आवश्यक है; तथा बहुराज्यीय विदेशी वित्तपोषित परियोजनाएं जहां परिचालन के कारणों से केन्द्रीय समन्वय आवश्यक है, तक सीमित होना चाहिए। ऐसी स्कीमों को छोड़कर, अन्य सभी स्कीमों को समनुरूपी निधियां सहित राज्यों को

हस्तांतरित किया जाना चाहिए। स्कीमों का सही विवरण जिन्हें इस प्रकार से हस्तांतरित किया जा सकता है, का आंकलन केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य के परामर्श से किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में कोई व्यवधान न हो पाये।

वर्तमान समय में गोजना आयोग में प्रस्ताव के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है तथा इसे नौवीं योजना में समाविष्ट किया जाएगा।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के मारे गए कार्मिक

4873. **डा० राम लखन सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1992 से मार्च 1997 तक मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मियों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और मध्य प्रदेश के अन्य बलों के अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के भिंड और मोरेना जिलों के कर्मचारियों की मृत्यु को योजनाबद्ध ढंग से आत्महत्या बताया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त मौतों की जांच की गयी थी;

(ङ) क्या मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता से वंचित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) मार्च, 1992 से मार्च, 1997 के बीच की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश से संबंधित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.रि.पु.बल – 49, सी.स.ब.–84, भा.ति.पु. बल–3, के. ओ. सू. बल–29) के 165 कार्मिकों की मृत्यु हुई।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ) लागू नहीं होता है।

(ङ) और (च) मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी को, नियमों के अनुसार सभी वित्तीय सहायता दी गई है।

सदर दरवाजा

4874. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 7 मार्च 1997 को कट्टरपंथियों के एक समूह के नमाज अदा करने के नाम पर दिल्ली में सफदरजंग स्थित सदियों पुराने ऐतिहासिक स्मारक (मदरसा) का सदर दरवाजा तोड़ कर आतंक फैलाने की कोशिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार ने कितने कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐतिहासिक इमारतों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) 7 मार्च, 1997 को लोगों का एक समूह नमाज अदा करने के लिए सफदरजंग मकबरा परिसर की एक मस्जिद के पुराने लकड़ी के मूल दरवाजे को तोड़कर जबर्दस्ती उसमें घुस गया बताया जाता है। एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया तथा दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों का रख-रखाव एवं मरम्मत प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विनियमित होती है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का उत्पादन

4875. **श्री हरिन पाठक** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में उर्वरकों का उत्पादन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) गुजरात राज्य में स्थित प्रमुख उर्वरक एकक अपनी संतोषजनक उत्पादन क्षमता स्तर पर प्रचालन कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात में उर्वरक उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० इस समय कलोल स्थित अपने संयंत्र की क्षमता में 1.5 लाख मी० टन प्रतिवर्ष वृद्धि करने के लिए एक परियोजना तथा काण्डला स्थित अपने विद्यमान संयंत्र में 2.27 लाख मी० टन प्रतिवर्ष डीएपी तथा 3.70 लाख मी० टन प्रतिवर्ष एन पी के की वृद्धि करते हुए डी ए पी/एन पी के की अतिरिक्त ट्रेनों के लिए एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, 7.26 लाख मी० टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता के लिए हजीरा स्थित एक तीसरे स्ट्रीम अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना करने के लिए मैसर्स कृषक भारती कोआपरेटिव लि० का भी प्रस्ताव है।

आई० एस० आई० की गतिविधियां

4876. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केरल व आई०एस०आई० की गतिविधियों के संबंध में कोई शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आम का उत्पादन

4877. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 से 1996 के दौरान देश में वर्षवार तथा राज्यवार आम का अनुमानित उत्पादन कितना हुआ;

(ख) क्या किसानों को दिए गए मूल्य में तथा उपभोक्ता द्वारा अदा किये गये मूल्य में अत्यधिक अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा आम उत्पादकों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान हुए आम के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वैसे 1994-95 में हुए आम के उत्पादन के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) किसानों को दिये जाने वाले मूल्य और उपभोक्ताओं द्वारा अदा किये जाने वाले मूल्य के बीच अंतर के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। बहरहाल, भारत सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम चला रही है ताकि किसानों को अधिकाधिक लाभ मिल सके :

(1) बागवानी फसलों की फसलोपरांत बुनियादी सुविधाओं के प्रबन्ध हेतु समेकित परियोजना।

(2) उदार ऋण में भागीदारी के माध्यम से बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास करना।

(3) बागवानी फसलों के लिए मण्डी सूचना सेवा।

सरकार किसानों को मजबूरी में बिक्री करने से बचाने के लिए मन्डी में हस्तक्षेप करने की योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सस्कारों द्वारा नामित एजेन्सियों पूर्व निर्धारित मूल्यों पर सीमित मात्रा में खरीद की जाती है। यदि कुछ घाटा होता है तो उसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार 50:50 के आधार पर ग्रहन करती हैं।

विवरण

आम : उत्पादन मीटरी टन में

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95
1	2
आन्ध्र प्रदेश	3071232
अरुणाचल प्रदेश	249
असम	7174
बिहार	1793152
दिल्ली	108
गोवा	40000
गुजरात	390400
हरियाणा	21800
हिमाचल प्रदेश	1010
जम्मू व कश्मीर	10678
कर्नाटक	915268
केरल	266346
मध्य प्रदेश	161000
महाराष्ट्र	361829
मणिपुर	610
मेघालय	—
मिजोरम	1656
नागालैंड	315
उड़ीसा	352100
पंजाब	88445
राजस्थान	50779
सिक्किम	100
तमिलनाडु	570170
त्रिपुरा	37000
उत्तर प्रदेश (पहाड़ी)	80000
उत्तर प्रदेश (समतल)	2307201
पश्चिम बंगाल	454700
अंडमान व निकोबार	3610
चण्डीगढ़	—
दादर व नगर हवेली	—
दमन व दीव	322
लक्षद्वीप	—
पांडिचेरी	5160
कुल	10992314

[अनुवाद]

चीनी मिलों की स्थापना

4878. **डा० अरविन्द शर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में गन्ने का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) हरियाणा में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या हरियाणा में कार्यरत चीनी मिलों की संख्या राज्य में कुल गन्ना उत्पादन की मात्रा के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार हरियाणा के चीनी उत्पादन क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना हेतु और अधिक लाइसेंस जारी करने के मुद्दों पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) फसल वर्ष 1996-97 (जुलाई-जून) के दौरान हरियाणा में गन्ने का कुल उत्पादन 95.30 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 31.3.97 तक हरियाणा में 13 संस्थापित चीनी मिलें थी। इनमें से 3 निजी क्षेत्र में तथा 10 सहकारी क्षेत्र में हैं।

(ग) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की प्राप्ति का प्रतिशत 50.5% से 66.7% के बीच था। इसके अतिरिक्त लगभग 10 से 12% गन्ने का उपयोग बीज तथा चूसने के उद्देश्य से किया जाता है। गन्ने की अधिशेष उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए 3 तथा विद्यमान इकाइयों में विस्तार के लिए 7 आशय पत्र पहले ही जारी कर दिए हैं।

अलग राज्य के लिए आन्दोलन

4879. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** :
श्री आर. बी. राई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विभिन्न संगठन अलग राज्य के लिए आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश विधान मंडलों द्वारा नये राज्यों क्रमशः छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के सृजन के लिए पारित संकल्प प्राप्त हुए है। झारखड, पूर्वांचल, बोडोलैंड, गोरखालैंड, बुन्देलखंड और विदर्भ इत्यादि पृथक राज्यों के सृजन के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों से मांगें प्राप्त हुई हैं।

सरकार की नीति राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संघवाद के सिद्धान्तों को आगे बढ़ाने की है जिसके फलस्वरूप विकास के फायदे देश के अभी तक अविकसित उन क्षेत्रों में अधिक तेजी के साथ पहुंचने की आशा है जहां से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांगे उठ रही हैं।

मुख्य मंत्रियों की बैठक

4880. **श्री मोहन रावले** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के वन्यजीवों के तथा राष्ट्रीय पार्कों के संरक्षण में सहयोग प्राप्त करने के लिए मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंख्य मंत्रियों की यह बैठक आयोजित की गई है;

(ग) इस बैठक में हुए विचार-विमर्श के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में मुख्य मंत्रियों की बैठक कब तक बुलाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रधान मंत्री जी ने मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने राज्यों की वन्यजीव संरक्षण की स्थिति की पुनरीक्षा करें और उनसे पुनर्निवेशन प्राप्त करने के बाद बैठक बुलाई जायेगी।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

4881. **श्री विजय हाण्डिक** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकास और कल्याण परियोजनाओं को लागू करने में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका और सेवा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार की नीति और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये जनता और प्राधिकरणों के बीच सेतु का कार्य करने के लिए कोई वैकल्पिक एजेंसी बनायी गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, नहीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में यह बात निहित है कि आर्थिक विकास में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार स्व-सहायता समूह और जनसंस्थाओं को संगठित करने और उनको बढ़ावा देने में स्वैच्छिक क्षेत्रक के साथ सक्रिय भागेदारी प्राप्त करेगी।

(ख) सरकारी नीति एवं कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए लोगों और प्राधिकारियों के बीच सम्पर्क प्रदान करने वाली कोई

एक एजेंसी नहीं है। गैर-सरकारी संगठन विभिन्न क्षेत्रकों में कार्यरत है और अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों की गैर-सरकारी संगठनों के निधि पोषण के लिए अपनी एजेंसी/कार्यतंत्र हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और "कापार्ट" दो राष्ट्रीय स्तर की एजेसियां हैं जो गैर-सरकारी संगठनों की सहायता करती हैं। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी लोगों की भागेदारी प्राप्त की जाती है।

पुराने गेहूं के भंडार

4882. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पुराने गेहूं के भण्डार को अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश तथा राजस्थान जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों को भेजने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्पष्ट है कि भारतीय खाद्य निगम अनुमानित लक्ष्य के अनुसार गेहूं की खरीद करने में सफल नहीं रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय द्वारा महाराष्ट्र से 1.5 लाख टन गेहूं स्थानांतरित करने का निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है;

(घ) क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि आयातित गेहूं महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के गोदाम में रखे जायें;

(ङ) क्या आयातित गेहूं को रखने के लिए गोदामों में कमी से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(च) यदि हां, तो आयातित गेहूं तथा स्थानीय स्तर पर खरीदे गए गेहूं का भण्डार बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां। फसल वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान पंजाब और हरियाणा में मध्य प्रदेश के लिए वसूल किए गए 9.96 लाख टन गेहूं और राजस्थान के लिए वसूल किए गए 6.75 लाख टन गेहूं का संचलन इन राज्यों को वर्ष 1996-97 के दौरान करने की योजना थी क्योंकि गेहूं उत्पादक राज्य होने के बावजूद ये राज्य गेहूं की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर नहीं हैं। इस योजना के आधार पर मध्य प्रदेश और राजस्थान को क्रमशः 6.22 लाख टन गेहूं और 5.61 लाख टन गेहूं का संचलन किया गया था।

(ख) चालू रबी विपणन मौसम 1997-98 के दौरान अब तक (1.5.1997) भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्रमशः 20085 टन और 3626 टन गेहूं की वसूली की है। चालू रबी मौसम में राजस्थान में हुई वसूली पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि की तुलना में कम है।

(ग) मार्च, 1997 और अप्रैल, 1997 प्रत्येक माह के दौरान 60,000 टन स्वदेशी गेहूं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के संचलन के आदेश दिए गए थे।

(घ) जी, हां। चूंकि "डिस्चार्जिंग" पत्तन महाराष्ट्र और गुजरात सहित भारत के पश्चिम तट तथा भारत के पूर्वी तट पर स्थिति है इसलिए "डिसचार्ज गेहूं" के पोत इन राज्यों में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को भेजा जा रहा है। इसके सिवाय आयातित गेहूं का स्टाक महाराष्ट्र और गुजरात के गेहूं का उत्पादन न करने वाले क्षेत्रों को भी जारी किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास आयातित गेहूं और स्वदेशी गेहूं तथा चावल के भण्डारण के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता है।

(च) केन्द्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और निजी पार्टियों से अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराये पर लेने के लिए फील्ड कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं यदि अपेक्षित हो, ताकि जहां कहीं आवश्यक हो खाद्यान्नों के लिए स्थान मुहैया किया जा सके।

गेहूं का खरीद मूल्य

4883. **श्री विजय गोयल** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हापुड़ जैसे बड़े खुले बाजारों में गेहूं का मूल्य, सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान खरीद मूल्य और प्रति क्विंटल, होने वाला घाटा क्या है;

(ख) दोनों मूल्यों के बीच भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए चूंकि इसका खुला बाजार मूल्य अधिक है, किस प्रकार सरकार गेहूं की खरीद का लक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षा करती है;

(ग) क्या सरकार के खाद्यान्नों को जमा करने हेतु निजी व्यापारियों को बैंक ऋण स्थगित रखने जिससे उनकी जमा कर रखने की क्षमता पर काफी अंकुश लगेगा पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) प्रमुख गेहूं वसूली राज्यों की मंडियों में गेहूं के मूल्य 1.5.97 की स्थिति के अनुसार 475 रुपये से 850 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थे। वर्तमान रबी विपणन मौसम (1997-98) के दौरान गेहूं के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य 415/- रुपये प्रति क्विंटल है। इसके अलावा, सरकार ने 17.3.97 से 10.6.97 तक की अवधि के दौरान वसूली एजेंसियों को बेचे जाने वाले गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की है।

(ख) अधिकांश गेहूं वसूली राज्यों में गेहूं के मूल्य कम होकर सरकारी वसूली एजेंसियों द्वारा दिए जा रहे मूल्य के स्तर पर आ गए हैं जो केन्द्रीय बोनस सहित 475 रुपये प्रति क्विंटल है।

वर्तमान रबी विपणन मौसम 1997-98 में (2.5.97 की स्थिति के अनुसार) केन्द्रीय पूल के लिए 20.29 लाख टन गेहूं की वसूली कर ली गई है। आशा है कि आगामी सप्ताहों में मंडियों में आमद में वृद्धि होने से केन्द्रीय पूल के लिए वसूली में भी वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गेहूं को पुनः चुनिन्दा क्रेडिट नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत ऋण का स्तर और मार्जन मनी निम्नानुसार है :

न्यूनतम मार्जन			क्रेडिट सीमा का स्तर
स्टाक के प्रति			आधार वर्ष : 1995-96
मिलें/विधायन यूनिटें	अन्य	भांडागार रसीदों के प्रति	(नवम्बर-अक्तूबर) को समाप्त तीन वर्ष
45	60	45	100

आदिवासियों की विकास संबंधी योजनाएं

4884. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत योजनावधियों में आदिवासियों की विकास संबंधी योजनाओं के लिए बजटीय आबंटित राशि में की गई बढ़ोत्तरी और गिरावट की प्रतिशतता क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में आदिवासी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में आदिवासियों के संतुलित विकास के लिए सरकार द्वारा क्या नीति तैयार की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) पांचवी योजना के कुल आबंटन में से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए परिव्यय की प्रतिशतता 2.80% थी जिसे आठवीं योजना अवधि के दौरान बढ़ाकर 3.88% कर दिया गया।

(ख) आदिवासी विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के परिवारों की आय में वृद्धि करना तथा उन्हें शोषण से बचाना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आदिवासी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा सुधार सुविधाएं, स्वास्थ्य कवरेज, पोषण, पेय जल तथा अवसंरचना सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष 1992-97 के दौरान, सहायता प्राप्त आदिवासी परिवारों की संख्या से संबंधित विवरण संलग्न है।

यद्यपि अधिकांश आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार है, अधिकतर राज्यों द्वारा भूमि हस्तांतरण विनियम लागू किए गए हैं तथा गहन आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच में सुधार हुआ है फिर भी अभाव ग्रस्त तथा दयनीय गरीबी वाले पाकेट अभी भी है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास की गति पिछड़ रही है। अन्य समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सामान्य सुधार तथा असमानताएं अधिक बढ़ रही है।

(ग) सरकार ने देश में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आदिवासी उप-योजना नीति को तैयार किया है जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना से लागू है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आदिवासी उपयोजना तैयार करने की उपेक्षा की जाती है। उन्हें अपने योजना बजटों में स अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी उप योजना के लिए निधियों को निर्धारित करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार आय सृजक योजनाओं के कार्यान्वयन तथा अवसंरचना संबंधी विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है। केन्द्रीय मंत्रालयों से भी आदिवासी उप योजना के लिए आनुपातिक आबंटन की अपेक्षा की जाती है। यह देखने के प्रयास किए जा रहे हैं कि केन्द्रीय मंत्रालय तथा सभी राज्य आदिवासी जनसंख्या के अनुपात में आबंटन करें तथा इन निधियों का उपयोग आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार तथा अनुसूचित क्षेत्रों के अवसंरचना के विकास के लिए किया जाता है।

विवरण

आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11 (ख) के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति के परिवारों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आन्ध्र प्रदेश	635000	623928
2.	असम	214400	14360
3.	बिहार	636000	521005
4.	गुजरात	431500	447279
5.	हिमाचल प्रदेश	15170	19888
6.	जम्मू और कश्मीर	9190	5440
7.	कर्नाटक	49510	62595
8.	केरल	29510	20980
9.	मध्य प्रदेश	1235000	1275063
10.	महाराष्ट्र	561131	528269
11.	मणिपुर	23800	19413
12.	उड़ीसा	417200	436128
13.	राजस्थान	347000	329850
14.	सिक्किम	22546	25168
15.	तमिलनाडु	49525	42993
16.	त्रिपुरा	57000	49456
17.	उत्तर प्रदेश	21625	22097
18.	पश्चिम बंगाल	217400	131425
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3500	349
20.	दमन और दीव	3574	2984
	कुल	4978265	4711665

कृषि की पारंपरिक प्रणाली का विविधीकरण

4885. श्री परसराम भारद्वाज :
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि को पारंपरिक प्रणाली का विविधीकरण करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों का इस उद्देश्य के लिए चयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन राज्यों में कौन-कौन सी केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(घ) उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक प्राप्त किए गए परिणामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) कृषि के परम्परागत प्रतिमानों के विविधीकरण का व्यापक तात्पर्य आधुनिक आदानों के प्रयोग, बीजों की नई उच्च उत्पादक किस्मों का प्रयोग और गैर-आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से है ताकि कृषि के विकास में तेजी लायी जा सके। सरकार ने सभी राज्यों को आधुनिकीकरण के माध्यम से कृषि विकास में तेजी लाने के लिये सहायता देने के लिए कई केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी प्रमुख योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं जिसके अंतर्गत राज्यों को सहायता दी जाती है। इन योजनाओं से राज्यों को उत्पादकता स्तर को बनाये रखने तथा उसमें वृद्धि करने में मदद मिली है।

विवरण

प्रमुख योजनाओं की सूची जिनके अंतर्गत राज्यों को सहायता दी जा रही है

क्रम सं०	योजना का नाम
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम – चावल
2.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम – गेहूं
3.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम – मोटे अनाज
4.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास
5.	गहन कपास विकास कार्यक्रम
6.	विशेष जूट विकास कार्यक्रम
7.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
8.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
9.	आयलपाम विकास कार्यक्रम
10.	त्वरित मक्का कार्यक्रम
11.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
12.	उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित प्रयोग
13.	कम खपत वाले और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रयोग का विकास
14.	जैव-उर्वरकों के विकास और प्रयोग सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना
15.	समेकित बीज विकास योजना
16.	राष्ट्रीय किस्म विकास कार्यक्रम
17.	प्रमुख अभिज्ञात सब्जी फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन को सही दिशा देना
18.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता अनुदान देना
19.	कीटनाशी अधिनियम के कार्यान्वयन के तहत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिये राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रोत्साहन
20.	कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन
21.	कृषि विस्तार का सुदृढ़ीकरण
22.	देश में किसानों का दौरा
23.	कृषक वैज्ञानिक सम्पर्क
24.	कृषि में महिलाएं
25.	राज्य भू उपयोग बोर्ड
26.	राज्य मृदा सर्वेक्षण संगठन का सृदृढीकरण
27.	नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षण
28.	बाढ़ प्रबंध नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
29.	क्षारीय मृदा का सुधार
30.	झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना
31.	मधुमक्खी पालन का विकास
32.	औषधीय तथा सुगन्धित पौधों का विकास
33.	कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग
34.	वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास
35.	खुम्बी का विकास
36.	शुष्क, ऊष्णकटिबंधीय तथा समशीतोष्ण फलों का विकास
37.	समेकित काजू विकास कार्यक्रम
38.	कन्द तथा मूल फसलों का विकास
39.	पान की बेल का विकास
40.	सुपारी का विकास
41.	सब्जियों का विकास
42.	कोको का समेकित विकास
43.	मसालों का समेकित विकास
44.	छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाह सुविधा
45.	प्रशिक्षण एवं विस्तार
46.	अन्तर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी
47.	श्रिम्प तथा मत्स्य पालन के लिए केन्द्रीय परियोजना यूनिट
48.	खारापानी मत्स्यपालक विकास एजेन्सियां
49.	तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास
50.	समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम का कार्यान्वयन
51.	मत्स्य पालक विकास एजेन्सियां
52.	अन्तर्देशीय मात्स्यिकी विपणन
53.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण
54.	भूमि विकास बैंकों के डिबेन्चरों में निवेश
55.	गैर अतिदेय कवर योजना
56.	कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि

1	2
57.	अ.जा./ज.जा. के लिए विशेष योजना
58.	महिला सहकारी समितियों को सहायता
59.	कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता
60.	यथासमय रिपोर्टिंग योजना
61.	फसल सांख्यिकी का सुधार
62.	कृषि सांख्यिकी की रिपोर्टिंग के लिए एजेन्सी की स्थापना
63.	फल, सब्जी तथा छोटी फसलों संबंधी फसल अनुमान/नैदानिक अध्ययन
64.	पशुधन संगणना
65.	कृषि संगणना

दिल्ली प्रशासन में वेतन ढांचा

4886. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के श्रेणी-II के अफसरों के वेतन ढांचे में संशोधन काफी लंबे समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई अंतिम निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए इस नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे प्रस्तावों पर उस समय तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक पांचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त संगत प्रस्ताव पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

[हिन्दी]

प्रदूषण रहित जैव उर्वरक

4887. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वदेशी अनुसंधान द्वारा पूर्णतया प्रदूषण रहित उर्वरक विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों को इस संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करायी है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां किसानों को इसका लाभ मिल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या और कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी हां।

(ख) जैव उर्वरकों के प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रदर्शन संबंधी मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में किसानों के खेतों में किसान मेलों और प्रदर्शन के माध्यम से प्रशिक्षण तथा जागरूकता पैदा करना; इस कार्यक्रम ने किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विभिन्न पारिस्थितिक परिस्थितियों तथा फसलों के अनुरूप जैव उर्वरकों के नए प्रौद्योगिकी पैकेजों के विकास के लिए यह कार्यक्रम जारी है।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान कार्यक्रम

4888. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विकसित/विकासशील देशों के साथ मिलकर कृषि अनुसंधान कार्यक्रम को नई दिशा प्रदान करने की कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवीं योजना के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों में सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए तथा संबंधित कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय-वार उपलब्ध कराए गए परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान विश्वविद्यालयों के लिए स्वीकृत राशि तथा उनके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई राशि के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय विद्यार्थियों के लिए कुल कितनी विदेशी छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां। कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्रों में भारत ने इंगलैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, क्यूबा, ईरान, तुनिसिया, फ्रान्स, लाओस तथा जापान के साथ समझौता किया है।

(ख) चूंकि अभी नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जाना है इसलिए इस समय ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में कृषि शिक्षा को काफी महत्व दिया गया है।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कृषि शिक्षा के लिए 30.30 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। चूंकि वित्तीय वर्ष अभी शुरू हुआ है इसलिए निधियों के उपयोग के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में भारतीय छात्रों को विदेशी छात्रवृत्ति देने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

बांध का निर्माण

4889. **श्री शिवराज सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में नदियों पर बांध निर्माण के कितने मामले पर्यावरण तथा वन संबंधी मंजूरी हेतु सरकार के पास लंबित हैं तथा वे किस तारीख से लंबित हैं;

(ख) इन नदियों पर बांध बनाने के कार्य को मंजूरी देने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन्हें शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में नदियों पर बांध निर्माण के लिए पर्यावरण निकासी की कोई परियोजना लम्बित नहीं है। डोनमोशी टैंक परियोजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के प्रयोग से संबंधित एक प्रस्ताव 1 अप्रैल, 1997 को प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) हाल ही में प्राप्त हुए प्रस्ताव पर इस समय कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में भूख के कारण होने वाली मृत्यु

4890. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों में भूख से अनुमानित/कथित मौत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे मामलों को मानवाधिकार आयोग के पास भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले भेजे गये हैं तथा कितने मामलों की जांच की गयी है; और

(घ) जांच के निष्कर्ष क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) उड़ीसा सरकार से राज्य में भूख से कोई मौत होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से अनुरोध किया है कि इस राज्य में भूख से मृत्यु होने की रिपोर्टों की जांच करें। आयोग ने इस मामले में अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

खाद्यान्नों का उठाया जाना

4891. **श्री जी०ए० चरण रेड्डी**
श्री राम बहादुर सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों में हाल के महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न आवंटित मात्रा से बहुत कम उठाए गए;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा उठाए गए खाद्यान्नों की तुलना में आबंटन सहित उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने खाद्यान्नों की आबंटित मात्रा नहीं उठाई;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जनवरी-मार्च, 1997 के दौरान अधिकांश राज्यों में आवंटन की तुलना में उठान की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से अधिक रही। केवल कुछ राज्यों में गेहूं और चावल का उठान 50 प्रतिशत से कम रहा।

इन राज्यों के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य	आवंटन	उठान	प्रतिशतता
1	2	3	4
चावल			
बिहार	100.50	15.90	15.82
मध्य प्रदेश	195.00	83.90	43.03
पंजाब	4.50	0.40	8.89
दादर और नगर हवेली	1.50	0.10	6.67
दमन और दीव	1.80	0.50	27.78
गेहूं			
जम्मू और कश्मीर	90.00	36.00	40.00
सिक्किम	1.80	0.80	44.44
दादर और नगर हवेली	0.75	0.00	0.00

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल से आवंटन खुले आजार की उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं और केन्द्रीय पूल के स्टाक से किए जाते हैं जो देश में वसूल किए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा का केवल 15-20 प्रतिशत होते हैं। इस कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का उठान मुख्यतया किसी राज्य के खुले बाजार में इन जिन्तों की मौसमी उपलब्धता पर निर्भर करता है। गेहूं और चावल के वसूली मौसम के दौरान इन जिन्सों के उठान में सामान्यतया उन राज्यों में गिरावट आती है जहां इन जिन्सों का उत्पादन किया जाता है। कभी-कभी प्रचालन संबंधी कुछ समस्याओं के कारण किसी राज्य विशेष में स्टाक में कमी हो सकती है और जब कभी राज्य अथवा कहीं और से इस विषय की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो अपेक्षित स्थान पर स्टाक उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की मात्रा, जिसका उठान नहीं किया गया है, का उठान करने की अवधि की वैधता बढ़ाने के लिए भी जब कभी राज्य सरकार से कोई

अनुरोध प्राप्त होता है तो सामान्यतया इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय होटलों से प्रदूषण

4892. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय होटलों के कारण होने वाले प्रदूषण की गंभीरता का पता लगाने के लिए स्थापित किए जाने वाले प्राधिकरण के प्रस्ताव के लिए मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्राधिकरण स्थापित हो गया है तथा इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 सितम्बर, 1996 के आदेश के अनुपालन में 9 अक्तूबर, 1996 की गजट अधिसूचना द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण गठित किया है। प्राधिकरण का गठन निम्न प्रकार से है :

1. न्यायमूर्ति आर. के. शुक्ला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सवोनिवृत्त न्यायाधीश – अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली। – सदस्य
3. मुख्य क्षेत्रीय आयोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड – सदस्य
4. सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर्यावरण विभाग, दिल्ली – सदस्य
5. सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण विभाग, लखनऊ – सदस्य
6. सचिव, राजस्थान सरकार, पर्यावरण विभाग, जयपुर – सदस्य
7. सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, चंडीगढ़ – सदस्य
8. श्री पी.एम. अंसारी वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली – सदस्य सचिव

प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कार्यों का वहन करेगा :

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जिनका प्रयोग निर्देश जारी करने और कथित अधिनियम की धारा (3) उपधारा (2) के खण्ड (1), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10) तथा (12) में उल्लिखित मामलों के संबंध में उपाय करने के लिए किया जाएगा,

(2) अन्तर्राष्ट्रीय होटल परिसर के लिए प्रस्तावित दक्षिण दिल्ली में स्थित 315 हैक्टेयर के सारे क्षेत्र का पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से सर्वेक्षण और क्षेत्र का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करना,

(3) अन्तर्राष्ट्रीय होटल परिसर से संबंधित परियोजना अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा भविष्य में शुरू की जाने वाली किसी अन्य परियोजना से उठने वाले पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों का निपटान,

(4) उपर्युक्त (1) से (3) के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना,

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन,

(6) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित अन्य संगत पर्यावरणीय मुद्दों का निपटान जिनमें वे मुद्दे भी शामिल हैं जो उसे केन्द्र सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भेजे जाएं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार है जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम (1985 का 2) की धारा (2) के खण्ड (एफ) में वर्णित है।

प्राधिकरण को 2 माह में कम से कम एक बार अपने कार्यकलापों के बारे में प्रगति रिपोर्ट केन्द्र सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करनी है।

प्राधिकरण का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

(ग) और (घ) प्राधिकरण ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को अब तक दो द्वि-मासिक रिपोर्ट भेजी हैं। प्राधिकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय होटल परिसर का निरीक्षण कर उस निर्माण कार्य को रोक दिया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के 13 सितम्बर, 1996 के आदेश के उल्लंघन में किया जा रहा था। प्राधिकरण ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सहित परियोजना के ब्यौरे भेजने के लिए कहा है।

प्राधिकरण ने गैर-सरकारी संगठनों और क्षेत्र के प्रभावित व्यक्तियों को, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भेजे गए परियोजना प्रस्ताव पर अपने-अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है ताकि परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

[अनुवाद]

के. रि. पु. बल का चांदमारी क्षेत्र

4893. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बेंगलौर के निकट बानेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान के समीप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल चांदमारी क्षेत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उद्यान के वन्य जीवों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) क्या सरकार उक्त चांदमारी क्षेत्र को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्। बंगलौर के नजदीक उत्तराहल्ली में तारालू गांव में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का चांदमारी क्षेत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है और यह अगस्त 1995 से कार्य कर रहा है।

(ख) चूंकि चांदमारी क्षेत्र का स्थान टीलों और ढ़लानों से घिरा हुआ है और बानेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 6 कि.मी. की दूरी पर अतः वह इस उद्यान में रहने वाले वन्य जीवों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

जलाशय का विकास

4894. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य विभाग द्वारा जलाशय के विकास हेतु केन्द्र सरकार को कोई योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 130.36 लाख रुपये की लागत पर सात जलाशयों के विकास के लिये नवम्बर, 1996 में एक प्रस्ताव भेजा है। वैसे, इस समय जलाशय विकास के लिये कोई क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। जलाशय मात्स्यिकी के विकास हेतु पहले वाली योजना 1992-93 में राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई थी।

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादन

4895. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 ईस्वी तक दुग्ध उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) देश में वर्तमान समय में कितनी मात्रा में पशु आहार उत्पादित की जाती है; और

(ग) 2000 ईस्वी तक कितनी पशु आहार की आवश्यकता होगी तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) वर्ष 2000 के लिए दुग्ध उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं तथा मौजूदा विकास पद के अनुसार 2000-2001 के अंत तक दुध उत्पादन के लगभग 82.5 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय की एकीकृत चरागाह नीति संबंधी नीति सलाहकार दल द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार पशुधन और कुक्कुट के लिए सांद्रण/आहार की उपलब्धता 41.98 मिलियन टन से ऊपर है और सनु 2000 में इसकी आवश्यकता 88.05 मिलियन टन होगी।

गोपशु आहार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे– अनाज और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने को प्रोत्साहित करना, सीरा का आबंटन/आरक्षण, आहार अवयवों पर उत्पाद शुल्क में कमी आदि।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के समर्थन मूल्यों को लेकर किसानों का आंदोलन

4896. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य के विरुद्ध देश के कई कृषक संगठनों ने आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से कृषक संगठन हैं;

(ग) किसानों की मांगें क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) भारतीय किसान यूनियन और कुछ अन्य किसान संगठनों ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 550/- रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग के लिए आन्दोलन शुरू किया है। केन्द्रीय कृषि और खाद्य मंत्री ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों से 26.4.1997 को चंडीगढ़ में मुलाकात की थी। चर्चा के दौरान सरकार द्वारा पहले से घोषित 60/- रुपये प्रति क्विंटल के बोनस में आगे किसी वृद्धि से इन्कार किया गया था। भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के उद्यम

4897. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के बारे में स्पष्ट नीति तैयार करने में बहुत बड़ी पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को केवल रोजगार परियोजना के लिए बढ़ाई गई गैर-योजना सहायता का उद्यम-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में विशेषज्ञ दल की सिफारशें और 1997-98 के लिए कार्रवाई हेतु अंतिम रूप से दी गई कार्यसूची और तत्संबंधी बाधाएं क्या हैं; और

(ङ) क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण आदि तथा एक वर्ष से अधिक समय से स्वीकृति के लिए लम्बित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकारी नीतियों के विस्तृत ब्यौर सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में दिए गए हैं। सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसरण में अगस्त, 1996 में प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक सरकारी क्षेत्रक के विनिवेश आयोग का गठन किया गया था।

(ग) केवल रोजगार संरक्षण के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु गैर योजना सहायता का विस्तार नहीं किया गया है।

(घ) योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंध पर एक कार्य दल का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट पर नौवीं योजना में विचार किया जाएगा।

(ङ) किसी भी केन्द्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण आदि के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए पिछले एक वर्ष से योजना आयोग के पास लम्बित नहीं पड़ा है।

अनुसंधान संस्थानों का कार्य-निष्पादन

4898. श्री राजाभाऊ ठाकरे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों पर अनुसंधान करने वाले राष्ट्रीय संस्थानों में से सर्वोत्तम अनुसंधान करने वाले संस्थानों का फसल-वार और संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए किसी विशेष समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व में अनुसंधान के क्षेत्र में हो रहे विकास के परिप्रेक्ष्य में विविधता लाने और उच्च शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए 1996-97 के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं और 1997-98 के दौरान क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों पर उत्कृष्ट अनुसंधान किया गया जिनमें देशी व बाहरी जनन द्रव्य का एकत्रीकरण, संरक्षण तथा विकास, सुधरी हुई किस्मों/संकरों के साथ जैविक/अजैविक दवाओं के प्रतिरोधी/सहिष्णु तथा सामान्य रूप से निर्यात के लिए गुण युक्त फसलों का विकास शामिल है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा फसल सुधार का विकास (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान) नाशी जीवों से प्रभावित विभिन्न फसलों के लिए क्षेत्र विशेष क लिए समेकित नाशी जीव प्रबंधन मॉड्लयों का विकास (राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन केन्द्र, भा. कृ. अ.स., केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान) तथा वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का विकास (जैसे आलू की फसल के सुधार के लिए शुद्ध आलू के बीज का इस्तेमाल) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान), जैव नाशी जीव नाशक (भा. कृ.अ. संस्थान-केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान) किस्मगत फसलों के किस्मगत विकास के मोर्चे पर प्राप्त की गई कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं : बासमती चावल की सुधरी किस्में (भा.कृ.अ. सं.), संकर चावल (चावल अनुसंधान निदेशालय) आज चावल की खेती लगभग 50,000 हैक्टर क्षेत्र में की जा रही हैं। गेहूं की रतुए के प्रति संवेदी किस्मों जैसे 2329 और 2385 के स्थान पर उत्तर-परिचमी मैदानी भागों में यू.पी. 2338 तथा सोनालिका के स्थान पर सोनाली किस्में उगायी जा रही हैं (भा.कृ.अ.सं., गेहूं अनुसंधान निदेशालय)। इसी तरह पंजाब और तमिलनाडु के लिए अल्प अवधि वाली अरहर की संकर किस्म, अल्प अवधि वाली सोयाबीन की उन्नत किस्म पिछले पांच वर्षों से भी कम समय में पहले से लगभग दुगने क्षेत्र में उगाई गई; सूरजमुखी, अरंडी और गोभी, सरसों के उन्नत संकर, उड़द और मूंग की अल्प अवधि वाली, चूर्णी फफूंदी और पीली चित्ति विषाणु की प्रतिरोधी किस्मों आदि का विकास किया गया। अनेक संस्थानों द्वारा प्रजनक बीज के उत्पादन से उन्नत किस्मों की खेती में व्यापक विस्तार हुआ।

(ख) और (ग) विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान की प्रगति का लेखा-जोखा लेने के लिए सामान्य रूप से पंच वार्षिक समीक्षा दल बनाए गए हैं, जो प्रत्येक पांच साल की अवधि में नियमित कार्य के रूप में उनकी प्रगति की जांच करते हैं।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में, फसलों पर कार्य किया जाता है, उच्च शिक्षा की भी सुविधा है। पुस्तकालय का आधुनिकीकरण, कृषि सूचना प्रणाली का विकास और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशिष्टता वाले केन्द्रों तथा स्कूल ऑफ थॉट की स्थापना व उन्हें सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है या उन पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजसहायता की अदायगी में अनियमितताएं

4899. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कृषि क्षेत्र में किसानों को दी जा रही राजसहायता में अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में किसानों के लिये राजसहायता के प्रावधान में कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई हैं।

किसानों के लिए जैव प्रौद्योगिकी

4900. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की जैव प्रौद्यागिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियंत्रणाधीन हैं और यह किसानों के हित में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का लाभ किसानों को पहुंचे?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) बायोटेक्नोलॉजी विभाग किसानों के लाभ के लिए कई कार्यक्रमों को चला रहा है। ये हैं; जैव उर्वरक, जैव नियंत्रण कर्मक, रेशम कीटपालन, जलकृषि, औषधीय तथा सुगंधित पादप, भ्रूण अन्तरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग आदि। लक्ष्यगत दलों के वास्ते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष जैव प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। प्रशिक्षण, रोजगार उत्पन्न करने वाली गतिविधियां, जागरूकता तथा शिक्षा, कृषक खेतों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन तथा स्वास्थ्य देख-रेख इन सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य जैव प्रौद्योगिकी के लाभों को किसानों के लिए सुनिश्चित करना है।

[अनुवाद]

भूमि उर्वरता

4901. **श्री बी.एल. शंकर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन तथा उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता में कमी आती है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों में भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए रसायन तथा उर्वरकों के उपयोग में कमी लाई गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है या किये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा में पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा कर सकता है। भारत में प्रति हे० लगभग 75 किलोग्राम उर्वरक पोषक तत्व के उपयोग को अत्यधिक उपयोग नहीं कहा जा सकता। रासायनिक कृमिनाशकों के मामले में भी भूमि की उर्वरता कम करने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में विश्व में उर्वरक की खपत में कमी आई है। अद्योगामी प्रवृत्ति के लिए लागत की वृद्धि और पर्यावरणीय विचार महत्वपूर्ण कारण हैं। रासायनिक कृमिनाशियों के संबंध में भी खपत में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए इस संबंध में कोई अध्ययन शुरू नहीं किया गया है।

यमुना जल की सुरक्षा

4902. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित वाशिंगटन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में यमुना का जल इतना अधिक प्रदूषित हो चुका है कि प्रति 100 मिलिलीटर जल में 25 मिलियन आर्गेनिज्म केलीफोर्म पाए गए हैं और इसी यमुना के जल में नई दिल्ली में प्रतिदिन 200 मिलियन लीटर अशोधित सीवर का पानी भी मिल जाता है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए यमुना के स्वच्छ जल के लिए सरकार का अपना स्वयं का क्या आकलन है; और

(ग) राजधानी के लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) जी हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई जांच के अनुसार दिल्ली सीमा के साथ यमुना नदी जल में औसतन कॉलिफार्म काउंट 3.5 लाख प्रति 100 मिलिलीटर के आसपास है। यह दिल्ली के अनुपचारित/आंशिकरूप से उपचारित सीवेज के निस्तारण के कारण है।

(ख) यमुना नदी का जल केवल तभी पीने योग्य होगा यदि दिल्ली में उत्पन्न होने वाले सीवेज को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक स्तर तक पूरी तरह उपचारित किया जाए और नदी में प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए न्यूनतम प्रवाह बनाए रखा गया है।

(ग) दिल्ली के लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वजीराबाद बैराज, जोकि प्रदूषित नहीं है, के अधोप्रवाह से यमुना नदी के अपरिष्कृत जल को उपचार के लिए लिया जाता है। दिल्ली के लोगों को दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल निपटान उपक्रम द्वारा सप्लाई किया जाने वाला जल पीने योग्य, सुरक्षित और शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैन्डर्ड और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4903. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात को सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई तथा मंजूर की गई तथा इसके उपयोग/वापस किये जाने का क्या ब्यौरा है;

(ख) जलापूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य, विद्युत तथा कुल साक्षरता जैसी मूलभूल सुविधाएं, प्रदान करने के लिए कितना प्रतिशत खर्च किया गया;

(ग) क्या खर्च की गई राशि मार्ग निर्देशों/प्राथमिकताओं तथा स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप थी;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण थे; और

(ङ) क्या सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए कोई एजेंसी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान आवंटित/रिलीज की गई निधियां तथा राजस्थान सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई राशि इस प्रकार है:

वर्ष	आवंटित/रिलीज की गई राशि	खर्च (31.12.96 तक) (रुपये लाखों में)
1993-94	626.13	601.03
1994-95	793.33	704.40
1995-96	858.00	705.26

1996-97 के दौरान 858.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया था।

(ख) योजना आयोग इस कार्यक्रम की सेक्टर-वार प्रगति का प्रबोधन नहीं करता है।

(ग) और (घ) ये योजनाएं योजना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य में गठित स्क्रीनिग कमेटी के अनुमोदन से तथा इसके द्वारा तय की गई प्राथमिकता के अनुसार लागू की जाती हैं।

(ङ) संबधित राज्य सरकार इस कार्यक्रम के कार्य की प्रगति का प्रबोधन करती है। योजना आयोग भी समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करता है। इस कार्यक्रम की समीक्षा शक्ति प्राप्त समिति द्वारा भी की जाती है।

[हिन्दी]

पर्यावरण प्रबंधन योजना

4904. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के प्रमुख नगरों के शहरी क्षेत्रों के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की है तथा इस उद्देश्य हेतु प्रथम नगर के रूप में कानपुर का चुनाव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कानपुर में इस योजना के अन्तर्गत प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने हेतु अध्ययन कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के प्रमुख शहरी क्षेत्रों के लिए "पर्यावरणीय प्रबंध योजनाएं" तैयार करने के वास्ते एक परियोजना शुरू की है। वर्ष 1996-97 के दौरान कानपुर और हल्दिया में प्रायोगिक अध्ययन शुरू किये गए हैं। कानपुर क्षेत्र की पर्यावरणीय प्रबंध योजना तैयार की जा रही है। प्रस्तावित अध्ययन में कानपुर में पर्यावरण की स्थिति और प्रदूषण के स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा, साथ ही वायु, जल और भूमि प्रदूषण की दृष्टि से "हॉट स्पाट्स" का भी पता लगाया जाएगा। चूंकि अभी अध्ययन चल रहा है अतः मूल्यांकन के नतीजे अध्ययन के पूरे होने पर ही सामने आयेंगे।

[अनुवाद]

चीनी निर्यात के असरणीकरण का प्रभाव

4905. **श्री सुंदर लाल पटवा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार ने चीनी निर्यात का असरणीकरण किया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा विलंब से किये गये चीनी निर्यात के कारण राष्ट्रीय कोषागार को 42 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के नुकसान की पुनरावृत्ति न हो, क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां। चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) अध्यादेश 15.1.1997 को प्रख्यापित किया गया था जिसके द्वारा चीनी के निर्यात का असरणीकरण किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अनुकूल नहीं है इसलिए ऐसी हानि होने की संभावना नहीं है।

क्षतिग्रस्त पूजा स्थलों के लिए सहायता

4906. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षतिग्रस्त/ध्वस्त पूजा स्थलों की मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) 6.12.1992 को अयोध्या घटना के कारण हुए दंगों में क्षतिग्रस्त उपासना स्थलों की मरम्मत करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1.00 करोड़ रु० की राशि से साम्प्रदायिक सद्भाव निधि नामक एक निधि बनाई गयी थी। इस निधि को प्रशासित करने का कार्य राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान को सौंपा गया है। इस निधि से दी जाने वाली सहायता कुल लागत के 75 प्रतिशत तक सीमित है। कर्नाटक राज्य सरकार को इस निधि से 20.53 लाख रु० की प्रतिपूर्ति की गयी है। कुछ अन्य राज्यों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनका निपटान उनसे आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर किया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर में अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती

4907. **श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1997 के ट्रिब्यून में "सेंटर रिपीटिंग 1989 ब्लंडर इन जे एंड के" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य में और अधिक अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनात करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी मदद करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं। तैनाती का स्तर संपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करता है। तदनुसार, इन बलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जम्मू व कश्मीर सरकार को केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार

4908. **श्री दिलीप संघानी** : क्या **गृह मंत्री** 17 दिसम्बर 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3534 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के ऐसे उप निरीक्षकों, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है, को 10.1.97 को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था;

(ख) किन व्यक्तियों ने इन दोषी पुलिस अधिकारियों के नामों की अनुशंसा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए की है इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन पुलिस अधिकारियों को जाली मुठभेड़, झूठी कहानियां और षडयंत्र करने के आधार पर बिना बारी के पदोन्नति भी दी गई है;

(घ) क्या इस प्रकार दिए गए मेडलों को वापस ले लिया गया है और बिना वारी के पदोन्नति को समाप्त कर दिया गया है;

(ङ) दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च) जनवरी, 1993 में एक कुख्यात अपराधी के साथ मुठभेड के दौरान अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस के एक निरीक्षक को 10 जनवरी, 1997 को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया था। उस निरीक्षक के खिलाफ उस समय कोई विभागीय जांच-पड़ताल लंबित नहीं थी जिस समय संगत प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया था। इसलिए उसके मामले की सिफारिश करके दिल्ली पुलिस द्वारा कोई गलती नहीं की गई। उसके खिलाफ काफी देर बाद शुरू की गई विभागीय जांच भी साक्ष्य के अभाव में बंद की जा चुकी है। जबकि उसे प्रदान किया गया पदक वापस नहीं लिया गया है, फिर भी जिस अनुकरणीय साहस के लिए उसे पदक प्रदान गया था, उस कार्य के लिए उसे पारी से पहले कोई पदोन्नति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

खराब पड़े माल का बदला जाना

4909. **श्री आई.डी. स्वामी :**
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** सदर बाजार में खराब पड़े माल के बारे में 25 फरवरी, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के कर्मचारियों को खराब हो गए माल की लागत की पूर्ति हेतु कुछ धनराशि दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परिस्थितियों में आपूर्तिकर्ताओं से माल को बदले जाने का क्या कारण है;

(घ) क्या निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में खराब हुए मालों के लिए कर्मचारियों से भारी मात्रा में धनराशि की वसूली लम्बित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) कर्मचारियों के पास इस प्रकार बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कर्मचारियों को क्षतिग्रस्त स्टाक की लागत को पूरा करने के लिए कोई राशि नहीं दी जाती है।

(ग) क्षतिग्रस्त स्टाक को, संबंधित सप्लायरों द्वारा सप्लाई के करार की शर्तों के अनुसार बदल दिया जाता है।

(घ) क्षतिग्रस्त स्टाक के लिए कर्मचारियों से कोई वसूली लम्बित नहीं है।

(ङ) और (च) ऊपर (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कर्नाटक द्वारा खाद्यान्नों की मांग

4910. **श्री ए. सिद्ध राजू** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिये खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा जारी कर दी है अथवा जारी करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दलहन का आयात

4911. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में दलहन का आयात किया गया और इस आयात के बदले में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1997-98 के दौरान दलहन का आयात करने पर विचार कर ही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और दलहन का आयात कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) पिछले दो वर्षों में आयातित दालों की मात्रा तथा आयात का मूल्य इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1995-96	4.49	630.70
1996-97 (अप्रैल-फरवरी)	4.48	644.58

(ख और (ग) सरकार की ओर से दालों के आयात का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) देश को दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये तथा आयात कम करने के लिये दलहन उत्पादन में वृद्धि करने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। उन्नत दलहन उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण के लिये इस योजना के जरिए खेतों में प्रदर्शन तथा किसानों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों को उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें प्रमाणित बीजों, गौण पोषक तत्वों, राइजोवियम कल्चर, उन्नत कृषि उपकरणों, छिड़काव सेटों आदि के उपयोग पर प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

वन संपदा का संरक्षण

4912. **श्री आर. साम्बसिवा राव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में वन सम्पदा के संरक्षण को प्रभावित करने वाले मुद्दों के गहन विश्लेषण हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति से अन्य किन-किन प्रमुख मुद्दों के बारे में बताने के लिए कहा गया है;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति से वन क्षेत्र से संबंधित चल रही योजनाओं की प्रभावोत्पादकता का पता लगाने हेतु इन योजनाओं की समीक्षा करने तथा इनमें सुधार लाने हेतु परामर्श देने के लिए भी कहा गया है, और

(घ) यदि हां, तो समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) केन्द्र और राज्य सरकार ने वन सम्पदा के संरक्षण को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर किसी विशेषज्ञ समिति का विशेष रूप से गठन नहीं किया है तथापि, राज्य सरकार ने 1995 की याचिका संख्या 202 के तहत उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.96 के निर्देशों के अनुसार दो विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं।

(ख) और (ग) मुख्य मुद्दे जिन पर समितियों को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, इस प्रकार हैं:

1. "वन" क्षेत्रों का अभिनिर्धारित करना इस बात का ध्यान दिये बिना कि वे किसी कानून के तहत अधिसूचित, मान्यता प्राप्त या वर्गीकृत है और इस बात का ध्यान दिए बिना कि वे ऐसे वनों की भूमि, की मालिकाने का।
2. क्षेत्रों को अभिनिर्धारित करना जोकि पहले वन थे लेकिन अब अवक्रमित हो गए हैं, निरावृत हो गए हैं या साफ कर दिए गए हैं।
3. सरकार से संबंधित और उन निजी व्यक्तियों से संबंधित वृक्षारोपण द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों को अभिनिर्धारित करना।
4. आरा मिलों और इमारती लकड़ी पर आधारित उद्योगों के रूप में राज्यों के वनों की सतत क्षमता।
5. वर्तमान आरा मिलों की संख्या जिनको राज्य में सुरक्षित रखा जा सकता है।

6. वनों से उन राज्यों की उचित दूरी जहां पर कि आरा मिलों को स्थापित करना चाहिए।

(घ) समिति ने अपनी रिपार्ट न्यायालय को पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

उत्तराखण्ड क्षेत्र का विकास

4913. **श्री सोहन वीर : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तराखण्ड क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के संबंध में कुछ योजनाएं अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की सम्भावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, नही.

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बाल सुधार केन्द्र

4914. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
कुमारी उमा भारती :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही मे दिल्ली में दिल्ली गेट के निकट स्थित बाल सुधार केन्द्र से बच्चे एक बार फिर चारदीवारी तोड कर भाग गए हैं;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गयी है; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) दिल्ली में दिल्ली गेट के समीप स्थित बाल निरीक्षण गृह से 20.4.97 को 5 लड़के भाग गए थे। अब इनमें से एक का पता लगा लिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। की गई जांच पड़ताल से पता चलता है कि चूक प्रथम दृष्टया उस गृह पर तैनात निजी सुरक्षा गार्डों की लापरवाही के कारण हुई।

शीतगृह

4915. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल वेअर हाउसिंग कारपोरेशन का विचार सर्वेक्षण करने, शीतगृह बनाने तथा कर्नाटक में दूसरी विस्तार परियोजनाएं आरंभ करन का है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के किन-किन स्थानों पर शीतगृह बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सेंट्रल वेअर हाउसिंग कारपोरेशन ने प्रस्तावित स्थानों पर रियायती दरों पर भूमि आवंटित किये जाने हेतु आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। निगम का कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

(1) चिन्तामणि

(2) डोडाबालापुर

(3) मुलबगाल

(4) श्रीनिवासपुरा

(5) कोलार

(ग) जी, हां। निगम ने कर्नाटक राज्य सरकार से किसानों के लिए यथा-लागू रियायता टैरिफ पर आश्वारित बिजली सप्लाई करने के अलावा इन स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने के लिए रियायती दरों/निःशुल्क भूमि का आवंटन करने के लिए अनुरोध किया है।

(घ) राज्य सरकार सहमत नहीं हुई है। यह मामला केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा उनके साथ पुनः उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

4916. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के खुर्जा में जहांगीरपुर तथा दादरी में एक चीनी मिल स्थापित करने के संबंध में पूर्व में एक निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त चीनी मिल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा इन्हें पूरा करने में देरी के कारण क्या हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जहांगीरपुर, जेवर, जि० बुलंदशहर (उ०प्र०) में 2500 टी.सी.डी. क्षमता की नई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मैसर्स उ०प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री संघ लि०,

लखनऊ को एक आशय पत्र सं० एल.आई. 764 (1989) दिनांक 16.10.1989 जारी कर दिया गया है तथा दादरी, खुर्जा (उ०प्र०) में नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया।

(ग) जेवर में मिल स्थापित करने का कार्य आरम्भ किया गया था लेकिन बाद में वित्तीय संकट के कारण, यह मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मिल सोसाइटी का परिसमापन तथा इसके साधनों के निपटान का कार्य प्रगति पर है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का उत्पादन

4917. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री बी. प्रदीप देव:
जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रत्येक राज्य में वर्षवार तथा फसलवार खाद्यानों के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में वर्षवार और फसलवार वास्तव में कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान कुछ राज्यों में अनेक फसलों के उत्पादन में काफी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी के फसलवार और राज्यवार कारण क्या हैं;

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान और वर्ष 2002 के अंत तक देश में खाद्यान्नों की कितनी अनुमानित मांग/आवश्यकता होगी; और

(च) खाद्यान्नों की आवश्यकता/मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) 8 वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात, 1992-93 से 1996-97 तक की अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्यवर फसलवार (वर्षवार) ब्यौरा संलग्न विवरण I से V विभिन्न राज्यों तथा समूचे देश में लक्ष्य की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन कम होने के मुख्य कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थान तथा समय के संबंध में वर्षा तथा मौसम की स्थिति में गड़बड़ी, वृद्धि की धीमी दर, उर्वरकों का असंतुलित उपयोग तथा खाद्यान्नों के क्षेत्र में कमी हैं। इसके अलावा, कम आदानों का उपयोग करते हुए तथा अपर्याप्त प्रबंध पद्धतियों के द्वारा कम उत्पादक सीमान्त भूमि में मोटे अनाज तथा दालें वर्षा सिंचित दशाओं में उगाई जाती हैं जिससे उत्पादकता प्रभावित होती हैं।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण के लिये कृषि सांख्यिकी में सुधार तथा कृषि जिन्सों की मांग तथा आपूर्ति संबंधी कार्यकारी दल के अनुसार वर्ष 1997-98 तथा 2001-2002 के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन की आवश्यकता का आकलन क्रमश : 191.32 तथा 216.50 मिलियन मी० टन किया गया है जिसके लिये सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत समग्र वृद्धि दर के लक्ष्य सहित व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है।

(च) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये, ताकि उचित मूल्यों पर उनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार लाया ला सके, सरकार निम्नलिखित फसल विशिष्ट कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है:

(1) चावल-आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।

(2) गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।

(3) मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।

(4) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम तथा

(5) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना।

उपर्युक्त कार्यक्रम नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखे जाने के लिए प्रस्तावित हैं।

विवरण-I

1992-93 के लिए राज्यवार फसलवार उत्पादन लक्ष्य (लाख मी. टन में)

राज्य	चावल		गेहूं		मोटे अनाज		दालें		कुल खाद्यान्न	
	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.
आन्ध्र प्रदेश	108.00	87.92	–	0.08	22.00	21.19	7.30	7.39	137.30	116.58
असम	31.00	33.00	1.20	0.79	0.20	0.18	0.50	0.51	32.90	34.47
बिहार	66.00	36.41	39.00	34.50	14.50	12.98	9.00	6.93	128.50	90.82
गुजरात	9.00	8.30	16.50	13.60	25.10	25.72	5.90	6.48	56.50	54.10
हरियाणा	19.00	18.69	65.00	70.83	8.10	9.69	6.50	3.30	98.60	102.51
हिमाचल प्रदेश	1.30	1.10	5.40	5.94	6.30	6.87	0.20	0.12	13.20	14.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जम्मू व कश्मीर	6.50	5.09	3.00	3.47	5.60	5.10	0.30	0.18	15.40	13.84
कर्नाटक	26.00	30.69	1.00	1.58	40.10	47.09	5.80	5.63	72.90	84.99
केरल	11.00	10.85	–	–	–	0.06	0.20	0.20	11.20	11.10
मध्य प्रदेश	58.80	52.83	56.00	52.43	37.70	34.66	29.00	28.98	181.50	168.90
महाराष्ट्र	27.00	23.64	9.00	7.98	76.30	90.54	17.90	18.29	130.20	140.45
उड़ीसा	63.00	53.88	0.80	0.80	5.40	1.52	11.20	3.63	80.40	59.09
पंजाब	64.00	70.02	120.00	123.69	6.00	5.61	1.50	0.75	191.50	200.07
राजस्थान	1.50	1.75	41.40	51.48	35.20	46.99	16.20	14.58	94.30	114.79
तमिलनाडु	61.00	63.06	–	–	15.50	12.10	4.10	3.43	80.60	83.58
उत्तर प्रदेश	100.00	97.09	203.50	198.34	40.70	41.67	26.70	25.27	370.90	362.38
पश्चिम बंगाल	103.00	114.45	6.60	5.87	1.60	1.58	2.20	1.99	113.40	123.89
अन्य	16.40	14.91	1.60	1.44	2,20	2.36	0.50	0.50	20.70	19.24
अखिल भारत	772.50	728.68	570.00	572.10	342.50	365.91	145.00	128.15	1830.00	1794.83

ल. = लक्ष्य उ. = उपलब्धि

विवरण-II

1993-94 के लिए राज्यवार फसलवार उत्पादन लक्ष्य (लाख मी. टन में)

राज्य	चावल		गेहूं		मोटे अनाज		दालें		कुल खाद्यान्न	
	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.
आन्ध्र प्रदेश	108.00	95.62	0.01	0.06	21.50	20.09	7.50	6.77	137.01	122.54
असम	32.00	33.61	1.25	1.01	0.20	0.16	0.80	0.57	34.25	35.35
बिहार	66.00	61.09	42.50	43.57	15.40	15.75	9.00	7.36	132.90	127.76
गुजरात	9.00	8.39	17.00	9.28	24.85	14.73	7.00	5.38	57.85	37.78
हरियाणा	19.00	20.57	65.00	72.31	8.45	4.97	7.00	4.70	99.45	102.55
हिमाचल प्रदेश	1.30	1.02	5.50	4.13	7.04	7.06	0.20	0.09	14.04	12.29
जम्मू व कश्मीर	6.50	5.07	3.30	3.52	4.74	5.77	0.30	0.19	14.74	14.55
कर्नाटक	27.00	31.83	1.00	1.92	43.25	46.54	6.40	6.30	77.65	86.59
केरल	11.00	10.04	–	–	0.04	0.07	0.30	0.33	11.34	10.44
मध्य प्रदेश	58.80	59.63	51.00	67.67	38.31	31.33	31.00	32.65	179.11	191.27
महाराष्ट्र	27.00	24.84	9.00	10.56	81.70	78.37	20.00	22.05	137.70	135.82
उड़ीसा	65.00	66.16	0.80	0.05	5.74	1.70	11.30	4.99	82.84	72.90
पंजाब	66.00	76.42	123.00	133.77	6.02	4.77	1.50	0.81	196.52	215.77
राजस्थान	1.45	1.43	43.00	34.60	38.78	23.81	16.50	10.71	99.73	70.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
तमिलनाडु	61.00	67.50	0.10	–	15.78	12.31	5.20	2.76	82.08	82.58
उत्तर प्रदेश	100.00	102.10	215.00	208.22	44.15	36.50	28.70	25.16	387.85	371.98
पश्चिम बंगाल	104.50	121.11	6.00	6.32	1.67	1.87	2.00	1.71	114.17	131.01
अन्य	16.45	16.55	1.64	1.41	2.38	2.37	0.30	0.52	20.77	20.87
अखिल भारत	780.00	802.98	585.00	598.40	360.00	308.17	155.00	133.05	1880.00	1842.60

ल. = लक्ष्य उ. = उपलब्धि

विवरण-III

1994-95 के लिए राज्यवार फसलवार उत्पादन लक्ष्य (लाख मी. टन में)

राज्य	चावल		गेहूं		मोटे अनाज		दालें		कुल खाद्यान्न	
	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.
आन्ध्र प्रदेश	108.00	92.77	0.01	0.08	21.85	18.26	7.50	6.73	137.36	117.84
असम	32.00	33.09	1.25	1.04	0.20	0.17	0.80	0.59	34.25	34.89
बिहार	66.00	62.98	42.50	42.75	15.65	16.09	9.00	7.90	133.15	129.71
गुजरात	9.00	9.42	17.00	19.62	24.85	18.24	7.00	5.19	57.85	52.47
हरियाणा	19.00	22.27	65.00	73.03	8.50	9.70	7.00	4.94	99.50	109.94
हिमाचल प्रदेश	1.30	1.12	5.50	5.99	7.06	6.82	0.20	0.13	14.06	14.07
जम्मू व कश्मीर	6.50	5.85	3.20	3.49	4.74	4.86	0.30	0.23	14.74	14.43
कर्नाटक	28.00	31.68	1.00	1.72	43.73	41.47	6.40	6.21	79.13	81.07
केरल	11.00	9.75	–	–	0.04	0.06	0.30	0.23	14.74	14.43
मध्य प्रदेश	58.80	64.63	51.00	72.79	39.10	20.33	31.00	36.54	179.90	194.28
महाराष्ट्र	27.00	23.97	9.00	11.11	82.85	63.19	20.00	16.98	138.85	115.25
उड़ीसा	65.00	63.53	0.80	0.07	5.89	1.29	11.30	4.10	82.99	68.99
पंजाब	68.00	77.03	123.00	135.42	6.13	4.81	1.50	0.91	198.63	218.17
राजस्थान	1.45	1.73	43.00	56.13	39.20	39.59	16.50	19.66	100.23	117.10
तमिलनाडु	62.00	75.63	0.10	–	15.98	11.85	5.00	3.40	83.08	90.88
उत्तर प्रदेश	100.00	103.65	215.00	225.60	45.10	38.03	28.70	24.79	388.80	392.08
पश्चिम बंगाल	105.50	122.36	6.00	7.45	1.67	1.64	2.00	1.35	115.17	132.79
अन्य	16.45	16.68	1.64	1.38	2.38	2.36	0.50	0.54	20.97	20.99
अखिल भारत	705.00	818.14	585.0	657.67	365.00	298.76	155.00	140.38	1890.0	1914.95

ल. = लक्ष्य उ. = उपलब्धि

विवरण-IV

1995-96 के लिए राज्यवार फसलवार उत्पादन लक्ष्य (लाख मी. टन में)

राज्य	चावल		गेहूं		मोटे अनाज		दालें		कुल खाद्यान्न	
	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.
आन्ध्र प्रदेश	108.00	91.95	0.01	0.05	21.85	17.38	7.50	6.40	137.36	115.78
असम	33.00	33.90	1.50	0.95	0.20	0.19	0.80	0.57	35.50	35.61
बिहार	66.00	69.11	44.00	41.81	15.65	14.06	0.00	5.72	134.65	130.69
गुजरात	9.00	8.27	18.00	11.24	24.85	16.97	7.00	4.57	58.85	41.08
हरियाणा	20.00	18.60	66.00	73.50	8.50	5.82	7.00	4.16	101.50	102.08
हिमाचल प्रदेश	1.30	1.11	6.00	5.44	7.06	7.05	0.20	0.13	14.56	13.76
जम्मू व कश्मीर	29.00	30.19	1.00	1.50	44.43	48.75	6.40	7.24	80.83	87.68
कर्नाटक	29.00	30.19	1.00	1.50	44.43	48.75	6.40	7.24	80.83	87.68
केरल	1.00	9.32	–	–	0.04	0.06	0.30	0.17	11.34	9.56
मध्य प्रदेश	59.00	57.05	52.00	64.68	39.10	25.02	31.02	31.02	181.10	177.77
महाराष्ट्र	27.00	25.63	9.00	8.98	82.10	65.46	20.00	16.61	138.10	116.68
उड़ीसा	66.00	62.26	1.00	0.05	5.89	4.26	11.30	11.76	84.19	78.34
पंजाब	72.00	67.68	125.00	127.24	6.13	4.43	1.50	0.83	204.63	200.18
राजस्थान	1.50	1.10	45.00	54.93	39.28	24.92	16.50	14.63	102.28	95.66
तमिलनाडु	65.00	75.63	0.10	–	15.98	12.42	5.00	3.60	86.08	91.64
उत्तर प्रदेश	101.00	104.08	220.25	222.03	45.10	40.81	28.70	22.52	395.05	389.43
पश्चिम बंगाल	108.00	118.57	6.00	8.50	1.67	1.31	2.00	1.26	117.67	129.94
अन्य	26.70	16.26	1.64	1.81	2.43	2.40	0.50	0.50	21.27	21.01
अखिल भारत	800.00	796.18	600.00	626.20	365.00	297.17	155.00	131.92	1920.00	1850.48

ल. = लक्ष्य उ. = उपलब्धि

विवरण-V

1996-97 के लिए राज्यवार फसलवार उत्पादन लक्ष्य (लाख मी. टन में)

राज्य	चावल		गेहूं		मोटे अनाज		दालें		कुल खाद्यान्न	
	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	99.0	99.01	0.10	0.14	19.50	19.26	7.80	6.18	126.40	124.59
असम	33.00	34.66	1.00	1.10	0.15	0.20	0.65	0.78	34.80	36.74
बिहार	67.50	70.00	44.00	42.00	13.80	14.40	8.37	7.30	133.67	133.70
गुजरात	9.00	9.46	12.00	13.00	20.40	18.44	6.95	7.06	48.35	47.96
हरियाणा	20.00	24.66	73.50	70.00	7.47	8.40	5.35	4.82	106.32	107.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हिमाचल प्रदेश	1.30	1.40	5.50	5.90	7.18	7.76	0.15	0.32	14.13	15.38
जम्मू व कश्मीर	5.50	6.73	3.50	4.37	5.18	5.77	0.25	0.17	14.43	17.04
कर्नाटक	32.00	32.44	1.50	1.92	47.95	49.42	6.95	7.64	88.40	91.42
केरल	9.70	11.45	–	–	0.08	0.05	0.40	0.32	10.18	11.82
मध्य प्रदेश	60.00	59.24	71.00	69.82	27.30	22.28	34.95	31.47	193.25	182.81
महाराष्ट्र	25.70	27.22	11.10	11.28	27.85	84.07	22.49	19.81	137.14	142.38
उड़ीसा	66.00	45.32	0.50	0.05	1.75	1.61	5.20	2.90	73.45	49.88
पंजाब	73.00	73.38	135.50	129.67	4.80	4.67	0.95	0.99	214.25	208.71
राजस्थान	1.50	1.64	56.40	62.81	35.30	38.35	16.50	19.35	109.70	122.15
तमिलनाडु	71.00	57.74	–	–	13.15	11.06	6.06	4.49	90.21	73.29
उत्तर प्रदेश	101.00	117.68	225.50	225.00	39.50	39.22	24.90	23.73	390.90	405.63
पश्चिम बंगाल	118.0	116.95	7.45	7.74	1.30	1.80	1.50	2.36	128.25	128.85
अन्य	16.80	16.28	1.45	1.82	2.34	2.38	0.58	0.53	21.17	21.01
अखिल भारत	810.00	805.26	650.00	646.62	325.00	329.14	150.00	140.22	1935.00	1921.24

ल. = लक्ष्य उ. = उपलब्धि

[हिन्दी]

डेरी उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध

4918. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत एक वर्ष के दौरान दूध का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या दूध तथा अन्य डेरी उत्पादों के निर्यात पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु डेरी उत्पादों के निर्यात पर से प्रतिबंध उठाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) 1995-96 में दुग्ध उत्पादन 66.00 मिलियन टन (अनन्तिम) था, उसके 1996-97 के दौरान 68.00 मिलियन टन के स्तर तक पहुंचने की संभावना है।

(ख) से (घ) दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का निर्यात निश्चित मात्रा तक अथवा लाइसेंस के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

[अनुवाद]

20-सूत्री कार्यक्रम

4919. **श्री काशी राम राणा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के प्रत्येक जिले में वर्ष 1996 तथा 1997 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम की जिलेवार कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने 1996 तथा 1997 में 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं, कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग 20-सूत्री कार्यक्रम 1986 के अंतर्गत विभिन्न मदों के राज्यवार निष्पादन का प्रबोधन करता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कमीशंड अधिकारियों के पूर्ववत्त संबंधी वारंट

4920. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा के कमीशंड अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के पूर्ववत्त संबंधी वारंटों में क्या अंतर है;

(ख) स्वतंत्रता मिलने के समय अस्सी के दशक और नब्बे के दशक के प्रारम्भ में इन अधिकारियों के इस प्रकार के वारंटों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें विभिन्नता के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) पूर्वता अधिपत्र का मुख्य उद्देश्य राजकीय/समारोहों/औपचारिक अवसरों पर उच्चाधिकारियों (मुख्यतः सरकार में स्थायी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों) की पूर्वता नियमित करना है। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा 26 जुलाई 1979 को अधिसूचित पूर्वता सारणी अभी भी लागू है, उसकी एक प्रति बाद में किए गए कुछ संशोधनों को समाविष्ट करते हुए विवरण -I पर संलग्न है।

भारत को आजादी मिलने के बाद पूर्वता सारणी की पुनरीक्षा करना आवश्यक हो गया था क्योंकि यह आजादी से पहले की थी। आजादी के बाद पूर्वता सारणी को पहली बार 16 अक्तूबर, 1948 को अधिसूचित किया गया था, जो विवरण-II पर है।

1948 में जारी की गयी पूर्वता सारणी की तुलना इस समय लागू पूर्वता सारणी से करने पर पता चलेगा कि सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के बीच की आपेक्षितकताएं न्यूनाधिक वही रही हैं।

विवरण-I

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 1979

सं० 33-प्रेज/79- इस विषय में जारी की गई सभी पहली अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, निम्नांकित व्यक्तियों के रैंक तथा पूर्वता के संबंध में निम्न सारणी, जिसे राष्ट्रपति ने अनुमोदित कर दिया है आम सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है :

1. राष्ट्रपति
2. उपराष्ट्रपति
3. प्रधान मंत्री
4. राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति

5.क उप प्रधान मंत्री

6. भारत का मुख्य न्यायाधिपति
7. केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री
   राज्यों के मुख्य मंत्री अपने-अपने राज्यों में
   उपाध्यक्ष, योजना आयोग
   भूतपूर्व प्रधान मंत्री
   राज्य सभा और लोक सभा में विपक्ष के नेता

7क भारत रत्न सम्मान् प्राप्त व्यक्ति

8. भारत स्थित विदेश के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त
   राज्यों के मुख्या मंत्री अपने-अपने राज्यों से बाहर
   राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्यों से बाहर
9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

9 क. मुख्य चुनाव आयुक्त
   भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

10. राज्य सभा का उप सभापति
    राज्यों के उप मुख्य मंत्री
    लोक सभा का उपाध्यक्ष
    योजना आयोग के सदस्य
    केन्द्र के राज्य मंत्री (और रक्षा कार्यों के लिए रक्षा मंत्रालय में कोई अन्य मंत्री)

11. भारत का महान्यायवादी (एटार्नी जनरल)
    मंत्रि मंडल का सचिव
    उप राज्यपाल अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों में

12. फुल जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष
13. भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री
14. राज्यों के विधान मंडलों के समापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्यों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति अपने-अपने क्षेत्राधिकार में
15. राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने-अपने राज्य में संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने संघ शासित क्षेत्र में
    केन्द्र के उप मंत्री
16. लैफ्टिनेंट जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले, स्थानापन्न सेनाध्यक्ष
17. *केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष
    अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष

    अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष
    संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष

    उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर

    उच्च न्यायालयों के प्यूने जज अपने-अपने क्षेत्र में

18. राज्यों के मंत्रिमंडलों के मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर
    राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर

    मोनोपोली तथा रैस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कमीशन का अध्यक्ष
    राज्य विधान मंडलों के उप सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्यों में

    राज्यों के राज्य मंत्री अपने–अपने राज्यों में

    संघ शासित क्षेत्रों के मंत्री और दिल्ली महानगर परिषद के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने संघ शासित क्षेत्र में

    संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों में

*26.7.1979 के बाद किए गए संशोधन।

19. बिना मंत्रिपरिषद वाले संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यायुक्त अपने अपने क्षेत्रों में

राज्यों के उपमंत्री अपने अपने राज्यों में

संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद् का उप समापति अपने अपने संघ शासित क्षेत्रों में

20. राज्यों के विधान मंडलों के उप समापति तथा उपाध्यक्ष अपने अपने राज्यों से बाहर

राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्यों से बाहर

उच्च न्यायालयों के प्यूने जज अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर

21. संसद सदस्य

22. राज्यो के उप मंत्री अपने अपने राज्यों से बाहर

23. आर्मी कमांडर/उप थलसेनाध्यक्ष अथवा अन्य सेवाओं में उसके समान पद वाले अधिकारी

राज्यों सरकारों के मुख्य सचिव अपने अपने राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य फुल जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी

भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन धारण करने वाले अधिकारियों सहित)

अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का सचिव

राष्ट्रपति का सचिव

प्रधान मंत्री का सचिव

सचिव, राज्य सभा/लोक सभा

महान्यायाधिकर्ता (सालिसिटर-जनरल)

* केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष

24. लेफ्टिनेन्ट जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी

25. भारत सरकार के अपर सचिव
और महान्यायाधिकर्ता (एडीशनल सालिसिटर जनरल)

नोट 2. सारणी में व्यक्तियों की पूर्वता अनुच्छेदों (आर्टिकल्स) की संख्या के क्रम से होगी। एक ही अनुच्छेद की प्रविष्टियां वर्ण क्रमानुसार रखी गई हैं, जिनका नाम एक ही अनुच्छेद में दिया गया है, उनकी परस्पर पूर्वता उस अनुच्छेद में प्रविष्टि की तिथि के अनुसार नियत होगी। किन्तु जब कभी एक ही अनुच्छेद में प्रविष्टि विभिन्न राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति अपने राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के बाहर किसी समारोह में उपस्थित होंगे और उनकी, प्रविष्टि की तिथि निर्धारित करना कठिन होगा, तब उनकी परस्पर पूर्वता, उन लोगों के बाद जिनकी पूर्वता अनुच्छेद में प्रविष्टि की तिथि के आधार पर निर्धारित हो जायेगी, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नामों के वर्ण क्रमानुसार नियत की जा सकती है।

नोट 3. *अनुच्छेद 7 में भूतपूर्व प्रधान मंत्री की पूर्वता, संघ के केबिनेट मंत्रियों और राज्य सभा और लोक सभा में विपक्ष के नेता से पहले दी जाएगी। राज्य में होने वाले सरकारी समारोहों में संबंधित मुख्य मंत्री को संघ के मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री (मंत्रियों) से पूर्वता प्रदान की जाएगी।

नोट 4. अनुच्छेट 8 में–

(क) भारत में असाधारण राजदूत तथा पूर्णाधिकारी तथा राष्ट्र मण्डलीय देशों के उच्चायुक्तों को विभिन्न राज्यों के राज्यपालों से उनके संबंधित राज्यों से बाहर सामूहिक रूप से पूर्वता प्राप्त होगी ।

(ख) राज्यों के राज्यपालों को अपने-अपने राज्यों से बाहर सामूहिक रूप से अपने राज्यों से बाहर मुख्य मंत्रियों से पूर्वता प्राप्त होगी।

नोट 5. गणमान्य विदेशी व्यक्तियो और भारतीय राजदूतों, उच्चायुक्तों और पूर्णाधिकारी मंत्रियों को उनके भारत आने पर विदेश मंत्रालय उपयुक्त पूर्वता प्रदान करेगा।

नोट 6. नोट-2 में निर्धारित प्रक्रिया के होते हुए भी अनुच्छेद 10 में परस्पर रैंक और पूर्वता निम्नलिखित क्रम से दी जाएगी:

(1) उप समापति, राज्य समा।

(2) उपाध्यक्ष, लोक समा।

(3) केन्द्रीय राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों से संबंधित कोई अन्य मंत्री।

(4) राज्यों के उप मुख्यमंत्री।

(5) योजना आयोग के सदस्य।

तथापि राज्यों के उप मुख्य मंत्री अपने राज्यों से बाहर हमेशा ही इस अनुच्छेद में दिय गये अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों से नीचे स्थान क्रम पायेंगे।

नोट 7. एक ही तिथि को निर्वाचित होने की अवस्था में राज्यों की विधान परिषदों के समापतियों का स्थान विधान सभाओं के अध्यक्षों से पूर्व होगा।

नोट 8. उन बड़े राजकीय समारोहों में जहां संसद सदस्यों को सामूहिक रूप से आमंत्रित किया जाता है उनके लिये सुरक्षित स्थान मुख्य न्यायाधिपति, लोक सभा के अध्यक्ष, राजदूतों आदि के तुरन्त बाद होना चाहिये।

* 26.7.1979 के बाद किए गए संशोधन।

नोट 9. संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति का स्थान उसी अनुच्छेद (आर्टिकल) में समाविष्ट मंत्रियों और कार्यकारी पार्षदों से पूर्व होगा।

नोट 10. अनुच्छेद 23 में–

(क) विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के अलावा अन्य सचिव आपस में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में अपनी वरिष्ठता के अनुसार पूर्वता ग्रहण करेंगे और वे दोनों विदेश सचिव के बाद पूर्वता ग्रहण करेंगे।

(ख) अल्पसंख्यक आयोग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों को इन आयोगों के सचिवों से हमेशा ही पूर्वता प्राप्त होगी।

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में होने वाले सरकारी समारोहों में आर्मी कमांडर्स/उप सेनाध्यक्ष तथा अन्य सेवाओं में उनके समकक्ष अधिकारी हमेशा ही भारत सरकार के सचिवों के बाद स्थान क्रम ग्रहण करेंगे।

नोट 11. अनुच्छेअ 25 में–

(क) विदेश मंत्रालय में अवर सचिव आपस में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में अपनी वरिष्ठता के अनुसार पूर्वता ग्रहण करेंगे।

(ख) अपर महान्यायाधिकर्ता को राज्यों के महाधिवक्ता से ऊपर पूर्वता प्राप्त होगी।

(ग) उपराज्यपालों को मुख्य मंत्रियों तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद से ऊपर पूर्वता प्राप्त होगी और मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली को विधान सगाओं के अध्यक्षों और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति से ऊपर पूर्वता, प्राप्त होगी।

(घ) संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद का उप सभापति संघ शासित क्षेत्रों के मंत्रियों तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों के बाद पूर्वता ग्रहण करेंगे।

नोट 12. अनुच्छेद 26 के प्रयोजन के लिये यह बात गृह मंत्रालय निर्धारित करेगा कि किन अधिकारियों के पद भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के पदों के समान हैं।

के. सी. मादप्पा
राष्ट्रपति के सचिव

टिप्पणी : उपर्युक्त सारणी में, इसमें अभी तक किए गए संशोधन सम्मिलित हैं।

विवरण-II

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1948

संख्या 16/10/48- पब्लिक – निम्नलिखित संशोधित सारणी जो कि इस सारणी में नामोल्लिखित व्यक्तियों के रैंक और पर्वूता के संबंध में है और जिसे महामहिम सम्राट जार्ज षष्ठम् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, आम जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

यह इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करती है।

1. भारत के गवर्नर जनरल
2. भारत के प्रधान मंत्री
3. अपने-अपने कार्य प्रमार वाले क्षेत्र में प्रान्तों के गवर्नर
4. भारत में तैनात मान्य राजदूत

4 क. माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल (उपप्रधान मंत्री के पद पर रहते हुए)

5. भारत के प्रधान न्यायाधीश

   संविधान सभा के अध्यक्ष

   केन्द्रीय सभा के अध्यक्ष

6. भारतीय अधिराज्य के मंत्री

6 क. प्रान्तों के गवर्नर, अपने-अपने प्रमार क्षेत्र से बाहर

   प्रान्तों के मुख्य मंत्री, अपने अपने प्रांतों के अन्दर

6 ख. पूर्णाधिकार प्राप्त मंत्री और असाधारण दूत

7. सर बी एन राव (भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार के पद पर रहते हुए)

   सर गिरजा शंकर बाजपेई (विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रमंडल संबंधों के महासचिव के पद पर रहते हुए)

   आगन्तुक राजदूत और पूर्णाधिकार प्राप्त मंत्री, भारत के राजदूतों सहित।

8. कार्यदूत (स्थायी)

   कार्यदूत (अस्थायी)

   भारत में राष्ट्रमंडल सरकारों के उच्चायुक्त

9. संघीय न्यायालय के न्यायाधीश

9 क. चीफ ऑफ स्टाफ तथा कमांडर इन चीफ, बशर्ते कि वे पूर्ण जनरल की रैंक धारण किये हुए हों

10. प्रान्तों के मुख्य मंत्री, अपने प्रान्तों से बाहर

11. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, विधान परिषदों के सभापति प्रान्तीय विधान सभाओं के अध्यक्ष

12. चीफ ऑफ स्टाफ तथा कमांडर-इन-चीफ वशर्ते कि वे लैफ्टिनेंट जनरल का अथवा उसके समकक्ष रैंक धारण किए हुए हों

12क प्रान्तों के मंत्री

13 भारत के महालेखाकार

अध्यक्ष, संघीय लोक सेवा आयोग

मुख्य आयुक्त, दिल्ली, अपने प्रमारधीन

14 प्रधान न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश

उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश

15. पूर्ण जनरल अथवा समकक्ष रैंक के रैंक अधिकारी रेलवे के मुख्य आयुक्त

भारत सरकार के सचिव (मंत्री मंडल और माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान निजी सचिच सहित)

भारत के महाअधिवक्ता

स्थान्नापन्न चीफ आफ स्टाफ तथा वे कमान्डर-इन-चीफ जो मेजर जनरल का रैंक तथा समकक्ष रैंक धारण किए हुए हैं

16. रेलवे बोर्ड के सदस्य

रेलवे के वित्तीय आयुक्त

पूर्णाधिकारप्राप्त मंत्रियों और असाधारण दूतों के अलावा मंत्री

लेफ्टिनेंट जनरल अथवा समकक्ष रैंक के अधिकारी फ्लेग आफिसर कमांडिंग, रायलइण्डियन नेवल स्कवाड्रन

17. अपने-अपने प्रमार क्षेत्र के अन्दर क्षेत्रीय आयुक्त

मुख्य आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, अपने प्रगाराधीन

भारत सरकार के अपर सचिव

कानूनी सलाहकार, विदेश मंत्रालय

अध्यक्ष, भारतीय सीमा शुल्क बोर्ड

अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत आयोग

अध्यक्ष, केन्द्रीय जलशक्ति, सिंचाई और नौ परिवहन आयोग

भारतीय कृषि अुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष

वित्तीय सलाहकार, सेना वित्त

अध्यक्ष, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड

मेजर जनरल अथवा समकक्ष रैंक के सशस्त्र सेनाओं के पी.एस.ओ.

18. किसी प्रान्त के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त

प्रान्तीय सरकारों के मुख्य सचिव

भारत में राष्ट्रमण्डल सरकारों के उप-उच्चायुक्त

विदेशी दूतावासों और प्रतिनिधिमण्डलों के सलाहकार

उच्चायुक्तों से संबंध सलाहकार

संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य

19. मुख्य आयुक्त, दिल्ली अपने प्रमार क्षेत्र से बाहर

मुख्य नियंत्रक संड़क परिवहन और विकास, परिवहन मंत्रालय

पूर्णाधिकार प्राप्त मंत्रियों और असाधारण दूतों के अलावा दौरे पर आए विदेशी व ब्रिटिश मंत्री

संबंधित प्रमार क्षेत्रों से बाहर क्षेत्रीय आयुक्त

मुख्य आयुक्त, हिमालच प्रदेश, अपने प्रमार क्षेत्र से बाहर

मुख्य आयुक्त, कच्छ, अपने प्रमार क्षेत्र के भीतर।

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं

महानिदेशक, डाक एवं तार

निदेशक, आसूचना ब्यूरो

निदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, भारत सरकार

भारत सरकार के स्थापना अधिकारी

वित्त आयुक्त

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल के संयुक्त सचिव सहित

मेजर जनरल

एयर वाईस मार्सल

रियर एडमिरल

भारतीय सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्यगण।

वरिष्ठ व्यापार आयुक्त तथा भारत में राष्ट्रमण्डल सरकारों के उच्चायुक्तों के सलाहकारों के रैंक के दूसरे अधिकारीगण।

सर्जन जनरल

उद्योग एवं आपूर्ति महानिदेशक

महानिदेशक, निपटान

महानिदेशक, आकाशवाणी

आर आई एन, कोमोडोर(एस), नौसेना स्टेशन प्रभारी आर आई ए एफ, एयर कौमोडोर के रैंक का ग्रुप कमाडंर (एस)

नौ सेना एवं वायुसेना मुख्यालय के कोमोडोर एवं एयर कोमोडोर रैंक के पी एस ओ

टिप्पणी:– सौराष्ट्र, मत्स्य, विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य भारत और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के राजप्रमुख भारतीय राज्यों के ऐसे शासक जो 17 या इससे अधिक तोपों की सलामी लेते हैं, को पूर्वता के प्रयोजनार्थ प्रांतीय राज्यपालों के समकक्ष समझा जाना चाहिए।

दूसरे राजकुमारों पूर्वता अधिमत्र में उनकी महत्ता एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप उपयुक्त जगहों पर बिठाया जाना चाहिए।

गर्वनर जनरल के सचिव का पद धारण करने वाले अधिकारी को भारत सरकार के सचिवों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए; बशर्ते कि वह गर्वनर जनरल का स्टाफ नियुक्त होने से पहले भारत सरकार का सचिव रह चुका हो।

अगर कोई पी.एस.ओ लेफ्टिनेट जनरल का रैंक धारण करता है, तो पूर्वता अधिपत्र में उनकी वरीयता वैसी ही रहेगी जैसी पूर्वता अधिपत्र के अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत लेफ्टिनेट जनरल के रैंक या इसके समकक्ष रैंक के अधिकारियों को निर्धारित की गई है।

एच.वी.आर. अयंगर, सचिव

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को राशन के लिए धनराशि

4921. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों की तुलना में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलों (अर्द्ध सैनिक बल) के व्यक्तियों को राशन के लिए देय राशि में बहुत अंतर है;

(ख) यदि हां, तो सशस्त्र बलों की तुलना में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य अर्द्धसैनिक बलों को देय राशन की दर क्या है; और

(ग) तनावपूर्ण परिस्थतियों के अंतर्गत दूरदराज, दुर्गम्य और असुरक्षित क्षेत्रों में लगातार तैनाती के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना के लिए राशन-मनी के स्केल अलग-अलग हैं।

(ख) राशन-मनी भत्ता निम्नलिखित स्केलों पर दिया जाता है:

(I)	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल	2900 कैलोरीज
(II)	सशस्त्र सेना	3850 कैलोरीज

(ग) पांचवें वेतन आयोग ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं जिनकी सरकार जांच कर रही है।

काले धन का उपयोग

4922. **डा. महादीपक सिंह शाक्य** :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1997 को पॉयनियर में "दंडवतेज काल टु अनअर्थ ब्लैक मनी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में काले धन को उत्पादक कार्यों में लगाने हुेत किसी योजना को बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यहि हां, तो देश में कितना काला धन है तथा इस संबंध में क्या सरकार ने कोई आकलन किया है; और

(घ) क्या सरकार काले धन को सामाजिक सेवाओं के लिए उपयोग किये जाने हेतु प्रोत्साहन भी दे रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने हेतु काले धन के उपयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। तदनुसार वित्त विधेयक 1997-98 में एक स्वैच्छिक प्रकटन की स्कीम की घोषणा की गई है। जहां इस स्कीम से प्राप्त राजस्व संसाधन का 77.5 प्रतिशत राज्यों को दिए जाने का प्रस्ताव है, वहां बकाया हिस्से को बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम और अवसंरचना आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध किया जाना है।

(ग) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार वर्ष 1983-84 में काला धन 31,584 करोड़ रुपये से लेकर 36,786 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान था। इसके बाद कोई प्रामाणिक अध्ययन नहीं किया गया।

घोटाले में लिप्त परिवहन विभाग और यातायात पुलिस

4923. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 1997 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ट्रासपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रैफिक पुलिस इंडिकेटिड सी.बी.आई प्रोव इन टू मल्टी करोर रैकेट अर्जड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने "इम्यूनिटी कार्ड प्रणाली" के प्रचालन की जांच करने के लिए और इस कदाचार की संभावनाओं को रोकने तथा इसे न्यूनतम करने के लिए तौर तरीके सुझाने हेतु मार्च, 1995 में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था तथापि समिति, सितम्बर, 1996 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में "इम्यूनिटी कार्ड प्रणाली" के प्रचालन में परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा तथा दिल्ली यातायात पुलिस के बीच किसी स्पष्ट सांठगांठ को सिद्ध न कर सकी।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अब परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने भी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की है जिसमें विभिन्न ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशनों के साथ संपर्क करना भी शामिल है जिसमें कि विभाग की कार्यप्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके।

[हिन्दी]

उर्वरक उत्पादन

4924. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा तथा क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई ठोस योजना तैयार की गई है या की जा रही है;

(ख) क्या सरकार वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों की मदद से किसानों द्वारा नौवीं योजना के अंतर्गत कार्बनिक उर्वरक के उपयोग में वृद्धि करने हेतु कोई विशेष परियोजना बनाएगी; और

(ग) क्या यूरिया उर्वरक के समकक्ष कम्पोस्ट तथा हरी खाद विकसित करने का कोई प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) सरकार की नीति यूरिया में अधिकतम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की रही है। स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता को सहायता देने तथा इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिधारण मूल्य सह-राजसहायता योजना नामक एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा विद्यमान है, इस नीतिगत ढांचे की समीक्षा करने के लिए हाल ही में प्रो. सी एच हनुमंताराव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई है। देश के भीतर नयी उत्पादन क्षमताओं के साथ-साथ पर्याप्त और सस्ते कच्चे मालों वाले देशों में विदेशी संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन किया जा रहा है ताकि यूरिया की बढ़ती मांगों के कारण हुए अंतर को अधिकतम संभव सीमा तक पूरा किया जा सके। तथापि, यह बताना संभव नहीं है कि किस समय तक पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जाएगी।

(ख) और (ग) नौवीं योजना के दौरान, जैविक खाद और जैवकम्पोस्ट के विकास तथा प्रयोग को बढ़ाने के लिए उर्वरकों के संतुलित और समेकित प्रयोग के संबंध में योजना (कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन) के तहत केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। जैविक खाद कम पोषक तत्व वाली है (1 से 3%) और इसलिए पोषक तत्व के पूरक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और इसे यूरिया समेत किसी उर्वरक का प्रतिस्थायी बनाने का विचार नहीं है।

दिल्ली में यातायात

4925. **श्री एल. रमना** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक दिल्ली में यातायात के संबंध में प्राप्त की गई शिकायतों का क्या ब्यौरा है;

(ख) सड़क यातायात नियंत्रण में सुधार लाने तथा यातायात के नियमों की तोड़ने वाले वाहन को अनुशासित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) प्राप्त हुई शिकायतें, मुख्य रूप से घटिया सड़क इंजीनियरी अनधिकृत पार्किंग, यातायात की भीड़-भाड़, अतिक्रमण तथा टैक्सी/तिपहिया/बस चालकों द्वारा दुर्व्यवहार करने/परेशान करने से संबंधित है। गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक (31.3.97 तक) प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:

1994	1995	1996	1997 (31.3.97तक)
872	1365	1644	404

(ख) दिल्ली में सड़कों पर यातायात का सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई वृहत कार्य योजना में यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करना तथा यातायात नियमों के पालन के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना और इंजीनियरी कार्यों (नामत : यातायात संकेतकों, सड़क विभाजकों, सड़क चिन्हों इत्यादि) का चरणबद्ध तरीके से करने पर विचार किया गया है।

(ग) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:

वर्ष	मारे गए व्यक्ति
1994	1884
1995	2070
1996	2091
1997 (31.3.97 तक)	513

[अनुवाद]

यातायात के नियम

4926. **श्री बहादुर सिंह पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क पर बसें, थ्री-व्हीलर और अन्य भारी वाहन अपनी लेनों में नहीं चलते हैं और वे टेढे–मेढे तरीके से चलते हैं जिससे सड़कों पर दुर्घटना होने और अव्यवस्था फैलने की संभावना रहती है;

(ख) यदि हां, तो यातायात पुलिस द्वारा वाहनों को अनुशासित न कर पाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में गोल चक्करों पर यातायात से प्रवाह को नियंत्रित नहीं किया जाता है और जिससे हल्के वाहनों और अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरा पैदा होता है; और

(घ) दिल्ली में व्यस्त समय में यातायात को उचित तरीके से नियंत्रित करने लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सड़कों पर अनुशासन लागू करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस गंभीरता से प्रयास करती रही है। परिणामस्वरूप सड़कों पर लेन में चलने के अनुशासन में काफी सुधार आया है।

(ग) और (घ) यातायात गोल चक्करों पर यातायात का प्रवाह, पर्याप्त कार्मिकों को तैनात करके उपयुक्त रूप से विनियमित किया जाता है।

व्यस्ततम समय के दौरान यातायात को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

(i) सभी चौराहों/मार्ग मिलन स्थलों और व्यस्त स्थानों पर यातायात को विनियमित करने और यातायात की अफरा-तफरी से बचने के लिए कार्मिक तैनात किए जाते हैं।

(ii) यातायात पुलिस के कार्मिकों को प्रत्येक चौराहों के हर पहुंच मार्ग के सिरे पर तैनात करके "स्टाप लाइन" का कड़ाई से पालन करवाया जाता है।

(iii) व्यस्त चौराहों पर सवारियों को चढने-उतरने देने वाली बसों का चालान किया जाता है।

(iv) प्रतिबंधित अवधि के दौरान मुख्य मार्गों/व्यस्त मार्गों पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को नहीं आने दिया जाता है।

मुख्य सचिवों का सम्मेलन

4927. **श्री राम नाईक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को जनवरी 1997 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन सुझावों की लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार 20.11.1996 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों का एक सम्मलेन आयोजित किया गया था।

(ख) की गई महत्वपूर्ण संस्तुतियां इस प्रकार हैं:

(i) कार्य पद्धति के पुनर्गठन, अधिकारियों का निचले स्तरों पर प्रत्यायोजन किए जाने और सभी के लिए अनुगम्य प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली की जरूरत है। साथ ही साथ लोक सेवाओं को सही आकार देने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है।

(ii) लोक सेवा में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए रोकथाम, निगरानी और प्रतिरोधक अभियोजन की जरूरत के साथ-साथ ही अपराधियों और गैर कानूनी तत्वों के बीच गठजोड़ से कठोरतापूर्वक निपटने की जरूरत है।

(iii) भारत सरकार और राज्य सरकारों को सिविल सेवाओं के लिए एक चार्टर ऑफ एथिक्स और सिविल सेवा संहिता तैयार करनी चाहिए।

(iv) राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा कि सभी स्तरों पर अधिकारियों की तैनाती, प्रोन्नतियों और स्थानान्तरणों के बारे में पारदर्शी निर्णयों हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त सिविल सेवा बोर्ड गठित किए जाने सहित वे समुचित तंत्र स्थापित करें और संगत नियमों में संशोधन करें।

(v) सरकार और सार्वजनिक निकायों के कार्यकरण में ज्यादा पारदर्शिता और खुलापन लाए जाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम की दिशा में की गई पहल शामिल होगी।

(vi) जनता की संतुष्टि और उत्तरदायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु जवाबदेही को वृहत्तर संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु, यथासंभव अधिकाधिक संस्थानों में चरणबद्ध रूप से "सिटीजंस चार्टर" शुरू किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

(ग) सम्मेलन की सिफारिशों का व्यापक प्रचार किया गया और इनकी त्वरित प्रोसेसिंग के लिए केन्द्र सरकार के अंदर तथा राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्य किया गया है। जल्दी ही मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन में एक कार्रवाई योजना प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है।

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट के लिए शांत रहें। आज हम छह बजे गिलोटिन कर रहे हैं। उसके पहले ऊर्जा से संबंधित चार मंत्रालय आज चर्चा हेतु सूचीबद्ध किए गए हैं। विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विभाग तथा परमाणु ऊर्जा के विभाग उन पर हमारे द्वारा विचार किया जाना अति आवश्यक है। अतएव आज शून्यकाल नहीं होगा। लेकिन मैं इसकी क्षतिपूर्ति कल तथा उसके बाद के दिन में करना चाहूंगा। क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण विषय है तथा चार मंत्रियों को हस्तक्षेप करना है, अतएव हमें विचार के लिए और समय चाहिए।

चूँकि श्री चन्द्रशेखर को कुछ कहना है, मैं उन्हें वह मुद्दा उठाने की अनुमति देता हूँ।

श्री जी.ए.चरण रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, एक घंटे प्रश्न काल का समय केवल दो प्रश्नों द्वारा लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूँ।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महादेय : कृपया उन्हें कुछ और समय दें।

अपराह्न 12.02 बजे

प्रधान मंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी की नियुक्ति के बारे में

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय गहरे दुख तथा चिंता के साथ मैं, एक पत्र पढ़ने जा रहा हूँ जो 30 मई, 1974 को भारत में किए गए परमाणु विस्फोट के तुरंत बाद प्रकाशित हुआ था यह पत्र "दि न्यूयार्क टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था तथा यह भारत सरकार के एक वर्तमान अधिकारी द्वारा लिखा गया था यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह राष्ट्रीय नीतियों पर एक प्रश्नचिन्ह् ही नहीं लगाता है वरन् यह महाशक्तियों को देश के मामले में हस्तक्षेप करने के लिये भी कहता है। मैं यह नहीं जानता कि वर्तमान सरकार को किस कारण से उक्त अधिकारी को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य निभाने में असफल हो जाऊंगा यदि मैं आपके ध्यान में, इस सभा के ध्यान में तथा इस देश के लोगों के ध्यान में इस अधिकारी की नियुक्ति की गंभीरता के विषय में ध्यान आकृष्ण नहीं कर पाता। मुझे पढ़ने की अनुमति दी जाय। मैं जानता हूँ कि मेरे पास काफी कम समय है। मैं केवल समाचार पत्र पढ़ूंगा। मैं उस पर कोई भाषण नहीं दूंगा।

पत्र इस प्रकार है तथा मैं उद्धृत करता हूँ:

"भारत के शांतिपूर्ण परमाणु विष्फोट के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को परमाणु शस्त्र कार्यक्रम में आगे बढ़ने तथा प्रसार को रोकने के लिए अवश्य मुस्तैद हो जाय। यह शायद अस्सी के मध्य के पहले संभव नहीं हो कि भारत साराभाई कार्यक्रम के "संतुलित परमाणु आधारभूत ढांचा" को लागू कर पाये तथा उसके बाद अगले महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करे कि इसे शस्त्र कार्यक्रम की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए अथवा नहीं।

श्रीमती गांधी ने शीघ्र ही बम बनाने की संपन्न मांग का बीजारोपण किया है। वह परमाणु शस्त्रों की भारी कीमत तथा युद्ध में उनकी अनुपयोगिता के प्रति भी अनभिज्ञ नहीं है; न ही सेना में परमाणु शस्त्र को लेकर कोई खास उत्साह है। दूसरी तरफ, विश्व समुदाय नई दिल्ली की इस घोषणा को पर्याप्त तथा विश्वसनीय गारंटी नहीं मान सकता है कि भारत यह शक्ति हासिल कर लेने के बाद सदा परमाणु शान्ति के संदर्भ में युद्धविरोधी रहेगा।"

"आखिरकार, राजस्थान विस्फोट भारत की सुरक्षा को किसी खतरे के मद्देनजर रखते हुए नहीं किया गया था। यह श्रीमती गांधी द्वारा बड़े ही अनुपयुक्त समय पर इस गलत विश्वास पर आधारित था कि भारत द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने से देश को वर्तमान निराशा के वातावरण से मुक्ति मिलेगी।

यदि विस्फोट एक राजनीतिक भूल थी तो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत को विकास सहायता रोककर या मना करके दंडित किया जाना और भी बड़ी भूल होगी। किसी प्रकार से ऐसी रणनीति कार्य नहीं कर पायेगी क्योंकि सोवियत रूस भारत के विस्फोट के बारे में कुछ भी सोचे, वह भारत की विकास सहायता नहीं रोकेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत से यह कहना चाहिये कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् से यह औपचारिक वायदा करे कि वह परमाणु शस्त्र कभी नहीं बनाएगा तथा सरकार द्वारा लाए गए संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में यह लिख दिया जाय। केवल ये दो उपाय ही विश्व को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि भारत विध्वंसात्मक उद्देश्य के लिए अपनी परमाणु क्षमता का कभी उपयोग नहीं करेगा। यदि श्रीमती गांधी यह करने में अक्षम रहीं (सुरक्षा परिषद् के समक्ष केवल शपथ पत्र पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि इसे लागू नहीं किया जा सकता है) तो वह या तो विश्वासघात करेंगी या पुष्टि करेंगी, जैसा कि बहुत से लोगों की भारत की वास्तविक परमाणु महत्वाकांक्षा के बारे में आशंका है।

और ज्यादा परमाणु प्रसार को रोकने के लिए मास्को परीक्षण निषेध संधि में भूतल परीक्षणों को शामिल किया जाना चाहिए; दो महाशक्तियों को दृढतापूर्वक प्रतीकात्मक ही नहीं वरन् स्थूल रूप से भी परमाणु शस्त्र नियंत्रण तथा निःशस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तथा परमाणु अप्रसार संधि के कुछ खण्डों को हटाकर इसमें संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि परमाणु शक्ति से रहित देशों के साथ उनके महत्वपूर्ण हितों के विरुद्ध भेदभाव न किया जा सके।

भवानी सेनगुप्त लेखक कोलंबिया विश्वविद्यालय में कम्युनिष्ट मामलों के अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ फैलो हैं।"

इन भद्रपुरुष, श्री भवानी सेनगुप्त को प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे बताया गया है कि उन्हें सचिव का स्तर प्रदान किया गया है। जिस दिन से उनकी नियुक्ति हुई है वे इस देश के लोगों को चिंता में डालने वाले बयान दे रहे हैं। संपादकीय लिखे गए हैं। यह समाचार मिला है कि विदेश विभाग के मंत्रालय के अधिकारी यह नहीं जानते हैं कि वे इस व्यक्ति को संवेदनशील दस्तावेज दे सकते हैं या नहीं।

मै नहीं जानता कि क्या प्रधानमंत्री को इस भद्रपुरुष के बारे में पूरी तरह से जानकारी है अथवा नहीं। मैं इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे कोई द्वेष नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय यदि इस अधिकारी का यह विचार है तो मैं इसके प्रधानमंत्री कार्यालय में एक क्षण भी रहने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। कल दोपहर बाद जब मुझे इसके बारे में ज्ञात हुआ तब मैंने आपको लिखा तथा मैंने साथ ही एक पत्र तुरंत प्रधानमंत्री को लिखा कि वे उस पद त्याग करने के लिए कहें।

मुझे बताया गया है कि उसी व्यक्ति ने एक और पत्र लिखा और उसे प्रकाशित भी किया गया है। उस पत्र में उन्होंने कहा है कि केवल यही पर्याप्त नहीं है; सुरक्षा परिषद द्वारा भारत को बुलाया जाना चाहिए और यदि वह संविधान में संशोधन से संबंधित इस प्रस्ताव से सहमत न हों तो सम्पूर्ण शक्तिशाली समुदाय द्वारा भारत पर यह शर्त थोप दी जानी चाहिए।

ऐसा उनका विचार है और केवल इतना ही नहीं है बल्कि एक विशेष अधिकारी बनने के बाद उन्होंनें सियाचीन के बारे में एक नीतिगत बयान दिया है। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम के बारे में भी एक नीतिगत बयान दिया है। भारत का तो कहना ही क्या मैंने संपूर्ण विश्व के इतिहास में इस प्रकार का अधिकारी कभी नहीं देखा।

मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं उनके विश्वास के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता परन्तु मुझे मालूम नहीं है कि सरकार इस पर क्या कार्यवाही करेगी। हो सकता है कि वे इस अधिकारी को रखना चाहें। परन्तु मैं इस प्रकार की नियुक्तियों के पीछे नापाक इरादों के बारे में देश को आगाह करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि किसके इशारे पर ऐसा किया गया है। मैं लोगों को आगाह करता हूँ। मैं भारत सरकार के अधिकारियों को सावधान करता हूँ कि इस अधिकारी को संवेदनशील प्रकृति का कोई भी पत्र नहीं दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इस मामले पर कोई वाद-विवाद होना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : महोदय, कम से कम उस व्यक्ति को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाए जिसने इस संबंध में सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि हमें इस मुद्दे पर वाद-विवाद करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह एक गम्भीर मामला है। इसीलिए मैंने यह अपवाद स्वरूप किया है यद्यपि आज कोई शून्य काल नहीं है।

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाडा) : लेकिन महोदय, प्रधानमंत्री जी कहां हैं? उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल के दौरान उनका यहां उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर हम अफसरों की सदन में चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन चंद्र शेखर जी ने जो मामला उठाया है, उसकी गम्भीरता को देखते हुए जिस नियुक्ति का उन्होंने उल्लेख किया है, उसके बारे में अपवाद करने की आवश्यकता है। अफसर ने 1974 में क्या कहा था, यह अमेरिका के एक पत्र में छपा था, वह उनके विचारों को प्रकट करता है। ये विचार राष्ट्रीय नीति से मेल नहीं खाते। उन्होंने विचार बदल लिए हों, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका भी कोई संकेत भी नहीं है। बात केवल न्यूक्लियर तक नहीं है, जिस तरह से उन्होंने भारत के विरुद्ध अगर उनकी सुझाई गई नीतियां स्वीकार नहीं की जाती तो क्या कार्यवाही होनी चाहिए, यहां तक आगे बढ़कर सुझाव दिए हैं। या तो वे अपने विचारों के पक्के हैं या वे किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम कर रहे हैं। अगर वे अपने विचारों के पक्के हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो नीति से सहमत नहीं, है, ऐसे महत्वपूर्ण और नाजुक पद पर नहीं रखा जा सकता। अगर वे किसी दबाव में आकर बात कह रहे हैं तब तो मामला और भी गम्भीर हो जाता है। जिस पर सदन को विचार करना पड़ेगा और जिसके बारे में प्रधान मंत्री को ही सारी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। अगर प्रधान मंत्री सदन में होते तो बहुत अच्छा होता। अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो इस मामले को प्रधान मंत्री के आने तक रोक दें, हमारी बात सुनने के बाद।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : हमने पार्लियामेंटरी अफेयर्स के अधिकारी के माध्यम से स्लिप भिजवाई है, प्रधान मंत्री को दिखवाने को कहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जैसा मैंने आपसे कहा चंद्रशेखर जी ने जो पत्र पढ़कर बताया है, उसके कुछ अंश मेरे पास भी हैं। बात न्यूक्लियर तक ही नहीं है, कश्मीर के मामले में भी उनकी अपनी राय है। सियाचिन पर समझौता कर लेना, यह उनकी राय है। वे लेखक हैं। उनको अपने विचार रखने की पूरी छूट है। लेकिन ऐसा व्यक्ति प्रधान मंत्री के विशेष अधिकारी के रूप में अगर काम करने के लिए चुना जाता है तो प्रधानमंत्री के सामने कौन-सा दबाव था, कौन-सी बात थी, यह सदन जानना चाहेगा। इसलिए चंद्रशेखर जी ने यह मामला उठाया है। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं कि अगर इस अफसर की नियुक्ति हुई है तो क्या नियुक्ति के पहले जो रोकथाम के कदम उठाए जाते हैं, जो जानकारी इकट्ठी की जाती है, क्या वह सारी जानकारी एकत्र कर ली गई थी? क्या उसके बाद उनकी नियुक्ति हुई है? क्या इनके विचारों में परिवर्तन हुआ है? प्रधान मंत्री को व्यक्तियों के चयन में बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस मामले में ऐसा लगता है कि मैत्री सम्बन्धों के कारण यह नियुक्ति हुई है। जिस व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं उसके गुणों के कारण यह नियुक्ति हुई हो, ऐसा मुझे नहीं लगता।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री चन्द्रशेखर जी और श्री वाजपेयी जी के विचार सुने हैं, मैंने पिछले दो दिनों के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को पढ़ा है और कल जी. टी.बी. पर समाचारों को भी देखा। जैसाकि वाजपेयी जी ने ठीक ही कहा है कि विशेष कार्य अधिकारी ने कहा था कि सियाचीन के मसले पर उनकी अपनी नीति है।

यह प्रधानमंत्री का विशेषधिकार है कि वह किसी को भी अपना विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं और हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जैसाकि वाजपेयी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि नियुक्तियां संबंधित व्यक्तियों के जीवन वृत्त की उचित जांच करने के पश्चात् ही की जाती हैं विशेषकर जब कोई व्यक्ति विशेष कार्य अधिकारी के रूप में सचिव स्तर के रैंक पर नियुक्त किया जाता है। इसलिए मैं दोनों माननीय नेताओं के इस विचार से पूर्णरूप से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। जी.टी.वी. पर कल प्रसारित हुए समाचारों में विशेष कार्य अधिकारी ने कहा था कि वह 'गुजराज सिद्धान्त' के जनक हैं और उनके दिमाग में कुछ अन्य बातें भी हैं जिन्हें वह करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आन्तरिक मामलों को देखना उनका कार्य है तो उन्होंने कहा कि वह आन्तरिक मामले, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्य भी देखेंगे। इसलिए मैं इस बारे में अधिक चिन्तित हूं।

मैं सत्ता दल जिसे हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं, से अपील करता हूं कि जैसाकि विपक्ष के माननीय नेता ने ठीक ही कहा है कि प्रधानमंत्री जी जहां कहीं भी हों उन्हें अविलंब सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के भी कुछ विचार होंगे। जहां तक मुझे मालूम है, विशेष कार्य अधिकारी आज 3.00 बजे कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। स्थिति को देखते हुए हम उनकी नियुक्ति रोक सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी आ जाएं और हमारी बात सुनें तो वह इस नियुक्ति को रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से यहां आने तथा इस बारे में स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया जाना चाहिए। मैं व्यक्त की गई चिन्ता से पूर्णरूप से सहमत हूँ और यदि यह सही है तो हमारे लिए यह बहुत हताशापूर्ण तथा भयप्रद है कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री को परामर्श देगा यह बहुत ही अवांछनीय कार्य है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यद्यपि मैं पूर्व दो प्रधानमंत्रियों और श्री सन्तोष मोहन देव जिन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता के बारे में उनके साथ शामिल हूँ तथापि हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री को इस प्रकार की नियुक्तियां करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। हमें प्रेस के माध्यम से पता चला है कि इस प्रकार की दो नियुक्तियां की गई हैं अथवा की जाने वाली हैं। इनमें से एक प्रख्यात इतिहासकार, मध्यकालीन भारत के इतिहास के विशेषज्ञ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। वही जाने-माने व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति एक जाने-माने स्तम्भकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के टीकाकार हैं और वह विश्व के कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य करते रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व के अब तक के कुछ सम्बन्धों और कतिपय घटनाक्रमों के बारे में उनके विचारों से हम भलीभांति परिचित हैं।

महोदय, एक व्यक्ति से आने वाले समय के बारे में एक निश्चित राय कायम करने की आशा नहीं की जा सकती। एक पत्र का हवाला दिया गया है जिसमें संबंधित व्यक्ति ने उस समय अपने विशेष विचार व्यक्त किए थे।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : नहीं, यह प्रेस में आया है।

श्री रूपचन्द पाल : मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिएं इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री ही उपयुक्त व्यक्ति हैं।

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : तो फिर आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं?

श्री रूपचन्द पाल : मैं स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ मैं केवल यह कह रहा हूँ कि प्रेस और टेलीविजन पर आने के बावजूद मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि नियुक्ति अभी की जानी है अथवा उसकी पुष्टि की जानी है। यदि स्थिति ऐसी है तो प्रधानमंत्री स्वयं ही स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं और हम उनसे स्पष्टीकरण लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं दलों के सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्णय लूंगा। जैसाकि मैंने शुरू में कहा है कि हम इस मुद्दे पर लम्बी चर्चा नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस पर प्रकाश डालने के बाद में केवल दो छोटे मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम सबको इस बात का गर्व है कि भारत की विदेश नीति में एक आम सहमति है। छोटे-मोटे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर मतभेद हो। लेकिन भारत की विदेश नीति में आम सहमति है और जिस अधिकारी को नियुक्त किया, वह भारत की विदेश नीति की आम सहमति से स्वयं सहमत नहीं है। वह केवल एकाध मुद्दे पर सहमत नहीं है, ऐसा नहीं है। जो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वह किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं हैं। जिस पत्र का उल्लेख किया है, मैं उसमें ज्यादा चर्चा में नही जाना चाहूंगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि हम अणु अस्त्र बनाएं या न बनाएं, इस पर थोड़ा मतभेद देश में हो सकता है। लेकिन विकल्प हम खुला रखें; यह राष्ट्रीय सहमति का विषय है यह परमाणु विकल्प खुला है इसको किसी ने क्लोज करने की बात नहीं की है। कुछ इसको एक्सरसाइज करने की बात कह सकते हैं। लेकिन क्लोज करने के लिए नहीं कहा है। एक अधिकारी जो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह कहे कि आप भारत पर दबाव लाओ कि यह ऑप्शन क्लोज करके, कॉस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट करके न्यूक्लिअर ऑप्शन समाप्त करो, मुझे लगता है कि यह आपत्तिजनक है। आपको याद होगा कि हिन्दुस्तान की संसद ने एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया था कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें वापिस लेना चाहिए। यह आम सहमति से पास एक प्रस्ताव था। अब इनका यह कहना है कि कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सियाचिन पाकिस्तान को दे देना चाहिए। एक और आम सहमति का विषय है हिन्दुस्तान की विदेश नीति में कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए और इनका बड़ा आग्रह पूर्वक मत है कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इसलिए न्यूक्लिअर ऑप्शन, सी.टी.बी.टी कश्मीर समस्या इन सारी समस्याओं के बारे में जो राष्ट्र की आम सहमति है, उस आम सहमति से विपरीत मत रखने वाले ये अधिकारी हैं।

अमरीका में बड़े-बड़े अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए उन्होंने एक पद्धति अपनाई है। जिस पद्धति के अनुसार उनको एक सलेक्ट कमेटी के सामने जाना पड़ता है ओर उनके क्रिडेंशियल्स देखे जाते हैं। उस पर बहस होती है तथा बहस के बाद बहुत बार रिजेक्ट करने की भी स्थिति होती है। तीन-तीन, चार-चार दिन उस पर बहस होती है। हम उस पद्धति को लाएं या न लाएं, इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन कम से कम यह पद्धति भले ही न हो; अभी जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि फौज में अफसर को छोड़ दीजिए, यदि कोई सिपाही लेना हो तो हम पुलिस रिपोर्ट मांगते हैं; कोई क्लर्क लेना हो तो हम पुलिस रिपोर्ट मांगते हैं। हम महीनों तक पासपोर्ट इसलिए नहीं देते कि पुलिस रिपोर्ट नहीं आई है और प्रधान मंत्री जी के कार्यालय में विदेश विभाग देखने के लिए आई.बी. की जानकरी क्या थी, पता नहीं है। ऐसा अधिकारी नियुक्त करना गलत है। प्रधान मंत्री जी से भेले ही आप पूछ लें। हमें लगता है कि प्रधान मंत्री जी या तो यहां आकर बताएं या इस अधिकारी की नियुक्ति रद्द कर दें।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय, विशेष कार्य अधिकारी के पद पर इनकी नियुक्ति के बारे में वरिष्ठ नेताओं द्वारा आपत्तियां की गई हैं। मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता क्योंकि उनके विचारों से सभी अवगत हैं। मैने एक ही नहीं बल्कि ऐसे अनेक लेख पढ़ें हैं जिनमें यह स्पष्ट है कि उनके विचार हमारी राष्ट्रीय नीति से मेल नहीं खाते हैं। यह सत्य है .....*(व्यवधान)*

इस नियुक्ति से हमारे मन में कई संदेह उत्पन्न हुए हैं। क्या ऐसा है कि इस व्यक्ति को पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के बारे में हमारे प्रयास में सियाचीन के संबंध में राष्ट्र की टोह लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है? क्या यह सरकार सियाचीन को त्याग कर पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध कायम करने वाली है और क्या इस नियुक्ति के माध्यम से देश में एक टोह लेने वाला भेजा जा रहा है ताकि उन्हें देशवासियों के दृष्टिकोण के बारे में प्रमुख जानकारी मिलती रहे? हमारे मन में यही संदेह है। प्रधानमंत्री द्वारा यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस नियुक्ति का अर्थ इस देश की सहमति पर आधारित हमारी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से यह आश्वासन लेना चाहता हूं।

श्री मुधकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने सदन में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है।

मुझे कल ही जी.टी.बी. पर समाचार देखने का अवसर मिला जिसमें एक व्यक्ति की नियुक्ति की घोषणा की गई। उन्होंने उसकी नीतियों की घोषणा की और उन्होंने विशेष रूप से यह उल्लेख भी किया है कि श्री इन्द्र कुमार गुजराल सदैव उससे परामर्श करते हैं तथा उसकी नियुक्ति उनके घनिष्ट मित्रों में से एक होने के कारण की गई है। जी.टी.वी. पर प्रसारित समाचारों में इस प्रकार की घोषणा की गई थी।

मैं उस व्यक्ति की पृष्ठ भूमि से अवगत नहीं हूँ और उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। परन्तु एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब श्री चन्द्रशेखर, श्री वाजपेयी, श्री सन्तोष मोहन देव जैसे व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों ने आपत्तियां की हैं तो मुझे लगता है कि वह व्यक्ति बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति हैं। जब इस मुद्दे से राष्ट्रीय नीति का हित सम्बद्ध

है तो क्या सरकार को ऐसी विवादास्पद नियुक्ति करनी चाहिए? जब तक हमें उस विशेष व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती तब तक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्र के हित में नहीं है।

अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आएं और की गई सभी आपत्तियों को दूर करें। जब तक सभी आपत्तियां दूर नहीं होतीं तब तक ऐसी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि हमने इस विषय पर काफी चर्चा कर ली है। मैं प्रधानमंत्री के यहाँ आने तथा सदन को सूचित करने के लिए दो बजे का समय निर्धारित करता हूं बशर्ते कि यह प्रधानमंत्री जी के लिए सुविधाजनक हो।

अपराह्न 12.26 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम आदि का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सिविल अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अन्तर्गत सिविल अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1955 के वर्ष 1993 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1832/97]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1833/97]

(ख) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम; नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1834/97]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1835/97]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार विलुवली हैंडीकेप्ड, देहरादून के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार विजुवली हैंडीकेप्ड देहरादून के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1836/97]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अनतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 287 (अ) जो 1 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें खरीफ मौसम, 1997 के दौरान घरेलू उर्वरक उत्पादकों द्वारा विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों/वाणिज्य बोर्डों को की जाने वाली उर्वरकों की पूर्ति दर्शाने वाला आदेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी 1837/97]

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1838/97]

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवदेन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1839/97]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचना

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) का.आ. 884 (अ) जो 19 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 दिसम्बर, 1996 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए दहानू तालुक पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण, ठाणे का गठन किया गया है।

(दो) का.आ. 38 (अ) जो 14 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 जनवरी, 1997 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का एक प्राधिकरण के रूप में गठन किया गया है।

(तीन) का.आ. 88 (अ) जो 6 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 फरवरी, 1997 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए जल कृषि प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(चार) का.आ. 173 (अ) जो 7 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 फरवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 88 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 73 (अ) जो 31 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 फरवरी 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 114 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को धारा 12 और 13 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 54 (अ) जो 21 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अलीगंज, लखनऊ में स्थित पर्यावरण प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1840/97]

(4) (एक) जी.बी. पन्त इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन एनवायरनमैंट एण्ड डेवलपमेंट, कोसी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी.बी. पन्त इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन एनवायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट, कोसी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1841/97]

(6) (एक) भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1842/97]

(8) (एक) इंडियन प्लाइबुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1843/97]

धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) कि अंतर्गत धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1996, जो 12 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 566 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1844/97]

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग इत्यादि के बीच समझौता ज्ञापन

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 1997-98 के समझौता ज्ञपान की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1845/97]

(2) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेउ और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 1997-98 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1846/97]

(3) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 1997-98 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1847/97]

(4) राष्ट्रीय कैमीकल्स एड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 1997-98 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1848/97]

(5) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 1997-98 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1849/97]

(6) कर्नाटक एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 1997-98 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1850/97]

(7) पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 1997-98 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1851/97]

(8) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 1997-98 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1852/97]

(9) हिन्दुस्तान ऑरगेनिक कैमीकल्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 1997-98 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1852/97]

सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली इत्यादि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माहेम्मद मकबूल डार) : मैं श्री योगेन्द्र कुमार अलघ की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1854/97]

(3) (एक) नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इनकोरपोरेटिड़ नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इनकोरपोरेटिड़ नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1855/97]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक परा-चिकित्सीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1997, जो 22 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 95 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथलय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1856/97]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (नक्शानवीस और स्थापत्य सहायक) भर्ती नियम, 1996, जो 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख सा.का.नि. 429 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1857/97]

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुआ अनुपूरक समझौता

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : मैं श्री एम.पी. बीरेन्द्र कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1996-97 के दौरान जारी किये गये बाजार ऋण के परिणाम दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1858/97]

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21 की उपधारा (4) के अन्तर्गत 26 मार्च, 1997 को भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए अनुपूरक समझौते की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1859/97]

अपराह्न 12.28 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) वर्ष 1997-98 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर तीसरा प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 1997-98 के लिए योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.28½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चंडीगढ़ तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : चंडीगढ़ में तथा उसके आसपास हजारों रिटायर्ड केन्द्रीय कर्मचारी रहते हैं। यह सब लोग बहुत लंबे अरसे से यह मांग कर रहे हैं कि चंडीगढ़ मे सीजीएचएस की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इन सुविधाओं के न होने के कारण इन हजारों कर्मचारियों को बहुत दिक्कतों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब तक की आई विभिन्न सरकारों ने इस संबंध में मात्र आश्वासन ही दिये परन्तु कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

अपराह्न 12.29 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

चंडीगढ़ दो प्रदेशों की राजधानी है तथा अपने आप में एक केन्द्र शासित प्रदेश भी है। केन्द्र सरकार की यह नीति बताई गयी है कि देश के सभी प्रांतों की राजधानी में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इसके बावजूद भी चंडीगढ़ में सीजीएचएस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। इस कारण चंडीगढ़ के सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों ने चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष एक केस भी डाला। न्यायालय ने इस केस का कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय किया तथा केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह चंडीगढ़ में सीजीएचएस की सुविधाएं उपलब्ध कराए। केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के केन्द्र सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वहां जब तक नियमित रूप से सीजीएचएस की सुविधाओं की पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक किसी अन्य प्रमुख अस्पताल से बात करके, यह सुविधा कर्मचारियों को उपलबध कराई जाए।

मैं केन्द्र सरकार विशेष रूप से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि वे इस ओर तुंरत ध्यान दें तथा चंडीगढ़ में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को तुरंत सीजीएचएस की सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा इसके लिए समुचित फंड की व्यवस्था करें।

(दो) समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी उपबंधों को विशेष रूप से महिला कामगारों के मामले में कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : महोदय, समान वेतन कानून होने के बावजूद अनेक क्षेत्रों में समान वेतन कानून लागू नहीं हो सका है। पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच वेतन का अन्तर बहुत रखते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता है और महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है। महिला श्रमिक ज्यादा अनपढ़ होने के कारण ज्यादा श्रम वाले काम में लगी होती हैं, जैसे मिट्टी ढोना, कारखानों में भट्टियों पर काम करना आदि। वास्तव में महिला श्रमिक ज्यादा ईमानदारी से अपना काम करती हैं और उन्हें अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। पुरुष और महिला श्रमिकों के वेतन में असमानता जानबूझ कर की जा रही है और यह महिला श्रमिकों के ऊपर एक अभिशाप है जबकि हम 21वीं सदी की दहलीज तक पहुंच चुके हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र उचित और ठोस कदम उठाएं और समान वेतन कानून संख्ती से लागू कराएं। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्यवही करके कड़ी सजा दें और महिला श्रमिकों का शोषण समाप्त करके उनको सम्मानपूर्वक जीने का प्रावधान करें।

(तीन) तेजपुर (असम) और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों का राष्ट्रीय पर्यटन परियोजना के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : महोदय, तेजपुर ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा असम का एक मनमोहक छोटा शहर है। तेजपुर खूबसूरत

प्राकृतिक सौंदर्य और प्रदूषण मुक्त क्षेत्र से घिरा हुआ है तथा इसके आस-पास कई ऐतिहासिक और प्राचीनतम स्थल हैं जो पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तेजपुर को भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के रूप संवर्द्धित एवं विकसित किए जाने की अपार संभावना है। अग्निगढ़ पहाड़ी, महाभैरव और विश्वनाथ मंदिर, महाभारत युंग के अवशेष, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आंगलिंग, विश्व एक सींग वाले गेंड़े का एक मात्र निवास स्थान, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आंगलिंग ओर राफ्टिंग केन्द्र, सदियों पुराना तवांग बौद्ध बिहार और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतों की छटा, गोल्फ तथा क्लब सुविधाओं सहित मनोरम हरे-भरे चाय बागान तथा अन्य कई आकर्षक पर्यटन आकर्षण तेजपुर से बहुत कम दूरी पर हैं।

यदि इन स्थलों को मान्यताप्राप्त पर्यटक स्थलों के रूप में तेजपुर तथा उसके आस-पास अपेक्षित होटल तथा परिवहन की बुनियादी सुविधाओं के साथ वाणिज्यिक विकास किया जाता है तो इससे बहुत बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। तेजपुर पर्यटक पैकेज के 'यूनीक सेलिंग प्रोपेाजीशन' के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण में बनस्पतियों एवं वन्य जीवों के अनुकूल पारिस्थितीकीय शुद्धता बनाए रखा जा सकेगा जो विश्व में अन्य कहीं भी उपलब्ध नहीं है।

पर्यटन एक सेवा उद्योग होने के नाते प्रस्तावित पर्यटन परिसर का इस पिछड़े क्षेत्र, जो अभी तक औद्योगिकीरण और उदारीकरण से पूरी तरह से अछूता है, में गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी समाप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी।

अतः मैं पर्यटन मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि तेजपुर में और उसके आस-पास असम-अरुणाचल सीमा के दोनों ओर केन्द्र सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय परियोजना के रूप में इन क्षेत्रों में पर्यटन की अत्यधिक संभावना को बढावा देने और उसके विकास के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

(चार) आन्ध्र प्रदेश के किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता

डा. बी.एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, हाल ही में हुई ओलावृष्टि से आन्ध्र प्रदेश के कई तेलंगाना जिलों, जैसे नालगोंडा, महबूबनगर, रंगारेड्डी आदि में खड़ी फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है और इससे अनुमानतः 60 करोड़ रुपए की हानि हुई है। अकेले नालगोडा जिले में ही 30,000 एकड़ भूमि में फसलों को नुकसान पहुंचा है जहां किसान अपना सब कुछ खो चुके हैं। मैं नालगोंडा जिले का हूं और ऐसा अनुमान है कि वहाँ 307 करोड़ रुपये से भी अधिक का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ऐसे गांवों में जहाँ 75 प्रतिशत या उससे अधिक फसल बर्बाद हो गई है, 250 रुपए प्रति एकड़ राहत दे रही है। जहाँ एक एकड में 10,000 रुपए का नुकसान होता है वहां 250 रुपये की राशि कुछ भी नहीं है। वहाँ पर पूरे गांव को एक यूनिट मानकर फसल बीमा योजना शुरू की जानी चाहिए अन्यथा किसान बर्बाद हो जाएंगे । मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर यथाशीघ्र कार्यवाही करे।

(पांच) कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त खान-पान सुविधाएं उलब कराये जाने की आवश्यकता

***श्री एम. रामनाथन** (कोयम्बटूर) : महोदय, कोयम्बटूँर शहर, जिसे दक्षिण का मैनचेस्टर समझा जाता है, एक बड़ा औद्योगिक शहर है। कोयम्बटूर जंक्शन दक्षिण रेलवे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। इस जंक्शन से बड़ी और छोटी रेल लाइनों से प्रतिदिन लगभग 85 'एक्सप्रैस' और 'पैसेन्जर' रेलगाडियां गुजरती हैं।

दक्षिण में कोचीन, मंगलौर, त्रिवेन्द्रम, कन्याकुमारी कोयम्बटूर जंक्शन से जुड़े हुए हैं। एक ओर पलानी, डिंडीगुल, मदुरै, रामेश्वरम, तूतीकोरिन, विरुथूनगर, सेंकोटाह छोटी लाइन द्वारा जुड़े हुए हैं वहीं उत्तर में दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई अहमदाबाद इस जंक्शन से जुडे हैं तथा ईरोड, सलेम, मद्रास और त्रिची बड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं।

इस रेलवे स्टेशन पर जहाँ यात्री रेलगाडियों का निरंतर आना-जाना रहता है लेकिन यहाँ पिछले कई महीनों से समुचित खन-पान सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह कहा जाता है कि रेलवे द्वारा अनुमति प्राप्त ठेकेदार यहाँ रेस्टोरेंट नहीं चला रहे हैं। यह अत्यंत दयनीय स्थिति है कि कोयम्बटूर जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन पर यात्री खाने की वस्तुएं लेने के लिए इधर-उधर भागते रहते हैं।

अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि इस मामले की जांच की जाए और कोयम्बटूर जंक्शन पर तत्काल सामिष और निरामिष रेस्टोरेंट खोलकर रेल यात्रियों की कठिनाई दूर की जाए।

(छः) मध्य प्रदेश में खजुराहो मन्दिरों के समुचित संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो के मन्दिर पर्यटकों विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र हैं। प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक इन मन्दिरों के भ्रमण के लिए आते हैं जिससे सरकार को लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष प्राप्त होती है लेकिन दुख की बात यह है कि उन मन्दिरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अनेकों वर्षो से उनकी मरम्मत नहीं की गई है जिससे इनका आकर्षण कम होता जा रहा है। यदि ऐसी ही स्थिति विद्यमान रही तो कुछ वर्षो बाद इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाने की आशंका है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पुरातत्व विभाग को इन मन्दिरों की मरम्मत और रख-रखाव की ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए ताकि इनके अस्तित्व की रक्षा की जा सके।

(सात) पश्चिम बंगाल में समुद्री पर्यटन स्थल दिघा के विकास तथा इसे विमान सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : दिघा पश्चिम बंगाल का एक सुन्दर समुद्री पर्यटन स्थल है, यहाँ प्रतिदिन भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, विशेष अवसरों पर विशेषकर सर्दी के दिनों में नवम्बर से फरवरी के बीच की अवधि में दिघा में हजारों पर्यटक आते हैं। आम पर्यटकों के साथ-साथ दीघा में विदेशों से भी लोग आते हैं चूंकि दिघा के साथ रेल संपर्क नहीं हैं, इसलिए पर्यटकों को बसों और कारों में यहाँ आना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यहाँ अच्छे होटलों और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की कमी के कारण दिघा में सभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को ठहराया नहीं जा सकता।

इन परिस्थितियों के मद्देनजर मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य सरकार के साथ परामर्श करके घनी पर्यटकों के लिए विमान सेवा आरंभ करे। अच्छे स्तर के होटल भी यहां खोले जाएं।

*मूलत : तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इसके अतिरिक्त, यहाँ केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित जल-जीव-शाला (एक्युरियम) को जनता के लिए खोल दिया जाए। यह पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण होगा।

अपराह्न 12.42 बजे

सामान्य बजट, 1997-98 *अनुदानों की मांगें

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कायेला मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की अनुदानों की मांगो पर चर्चा और मतदान होगा। मद संख्या 13 से 16 पर एक साथ चर्चा की जाएगी। इसके लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

अब सदन में कोयला, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विद्युत और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय/विभाग से संबंधित मांग संख्या 10, 63, 70, 88 और 89 पर चर्चा होगी और मतदान होगा। यह चर्चा केवल 6 बजे तक की जाएगी और तत्पश्चात् गिलोटिन होगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के संबंध में एक कटौती प्रस्ताव सभा पटल पर रखा है। वह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु वह इस समय उपस्थित नहीं हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 10,63,70,88, और 89 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षो के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चो की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के लिए अनुदानों की मांगें – बजट (सामान्य)

मांग सं.	मांग का नाम	20 मार्च 1997 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्ततु अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
कोयला मंत्रालय					
10.	कोयला मंत्रालय	28,46,00,000	54,14,00,000	142,32,00,000	270,71,00,000
अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय					
63.	अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय	37,86,00,000	19,12,00,000	189,29,00,000	95,61,00,000
विद्युत मंत्रालय					
70.	विद्युत मंत्रालय	88,30,00,000	452,59,00,000	441,50,00,000	2262,94,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
88.	परमाणु ऊर्जा	127,86,00,000	108,40,00,000	639,31,00,000	542,03,00,000
89.	परमाणु ऊर्जा योजनाएं	128,65,00,000	58,53,00,000	643,24,00,000	292,67,00,000

[हिन्दी]

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, आज डिस्कशन का लास्ट डे है, इसलिये टाईम के बारे में ख्याल करें। बहुत सारे मैम्बरों ने अपने नाम दे रखे हैं। मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि आप टाईम शुरू से ही रैस्ट्रिक्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय : पार्टीज को टाइम अलाटेड है। उसमें पार्टी का एक आदनी बोले या दस बोलें; मैं तो टाइम को आगे नहीं जाने दूंगा।

[अनुवाद]

जी हां, श्री आई. डी. स्वामी।

[अनुवाद]

श्री आई. डी. स्वामी (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हम ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, यह संयोग की बात है कि यह चर्चा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू की जा रही है।

कल जब हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे थे तब मैंने कई माननीय सदस्यों के विचार सुने। वे अपनी बातों का स्तर उच्च बनाए रख कर बोल रहे थे परन्तु आज हम दुनियादारी के मामलों पर चर्चा करने के लिए निम्न सतर पर आ गए हैं। कल हमारा बल देश में चरित्र के विकास, आधारभूत संरचना के विकास और मनुष्यता पर था। हमें स्मरण हो आता है कि चरित्र निर्माण के बिना शरीरिक, भौतिक और आर्थिक विकास अर्थहीन होता है। इस सम्बंध में मुझे एक शेर याद आ रहा है जोकि सदन में कल हुई सम्पूर्ण चर्चा का निचोड़ है और साथ ही वक्ताओं की भावना का द्योतक भी है:

[हिन्दी]

"इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं,
जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

[अनुवाद]

महोदय कल बोलने वाले सदस्यों के भाषणों का भाव यही था ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए; चरित्र निर्माण हो; शिक्षा पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाए और युवकों में देशभक्ति की भावना जागृत की जाए। दुर्भाग्यवश, हम दोबारा ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को उपदेश देता है।

[हिन्दी]

"हर शख्श बना लेता है इखलाक मिनार,
अपने लिए और औरों के लिए और।"

[अनुवाद]

मैंने इसे इस तरह समझा है।

आज जब हम ऊर्जा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब हम बिजली पर वाद-विवाद कर रहे हैं, जोकि ऊर्जा के चार उप क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण ढांचागत उप क्षेत्रों में से एक है, हम यह पाते हैं कि वहाँ पर भी हम काफी पिछड़ रहे हैं। आज तक हमारी कोई ऊर्जा नीति नहीं रही है। हम कोई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार करने में असफल रहे हैं। जो कि उद्योग के विकास के लिए इस देश के औद्योगिकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मूलढ़ांचा है तथा जो देश की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता अर्थात कृषि के लिए भी एक महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है।

[हिन्दी]

"इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं,
जहनों में अंधेरे है सड़कों पे उजाले हैं।"

[अनुवाद]

मैं सड़कों पर भी कोई उजाला नहीं पाता हूं। चारों तरफ तथा ऊर्जा क्षेत्र में भी अंधेरा व्याप्त है।

यह सम्मवतः संयोग है कि हमारा देश एक तरफ चरित्रबल विश्वास के संकट का सामना कर रहा है तथा दूसरी तरफ हम ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। दिल्लीवासियों को भी हाल में ही हमारे देश की ऊर्जा स्थिति का अनुभव प्राप्त हुआ है। इस देश में ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। ऊर्जा के उपक्षेत्रों अर्थात विद्युत उत्पादन क्षमता उपयोग पारेषण तथा वितरण तथा अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन है। परमाणु ऊर्जा तथा कोयले के विकास में नगण्य अथवा अत्यंत कम बृद्धि हुई है आज सुबह एक नई चर्चा शुरू हुई जिसमें हमें यह बताया गया कि महत्वपूर्ण पदों पर कतिपय व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु ऊर्जा का कार्य भी संदेह से घिर जायेगा। मैं इस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह एक अलग विषय है।

विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि दर में कमी आती है। अस्सी के दशक के दौरान उत्पादन क्षमता में वार्षिक वृद्धि की दर 8.4 प्रतिशत थी। नई आर्थिक नीति 1991 से प्रभावी हुयी। वर्ष 1991 से 1994-95 के बीच वार्षिक वृद्धि की दर लगभग पांच प्रतिशत की थी। वर्ष 1995-96 के दौरान इसमें और गिरावट होकर यह 2-3 प्रतिशत हो गयी तथा मुझे विश्वास है कि वर्तमान दर उपलब्ध सगी संकेतों के आधार पर 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होने वाली है। वर्ष 1996-97 के दौरान भारत में कुल अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र 2124 मेगावाट थी जो अब तक की निम्नतम थी। यह केन्द्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र को मिलाकर है। मूल ढांचा विकास की बातें सिर्फ कोरी बाते हैं तथा अब तक ये समी एकतरफा वायदे हैं। सारांश में ये समी खोखली बातें हैं।

यदि हम वर्ष 1996-97 के केन्द्रीय योजना परिव्यय का विश्लेषण करें तो 87000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की तुलना में सिर्फ 77 500 करोड़ रुपए का कम किया गया। एक के बाद एक सेक्टरों द्वारा न सिर्फ चालू खाते बल्कि पूँजी खाते में भी उन्हें आवंटित धन के व्यय पर कठिनाई महसूस की गई।

परमाणु ऊर्जा में अत्यधिक कमी है। ग्रामीण विकास इत्यादि के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में पेट्रोलियम जैसे अन्य क्षेत्रों सहित विद्युत की भी अत्यधिक कमी है।

मैं इस समय इसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या यह दुखद नहीं है कि धन तथा संसाधनों की कमी के संबंध में लगातार शिकायत करने वालों प्रशासन मामूली से बजटीय लक्ष्यों को भी पूरा नहीं कर सके।

आने वाले वर्ष में कई मामलों में आवंटन गत वर्ष की तुलना में कम है। सांकेतिक रूप में भी विद्युत हेतु 6943 करोड़ रुपए आवंटित हैं जो गत वर्ष की तुलना में 150 करोड़ रुपए कम है। वास्तविक रूप में यदि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए यह गत वर्ष की तुलना में काफी कम है। विद्युत क्षेत्र की यह स्थिति है। मैं विद्युत पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि यह आधारभूत सुविधाओं हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

विद्युत क्षेत्र में वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक बजटीय सहायता के वितरण से यह संकेत मिलता है कि ताप विद्युत उत्पादन हेतु बजटीय आवंटन में प्रतिवर्ष कमी हो रही है। वर्ष 1997-98 के लिए 2385 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य है लेकिन इस वर्ष हेतु बजटीय आवंटन वर्ष 1994-95 के 1705 करोड़ रुपए की तुलना में कम होकर 772.58 करोड़ रुपए रह गया है। आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20166 मेगावाट के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में 14626 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन की संभावना है।

मैं विद्युत उत्पादन के एक मुख्य स्त्रोत ताप विद्युत पर व्यय में कमी किए जाने का कोई औचित्य नहीं समझ पा रहा हूं। मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि विद्युत मंत्रालय द्वारा पारेषण वितरण तथा प्रणाली संबंधी सुधार में धीरे-धीरे बजटीय आबंटन में कटौती क्यों की गई है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। मैं यह जोर देना चाहूंगा कि इस की उचित सुविधा के बगैर विद्युत के अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्रों में पारेषण नहीं किया जा सकता है। हमारे पास अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्रों में पारेषण नहीं किया जा सकता है। हमारे पास अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र के रूप में हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के उदाहरण हैं। हमारे लिए वहां से विद्युत प्राप्त होती है। लेकिन जब तक हमारे पारेषण तथा वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ नहीं किया जाता है तब तक हमें हिमाचल से हरियाणा तक विद्युत प्राप्त नहीं हो सकती है ताकि इसे गरीब किसानों को कृषि कार्य हेतु दिया जा सके। अतः यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा पारेषण तथा वितरण में भी धीरे-धीरे बजटीय आवंटन में कटौती का गई है। यह आने वाले दिनों के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

इसी प्रकार नवीकरण तथा रख-रखाव संबंधी कार्यक्रम पर मुझे खेद है कि सातवीं तथा आठवीं योजनावधि के दौरान तैयार किए गए दो आर तथा एस, कार्यक्रमों में से राज्य क्षेत्र के पी.एल.एफ. राष्ट्रीय

[श्री आई. डी. स्वामी]

औसत से अत्यंत कम हैं। वर्तमान परिसंपत्ति का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जा रहा है। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्युत पारेषण हेतु किसी प्रणाली के अभाव में विद्युत परियोजनाओं के लिए पी.एल.एफ राष्ट्रीय औसत से अत्यंत निम्न है।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करता हूं कि आठवीं योजना में लक्ष्य 30538 मेगावाट था जबकि इसे 16415 मेगावाट तक प्राप्त किया गया। गैर सरकारी क्षेत्र की संभावित भागीदारी एक भ्रम था यह सिर्फ काल्पनिक थी। इसी कारण हम सरकार द्वारा यथापरिकल्पित प्राप्त करने में असफल रहे हैं।

इसी प्रकार तैयार किए गए जल विद्युत योजनाओं के ठेके दिए जाने में विलंब आर, एण्ड आर की समस्या इत्यदि जैसे विभिन्न कारणों से पूरा नहीं किया गया है। मुझे यह भी संदेह है कि उससे लगने वाली लागत तथा समय में वृद्धि होगी जिससे राजकीय राजकोष पर अत्यधिक भार पडेगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इसमें गैर सरकारी भागीदारी शुरू नहीं की जा सकती है। ऐसा लगता है कि इसे बिना किसी तैयारी अथवा विचार के किया गया है। उसके अलावा सरकार ने आठवीं योजना के मध्य में की गई उसकी समीक्षा में उचित सुधारात्मक उपाय नहीं लिए हैं। मुझे यह कहना है कि आठवीं योजना अनुमानित योजना के संबंध में असफल रही है। यह योजना सिर्फ कागजी सिद्ध हुई है और यदि मैं यह कहूं कि यह योजना सिर्फ कागजी ही रही है तो भी यह गलत नहीं होगा। विद्युत मंत्रालय ने नौवीं योजनावधि के दौरान 42,800 करोड रुपए के अनुमानित व्यय से 57000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाये जाने का अनुमान लगाया है। मुझे भय है यह आठवीं योजना के अनुमान की तरह ही असफल हो जायेगी। इस देश में विद्युत क्षेत्र की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

माननीय अपाध्यक्ष महोदय, यदि आगामी पांचवीं योजनावधि के अंत तक विद्युत संकट को समाप्त किया जाना है तब प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन क्षमता में कम से कम 40,000 मेगावाट जिसमें से 30,000 मेगावाट सरकारी क्षेत्र से होगा, की बढ़ोत्तरी करनी होगी। इसके लिए पांच वर्षो में 1,50,000 करोड़ रुपए अथवा प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ के विनेश की आवश्यकता होगी।

अब हम उन बजटीय आवंटनों पर चर्चा करें जिसका प्रावधान किया गया है। बजट में 70,000 करोड़ रुपए से कम का प्रावधान किया गया है। शेष धनराशि कहां से आयेगी हालांकि एन.टी.पी.सी. जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास अपने संसाधन हैं फिर भी बजट में धनराशि की कमी को शायद विदेशी निवेश से पूरा किया जाना है। मेरी समझ से विदेशी निवेश पर अत्यधिक निर्भरता भी देश के लिए अच्छी नहीं है।

अब यदि हम ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करें जिसकी हम शेखी बघार रहे हैं, तब ग्रामीण विद्युतीकरण अथदा सभी गांवों के विद्युतीकरण से संबंधित कार्यक्रमों तथा पम्प सेटों को विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य प्राप्ति में भी इस वर्ष अत्यंत धीमी प्रगति हुई है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्रगति इससे बेहतर नहीं है। मुझे दूसरे राज्यों के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन मेरे राज्य हरियाणा में 7000 गांवों को विद्युत प्रदान की गई थी। इसके बावजूद हमारी महिलाओं बहनों तथा माताओं को भोजन तैयार करने के महत्वपूर्ण समय घरेलू विद्युत की आपूर्ति नहीं की जाती है। हमारे लगभग 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। उन्हें बिजली नहीं मिलती है। उनके पास बिजली के बल्ब भी नहीं है। परीक्षाओं के दौरान भी बिजली मिलने में कठिनाई होती है। जिससे छात्रों को नुकसान होता है। सरकर को बार-बार कहने तथा इस हेतु दवाब देने के बावजूद हम उन्हें दो घंटे के लिए भी विद्युत देने में असमर्थ रहे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण की यही कहानी है। मुझे भय है कि यह स्थिति सभी राज्यों की हो सकती है। मैं कम से कम हरियाणा के बारे में व्यक्तिगत रूप से अवगत हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस.टीपी.सी, पी.जी.सी.एल, एन.एच.पी.सी. जैसी कई सरकारी उपक्रमों को विनिवेश हेतु चुना गया है। विद्युत मंत्रालय को यह जानकारी भी नहीं थी कि इन उपक्रमों का विनिवेश किया जा रहा है उनके विचार लिए ही नहीं गए थे। मुझे खेद के साथ कहना पड रहा है कि विद्युत मंत्रालय तथा इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच कोई समन्वय नहीं है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि एन.टी.पी.सी. पावर ग्रिड तथा एन.एच.पी.सी. जैसी लाभ कमाने वाले उपक्रमों का विनिवेश क्यों किया जा रहा है। यह रहस्य है। यह विद्युत का हाल है।

विद्युत क्षेत्र में जहाँ तक ऊर्जा का संबंध है इसकी स्थिति निरासाजनक है। आर्थिक सुधारों को शुरू किए जाने के पश्चात से ही सरकार विदेशी पूंजी को आकर्षित करने हेतु एक के बाद एक रियायतों की घोषणा कर रही है। समय-समय पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में बड़े बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? फलोरिड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के तीन प्रख्यात आचार्यो द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार गंगा नदी भी अब विपरीत दिशा में बह रही है वर्ष 1993 के दौरान भारत से सिर्फ अमरीका को भी पत्तनों द्वारा बीजकों में हेराफेरी कर के 4423 मिलियन डालर भेजे गये होंगे।

विद्युत के क्षेत्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में मांग तथा आपूर्ति के बीच अनुमान लगभग 85000 मेगावाट का अंतर था। क्योंकि इतनी विद्युत का उत्पादन करने हेतु संसाधन उपलब्ध नहीं थे। योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने 45,000 मेगावाट की व्यवहार्यता का अनुमान लगाया। अन्ततः केवल 31000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का योजना में प्रावधान किया गया । मैं उपलब्धि के बारे में उल्लेख कर ही चुका हूं यह केवल 14000-15000 मेगावाट है।

कोयला क्षेत्र में, जो एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आज तक इस क्षेत्र के लिए आवश्यक पर्यावरण तथा न्यूनतम आवश्यक नियंत्रण उपाय को उचित महत्व नहीं दिया गया। इस संबंध में आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है। आठवीं योजना के लिए आवंटित 75 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 22 करोड़ रुपये का वास्तविक उपयोग किया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमानों के इस राशि को कम करके केवल 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह कोयला क्षेत्र की स्थिति है। हम इस क्षेत्र को निजी कम्पनियों को सौंपने पर जोर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपको कुछ ज्यादा बोलना है तो आप लंच ऑवर के बाद बोलिये। अगर आप चार-पांच मिनट में खत्म कर देंगे तो ठीक है।

.....(व्यवधान)

श्री आई.डी. स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो-तीन प्वाइंट्स और हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप लंच ऑवर के बाद बोलिये। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था, प्राइम मिनिस्टर की कन्विनिएंस के मुताविक दो बजे के लिए, लेकिन सदन के सूचनार्थ प्राइम मिनिस्टर कल 12 बजे सदन में आकर स्पष्टीकरण देंगे। स्पीकर साहब को भी मैंने बता दिया है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : यदि तीन बजे भेंट हेतु समय नहीं दिया जाएगा.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : जब तक प्रधानमंत्री कोई स्पष्टीकरण दें, तब तक भेंट के लिए समय की अनुमति न दी जाय। यही इस सभा का विचार था।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : हां, अन्यथा इसका परिणाम क्या होगा? यह केवल स्थगित हो जायेगा।

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, मेरा ख्याल है कि सुबह यह आम राय थी कि प्रधानमंत्री आएं तथा दो बजे वक्तव्य दें.....*(व्यवधान)* यदि उन्हें नियुक्त नहीं किया गया है और यदि प्रधानमंत्री आते हैं तो .....*(व्यवधान)*

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मुद्दा क्या है?

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नगपुर) : उपाध्यक्ष जी, कहा गया था, सदन में ही जानकारी दी गई थी कि तीन बजे वे सज्जन डयूटी ज्वाइन करने वाले हैं.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय अतएव मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस सभा के नेता श्री रामविलास पासवान एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री आई.के. गुजराल को यह सूचित करें कि जहां तक हमने इसे समझा है तीन बजे श्री भवानीसेन गुप्त आज कार्यभार संभालेंगे। कृपया देखें कि इस आदेश में सभा की मनःस्थिति तथा इस सभा के माननीय सदस्य की आदरपूर्ण निवेदन की प्रतिष्ठा में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद, कल 12 बजे वक्तव्य देने के बाद इस विषय पर निर्णय लिया जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा है कि इस पर दोबारा डिस्कशन तो मैं शुरू नहीं कर रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, बैठिये ऐसा है कि मैं दोबारा डिस्कशन एलाऊ नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभा के विचार से प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : (*व्यवधान*) सदस्यों को सतुंष्ट करके वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आना चाहिए.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : उसमें यह है कि कल तो फिर चर्चा इन्फक्चुअंस हो जायेगी। आज अगर कोई चर्चा हो जाती, स्टेटमेंट हो जाता तो एपाइंटमेंट वह जस्टीफाई करते, और कोई बात करते, फिर एपाइंटमेंट करते। हमारी सारी भावनाएं उन तक पहुंचीं और वे एपाइंटमेंट उसके बाद कर देंगे और फिर कल अगर वह स्टेटमेंट देंगे और चर्चा होगी तो उसका अर्थ क्या रहेगा? इसका मतलब हमारी भावनाओं का तो अपमान हो ही गयां सदन का तो कोई मतलब रहा ही नहीं।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, चेयर की तरफ से हमसे जो यहां कहा गया था कि प्रधान मंत्री जी को यदि सुविधा हो तो दो बजे दिन में यहां आकर स्टेटमेंट दें। प्रधानमंत्री जी से हमारी बातचीत हुई। उनका एपाइटमेंट है। उन्होंने कहा कि कल 12 बजे आकर मैं स्टेटमेंट दूंगा। अब सदन की क्या भावना है, आप हमको चेयर की तरफ से बतला दीजिए। जो आपका निर्देश होगा, वह मैं बता दूंगा।

[अनवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : नेताजी ने बिलकुल ठीक कहा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मैं समझता हूं कि जब आपको एक बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 12 बजे देंगे तो फिर अब इसको बन्द करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : हम प्रधानमंत्री के अधिकार तथा कार्य क्षमता पर शक नहीं कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हम केवल सभा के विचार से जो एक काफी गंभीर मसले पर आज व्यक्त किए गए हैं, उसके बारे में सूचित कर रहे हैं। इस मामले पर विचार होना ही चाहिए।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : बताइए, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहें हैं?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : साथियों, हम प्रधान मंत्री को सदन की भावना से अवगत करा सकते हैं परन्तु हमें प्रधानमंत्री के पद को इस स्तर न लाएं कि हम उन्हें निर्देश दे सकें.....*(व्यवधान)* हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। मैं नहीं जानता कि क्या मुद्दा उठाया गया है। लेकिन जो मुद्दा उठा है वह यह है कि सदन की भावनाओं को

प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया जाये तथा उससे आगे नहीं। कृपया हम जो कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाये कि प्रधानमंत्री को किसी विशेष कार्य के अधिकारी को नियुक्त नहीं करें या चुनाव नहीं करें यह पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। यदि हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है तो हम क्यों प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं? यह निश्चितरूप से प्रधानमंत्री पद के खिलाफ है। हमें वह नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : आप हमारी भावनाएं पहुंचा दीजिए। यह प्रोरोगेटिव तो है, लेकिन हमारी भावनाएं पहुंच जायं । अगर कल को चर्चा के बाद एपाईटमेंट कर दें तो अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इश्यू क्लोज हो गया । हाउस की फीलिंग्स क्या है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाउस की फीलिंग्स कन्वे कर दी जायं।

अपराह्न 2.10 बजे

सामान्य बजट 1997-98 अनुदानों की मांगें *–जारी*

[अनुवाद]

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : महोदय, मैं कोयला क्षेत्र की स्थिति का उल्लेख कर रहा था। परन्तु कोयला क्षेत्र का उल्लेख करने से पहले मैं सरकार के एक अन्य प्रस्ताव का उल्लेख करूंगा क्योंकि मंत्रालय ने लगभग 12000 मेगावाट नेप्था आधारित विद्युत संयंत्र के माध्यम से क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया अपना अपना स्थान गृहण करें।

श्री आई.डी. स्वामी : नेप्था आधारित संयंत्र एक खर्चीला मामला है तथा काफी ज्यादा लागत के देखते हुये, जिसका भार अंततः उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जायेगा सरकार का यह प्रस्ताव एक मजाक बनकर रह गया है। जहां तक मैं जानता हूं, यह काफी आश्चर्य का विषय है कि विश्व के अन्य किसी देश ने–विकासशील विश्व, पूर्णतः विकसित देश किसी ने भी जहां तक मेरा ज्ञान है ने अब तक नेप्था को विद्युत संयत्र के ईधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे नही मालूम है कि किस परिस्थिति के अन्तर्गत सरकार ने नेप्था आधारित विद्युत संयंत्र के संबंध में प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। यदि यह केवल इच्छा है एक सद इच्छा है तो ठीक है।

मुझे फिर एक उर्दू का शेर याद आता है :

[हिन्दी]

यह आरजू भी बड़ी चीज है मगर हमदम
विसाले यार फक्त आरजू की बात नहीं।

[अनुवाद]

यह केवल सरकर का विचार नहीं हो सकता है कि वे नेप्था आधारित विद्युत संयत्र लगाना चाहते हैं जबकि इसका ईंधन इतना मंहगा है। इसका भार उपभोक्ताओं पर काफी गहरा पड़ेगा तथा विश्व में कहीं भी इसका प्रयास नहीं किया गया है। यह ऊर्जा के क्षेत्र में एक बात थी जिसे मैं आज सुबह भूल गया था।

अब मैं कोयला के संबंध में कुछ बातें कहना चाहूंगा। कोयला क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में आठवीं योजना का आवंटन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए 87 करोड़ रुपये का था जबकि योजना आबंटन के प्रावधान के केवल 21.19 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। मैं इसके पीछे कोई तर्क नहीं देखता हूं कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के लिए बजट अनुमान अब केवल 9.87 करोड़ रुपये रखा गया है जो नौवीं योजना की आनुपातिक आवश्यकता से भी कम है।

अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र में आठवीं योजना के प्रावधान में जिसका सीधा तथा तत्काल वाणिज्यिक प्रभाव होगा 1996-97 के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है जबकि बजट अनुमान 14.60 करोड़ रुपये से कम करके केवल 6 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वर्ष 1996-97 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का परिव्यय 2,143 करोड़ रुपये से संशोधित करके 1,311 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो बजट अनुमान में 45% कमी दर्शाता है। निवल बजटीय समर्थन भी 1996-97 के दौरान 100 करोउ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि भारतीय कोल लिमिटेड किस प्रकार आंतरिक तथा बाहरी बजटीय संसाधन को बजट में संसाधन के रूप में जुटाएगा क्योंकि 1997-98 की बजट में कोल इंडिया लिमिटेड के लिए कोई बजटीय समर्थन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जैसा कि 1996-97 की योजना परिव्यय में दर्शाया गया है सरकर तथा कोयला कम्पनियां कोयला परियोजनाओं में निवेश करने में असफल रहीं।

ऐसा प्रतीत होता है कि खनन के लिए 1805.73 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को देखते हुये कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। संशोधित अनुमान 1996-97 के दौरान घटाकर 1,111.33 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 1995-96 की वास्तविक खर्च खनन उद्देश्य के लिए 1,361.34 करोड़ रुपये था। मांग के हिसाब से, मैं पाता हूं कि नौवीं योजना के अनुरूप कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

कोयले के ऊपर लगने वाले आयात शुल्क में 1994-95 के 80 प्रतिशत को घटाकर 1996-97 में 20 प्रतिशत कर दिया गया है। पूर्वी तट में भारतीय कोयला लगभग प्रतियोगिता से बाहर है। यह स्वाभाविक है यह पश्चिमी क्षेत्र में भी काफी मंहगा पड़ता है क्योंकि 1996-97 में कोयले के ऊपर आयात शुल्क को 85 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गई। मेरी धारणा है कि 1997-98 में प्रस्तावित आयात शुल्क में 10 प्रतिशत की और कमी घेरलू कोयला उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी क्योंकि अन्य देशों में आयातित कोयले को किसी अन्य सीधी कर प्रणाली का सामना नहीं करना पड़ता है।

रक्षित खानों के बारे में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इन रक्षित खानों को विशेष उपयोग के लिए यथा, ताप विद्युत केन्द्र, इस्पात उद्योग इत्यादि को परिसम्पतियां समझा जाना चाहिए तथा इन्हें केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। मुझे पता चला है कि दो वर्ष पूर्व एक निजी कम्पनी को रक्षित खान बिना किसी पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर किए दिया गया तथा उन्हें केवल इस्पात तथा विद्युत का उत्पादन करना था लेकिन उस दिशा में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है तथा वे अपने रक्षित खान का उपयोग अपने लाभ तथा अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इस तरह की चीजों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। तभी हम कोयला, क्षेत्र में बेहतर स्थिति बना सकते हैं।

गुणवत्ता नियंत्रण उपाय में तेजी लाने की भी आवश्यकता है ताकि उच्च तकनीक वाले कोयला तथा कम राख की मात्रा वाले कोयले का उत्पादन हो। विभिन्न प्रयोक्ता उद्योग चिंतित हैं क्योंकि कोयला कम्पनियां उचित श्रेणी तथा कोयले की गुणवत्ता नहीं बनाए रखती हैं। जो कोयले की बिक्री में बकाया के लिए भी जिम्मेदार है। हमारे पास हरियाणा का भी उदाहरण है। हमारा पानीपत का ताप विद्युत संयंत्र कई बार खराब हुआ क्योंकि खराब गुणवत्ता वाला कोयला संयंत्र को सप्लाई किया गया।

मैं परमाणु ऊर्जा के संबंध में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में, परिव्यय की स्थिति काफी खराब है क्योंकि यह देखा गया है कि 1995-96 के दौरान बजट राशि के ऊपर वास्तविक खर्च 453-59 करोड़ रुपये घटा दिया गया है। खर्च में 342.62 करोड़ रुपये की कमी आंतरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधनों की अतिरिक्त वसूली न होने के कारण हुई जैसा कि योजना बजट में अनुमान लगाया गया था। 110.97 करोड़ रुपये की निवल राशि बजटीय समर्थन संघटक द्वारा दो अनुदानों के अंतर्गत, परमाणु ऊर्जा की अनुदान संख्या 88 तथा परमाणु विद्युत योजनाओं के लिए अनुदान संख्या 89 के अन्तर्गत खर्च नहीं किया गया। आप परमाणु ऊर्जा विभाग की दो अनुदानों के अन्तर्गत बजटीय संसाधन का उपयोग नहीं कर पाने की असमर्थता को देख सकते है।

इसके अलावा मैं अनुदानों में बचत शीर्ष के रूप में व्यय की कमी को असंतोषजनक बजट अथवा कार्य निष्पादन मे कमी का संकेत मानता हूं। यह परमाणु ऊर्जा के बारे में है।

मैं परमाणु विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आठवीं योजना में एक प्रस्ताव था तथा वर्ष 1988 में यह निर्णय लिया गया था कि इस शताब्दी के अंत तक 10,000 मेगावाट परमाणु विद्युत का उत्पादन किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक उपस्करों का आयात भी किया गया जिसपर 1,500 करोड़ रुपये व्यय हुआ। लेकिन आर्थिक सुधारों की अवधि अर्थात् 1990-91 हो 1995-96 के दौरान परमाणु विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को कम करके 5,000 मेगावाट तथा पुनः 2820 मेगावाट कर दिया गया।

यह स्थिति परमाणु विद्युत के संबंध में है।

सुधार की अवधि के दौरान जैसाकि देखा जा सकता है, अवसंरचनात्मक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्पादन में न सिर्फ अत्यधिक कटौती की गई है बल्कि इसमें देश के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षमता को पंगु बना दिया है। मानव संसाधन विकास तथा अवसंरचनात्मक विकास में स्वभाविक परस्पर संबंध है। युवा वैज्ञानिकी तथा तकनीकी विशेषज्ञों को प्रयोजनात्मक कार्यों के द्वारा अपनी प्रतिभाओं का विकास करने तथा अपने कौशल में सुधार करने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। कई उभरते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञ या तो देश छोड़कर जा रहे हैं अथवा क्रोध और निराशा में जी रहे हैं। मुद्दा यह है कि क्या वे इस तरह की सुधार प्रक्रिया से किसी बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते है।

वृद्धि दर के आंकड़ों को जो बढ़ा-चढा कर दिखाते हैं वे सुधारों से होने वाले सभी प्रकार के असंतुलन तथा विरोधाभास की अनदेखी कर देते हैं। वे इसके परिणामस्वरूप जीवन स्तर की जो स्थिति होती है उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। वे यह भूल जाते है कि विसंगतिपूर्ण वृद्धि नहीं होने से कहीं अधिक बुरी चीज है। 1996 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अद्यतन प्रतिवेदन के निहितार्थ से यह स्पष्ट होता है कि सुधार की अवधि के दौरान अर्थात 1991-96 में भारत के विकास में रोजगार के सृजन नहीं हुआ यह दिशाहीन और निरर्थक रहा। यदि हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिवेदन के निहितार्थ को समझें तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है।

परमाणु विद्युत के क्षेत्र में आठवीं योजना प्रस्तावों में 2002 ईस्वी तक 77000 मेगावाट परमाणु विद्युत क्षमता प्राप्त किए जाने का वृहद कार्यक्रम था। भविष्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण उपस्करों की खरीद हेतु अग्रिम कार्यवाही की गई। आठवीं योजना के दौरान चल रही परियोजनाओं नामतः ककरापार की इकाई 1 तथा 2 कैगा इकाई 1 तथा 2 तथा राजस्थान की इकाई 3 और 4 प्रत्येक से क्रमशः 220 मेगावाट में 1100 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाए जाने के अनुमान की तुलना में ककरापार से सिर्फ 440 मेगावाट की वास्तविक वृद्धि हुई है जबकि कैगा और राजस्थान से शेष 660 मेगावाट की क्षमता नौवी योजना में होगी। आठवीं योजना के प्रस्तावों तथा स्वीकृत परिव्यय के बीच असमानता, परमाणु विद्युत क्षेत्र में योजना काल के दौरान दी गई बजटीय सहायता और क्षमता लक्ष्य प्राप्ति में हुई कमी पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। परमाणु विद्युत क्षेत्र ही योजना में गंभीर खामियां हैं।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत की समग्र स्थिति भी अच्छी नहीं है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने वर्ष 1997-98 के लिए 1995-96 के 246.69 करोड़ रुपये वास्तविक तथा 1996-97 के 335.90 करोड़ रुपये (बजटीय अनुमान) की तुलना में 341.88 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें प्रस्तुत की हैं। मैं इस सभा के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि आठवीं योजना परिव्यय उपभोग में अभी मंत्रालय द्वारा कम धन का आवंटन किया जाना है। यह देखा गया है कि पुनः प्रयोक्त ऊर्जा पार्कों के मामले में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं मिली है, सोलो फोटो वोल्टिकरन कार्यक्रमों विन्ड पम्प, और एयरो-जेनरेटर/हाईब्रिड सिस्टम इत्यादि में कोई सुधार नहीं हुई है। आठवीं योजना के दौरान लघु जल विद्युत कार्यक्रमों में एसएचपी कार्यक्रमों के लिए 200 मेगावाट की थीं लेकिन आठवीं योजना अवधि में सिर्फ 63 मेगावाट की परियोजनाएं वास्तव में शुरू की गई। आठवीं योजना के दौरान 253 मेगावाट क्षमता के लिए परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है लेकिन सिर्फ धनराशि की मंजूरी से कुछ नहीं होगा।

किसी दुलमुल प्रयास की गुंजाइश नहीं है क्योंकि देश के अत्यधिक संसाधनों, जल विद्युत, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा की अपार क्षमता का दोहन किया जा सकता है जिससे ये देश के विकास में अत्यधिक योगदान कर सकते हैं। निश्चितरूप से हमारी एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति होनी चाहिए जिसमें न सिर्फ विद्युत कोयला बल्कि परमाणु ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम न सिर्फ खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म निर्भर, सक्षम हों बल्कि यह ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी होना चाहिए। यह कोयला, विद्युत परमाणु विद्युत अथवा नाभिकीय विद्युत क्षेत्रों में संभव है। मानव संसाधनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के बीच सहज संबंध है।

[श्री आई. डी. स्वामी]

[हिन्दी]

आज हम जा कहां रहे हैं। मैं आपसे आखिरी वाक्य कहना चाहता हूं। हमारे यहां यह जो ताकतवार सरकार है यह अमीरों के सामने हाथ फैलाए खड़ी है क्योंकि हम एनर्जी में, पॉवर में, एटॉमिक एनर्जी में भी विदेशों पर निर्भर करते हैं। इनसे हम किसी भी कीमत पर अपने यहां सरमायेकारी करने की अपील किये जा रहे हैं यें इसके लिए वे कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हैं चाहे इसके लिए हमें इखलाकी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। यह एक बेहद खौफनाक मंजर है। यह हमारे अपने आत्मविश्वास की कमजोरी को जाहिर करता है। हमें न तो बिल-गेट्स चाहिए और ही रूपक मडोंक। हमें एक ऐसी अकलमंद सरकार चाहिए जिसे हमारी जरूरियात का अहसास हो और हमें एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जिसे इस बात की समझ हो कि हम अपने यहां की टेक्नालॉजी को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, उसे प्रमोट कर सकते हैं। हमे अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए चाहे यह इस्तेमाल सेटलाइट में हो, एनर्जी में हो, एटॉमिक एनर्जी में हो, पॉवर में हो, जिसका आगे बढ़कर इस्तेमाल करने पर हम इनसे भी ज्यादा चमत्कार दिखा सकते हैं, जिसकी कल्पना मडोंक या गेट्स कभी नहीं कर सकते हैं। हम भारत को आसानी से और तेजी से तालीप-याफ्ता बना सकते हैं और मुल्क में लाखों रोजगार मुहैया कर सकते हैं। हम और चीजों में भागीदारी बढ़ाकर अपने यहां रोजगार में भारी इज़ाफा कर सकते हैं। हम देहात के लोगों को न केवल बिजली दे सकते हैं बल्कि उन्हें नेटवर्क से भी जोड़ सकते हैं। हम अपने देश में ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं जिससे देश को सूखे, बाढ़ और भूकम्प का सामना न करना पड़े। हम अपनी टेक्नोलॉजी का फायदा नयी नस्ल की तामीरी जिहानत को फिरोक देने के लिए उठा सकते हैं। अगर हमने ऐसा न किया तो हमारी बेशकीमती मसाइल, हमारे मेहनती लोग और हमारी गाढ़ी कमाई विदेशों में ही जाती रहेगी। हमारे लोग विदेशों में नौकरी की तलाश में जाते रहेंगे। हमारी दौलत स्विस-बैंक और काला दर वालों की जन्नत कही जाने वाली मुमालक में यूं ही जाती रहेगी। आप ट्रेवल एजेंटों, हवाला कारेबारियों पर ऐसी हालत में चाहे जितने छापे मारे यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप इस दौलत को बह जाने से नहीं रोक पाएंगे। जब तक हम अपने भारत को ऐसा नहीं बना पाते जहां लोग अपना सिर फख्र के साथ ऊंचा उठा सकें, स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर हो सकें तक तक यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा के महत्व पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। विद्युत तथा ऊर्जा के बिना हम प्रगति तथा खुशहाली के पथ पर थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए भूतपूर्व सोवियत संघ में जब वे एकजुट थे उन्होंने अत्यधिक प्रगति की थी, उनके नेता लेनिन द्वारा जन शक्ति के साथ-साथ विद्युत को इसका श्रेय दिला था। इसी की सहायता से सोवियत संघ को इतना संपन्न बना सका था।

अनुदान मांगों पर बहस में भाग लेते हुए मैंने तीन मंत्रालयों तथा एक विभाग अर्थात् विद्युत कोयला तथा ऊर्जा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के दस्तावेजों से कुछ पता लगाने की कोशिश की है।

उपलब्ध कराये गए संबंधित दस्तावेजों के आधार पर मैं इन मांगों के समर्थन में कुछ कहना चाहता था। लेकिन मुझे खेद है मुझे ऐसी कोई विशेष बात नहीं दिखी जिनका सामान्यतया इसमें समावेश होना चाहिए था।

अब हम इन तीनों मंत्रालयों तथा विभाग के मांगों की जांच कर रहे हैं। अतः सबसे पहले मैं विद्युत मंत्रालय का उल्लेख करूंगा। विद्युत हमारी संपन्नता तथा विकास के निर्धारण का मानक है। विद्युत क्षेत्र में इस एक वर्ष के दौरान संयंत्र भार गुणक में गत वर्ष की तुलना में कमी हुई है। गत वर्ष कुल संयंत्र भार गुणक 63 प्रतिशत था और अब यह 62.5 प्रतिशत हो गया है। संभवतः दिसम्बर 1996 के माह में हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में पी.एल.एफ. में सुधार लाने हेतु एक ठोस निर्णय लिया गया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में 2000 मेगावाट से भी कम ऊर्जा अथवा विद्युत उत्पादित की जा रही थी। आज इसमें वृद्धि हुई है। इस दृष्टि से हमने एक लम्बा रास्ता तय किया है। यह लगमग 90,000 मेगावाट है। यह एक वर्ष पूर्व 83000 मेगावाट था। वास्तव में आंकड़े अद्यतन नहीं हैं। लेकिन यदि इसमें आप 5000 मेगावाट अथवा 6000 मेगावाट जोड़ दें तब यह तकरीबन 86000 मेगावाट होगा।

हमारे देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता कितनी है तथा यह विकसित देशों की तुलना में क्या है। विकसित देशों में उदाहरणस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका में विद्युत की प्रतिव्यक्ति 10 हजार किलोवाट उपलब्धता है कनाडा तथा स्वीडन में यह और भी अधिक है, यह लगमग 12000 मिलोवाट है। कुछ विकसित देशों में यह लगमग 1000 किलोवाट है। लेकिन भारत में स्थिति अनिश्चित तथा सोचनीय है। यह सिर्फ 316 किलोवाट है। सात वर्ष पूर्व 1988-89 के दौरान यह लगमग 200 किलोवाट थी इसमें वृद्धि हुई है लेकिन हमें आने वाले दिनों में काफी प्रगति करना है। हमें अपने देश का औद्योगिकीकरण करने हेतु विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी तथा लोगों को न्यूनतम सुविधा देनी होगी।

वृद्धि दर क्या है ? एक अन्य दिन, अनुदान मांगों पर यह चर्चा हमारे बजटीय प्रक्रिया का एक भाग है – इस वर्ष के सामान्य अनुदान पर चर्चा का जवाब देते हुए हमारे योग्य वित्त मंत्री जी, जिनकी राजनीतिक संकट के पश्चात कुछ दिनों तक अत्यधिक खोज की जा रही थी, हालांकि अब वे अपने पद पर पुनः उपस्थित हैं ने कहा था कि आर्थिक वृद्धि की दर लगभग सात प्रतिशत है। कल अथवा इसके एक दिन पूर्व हम काफी खुश थे जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि आठ अथवा नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त किए जाने की संभावना है। जब यह स्थिति है तो विद्युत क्षेत्र की वृद्धि दर क्या है। विद्युत क्षेत्र में वृद्धि दर लगभग 3.8 प्रतिशत है। यह वृद्धि दर गत सात वर्षों के दौरान दर्ज की गयी न्यूनतम दर है। सात वर्षों के सभी आंकड़े स्थायी समिति के प्रतिवेदन में दिए गए हैं।

यह 3.8 प्रतिशत की न्यूनतम कमी आई है। जल विद्युत क्षेत्र में भी 5.4 प्रतिशत की कमी हुई है। ग्रामीण विद्युतीकरण में कुटीर ज्योति, दलित हरिजन कार्यक्रम, इन सभी मदों के अंतर्गत, ऊर्जा के उत्पादन हेतु निर्धारित की लक्ष्य प्राप्ति में कमी आयी है। हम लक्ष्य से नीचे हैं। यह फरवरी तक की स्थिति है। यदि यह फरवरी तक 50 प्रतिशत से कम है और मार्च तक वे अपनी लक्ष्य की प्राप्ति 100 प्रतिशत दिखाते हैं

तो यह स्वाभाविक रूप से इस बारे में संदेह होगा। वास्तव में मेरे संसदीय क्षेत्र में ऐसे गांव दृष्टांत के रूप में हैं जिन्हें सरकारी रिकार्ड में विद्युत सुविधा से सम्पन्न दिखाया गया है लेकिन वास्तव में वहां विद्युत उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे कई मामले हैं। नौकरशाही ऐसी गलत तस्वीर प्रस्तुत करने में सक्षम है। यही स्थिति है।

आठवीं योजना समाप्त हो चुकी है। आठवीं योजना में प्रारम्भ में 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। बाद में, इसे घटाकर 30,800 मेगावाट दर्शाया गया। लेकिन वास्तव में कितना उत्पादन किया गया ? उत्पादन 16,200 मेगावाट हुआ जो उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य का मात्र 53 प्रतिशत है आपको यह तो पता ही है कि विद्युत के मामले में आधारभूत ढांचा कितना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में यह देखा गया है कि इसके बावजूद, इस संबंध में कोई अधिक प्रगति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, समिति ने यह पाया है कि विद्युत मंत्रालय ने उपयुक्त कदम उठाने का प्रयास नहीं किया है और यह महसूस करती है कि विद्युत क्षेत्र के लिए आठवीं योजना में जो अनुमान लगाया गया था, जो योजना बनाई गई थी और जो परिकल्पना की गई थी वह गलत साबित हुआ। कुल मिलाकर असंतोषजनक कार्य निष्पादन रहा यह अत्यंत ही सोचनीय स्थिति है हम चाहते हैं कि सरकार सत्ता में रहे। लेकिन उन्हें काम करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार केवल सत्ता में बनी ही न रहे बल्कि वह कुछ काम भी करें। सरकार को इन सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके।

नौवीं योजना में, 57,00 0 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने का अनुमान लगाया है। आज एक मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने का खर्च 4 करोड़ रुपये आता है। सात वर्ष पूर्व यानि 1988-89, में जब हमने ऊर्जा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की थी, उस समय यह 1.25 करोड़ रुपये था। अब हमारी कुल मांग 2,28,000 करोड़ रुपये है। माननीय मंत्री महोदय को बहुत अच्छी जानकारी है। उन्हें यह धन किस स्रोत से प्राप्त होगा ? मुझे इस बारे में बताया जाए। 2,28,000 करोड़ रुपये में से, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 27,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस वर्ष के बजट के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस पृष्ठ भूमि को मद्देनजर रखते हुए, यह धनराशि 20,000 करोड़ रुपये से 24,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। मुझे इस धनराशि के प्राप्त होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार को आशा है कि उसे निजी क्षेत्र में काफी अधिक धनराशि मिलने की संभावना है।

यह पहला अवसर नहीं है कि हम विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन और भागीदारी के बारे आशावादी हैं। एक और भूतपूर्व विद्युत मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। हम सन् 1991-92 से और उससे पहले से हम इस पर विचार करते रहे हैं। मुझे याद है कि वर्ष 1987 में जब मैं ऊर्जा मंत्रालय की मतदान मांगों के बारे में ऐसे ही चर्चा में भाग ले रहा था, उस समय निजी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के बारे में मैंने भी वकालत की थी क्योंकि बहुत अधिक धनाशि की आवश्यकता थी। मात्र आलोचना के लिए हमें आलोचाना नहीं करनी चाहिए। यह धनराशि कहां से आएगी। निश्चितताौर पर, भारत सरकार इतनी अधिक धनराशि की व्यवस्था करने, निवेश करने और उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। अतः स्वाभाविक है कि हमें निजी उद्यमियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। लेकिन यह उत्साहवर्धक नहीं है। इनरॉन और एक-दो अन्य परियोजनाओं को छोड़कर, कोई भी धनराशि लगाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को इस संबंध में आत्म–विश्लेषण करना पड़ेगा। केवल यह कहना कि निजी क्षेत्र आगे आएंगे और हम निजी क्षेत्र से संसाधन जुटाएंगे यह पर्याप्त नहीं है। इससे समस्या का हल नहीं होगा। यह संभव नहीं है।

इसमें कई विसंगतियां है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। मैंने इन विद्युत परियोजनाओं के बारे में कहा है। इस संबंध में क्या हो रहा है। 88,000 मेगावाट विद्युत के अनुमानित उत्पादन में से, कितने प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। स्रोतों से प्राप्त विद्युत का आदर्श समुचित सामंजस्य होना चाहिए। पन विद्युत और ताप विद्युत का उचित सामंजस्य तैयार किया जाना चाहिए। हमें निश्चितताौर पर परमाणु विद्युत क्षेत्र और अपराम्परिक ऊर्जा स्रोतों से भी कुछ बिजली प्राप्त होगी। ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोतों के मामले में, हमने उस क्षेत्र में हाल ही में मामूली शुरूवात की है। लेकिन इससे पहले भी, पन बिजली की उत्पादन क्षमता पूर्ण उत्पादन क्षमता का दो तिहाई और ताप बिजली की उत्पादन क्षमता पूर्ण उत्पादन क्षमता का एक तिहाई था। समिति के अनुसार, यह 60:40 होना चाहिए अर्थात् ताप बिजली का उत्पादन 60 प्रतिशत और पन बिजली कर उत्पादन 40 प्रतिशत होना चाहिए। पन विद्युत परियोजनाओं के संबंध में निर्माणावधि काफी अधिक है। प्रदूषण और पर्यावरण की दृष्टि से पन बिजली का उत्पादन निश्चित तौर पर बेहतर है। इस संबंध में स्थिति यह है कि ताप बिजली का उत्पादन कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत और पन बिजली का उत्पादन मात्र 26 प्रतिशत है। अतः इस क्षेत्र में अत्यधिक असंतुलन है। इसका परिणाम क्या निकला है। इसका परिणाम यह निकला है कि पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी राज्यों में हमारी स्थिति सोचनीय है। हमें इस बात का एहसास पीक् लोड, नॉन पीक लोड और बेस लोड के समय होता है। ये सभी समस्याएं हैं। इससे पी एल एफ पर भी असर पड़ता है।

तालचेर के संबंध में, हमारे पास कोई उपयुक्त वितरण प्रणाली नहीं है। हमारे पास पारेषण लाइनें नहीं है। हमारे पास नेशनल ग्रिड नहीं हैं। दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, यहां बिजली की क्या स्थिति है। इसे आप सरकारी सूचना आने अथवा गैर-सरकारी, वास्तविकता यह है कि दिल्ली में उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां अति विशिष्ट व्यक्ति रहते हैं, बाकी स्थानों पर बिजली की सप्लाई में कटौती की जाती है। लेकिन उन रिपोर्टों के बारे में क्या स्थिति है जो हमें बस्तियों से और दूसरे क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं ? पुरानी दिल्ली के इलाके में, बिजली में कटौती की जाती है और लोगों को छह से दस घंटों तक बिजली प्राप्त नहीं हो रही है। नई दिल्ली में भी यही स्थिति है। यह बहुत ही विरोधात्मक स्थिति है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तालचेर में हमारा एक सुपर ताप विद्युत संयंत्र है जो अपनी इष्टतम क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि इस पर प्राप्त होने वाली बिजली का उपयोग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

लिंगराज कोयला खान नामक एक कोयला खान है। वहां पर भारी मात्रा में कोयला ढेर किया है। निश्चितरूप से यह कोयला निकालने का स्थान है। वहां कोई उपयुक्त योजना नहीं है। कुछ क्षेत्रों में बिजली का अकाल है। वहां कुछ विद्युत संयंत्र निष्क्रिय पड़े हैं जो अपनी इष्टतम क्षमता का उपयोग नही कर रहे हैं उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। पन बिजली क्षेत्र और इन सभी बातों के बारे में व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता है। वहां एक परिष्कृत संचारण और वितरण प्रणाली की आवश्यकता है। हमें इस बारे में सोचना है कि हम उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। बजटीय सहायता में वृद्धि

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

करने की आवश्यकता है। पुनः मुझे यहां यह कहते हुए खेद हो रहा है कि ताप विद्युत क्षेत्र के संबंध में, पारेषण और वितरण क्षेत्रों के संबंध में बजटीय आवंटन राशि में कमी की जा रही है। इन क्षेत्रों में हर मामले में बजटीय आवंटित राशि कम है। इस कारण से यह समस्या खड़ी हो रही है।

अब मैं नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करने लगा हूं।

महोदय, दूसरे देशों में, 75 प्रतिशत संयंत्र भार गुणक होता है। हमारे देश में भी, कुछेक परियोजनाएं और विद्युत संयंत्र ऐसे हैं जो 90 प्रतिशत संयंत्र भार गुणक अथवा शत प्रतिशत संयंत्र भार घटक पर कार्य कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, सिंगरौली स्थित बिरला हिन्दुस्तान एल्युमिनियम संयंत्र ने शत प्रतिशक से अधिक संयंत्र भार घटक प्राप्त किया है। समिति ने वहां दौरा किया था और यह पाया था कि उस संयंत्र का संयंत्र भार घटक शत प्रतिशत से अधिक था।

अतः यदि एक प्रतिशत मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो संयंत्र भार गुणक में 10 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। और यदि संयंत्र भार घटक में 10 प्रतिशत वृद्धि की जाती है तो 7000 से 8000 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन किया जा सकता है।

महोदय, पारेषण और वितरण प्रणाली में हुई क्षति के बारे में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि विश्व भर में हमारी क्षति का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत में यह 22 प्रतिशत से अधिक है। जापान में यह क्षति मात्र पांच से छः प्रतिशत है। हालांकि जापान के साथ हम अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं, इसे 12 प्रतिशत तक अथवा इसके लगभग उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता हैं। यदि हम पारेषण और वितरण प्रणाली के घाटे को 10 प्रतिशत तक कम कर सके तो हम 8000 मेगावाट अतरिक्त बिजली का उत्पादन कर पाएंगे जिसके परिणामस्वरूप हम 60,000 करोड़ रुपये की बचत कर पाएंगे। हम यह कार्य नए संयंत्रों को स्थापित किए बिना केवल विद्युत क्षेत्र में लाकर कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय मैने अपनी बात कहनी अभी शुरू की है कृपया मुझे कुछ और समय दें। अब मैं मदवार अपनी बात कहूंगा।

इसी प्रकार, कोयला क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि उन क्षेत्रों के लिए और बजटीय सहायता अपेक्षित है।

जहां तक अनिवासी निवासियों के साथ विद्युत क्रय करार का संबंध है, इसमें कुछ गतिरोध है। हमारी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। गारंटी और काउंटर गारंटी संबंधी कई मामले है और उनमें कुछ अनिश्चितता भी है। अतः सरकार को इस संबंध में अपना दिमाग लगाने दो। जो उद्यमी यह करार करने के लिए इच्छुक है, सरकार को उनके साथ विद्युत संयंत्रों, शुल्क दरों आदि के बारे में विचार-विमर्श करना चाहिए। यदि वे स्वेच्छा से ऐसी शुल्क दरों को भी निर्धारित करते है जो किफायती नहीं होगीं तो उनसे कौन बिजली की खरीद करेगा। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि ये बहुत ही गम्भीर मामले हैं जिनके बारे में विचार करना है। हमें इस तथ्य की जानकारी है कि बिजली की कटौती की जा रही है। इसमें हाइडलमिक्सचर आर एंड एम और पारेषण एवं वितरण घाटा भी शामिल है।

पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के बारे में, उनकी और ज्यादा और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि 14 और 15 तारीख को विद्युत संबंधी सर्वेक्षण किया गया। अधिकारियों ने कहा कि वहां कोई मांग नहीं थी, कम मांग आदि थी जो सही नहीं है। ये दोनों रिपोर्टें भिन्न हैं। वे अधिकारी अब जो कह रहे है, वह भी भिन्न है।

ईंधन नीति के संबंध में, हमारी कोई एकीकृत ईंधन नीति नहीं है। कभी हम नेफ्था पर निर्भर रहते हैं। विश्व में कहीं भी ऐसी विद्युत परियोजनाएं नहीं हैं जो नेफ्था पर निर्भर हों। यह बहुत ही मंहगी है। नेफ्था को इस्तेमाल करके हम अपनी विदेशी मुद्रा भी गवाएंगे। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जब उस दिन माननीय वित्त मंत्री को इस विषय पर बोलते सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ था। उन्होंने यह कहा हमें विकास दर से मतलब है और विदेशी मुद्रा के मामले में हमारी स्थिति संतोषप्रद है। इसी प्रकार जब कभी भी हमें किसी बात की आवश्यकता होगी, हम इस तरह से आयात कर सकेंगे। उन्होंने दो मिलियन यूनिट गेहूं का आयात करने का उदाहरण दिया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि यह हमारी आत्मनिर्भरता का बोधक नहीं है। यदि आपके पास धन होगा तो आप कुछ भी कर सकेंगे। हां, आप धन से उर्वरक ला सकते है, खाद्यान ला सकते हैं, गेहूं अथवा चावल ला सकते हैं लेकिन क्या विद्युत ला सकते हैं ? क्या आप अमरीका से विद्युत का आयात कर सकते हैं ? क्या आप आस्ट्रेलिया अथवा अन्य किसी देश से विद्युत का आयात कर सकते है ? विद्युत के बिना कुछ भी होने वाला नहीं।

इसलिए मैं कह रहा हूं कि विद्युत के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब मैं विद्युत के बारे में बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक है कि मैं कोयले आदि के बारे में भी बात कर रहा हूं जिसे यहां शामिल किया गया है। हमें पता है कि हमारे देश में कोयला ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है।

मैं अब वितरण के हिस्से के संबंध में चर्चा करूंगा। जब देश में ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी कार्यक्रम चलाया गया था, तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत तीन हजार गांवों को सम्मिलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन वह लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कुटीर ज्योति, हरिजन बस्तियों, दलित बस्तियों के लिए लक्ष्य को संशोधित करके कम किया गया है। यदि हम दूरदराज के इलाकों में लोगों को विद्युत उपलब्ध नहीं कराएंगे तो लोग सचेत हो जाएंगे और इसे सहन नहीं करेंगे। यदि हमारे देश में क्षेत्रीय असंतुलन को नियंत्रित नहीं किया गया और इसे बढ़ने दिया गया तो लोग इसे भी सहन नहीं कर पाएंगे। हमें राष्ट्रीय एकीकरण की बहुत आवश्यकता है। मुझे डर है कि यदि हम दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को विद्युत न उपलब्ध करा सके तो राष्ट्रीय एकीकरण को खतरा हो सकता है। जब हम संसद सदस्य उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, वे हमसे यह पूछते हैं कि क्या वे भारतीय नहीं है; क्या उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली है, जबकि उस स्थान से एक किलोमीटर की दूरी पर हर जगह विद्युत है और लोग बिजली की सुविधा का उपभोग कर रहे हैं और उन्हें क्यों उससे वंचित रखा गया है। उन्हें विद्युत नहीं मिल रही है।

अब इस रवैये और नई आर्थिक नीति को अपनाकर कुछ सुधार हुआ है। लेकिन राज्य बिजली बोर्डों की हालत बहुत ही शोचनीय है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को अब वाणिज्यिक आधार पर चलाया जा रहा है। जब यह मामला उठा, तो कुछ ग्रामवासियों ने हमारे साथ सम्पर्क किया और तर्क दिया कि कुछ विकसित गांवों को विद्युत मिली है लेकिन यह प्रश्न उन पहाड़ी क्षेत्रों और जंगल बस्तियों से दूर रह रहे आदिवासियों का है, यदि हम यह कहें कि जब तक इसे वाणिज्यिक नहीं बनाया जाता, और जब तक कि पाचास अथवा साठ उपभोक्ता सामने नही आते हैं, तब तक हम विद्युत नहीं दे पाएंगे, इसमें सामाजिक न्याय क्या है। क्या यही सामाजिक न्याय है ? निश्चिततौर पर यह सामाजिक न्याय नहीं है।

हमारे पास मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पारित किया गया सात सूत्री न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है। इस सरकार को इसका श्रेय जाता है। इस कार्यक्रम में आठवीं न्यूनतम आवश्यकता के रूप में विद्युत को जुड़ने दीजिए और तब हम इस कार्यक्रम को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे और देखेंगे कि देश के हर कौने में विद्युत पहुंचाई जाए क्योंकि विद्युत के बिना भीतरी क्षेत्रों में, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी लोगों को न्यूनतम सुख-सुविधाएं न्यूनतम सुविधाएं और विकास संबंधी न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।

अब मैं विनिवेश पर आता हूँ। कुछ सरकारी क्षेत्र के संगठन विद्युत मंत्रालय की जानकारी के बिना बहुत ही अनोखे ढंग से विनिवेश कर रहे हैं। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ग्रिड कारपोरेशन को उस सूची में शामिल किया गया है और उन कारपोरेशनों में कतिपय विनिवेश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। समिति द्वारा भी इस मामले की जांच की गई और सचिवों ने कहा कि यह उनकी जानकारी के बिना किया गया। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन आदि मुनाफा कमाने वाले संगठन हैं। उन्हें इसके अंतर्गत क्यों लाया गया है।

चूंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं अब कोयले के बारे में बात करता हूं। आखिरकर कोयले के मामले में उत्पादन और उत्पादकता में कुछ सुधार हुआ है। मैं पुनः स्थायी समिति के प्रतिवेदन का संदर्भ देना चाहूंगा। कई क्षेत्रों में कोयले की कमी है। एक ओर मंत्रियों ने कहा है कि धन नहीं है और इसलिए वे गैर सरकारी संगठनों से सहायता मांग रहे हैं अथवा उनकी निजी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे है। लेकिन दूसरी ओर, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत जो धनराशि मुहैया कराई गई है, उस अल्प धनराशि को भी व्यय नहीं किया गया है। यहां पर पुनः कोल इंडिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं और पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए भी, कुल योजनागत परिव्यय में कटौती की गई है। उन्होंने 46 प्रतिशत राशि कम खर्च की है।

इससे नौवी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नौवी योजना में, लगभग 288 मीटरी टन का प्रावधान किया गया है।

आज इस चर्चा में भाग लेते हुए, मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य स्मृति में अपनी श्रद्धाजंलि देता हूं जिन्होंने कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में साहसिक कार्य किया। कई खानों की दयनीय स्थिति थी; कुछ क्षेत्रों में कर्मकारों का शोषण किया जा रहा था; पर्यावरणीय दृष्टि से वहां बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था और निजी उद्योगपतियों से कोई धन प्राप्त नहीं हो रहा था। इन चार कारणों के परिणामस्वरूप, कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने की बात उठनी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वर्गीय कुमारमंगलम की मदद से साहसिक कदम उठाया और वह कार्य पूरा किया। उस समय हमारे देश में कोयले का उत्पादन 70 मीट्रिक टन था; अब यह बढ़कर 280 मीट्रिक टन हो गया है। इसमें लगभग 20 से 25 मीट्रिक टन की गिरावट आई है लेकिन पांच वर्षों में यह .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के और भी सदस्य बोलना चाहते हैं। आपकी पार्टी का टोटल टाइम 56 मिनट है।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, एक माननीय सदस्य लगभग एक घंटे तक बोले थे। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं आपकी दया पर हूं। मैं संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं। मैं केवल मुख्य-मुख्य बातों पर ही प्रकाश डाल रहा हूं..... *(व्यवधान)*

सन् 2002 तक कोयले की मांग बढ़कर 425 मीट्रिक टन हो जाएगी। पुनः यह अनुमान है कि दसवीं योजना के अंत तक यह बढ़कर 550 मीट्रिक टन हो जाएगी। यही कारण है कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है।

वे चारी समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं। श्री के. एस. आर चारी जो कोयला विभाग के सचिव थे, ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कहा था। अब इस चारी समिति की रिपोर्ट में कायला उद्योग का निजीकरण करने की सिफारिश की गई है। हालांकि इसकी मांग है लेकिन धन नहीं है। लेकिन हम धन के लिए बाजार से खुले आम धन इकट्ठा नहीं कर सकते है क्योंकि जब निजीकरण किया जा रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होगा। वे पर्यावरण सुधार पर पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे। वे अपेक्षित संरचना में लोगों को नियोजित नहीं करना चाहेंगे। वे परिसर का विकास करने पर धन खर्च नहीं करना चाहेंगे। यह हमारा अनुभव है। इसकी क्या गारंटी है कि वे स्लौटर माइनिंग नहीं करेंगे ? हम जानते हैं कि हम नौकरशाही किस प्रकार कार्य करते हैं। हम एक तंत्र स्थापित कर सकते है लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं कि कोई स्लौटर माईनिंग नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य निजीकरण की बात कर रहे है। मैं यह कहना चाहती हूं कि निजीकरण नहीं किया जा रहा बल्कि डिमांडस और सप्लाई के गैप को भरने के लिए प्राइवेट सैक्टर का इलाज किया जा रहा है.....*(व्यवधान)* आप निजीकरण मत कहिये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : निजीकरण नहीं किया जाता है। निजीकरण आपका औद्योगिकीकरण ही है। सार्वजनिक संस्था है। सी.आई.एल. और एस.सी.सी.एल. है। इसके साथ प्राइवेट इंडियन कम्पनी भी आयेंगी बीट देंगी। मैं तो बोलने वाला हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि फॉरन कम्पनी लाकर सी.आई.एल. के साथ ज्वाइंट सैक्टर बनाने के लिए आपको क्या तकलीफ है ? आप अपनी एजेंसी से काम करिये।

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

[अनुवाद]

उन्हें अपना कार्य करने की और स्वतंत्रता और स्वायत्तता दें और धनराशि जुटाने के लिए पूंजी बाजार का सहारा लें। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक व दूसरी एजेन्सियों से भी सम्पर्क करें।

लगभग तीन-चार वर्ष पूर्व, हमने रक्षित खनन के प्रयोजन के लिए निजी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने विधान में संशोधन किया था। इसके लिए कौन सामने आया ? मंत्री महोदय, अपने उत्तर में कृपया हमें बताएं कि विधान में संशोधन करने के बाद, कितनी कम्पनियां सामने आई हैं। आपने उनके लिए अलग से 41 खण्ड आरक्षित रखे हैं।

2.59 म० प०

[**श्री चित्त बसु** *पीठासीन हुए*]

अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। इसीलिए आपको रक्षित खनन की व्यवस्था करनी चाहिए और ज्यादा स्वायता देनी चाहिए। साथ ही स्थानीय समस्याएं जैसा कि पर्यावरण क्षय के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

उन्हें सीधे मंत्रिमण्डल में जाने और सभा में चर्चा के बिना ही इसे स्वीकृत करवाना परामर्शदात्री समिति को भेजे बिना अथवा कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों, जो ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि है, के साथ विचार-विमर्श किए बिना पारित कराने की क्या जल्दी थी। ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं और उनकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। वे जल्दबाजी में कोई भी काम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हम इस बात की सराहना करते हैं कि सरकार को इस क्षेत्र में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन उसके साथ-साथ उनमें स्पष्टता होनी चाहिए और उन्हें हर किसी को विश्वास में लेना चाहिए।

चारी समिति के कारण कार्यबल प्रभावित हो रहा है और वे आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं। यदि वे श्री बसुदेव आचार्य से पूछें तो वे उन्हें जानकारी दे सकते हैं। इस बात से हर कोई आतंकित है। इसे बहुत ही नियमबद्ध ढंग से करना चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ, जिन बातों का मैं उल्लेख कर रहा हूं उस संबंध में कुछ किया जा सकता है लेकिन उस ढंग से नहीं जिस तरीके का वे सुझाव दे रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया उस वायदे को याद करें जो आपने उपाध्यक्ष महोदय से किया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मुझे वह याद है । अब आप पीठासीन हुए है, इसलिए इसे नए सिरे से शुरू किया जा सकता है।

सभापति महोदय : नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। कृपया मुझसे इसकी आशा न करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जैसाकि विद्युत क्षेत्र में पन बिजली, ताप बिजली और परमाणु विद्युतों का सम्मिश्रण है उसी प्रकार कोयला खानों के कार्यकरण के लिए खनन क्षेत्र में भी ऐसा सामंजस्य होना चाहिए। भूमिगत और ओपन-कास्ट माइनिंग में औचित्यपूर्ण सम्मिश्रण होना चाहिए। नई स्वैच्छिक सेवानिवृत योजनाओं को लागू करके नए कार्यबल का गठन किया जा सकता है और युवाओं की भरती की जा सकती है। इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।

जब ओपन-कास्ट माईनिंग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है उन्हें नौकरी प्रदान की जाती है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि उन लोगों की भूमि के अंदर क्यों भेजा जाता है जिनकी भूमि ओपन कास्ट माइनिंग के लिए अधिग्रहीत की गयी है। मैंने मामला कुछ दूसरे मंचों पर भी उठाया है। इसके अतिरिक्त भूमि से बेदखल किए गए उन लोगों के प्रति कोई सहानुभूमि नहीं दिखाई गई है जो इसके पात्र है। हम भूमि से बेदखल किए गए उन लोगों के आभारी हैं जो हमारी उस परियोजना के लिए अपनी भूमि का त्याग कर रहे हैं जो एक राष्ट्रीय मसला है। अतः उनके बच्चों को कोल इंडिया लिमिटेड के स्कूलों में शिक्षा का लाग दिया जाए। उनका कोल इंडिया लिमिटेड के अस्पतालों में इलाज भी कराया जाए।

एक और मुद्दा माफिया ग्रुप के संबंध में है और वहां सक्रिय है। माफिया गतिविधियों पर हर जगह रोक लगाई जाए।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगुसराय) : माफिया किसको कहते हैं, यह तो बताइए।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। क्या मैं आपसे बढ़िया काम कर सकता हूं। हालांकि, मैं इस बारे में आपसे बढ़िया परिभाषा नहीं दे सकता हूँ। आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं।

अगला प्रश्न माल वाहकों की नियुक्ति का है। भूतपूर्व सैनिकों को इस कार्य में नियोजित करने का विचार अच्छा है, लेकिन वे कहीं भी खेतों के आस-पास दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनमें से बहुतों ने अपने खेत उन लोगों को बेच दिए हैं जो स्थानीय लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें पीड़ित कर रहे है। इससे कोयला क्षेत्र में रहने वाले लोगों में असंतोष की भावना पैदा हो रही है। स्थानीय लोगों को इस कार्य के लिए प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है। अतः इस नीति का नवीकरण करने की आवश्यकता है।

कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने के मामले में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है और इसे निपटाया जाना चाहिए। मेरे विचार में, दूसरे क्षेत्रों में कुछ प्रगति हुई है।

जहां तक चारी समिति की रिपोर्ट का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि कम से कम कुछ सीमा तक निजी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और कुछ सुरक्षोपायों को लागू किया जाना चाहिए और कोयला उद्योग को और बजटीय सहायता दी जानी चाहिए।

जैसा कि मैंने बताया, संयुक्त क्षेत्र की रक्षित खानों को समन्वित ढंग से और स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है। विशेष रूप से प्रबंधन में नयी कार्य संस्कृति होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था पर भी नजर रखनी होगी। कुछ अधिकारी दस साल या पांच साल से महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर अपनी मनमानी कर रहे है। ऐसी बात क्यों होनी चाहिए ?

सहभागी प्रबन्धन होना चाहिए। कोयला क्षेत्र में कामगारों की भागीदारी शुरू की जा सकती है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत के विषय में केवल एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारा क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। हम हर जगह बिजली की लाइनें नहीं पहुंचा सकते। ताप विद्युत लाइनों और अन्य लाइनों को नियमित रूप से बिछाया नहीं जा सकता। यह बहुत महंगा और अपेक्षाकृत निषेधात्मक होगा, खासकर ऐसी परिस्थिति में जब व्यावसायिक सोच अत्यन्त गौण है। अतः हमें सूर्य ताप का भरपूर उपयोग करना होगा क्योंकि यह अनेक क्षेत्रों में 300 दिनों तक उपलब्ध रहता है। हमें पवन ऊर्जा और चीनी तथा अन्य शहरी अपशिष्ट पदार्थ जैसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। निःसंदेह हमने समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई०आर०ई०पी०) शुरू करके एक अच्छी शुरूआत की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दस हजार गांवों को शामिल करने का लक्ष्य था। परन्तु जो धन आबंटित किया गया, उसे ही व्यय नहीं किया जा सकता। सरकार इस पर विचार करे। वह इसके विषय में गंभीर हो। कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां सौर ऊर्जा उपलब्ध है, वहां अगर एक बार खराबी आ जाती है तो इसके अनुरक्षण अथवा मरम्मत हेतु कोई नहीं जाता। इसी कारण ये कार्यक्रम लोकप्रिय नहीं हो रहे है।

हमारा जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसे स्वतंत्र होना चाहिए। इसमें जोखिम है। अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड भी है, परन्तु उसमें जो शीर्षस्थ व्यक्ति हैं वह मंत्रालय में भी हैं। इसी कारण विभिन्न स्रोतों से ऐसी सिफारिशे आयी है कि संगठन स्वतंत्र हों और इस क्षेत्र में विद्युत उत्पादन पर उचित बल दिया जाये।

हम चाहते हैं कि सरकार बनी रहे परन्तु इसके कार्य में सुधार होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि इसमें जो मंत्रीगण हैं उनके इरादे ठीक हैं। मै उनके इरादों पर शक नहीं करता। परन्तु साथ ही, उन्हें उन क्षेत्रों की भी जांच करनी चाहिए जहां कुछ त्रुटियां है और कार्य संतोषजनक नहीं हो रहे हैं। इसके लिए उन्हें सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए। अन्यथा उन्हें दिया जाने वाला पैसा उचित रूप से खर्च नहीं किया जायेगा और पैसे की बरबादी होगी और यह अच्छी बात नहीं होगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, निःसंदेह कुछ आपत्तियों के साथ, अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं अपनी बात कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों तक ही सीमित रखूंगा। मेरे दल के अन्य वक्ता प्रो० आर० आर० प्रामाणिक हैं जो बिजली, परमाणु ऊर्जा और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर बालेंगे।

सभापति महोदय : तदनुसार आप अपना समय तय कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1971 में और फिर 1973 में किया गया। उस समय कुल उत्पादन केवल 78 मिलियन टन का था। 78 मि० टन का उत्पादन चालू वर्ष में बढ़कर 298 मि० टन हो गया है। परन्तु अभी भी मांग और उत्पादन के बीच अन्तर है। हमारे देश में 196 बिलियन टन कोयले का भंडार है और इस 196 बिलियन टन भंडार का 80 प्रतिशत कोयला निकाला जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे यहां विद्यमान कोयले के भंडार एवं उसके संभावित भंडारों का पूर्णतः उपयोग किया जाता है अथवा नहीं। क्या कारण है कि सरकार हर वर्ष आबंटित धन राशि को खर्च करने की स्थिति में नहीं होती है अथवा बजट में दी जाने वाली राशि घटायी जा रही है ? गत वर्ष और गत वर्ष का पूर्व वर्ष में क्या हुआ ? हमारे पास कोयले के भूमिगत खनन और खुले मुहाने वाले खनन की दोनों की संभावनाएं हैं। वर्ष 1971-72 में हमारे देश में 75 प्रतिशत तक का भूमिगत कोयला खनन और केवल 25 प्रतिशत खुला मुहाना खनन किया गया। आज, यह ठीक उल्टा हो गया हे। चीन में 95 प्रतिशत भूमिगत कोयला खानें हैं जबिक भारत में 5 प्रतिशत भूमिगत खानें हैं। चीन 1,100 मिलियन टन कोयलों का उत्पादन करता है। उसका उत्पादन इतना अधिक क्यों है ? उसके पास छोटी, मझोली और बड़ी परियोजनाएं हैं। उसके पास छोटी परियोजनाएं अधिक हैं जबकि हमारे पास केवल बड़ी परियोजनाएं हैं। हमारे क्षेत्र में अनेक कोयला खानें हैं। दामोदर नदी के दाहिने तट पर कोयले का प्रचुर भंडार है जहां अभी तक कोयले की खोज और दोहन समुचित रूप से नहीं किया जा सका है। जब मैं सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सभापति था तो मैंने दामोदर नदी के दाहिने किनारे, विशेषकर पुरुलिया और बांकुरा जिलों में जहां कोयले का विशाल भंडार है, कोयले की गवेषण समुचित रूप से खोज और दोहन की सिफारिश की थी। परन्तु कोयले के इस भंडार की खोज उचित ढंग से नहीं की जा रही है। इस वर्ष कोयले की खोज के लिये केवल 20 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। हमारे कोयले के भंडार की खोज होनी चाहिए तथा उसका उपयोग किया जाना चाहिए। परन्तु अब स्थिति यह है कि यहां कोयले का अवैध खनन हो रहा है। हर जगह कोयले की चोरी की जा रही है। जो कोयला गहराई में नहीं है उसे निकालने के लिए कोल इंडिया छोटी-छोटी परियोजनाएं बनाकर कोयले का उत्पादन कर सकता है। विशेषकर 'ईस्टर्न कोलफील्ड', भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के मामले में हम कोयले का और भूमिगत खनन कर सकते हैं। भूमिगत खनन से हम बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त कर सकते हैं।

हम इस्पात संयंत्रों के लिये प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन तक कोयले का आयात कर रहे हैं। हम इस्पात संयंत्रों की जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। परन्तु एक समस्या है। हमारे पास 19 धोवनशालाएं हैं। कोल इंडिया के पास 15 कोयला धोवनशालाएं हैं। अधिकांश धोवनशालाएं पुरानी हैं। उनको आधुनिक बनाये जाने का कार्यक्रम है। इसके लिये अल्टेकर समिति गठित की गई थी। समिति ने 1985 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति द्वारा प्रतिवदेन पेश किए हुए एक दशक का समय बीत गया और इसे आधुनिक बनाने का कार्य 1995 तक पूरा किया जाना था। इन्हें आधुनिक बनाने के कार्य की क्या स्थिति है ? गत वर्ष ही, दुग्धा धोवनशाला के एक संयंत्र को बन्द करना पड़ा था। कोल इंडिया, ईस्को और टिस्को की धोवनशालाओं की कुल अधिष्ठापित क्षमता 32 मिलियन टन है। परन्तु वास्तविक उत्पादन कितना है ? यह 19 मिलियन टन से अधिक नहीं है। धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है।

दूसरी समस्या यह है कि धोवनशालाओं को भी समुचित गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी कारण, धोवनशालाओं की क्षमता का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। दो वर्ष पूर्व एक समिति गठित की गई थी। एक प्रस्ताव है पहले हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी थी, इसे बदलकर भारतीय इस्पात प्राधिकरण कर दिया गया। उनके पास

[श्री बसुदेव आचार्य]

दुग्ध, पठार्दी और भाजुड़ी नामक तीन धोवनशालाएं हैं। ये धोवनशालाएं पहले हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी के पास थीं, जिसका नाम बाद में बदलकर भारतीय इस्पात प्राधिकरण कर दिया गया।

महोदय, इन तीनों धोवनशालाओं अर्थात् दुग्ध, पठार्दी और भाजुडी को भारतीय इस्पात प्राधिकरण में पुनः विलय करने का प्रस्ताव है। इसका कारण यह है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त नहीं हो रहा है। वे हमेशा यह शिकायत कर रही है कि जब वे 1982 से पूर्व भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पास थीं, तो उनकी स्थिति बेहतर थी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में उनके विलय का प्रस्ताव इसलिए है क्योंकि धन की कमी के कारण बी.सी.सी.एल. द्वारा उनका अच्छा प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने श्री हाराधन राय जो कि माननीय संसद सदस्य भी हैं, से पत्र प्राप्त किया है। वह आज यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने मुझे लिखा है कि धन की कमी के कारण वी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। इन कोयला कम्पनियों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

अब, दूसरा मुद्दा राष्ट्रीयकरण का है। कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया ? राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य अवैज्ञानिक और 'स्लाटर' खनन को बन्द करना है। परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद भी कोयला खानों में अवैज्ञानिक और स्लाटर खनन जारी है और विशेषकर रानीगंज कोयला क्षेत्र जो कि हमारे देश का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है, में धंसाव जारी है।

महोदय मेरे पास झरिया कोयला क्षेत्र की स्थिति के सम्बन्ध में किसी अखबार की एक खबर है। झरिया कोयला क्षेत्रों में धँसाव और आग लगने सम्बन्धी अध्ययन करने तथा इसकी जांच करने के लिए विश्व बैंक द्वारा दो अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया था। जांच और अध्ययन के बाद उन्होंने क्या पता लगाया ? परामर्शदाताओं ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि यदि समय पर उचित कदम नहीं उठाये गये तो पूरा धनबाद जिला अस्त-व्यस्त हो जायेगा। इस क्षेत्र में प्रमुख रेल लाइनों, ग्रैंड कोर्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद यह कोयला क्षेत्र वस्तुतः आग के गोले में बदल जाएगा और फलस्वरूप राष्ट्रीय आपदा का सामना करना पड़ेगा। अपने प्रतिवेदन में परामर्शदाताओं ने यही बताया है।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपके दल से दूसरा वक्ता है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं जानता हूं।

सभापति महोदय : अतः यदि आप चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ समय मिले, तो कृपया आप संक्षेप में बोलिये।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वह बिजली और ऊर्जा के विषय में बोलेंगे।

सभापति महोदय : आप भी इस आसन पर बैठते हैं अतः आप इस कठिनाई को जानते हैं। अतः कृपया तदनुसार अपना समय तय कीजिए आपके दल को कुल 30 मिनट दिये गये हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : जी हां, महोदय। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

महोदय, इस समस्या के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में चर्चा हुई थी और तब यह बताया गया था कि समिति गठित की जायेगी। वास्तव में समिति गठित की गई और समिति के सदस्यों ने इस क्षेत्र का दौरा किया है और वे अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेंगे। पहले भी, अनेक समितियों, यथा एच.बी. घोष समिति। श्री एच०बी० घोष कोयला खनन में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ थे, ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और रानीगंज तथा झरिया कोयला क्षेत्रों दोनों में धँसाव की समस्या से निबटने के उपाय सुझाये हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने भी एक समिति गठित की थी और उसने भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। पूर्व में कोयला मंत्रालय ने भी एक समिति गठित की थी और प्रतिवेदन भी तैयार किया था।

परन्तु भारत सरकार ने अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों में धँसाव की समस्या राष्ट्रीय समस्या है। भारत सरकार को इसे इसी दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिए। जैसा कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं में सुझाव दिया है, कम से कम 10,000 परिवारों को वहां से विस्थापित किया जाएगा जिसके लिये 2000 करोड़ रु० से अधिक की आवश्यकता होगी। जिन क्षेत्रों में धँसाव का सामना करना पड़ रहा है, वहां से लोगों के विस्थापन के लिये लगभग इतनी ही धनराशि की जरूरत पडेगी। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उत्तर देते समय इस सम्बन्ध में वे कुछ ठोस उपाय सुझाएं। यह एक गंभीर समस्या है। मैंने 26 अक्तूबर को झरिया का दौरा किया था। एकाएक कई मकानों में कम से कम 100 से 200 घंटों में दरार पड़ गई। मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया तथा झरिया नगरी में रहने वाले लोगों की हालत देखी। उनको अन्यत्र ले जाने की आवश्यकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र कोयला खानों में सुरक्षा की है। निष्पादन बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रमुख दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। 27 सितंबर, 1995 को गजली टांड में एक विभीषिका हुई। 100 से अधिक खान में कार्य कहने वाले कोयला खान में फंस गए तथा कोयला खान पानी से भर गया। अब तक केवल 10 मृतक शरीर ही खान से निकाले जा सके हैं। करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं परन्तु केवल 10 मृत शरीर ही निकाले जा सके है। सभी खानों में सुरक्षा संबंधी जांच नहीं की जा रही है। यह कहा गया है कि प्रत्येक खान में श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के रूप में सुरक्षा संबंधी समिति होगी। उस समिति का कार्य क्या है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह समितियां नियमित रूप से बैठक करती हैं तथा इनमें दिये गये सुझावों का पालन किया जाता है यद्यपि कुछ सुधार हुआ है मैं यह नहीं कहता कि राष्ट्रीयकरण से इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है तथापि कोयला खानों के सुरक्षित संचालन के लिए उठाए जाने वाले उपायों में सुधार लाने की अभी गुंजायश है। प्रत्येक वर्ष कोयला खानों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है।

कोल इंडिया लिमिटेड में लगभग छह लाख श्रमिक हैं। वे जनजातीय महिलाएं हैं। आजकल जनजातीय महिला श्रमिकों की संख्या धीरे-धीरे घट रही है। उनका स्थान पुरुष श्रमिक ले रहे हैं। यह नीति सी.सी.एल तथा वी.सी.सी.एल. द्वारा अपनाई गई। यदि हम गत दो से तीन वर्षों में महिला श्रमिकों की संख्या की तुलना करें हम पाएंगे कि प्रत्येक वर्ष महिला श्रमिकों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

पाणिग्रही जी द्वारा उठाया गया मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है कि कोयला उद्योग में मजदूरी समझौता स्थापित करने में काफी समय लगता है। यह दूसरे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नहीं होता है। हमने इसका अनुभव एन.सी.डब्ल्यू.ए.–3, एन.सी.डब्ल्यू.ए.–4 तथा फिर एन.सी.डब्ल्यू.ए–5 के समय किया। दूसरा रोजगार समझौता एन.सी.डब्ल्यू.ए.–6 है। कोयला उद्योग में मजदूरी समझौता को अंतिम रूप देने में दो-तीन वर्ष लगते हैं तथा श्रमिक हड़ताल पर जाने में मजबूर होते है।

हमारे पास कोयले का काफी बड़ा भंडार है। हमारे पास 196 बिलियन टन कोयले का भंडार है जिसमें से 80 प्रतिशत से ज्यादा का खनन हो सकता है। हमने अपनी भूमिगत प्रणाली का आधुनिकीकरण नहीं किया है। हमने 'लांग-बाल' खनन स्थापित नहीं किया है। हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मशीनरी तैयार कर सकते है। मिलियन टन कोयला बिना खनन हुए पड़ा है। 'लांग-बाल' प्रणाली के 'डीप क्लिरिंग' द्वारा इन भंडारों को निकाला जा सकता है। इसके लिए काफी ज्यादा निवेश की आवश्यकता है। परन्तु इसमें गत कई वर्षो से कोई निवेश नहीं किया गया है। हमने कई मशीनों का आयात किया लेकिन इन मशीनों का उपयोगिता स्तर केवल 60 से 65 प्रतिशत ही है। 'हैवी-अर्थ-मूवर्स' जैसी मशीनों की आयात पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं लेकिन उनकी उपयोगिता केवल 65 प्रतिशत है। जब कोल इंडिया इसे कर सकती है, तो कुछ खानों को किसलिए निजीकृत किया जा रहा है।

जब पाणिग्रही जी ने यह मामला उठाया तो माननीय मंत्री ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि कोयला खानों का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। तब क्या किया जा रहा है ? निजी कम्पनियों को दिए जाने हेतु कुछ ब्लाक निर्धारित किए जा रहे हैं। हम मानते हैं कि कोयला खनन राष्ट्रीयकरण अधिनियम को तब संशोधित किया गया था जब पाणिग्रही जी का दल सत्ता में था।

यह एक सीमित उद्देश्य के लिए किया गया था, इस्पात संयंत्र तथा सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र के लिए, रक्षित कोयला खान तथा धोवनशाला इत्यादि के लिए। केवल इस सीमित उद्देश्य के लिए अधिनियम में 1993 या 1994 में संशोधन किया गया। कोल इंडिया का अपना अनुसंधान तथा विकास संगठन है, सी.एम.पी.डी.आई.एल। वे इस उत्तरदायित्व का सामना कर सकते है। उन्हें एक संदर्शी योजना तैयार करनी चाहिए। नवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 43 मिलियन टन का अंतर क्यों है ? कोई अंतर नहीं रहेगा यदि और ज्यादा निवेश किए जायं और ज्यादा परियोजनाएं मंजूर की जायं, खोज तथा खनन केवल खुले मुहाने से ही नहीं वरन् भूमिगत खनन द्वारा भी कोयला निकाला जाय। हमें भूमिगत खनन पर जोर देना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए काफी ज्यादा निवेश की आवश्यकता है। जब हमारे पास आवश्यक मात्रा में कोयले का भंडार हो तब हम दस मिलियन टन कोयले का क्यों आयात करें ? हम अपनी धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण करके 17 प्रतिशत राख की मात्रा कम कर सकते हैं। हमारे द्वारा साफ किया गया कोयला इस्पात संयंत्र के उपयोग में लाया जा सकता है। अतएव महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम और परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जाए। जो भी निवेश उपलब्ध है, उसका उपयोग होना चाहिएं। आबंटन का उपयोग होना चाहिए। आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। इस वर्ष भी 10 प्रतिशत की कमी की गई। आयातित कोयला हमारे घरेलू कोयले से सस्ता पड़ता है। हमारे पास 186 बिलियन टन के लगभग भंडार है। उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ? अतएव, उचित खोज तथा दोहन किया जाना चाहिए। रानीगंज तथा झरिया कोयला क्षेत्र के धंसने की समस्या के राष्ट्रीय समस्या के रूप में समझा जाना चाहिए तथा इसके लिए अबंटन किया जाना चाहिए। इस वर्ष केवल 5 करोड़ रुपये खानों के धंसने की समस्या से निपटने के लिए आबंटित किया गया। गत वर्ष यह 26 करोड़ रुपये था। इस वर्ष इसे घटा दिया गया है। इस पांच करोड़ की छोटी सी राशि से क्या किया जा सकता है ? अतएव और ज्यादा आबंटन किया जाना चाहिए। मंत्रालय द्वारा एक उचित संदर्शी योजना तैयार की जानी चाहिए तभी हम कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते है।

मुझे बोलने के लिए समय प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी से अकेला वक्ता हूं इसलिए मुझे भी बसुदेव आचार्य जी से दोगुना समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आप समय के अभाव से अवगत हैं इसलिए उसी के अनुसार बोलिए।

श्री सुरेश प्रभु : यह अपनी पार्टी से अकेले ही वक्ता नहीं थे जबकि मैं अपनी पार्टी से अकेला वक्ता हूं और अब बोलने वाला हूं।

सभापति महोदय : मैं आपको सूचित करता हूं कि आपकी पार्टी के लिए छः मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं अपने प्रख्यात साथी श्री जसवंत सिंह द्वारा ऊर्जा कै बारे में सदैव कहे जाने वाले शब्दों को उल्टा करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। वह कहते है कि "ऊर्जा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है।" उन्होंने यह बात इस सम्मानीय सदन में कई बार कही है और जिस प्रकार से आयोजना प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र को आप कम महत्व दे रहे हैं और उसके लिए बहुत ही कम धन का प्रावधान किया गया है, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने विद्युत की कमी के बारे में उल्लेख किया था जैसाकि अब योजना आयोग महसूस कर रहा है। वास्तव में मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझे उसे घंटी का भय है जो माननीय सभापति महोदय बजा सकते हैं, हमारा ऐसा अनुमान है कि अगली पंचवर्षीय योजना में 57000 मेगावाट विद्युत की कमी होगी। उसके लिए अपेक्षित धनराशि और जैसाकि आधारभूत संरचना संबंधी राकेश मोहन समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित है, 5 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है जोकि बढ़कर 5,40,000 करोड़ हो सकती है। यह धनराशि विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए अपेक्षित है। यह राशि कहां से आएगी, अभी तक हम इस बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसी कार्ययोजना के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह भारत के ऊपर नहीं किया गया है। यह भारत के ऊपर मंडरा रहे गंभीरतम खतरों में से एक है परन्तु हम इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे

[श्री सुरेश प्रभु]

हैं। इस संबंध में कोई भी ऊंचे दावे करने का कोई औचित्य नहीं है। विचारधाराओं के बारे से बात करने का कोई प्रयोजन नही है। यह इस समस्या का सीधा-सादा हल है जिसे ढूंढ निकाले जाने की आवश्यकता है। इस धनराशि को आप कैसे प्राप्त करेंगे। हम सरकार को बजट में और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए कह सकते हैं परन्तु अब सरकार के पास धनराशि नहीं बची है। हम दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति से पहुंच गए हैं जिसमें सरकार का चालू आय का 48 प्रतिशत ब्याज पर व्यय किया जा रहा है। इसलिए मैं यह सोच भी नहीं सकता कि यदि हम इस सरकार अथवा किसी अन्य सरकार पर दबाव डालेंगे तो हमें यह धनराशि जो कि विद्युत जैसे महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्र में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक है, मिल जायेगी।

सम्भवतः इस दिशा में कार्यावधि ढांचागत क्षेत्र में धनराशि लगाए जाने के काफी पहले आरम्भ कर दी गई थी और यदि सरकार पहले से ही सृजित किए इन ढांचागत क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अन्य क्षेत्रों को कहती तो ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। परन्तु अब स्थिति को समझ लेने के बाद बिना किसी अदर्थ को अपनाए, वास्तव में इस मामले तक पहुंचे और अधिक समितियों का गठन करने के बारे बिना विचार किए हम इसका समाधान कैसे ढूंढ पाएंगे। यह एक ऐसा मामला है जिसके संबंध में सरकार द्वारा तत्काल संसद को विश्वास में लिए जाने और एक कार्य योजना किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा न होने की स्थिति में हमें एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक ने चेतावनी दी है और इसके अलावा हमारे देश के विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है जो इन बहुपंथीय एजेंसियों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्रालय में ही इतनी पर्याप्त प्रतिभा उपलब्ध है जो हमें यह बता सकती है कि हमें निकट भविष्य में ही, अगले वर्ष या इसके बाद के वर्ष में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

दिल्ली में अंधेरा है और हमारे देश के प्रमुख शहर इसी तरह अंधेरे में हैं तथा हमारे पास पर्याप्त विद्युत नहीं है और न ही इसका उत्पादन हो रहा है। विगत पांच वर्षों में कि विद्युत का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ? सरकार नई आर्थिक नीति, विश्वव्यापीकरण को आरम्भ करने का श्रेय लेना चाहती है; हम इन शब्दों का इस्तेमाल यह जानकारी प्राप्त किए बिना ही कर रहे हैं कि हमने पिछले पांच वर्षों में वास्तव में नए विद्युत का कितनी मात्रा में उत्पादन किया है। हम यह कहते हैं कि हमने छः प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त कर ली है और अब हम नौ प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। हमारे नये प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्य यह किया कि वह स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल सम्मेलन में गये और उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि 9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को कैसे प्राप्त किया जाये। उन्होंने कहा कि 9 प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त करना संभव है और इसके पूर्व निवर्तमान प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि यह संभव है। आपके विचार में क्या सकल घरेलू उत्पाद की 9 प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त करना संगव है ? हम दूसरे देशों को इस बारे में बता रहे हैं। इस अवधि में हम और कितनी विद्युत का उत्पादन करेंगे। सरकार कह रही है कि अगले वर्ष इसमें 9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या यह वास्तव में संभव है ? क्या हम अपने को धोखा दे रहे हैं ? क्या हम विश्व को धोखा दे रहे है ? अथवा क्या हम इस दिशा में कुछ कार्य भी कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में एक उत्तर की आवश्यकता है न कि ऐसे झूठे दस्तावेजों की जिसमें कहा गया हो कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वास्तव में यह एक ऐसी बात है जिस पर सरकार की ओर से कोई पहल की जानी चाहिए।

हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान के पास भी अब अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध है। इस बात को हमारी सरकार कहती है। द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए हमारी सरकार पाकिस्तान से विद्युत खरीदने की बात कर रही है। हम कहते है कि पाकिस्तान विद्युत की अतिरिक्त मात्रा को बढ़ाकर तीन गुना तक करने जा रहा है अर्थात विद्युत की वह अतिरिक्त मात्रा जो उसके पास अगले दो-तीन वर्षों में उपलब्ध होगी यदि यह सच है तो पाकिस्तान को जो कुछ हासिल हुआ है उसे हम उदारीकरण के पांच वर्षों बाद भी क्यों प्राप्त नहीं कर सके।

हमारे विद्वान मंत्री, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे बताने के बजाय पूरे देश को विश्वास में लेंगे और बतायेंगे कि ऐसा होने वाला है, कहीं न कहीं से 5,40,000 करोड रुपये टपक पड़ेंगे। वास्तव में मंत्री महोदय को हम सबको विश्वास में लेना चाहिए और देश को सच्चे मन से बताना चाहिए कि वह इस कार्य को कैसे पूरा करेंगे और इसके लिए वास्तव में हमें सिद्धांतों को एक तरफ रखना होगा।

महोदय, हमें इसमें दो संभावनाएं दिखती है। पहली यह कि यदि सरकार के पास धन नहीं रहता तो निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आगे आना होगा और ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश को भी लाना होगा। क्या ऊर्जा स्रोत में सरकारी निवेश के अतिरिक्त किसी विदेशी या बाह्य निवेश संबंधी किसी स्पष्ट नीति के लागू करने के बारे में सरकार वास्तव में विचार कर रही है। क्या सरकार की नीतियों में कोई सामञ्जस्य है।

[अनुवाद]

हम फास्ट ट्रैक परियोजनाओं की बात कर रहे हैं और अब एकाएक उन पर कार्य धीमा हो गया है। अब अधिक विद्युत उत्पादन की जरूरत है। अभी हम फास्ट ट्रैक परियोजनाओं की बात कर रहे है लेकिन हम यह भी कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक परियोजनाएं अब लीक से हट गयी हैं तथा अब हम गुणोंवगुणों के आधार पर प्रत्येक परियोजना पर विचार करने जा रहे हैं।

हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा कि नयी विद्युत परियोजना को केन्द्र में लाने की जरूरत नहीं है, सी.ई.ए. की एक अत्यन्त सीमित भूमिका है तथा राज्य विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को अपने आप स्वीकृति दे सकेंगे। उस नीति संबंधी वक्तव्य का क्या हुआ ? क्या हम केवल अपना समय नष्ट करने के लिए वक्तव्य देते हैं अथवा क्या हम जिसके बारे में बात करते हैं उसके बारे में गंभीर है ? यही कारण है कि मेरा सुझाव है तथा मेरी पुरजोर मांग है कि सरकार को न्यूनतम नीति तैयार करनी चाहिए जिसे लागू किया जा सके। संसद की स्वीकृति भी आवश्यक है। सभी दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप से अनुरोध है कि आप विद्युत सुरक्षा और सुनिश्चितता और विद्युत की स्थिति के मामले में खिलवाड न करें। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने

की आवश्यकता है तथा मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि वह इसे कम से कम समय में पूरा करें।

हमने अपने माननीय मंत्री को 17 जनवरी को विदेशी निवेशकों को सम्बोधित करते हुए सुना जो संभवतः जर्मनी से यहां आये थे। उन्होंने कहा कि वे कम से कम संभव समय में एक नई विद्युत नीति की घोषणा करने जा रहे हैं।

तब से लेकर आज तक चार माह बीत गये हैं। मैं समझ सकता हूं कि श्री केसरी इसे शीघ्र घोषित करना नहीं चाहते है और उन्होंने उन्हें एक महीने का समय और दे दिया है लेकिन हुआ क्या ? क्या आपने इसे केवल विदेशियों के लाभ हेतु घोषित किया है ? क्योंकि विदेशी आ गये है, वे अच्छा महसूस करें इस प्रयोजनार्थ आपने इसे घोषित कर दिया और बात यहीं समाप्त हुई। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे आपको इतनी सहृदयता से तथा इतने हल्के रुप में नहीं लेना चाहिए।

महोदय, 1910 के भारतीय विद्युत अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। हमने इस बारे में बहुत बार सुना है। हमने यह भी सुना है कि विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसे सभी संशोधनों, इन सभी अधिनियमों, विनियमक ढांचों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। आप कृपया एक व्यापक विधेयक, एक व्यापक नीति लाइये जिसमें एक ही दस्तावेज निवेशक की चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी मदद कर सकें लेकिन निवेश होना चाहिए। स्वीकृति दी जानी है जिसे सरल होनी चाहिए। राज्यों तथा सी.ई.ए. की भूमिकाओं का सम्यक रूप में वर्णन होना चाहिए और तभी मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में निवेश होने की संभावना है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं श्री बसुदेव आचार्य का अनुसरण कर रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया उनका अनुसरण न करें। स्वयं का अनुसरण करें।

श्री सुरेश प्रभु : मैं उनका सच्चा अनुयायी हूं।

सभापति महोदय : उपयुक्त यही है कि आप कृपया किसी का अनुसरण न करें बल्कि स्वयं का अनुसरण करें।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं समझता हूं कि वे एक बड़े लब्ध प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ हैं।

महोदय, हम अपारम्परिक ऊर्जा की बात करते हैं। सारा विश्व इस समस्या को समझता है। जब कच्चे पट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई थी तो लोग तुरंत अपारम्परिक पुनःप्रयोज्य ऊर्जा की खोज में लगेगा।

जहां तक हमारा सवाल है, 1981 में हमने एक नया मंत्रालय बनाया। पहले हमने एक विभागीय उद्योग गठित किया था। तत्पश्चात् हमने एक नया मंत्रालय बनाया। अब हम यह कहते हैं कि हमारे पास स्वतंत्र मंत्रालय है। इन सभी का परिणाम क्या निकला ? गत वर्षों में हमने वास्तव में कितनी विद्युत पैदा की है ? 1995-96 में हम केवल 800 मेगावाट ही पैदा कर सके जो देश की अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत की पुनः अधिष्ठापित क्षमता का एक प्रतिशत है। ऊर्जा की संभावना क्या है ? मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में अपारम्परिक ऊर्जा की अपार संभावना के बारे में बताया गया है। यदि आप इस पर ध्यान दें तो आप यह महसूस करेंगे कि भारत में विद्युत का अभाव नहीं होना चाहिए और वास्तव में भारत जिसका निर्यात कर सकता है वह उत्पाद केवल विद्युत ही है और आज इसी संभाव्यता का जिक्र कर रहे हैं। यदि वास्तव में आप यह महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा की संभाव्यता क्या है और यदि आप उसका दोहन नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए वास्तव में जिम्मेवार कौन है ? क्या आपका इन आंकड़ो पर विश्वास है अथवा क्या आप वास्तव में ये आंकड़ें संसद को उपलब्ध कराते हैं ? आपने अपने वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से ये सभी तथ्य तथा आंकड़ें संसद के समक्ष रखे हैं और अपनी इसी संभाव्यता का आप दावा करते है ? इस संभाव्यता के दोहन में आपको क्या कठिनाई है। आप हमें वह कठिनाई बताइए।

हम लगभग 5000 किलोवॉट सौर विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे है जिसका प्रतिवर्ष भारत में उत्पादन किया जा सकता है और यह ऊर्जा वास्तव में हमारी आवश्यकता से भी कहीं अधिक है। यदि वास्तव में स्थिति यह है तो देश में ही उपलब्ध इस ऊर्जा का दोहन करने में क्या अड़चने, बांधाए आ रही हैं ? यदि निवेश वाणिज्यिक तौर पर इतना लाभकारी है तो देश में निवेश क्यों नहीं हो रहा है ? यही बात हम आपसे जानना चाहते हैं।

महोदय, एक ही मुद्दा है जिस पर हम सभी का एक उपभोक्ता के नाते जन प्रतिनिधि के नाते सरकार से जानकारी हासिल करने का अधिकार है। अब हम इस बात की ओर बढ़ रहे हैं कि चाहे बलपूर्वक अथवा मात्र परिस्थितिवश या मौलिक संरचना के वाणिज्यिकीकरण से हम इसे चाहते हैं या नहीं। आपने एक समिति गठित की है जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। कुछ समय पहले हमें यह बताया गया था कि आप उस प्रतिवेदन पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं तथा हो सकता है कि आप इन सिफारिशों में से कुछेक सिफारिशों को स्वीकार कर लें। यदि ऐसा ही होने जा रहा है तो उसे नई विद्युत के लिए जो पैदा की जा रही है अन्ततोगत्वा उपभोक्ता को क्या मूल्य देना पडेगा ? यह वह बात है जो आपको हमें अवश्य बतानी चाहिए। यही बात निदेशक भी आपसे जानना चाहेंगे।

निवेश करने के पश्चात जब विद्युत उत्पादन शुरू हो तो आप मुकर नहीं सकते है और यह नहीं कह सकते कि अब हमारे सामाजिक दायित्व हमें यह महसूस कराते हैं कि हमें कम दर पर ही विद्युत प्रदान करनी चाहिए और तब संभवतः उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिलेगी अथवा यदि उन्हें यह मिलती भी है तो उच्च दामों पर मिलेगी। यही वह बात आपको लोगों को अवश्य बतानी चाहिए ताकि उनको विश्वास में लेना चाहिए। निश्चय ही हमें आपसे इसके बारे में जानने का अधिकार है।

सभापति महोदय : धन्यवाद। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश प्रभु : आपने मेरी तरफ से धन्यवाद कहा है। मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति जी, हम एक साथ तीन-चार मंत्रालयों पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यतः कोयले के

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

उत्पादन से संबंधित कुछ बातें हैं। साथ ही साथ विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हमारी वर्तमान स्थिति क्या है ? विद्युत उत्पादन की दिशा में हमारा आगामी कार्यक्रम क्या है ? समग्र ऊर्जा नीति क्या है ? यद्यपि मंत्रालय द्वारा इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं की गयी है। यह कहा जाता है कि हम एक विश्व ऊर्जा नीति बनाने की पहल कर रहे हैं लेकिन विश्व ऊर्जा नीति बने या न बने अभी तक भारतीय ऊर्जा नीति भी नही बनी हैं इस कारण समस्त भारत ऊर्जा संकट और बिजली संकट में है।

यदि मैं सबसे पहले कोयले के उत्पादन से प्रारम्भ करूं तो चाहे पश्चिम क्षेत्र हो या दक्षिणी क्षेत्र हो, कोयले के उत्पादन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आधुनिकीकरण की बात कही जाती है लेकिन आधुनिकीकरण कहीं नही हो रहा है। परिणामतः मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो या अन्य राज्य जो भी कोयले के उत्पादन में हैं उनकी खानों की स्थिति खराब है। उनकी खानें बंद हो रही हैं। मजदूर बेकार होते जा रहे हैं जिस कारण मजदूरों में असंतोष बढ़ रहा है। पिछले कई वर्षों से लगातार यह मांग होती जा रही है कि खानों के खनन कार्य में आधुनिकीकरण करके, नई मशीनें लगाकर उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए लेकिन उनकी क्षमता नही बढ़ायी गयी है और निरंतर क्षमता घटती जा रही है। कोयले के उत्पादन क्षेत्र में कहें तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में चाहे चिरमिरी क्षेत्र हो, पारसिया क्षेत्र हो, कोरबा क्षेत्र हो या विश्रामपुर का क्षेत्र हो, उनमें लगातार कोयले के उत्पादन में गिरावट आयी है। यद्यपि वहां कोयले के भंडार इतने अधिक है कि आप लगातार दोहन करते चले जायें तो भी वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आयेगी लेकिन गलत नीति के कारण या नीति नहीं होने के कारण उसके उत्पादन में लगातार गिरावट आई है।

मैं चाहता हूं कि सरकार इसके उत्पादन की तरफ ध्यान दें। मैं एक विशेष बात और ध्यान में लाना चाहता हूं। कोयला मंत्रालय की जो स्थायी समिति है उस ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 11वीं रिपोर्ट के 13 प्रतिवेदन में सॉफ्ट कोक के बारे में कहा गया है। मैं उद्धृत करना चाहता हूं। समिति को यह नोट करके आश्चर्य हुआ कि 46 विशेष ईंधन कम्पनियों में सॉफ्ट कोक की उत्पादन की पूरी क्षमता 30 लाख टन होने के बावजूद वर्तमान में सॉफ्ट कोक का उत्पादन मात्र दो लाख टन है। अब यही आपकी क्षमता का या आपकी कार्य दक्षता का पर्याय है कि किस प्रकार से आपका कार्य हो रहा है और किस प्रकार से जो मांग है, उसकी आपूर्ति करने जा रहे है।

मैंने समिति के प्रतिवेदन से अद्धृत किया है। समिति ने आगे कहा कि समिति यह जानना चाहती है कि क्या इस समय आपूर्ति का स्तर मांग को देखते हुए संतोषजनक है ? समिति यह भी महसूस करती है कि मंत्रालय को, जो लोग सॉफ्ट कोक को घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादन, लागत और सॉफ्ट कोक के मंत्रालय के बीच में असंतुलन समाप्त किया जाये।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो उत्पादन में कमी आयी है, उसका क्या कारण है ? उसको देखा जाना चाहिए और जिन-जिन राज्यों में कोयले की जो मांग है, जो अपने विद्युत संयंत्र के लिए चाहते है उनकी आपूर्ति भी ठीक नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि कई बार मध्य प्रदेश की सारणी का विद्युत संयंत्र लम्बे समय तक बंद रहा। कोरबा में इसी तरह कोयले का उत्पादन होते हुए भी उसके ऊपर विपरीत असर पड़ा है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको देखा जाये और इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाये। मैं विद्युत संबंधी चर्चा करना चाहूंगा। अभी हमारी जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को देखते हुए हमारी जो उत्पादन क्षमता है, वह बहुत कम है। जो आवश्यकता आंकी गयी है, जो रिपोर्ट में बताई गयी है उसके अनुसार 341 अरब यूनिट की आवश्यकता आंकी गयी है जबकि वर्तमान में हमारा उत्पादन 303 अरब यूनिट है जो कि बहुत कम है। अगर यह आवश्यकता इसी प्रकार बढ़ती रही तो निश्चितरूप से दो हजार के अंत तक हमें 570 अरब यूनिट की आवश्यकता होगी। इसकी आपूर्ति की दिशा में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गयी हो या क्या योजना है, उस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी आपूर्ति आवश्यक सुधार कर की जाये क्योंकि इस समय जो स्थिति है उसको मैं बार-बार दोहराना नहीं चाहता। बहुत दयनीय स्थिति बन गयी है। चारों तरफ जहां देखो वहां पर विद्युत का संकट है। एक-एक प्रदेश में जिनके बारे में कहा जाता था कि वहां पर विद्युत संकट नहीं है वहां पर भी आज विद्युत का संकट है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो निरंतर विद्युत के संकट में हैं। इसके कारण वहाँ के कृषि क्षेत्र का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है और आपका जो उत्पादन है वह भी प्रभावित हो रहा है। उद्योगों पर भी विपरीत असर हो रहा है। मजदूर मजदूर संकट में है। इस दिशा में भी देखा जाना चाहिए। यह सही है कि जो राज्य स्तरीय विद्युत बोर्ड हैं, उनकी कार्यक्षमता के बारे में शायद जिस प्रकार से देखा जाना चाहिए या उनका जो निर्माण होना चाहिए और समय-समय पर जो राय दी जानी चाहिए, वह नहीं दी गई है। इसलिए आज समस्त राज्यों के विद्युत उत्पादन बोर्ड इतने अक्षुण्ण हो गए हैं और भारी आर्थिक दबाव में या ऋण के बोझ से दबे हुए हैं कि उनको आप चाहे कितना ही ऋण दें, उससे उबर पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसके कारण वे लगातार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की दरें बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनका घाटा पूरा नहीं हो रहा है और उनकी मांग भी पूरी नही हो रही है। इसके लिए निश्चितरूप से नए संयंत्र लगाए जाने आवश्यक हैं। नए संयंत्र नहीं लगाए जा रहे हैं। राज्यों द्वारा भी जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जानी चाहिए, चाहे बाहर से पूंजी निवेश हो, निजी तौर पर या विदेशी सहायता से कोई कार्य कर सकें, उस आधार पर लगातार मांग होते हुए योजनाएं बनती जरूर है, टैंडर कॉल किए जाते हैं और निरस्त किए जाते हैं, फिर कॉल किए जाते हैं। मैं किसी विशेष राज्य का उदाहरण न देते हुए यह कहना चाहता हूं कि प्रायः अनेक राज्यों में इस प्रकार से हुआ है और जो आपूर्ति बढ़ सकती थी, वह नहीं बढी और हम निरंतर विद्युत संकट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि किसी राज्य ने घोषणा की कि हम लगातार 18 घंटे बिजली की आपूर्ति करेंगे लेकिन वह राज्य आज 5-6 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहा है। मैं विशेषकर मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां 5 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है।

कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में भी ठीक इसी प्रकार की गिरावट चल रही है। मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि इतनी दयनीय स्थिति जो आज बन गई है, उसके बारे में कहीं न कहीं केंद्र भी निश्चितरूप से उत्तरदायी है क्योंकि आपने सारे सूत्र अपने हाथ में ले रखे हैं। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप निश्चित

रूप से विचार करें। कुल मिलाकर हमारा जो सारा सिस्टम है, उसके आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है। हमारे जितने लीसेस होते हैं, हम उनको कैसे बचा सकते हैं, मौजूदा विद्युत बिजली घरों का आधुनिकीकरण कैसे हो सकता है, उनकी क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, यह भी देखना आवश्यक है। जिनकी क्षमता 100 प्रतिशत थी, वह घटकर करीब 30 या 40 प्रतिशत रह गई है। सामान्य आधुनिकीकरण के बाद भी हम उनकी क्षमता 60-70 प्रतिशत तक तो ले जा सकते हैं।

मैं बहुत शीघ्र अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मेरे और साथियों को भी बोलना है। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपके दल के दूसरे वक्ता को भी समय देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं निवेदन कर रहा था, यद्यपि कृषि के क्षेत्र में हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो, यह जो लगातार गिरावट आ रही है, उसके बारे में चिन्ता की जानी आवश्यक है। दूसरे सोर्सेस फिर चाहे वे परम्परागत सोर्सेस हों या अपरम्परागत हों, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष हों उसके आधार पर हम जो बिजली उत्पादन करना चाहते हैं, वह करें उसके अंदर भी कमी महसूस होती है उसे पूरा करें। इसी आनविक क्षेत्र में तो भी फिर चाहे वह गैस पर आधारित हो या अन्य स्रोतों पर आधारित कई योजनाएं केन्द्र सरकार के पास जल विद्युत (हाइल) आज भी इस कारण से लंबित पड़ी हुई हैं कि वहां पर वन क्षेत्र से होकर कोई लाइन गुजर रही है या वन क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, उस कारण सारा मामला उलझा हुआ है और उन योजनाओं को स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसे सूत्र हैं जो गैस की उपलब्धता के बारे में हैं। कई योजनाएं है जो गैस की अनुपलब्धता के कारण भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैं विशेषकर मध्य प्रदेश की बात कहना चाहूंगा कि ग्वालियर के पास भांडेर में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र लगाए जाने की स्वीकृति हो गई थी लेकिन गैस की अनुपलब्धता के कारण वह आज तक नहीं लग सका है। मैं समझता हूं कि यदि वहां पर गैस पर आधारित वह विद्युत संयंत्र लग जाता, गैस मिल जाती तो निश्चितरूप से मध्य प्रदेश का विद्युत संकट बहुत कुछ दूर हो सकता था। हम चाहते हैं कि इसके अंदर समस्त क्षेत्र को ठीक से बिजली मिले। हमने ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर कई गांवों को बिजली दी है लेकिन अभी भी 80-90 हजार गांव ऐसे हैं जो बिजली से वंचित हैं। हमने उन क्षेत्रों में बिजली दी है जो निचले तबके के हैं और उनको कुटीर ज्योति की सज्ञा दी है। मैंने ऐनुवल रिपोर्ट पढ़ी है। हमने एक नया नाम – कुटीर ज्योति दिया है। अब तक हम श्रम एरिया में देखते थे, कुटीर उद्योग के द्वारा हम सिंगल प्वाइंट कनैक्शन तो दे सकते हैं लेकिन कई बार सिंगल प्वाइंट कनैक्शन का दुरुपयोग भी देखा गया है। मै चाहता हूं कि गरीब लोगों तक निश्चितरूप से बिजली पहुंचे, वे उससे लाभान्वित हों लेकिन उसके दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए अन्यथा निश्चितरूप से जो लाभ हम उनको देना चाहते हैं, वह उन्हें नहीं मिल पाएगा।

अंत में मैं एक-दो वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। राज्य विद्युत बोर्ड की दुर्दशा को सुधारने का प्रयत्न किया जाए। ताकि विद्युत का संकट ठीक हो। जिन क्षेत्रों के अन्दर अभी भी आधुनिकीकरण के बाद जो विद्युत संयंत्र ठीक हो सकते हैं, उनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, उनकी क्षमता बढ़ाई जाय। पारेषण की हमारी जो स्थिति हैं, उनको ठीक किया जाये और दूसरे गैस पर आधारित जो हमारे विद्युत संयंत्र हैं, या जो लगते हैं जहां-जहां गैस की संभावनाएं हैं, उनको गैस दी जाकर उनको चलाने की संभावना है या उनके आधार पर चलने वाले हैं तो उनको निश्चितरूप से चलाया जाना चाहिए।

कोयले के बारे में मैंने कहा कि कोयले का उत्पादन काफी है कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां पर कोयले पर आधारित थर्मल पावर स्टेशन अभी भी लगाये जा सकते हैं, उनकी आपूर्ति की जा सकती है। उनके कोयले के उत्पादन को बढ़ाकर उस दिशा में भी प्रयत्न किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मै चाहूंगा कि जो सारी बातें कही गई हैं, उनके बारे में निश्चितरूप से माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

मैं एक रिपोर्ट, जो विद्युत मंत्रालय के सम्बन्ध में रिपोर्ट है, उसको उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । इस समिति ने अपने छब्बीसवें प्रतिवेदन में इच्छा व्यक्त की थी कि एक व्यापक ईंधन नीति बनाई जानी चाहिए। इसके बारे में मैंने उल्लेख किया है कि विश्व की ऊर्जा नीति तो हम बनाते है, लेकिन हमारे यहां पर कोई इस प्रकार की नीति नहीं बनाई गई है। खेद है कि वह मंत्रालय अभी तक व्यापक ईंधन नीति नहीं बना सका है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि समिति का यह भी विचार है कि लघु पन-बिजली के उत्पादन के लिए देश में काफी अधिक क्षमता है। यद्यपि आठवीं योजना अवधि के दौरान 253 मैगावाट की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, परन्तु योजना के दौरान वस्तुतः चालू की गई परियोजनाओं की क्षमता केवल 63 मैगावाट है। 253 मैगावाट में से केवल 63 मैगावाट क्षमता को ही काम में लिया गया है और इसलिए यह जो पन-बिजली योजनाएं हैं, इनके लिए भी निश्चितरूप से प्रयास किया जाना चाहिए।

मैंने अपनी बात संक्षेप में रखी है। मेरे साथी कुछ अन्य बिन्दु हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 3.57 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुये*]

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : महोदय, मैं बड़े संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं भाव व्यक्त करूंगा आंकड़े नहीं। मेरा परमाणु ऊर्जा तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों तथा उसमें केवल फोटा वोल्टयिक ऊर्जा का जिक्र करने का विचार है।

परमाणु ऊर्जा यदि वर्तमान की नहीं तो भविष्य की ऊर्जा हो, सौभाग्यवश हम लोगों ने परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने की प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लेकिन विद्युत संयंत्र लगाने में उसके उत्पादन शुरू करने की अवधि स्वीकार्य नहीं है। हम विद्युत संयंत्र लगाने में 13 अथवा 14 तथा 13 और 14 वर्षों से भी अधिक समय ले रहे हैं। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इस अवधि को कम कर दें। हमने शुरूआत 235 मेगावाट के रियेक्टर बना कर दी। लेकिन 235 मेगावाट का रियेक्टर पर्याप्त नही है। हमारे लिये यह फायदेमंद होगा कि हमारे पास 500 मेगावाट के रियेक्टर अथवा 1000 मेगावाट के रियेक्टर अथवा

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

इससे भी बड़े रियेक्टर हों। यदि हमारे पास बड़े रियेक्टरों की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हमें यह प्रौद्योगिकी विदेश से मिलनी है तो मैं समझता हूं कि हमें वह प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी चाहिए तथा बड़े परमाणु विद्युत रियेक्टर स्थापित करने चाहियें। इस कारण परमाणु ऊर्जा ज्यादा लागत प्रभावी नहीं है। लेकिन यदि बड़े रियेक्टर हैं तो ऊर्जा ज्यादा लागत प्रभावी हो सकती है। अतः यदि हम बिजली की लागत कम करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि हमारे पास बड़े परमाणु विद्युत स्टेशन हों।

आज जो रिएक्टर हमारे देश में हैं हमें उससे ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सौभाग्यवश हमने बिजली पैदा करने के लिए फास्ट रियेक्टर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एक प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है।

अपराह्न 4.00 बजे

देश में उपलब्ध फास्ट फ्रीडर प्रौद्योगिकी एक प्रयोगशाला स्तर की प्रौद्योगिकी है। मैं समझता हूं कि फ्रांस इस प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। इस क्षेत्र में अपनी क्षमता को विकसित करना उपयोगी होगा। फास्ट ब्रीडर रियेक्टर ईंधन का उत्पादन भी करते हैं और फास्ट ब्रीडर रियेक्टर यदि आज फायदेमंद नहीं हैं तो 20 अथवा 30 वर्षों के पश्चात् ये फायदेमंद होंगे। लेकिन इस समय हम फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकी पर कार्य नहीं करते हैं और यदि इस क्षेत्र में अपना कार्य शुरू करने के लिए हम 20 अथवा 30 वर्षों तक इन्तजार करते है तो यह लाभकारी नहीं होगी।

तीसरी बात जो मैं आण्विक प्रौद्योगिकी के संबंध में कहना चाहता हूं वह फ्यूजन प्रौद्योगिकी है। आज हमारे पास फ्यूजन प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। हमारा आशय भारत से नहीं अपितु उस मानवता से है जिसने ऊर्जा पैदा करने के लिए यह फ्यूजन प्रौद्योगिकी अपना ली है। हो सकता है भारत में भी कतिपय स्थानों पर कुछेक छोटे प्रयोग हुये हों। फ्यूजन प्रौद्योगिक वह प्रौद्योगिकी है जो भविष्य के लिए लाभकारी होगा और आने वाले आगामी 60 अथवा 70 वर्षों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा।

प्रयोगशाला स्तर की फ्यूजन प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। लेकिन वाणिज्यिक स्तर पर फ्यूजन प्रौद्योगिकी विकसित की जानी है। विश्व में ऐसे भी देश हैं जो वाणिज्यिक स्तर की फ्यूजन प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के विश्व में किसी एक देश की सहायता अथवा किसी एक देश के वैज्ञानिकों की सहायता से बिना और प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की जा सकती है। सारे विश्व में बहुत से क्षेत्रों में लोग और देश अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और फ्यूजन प्रौद्योगिकी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी बन जायगी।

मैं इस समय में मै यह कहना चाहता हूं कि मुझे तत्कालीन सोवियत रूस, सम्प्रति रूस जाने का मौका मिला और वहां के निदेशक ने जो फ्यूजन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास का कार्य देख रहे थे ने मुझे टोकोमार्क-I, टोकोमार्क-II तथा टोकोमार्क-III दिखाया। टोको मार्क-I एक छोटा रियेक्टर था जो फ्यूजन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ऊर्जा उत्पादन करने में प्रयुक्त होता था। टोकोमार्क-II टोकोमार्क-I की अपेक्षा बड़ा था तथा टोकोमार्क-III बहुत बड़ा था। निदेशक ने मुझे बताया कि यदि भारतीय वैज्ञानिक, अभियंता तथा विशेषज्ञ उनके साथ काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है तथा उन्होंने मुझे यह भी बताया कि यदि अमरीकी वैज्ञानिक और विशेषज्ञ रूस के वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों के साथ काम कर सकते हैं तो भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक रूस के वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों के साथ काम क्यों नहीं कर सकते ? उस समय मुझसे यह पेशकश की गई थी बाद में मेरा मंत्रालय बदल गया और मुझे मालूम नहीं कि उस प्रस्ताव का फिर क्या हुआ।

यदि वह प्रस्ताव आज भी प्रस्तुत किया जा रहा है वह तो हम उस देश से इसका पता लगा सकते हैं और यदि प्रस्ताव है तो इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे वैज्ञानिक भी उनकी सहायता कर सकते हैं तथा वे भी हमारी सहायता कर सकते हैं और यदि हम मिलकर कार्य करेंगे तो हम वह प्रौद्योगिकी विकसित कर सकेंगे जो आज तो बहुत लाभप्रद नहीं हो सकती लेकिन भविष्य में अत्यंत लाभप्रद होगी। इसके परिणामस्वरूप हम 21वीं सदी में ऊर्जा की मांग को काफी हद तक पूरा कर सकेंगे।

परमाणु ऊर्जा के सम्बन्ध में भारत के अधिकांश लोग यह समझते हैं कि यह प्रदूषण फैलाने वाली तथा खतरनाक है। मैं नहीं समझता कि यह वास्तव में प्रदूषण फैलाने वाली तथा खतरनाक है। यदि हम उन ताप विद्युत संयंत्रों को देखें तो पाएंगे कि वे धुंआ छोड़ रहे हैं तथा समस्त वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं तथा साथ ही उन जल संसाधनों को भी प्रदूषित कर रहे हैं जो पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां तक कि राख दूर-दूर तक फैल जाती है तथा वह भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है।

सिंचाई के लिए बने तालाब अथवा ताप ऊर्जा उत्पादन के लिए बनाये गये तालाब भी प्रदूषण फैला रहे है। यदि कोई चीज फायदेमंद है तथा वस्तुतः तीखी है, उसका प्रयोग भी नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। अग्नि भोजन पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। तथा इसे घर में जलाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकती है।

अतः आज की दुनिया में हमें इससे परहेज नहीं करना चाहिए। जापान उन देशों में से एक है जिन्होंने आणविक विनाश का सामना किया है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। कनाडा भी बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। उन्होंने आणविक प्रौद्योगिकी द्वारा ऊर्जा का उत्पादन शुरू किया है क्योंकि ऊर्जा के पुनः प्रयोग के न होने वाले संसाधन बहुत सीमित हैं अतः हमें इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। इस सम्बंध में मै ऊर्जा सम्बन्धी स्थाई समिति द्वारा दिया गया अनुच्छेद पढकर सुनाता हूं। यह एक प्रांसगिक अनुच्छेद है तथा आणविक प्रौद्योगिकी द्वारा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित पूरे विषय पर विचार करने के पश्चात संसद सदस्यों ने जो कुछ कहा है हम उसे याद रख सकते हैं। मैं यह अनुच्छेद पढ़ता हूं :

> "समिति का विचार है कि वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों अर्थात् कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस की सीमाओं को देखते हुए देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्रोत के रूप में आणविक ऊर्जा के प्रयोग का महत्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि देश में ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने समस्त अणविक ईंधन चक्र की व्यापक समर्थता, भारी पानी का उत्पादन, ईंधन, गवेषण यूरेनियम अयस्क का उत्खनन तथा प्रसंस्करण आणविक अपशिष्ट प्रबंधन, आणविक ऊर्जा विकसित की गई है फिर भी दुर्भाग्यवश ऊर्जा

योजना पर अधिक नहीं किया गया है। समिति ने सुदृढ़ तथा सतत आणविक ऊर्जा विकास कार्यक्रम की आवश्यक्ता व्यक्त की है ताकि देश की प्रगति तथा विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

समिति महसूस करती है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त किये गये अनुभव के आलोक में नौवी योजनाएं आणविक विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नया दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।"

हम समिति द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार कर सकते हैं। समिति ने केवल योजना तथा योजना क्रियान्वयन अनुरूपता की बात कही है। यदि हम सतत प्रयास करते रहे तो हम आगामी शताब्दी के लिए लाभकारी परिणाम प्राप्त कर पाएंगे।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अथवा विभाग ने वायु ऊर्जा उत्पन्न करने में बहुत अच्छा कार्य किया और मैं समझता हूं इसके लिए उन्हें बधाई दी जा सकती है। लेकिन जहां तक महासागरीय अर्जन का संबंध है उसमें सुधार करने की बड़ी गुजांईश है। जहां तक बायोगैस का संबंध है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और उन्हें बधाई देनी चाहिए। लेकिन जहां तक सौर ऊर्जा का संबंध है, मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में अधिक कार्य किया गया है। यदि आप साइन्नस जाये और उस द्वीप बेशहरों को देखे तो पाएंगे कि प्रत्येक घर की छत्त पर एक यंत्र लगा है जो गैर ऊर्जा संग्रहित कर लेता है तथा इसे ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और यह ताप ऊर्जा पानी गरम करने, साफ करने तथा बहुत से अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऐसा भारत में भी क्यों नहीं किया जा सकता है ? यदि भारत में ऐसा किया जाता है तो हमारी बहुत सी अर्थ बच जायेगा जो घरों में पानी गर्म करने अथवा घरों को ठण्डा रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है मै समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए। मैं जो ताप ऊर्जा पर बल नहीं दे रहा हूं बल्कि में फोटो वोल्टीक ऊर्जा पर भी बल दे रहा हूं। फोटो वोल्टीक ऊर्जा सिलिकॉन सेल द्वारा विद्युतीय ऊर्जा में की गई सौर ऊर्जा है।

यदि हम सिलिकॉन सेल की लागत कम कर देते हैं यदि हम और परिष्कृत तरीके से सिलिकॉन फिल्म अथवा सिलिकॉन सेल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं तो इससे सेल की क्षमता बढ़ जाएगी तथा उपस्कर की लागत कम करने के लिए हम ये सेल अथवा फिल्म बड़े पैमाने पर बना सकेंगे। यह फोटो वोल्टीय ऊर्जा अत्यंत लाभप्रद है। यह ऊर्जा घर को गरम करने ठण्डा रखते तथा प्रकाश करन में भी प्रयुक्त की जा सकती है। इसे सड़कों पर रोशनी करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। भारत के कई गांवों में इसका उपयोग किया गया है। इसका प्रयोग हजारों मीलों तक तारें और खंभे लगाए बना भी किया जा सकता है। अतः यदि हमारे पास यह फोटो वोल्टीय ऊर्जा है तो ऊर्जा के पारेषण तथा वितरण की कोई समस्या नहीं होगी।

यह ऊर्जा मोटर गाड़ियों में भी प्रयुक्त की जा सकती है। जापान ने ऐसी मोटरगाड़ियं बनाना शुरू कर दिया है जिसमें फोटो वोल्टीय ऊर्जा प्रयुक्त की जा सकती है और मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में भी वाहनों के चलाने के लिए फोटो वोल्टीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है । हमें इस बात पर हैरानी नहीं होगी। 50 वर्षों के भीतर सभी वाहन फोटो वोल्टीय ऊर्जा का उपयोग कर ने लगें क्योंकि तेल आसानी से पैदा नही हो रहा है तथा इसके स्रोत भी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। हम यह पता लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि क्या इस फोटो वोल्टीय ऊर्जा को विकसित करना हमारे लिए संभव हो सकता है। प्रौद्योगिकी उपलब्ध है इसमें सुधार लाया जाना है तथा इसका बड़े पैमाने पर और परिष्कृत तरीके से उपयोग किया जाना है।

अतः हम केवल आज के लिए ही योजना नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम भावी पीढ़ी के लिए भी योजना बना रहे हैं। हमें यह नहीं करना चाहिए कि "हम भावी पीढ़ी की परवाह क्यों करें ?" हम संसद में इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं – यदि हम आगामी 20 वर्षों अथवा 50 वर्षों अथवा 100 वर्षों अथवा 200 वर्षों के लिए योजना बना रहे हैं और यदि हमें विद्युत की आवश्यकता पूरी करनी है, जिसकी मांग समय के साथ-साथ बढ़ेगी तो हमें ऊर्जा के नये स्रोत खोजने होंगे।

परमाणु ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा, ऊर्जा के दो बड़े महत्वपूर्ण स्रोत है। परमाणु ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता है तथा सौर ऊर्जा के लिए भी बहुत धन की आवश्यकता है ताकि वह प्रौद्योगिकी विकसित की जा सके जिसका लाभकारी तरीके से उपयोग किया जा सके। लेकिन यदि हम सौर प्रौद्योगिकी विकसित कर लेते हैं तो यह आगामी एक लाख करोड़ वर्षों तक हमारे लिए लाभकारी होगी। जब तक आकाश सूर्य में है तब तक हमें यह ऊर्जा मिलती रहेगी। इस तरह का दृष्टिकोण आवश्यक है तथा जब तक हम इस समा में इस तरह के दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तथा इस तरह की योजना नहीं बनाएंगे तब तक यह लाभकारी नहीं होगी। यही कारण है कि आज हमें जल, कोयला, तेल और गैस द्वारा ऊर्जा उत्पादित करनी होगी। साथ ही यदि हम अपने लिए भविष्य में 50 वर्षों अथवा 100 वर्षों अथवा 200 वर्षों तक के लिए ऊर्जा की पूर्ति चाहते हैं तो हमें इस तरह से तथा किसी अन्य तरीके से भी ऊर्जा का उत्पादन करना होगा।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं अपने मित्र तथा साथी श्री सिंह देव से बात कर रहा था और मै यह बात कह रहा था कि मैंने कल और आज इस समा में बैठकर सदस्यों की बात ध्यान से सुनी है तथा इस वाद-विवाद के दौरान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने आया है। वह मुद्दा यह है कि हमारे पास शिक्षा के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है हमारे पास मानव संसाधन विकास के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है तथा विद्युत उत्पादन के लिए भी पर्याप्त धनराशि नहीं है।

हमारा यह बजट जिसका हम समर्थन करने जा रहे हैं ने देश की जनता को राहत दी है। यह अच्छा है हम इस का स्वागत करते हैं और इसका स्वागत किया भी जाना चाहिए। लेकिन हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या हमने मूलभूत ढांचा बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन विकसित किये हैं ?

यदि हमने ऐसा नहीं किया है तो क्या हम स्वयं की उपयुक्त तरीके से देखभाल कर रहे हैं ? क्या हम मेरे अनुसार तीसरा मुद्दा यह है कि क्या हमारे पास जनता के विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि है ?

तीन मुद्दे हैं। एक मुद्दा राहत देने के बारे में है।

दूसरा मुद्दा मूलभूत ढांचे के लिए पर्याप्त धनराशि के बारे में है।

तीसरा मुद्दा जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के बारे में है।

क्या हमारे पास पर्याप्त धनराशि है ? यदि हमारे पास पर्याप्त

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

धनराशि नहीं है तो क्या हमने उचित रूप से योजना बनाई है ? क्या हम ठीक कार्य कर रहे हैं ? यदि हम ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने आपको सुधारना होगा।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय, किसी देश की उन्नति के लिए ऊर्जा क्षेत्र का बहुत ही महत्व है। मैं ऐसा समझता हूं कि जितना यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उतना ध्यान इस ओर दिया नहीं जाता । अभी पाटिल जी सच्चाई बता रहे थे कि बजट में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अगर दिया भी जाता है तो "आगे दौड़ पीछे चौड़" वाली बात यहां सिद्ध होती है। बहुत से प्रोजैक्ट्स की घोषणा की जाती है लेकिन वे पूरे नहीं किए जाते। इस कारण विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रोथ का जो लक्ष्य रखा जाता है, वह पूरा नहीं हो पाता। पिछली आठ पंचवर्षीय योजनाओं में 50 परसेंट लक्ष्य पूरा हुआ। नौंवी पंचवर्षीय योजना में सात परसेंट का लक्ष्य रखा गया है, उसको पूरा करने के लिए कम से कम दस परसेंट ऊर्जा का ग्रोथ होना चाहिए। एक परसेंट ग्रोथ के लिए 1.7 परसेंट एक्स्ट्रा पावर चाहिए लेकिन इसके लिए कोई उपाय इस बजट में नहीं किया गया। इसलिए ऊर्जा क्षेत्र की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसका उत्पादन बढ़ाने की भी आवश्यकता है लेकिन केवल उत्पादन बढ़ाने से ही काम नही चलेगा क्योंकि खामियों को भी दूर करना आवश्यक है । इसमें खामियां बहुत है। मैं दो खामियों की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें एक खाामी डिस्ट्रीब्यूशन आफ ट्रांसमिशन लॉसीज है। अच्छे देशों के मुकाबले अगर हम अपने यहां देखें तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आफ ट्रांसमिशन लॉस इंडिया में होते है। यहां 25 परसेंट से भी अधिक बिजली की चोरी होती है। आज तक चोरी करने वाला कोई नहीं पकड़ा गया। तीन-तीन करोड़ रुपये की चोरी हो जाती है लेकिन आज तक किसी अफसर या उद्योगपति के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। यह चोरी बढ़ती जा रही है। यह लॉस स्टेट के बजली बोर्डों में दिखाया जाता है और वे घाटा दिखा देते हैं। इसका भार लोगों के ऊपर पड़ता है। इक्विपमैंट्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। बिजली के जो खम्भे लगाए जाते हैं, वे हवा के एक झोंके में टूट जाते हैं। उसकी तारें टूट जाती हैं और ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं। किसी भी राज्य सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यह लॉसीज बढ़ने के कारण बिजली बोर्ड घाटे में चले जाते हैं।

ऐसा ही दूसरा जो क्षेत्र खामियों का है वह है प्लांट लोड फैक्टर। एक प्लांट की जो क्षमता होती है, उससे कम उनमें उत्पादन होता है। एवरेज निकालें तो सात परसेंट प्रोडक्शन होता है। इसमें खर्चे ज्यादा होते हैं और उत्पादन कम होता है। इसलिए बिजली महंगी पड़ती है। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तथा बिजली पूरी करने के लिए दाम बढ़ाये जाते हैं। जब दाम बढ़ाये जायेंगे तो बिजली महंगी मिलेगी। इससे हमारी इंडस्ट्रीज कम्पीट नहीं कर सकेंगी। आज स्टील इंडस्ट्री इसलिये खराब हो गई कि वह कम्पीट नहीं कर सकी। इसलिये आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो कमियां हैं, उनको दूर करना चाहिए और प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इससे बिजली सस्ती होगी। सरकार को एक लक्ष्य तय करना चाहिए लेकिन जो बजट में दिया गया है, उसकी एक झलक भी इसमें दिखाई नहीं देती।

दूसरी बात यह है कि कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और इसकी ज्यादा प्राब्लम थर्मल पावर प्लांट्स पर आती है क्योंकि जिन राज्यों में लगाये जाते हैं, कोयला उनसे काफी दूर पड़ता है। हमारे पंजाब में भी कमी कमी हो जाती है तो रेलवे की ट्रांस्पोर्टेशन से मुश्किल हो जाती है। कई बार रेल की हड़ताल या कोयला रास्ते में ब्लाक होने से यह मुश्किल आ जाती है। इसके लिए कम से कम दो माह का कोयला एडवांस में स्टाक में रहना चाहिए। रेलवे के साधनों में तेजी लानी चाहिए। इससे बड़ी समस्या का सामाना करना पड़ता है, जब कोयला सैम्पलिंग या ग्रेडेशन की बात आती है क्योंकि 500 ऐसे लोडिंग पाइंट्स हैं जहां से एक रैक लोड करने के लिए कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं। उसका 25 प्रतिशत ग्रेडेशन करना पड़ता है। कोल माइन्स रेलवे से कहती हैं कि यहां से कोयला ले जाओ लेकिन ग्रेडिंग नहीं होता है। यदि 10 प्रतिशत भी कम होगी तो कोयला खराब जायेगा। इससे लॉस होगा, कास्ट बढ़ेगी तथा बिजली का उत्पादन कम होगा। इससे राष्ट्र का भी नुकसान होता है। यह सबको मालूम है कि पंजाब सारे देश को 70-75 प्रतिशत खाद्यान्न देता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कोयले की समस्या का समाधान होना चाहिए जिससे उत्पादन बढ सके।

तीसरा गैर-परम्परागत ऊर्जा में तरक्की लानी चाहिए। इसमें समय और पैसा दोनों कम लगते हैं। इसमें रिटर्न भी काफी है। इसके अलावा सोलर सिस्टम है जिसे हम ले तो आये है लेकिन इसकी टैक्नालॉजी और मेनटिनंस नहीं है। जिन गांवों में लगाये गये, वे आज भी वहीं के वहीं खडे है, उनकी रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। इसलिये इसका कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा अनुरोध है कि विंड मैथड, बॉयो-गैस को ध्यान में रखना चाहिए ताकि बिजली का उत्पादन बढ़ सके।

सभापति महोदय, देश में जो हाईडल प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं, उनमें 40 परसेंट तो कम्पलीट हो गये हैं लेकिन 60 परसेंट अभी भी अनकम्पलीट हैं। हमारे यहां थीन डैम 1969 में शुरू हुआ था और उस समय इसकी कॉस्ट 83 करोड़ रुपये थे जो आज बढ़कर 3000 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। हम लोग पानी के लिए तरसते हैं क्योंकि सारा पानी पाकिस्तान को चला जाता है। यदि पाकिस्तान को नहीं जाता होता तो हमें बिजली मिलती और सिंचाई के लिए पानी मिलता। हमें इस बात की खुशी है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब में गये थे जहां उन्होंने विश्वास दिलाया है कि थीन डैम को पूरा करेंगे और इसके लिए 400 करोड़ रुपया देंगे।

अगर थीन डैम कम्प्लीट हो जाए तो उससे जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को भी फायदा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में जो हाइडल प्रोजैक्ट्स है, उनमें से पंजाब को भी हिस्सा देना चाहिए। पंजाब की सड़कों से ही रॉ मैटीरियल जाता है। इसलिए ऐसा सोचना चाहिए कि जो स्टेट्स नजदीक पड़ती है, उनको भी हिस्सा देना चाहिए।

कई स्टेट्स में पीक सीज़न में बिजली की डिमाण्ड ज्यादा होती है। जैसे पैडी के सीजन के लिए पंजाब को चार महीने बिजली चाहिए और कई स्टेट्स हैं जो नहीं ले सकते। उसके लिए सेण्ट्रल पूल में से ज्यादा हिस्सा देना चाहिए। उससे देश का भी भला होगा और स्टेट्स का भी भला होगा। अगर इस पर कोई नेशनल पॉलिसी बन जाए तो उसका लाभ सारे देश को हो सकता है। ऐसे ही टिहरी डैम का मसला है। उसके लिए बहुगुणा जी ने फास्ट रखा था और देवेगौड़ा जी ने उसको उठाया था। उसका भी कोई हल ढूंढना चाहिए। लहरा मोहब्बत

थर्मल पावर प्लाण्ट के लिए भी प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है और उसके लिए भी जो पैसे की जरूरत है, उसके लिए एक प्राइवेट फर्म के साथ कोलेबोरेशन किया है। ऐसा कोलेबोरेशन करके इन प्रोजेक्ट्स को कमप्लीट करना चाहिए।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अन्ना साहिब एम० के० पाटिल (इरन्दोल) : सभापति महोदय, जैसा कि हम जानते हैं, ऊर्जा देश के लिए अत्यावश्यक है। हम महसूस करते हैं कि सब जगह ऊर्जा संकट है। माननीय मंत्री जी ने यह बात पहले ही बता दी थी कि सभी राज्यों में हर जगह ऊर्जा की बहुत कमी है। उन्होंने जनवरी महीने में जो आंकड़े दिए थे उनसे पता चलता है कि विभिन्न राज्यों में इसकी स्थिति बहुत खराब है। ऊर्जा के उच्चतम लोड में काफी कमी हो गया है और इससे बडे राज्यों विशेष रूप से बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में विभिन्न कार्य प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा की आपूर्ति में 27.5 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक कमी आई है। इससे सप्टरूप से पता चलता है कि ऊर्जा की इस प्रकार की कमी से हम औद्योगिक विकास या राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते।

जैसाकि आप जानते हैं, ऊर्जा विभिन्न श्रेणियां में अर्थात् औद्योगिक, कृषि, वाणिज्य, घरेलू और आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए ऊर्जा पाली आधार पर दी जा सकती है और कुछ अन्य में नियमित आधार पर दी जा सकती है। इसलिए वर्तमान समय में ऊर्जा की आपूर्ति का श्रेणीकरण करना बहुत आवश्यक है और जहां बहुत आवश्यक है वहां इसे नियमित किया जाना चाहिए।

यहां तक कि देश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो 83,000 मेगावाट है वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि उच्चतम लोड पर इसकी आपूर्ति केवल 52,000 मेगावाट होती है। पी०एल०एफ० केवल 60 प्रतिशत है जो बहुत कम है।

इसलिए संयंत्र गार में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने बहुत आवश्यक हैं। दूसरा पारेषण और वितरण में क्षति को रोकना है। इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। ये सभी उपाय अपनाकर ही हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से वृद्धि होने की आशा कर सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को एक और बात विशेष रूप से अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में भी बताना चाहता हूं। अनेक माननीय सदस्यों ने पहले ही कहा है कि जीवारम ईंधन आज या कल समाप्त हो जाएगा लेकिन ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत समाप्त नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चीनी मिल से प्राप्त खोई विद्युत उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है। इस प्रणाली को हमारे देश में पहले से ही अपनाया जा रहा है। अनेक ऐसी चीनी मिलें हैं जो अपने चीनी संयंत्रों में सह-उत्पादन को अपनाकर अपने विद्युत ग्रहों और बॉयलर गृहों के उन्नयन के लिए इसे प्रयोग में ला रही हैं। मेरी राय है कि चीनी मिलों में विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण और नवीकरण से लगभग 2,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है।

विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन प्रयोग में लाने की सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए नाफ्था हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है देश मे इसकी कमी है। ऐसी अनेक परियोजनाएं भी हैं जो नाफ्था पर आधारित हैं और विदेश से नाफ्था आयात करना होता है जो किफायती नही है। वास्तव में नाफ्था आधारित विद्युत परियोजनाएं व्यवहार्य नहीं होंगी जैसाकि अनेक विशेषज्ञों द्वारा इंगित किया गया है। यदि आप अन्य प्रकार के ईंधन अर्थात् कोयला लेते हैं तो यह अनुमान है कि नौवी योजना में लगभग 10 मिलियन टन कोयला प्रतिवर्ष उपलब्ध होगा और यह भी अनुमान है कि कोयले की इस उपलब्धता से प्रतिवर्ष 2000 मे०वा० प्रतिवर्ष अतिरिक्त विद्युत की सम्भावना हो सकती है। ऐसा ही अन्य प्रकार के ईंधन के मामले में है।

चूंकि समयाभाव है इसलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि – जैसाकि श्री शिवराज पाटिल ने कहा है – अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा बायो-गैस आदि का दोहन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, विद्युत और परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

ऊर्जा, हमारे देश में प्राचीन काल से ही शक्ति के रूप में जानी जाती है तथा यह पूजा का एक स्रोत रही है। हम सूर्य की पूजा करते रहे हैं जो कि ऊर्जा का एक स्रोत है। इसका हमारे जीवन यापन से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। ऊर्जा देश के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य आधारभूत ढांचा है।

देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उपयोज्य ऊर्जा के बीच घनिष्ट सम्बन्ध है। यहां कितने प्रकार की ऊर्जा है ? मूल रूप से दो प्रकार की ऊर्जा है। एक वाणिज्यिक ऊर्जा है और दूसरी गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा है ? वाणिज्यिक ऊर्जा क्या है ? यह कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस परमाणु ईंधन और जल विद्युत ऊर्जा है और गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा, ऊर्जा का अन्य प्रकार है। हमारे देश में इस प्रकार की ऊर्जा की क्या भूमिका है ? आजादी के पश्चात् औद्योगिकीकरण में तेजी से वृद्धि के कारण वाणिज्यिक ऊर्जा ने गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा की तुलना में अपना प्रमुख स्थान बना लिया था। यदि आप 18वीं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट देखें तो आप यह पाएंगे कि इसमें यह कहा गया है :

> "गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा खपत की वार्षिक विकास दर 1 प्रतिशत थी जबकि घरेलू क्षेत्र में वाणिज्यिक ऊर्जा की विकास दर 5-6 प्रतिशत थी इस बात पर ध्यान दिया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर वाणिज्यिक ऊर्जा तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक ऊर्जा की अधिक खपत होती है। भारत में महानगरों में घरेलू क्षेत्र में कुल ऊर्जा की खपत का 66.8 प्रतिशत वाणिज्यिक ईंधनों से पूरा किया जाता था।"

मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

परिवहन क्षेत्र वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 30 प्रतिशत उपभोग करता है। हमारे देश में ऊर्जा के अन्य स्रोत क्या हैं ? एक कोयला है। मैं इसके बारे में अधिक नही कहना चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में मेरे अन्य साथियों ने काफी कुछ बोला है। हमारे देश में लगभग 26000 वर्ग किमी० क्षेत्र में कोयला खाने हैं। अधिकांश कोयला क्षेत्र नदी बेसिन के साथ-साथ स्थित है। अब मुद्दा यह है कि हम अपनी नदियों और

[श्री लक्ष्मण सिंह]

पर्यावरण का कब तक दोहन और प्रदूषित कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि विद्युत के लिए यह आवश्यक है लेकिन हमें कुछ अन्य स्रोतों का पता लगाना है। कोयला भंडार प्रति वर्ष कम होते जा रहे हैं। 1922 में, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग में हमारे देश में 25.6 बिलियन टन कोयले के भंडार का अनुमान लगाया था लेकिन आज मुझे आंकड़े मालूम नहीं हैं – यह बहुत कम हो गया होगा।

एक अन्य स्रोत जल विद्युत ऊर्जा है। जल विद्युत की संभावनाओं के बारे में पहला सर्वेक्षण 1953-59 में केन्द्रीय जल और बिजली आयोग में शुरू था और उन्होंने 221 टी०डब्ल्यू०एच० जल विद्युत का अनुमान लगाया था। हमारी नदियों में जल बहाव में भिन्नता है। वर्षाकालीन मौसम में हमारी नदियों में लाखों क्यूसेक जल बहता है लेकिन शुष्क मौसम में हमारी नदियों में बहुत कम बहाव होता है लेकिन जल के बहाव में इस असमानता से जल विद्युत की हमारे देश में अधिक सम्भावना नहीं है। हम पूर्ण रूप से इस पर निर्भर नहीं रह सकते।

जब हम जल विद्युत के बारे में बात करते हैं तो वहां भी अन्य समस्याएं हैं। जब हम बांध बनाते हैं तो वहां भूमि के जल मग्न होने और गांवों के उजड़ने की समस्या आती है जैसे कि सरदार सरोवर परियोजना के मामले आई है जो अभी भी अधर में लटकी हुई है। आज तक हम उसका समाधान नही कर पाए हैं। यह वर्षों से चल रही है। हमें सिंचाई और पीने के लिए जल की आवश्यकता है लेकिन पानी का अभाव है। यह ऊर्जा का एक अन्य स्रोत है जो केवल उपयोगी है लेकिन इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा।

अब समय आ गया है जब हमारे पास विद्युत की पूर्ति तथा विद्युत से जुड़ी अन्य समस्याओं को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय पावर ग्रिड बनाया जाए। विद्युत सर्वेक्षण समिति की 13वीं रिपोर्ट जो दिसम्बर 1987 में प्रस्तुत की गई थी में जो कुछ कहा गया है उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए इसमें यह अनुमान लगाया गया था कि विद्युत की मांग 1987-88 से 1994-95 तक प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और आठवीं योजना में 38000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का कार्यक्रम था।

श्री राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विद्युत समिति गठित की गई थी। इसने भी अनेक सुझाव दिए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कब तक नौकरशाही पर निर्भर रह सकते हैं ? छठी योजना के दौरन तेल दोहन तथा प्राकृतिक गैस की खोज के लिए 8.511 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान था जिसे बढ़ाकर सातवीं योजना के दौरान 12,627.67 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आबंटन वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता चला रहा। लेकिन इसके क्या परिणाम रहे ? मैं समझता हूं कि इसका उत्तर है अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत। हमें इस पर अवश्य अधिक विचार करना चाहिए। हमें इसमें अधिक निवेश करना चाहिए। हमें इस क्षेत्र में निजी कम्पनियों को आमंत्रित करना चाहिए।

आपके मंत्रालय में एक नौकरशाह ने समाचार पत्रों में यह घोषित किया कि आप बहुत शीघ्र अपरामपरिक ऊर्जा सम्बन्धी नीति ला रहे हैं। यह बहुत अच्छा विचार है। लेकिन उसके पश्चात् कुछ नहीं हुआ। यह आपकी कार्यसूची में भी है। मैं समझता हू कि आप शीघ्र अपारम्परिक ऊर्जा हेतु स्पष्ट नीति लाएंगे। आपको निजी भागीदारी को आमंत्रित करना चाहिए और अनुसंधान तथा विकास के लिए भी अधिक धन देना चाहिए। हमारी ऊर्जा समस्या के लिए यह एक बड़ा प्रोत्साहन हो सकता है।

अब मैं बजट आबंटन के बारे में अपने विचार रखता हूं। उन्होंने राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के विकास के लिए 90 लाख रुपये आबंटित किए हैं। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि अधिक धन दे देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा जैसा कि मै पहले ही कह चुका हूं कि हमें इसमें निजी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए और अनुसंधान तथा विकास के लिए और अधिक धन देना चाहिए।

उन्होंने बायोमास कार्यक्रम के लिए सहायता दी है। उन्होंने 50 लाख रुपये आबंटित किए हैं। मै उन्हें बधाई देता हूं।

अब मैं अपने देश में बायोगैस कार्यक्रम पर आता हूं। इस क्षेत्र में अनेक सम्भावनाएं हैं। यह अनुमान है कि 237 मिलियन पशुओं से 1000 से 2,000 मिलियन टन गोबर उपलब्ध होता है। गोबर के अतिरिक्त कृषि अपशिष्ट भी जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार केवल 66 प्रतिशत गोबर से 22,425 मिलियन घन मीटर गैस पैदा की जा सकती है अर्थात् प्रत्येक पशु के 10 कि०ग्रा० गोबर से इतनी गैस पैदा की जा सकती है। ये मात्र आंकड़े ही नहीं है। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किए गए हैं। वे सफल रहे हैं। इसलिए खादी और ग्रामीण उद्योग निगम के माध्यम से इन कार्यक्रमों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

माननीय सदस्यों ने पवन और सौर ऊर्जा पर चर्चा की है। अतः मैं सदन का अधिक समय नही लूंगा। लेकिन मैं एक मुख्य मुद्दा उठाऊंगा जो हमारे देश में कृषि ढांचे पर विचार करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह डेन्डो ताप ऊर्जा है। डेन्डो ताप ऊर्जा वृक्षों को जला कर बनाई जाती है। मैं फिलीपीन्स का उदाहरण देना चाहता हूं जो भारत के मुकाबले बहुत छोटा देश है अब उन्होंने लुकेना का रोपण करके डेन्डो ताप ऊर्जा एक कार्यक्रम शुरू किया है। मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं :–

> "वोलीनाओं फिलीपीन्स निर्माण के शीघ्र पश्चात् यह विद्युत संयंत्र 350 मिलियन डॉलर की विद्युतीकरण परियोजना का एक भाग होगा जो विद्युत उत्पादन के लिए लुकेना वृक्षों को जलाने के आधार पर कार्य करेगा। इस योजना से बहुत से देशों को एक आकर्षक मॉडल प्राप्त होगा तथा पृथ्वी के समस्त वनों के विनाश से बचाने के लिए कुछ और तरीके प्राप्त होंगे। लुकेना जो स्थानीय तौर पर इपिल-इपिल के नाम से जाना जाता है, कतिपय वृक्षारोपणों में पैदा हुई एक जाति है जो अब तक काफी पनप चुकी है। आगामी पांच वर्षों के दौरान फिलीपीन्स का कुछ लुकेना आधारित विद्युत गृह बनाने का विचार है। यह कहा जाता है कि प्रत्येक विद्युत गृह सम्भवतः 15,000 ग्रामीण घरों को बिजली की पूर्ति कर सकता है जिससे 26,000 बैरल से भी अधिक कच्चे तेल की वार्षिक बचत होगी।"

इस कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है, इस डेन्डो ताप ऊर्जा के लिए हम इसे कहां उगाते हैं ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वन्य क्षेत्र है। मध्य प्रदेश राज्य जहां से मै आता हूं, में परती भूमि का सबसे अधिक क्षेत्र है। इसमें 20,142 मिलियन हैक्टेयर परती भूमि है।

राजस्थान में 19.945 मिलियन हैक्टेयर परती भूमि है; महाराष्ट्र में 14.401 मिलियन हैक्टेयर परती भूमि है। इस सभी परती भूमि पर अल्पावधि ईंधन देने वाले वृक्षों का पौधरोपण किया जा सकता है और हमें इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

महोदय, मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहता हूं। जो कुछ मेरे मित्र श्रीसुरेश प्रभु ने कहा है मैं उससे सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि विद्युत उत्पादन में पाकिस्तान हमसे आगे है और हम उनसे विद्युत खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। वह दिन हमारे लिए बड़ा शर्मनाक होगा जब हम पाकिस्तान से विद्युत खरीदेंगे! मेरे विचार से हमारे देश में इसकी काफी सम्भावनाएं हैं। हमें इसका पता लगाना चाहिए और सम्भावित अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का पूरा दोहन करना चाहिए। मैं केवल यह आशा करता हूं कि अभी वह दिन नहीं आएगा जब हम पाकिस्तान से विद्युत खरीदें। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री हमारे सभी सुझावों को गम्भीरता से लेंगे और उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित करेंगे।

प्रो० आर० आर० प्रामानिक (मथुरापुर) : महोदय, मैं कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग की बजटीय अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और उनके संबंध में कुछ टिप्पणियां और सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, अब यह स्वीकार्य तथ्य है कि विश्व में आज विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और खपत देश के विकास का मूल्यांकन करने के लिए एक मात्र मापदंड है। इस देश में आज विद्युत के सम्बन्ध में क्या राष्ट्रीय सिथति है तथा 1977 में यह क्या थी ?

हमारी कुल विद्युत क्षमता 84,000 मेगावाट है; ताप विद्युत क्षमता 60,000 मेगावाट है जल विद्युत में यह 22000 मेगावाट से थोड़ा-सा कम है और हमारी परमाणु ऊर्जा क्षमता 1840 मे०वा० है। हमारी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में परमाणु ऊर्जा का अंश केवल 1.89 प्रतिशत है। 1992 में यह 2.4% थी और 1997 में कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का अंश 1.89% है। यदि आप अन्य देशों के आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो यह देखा जाएगा कि फ्रांस में कुल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का अंशदान 77 प्रतिशत से अधिक है; जापान में यह 33 प्रतिशत से अधिक है; इग्लैंड में यह 33 प्रतिशत से अधिक है; जर्मनी में यह 30 प्रतिशत से अधिक है; दक्षिण कोरिया में यह 48 प्रतिशत से अधिक है; लेकिन भारत में यह केवल 1.89 प्रतिशत है।

महोदय, देश में हमारा वर्तमान कोयला भंडार 190 बिलियन मीट्रिक टन है। यदि संतुलित विकास पांच प्रतिशत है और औद्योगिकीकरण की गति तेजी से बढ़ती है तो कोयले का भंडार 100 वर्षों तक चल सकता है। उपलब्ध कोयले का भंडार अगले 100 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। हमारे देश में तेल और गैस की सम्भावनाएं भी बहुत कम हैं। इन चीजों के उपलब्ध भंडार 100 वर्षों से कम समय में ही खत्म हो जाएंगे। यदि हमने विद्युत ऊर्जा की अपेक्षा ऊर्जा स्रोतों के अन्य स्रोतों की ओर ध्यान नहीं दिया तो जीवाश्म ईंधन भी खत्म हो जाएगा और पूरी सभ्यता में 100 वर्षों के पश्चात् ठहराव आ जाएगा।

आज हमारे देश को एक ऐसे राजनेता की आवश्यकता है जो सैंकड़ों वर्षों या यूं कहिए कि हजारों वर्षों के बारे में सोच सके। हमने अपने देश में बहुत उच्च परमाणु सम्भाव्यताएं हासिल कर ली हैं और इनका दोहन किया जा सकता है। हमारे देश के परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे विचार व्यक्त किए गए हैं। मैं उनमें से कुछ के नाम बता सकता हूं। वे हैं डा० राजारमन्ना, श्री पी०के० अय्यंगर, डा० श्री निवासन आदि। परमाणु ऊर्जा विभाग में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं कि हमारे देश के लिए परमाणु ऊर्जा का दोहन जरूरी है।

यहां अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो जानबूझकर अथवा अनजाने में परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। लोग किसी कारण से परमाणु ऊर्जा के पक्ष में अथवा इसके विरुद्ध बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा के बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है। चेरनोबिल घटना को छोड़कर परमाणु ऊर्जा रियेक्टर की विकिरणों से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। 1986 में चेरनोबिल में यह दुर्घटना हुई थी जिसमें 32 व्यक्ति जलने से मरे थे न कि विकिरण से। वह घटना इसलिए घटी क्योंकि कुछ रूसी वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करते हुए कुछ गुप्त परीक्षण करने में लगे हुए थे। यह केवल एक घटना है। अनेक घटनाएं तब घटीं जब रेलगाड़ियों या विमानों में यात्रा करते समय भी लोगों ने इसका प्रयोग बन्द नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति जो परमाणु ऊर्जा के विरोध में बोलता है चेरनोबिल का उदाहरण देता है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल यही एक उदाहरण है। वैज्ञानिकों ने अब अनेक सुरक्षा उपाय अपना लिए हैं और अब यह प्रणाली पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब इसमें दुर्घटना के बहुत कम अवसर हैं।

हमारे देश में 1969 में जब तारापुर संयंत्र से उत्पादन शुरू हुआ था के बाद से इसके कारण एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। सम्पूर्ण विश्व में 437 से अधिक परमाणु रियक्टर हैं और उनसे 19 प्रतिशत ऊर्जा मिलती है, हमारे देश में 60,000 मीट्रिक टन यूरेनियम है। अब, ब्रीडर रिएक्टर के दूसरे चरण ने उत्पादन शुरू कर दिया है जिससे हम अपनी खपत से अधिक ईंधन पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत पैदा की जा रही है। अब हम प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग कर रहे हैं। यूरेनियम 235, जिसे विखण्डय तत्व कहते हैं, केवल 0.7 प्रतिशत है और अप्रयुक्त यूरेनियम 238 आवरण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। पहले चरण में उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त किया गया प्लूटोनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और यह अप्रयुक्त यूरेनियम 238 प्लूटोनियम में बदलने के लिए आवरण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है जिसे दोबार ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। कल पक्कम में फास्ट ब्रीर्डर रिएक्टर ने उत्पादन शुरू कर दिया है ? हम यहां अनेक वर्षों के लिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए 60,000 मीट्रिक टन यूरेनियम का प्रयोग कर सकते हैं। हमें केरल के तटीय क्षेत्रों में काफी मात्रा में थोरियम भंडार मिले हैं। इसकी मात्रा 3,60,000 मीट्रिक टन थोरियम है। हम तीसरे चरण को शुरू कर सकते हैं जहां थोरियम आवरण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस थोरियम को यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है जो एक ईंधन है। हमने तकनीकी जानकारी हासिल कर ली है। हमारे पास वैज्ञानिक और औद्योगिकविद हैं। हमने धन को छोड़कर सब कुछ हासिल कर लिया है। अतः हम तीसरे चरण को पार कर सकते हैं जहां हम थोरियम का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास थोरियम का बड़ा भंडार है। हम इससे एक हजार से भी अधिक वर्षों तक बिजली पैदा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें आपका समय पूरा हो गया है।

प्रो० आर०आर० प्रामानिक : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे कुछ मिनट का और समय दिया जाए। भारत में विद्युत की खपत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष केवल 318 कि०वाट है जबकि विश्व में औसतन प्रति घंटा व्यक्ति/वर्ष 2.400 कि०वा० की खपत है, यूरोप में 5000 कि०वा०

[प्रो० आर.आर. प्रामाणिक]

प्रतिघंटा/व्यक्ति/वर्ष की खपत है और संयुक्त राज्य अमरीका में 10,000 कि०वा० प्रति घंटा/शर्त व्यक्ति/प्रतिवर्ष की खपत है।

यदि हम घरेलू उपभोक्ता और उद्योगों को विद्युत की अवाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारे पास परमाणु विद्युत उत्पादन की महत्वाकांक्षी योजना के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। कोयला 100 वर्षों तक के लिए पर्याप्त है, और विद्युत उत्पादन में तेल का उपयोग नहीं होता, इसका बेहतर उपयोग रसायन उद्योग में होता है।

असीम सम्भावनाओं वाली परमाणु ऊर्जा के सम्बन्ध में हमारी सरकार का क्या कार्यक्रम है ? परमाणु ऊर्जा की प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत 5 करोड़ रुपये है। यह आगे जाकर किफायती होगी । हमारे देश के अनेक परमाणु वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु ऊर्जा सबसे अधिक सुरक्षित तथा सस्ता स्रोत है हम परमाणु ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को क्यों नहीं अपना लेते ? यदि इसके लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि नहीं है तो हम अपने देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग क्यों नहीं लेते ? चीन ने अपने देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कनाडा, फ्रांस और इग्लैंड के साथ सहयोग किया है। यदि चीन जैसा साम्यवादी देश ऐसा कर सकता है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता है ?

हमने कुन्दरकुलम में 1000 मेगावाट क्षमता को दो परमाणु रियक्टर स्थापित करने के लिए रूस के साथ समझौता किया है। हमारे पास परमाणु ऊर्जा उत्पादन के अलावा और कोई रास्ता नही है। परमाणु वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु ऊर्जा शत-प्रतिशत सुरक्षित है। चेरनोबिल दुर्घटना के कारण हम अपने देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन नहीं करते हैं जबकि देश में यूरेनियम और थोरियम पर्याप्त भंडार हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से इसका उत्तर देने का अनुरोध करता हूं। कोयला हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। पन विद्युत की 75000 मेगावाट बिजली पैदा करने सीमा है। इससे अधिक हम अपने देश में पन विद्युत पैदा नहीं कर सकते है। जब इसकी सीमाएं हैं तो हम अपने देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए मित्र विदेशों के सहयोग से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम क्यों शुरू नहीं करते ?

देश में इस समय 32 परमाणु ऊर्जा रियक्टर हैं जो प्रचलनाधीन अथवा निर्माणाधीन या स्वीकृत हैं अथवा उन पर स्वीकृति दी जानी है। इन 32 परमाणु ऊर्जा रियक्टरों में से एक भी रिएक्टर पूर्वी क्षेत्र में स्थित नहीं है। वे या तो उत्तर में या पश्चिम में अथवा दक्षिण में हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक भी रियक्टर स्थापित नहीं किया गया है। मैं पूर्व या पश्चिम या दक्षिण के खिलाफ नहीं हूं लेकिन पूर्वी क्षेत्र में एक भी रियक्टर क्यों नहीं स्थापित किया गया है ? 1992 में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने पश्चिम बंगाल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्वीकृति दिए जाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। अब 1997 है और पांच वर्षों के पश्चात भी प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है कि क्या वह पश्चिम बंगाल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार होंगे।

विद्युत क्षेत्र के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारा कोई स्थान नहीं है। मैंने परमाणु ऊर्जा संयंत्र संबंधी यह मुद्दा कई बार उठाया है। लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थिति हैं। मैं उनसे भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन संबंधी नीति के बारे में जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप पहले ही 15 मिनट तक बोल चुके हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो० आर० आर० प्रामानिक : सभापति महोदय, मुझे आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने परमाणु ऊर्जा के बारे में ही बोला क्योंकि देश में परमाणु ऊर्जा के विरुद्ध एक ऐसी लाबी है जो सिर्फ चेरनोबाइल का ही उदाहरण देती है। यह उचित नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

श्री प्रह्लाद सिंह (सिवनी) : आज यहां ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए उपस्थिति है। ऊर्जा एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यह सदन अगर ऊर्जा के बारे में अपनी राय और अपनी योजनाएं सुनिश्चित करेगा तो शायद इस देश के भविष्य के साथ हम न्याय कर सकेंगे। मेरे एक मित्र का एक नीति वाक्य था कि जब कोई भी समाज या व्यक्ति अपनी आधी आवश्यकताएं पूरी कर लेता है तो उसके सामने मुश्किलें दुगुनी हो जाती हैं। जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ उसमें समस्याओं को सामान्य व्यक्तियों के नाते हम देखते है तो पाते हैं कि जितना हमने पाया है उससे दुगुनी मुश्किलें हमने उपस्थित कर ली हैं।

सभापति जी, चर्चा काफी लम्बी हो गयी है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी हमारी स्थाई समिति की रिपोर्ट है वह इस बात का दर्पण है कि बिजली उत्पादन पर सभी जोर देना चाहते हैं। चाहे परमणु बिजली उत्पादन का क्षेत्र हो, ताप या जल विद्युत उत्पादन का क्षेत्र हो। हमने जल विद्युत के आधार पर जो आंकड़े देखे हैं उनमें निजी क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो हमने सभी तरफ निराशाजनक परिणाम प्राप्त किए है। सभी सदस्यों ने आंकड़े दिए हैं कि हमारी जो उपलब्धता थी उसमें हम आधे पर रहे है और फिर से इस पर विचार करने के लिए तैयार है।

आठ पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने के बाद हम नौवी पंचवर्षीय योजना में जिन अनुमानों को रखकर अपने बजट को देखते है तो धन की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। बिना धन के योजनाओं को हम कैसे पूरा करेंगे, यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा, ऊर्जा के जिन क्षेत्रों की तरफ हम निगाह करते हैं तो पाते हैं तथा समिति की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पशु-ऊर्जा है वह हमारी ऊर्जा का 50 प्रतिशत है। पर इस सदन की कोई भी बहस या पंचवर्षीय योजना पर आप निगाह डालते हैं तो लगता नहीं है कि कोई सार्थक बहस हुई है या पशु ऊर्जा के बारे में योजनाबद्ध तरीके से इस सदन ने कोई विचार किया हो। हम जानते हैं कि पशु ऊर्जा का क्षेत्र 50 प्रतिशत है और जब हम इसके बारे में प्रश्न करते हैं तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जब हम उसके बाद परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हम इस तरह से अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ऊर्जा के जिन क्षेत्रों की हम चर्चा करते हैं या उनका वर्गीकरण करते हैं तो मैं यह मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि इस तरह से हम अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। जो उदहरण हमने यहां चर्चा से प्राप्त किये हैं या अपने वरिष्ठ सदस्यों से प्राप्त किए हैं उनसे हम अपने भविष्य के बारे में तैयारी

सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपके माध्यम से इस सदन से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी आंकड़े हमारे सामने उपस्थिति हैं और जिन बिजली-बोर्डों के घाटे की बात अनेक जगह उपस्थिति हुई है, इस बारे में मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जब केन्द्र कमजोर होता है तो सूबेदार सिर उठाते हैं। जिन विद्युत-मंडलों के घाटे की बात पर या राज्य सरकारों के मनमाने ढंग से काम करने और उनके वयवहार पर हम यहां टिप्पणी कर रहे हैं तो क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे उन पर अंकुश लगाया जा सके। मैंने म०प्र० के आंकड़े देखे हैं। 72 लाख उपभोक्ताओं में से 32 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो मुफ्त बिजली प्राप्त करते हैं। हमें इनके कारणों में जाना पड़ेगा कि इनके बारे में क्या करना चाहिए, कैसे उनका ट्रांसमिशन हमें करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को अगर हम आइडियल स्टेज मान लें तो उसके लिए कहा गया है कि उसमें 60 प्रतिशत ताप विद्युत तथा 40 प्रतिशत जल विद्युत होनी चाहिए। आज हिन्दुस्तान की स्थिति क्या है ? यह मापदंड यदि होगा तो हम कहां उसमें फिट बैठेंगे। हमें अपनी भौगोलिक स्थिति के बारे में विचार करना होगा।

अगर मान भी लें तो हम जल विद्युत में 26 परसेंट से ज्यादा उपलब्धि हासिल नहीं कर सके हैं। क्या धनराशि का अभाव है ? इसलिए जल विद्युत प्रदान नहीं हो सके। मैं इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। रिपोर्ट के अनुसार हमने निजी क्षेत्र में जल विद्युत के आंकड़े को पार कर लिया है। हमने जो लक्ष्य रखा था, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या इसके बारे में गम्भीरता से विचार किया गया है या कोई योजना आपके पास है ? आपने प्राधिकरण बनाने की बात कही है। आपने जनवरी 1997 में अध्यादेश जारी कर दिया, नियमों, कानूनों में परिवर्तन कर दिया और रिपोर्ट में लिख दिया। क्या कभी इस बात पर विचार किया है कि जिन अनेक कम्पनियों को प्रतिस्पर्धा में बुलाया वह भारत के भी की हों या विदेशी कम्पनियां। क्या गुणवत्ता के आधार पर उनका चयन किया ? क्या कोई कम्पनी कार्य प्रारम्भ कर सकी ? मेरे विचार से कोई कम्पनी कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकी..... *(व्यवधान)* जो विदेशी और निजी कम्पनियां हैं, उनकी बात मैं कहना चाहता हूं। टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट में परिवर्तन की आवश्यकता है। आपने वार्षिक रिपोर्ट में जो बात कही है, उसकी एक बात से मैं अपने आप को फक्र महसूस करता हूं। आपने जो दोतरफा प्रणाली लगायी है, उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और संशोधन करने की आवश्यकता है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपने रिपोर्ट में जो भी कैपटिव पावर प्लांट लगाने की बात कही है, उनको लगाया जाना चाहिए। इसमें जो व्यवधान आते हैं, उन्हें आप दूर करें। इसके साथ ही नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता हैं। मैं प्रतिस्पर्धा की बात पहले ही कह चुका हूं। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं। जो प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर चयनित हो चुके हैं, उनके काम न करने के पीछे जो कारण हैं, उन्हें आप दूर करें। इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार होता है। इसलिए गलत नीतियों को सुधारने की आवश्यकता है।

मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि सोलर एनर्जी के मामले में जो एकाधिकार किसी कम्पनी को दिया है, संसाधनों को देखते हुए उनमें परिवर्तन करना चाहिए। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : धन्यवाद सभापति महोदय, जैसाकि मैं इस सभा में कई बार कह चुका हूं कि उदारीकरण करने संबंधी 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति क्षेत्रीय कारक के अभाव के कारण स्पष्ट नहीं है। इससे क्षेत्रीय असमानता पहले से ही बढ़ गई है जैसा कि आप देख चुके हैं देश के केवल दस अथवा ग्यारह राज्यों में ही नया निवेश किया गया है और उदारीकरण के बाद से पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में निजी पूंजी की बड़ी राशि निवेश नहीं की गई है।

भारत जैसे महाद्वीपीय विशेषताओं वाले देश जहां भाषा और संस्कृति की बहुलता तथा विविधता है, की प्रगतिशील आर्थिक नीति में क्षेत्रीय कारक अनिवार्यतः शामिल किए जाने चाहिए। क्षेत्रीय कारक एक अन्य कारण से भी महत्वपूर्ण हैं और इस क्षेत्रीय कारक के अंतर्गत हम देश के समझ निरन्तर चली आ रही विद्युत संकट की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं।

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन से संबंधित सभी संसाधनों का अपार भंडार है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पन बिजली की अपार क्षमता है। यहां कोयले का भारी भण्डार है। यहां गैस एल.एस.एच.एस. और नाफ्था भी पाए जाते हैं। मेघालय में यूरेनियम उपलब्ध है जो परमाणु विद्युत के उत्पादन के लिए ईंधन का काम करता है। यह क्षेत्र एक ऐसा उदहारण है जहां अपार सम्पदा होते हुए भी गरीबी है। यहां वे लोग निर्धन है परन्तु यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। मैं यह महसूस करता हूं कि हमारी योजना प्रक्रिया में क्षेत्रीय संघटक को शामिल करना चाहिए। हमें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के लिए क्षेत्र विशेष को निर्दिष्ट करना चाहिए। जैसाकि पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं, इसी तरह भारत का पश्चिमी हिस्सा औद्योगिक उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान दे सकते हैं।

वस्तुतः हमें पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को देश के विद्युत उत्पादक क्षेत्र के रूप में घोषणा करने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों का ही उदाहरण ले लीजिए। आज पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लगभग 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है और यह इसकी संचालन क्षमता है। लगभग 1300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता का उत्पादन आयोजना, निर्माण और चालू होने के विभिन्न चरणों पर है। इस शताब्दी के अंत तक 2,500 मेगावाट क्षमता के विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है। उस समय तक समस्त पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत की अधिकतम मांग 1200 से 1300 मेगावाट से अधिक नहीं होगी और पीक मौसम न होने पर इसकी मांग कम होगी क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग नहीं हैं। पूर्वोत्तर में 'पीक' और 'आफ पीक' की अवधि के बीच अत्यधिक अंतर है। अतएव इस शताब्दी के अंत तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीक समय के दौरान सम्भवतः 300 से 400 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत और आफ पीक समय के दौरान 500 से 600 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत होने की संभावना है। यदि नार्थ ईस्टर्न ग्रिड और ईस्टर्न ग्रिड के बीच अंतर-क्षेत्रीय पारेषण सम्पर्क विकसित कर दिया जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र से इस विद्युत को भारत के प्रमुख क्षेत्र में पारेषित किया जा सकेगा।

इस समय बोगाई गांव से मालदा तक केवल एक ही दोहरी सर्किट लाइन है जिसमें प्रमुख भूमि तक विद्युत ले जाई जा रही है परन्तु इसकी पारेषण क्षमता मात्र 200 मेगावाट है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए और इसकी क्षमता में केवल 400 से 600 मेगावाट तक ही नहीं अपितु

[श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका]

1000 मेगावाट से भी अधिक बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की अपार क्षमता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 10,000 मेगावाट की पन बिजली की क्षमता पहले से साबित हो चुकी है। सुबानसिरी बांध परियोजना, जिसका सरकारी एजेंसियों द्वारा पहले ही सर्वेक्षण किया गया है, की 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तिपायीमुख परियोजना द्वारा 10,000 से 15,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो सकता है। इसके अलावा गैस भण्डार, नाफ्था, एल.एस.एच. एस. और कोयले का भी अपार भंडार है। यदि इन सभी संसाधनों को विद्युत उत्पादन में लगा दिया जाएगा तो मुझे विश्वास है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अकेले ही पूरे देश की मांग काफी हद तक पूरा कर सकेगा।

पूर्वोत्तर में पूरी क्षमता के दोहन और विकास और विद्युत को भारत के प्रमुख भूगोल तक ले जाने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। सुबानसिरी बांध परियोजना के संबंध में कतिपय अंतर्राज्यीय समस्याएं हैं परन्तु ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे देश के सर्वोत्तम हित में बातचीत और चर्चा के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता है।

महोदय, मुझे कई अन्य महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं। एक बात जिसे मैं रखना चाहता हूं कि हम अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के मामले बहुमूल्य पांच वर्ष खो चुके हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 40,000 से 50,000 मेगावाट की आवश्यकता के स्थान पर अत्यल्प 14,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई है।

हमने उदारीकरण को अपनाया है और इस संबंध में हमने बिना कोई व्यवस्था किए इसे निजी क्षेत्र को सौंप दिया है। हमने गल्लावालों, किरयाना वालों और ऐसे अन्य लोगों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका विद्युत उद्योग अथवा किसी बड़े उद्योग में न तो कोई अनुभव है और न ही इससे संबंधित पृष्ठभूमि ही है। साथ ही हमने इसकी भी कोई परवाह नहीं की है कि क्या ये ऐसी परियोजना को चलाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम भी हैं अथवा नहीं। इस तरह से हमने 200 अथवा 300 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे परन्तु जगरुपाडु और काकिनाडा जैसी लघु परियोजनाओं को छोड़कर कोई अन्य परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि इसकी जांच करायी जानी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि देश में विद्युत संकट को बद से बदतर बनाने और इसे पूरी तरह से विफल करने के लिए कौन जिम्मेवार है तथा इसमें हुई गलती के लिए जवाबदेही निश्चित की जाए।

अंततः महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उन्होंने "अंततः" कहा है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : हम यह देखते हैं कि आज विद्युत क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तथापि बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी विद्युत संगठनों में शीर्ष पद खाली हैं। शायद आस-पास महिलाएं नहीं हैं परन्तु आज विद्युत क्षेत्र में शीर्ष पद खाली रहना आम बात हो गई है। एन०टी०पी०सी० में अध्यक्ष का पद शीघ्र ही रिक्त होने वाला है। पावर ग्रिड कारपोरशन जोकि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संगठन है में कई महीनों तक शायद दो वर्षों तक कोई नियमित मुख्य कार्यकारी नहीं था और यह देखते हैं कि इन पदों पर नियुक्तियों में असाधारण रूप से विलम्ब किया जा रहा है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सिफारिश से लेकर एसीसी द्वारा स्वीकृति दिए जाने तक की प्रक्रिया में कई माह लग जाते हैं और कभी-कभी इसमें एक वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। यह तथ्य बहुत ही रहस्यमय और हास्यास्पद है कि अब एन०टी०पी०सी० के अध्यक्ष जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पांच वर्ष का कार्यकाल बिता चुके हैं, को कुछ महीनों अथवा एक वर्ष का सेवा विस्तार किए जाने का मामला सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के समक्ष रखा जा रहा है। हमने इस सज्जन के हाथों उक्त संगठन को पांच वर्षों के लिए सौंप दिया था हमने 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपये का निवेश उनके हवाले कर दिया था और साथ ही इस संगठन को पांच वर्षों तक चलाने का दायित्व भी उन्हें सौंपा था। उनका कार्य निस्पादन और गोपनीय रिपोर्टें यहां हैं। फिर भी इनका मामला सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के समक्ष रखा जा रहा है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसे उक्त व्यक्ति के जान का शायद लेश मात्र भी जानकारी नहीं है। यदि वह अक्षम है और उनके कार्य निस्पादन से विद्युत मंत्रालय संतुष्ट नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का सेवा विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का मामला सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के समक्ष दुबारा क्यों रखा जा रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि वित्त मंत्री ने 20 मार्च, को इस सभा में यह वक्तव्य दिया था कि वह विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के बारे में एक नीति तैयार करेंगे और उसे प्रकाशित करेंगे क्योंकि हमसे यही एक गलती हुई है। हमने विद्युत क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र को हटा लिया है परन्तु इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र नहीं आया। इसलिए हमने पिछले पांच वर्ष बर्बाद किए । इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ा दिया जाए ताकि पुनः विफलता का सामना न करना पड़े। यह सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है कि हम फिर से आने वाले पांच वर्ष भी न खो दें। चूंकि यह ढांचागत क्षेत्र है इसलिए इसमें सार्वजनिक निवेश आवश्यक है और इसलिए मैं सरकार और वित्त मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि वे विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के बारे में नीति संबंधी वक्तव्य तत्काल जारी करें।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : सभापति जी, मैं संक्षेप में कुछ बातें कहूंगा। कोयला उद्योग की गिनती दूसरे उद्योग के साथ नहीं होनी चाहिए। उसका एक कारण है।

दूसरी बात यह कि जलावन के कोयले के उत्पादन में कमी हो रही है क्योंकि पिछले तीन वर्ष में 47 करोड़ रुपये का घाटा कोल इंडिया को हुआ है। मैं चाहूंगा कि जलावन के कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी हो और इसके लिए कोल इंडिया को जो घाटा होता है, सरकार उस घाटे को पूरा करे। आप गैस में सबसिडी दे सकते है तो जलावन के कोयले में सबसिडी क्यों नहीं दे सकते हैं ?

तीसरी बात मै कहना चाहता हूं कि कोयला कर्मचारियों की पेंशन के लिए सीपीएमएफ में हमने संशोधन किया है और सरकार को अधिकार दिया गया है पेंशन योजना बनाने के लिए कोयला मंत्रालय में करीब चार महीने से अधिक समय से पेंशन की योजना की फाइल घूम रही है।

जबकि सरकार को एक पैसा भी पेंशन की मद में कोयला कर्मचारियों को नहीं देना है। तो सरकार को उस योजना को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। उसी तरीके से मै कहना चाहता हूं कि झरिया जो आग पर बसा हुआ है, वहां पर जमीन घसने का काम प्रतिदिन हो रहा है, उसे गंभीरता से लिया जाए और उसके पुनर्वास का कोई इंतजाम अविलम्ब किया जाए। बिहार में जो कोयलकार है, उनका क्या हो रहा है.....*(व्यवधान)* क्यों रोक दिया, पैसा क्यों नहीं देते हैं ?

सभापति महोदय : जवाब मिलेगा।

श्री रमेन्द्र कुमार : हम मंत्री जी से पूछ रहे हैं, बाकी सब स्टेट्स को मिलेगा, बिहार को कुछ नहीं मिलेगा। कोयलकारों को आप पैसा दीजिए और उसे तुरंत चालू कीजिए और जितनी बाधाएं हैं उन्हें दूर कीजिए। हमारे बिहार में नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन का क्या हुआ। जब 1985 में श्री बिंदेश्वरी दुबे मुख्य मंत्री थे, तो मै बिहार में था उस समय वाया कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात कही गई थी। अब मैं उसका नाम ही नहीं सुनता हूं। उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में कुटीर ज्योति में दलित बस्ती में और ट्राइबल बस्ती में पिछले साल जीरो परसेंट काम हुआ है और आर.ए.सी. के अंदर भी यही हाल है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज भारत सरकार आर. ए.सी. से जो कर्जा लेती है वह दो परसेंट की दर से लेती है। भारत सरकार आर.ए.सी. को जो कर्जा देती है वह 12 परसेंट की दर से देती है और आर.ए.सी. जो राज्य सरकार को कर्जा देती है वह 16 परसेंट की दर से देती है। तो क्या केवल कमीशन पर ही राज चलेगा ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आर.ए.सी. को फंड दीजिए और ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाइये और खास तौर से बिहार जो बिजली के मामले में पिछड़ा हुआ है, ग्रामीण विद्युतीकरण में पिछड़ा हुआ है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए नहीं तो बिहार बहुत पीछे हो जायेगा और ऐसी हंगामा खड़ा होगा कि पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा। धन्यवाद।.....*(व्यवधान)*

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, सी.पी. आई. की तरफ से किसी का नाम है या नहीं ?

सभापति महोदय : नाम नहीं है।

श्री रमेन्द्र कुमार : क्या हम सी.पी.आई. में नहीं हैं, क्या हम निर्दलीय हैं। नहीं तो आप नाम पढ़ लीजिए। हमको सी.पी.आई. बोल देंगे तो क्या हमारी मैम्बरशिप खत्म हो जायेगी ? आप क्या बात करते हैं।

श्री विजय गोयल (सदर–दिल्ली) : सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की अनुदान की मांगे केन्द्र सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों में से है। जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं वैसे तो हम इस हॉल के दूधिया चमचमाते सभागार में विद्युत की कमी की चर्चा कर रहे हैं। मुझे वे सब बातें नहीं बतानी है कि कितने हजार गावों में बिजली नही हैं। बिजली का कितना उत्पादन हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि बिजली की आज जो कमी है उस पर अगर आज यह पक्ष अगर इधर बैठा होता तो जो भाषण मैं दे रहा हूं वह सारा भाषण सामने मंत्री जी कर रहे होते। सभापति महोदय, मैं दिल्ली के कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। आज दिल्ली में ही रोजना बिजली जाती है, कितनी बिजली की कमी है इसका अहसास शायद संसद सदस्य नहीं लगा सकते क्योंकि इनकी सब कोठियों को दिल्ली सरकार प्रोपर बिजली देती है। पूरे समय इनके यहां बिजली आती रहती है। किन्तु जिस प्रकार से बिजली के उत्पादन में कमी आई है, उस पर मुझे अधिक कुछ नहीं कहना हैं यह जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, यह स्वयं यह बताती है कि 1994-95 में बिजली की 8.5 प्रतिशत वृद्धि थी, 1995-96 में बिजली के उत्पादन की 8.3 प्रतिशत वृद्धि थी, वहां 1996-97 में यह वृद्धि केवल 3.8 प्रतिशत रह गई है। इसके कारणों पर मैडम मंत्री जी प्रकाश डालेंगी। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर हमने परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दिया और जितने पुराने संयंत्र लगे हुए हैं उनका मॉडनाईजेशन नहीं किया और अगर हमने प्राइवेट सैक्टर को प्रोत्साहन नहीं दिया तो आने वाले समय में बिजली के उत्पादन में कितनी कमी हो जायेगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं । आज पाकिस्तान हमसे ज्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है और सक्षम हो गया है, यह भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन दिल्ली का ही उदाहरण लीजिए। दिल्ली में इस समय 17 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आधी से ज्यादा परियोजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, क्योंकि केन्द्र सरकार कहीं न कहीं उसके रास्ते में आती हैं। आप तो दिल्ली को ही पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। जैसे दिल्ली सरकार ने बवाना फेस–1 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। यह कई हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है और प्रधान मंत्री जी अगर इस बात पर गौर करेंगे और आज कुछ सैक्शन कर देंगे तो मुझे लगता है कि मेरा बोलना सार्थक हो जायेगा।

बवाना का प्रोजैक्ट 6 सालों से बराबर लटकता आ रहा है। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी मांगी जा रही है लेकिन आपको मालूम है कि दिल्ली सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा न होने के कारण यह गारंटी नहीं दे सकती। जब केन्द्र सरकार से गारंटी देने के लिए कहा जाता है तो वह कहती है कि गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके बीच में दिल्ली के नागरिक व्यर्थ पिस रहे हैं। क्योंकि हमारी बहन रजनी ने भी अपने एक-दो पाइंट्स सदन में रखने है, इसलिए मै अंत में, संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार ने सामूहिक रूप से पावर उत्पादन की योजनाएं तैयार नहीं की, इलैक्ट्रिसिटी एक्ट में अमैंडमेंट नहीं किया, धनराशि की व्यवस्था नहीं की तो आप समझ लीजिए कि वह दिन बहुत शीघ्र आने वाला है जब हमारा पूर देश अंधकारमय देशों की गिनती में आ जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : पावर मिनिस्टर।

.....*(व्यवधान)*

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सर, यह सरासर नाइंसाफी है चार मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स पर हाउस में डिस्कशन हो रहा है लेकिन हमें बोलने के लिए टाइम नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : महोदय, कृपया हमें भाषण देने की

[श्री सत महाजन]

अनुमति प्रदान कीजिए। हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बोलना है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को दिया गया समय पूरा हो गया है। हमें इसे छः बजे तक समाप्त करना होगा।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सभापति जी हमारी एक महिला सदस्य को आप जरूर बोलने दीजिए क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में अपनी बात समाप्त की है.....*(व्यवधान)* इन्होंने सिर्फ दो पाइंट्स रखने हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने उनकी भी बात कह दी है।

श्रीमती रजनी पाटिल (बीड) : सभापति जी मुझे ज्यादा नहीं बोलना है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है।

.....*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : आप सिर्फ एक महिला को तो बोलने दीजिए। .....*(व्यवधान)* मेरा मंत्री जी से यह अनुरोध है कि एक महिला को बोलने दीजिए।

श्रीमती रजनी पाटिल : सभापति जी, जब आप बोल रहे थे तो आपने कितना टाइम लिया था। आपने खत्म ही नहीं किया था..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत महाजन : महोदय, यह ठीक नहीं है। हमारे अधिकारों का क्या होगा ? हम भी लोगों के प्रतिनिधि हैं। हमें अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं का उल्लेख करना है। कृपया हमें बोलने की अनुमति दीजिए।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, बिना कोई प्रतिबंध लगाये आप सभा का संचालन कैसे कर पायेंगे ? कुछ लोगों को बोलने नहीं दिया जाता जबकि कुछ दलों को अधिक समय दिया जाता है। कृपया हमें बोलने दीजिए। हमारे नाम सूची में हैं। कृपया हमें बोलने दीजिए।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके दल का समय पूरा हो गया है। हमें यह सब छः बजे तक समाप्त करना है।

अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणु गोपालाचारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों श्री आई० डी० स्वामी, श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही, श्री सुरेश प्रभु, श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, श्री शिवराज पाटिल, श्री चन्दूमाजरा, श्री एम०के० पाटिल, श्री लक्ष्मणसिंह, श्री राधिका रंजन प्रामाणिक, श्री प्रहलाद पटेल, श्री आई०पी० हजारिका, श्री रमेन्द्र सिंह और श्री विजय गोयल को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने विद्युत की स्थिति और विद्युत क्षेत्र में पहल करने की आवश्यकता के बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं।

महोदय, मेरा ख्याल है कि आज हम अपनी अर्थव्यवस्था के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे मे चर्चा कर रहे हैं। यह सभी विकास कार्यों का केन्द्र है क्योंकि विकास के अन्य क्षेत्र इसी पर आश्रित हैं। माननीय सदस्यों ने विद्युत की आवश्यकता पर बल देते हुए पहले ही इसके अपने विचार व्यक्त किये हैं। विद्युत के बिना औद्योगिकीकरण नहीं होगा और उद्योगों के अभाव में रोजगार नहीं मिल पायेंगे और इसके परिणामस्वरूप देश के आर्थिक विकास में कमी आएगी। अतएव हमें देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में इस क्षेत्र की आवश्यकता को समझने का प्रयास करना चाहिए।

1997-98 के बजट के बारे में बोलने से पहले मैं आठवीं योजना में विद्युत मंत्रालय को अवंटित धनराशि के बारे में बोलना चाहूंगा क्योंकि इसे हाल ही में अंजाम दिया गया है। आठवीं योजना में 25,920 करोड़ रुपये के आवंटन किया गया था जबकि अस्थायी आंकड़े यह दर्शाते है कि वास्तविक रूप से 26,262 रुपया खर्च किया गया जोकि लक्ष्य का 101 प्रतिशत है। बजट के माध्यम से विदेशी सहायता के आवंटन के उपयोग के क्षेत्र में हमने उत्कृष्ट कार्य किया है।

5,441 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक व्यय 8,231 करोड़ रुपये था जो 150 प्रतिशत इसके अलावा आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 4,622 करोड़ रुपये की बाह्य वाणिज्यिक ऋण प्राप्त किए गए हैं।

महोदय, अधिकांश माननीय सदस्यों ने ताप क्षेत्र को बजटीय सहायता कम करने पर बल दिया है। यदि हम बजटीय आवंटन संबंधी आंकड़ों को देखेंगे तो यह पायेंगे कि केन्द्रीय बजट में ताप परियोजनाओं के लिए आवंटन को कम किए जाने के बावजूद ताप केन्द्रों के कुल व्यय में कोई कमी नहीं आई है। ताप परियोजनाओं के लिए निवल बजटीय समर्थन कम हो जाने के कारण इसका आवंटन कम हो रहा है और जल विद्युत केन्द्रों के लिए अधिक आवंटन किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र, एनटीपीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विश्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष ऋण और एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता मिल रही है जोकि बजट में शामिल नहीं है। यह सब 1992-93 के बाद से चल रहा है जब वित्त मंत्री ने उस समय की स्थिति का अध्ययन किया था। उस समय से एनटीपीसी को विश्व बैंक के साथ-साथ एशियाई विकास बैंक से भी बाह्य सहायता मिल रही है। परन्तु यह मुख्य बजट में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अब एनटीपीसी पूंजी बाजार से भी अपने आप धनराशि जुटाने में समर्थ हो गया है। इससे यह पता चलता है कि ताप क्षेत्र के लिए बजटीय समर्थन में कोई कमी नहीं की गई है।

वर्ष 1997-98 के लिए योजना परिव्यय 7,291 करोड़ रुपये का है। इसमें से आंतरिक और बजट के अतिरिक्त जुटाई गई संसाधन 4,497 करोड़ रुपये है और केन्द्रीय बजटीय समर्थन 2,794 करोड़ रुपये है जिसमें बाह्य सहायता के साथ-साथ निबल बजटीय समर्थन शामिल है। इस बाह्य सहायता में 1,426 करोड़ रुपये और साथ ही 1,368 करोड़ रुपये की धनराशि निबल बजटीय समर्थन के रूप में शामिल किया है।

महोदय, धनराशि के आवंटन के बारे में माननीय सदस्यों ने अनेक बातें उठाई हैं। इस विषय से संबंधित वाद-विवाद में भाग लेने वाले लगभग सभी माननीय सदस्यों ने विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच गहराते अंतर को कम करने की बात उठायी है। वर्ष 1991 में जब विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में जब निजी क्षेत्र की भागीदारी आरम्भ हुई थी जिसे हम अंतर्राष्ट्रीयकरण अथवा निजीकरण कहते हैं, तो उस समय हमारे मंत्रालय के अधिकारियों ने यह कभी थी उम्मीद नहीं की होगी आई.पी.पी.एस. भारत में आ जायेगा। जैसाकि एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा हे कि मॉडल पीपीए, ईंधन आपूर्ति समझौता आदि जैसे कुछ दस्तावेजों को तैयार किए जाने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है और इस संबंध में राज्य बिजली बोर्डों का भी कोई अनुभव नहीं था। वर्ष 1991 में विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी आरम्भ होने के बाद की स्थिति को देखते हुए अब हम सपी दस्तावेंजों को तैयार करने की आवश्यकता को पूरी कर पाए हैं और अब हम निजी निवेशकों को सभी दस्तावेंज उपलब्ध करा पा रहे हैं।

उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच०डी० देवेगौड़ा विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में चर्चा करने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों की दो बैठकें आयोजित किए थे। उन दो बैठकों में मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विद्युत मंत्रालय ने विद्युत के लिए न्यूनतम कार्य योजना तैयार की है। यदि हम न्यूनतम साझा कार्य योजना को देखेंगे तो यह पाएंगे कि माननीय सदस्यां द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे उस कार्य योजना में शामिल किए गए हैं। इस संबंध में सभी मुख्यमंत्री अपने विचार रख चुके हैं और सभी मुख्यमंत्रियों के लिए कार्य योजना भेज दी गई है। अलग-अलग राजनीतिक दलों से संबद्ध होने के बावजूद सभी मुख्यमंत्री और सभी राज्य बिजली बोर्ड विद्युत के लिए न्यूनतम साझा कार्य योजना पर अपनी सहमति दे चुके हैं। वर्ष 1991 के बाद स्थिति पर बारीकी से गौर करते हुए अब हमने अधिकांश मार्ग निर्देशों को सुचारु बनाया है।

वर्ष 1991 के बाद विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी भागीदारी हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इस अनुभव के साथ एक ओर तो हम विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अधिकाधिक निजी निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी अधिक धनरशि आवंटित कर रहे हैं। हमने अनेक मार्ग निर्देशों को सुचारु बनाया है और अब हमने राज्य सरकारों को अधिक अधिकार दे चुके हैं। इन्हीं उपायों के साथ विद्युत मंत्रालय अपनी कार्य योजना आगे बढ़ा रहा है। आई पी पी एस आदि और राज्य बिजली बोर्डों को होने वाली सभी समस्याओं को धीरे-धीरे सुलझाया जा रहा है। इस समय अधिकांश निजी क्षेत्र की परियोजनाएं पूरा होने के अंतिम चरण पर आ चुके हैं।

इन्हीं संभावनाओं के साथ हम नौवीं योजना में 57734 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की योजना बनाए हैं। इसमें से 11870 मेगावाट विद्युत केन्दीय क्षेत्र में उत्पादित होगा और 17,620 मेगावाट राज्य क्षेत्र में तथा हम निजी क्षेत्र में 28,244 मेगावाट विद्युत उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि हम यह 57,734 मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य किस तरह से पूरा करेंगे। इसका हमें आठवीं योजना में थोड़ा अनुभव हुआ है। हमने आठवीं योजना में 30,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा था परन्तु केवल लगभग 7000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य ही पूरा किया जा सका। मार्ग निर्देशों, मॉडल पी पी ए और मॉडल ईंधन आपूर्ति समझौता के अभाव में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। हम बिजली बोर्डों को हुई ऐसी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस मामले पर अलग-अलग पार्टियों से संबद्ध होने के बावजूद इस पर राष्ट्रीय सहमति तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमें विद्युत की आपूर्ति और मांग में बढ़ते अंतर को कम करना है। हमें इससे गम्भीरता से निपटना होगा। अतएव हम इस प्रणाली को सुचारु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले किसी परियोजना के लिए 17 स्तरों पर अनुमति की आवश्यकता होती थी परन्तु अब हमने इसे चार स्तरों तक सीमित कर दिया है।

इसके अलावा, हमने दो चरण की व्यवस्था आरम्भ की है। पहले चरण में इसका सिद्धान्ततः निपटान किया जायेगा। इसके लिए हमने एक माह की अवधि निर्धारित की है। दूसरे चरण पर तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति की व्यवस्था है। ऐसी स्वीकृति पूरा प्रस्ताव प्राप्त होने के चार माह के भीतर ही प्रदान कर दी जायेगी।

इसके अलावा विगत में 400 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति अपेक्षित थी। अब हमने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया है। 18.5.1995 से 'काउन्टर बिडिंग' अनिवार्य हो गया।

इसके अथवा राज्यों को अनेक मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं। ये मार्ग निर्देश पीपीए के सिद्धांतों, अन्तर बिडिंग, माडल आरएसपी, आरएसी दस्तावेज, सह-उत्पादक संयंत्र, उड़ीसा माडल के आधार पर वितरण के लिए आर एस क्यू दस्तावेज, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृति, वितरण समझौता, ईंधन आपूर्ति के सिद्धान्त, पारेषण इत्यादि से संबंधित हैं।

श्री पी० आर० दासमुंशी : निजी पार्टियों द्वारा वितरण और पारेषण के बारे में क्या हुआ ? क्या संयुक्त मोर्चा की सरकार में शामिल वामपंथी दल ने इस पर स्वीकृति प्रदान की है ? यह एक प्रमुख नीति गत मुद्दा है और राष्ट्र इसके बारे में जानना चाहता है।

सभापति महोदय : आप इस संबंध में उनकी बात पूरी होने के बाद उनसे पूछ सकते हैं।

डा० एस० वेणु गोपालाचारी : महोदय, हमने शक्तियां प्रदत्त की हैं। विगत दस महीनों में हमने विशेष रूप से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा अनेक प्रश्न पूछे गए हैं। मैं उन प्रश्नों का क्रम से उत्तर दूंगा। विद्युत बोर्डों की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि हम आठवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत बोर्डों की पूंजी पर प्राप्तियों के औसत को देखेंगे तो यह पायेंगे कि इसमें 76 से 13.3 तक ह्रास हुआ है। इसमें राजसहायता भी शामिल है। राजसहायता को छोड़ दें तो यह 12.72 से 17.9 हो जायेगा। वर्ष

[डा० एस. वेणु गोपालाचारी]

1996-97 में विद्युत बोर्डों के आंतरिक संसाधन 2807 करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाया है। देश में विभिन्न विद्युत बोर्डों को राजसहायता सहित वाणिज्यिक कर्ज वर्ष 1985-86 में 1,565 करोड़ रुपये से बढ़कर 1994-95 में 7,524 करोड़ हो गया है।

विद्युत बोर्डों के लिए तीन प्रतिशत की प्राप्तियां निर्धारित की गई हैं। 18 विद्युत बोर्डों में से केवल सात बोर्डों के राजस्व प्राप्ति का दर अत्यल्प है। वर्ष 1992-93 में केवल चार राज्य विद्युत बोर्डों में राजस्व प्राप्ति का दर तीन प्रतिशत से अधिक रहा। परनतु गत तीन वर्षों में इसमें गिरावट आयी है। विगत में अनेक विद्युत बोर्डों की तुलना में वर्ष 1995-96 में केवल तीन विद्युत बोर्डों के राजस्व प्राप्ति का दर सकारात्मक रहा।

यह एक महत्वपूर्ण क्षत्र है। राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति में सुधार के लिए हमने कतिपय निष्पादन मानदंड निर्धारित किए हैं। हमने राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किय जाने और काउंटर गारंटी दिये जाने के दो पहलुओं पर कार्यवाही आरम्भ की गई है। निजी कम्पनियां राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा दी गई गारंटी पर विश्वास नहीं करती हैं और वे केन्द्र सरकार की ओर से काउंटर गारण्टी की मांग कर रही हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि राज्य विद्युत बोर्ड अपनी बकाया राशि में कमी करें।

इसके अलावा हमने 'नकद दीजिए और बिजली लीजिए' का सिद्धान्त अपना लिया है। यदि किसी राज्य को बिजली की आवश्यकता है तो हम पहले उसे वर्तमान बकाया राशि का भुगतान करने और तब बिजली देने के लिए कह रहे हैं।

जहां तक निजी क्षेत्र में विद्युत नीति का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों ने कुछ समस्याएं उठाई हैं। निजी क्षेत्र की विद्युत नीति की शुरुआत के पश्चात् प्रतिक्रिया बड़ी उत्साहजनक है। 200 प्रस्तावों में से 70,000 मेगावाट क्षमता के प्रस्ताव हमें मिले हैं, सी.ई.ए. ने अनेक मामलों को मजूंरी दे दी है और अनेक राज्यों में विद्युत खरीद संबंधी समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये हैं। अधिकांश निजी पार्टियों ने विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। सी.ई.ए. के पास लम्बित परियोजनाओं पर विचार करते हुए तथा आठवीं योजना से सम्बधित परियोजनाओं के वित्तीय समापन को देखते हुए, हमने 57,734 मेगावाट तक की क्षमता रखी है। योजना आवंटन को मंजूरी नहीं मिली है तथा हमारे मंत्रालय के लोग योजना आयोग के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। 57,734 मेगावाट में से जो योजनाएं आठवीं योजना से निकल गई हैं वे निम्नवत् है : स्वीकृत चालू योजनाएं 7,183 मेगावाट तक की है; अन्य स्वीकृत योजनाएं जिन पर आठवीं योजना में अग्रिम कार्य किया गया था वे 8,598 मेगावाट की हैं, सी.ई.ए. द्वारा मंजूर शुदा लेकिन अभी स्वीकृत दी जाने वाली योजनाएं 12,663 मेगावाट की है, 100 करोड़ रुपये से 400 करोड़ रुपये तक की वे योजनाएं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है की क्षमता 5630 मेगावाट है; जल विद्युत थर्मल में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त मंजूरशुदा जल विद्युत योजनाएं 8,912 मेगावाट की हैं और नयी योजनाएं 14,741 मेगावाट की हैं।

इसके अतिरिक्त आंतरिक व्यवस्था के पश्चात् विभिन्न आई०पी०पी०ए० का विस्तृत ब्यौरा निम्नवत् है : केन्द्रीय 11,859 मेगावाट, राज्य : 12884 मेगावाट तथा निजी पार्टियां : 13590 मेगावाट। कुल : 38342 मेगावाट। नौवीं योजना में 57,377 मेगावाट में से 38,000 मेगावाट से 40,000 मेगावाट तक प्राप्त करने की आशा कर रहे है।

माननीय सदस्यों ने पारेषण और वितरण का प्रश्न भी उठाया है। हम एक राष्ट्रीय ग्रिड बना रहे हैं। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रीय ग्रिडों को परस्पर जोड़ने के लिए एक योजना बनाई है। मुझमें से एक जो पश्चिमी और उत्तरी ग्रिड के बीच कार्य रहा है वह विध्यांचल एच.पी.पी. स्थिति 500 मेगावाट की लाइन है; दूसरी उत्तरी-पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के बीच है जो नीरपुर से बोंगइगांव तक 200 के वी की लाइन है और तीसरी रामागुण्डम और चन्द्रपुरम के बीच है जो दक्षिण और पश्चिम के बीच 400 के०वी० की लाइनें है। इसके अलावा, एक पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के बीच निर्माणाधीन है जो 1000 मेगावाट एच.वी.पी. का है एक और पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के बीच निर्माणाधीन है, जो 500 मेगावाट लाईन एच०वी०पी० (गजुवाका के दोनों ओर) है और तीसरा उत्तरी पूर्वी तथा पूर्वी क्षेत्र के बीच है जो बोगइगांव और मलगेडी के बीच 400 के०वी० की लाइन है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए अन्य और मंत्रियों को भी इस बीच बोलना है।

डॉ० एस० वेणु गोपालाचारी : माननीय प्रधानमंत्री जी इस मंत्रालय को व्यक्तिगत तौर पर देख रहे है। हमने राज्यों को शक्तियां सौप दी है। हमें आशा है कि आठवीं योजना में हमें जो अनुभव हुए है ऐसे अनुभव नौवीं योजना में नहीं होंगे। मुझे यह भी आशा है कि हम सभी वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

अन्त में मेरी आप सबसे अपील है कि आप कृपा करके बजट को स्वीकृति दे दें।

श्री पी० आर० दासमुंशी : मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें। देश के विद्युत क्षेत्र में निजी पार्टियों तथा बहुराष्ट्रीय भागीदारी को लेकर वाद-विवाद चल रहा है तथा भ्रम फैल रहा है। विद्युत नीति के अनुसार जो वे मांग कर रहे हैं कि बिजली पैदा करना इसका पारेषण तथा अपने हाथों में इसका वितरण लेना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह नीति मंत्री जो के दिमाग में स्पष्ट है अथवा पार्टनरों के बीच कोई झमेला है। मुद्दा बिल्कुल यही है।

डॉ० एस० वेणु गोपालाचारी : कोई झमेला नहीं है। मुद्दे अभी चर्चाधीन हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार : कोयला कारों के बारे में आपका क्या खयाल है ? यह बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है।

सभापति महोदय : वे बाद में इस सम्बन्ध में आपको लिखेंगे।

डॉ० एस० वेणु गोपालाचारी : निश्चय ही हम इस कोयलाकारी परियोजना की जांच करेंगे। विनियमन आयोग का गठन तथा पारेषण का निजीकरण भी अति महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्ताना पार्टियों तथा

हमारी अपनी पार्टी के बीच पहले ही कई बार चर्चाएं हुई हैं। हम एक विधेयक तैयार करेंगे तथा इसे संसद के सामने रखेंगे।

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : यदि मंत्री महोदय आश्वासन दे रहे हैं तो उन्हें मैक्रेन परियोजना के बारे में भी आश्वासन देना चाहिए।

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : सभापति महोदय, मैं कोल मंत्रालय की वर्ष 1997-98 के लिए रखी गई अनुदान की मांगों के लिए बोल रही हूं। कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है इस पर विभिन्न माननीय सदस्यों ने बहुत सही और महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जैसा कि हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने जितना उल्लेख किया लेकिन कोयला उपलब्ध न हो तो यह सारा उल्लेख बंद हो जाएगा।

कोयला मंत्रालय ने वर्ष 1997-98 के लिए कुल 485.63 करोड रुपये की अनुदान मांगें लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत की हैं। इसमें से 349.85 करोड़ रुपय की मांगें योजनागत खर्च के लिए है और 135.78 करोड़ रुपये की मांगें गैर-योजनागत खर्चे के लिए है। यदि इन मांगों को राजस्व तथा पूंजीगत खर्चों के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो 170.78 करोड़ रुपये की मांगें राजस्व खर्चे के लिए और 314.85 करोड रुपये की मांगें पूंजीगत खर्चे के लिए मांगी गई है।

जहां तक कोयला मंत्रालय के 135.78 करोड़ रुपये के गैर-योजनागत खर्च के प्रस्ताव का सम्बन्ध है इसमें से लगभग 77.33 प्रतिशत खर्च मंत्रालय की उन स्कीमों के लिए है जो कि कोयला खान संरक्षण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से वित्त-पोषित की जाती है। ये खर्चे कोयला क्षेत्र में संरक्षण, रक्षा कार्यों तथा कोयला खदान क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट तंत्र का विकास करने के लिए है। गैर-योजनागत मांग का लगभग 19.38 प्रतिशत सरकार की उन आवश्यक देनदारियों का भुगतान करने के लिए है जो कि सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी लेबर कानूनों के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार केवल गैर-योजना बजट का लगभ 3.29 प्रतिशत ही सरकार के सचिवालय, कोयल नियंत्रक तथा भुगतान आयुक्त के कार्यालयों के खर्चे के लिए प्रस्तावित है।

जहां तक मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजनागत अनुदान मांगों का सम्बन्ध है, उसमें से 35 करोड रुपये की अनुदान मांगें राजस्व खर्चे के लिए प्रस्तावित हैं। यह मुख्यतः तीन स्कीमों पर खर्च किया जाना प्रस्तावित है। पहला है अनुसंधान एवम् विकास पर 9.87 करोड रुपये, दूसरा है क्षेत्रीय अन्वेषण पर 20 करोड़ रुपये और तीसरा है पर्यावरणीय उपाय एवम् घंसाव नियंत्रण पर पांच करोड़ रुपये। योजनागत खर्च का मुख्य भाग पूंजीगत खर्चों के लिए मांगा गया है, जो कि 314.85 करोड़ रुपये है। यह मांग आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० को बजटीय सहायता देने के लिए है, जिसकी राशि 178.50 करोड़ रुपये है तथा नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन को बजटीय सहायता देने के लिए 136.35 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

इस प्रकार कुल अनुदान मांगें 485.63 करोड़ रुपये की है। यहां मै माननीय सदस्यों के नोटिस में यह भी लाना चाहूंगी कि वर्ष 1997-98 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली कुल प्राप्ति 1297.93 करोड़ रुपये होना संभावित है। यह मुख्यतः सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों को दिए गए कर्जों की वसूली और उस पर ब्याज की अदायगी से सम्बन्धित है। इस प्रकार यह मंत्रालय प्रस्तावित खर्च से अधिक प्राप्तियां सरकारी कोष में दिए जाने की आशा करता है।

जैसा कि विभिन्न माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं जिस पर सदन में पहले भी काफी बहस हो चुकी है। जैसे रानीगंज, धनबाद और झरिया में जो कोयला खदानों में आग लगी हुई है उस पर मैंने बताया था कि हमारा मंत्रालय के कोल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है और उसे छः महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। समिति द्वारा ईस्टर्न कोल फील्ड लि० तथा बी.सी.सी.एल. में तीन बैठकें की हैं। इसमें स्थलों का निरीक्षण किया और समिति ने प्रभावित व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श भी किया है। समिति के सदस्यों ने कोल कम्पनीज द्वारा आग तथा धंसाव की समस्याओं से निपटने हेतु किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का निरीक्षण किया है।

मुख्यतः ये बातें हैं कि अवैज्ञानिक रूप से खनन हुआ था जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के रानीगंज में जो घर्षण हो रहे हैं, चाहे झरिया में जो घर्षण हो रहे हैं, इसके लिए भी प्रभावकारी रूप में की जाने वाली कार्यवाही के लिए अपेक्षित बड़ी मात्रा में व्यय की राशि के तथ्य को भी माना है। इसलिए कोल इंडिया इस व्यय के वित-पोषण करने की स्थिति में नहीं है। कोल के उत्पादन पर उपकर की सीमा में बीस रुपये तक की वृद्धि की व्यवस्था किए जाने के सुझाव को सदस्यों द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त सुझाव के रूप में स्वीकार किया गया है।

सभापति महोदय : बस हो गया ? अभी और दो मंत्री जी हैं।

श्रीमती कांति सिंह : जो भी माननीय सदस्यों ने मांगें की हैं,..... *(व्यवधान)* अब मै माननीय सदस्यों से अपील करूंगी कि वे हमारे बजट को पास कर दें।

अपराह्न 5.53 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे व्यक्तिगत तौर पर माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का बाद में जवाब दे दें। कृपया मेरी बात मानिये। आप अपना भाषण समाप्त करें। यदि संभव हो तो एक सप्ताह के भीतर इसे भेज दें।

[हिन्दी]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : अध्यक्ष महोदय, सूरज के डूब जाने पर दीपक तिमिर हटाता है। घर के बुजुर्ग के मर जाने पर लड़का बुजुर्ग कहलाता है। यही एनर्जी के सोर्सेज हैं। आपके पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स कोयला प्रोडक्ट्स तीस साल के अन्तराल में खत्म होने वाले हैं। कोयला 150 साल के अंदर वह भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद गैर पारम्परिक ऊर्जा ही रहेगी जिसके बारे में सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। हमारे सदस्य ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि जो मेरा टारगेट था, वह हमने पूरा नही किया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 600 मेगावाट उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य था। इसके विरुद्ध 1050 मेगावाट क्षमता सृजित की गई। इस प्रकार लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि प्राप्त हुई है। 1050 मेगावाट में 860 मेगावाट पवन ऊर्जा से, 101 मेगावाट बायोगैस से, 63 मेगावाट लघुपन बिजली से और 29 मेगावाट

[कै० जय नारायण प्रसाद निषाद]

क्षमता सौर ऊर्जा से सृजित की गई है। हमारे सामने एक मुख्य समस्या यह है कि यह क्षेत्र एक नया क्षेत्र है। राज्य सरकारों को इस क्षेत्र के लिए स्पष्ट नीतियां घोषित करनी होंगी। प्रोजेक्ट स्वीकृति के तरीकों को आसान बनाना होगा। बिजली बोर्डों को भी इसे प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अभी स्थिति यह है कि गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स को कम प्राथमिकता दी जाती है। यही स्थिति वित्तीय संस्थाओं की भी है। अब धीरे-धीरे लोगों का रुझान इस ओर हो रहा है और स्थिति में सुधार होगा।

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इन नए प्रकार के प्रोजेक्ट्स को और मंत्रालय को अपना पूरा समर्थन दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अलघ सभी उत्तर लिखित में भेजेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अलघ जी आपने अनुदान मांगों को स्वीकृत कराने का एक औपचारिक अनुरोध किया है।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे लिए आज का दिन राज्य सभा तथा लोक सभा दोनों में सौभाग्यशाली दिन लगता है। राज्य सभा में मुझे नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिला है। उन टिप्पणों से लेकर जो मैंने यहां परमाणु ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों के सम्बन्ध में दिये हैं, इसमें पूर्ण सहयोग देने के लिए मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं। जैसाकि आपने किसी सदस्य को इंगित करके कहा है कि यदि कोई विशेष टिप्पणियां है तो उनको स्पष्ट करने में मुझे बड़ा हर्ष होगा।

अब मेरा सभा से अनुरोध है कि वह कुछ करके अनुदान मांगों को स्वीकृत कर दें.....*(व्यवधान)*

श्री पी०सी० थॉमस (मुक्तुपुजा) : महोदय, यह कहा जाता है कि एक करोड़ रुपयों से पांच करोड़ रुपयों तक एम.पी.एल.ए.पी.एस. से सम्बन्धित धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ है।

इस संबंध में यदि कोई माननीय मंत्री कोई बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव कर रहा है तो उसे करने दीजिए। यह कहा जाता है कि वे इसे 5 करोड़ रुपये करवाना चाहते थे लेकिन वित्त मंत्रालय से जो राशि दी गई है वह राशि उतनी नहीं है। मैं समझता हूं कि वे जितनी करवाने का प्रस्ताव कर रहे हैं उससे हम सभी को राहत मिलेगी।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं आपकी सहायता से ही कार्य कर रहा हूं।

श्री पी०सी थॉमस : महोदय, उत्तर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : यह बिल्कुल स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : इस बढ़िया सहयोग के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। काश मैं, मंत्री जी के जवाब के लिए और समय दे सकता लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि संभव हुआ तो एक हफ्ते के भीतर मंत्री सभी मुद्दों का उत्तर लिखित में भेज देंगे।

अब मैं मतदान के लिए कोयला, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, विद्युत और परमाणु ऊर्जा मंत्रालयों/विभाग से सम्बन्धित अनुदान मांगों को रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/सचिवालयों से संबंधित निम्नलिखित मांग संख्या(ओं), 10, 63, 70, 88 और 89 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तंभ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 5.59 बजे

सभा में स्वीकृति के लिए शेष मांगों का प्रस्तुत किया जाना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम के अनुसार मद संख्या 17, 6.00 बजे ली जायेगी।

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, आप इन्हें रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं इन्हें रख सकता हूं। अब मैं मतदान के लिए मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शेष मांगों को रखता हूं।

अपराह्न 6.00 बजे

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/सचिवालयों के संबंधित निम्नलिखित मांग संख्या(ओं) 1 से 9, 11 से 26, 28, 29, 31 से 47, 52 से 60, 62, 64 से 69, 71 से 87, 90 से 92, 94, 95, 97 और 98 से 102 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत को संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

मांग संख्या : "1 से 9, 11 से 26, 28, 29, 31 से 47, 52 से 60, 62, 64 से 69, 71 से 87, 90 से 92, 94, 95, 97 और 98 से 102"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत
वर्ष 1997-98 की लेखानुदानों की मांगे (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	20 मार्च,1997 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3			4
	कृषि मंत्रालय				
1.	कृषि	490,80,00,000	3,26,00,000	2454,01,00,000	16,28,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवायें	46,95,00,000	39,18,00,000	234,73,00,000	195,87,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	99,88,00,000		499,39,00,000	
4.	पशु पालन ओर डेयरी कार्य विभाग	43,06,00,000	31,00,000	215,28,00,000	1,54,00,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
5.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	38,32,00,000	6,76,00,000	192,32,00,000	35,79,00,000
6.	उर्वरक विभाग	1848,82,00,000	107,64,00,000	6274,08,00,000	538,20,00,000
	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय				
7.	नागर विमानन विभाग	43,08,00,000	6,86,00,000	47,40,00,000	34,30,00,000
8.	पर्यटन विभाग	17,96,00,000	3,31,00,000	89,80,00,000	16,54,00,000
	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	13,05,00,000	8,00,000	65,23,00,000	40,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय				
11.	वाणिज्य विभाग	133,71,00,000	17,83,00,000	668,56,00,000	89,17,00,000
12.	पूर्ति विभाग	6,28,00,000		31,74,00,000	
	संचार मंत्रालय				
13.	डाक विभाग	523,11,00,000	12,39,00,000	2615,57,00,000	61,95,00,000
14.	दूरसंचार विभाग	2504,82,00,000	1831,50,00,000	12524,12,00,000	9157,49,00,000
	रक्षा मंत्रालय				
15.	रक्षा मंत्रालय	397,09,00,000	4,13,00,000	1985,44,00,000	20,64,00,000
16.	रक्षा पेंशन	619,10,00,000		3095,51,00,000	
17.	रक्षा सेवा–थल सेना	3250,69,00,000		16253,46,00,000	
18.	रक्षा सेवा–नौसेना	483,09,00,000		1815,46,00,000	

1	2	3		4	
19.	रक्षा सेवा–वायु सेना	829,72,00,000		4148,61,00,000	
20.	रक्षा आयुध कारखाने	620,37,00,000		341,84,00,000	
21.	रक्षा सेवा और पर पूंजी परिव्यय		1673,44,00,000		7227,20,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय				
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	92,13,00,000	1,21,00,000	538,64,00,000	6,04,00,000
	विदेश मंत्रालय				
23.	विदेश मंत्रालय	234,23,00,000	30,00,00,000	1099,15,00,000	150,02,00,000
	वित्त मंत्रालय				
24.	आर्थिक कार्य विभाग	696,25,00,000	20,89,00,000	3481,25,00,000	104,43,00,000
25.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	130,21,00,000	94,22,00,000	651,03,00,000	471,09,00,000
26.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	93,41,00,000	694,43,00,000	329,07,00,000	490,16,00,000
28.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	1830,51,00,000	170,83,00,000	9152,56,00,000	854,17,00,000
29.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		49,78,00,000		248,87,00,000
31.	व्यय विभाग	786,38,00,000		3931,91,00,000	
32.	पेंशन	257,79,00,000		1288,92,00,000	
33.	लेखा परीक्षा	85,12,00,000	58,00,000	425,61,00,000	2,90,00,000
34.	राजस्व विभाग	31,01,00,000	21,00,000	155,05,00,000	1,04,00,000
35.	प्रत्यक्ष कर	84,50,00,000	21,00,00,000	422,48,00,000	105,00,00,000
36.	अप्रत्यक्ष कर	132,68,00,000	44,20,00,000	663,38,00,000	221,00,00,000
37.	कंपनी कार्य विभाग	3,00,00,000	1,00,000	14,99,00,000	
	खाद्य मंत्रालय				
38.	खाद्य मंत्रालय	1288,93,00,000	18,71,00,000	6444,66,00,000	93,53,00,000
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
39.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	8,12,00,000	2,95,00,000	40,60,00,000	14,75,00,000
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय				
40.	स्वास्थ्य विभाग	239,43,00,000	84,07,00,000	1197,13,00,000	420,37,00,000

1	2	3			4
41.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	9.47,00,000	1,00,000	47,32,00,000	
42.	परिवार कल्याण विभाग	368,00,00,000	27,00,000	1840,01,00,000	1,33,00,000
	गृह मंत्रालय				
43.	गृह मंत्रालय	51,96,00,000	3,68,00,000	259,77,00,000	18,42,00,000
44.	मंत्रिमंडल	16,26,00,000	5,00,00,000	81,27,00,000	25,00,00,000
45.	पुलिस	668,37,00,000	77,68,00,000	3341,84,00,000	388,42,00,000
46.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	58,46,00,000	30,68,00,000	292,32,00,000	153,41,00,000
47.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	41,80,00,000	43,14,00,000	209,01,00,000	215,70,00,000
	उद्योग मंत्रालय				
52.	औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	114,73,00,000	6,00,000	573,63,00,000	31,00,000
53.	सरकारी उद्यम विभाग	85,00,000		4,23,00,000	
54.	भारी उद्योग विभाग	3,73,00,000	36,52,00,000	18,65,00,000	182,62,00,000
55.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	118,46,00,000	48,46,00,000	592,31,00,000	242,29,00,000
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय				
56.	सूचना, फिल्म तथा प्रचार	27,17,00,000	2,99,00,000	135,87,00,000	14,94,00,000
57.	प्रसारण सेवाएं	266,31,00,000	72,37,00,000	1331,55,00,000	361,83,00,000
	श्रम मंत्रालय				
58.	श्रम मंत्रालय	123,91,00,000	20,00,000	619,53,00,000	99,00,000
	विधि और न्याय मंत्रालय				
59.	विधि और न्याय	61,37,00,000		306,85,00,000	
60.	चुनाव आयोग	97,00,000		4,86,00,000	
	खान मंत्रालय				
62.	खान मंत्रालय	40,16,00,000	6,83,00,000	200,82,00,000	34,17,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय				
64.	संसदीय कार्य मंत्रालय	57,00,000	...	2,85,00,000	...

1	2	3		4	
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
65.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	20,95,00,000	43,00,000	104,72,00,000	2,17,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
66.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	64,00,000		3,22,00,000	
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
67.	योजना	17,14,00,000	7,67,00,000	85,71,00,000	38,38,00,000
68.	सांख्यिकी विभाग	24,90,00,000	86,00,000	111,77,00,000	7,88,00,000
69.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	131,95,00,000		659,75,00,000	
	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय				
71.	ग्रामीण विकास विभाग	744,36,00,000		1471,83,00,000	
72.	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	2101,18,00,000		4705,91,00,000	
73.	बंजर भूमि विकास विभाग	15,87,00,000		79,33,00,000	
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
74.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	85,47,00,000	8,17,00,000	428,37,00,000	40,85,00,000
75.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	76,33,00,000	92,00,000	431,66,00,000	4,58,00,000
76.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	17,26,00,000	88,00,000	91,30,00,000	4,43,00,000
	इस्पात मंत्रालय				
77.	इस्पात मंत्रालय	1,18,00,000	4,28,00,000	5,88,00,000	21,42,00,000
	भूतल परिवहन मंत्रालय				
78.	भूतल परिवहन मंत्रालय	12,34,00,000	3,61,00,000	61,71,00,000	18,03,00,000
79.	सड़कें	142,20,00,000	350,98,00,000	710,99,00,000	1754,88,00,000
80.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	38,87,00,000	71,92,00,000	194,35,00,000	359,60,00,000
	कपड़ा मंत्रालय				
81.	कपड़ा मंत्रालय	73,38,00,000	50,96,00,000	366,88,00,000	254,82,00,000
	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय				
82.	शहरी विकास	58,74,00,000	66,43,00,000	293,73,00,000	332,13,00,000
83.	शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	36,57,00,000	6,67,00,000	182,84,00,000	33,33,00,000
84.	लोक निर्माण कार्य	77,42,00,000	35,66,00,000	387,08,00,000	178,32,00,000

1	2	3			4
85.	लेखन सामग्री और मुद्रण	23,90,00,000	75,00,000	119,52,00,000	3,75,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय				
86.	जल संसाधन मंत्रालय	74,84,00,000	5,68,00,000	374,22,00,000	28,40,000
	कल्याण मंत्रालय				
87.	कल्याण मंत्रालय	249,04,00,000	48,90,00,000	845,25,00,000	244,52,00,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग				
90.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	17,49,00,000	5,24,00,000	106,11,00,000	27,21,00,000
	महासागर विकास विभाग				
91.	महासागर विकास विभाग	15,34,00,000	79,00,000	84,86,00,000	4,96,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग				
92.	अन्तरिक्ष विभाग	171,04,00,000	24,09,00,000	855,20,00,000	120,45,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय				
94.	राज्य सभा	3,82,00,000		19,12,00,000	
95.	लोक सभा	8,87,00,000		44,36,00,000	
97.	उपराष्ट्रति का सचिवालय	8,00,000		43,00,000	
	संघ राज्य क्षेत्र बिना विधान मंडल वाले				
98.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	61,72,00,000	31,18,00,000	308,61,00,000	155,92,00,000
99.	चंडीगढ	64,37,00,000	10,71,00,000	321,84,00,000	53,54,00,000
100.	दादरा और नागर हवेली	19,01,00,000	3,92,00,000	95,07,00,000	19,61,00,000
101.	दमन और दीव	14,30,00,000	2,74,00,000	71,52,00,000	13,72,00,000
102.	लक्षद्वीप	21,23,00,000	2,85,00,000	106,17,00,000	14,23,00,000
जोड़ राजस्व/पूंजी		25901,85,00,000	6707,19,00,000	114528,17,00,000	29421,47,00,000

अपराह्न 6.02 बजे

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग के प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 दिनाक 6.5.1997 मे प्रकाशित

श्री पी० चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष जी, मैंने एप्रोप्रिएशन बिल पर चार महत्वपूर्ण पॉलिसी से संबंधित विषयों के बारे में सूचना दी है।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[श्री राम नाईक]

प्रधान मंत्री जी के पास पेट्रोलियम मिनिस्टरी है, इसलिए पहला मेरा प्रश्न उनसे संबंधित है। अध्यक्ष जी, अखबारों में समय-समय पर यह बात आ रही है कि पेट्रोल, डीजल, नेचुरल-गैस के दाम बढ़ने की संभावना है। प्रधान मंत्री जी ने कुछ दिन पहले अखबार वालों को इंडीकेट भी किया था कि पेट्रोल के दाम बढ़ने की संभावना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पेट्रोल का जो पूल है उसमें क्या हो रहा है? पेट्रोलियम मिनिस्टरी के बारे में सारी चर्चा यहां न होने के कारण ही मैं यह जानना चाहता हूं। नही तो कीमतें बढ़ने का दुष्चक्र शुरू होगा और बढ़ी हुई कीमतों के कारण आम आदमी पहले ही पिसा जा रहा है वह और पिसा जाएगा। नेचुरल गैस लेने की विदेशों से जो व्यवस्था चल रही है उसमें एक पब्लिक अंडस्टेन्गि जो अपने देश की है कि एक कंसोर्टियम बनाकर, जो बंरगाह वहां पर है, अलग से जेटीज पोर्टस की व्यवस्था के बारे में भी जो चर्चा चल रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में पेट्रोलियम मंत्री क्या करना चाहते हैं ?

मेरा दूसरा सवाल गृह मंत्रालय से संबंधित है। देश को आजाद हुए पचास साल हो गए हैं। हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे है लेकिन गोवा में नई बात चल रही है। 1498 में वास्कोडिगामा पहली दफा हिन्दुस्तान में आया। उसको आए पांच सौ साल पूरे हो रहे हैं। पुर्तगाली यहां आए और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही की गई। महोत्सव मनाने की बात गोवा में चल रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक दृष्टि से कॉलोनिलिज्म है। कॉलोनिजिज्म की याद कैसे कर सकते है, मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा है। इसके बारे में सरकार की क्या भूमिका है ? इंडिकेशन ऐसे दिए जा रहे हैं कि इंडो-पुर्तगाल फ्रैंडशिप के बारे में इस प्रकार की बात होनी चाहिए। मधु लिमये, नाना साहेब गोरे, जगन्नाथ राव जोशी जैसे लोगों ने जेल में जाकर सत्याग्रह किया और वे वहां रहे। हमने वहां अपनी सेना भेजकर गोवा को आजाद किया। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार की क्या भूमिका है ?

मेरा तीसरा विषय सरफेस ट्रांसपोर्ट के बारे में है। हम जानते है कि रास्ते में हाईवेज और स्टेट हाईवेज हैं। गांव-गांव में कई रास्ते होते हैं। उनमें स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं। वे किस प्रकार के होते हैं, आप जानते ही हैं। आज जहां भी जाएं, वहां स्पीड ब्रेकर होते हैं। उनके बारे में कोई स्टैंडर्डाइजेशन निर्धारित नहीं किया गया। वे कहीं बहुत बड़े-बड़े होते है कहीं रामलिंग टाइप होते हैं। वे जहां होते हैं, वहां इंडिकेशन बोर्ड होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर्स पर पेंट भी नहीं किया जाता। इससे स्कूटर और ऑटो रिक्शा वालों को बहुत तकलीफ होती है। ऐसे स्पीड ब्रेकर कमर तोड़क बन जाते हैं। उनका स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन को बताना चाहिए।

मेरा चौथा विषय यह है कि इतने मंत्री बन गए है। संसद ने उनके लिए पैसा मंजूर किया है। इस कारण वे दौरे पर जाते हैं और उन्हें जाना भी चाहिए। पहले बहुत अच्छी परम्परा थी। जब नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे तो उनके काल में यह परम्परा चल रही थी कि अगर कोई मिनिस्टर सरकारी काम पर कहीं किसी क्षेत्र के दौरे पर जाएगा तो वह लोकल एम० पीज० को इनफॉर्म करेगा। आप भी इस परम्परा का अनुकरण करें। मेरा पिछले दस महीने का यह अनुभव है कि इस सरकार का कोई भी मंत्री इनफार्म नही करता। मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में उनकी कोई जिम्मेवारी है ?.....*(व्यवधान)* अगर आपका यह कहना है कि प्रधान मंत्री को बताना चाहिए तो प्रधान मंत्री बताएं। अगर प्रधान मंत्री को ऐसा लगता है कि स्पीकर साहब बताएं तो स्पीकर साहब बताएं लेकिन जब कोई मंत्री सरकारी खर्चे से गवर्नमेंट आफिशियल बिजनस के लिए जाता है तो उन्हें स्थानीय सांसद को जानकारी देनी चाहिए।.....*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आप भी बताते हैं। इस बारे में एक राय होकर यहां उसका उल्लेख किया जाए। मेरी ये चार महत्व की बातें है। मैं चाहता हूं कि इनका उत्तर दिया जाए .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको नोटिस देना चाहिए था। नोटिस के बिना आप इसे नहीं उठा सकते।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन०टी०सी०) मिलों का आधुनिकीकरण काफी समय से लम्बित है। इस योजना को तैयार करने के बाद मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। पूर्व कपड़ा मंत्री श्री जी० वेंकट स्वामी ने सभा पटल पर यह घोषणा भी की थी कि अतिरिक्त भूमि बेचकर एन०टी०सी० मिलों के आधुनिकीकरण के कार्य को अंतिम रूप दिया गया है और मंत्रिमंडल द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। परन्तु एन०टी०सी० मिलों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अहमदाबाद में भी मिल के कामगारों को मजदूरी नहीं मिल रही है। तमिलनाडु को छोडकर प्रायः सभी राज्यों में यही हाल हैं।

मेरी मांग है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत आने वाली सभी रुग्ण मिलों को आधुनिक बनाने और उन्हें फिर से चालू करने के सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र लिया जाए। एक भी मिल बन्द नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन मिलों में भारी संख्या में मजदूर कार्य करते हैं। अतः मै माननीय मंत्री, विशेषकर माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा मिलों को आधुनिक बनाने तथा उन्हें फिर से चालू करने के लिए अधिक धन प्रदान किया जाये।

सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों के मामले बी०आई०एफआर० के पास भेजे गये हैं लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण कम्पनियों के प्रमोटर द्वारा इन्कार किए जाने के कारण उन्हें पुनः चालू नहीं किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एम०ए० एम० सी० जो एक संयुक्त इंजीनियरिंग इकाई है और जिसमें 4000 से अधिक मजदूर काम करते हैं को एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इस कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिए 141 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी वह भी एक ही बार में नहीं। उसी प्रकार, बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप स्थित हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की इकाइयों को पुनः चालू करने के पैकेज तैयार किये गये हैं और उनकी स्वीकृति भी मिल गयी है; परन्तु वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है और इसलिये, हिन्दुस्तान उर्वरक कम्पनियों की सगी इकाइयों को फिर से चालू नहीं किया गया है। हम करोड़ों रुपया खर्च कर यूरिया का आयात कर रहे है।

अतः मेरा अनुरोध है कि जिन पुनरोद्धार पैकेजों की स्वीकृति दी जा चुकी है उन्हें तुरन्त अंतिम रूप देकर हिन्दुस्तान उर्वरक निगम तथा भारतीय उर्वरक निगम की सगी इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी।

श्री पी० चिदम्बरम : क्या उन्होंने नोटिस दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां। नोटिस देर से प्राप्त हुआ है परन्तु मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : उनका विषय क्या है ? मैं यही जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी भी सूचना नहीं दे सका। उनका विषय कतिपय विभागों के लिये आवंटन की धनराशि बढ़ाने के विषय में है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में हैं। मैं उनका उल्लेख करूंगा। मैं विषय भी बताऊंगा। आप मुझे बीच में क्यों टोक रहे है ?

महोदय, किसी दूसरे माननीय सदस्य ने पहले ही उद्योग के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सवाल उठाया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नियम में इसकी इजाजत नहीं है। कृपया नियम मत तोड़िये। इस अवस्था में कोई सवाल उठाने के लिये नोटिस देना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमने इस कारण यह मुद्दा उठाया है कि मांगों को गिलोटीन कर दिया गया है और हममें से अधिकांश लोग यह चाहते है कि जिन विभागों को गिलोटीन किया गया है उन्हें अधिक धराशि का आवंटन किया जाना चाहिए। यह केवल विनियोग विधेयक पारित करते समय कहा जा सकता है। इसी कारण से मै उन कतिपय क्षेत्रों का उल्लेख कर रहा हूं जहां यह किया जाना चाहिए।

आज हमने रेलवे के सम्बन्ध में चर्चा की हैं हमने इस ओर माननीय वित्त मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है कि रेलवे से सम्बन्धित अनेक मांगें हैं परन्तु 8300 करोड़ रुपये के निवेश का जो आंकड़ा है वह गत वर्ष प्रदान किया गया था। इसका अर्थ है कि वास्तव में व्यय में कमी हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस बात पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा कि रेलवे जो देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक संरचना है तथा जिस पर कभी भी अधिक ध्यान नहीं दिया गया है और जो पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ता है, को अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है । उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यह मेरा पहला मुद्दा है।

दूसरी बात यह है कि देश में सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यम हैं कि उन्होंने लगभग 1100 करोड़ रुपये जैसे कतिपय प्रावधान किए हैं जो पर्याप्त नहीं है परन्तु यह एक कार्य पूंजी है। यह वेतन भुगतान हेतु केवल गैर-योजनागत सहायता है। इसके अतिरिक्त हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को क्या मिला है ? हमें इस तथ्य का सामना करना है कि गत 50 वर्षों में हमने अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना की है परन्तु हम बाद में उनके आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने में असफल रहे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्री बसुदेव आचार्य ने यह मुद्दा उठाया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी नहीं। उन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया है। मैं यहां यह बात स्पष्ट कर रहा हूं। अतएव हमें इन क्षेत्रों में रोजगार के संदर्भ में अधिक निवेश करना चाहिए और जब तक हम ऐसा नहीं करते है हम रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर सकते हैं। यह दूसरा मुद्दा है जो मैं उठाना चाहता हूं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि कृषि और ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वास्तव के आवंटन कम किया गया है। एक तर्क यह दिया गया है कि वास्तव में वास्तविक व्यय में वृद्धि हुई है। अब उनकी तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि इस वर्ष भी प्रावधान करने के पश्चात् माननीय वित्त मंत्री स्वविवेक से यह निर्णय कर सकते है कि वित्तीय घाटे पर नियंत्रण के उद्देश्य से व्यय में कटौती की जानी चाहिए। गत वर्ष का बजटीय व्यय और इस वर्ष का बजटीय व्यय तुलनात्मक मंद हैं। इस सन्दर्भ में कृषि, ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में काफी कम आवंटन किया गया है और हम सब न्यूनतम सरल कार्यक्रम के सन्दर्भ में भी इस बात के प्रति वचनबद्ध हैं कि एक लक्षित तिथि के अन्तर्गत हम देश के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना चाहते हैं। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस पहलू पर भी विचार करें। संसाधनों का प्रश्न तो बाद में आएगा। हम अभी इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। जब हम वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये कुछ क्षेत्र हैं जिस पर माननीय वित्त मंत्री जवाब दे सकते हैं और टिप्पणी कर सकते है।

श्री पी० चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदय, श्री राम नाईक तथा श्री बसुदेव आचार्य द्वारा विशेष मंत्रालयों के संबंध में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों का उत्तर अन्य मंत्रीगण देंगे। परन्तु मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी तथा श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाए गए अन्तिम दो मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूं।

महोदय, इस सरकार की कार्य सूची में कृषि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार तथा सिंचाई को अत्यधिक महत्व दिया गया है। वास्तव में स्पष्ट कारणों से 1996-97 को निर्देश चिन्ह नहीं माना जाएगा क्योंकि इस सरकार ने जून में ही पद भार सम्भाला है, बजट 22 जुलाई को ही प्रस्तुत किया गया था और यह 13 सितम्बर को पारित हुआ है। अतः उस वर्ष में योजना में कमी आना अवश्यम्भावी था। फिर भी 1996-97 में अत्यधिक व्यय हुआ था। मेरे पास अलग-अलग आंकड़े हैं। ये सब आंकड़े 'बजट एक नजर मे' में दिए गए हैं जो कि माननीय सदस्यों को उपलब्ध किया गया है। उदहारणस्वरूप गत वर्ष कृषि पर 2620 करोड़ रुपया व्यय किया गया था, ग्रामीण विकास पर 6664 करोड़ तथा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में यह आंकड़ा 815 करोड़ रुपये है जो कि उन प्रावधानों के अतिरिक्त है जो हमने कुछ अन्य अनुषंगी क्रियाकलापों के लिए किया है।

माननीय सदस्य श्री निर्मल कान्ति चटर्जी कहते हैं कि मुझे बजट संबंधी व्यय की उसी से तुलना करनी चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। यह बजट अनुमान है। वास्तविक व्यय का उल्लेख संशोधित अनुमान में होता है जो मैं उस वर्ष खर्च करता हूं। अतः मैंने विगत की परम्परा का अनुकरणा किया है। हम यह देखते हैं कि गत वर्ष मंत्रालयों द्वारा क्या व्यय किया गया है तथा योजना आयोग ने इस वर्ष के लिए क्या प्रावधान किया है। गत वर्ष हुए व्यय में काफी वृद्धि की गयी है। यह देखना मेरा काम नहीं है कि ये आवंटन पर्याप्त है।

यह देखना मेरा काम नहीं है कि ये आवंटन पर्याप्त हों। परन्तु मैंने एक वायदा किया है और मैं माननीय प्रधानमंत्री के समर्थन पर उस

[श्री पी० चिदम्बरम]

वायदे की इस वर्ष भी दुहराता हूं। हम तीन महीने में एक बार संसद में आएंगे तथा प्रत्येक मंत्रालय और प्रत्येक विभाग के योजनागत संबंधी व्यय की रिपोर्ट रखेंगे। इससे संसद को त्रैमासिक रूप से प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखने का अवसर प्राप्त होगा। यदि कोई मंत्रालय अथवा विभाग इसे आवंटित धनराशि का व्यय कर पाते हैं तथा उस संसाधन की जुटाने में, जिसका इसने वायदा किया था सक्षम ही पाते है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उस विभाग तथा उस मंत्रालय को अधिक धनराशि प्रदान करेंगे। उस वर्ष के दौरान इसकी निगरानी करने का अवसर प्राप्त होगा और हमें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वर्ष के अन्त में योजना आवंटन को खर्च नहीं किया गया है। तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष अत्यधिक आवंटन किया गया है। कृषि मंत्रालय के लिए यह विभाग-वार 2,969 करोड़ रुपया है। ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजटीय समर्थन तथा आई०ई०बी०आर० सहित संशोधित अनुमान 9095 करोड़ रुपया है। सिंचाई के क्षेत्र में त्वरित सिंचाई कार्यक्रम सहित यह 323 करोड़ तथा 1,300 करोड़ रुपया है। मैं समझता हूं कि हम सबों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये मंत्रालय धनराशि को खर्च करें। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मंत्रालय उस धनराशि की जुटाए जिसे जुटाने का उन्होंने वायदा किया था। यदि वे धनराशि जुटाते हैं, इसे खर्च करते हैं तथा यदि वे और धनराशि की मांग करते हैं तो यह सरकार उस धनराशि को प्रदान करने के पीछे नहीं होगी।

मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में मुद्दा उठाया है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति क्या है ? मैंने अपने बजट भाषण में यह बात कही है कि यह सुनिश्चित करने हेतु कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को उनका वेतन मिलता रहे, लगभग 1100 करोड़ रुपया प्रदान किया जाना केवल एक गैर योजनागत सहायता है जबकि इनके पुनर्गठन का प्रस्ताव लम्बित पड़ा है। परन्तु कृपया इस सरकार के रिकार्ड को ध्यान में रखिए। गत वर्ष हमने भारत भारी उद्योग निगम, भारत यन्त्र निगम, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, स्कुटर्स इंडिया, एच०ई०सी० तथा भारत रिफ्रैक्टरिज के अन्तर्गत एककों के लिए पुनरुद्धार पैकेजों को स्वीकृति दी है। इस वर्ष मैंने कहा है कि हम इस वर्ष और भी अधिक पुनर्गठन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करेंगे। बी०आई०एफ०आर० द्वारा यथा प्रस्तुत तथा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन प्रस्तावों को जब स्वीकृति दी जानी है तो निश्चित रूप से इन पुनरुद्धार पैकेजों के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी। इस सभा के अन्य दलों की ही भांति हम यह सुनिश्चित करने के लिए उतने ही चिन्तित हैं कि पुनरुद्धार किए जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार किया जाए तथा उन्हें पुनरुद्धार और लाभ के मार्ग पर अग्रसर किया जाए।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बजटीय समर्थन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रनों के योजनागत व्यय का सम्बन्ध है मै माननीय सदस्यों से "व्यय संबंधी बजटी भाग-1" का अध्ययन करने का अनुरोध करता हूं। इसमें पृष्ठ 51 के आरम्भ में तथा पृष्ठ 56 के अन्त तक "सार्वजनिक उपक्रमों में योजनागत निवेश" नामक शीर्ष है। वर्ष 1997-98 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल योजनागत निवेश 63,309 करोड़ रुपये का होगा। यह इक्विटी के रूप में 4,829 करोड़ रुपया, ऋण के रूप में 2,771 करोड़ रुपये आन्तरिक संसाधनों के रूप में 31,153 करोड़ रुपये बाण्ड तथा डिबेंचर के रूप में 11,818 करोड़ रुपये, बाहरी वाणिज्यिक ऋण के रूप में 5,517 करोड़ रुपये तथा अन्य संसाधनों के रूप में 7,218 करोड़ रुपये है।

63,000 करोड रुपये की राशि कम नहीं है। यदि एक वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 63000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाता है तो यह एक बड़ी धनराशि है। हमें यह बात अवश्य कहनी चाहिए और मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी जी को भी इस बात में मेरा समर्थन देने का अनुरोध करता हूं कि इस 63000 करोड़ रुपये की धनराशि पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अच्छा लाभ दिखाना चाहिए। मैं 13 प्रतिशत की दर पर ऋण ले रहा हूं। करदाताओं का पैसा मुफ्त का पैसा नही है। यह हमें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि करदाता कर का भुगतान करने के इच्छुक हैं। उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। यदि 63000 करोड़ रुपये ही उत्पादन निवेश किया जाए तो इससे अच्छा लाभ अर्जित होगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अच्छे लाभ का प्रदर्शन करेंगे तो निश्चितरूप से सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि प्रदान करेगी।

मेरी यह राय है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति कटिबद्ध हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के लिए कटिबद्ध हैं। हम पुनरुद्धार करने लायक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए कटिबद्ध हैं।

श्री राम नाईक : मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का क्या हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम : सदस्यगण पृथक रूप से अलग-अलग मंत्रियों से पूछ सकते हैं।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नाम नाईक ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। जहां तक आयल पूल डेफिसिट अकाउन्ट का संबंध है, 31 मार्च, 1997 को 15,500 करोड़ रुपये का घाटा था। आयल पूल घाटे को कम करने के लिए सरकार अनेक तरीके अपना रही है। और सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

जहां तक प्राकृतिक गैस के मूल्य का संबंध है, एक जनवरी, 1992 को स्वदेशी मूल्य 1500 रुपये प्रति हजार घन मीटर था।

यदि इसे एच०डी०ई० पाईप लाइन के माध्यम से मंगाया जाता है तो इस पर 18 रुपये प्रति हजार घन मीटर अतिरिक्त लागत आती है। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1000 रुपये प्रति हजार घन मीटर की रियायती दर है जिस पर 400 रुपये की छूट है।

श्री राम नाईक : क्या आप पेट्रोलियम और डीजल के दाम बढ़ाने जा रहे हैं।

श्री टी० आर० बालू : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि इस संबंध के मार्गोपायो पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इसके वित्त पोषण के लिए अन्य विकल्प हैं जिनका हमने सुझाव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम इस पर कल भी चर्चा कर सकते हैं।

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वैंकटरामन) : महोदय, जल भूतल परिवहन मंत्रालय में सामान्य नीति के रूप में कोई गति अवरोधक नहीं होना चाहिए लेकिन अपवाद स्वरूप गति अवरोधक ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां कि तीखे मोड़ हों या लेवल क्रासिंग हो

अथवा स्कूल हो। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि गति अवरोधक बहुत बड़े आकार के नहीं होने चाहिए जिसके कि वे अधिक नुकसान दायक न हो सके और दुर्घटनाएं भी न हों। इस संबंध में अनुदेश जून, 1996 में पहले ही जारी किए जा चुके हैं और इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जहां कहीं इस प्रकार के नुकसानदायक गति अवरोधक विद्यमान हैं उन्हें हटाने के लिए अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब गति अवरोधक खल्तस के बनाए जाएंगे जोकि गति में अवरोधक नहीं बनेंगे और इससे किसी दुर्घटना की भी संभावना नहीं होगी।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, श्री राम नाईक ने वास्को डी गामा के भारत आने के संबंध में एक बहुत ही रुचिकर प्रश्न उठाया है। ठीक है। यह एक इतिहास है जबकि अनेक यूरोपियन नाविक भारत आए जिनमें वास्को डी गामा विख्यात हैं, जिन्होंने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की तथा उनमें से कुछ इसे भारत की खोज कहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने भारत की खोज नहीं की थी, यह पहले से ही विद्यमान था। हमारी संस्कृति और सभ्यता उन देशों से अधिक प्राचीन है जिन देशों से ये नाविक आए थे।

तथापि वास्को डी गामा के भारत आने को हम यूरोप से भारत तक आने के नए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले यूरोपियन नाविकों के रूप में लेते है। हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं जो बाद में शायद उन नवागन्तुकों द्वारा उन क्षेत्रों में की गई थी।

महोदय, जहां तक हमारी सरकार का संबंध है, हम इसे एक घटना, एक ऐतिहासिक घटना के रूप में मानते हैं जिसे यूरोप से भारत तक नये समुद्री मार्ग खोजने के संबंध में देखा जा सकता है । हम इसे इससे अधिक महत्व नहीं देते है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, माननीय सदस्य श्री राम नाईक ने एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा उठाया है कि सभी मंत्री जहां कहीं भी सरकारी दौरा करने जाएं, उन्हें उस विशेष क्षेत्र के माननीय सदस्य को पहले ही सूचित करना चाहिए। यही प्रथा रही है। यदि सम्पर्क में नहीं हो पाया है तो मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि उन्हें सूचना भेजी जाएगी.....*(व्यवधान)* महोदय, मैं आश्वासन देता हूं कि भविष्य में माननीय सदस्य को पहले ही सूचना भेज दी जाएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, जेना जी के साथ बस एक समस्या है कि.....*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय माननीय सदस्य को पूर्व सूचना दे दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई सदस्य वित्त मंत्री के वक्तव्य पर टिप्पणी करना चाहेगा ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का उल्लेख किया गया है। अप्रैल, 1994 में एक कारोबारी योजना तैयार की गई थी और 9 मई, 1995 में पूर्व मंत्रिमण्डल द्वारा उसे स्वीकृत किया गया था। आधुनिकीकरण पर कुल 2,005 करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे जिसमें 1,934 करोड़ रुपये महाराष्ट्र में मुम्बई में भूमि विक्रय से प्राप्त करने थे।

अध्यक्ष महोदय, जब आप श्रम मंत्री थे तो आप भी मुझसे पहले वाले मंत्री के साथ वहां गए थे जिसका कोई परिणाम नहीं निकला।

इसके पश्चात् श्री कमल नाथ भी मुख्य मंत्री से मिले थे परन्तु परिणाम शून्य ही रहा।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बारे में सभा को पूरा इतिहास नहीं बताना है।

श्री आर० एल० जालप्पा : मैं भी उनसे दो बार मिला हूं। कोई परिणाम नहीं निकला। इस समय हमारे पास एक नई कारोबारी योजना है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वर्ष 1997-98 की वित्तीय सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड एक अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 7 मई, 1997/17 वैशाख, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।